प्रेषक,

डॉ0 पिंकी जोवल,
मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
16, ए0पी0सेन रोड, मण्डी परिषद भवन, लखनऊ।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी**, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्याः–एस0पी0एम0यू0 / नियोजन / 17 / 2024–25 / 4386–2 दिनांक : 07.10.2024

विषयः–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 की जनपदीय कार्ययोजना की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय / महोदया,

अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या एफ0नं0 एम–11011 / 1 / 2024–एन0एच0 एम0–III दिनांक 12.03.2024 द्वारा एन0एच0एम0, इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन्टीनेन्स एवं काइण्ड ग्राण्ट सहित उत्तर प्रदेश राज्य हेतु **वर्ष 2024–25 के लिए** रू0 16262.94 करोड की धनराशि पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की विभिन्न गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित किये जाने के उद्देश्य से आपको विस्तृत दिशा–निर्देश तथा मदवार धनराशियों का आवंटन FAMS portal के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 09.05.2024 एवं 31.05.2024 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जनपदों को वर्ष 2024–25 में आवंटित धनराशि की फांट एवं भौतिक दिशा–निर्देशों की संकलित 'रेफरेन्स पुस्तिका' प्रेषित की जा रही है।

मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि जनपद स्तरीय चिकित्सालयों, जिला स्तरीय चिकित्सालय, जो मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित हो चुके हैं अथवा परिवर्तित किये जा रहे हैं तथा ब्लॉक हेतु भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय फांट सहित वार्षिक कार्ययोजना तैयार कराते हुए उनको उपलब्ध कराई जाय।

उक्त के अतिरिक्त एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0 / नियोजन / 50 / 2024–25 / 3238 दिनांक 29.08.2024, जिसके साथ सचिव–स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रसंख्या–डी0ओ0नं0 पी–17029 / 05 / 2024–एन0एच0एम0–IV दिनांक 09.07.2024 का भी संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय जिला स्तरीय चिकित्सालय, जो कि मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित हो चुके हैं (अथवा परिवर्तित किये जा रहें हैं), में पूर्व की भांति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गतिविधियां यथावत संचालित रखते हुए जन–मानस को स्वास्थ्य सेवायें निर्बाध रूप से दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

आपको निर्देशित किया जाता है कि ब्लॉकवार धनराशि का आवंटन तैयार करने हेतु सम्बंधित जनपदीय व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन करें, ताकि आवंटन तैयार किये जाने में उनका भी सहयोग प्राप्त किया जा सके। तत्पश्चात जनपद स्तर से संचालित की जाने वाली गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए पूरे जनपद की कार्ययोजना (DHAP) तैयार कराकर ज़िला स्वास्थ्य समिति (DHS) से एकमुश्त अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। यदि भविष्य में कतिपय गतिविधियों के सम्बन्ध में धनराशि एवं दिशा–निर्देश राज्य स्तर से प्रेषित किये जाते हैं, तो उनका भी संज्ञान लेते हुए जिला स्वास्थ्य समिति का अनुमोदन प्राप्त करके नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

समस्त कार्यक्रमों के संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय तथा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के स्तर से किया जा रहा है। अतः समय–समय पर इनके स्तर से अथवा राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्तर से यदि किसी कार्यक्रम के संशोधित दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं, तो उनका पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जाये।

1. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम

1.1 जननी सुरक्षा योजनाः—

वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिये जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि जननी सुरक्षा योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023—24 में पत्र संख्या एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/मातृस्वा0/जे0एस0वाई0/8—9/ 2023—24/ 1444—2 दिनांक 22.05.2023 एवं 9688—15 दिनांक 13.03.2024 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जनपदों को प्रेषित किये गये थे। वित्तीय वर्ष 2024—25 में जननी सुरक्षा योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023—24 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे एवं वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु निम्न तालिकानुसार गतिविधिवार् धनराशि आवंटित की जा रही हैः—

क्रम सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0/फैम्स कोड	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु आवंटित धनराशि
1	ग्रामीण क्षेत्र के प्रसवों हेतु भुगतान रू0 1400 की दर से 90% धनराशि आवंटित	3.1	25,00,000	315,00,00,000
2	शहरी क्षेत्र के प्रसवों हेतु भुगतान रू0 1000 की दर से	3.2	3,00,000	30,00,00,000
3	बी0पी0एल0 श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु भुगतान रू0 500 की दर से	3.3	615	3,07,500
4	आशाओं को प्रोत्साहन धनराशि रू0 600 की दर से	3.4	23,80,000	142,80,00,000
5	जनपद स्तरीय प्रशासनिक मद	3.5	4%	19,51,32,300
जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि				**507,34,39,800**

अग्रेतर अवगत कराना है कि आशाओं द्वारा गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करने व सहयोग प्रदान किये जाने के लिए निम्नानुसार प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने का प्रावधान हैः—

- ग्रामीण क्षेत्र के प्रसवों हेतु आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि रू0 600/—की दर से (गर्भवती महिला का मानकानुसार पूर्ण ए0एन0सी0 चेकअप, एम0सी0पी0 कार्ड पर आर0सी0एच0 नम्बर हेतु रू0—300/— प्रति लाभार्थी एवं राजकीय प्रसव इकाईयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये रू0—300/— प्रति लाभार्थी)।
- शहरी क्षेत्र के प्रसवों हेतु आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि रू0 400/—की दर से (गर्भवती महिला का मानकानुसार पूर्ण ए0एन0सी0 चेकअप, एम0सी0पी0 कार्ड पर आर0सी0एच0 नम्बर हेतु रू0—200/— प्रति लाभार्थी एवं राजकीय प्रसव इकाईयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये रू0—200/— प्रति लाभार्थी)।

वित्तीय वर्ष 2024—25 में जननी सुरक्षा योजना हेतु उपर्युक्त तालिकानुसार कुल रू0 507,34,39,800/– (रू0 पॉच सौ सात करोड़ चौतीस लाख उन्तालीस हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है। जनपदों द्वारा की गयी मांग एवं आवश्यकतानुसार शेष धनराशि जनपदों की नौ माह की प्रगति एवं जनपदों द्वारा व्यय की गयी धनराशि की समीक्षा के आधार पर आवंटित की जायेगी। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को ससमय व पूर्ण भुगतान किया जाए एवं **''प्रपत्र 18''** पर जे0एस0वाई0 की त्रैमासिक रिपोर्ट प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के बाद 05 कार्यदिवसों के अन्दर राज्य स्तर पर प्रेषित की जायेगी।

1.2 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम :—

वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु धनराशि पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023—24 में पत्र संख्या एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0एस0के0/93—5/2023—24/1438—2 दिनांक 22.05.2023 एवं 4525—2 दिनांक 05.09. 2023 के माध्यम से जनपदों को विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे। वित्तीय वर्ष 2024—25 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के संचालन हेतु निःशुल्क औषधि— कन्ज्यूमेबल्स एवं निःशुल्क जांचों हेतु वित्तीय वर्ष 2023—24 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे परन्तु वित्तीय वर्ष 2023—24 के निःशुल्क भोजन मद के दिशा—निर्देश (प्रस्तर—3) में वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में दिशा—निर्देशों में निम्नवत् संशोधन किये गये हैं—

- प्रत्येक जनपद की समस्त 24X7 स्वास्थ्य इकाईयों पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हेतु समस्त जनपद स्तरीय/ब्लाक स्तरीय/शहरी स्वास्थ्य इकाइयों (एल 2 एवं एल 3 प्रसव इकाईयों) में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष **निःशुल्क भोजन हेतु रू0 150/— प्रति लाभार्थी प्रति दिन की दर से**

(सुबह का नाश्ता एवं दो समय का भोजन)। ***नोट–यदि गर्भवती महिला प्रसव से पूर्व या प्रसवोंपरान्त उपरोक्त दिवसों से ज्यादा दिन प्रसव कारणों से स्वास्थ्य इकाई पर भर्ती है, तो भी उसे जे0एस0एस0के0 डाईट के मद से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना आवश्यक है।***

- पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में गर्भवती महिलाओं के सूक्ष्म जलपान के लिए 10 माह हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। इस हेतु रू0–2,000/–प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस प्रति चिकित्सा इकाई की दर से, **राजकीय मेडिकल कॉलेजों, जिला महिला चिकित्सालयों, जिला संयुक्त चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों** एवं रू0–1,000/– प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस प्रति चिकित्सा इकाई की दर से **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों** हेतु।

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु निम्न तालिकानुसार धनराशि आवंटित की जा रही हैः–

क्रम सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0/फैम्स कोड	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु आवंटित धनराशि
	निःशुल्क औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स			
1	जनपद की चिकित्सा इकाई में सामान्य प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 400/– की दर से (20% आवंटित धनराशि)	4.1	25,05,000	20,04,00,000
2	मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एल 3 चिकित्सा इकाई में सामान्य प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 400/–की दर से	4.2	1,45,000	5,80,00,000
3	जनपद स्तरीय एल 3 चिकित्सा इकाई में सिजेरियन प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्सरू0 1,800 की दर से (20% आवंटित धनराशि)	4.3	1,00,000	3,60,00,000
4	मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एल 3 चिकित्सा इकाई में सामान्य सिजेरियन प्रसव हेतु औशधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 1,800/–की दर से	4.4	50,000	9,00,00,000
	निःशुल्क जांचे			
5	गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जाँचें रू0 200/–की दर से 20% आवंटित धनराशि	4.5	50,00,000	20,00,00,000
6	पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में गर्भवती महिलाओं हेतु ई रूपी वाउचर के माध्यम से अल्ट्रासाउण्ड की जाँच की व्यवस्था रू0 425/– की दर से	4.6		90,00,00,000
7	छाया वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र में गर्भवती महिलाओं हेतु एच0आई0वी0 एवं सिफलिस की जाँचें रू0 40/–की दर से ए. वी. डी.	4.7	28,40,928 वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र	11,36,37,120
	निःशुल्क भोजन			
8	निःशुल्क भोजन सामान्य प्रसव–दो दिन एवं सिजेरियन प्रसव–पॉच दिन –रू0 150/– की दर से जनपद स्तरीय एल 2 एवं 3 चिकित्सा इकाई में	4.8	18,65,000 सामान्य प्रसव एवं 1,00,000 सिजेरियन प्रसव	63,45,00,000
9	निःशुल्क भोजन सामान्य प्रसव–दो दिन एवं सिजेरियन प्रसव–पॉच दिन रू0 150/– की दर से मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग	4.11	1,45,000 सामान्य प्रसव एवं 50,000 सिजेरियन प्रसव	8,10,00,000
10	पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में गर्भवती महिलाओं हेतु सूक्ष्म जल–पान राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिला महिला चिकित्सालय, जिला संयुक्त चिकित्सालय, सी0एच0सीरू0–2,000/–प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस प्रति चिकित्सा इकाई की दर से एवं पी0एच0सी को रू0–1,000/– प्रति पी0एम0एस0 एम0ए0 दिवस की दर से 10 माह हेतु	4.9	2071 पीएमएसएमए फैसलिटी	7,95,80,000
जनपदों को आवंटन की जाने वाली कुल धनराशि				**239,31,17,120**

वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त के अतिरिक्त 33 राजकीय मेडिकल कॉलेजों (आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, बहराइच, बांदा, बस्ती, बदायू, देवरिया, एटा, इटावा, अयोध्या, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्वनगर, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, के0जी0एम0यू0 व आर0एम0एल0आई0एम0एस0 लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, प्रतापगढ, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहॉपुर, सिदार्थ नगर एवं वाराणसी) को सामान्य प्रसव हेतु रू0 400/– की दर से एवं सिजेरियन प्रसव हेतु रू0 1,800/– की दर से शतप्रतिशत धनराशि प्रसव हेतु औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स मद में सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। आवंटित धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज को अवमुक्त की जायेगी।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क औषधि हेतु रू0 38,44,00,000 /- (रूपये अड़तीस करोड़ चव्वालीस लाख रूपये मात्र) की आवंटित की गयी है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क जांचो हेतु रू0 1,21,36,37,120 /– (एक सौ इक्कीस करोड़ छत्तीस लाख सैतीस हजार एक सौ बीस रूपये मात्र) की आवंटित की गयी है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क भोजन हेतु रू0 79,50,80,000 /– (रूपये उन्नयासी करोड़ पचास लाख अस्सी हजार मात्र) की आवंटित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हेतु कुल रू0 239,31,17,120 /– (रू0 दो सौ उन्तालीस करोड़ इक्कतीस लाख सतराह हजार एक सौ बीस मात्र) की धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है।

1.3 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कियान्वयन हेतु धनराशि पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र संख्या– एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / पी0एम0एस0एम0ए0 / 134 / 2023–24 / 1445–2 दिनांक 22.05.2023 एवं पत्र संख्या–एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / पी0एम0एस0एम0ए0 / 134 / 2023–24 / 4524–2 दिनांक 05.09.2023 के माध्यम से समस्त जनपदों को दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रेषित किये गये दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु निम्न तालिकानुसार धनराशि आवंटित की जा रही हैः–

क्रम सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु आवंटित धनराशि
1	जनपद स्तरीय त्रैमासिक बैठक रू0 3000 की दर से	6.1	75 ×4 बैठक	9,00,000
2	निजी क्षेत्र के स्वैच्छिक सेवा प्रदाता चिकित्सकों द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य इकाई में स्वैच्छिक सेवा प्रदान करने हेतु मोबिलिटी	6.2	600 पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस हेतु मोबिलिटी	6,00,000
3	जनपद स्तरीय I Pledge for 9 Achievers सम्मान समारोह समारोह हेतु रू0 40000 /– की दर से	6.3	75	30,00,000
4	चिन्हित उच्च जोखिम युक्त 03 अतिरिक्त ए0एन0सी0 विजिट सुनिश्चित कराने हेतु रू0 100 /– प्रति विजिट आशा को प्रोत्साहन धनराशि	6.5	2,25,000 एच0आर0पी0	6,75,00,000
5	चिन्हित उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिला के सुरक्षित संस्थागत प्रसव एवं प्रसवोपरान्त 45 दिनों तक माँ एवं नवजात शिशु की देखभाल को सम्बन्धित ए0एन0एम0 / चिकित्सक द्वारा प्रमाणित करने पर आशा को रू0 500 /– प्रसूता प्रोत्साहन धनराशि	6.6	2,25,000 एच0आर0पी0	11,25,00,000
6	प्रसवोपरान्त चिन्हित उच्च जोखिम युक्त धात्री महिला हेतु 03 अतिरिक्त पी0एन0सी0 विजिट सुनिश्चित कराने हेतु रू0 250 /– आशा को प्रोत्साहन धनराशि	6.7	4,50,000 एच0आर0पी0	11,25,00,000
7	चिन्हित उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिला को पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस / सन्दर्भित स्वास्थ्य इकाई पर चिकित्सक / स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से 03 अतिरिक्त ए0एन0सी0 जांचें कराने हेतु लाभार्थी को धनराशि रू0 100 /– प्रति विजिट	6.8	2,25,000 एच0आर0पी0	6,75,00,000
जनपदों को आवंटित की जाने वाली कुल धनराशि				**36,45,00,000**

पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में गर्भवती महिलाओं के सूक्ष्म जलपान के लिए 10 माह हेतु रू0–2,000/–प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस प्रति चिकित्सा इकाई की दर से, राजकीय मेडिकल कॉलेजों, जिला महिला चिकित्सालयों, जिला संयुक्त चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु एवं रू0–1,000/– प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस प्रति चिकित्सा इकाई की दर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क भोजन मद में (एफ0एम0आर0 संख्या 4.9) धनराशि का आवंटन किया गया है।

उपर्युक्त हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हेतु कुल रू0 36,45,00,000/– (रूपये छत्तीस करोड़ पैतालिस लाख मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है।

1.4 हाई रिस्क प्रेगनेन्सी (उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था)

वित्तीय वर्ष 2023–24 में समस्त जनपदों को उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था के चिन्हीकरण, उपचार, फॉलो–अप हेतु पत्र संख्या–एन0एच0एम0/मातृ स्वा0/एनीमिया/HRP/135/2023–24/1443–2 दिनांक 22.05.2023 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश एवं पत्र संख्या–एन0एच0एम0/मातृ स्वा0/एनीमिया/HRP/135/2022–23/16774–2 दिनांक 15.12.2022 के माध्यम से गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के उपचार एवं रोकथाम हेतु भी जनपदों को समस्त दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे तथा पत्र संख्या मा0शि0क0/जे0एस0वाई0/आर0एच0 (निगेटिव)/2023–24/3870–149 दिनांक 21.03.2024 के माध्यम से गर्भवती महिलाओं में Rh Incompatibility के निदान एवं उपचार हेतु पृथक से दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

उक्त समस्त दिशा–निर्देश वित्तीय वर्ष 2024–25 में भी यथावत लागू रहेंगे।

वित्तीय व्यवस्था–

वित्तीय वर्ष 2024–25 में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 2,50,000 उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं के छाया वी0एच0एस0एन0डी0/यू0एच0एस0एन0डी0 पर चिन्हीकरण, लाइन लिस्टिंग एवं फॉलो–अप हेतु ए0एन0एम0 को रू0 200/– (प्रति केस की दर से) कुल धनराशि रू0 500.00 लाख एवं आशाओं को उच्च इकाई में PMSMA/Extended PMSMA पर जांच, भर्ती, सुरक्षित संस्थागत प्रसव तथा VHIR रजिस्टर में अंकन हेतु रू0 300/– (प्रति केस की दर से) कुल धनराशि रू0 750.00 लाख, इस प्रकार भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त आर0ओ0पी0 में कुल रू0 12,50,00,000/–(रू0 बारह करोड़ पच्चास लाख मात्र) की प्रोत्साहन धनराशि हेतु स्वीकृत प्रदान की गयी है एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु निम्न तालिकानुसार जनपदों को धनराशि आवंटित की जा रही है:–

वर्ष 2024–25 में मिलने वाली प्रोत्साहन धनराशि का विवरण –

क्र0 सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 कोड	लक्ष्य	जनपदों को आवंटित धनराशि (रू0 में)
1	उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण हेतु लाइन लिस्टिंग एवं फॉलो–अप हेतु ए0एन0एम0 के लिए रू0 200/–प्रति केस की प्रोत्साहन धनराशि	2.2	2,50,000	5,00,00,000
2	उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं के उच्च इकाई में PMSMA/Extended PMSMA पर जांच, भर्ती, सुरक्षित स्थागत प्रसव तथा VHIR रजिस्टर में अंकन हेतुआशा के लिए रू0 300/–प्रति केस की प्रोत्साहन धनराशि	2.1	2,50,000	7,50,00,000
कुल धनराशि				**12,50,00,000**

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु हाई रिस्क प्रेगनेन्सी (उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था) का चिन्हीकरण, उपचार, फॉलो–अप व प्रोत्साहन धनराशि हेतु कुल रू0 12,50,00,000/–(रू0 बारह करोड़ पच्चास लाख मात्र) जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।

1.5 मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड एवं केसशीट के मुद्रण

वित्तीय वर्ष 2023–24 में मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड एवं केसशीट के मुद्रण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे, जो कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में भी यथावत लागू रहेंगे। *मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड एवं केसशीट का मुद्रण जनपद स्तर पर किया जाना है।*

वित्तीय वर्ष 2024–25 में मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड एवं केसशीट के मुद्रण हेतु वित्तीय व्यवस्था निम्नवत है–

क्र0 सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड	लक्ष्य	जनपदों को आवंटित की जाने वाली धनराशि (रू0 में)
1	मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम0सी0पी0 कार्ड) का मुद्रण रू0 17 प्रति कार्ड की दर से	2.3	66,94,603	11,38,08,251
2	केसशीट का मुद्रण रू0 10 प्रति केसशीट की दर से	14.1	28,00,000	2,80,00,000
कुल धनराशि				**14,18,08,251**

वित्तीय व्यवस्था –

- वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये एम0सी0पी0 कार्ड के मुद्रण हेतु रू0 17/– (प्रति एम0सी0पी0 कार्ड की दर से) 66,94,603 एम0सी0पी0 कार्ड के मुद्रण के लिये रू0 11,38,08,251/– (रू0 ग्यारह करोड़ अड़तीस लाख आठ हजार दो सौ इक्यावन मात्र) की धनराशि जनपदों को जनपदवार फांट के अनुसार आवंटित की गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये केसशीट के मुद्रण हेतु औसतन रू0 10/– (प्रति केसशीट की दर से) 28,00,000 केसशीट के मुद्रण हेतु रू0 2,80,00,000/– (रू0 दो करोड़ अस्सी लाख मात्र) की धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है।

1.6 प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर नियमित/संविदा स्त्री व प्रसूति रोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञ या EmoC एवं LSAS प्रशिक्षित चिकित्साधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में ऑन–कॉल स्त्री व प्रसूति रोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञों की व्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रदेश की चिन्हित प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर नियमित/संविदा स्त्री व प्रसूति रोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञ या EmoC एवं LSAS प्रशिक्षित चिकित्साधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में ऑन–कॉल स्त्री व प्रसूति रोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञों की व्यवस्था अनुमन्य की गयी है। यह सम्पूर्ण व्यवस्था जनपदों में अक्रियाशील एफ0आर0यू0 को क्रियाशील करने के साथ–साथ किसी अन्य क्रियाशील एफ0आर0यू0 पर विशेषज्ञ की अनुपस्थिति/अनुपलब्धता होने पर सिजेरियन कराये जाने के लिये स्वीकृत की गयी है। यह व्यवस्था राजकीय (नियमित/संविदा) व निजी क्षेत्र में कार्यरत स्त्री व प्रसूति रोग एवं निश्चेतक विशेषज्ञ के लिये अनुमन्य है। तत्क्रम में जनपदों को धनराशि आंवटन किये जाने हेतु प्रस्ताव निम्नवत् है–

वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा प्रेषित आर0ओ0पी0 में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑन–कॉल व्यवस्था हेतु कुल रू0 176.38 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् है–

वित्तीय व्यवस्था–

- ऑन–कॉल का उपयोग केवल सिजेरियन प्रसव के लिए ही किया जायेगा। 01 सीजेरियन प्रसव के लिये 01 ही विशेषज्ञ (निश्चेतक या स्त्री व प्रसूति रोग) को ऑन–कॉल अनुमन्य होगी, जिससे नियमित/EmOC टीम के पूर्णकालिक विशेषज्ञ द्वारा सिजेरियन केस की प्रसवोंपरान्त देखभाल की जा सके।

- ऑन कॉल विशेषज्ञ हेतु honorarium, यात्रा भत्ता एवं 01 फॉलो–अप विजिट की वित्तीय व्यवस्था निम्न तालिकानुसार है–

S.n.	Type of Specialist	Honorarium for Day (8AM to 8 PM) On Call Vists (in Rs)	Honorarium for night (8PM to 8 AM) On Call Vists (in Rs)	Traval allowance (in Rs)	01 Follow-up visit (in Rs)
1	Gynaecologist (Regular/Contractual /Pvt)	2000	4000	1000	1500
2	Anaesthetist (Regular/Contractual /Pvt)	2000	4000	1000	Not applicable

- ऑन–कॉल विशेषज्ञों (निश्चेतक या प्रसूति व स्त्री रोग) द्वारा दिन **(8AM to 8 PM)** में किये गए सिजेरियन प्रसव हेतु honorarium रू0 2000/– प्रति केस एवं obstetric emergency हेतु रात **(8PM to 8 AM)** में किये गए सिजेरियन प्रसव हेतु honorarium रू0 4000/– प्रति केस की दर से अनुमन्य होगा।
- ऑन–कॉल विशेषज्ञों (निश्चेतक या गायनेकॉलजिस्ट) को ग्रामीण इकाईयों पर सिजेरियन प्रसव हेतु यात्रा भत्ता रू0 1000/– की दर से अनुमन्य होगा।
- ऑन–कॉल स्त्री रोग विशेषज्ञों को 01 follow-up visit हेतु भुगतान रू0 1500/–(रू0 1000/– यात्रा भत्ता + रू0 500/–per visit) की दर से अनुमन्य होगा।

उक्त के क्रम में सिजेरियन प्रसव हेतु ऑन–कॉल व्यवस्था के लिए समस्त जनपदों को कुल धनराषि रू0 141.03 लाख आवंटित की गयी है।

1.7 एम0डी0एस0आर0 "Maternal Death Surveillance and Response"

प्रदेश में मातृ मृत्यु सर्विलान्स समीक्षा कार्यक्रम Maternal Death Surveillance and Response (MDSR)समस्त जनपदों में संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु (स्वास्थ्य इकाई, समुदाय, जनपद एवं राज्य स्तर पर) की समीक्षा कर उनके कारणों एवं कारकों की विस्तृत जानकारी एकत्र कर एक रणनीति तैयार करते हुये महत्वपूर्ण स्तरों में सुधार कर मातृ मृत्यु में कमी लाना है। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) 2018–20 के अनुसार उ0प्र0 का मातृ मृत्यु अनुपात 167 प्रति 1 लाख जीवित जन्म है, जिसे सत्त विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0) के अन्तर्गत वर्ष 2030 तक 70 से कम किया जाना अपेक्षित है।

उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/एम0डी0आर0/54 –डी0/2023–24/1440–2 दिनांक 22.05.2023 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जनपदों को प्रेषित किये गये थे, जो कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में भी मातृ मृत्यु सर्विलान्स समीक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वन हेतु यथावत लागू रहेंगे।

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु जनपदों में MDSR कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय व्यवस्था गतिविधिवार निम्नवत हैं–

1. एम0डी0एस0आर0 कार्यक्रम कियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 सम्बन्धी तालिका निम्नवत हैं–

क्रम सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड	दर (रू0 में)	राज्य स्तर से निर्धारित लक्ष्य	जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रू0 में)
1.	कम्युनिटी बेस्ड मैटरनल डेथ रिव्यू–ब्लॉक दल को	**9.1**	600	9938	59,62,800
2.	प्रिटिंग ऑफ एम0डी0एस0आर0 फॉर्मेट	**9.5**	30	10439	3,13,170
3.	जनपद स्तर पर 12 समीक्षा बैठकों हेतु (प्रत्येक माह में एक बार)रू0 1,500/ प्रति बैठक की अधिकतम सीमा तक	**9.3**	1500	900	13,50,000
4.	मण्डल स्तर पर 04 त्रैमासिक समीक्षा बैठकों हेतु रू0 10,000/ प्रति बैठक की अधिकतम सीमा तक	**9.4**	10,000	72	7,20,000
5.	सुमन कार्यक्रम के अन्तर्गत Primary informantहेतु रू0 1,000/प्रति मातृ मृत्यु हेतु प्रोत्साहन धनराशि	**9.2**	1,000	2983	29,83,000
	जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि				1,13,28,970

उपरोक्त हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये मृत्यु सर्विलान्स समीक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त गतिविधियों हेतु रू0 1,13,28,970/– (रू0 एक करोड़ तेरह लाख अठठाइस हजार नौ सौ सत्तर मात्र) की धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है।

2. अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग –

- एम0डी0एस0आर0 कार्यक्रम के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर निर्धारित फॉर्मेट एवं एस0ओ0पी0 के अनुसार होम एवं ट्रान्जिट में होने वाली समस्त मातृ मृत्यु की रिपोर्ट ब्लॉक स्तर के फार्मेट में BHQ-M3 (Facility Code- 3.1.1,3.1.2) पर एवं स्वास्थ्य इकाई स्तर होने वाली समस्त मातृ मृत्यु की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप के अनुसार एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु DHQ-M3 (Facility Code- 3.1,3.2,3.3) प्रारूप के अनुसार एच0एम0 आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

1.8 एल0एस0ए0एस0 (LSAS) एवं ई–मॉक (EmOC) प्रशिक्षित चिकित्साधिकारियों एवं सहयोगी स्टाफ के लिये उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन धनराशि''

वित्तीय वर्ष 2024–25 विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से मातृ एवं शिशु सम्बन्धी रोगों एवं जटिलताओं के चिन्हांकन, उनके प्रबन्धन तथा Mortality and Morbidity दर में कमी लाने हेतु एफ0आर0यू0 कियाशीलता के सम्बन्ध में विभिन्न कार्यक्रम/गतिविधयां संचालित किये जा रहे हैं। तत्क्रम में प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को एल0एस0ए0एस0/ई–मॉक प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी प्रतिभा एवं कौशल में वृद्धि कर उनकी सेवाओं को योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में एल0एस0ए0एस0 (LSAS) एवं ई–मॉक (EmOC) प्रशिक्षित चिकित्साधिकारियों एवं सहयोगी स्टाफ के लिये उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन धनराशि' दिये जाने की व्यवस्था के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/LSAS-EMOC/147 /2023–24/1678–2 दिनांक 25.05.2023 के माध्यम से प्रेषित किये गये दिशा निर्देशों का (वित्तीय व्यवस्था एवं अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा रिपोर्टिंग में संशोधन सहित) यथावत् पालन किया जाना है।

❖ **उक्त दिशा–निर्देश में वित्तीय व्यवस्था में संशोधन निम्नवत है –**

वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस कार्यक्रम के माध्यम से वर्तमान में 64 जनपदों में 158 एल0एस0ए0एस0 एवं ई–मॉक (बडी–बडी) के अन्तर्गत संचालित एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0 हेतु निम्न तालिकानुसार एफ0एम0आर0 मद–17.8 के अन्तर्गत रु0 485.28 लाख की धनराशि जनपदों को सम्बंधित जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से आवंटित की गयी है।

1.9 Training of Medical Officers in "Comprehensive Emergency Obstetric and Neonatal care (CEmONC) एवं Life Saving Anesthesia skills (LSAS)" प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2024–25 में Training of Medical Officers in "Comprehensive Emergency Obstetric and Neonatal care (CEmONC) एवं Life Saving Anesthesia skills (LSAS)" प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित मेडिकल कॉलेजों को धनराशि आंवटन किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

एम0बी0बी0स0 चिकित्सकों की Comprehensive Emergency Obstetrics and Newborn Care (CEmONC) एवं Life Saving Anesthetic Skills (LSAS) प्रशिक्षण हेतु मेडिकल कॉलेजों एवं जिला महिला चिकित्सालयों को वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु पत्रांक–एस.पी.एम.यू./मातृ स्वा0/LSAS-EmOC-Trg./164/2023–24/1858-2 दिनांक 29.05.2023 के माध्मय से विस्तृत दिशा निर्देश जनपदों को प्रेषित किये गये थे, जो कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में भी यथावत लागू रहेगें।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में सीमॉक प्रशिक्षण के लिए सम्बंधित मेडिकल कॉलेज के 02 बैच (कुल 12 बैच) में होने वाले अनुमानित व्यय हेतु एफ0एम0आर0 संख्या 12.6 में कुल धनराशि रु0 253.176 लाख एवं एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षण के लिए सम्बंधित मेडिकल कॉलेज के 02 बैच (कुल 12 बैच) में होने वाले अनुमानित व्यय हेतु एफ0एम0आर0 संख्या 12.7 में कुल धनराशि रु0 251.976 लाख सम्बंधित जनपदों को आवंटित की गयी है।

1.10 ''सुमन'' कार्यक्रम–

अवगत कराना है कि सभी निवारणीय मातृ एवं शिशु मृत्यु और रूग्णता समाप्त करना एवं मातृत्व की सम्मानपूर्ण देखभाल, प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। स्वास्थ्य इकाइयों पर आने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला हेतु सेवाओं से इन्कार के लिये शून्य सहिष्णुता और

आश्वासनयुक्त, गरिमामय, सम्मानपरक और निःशुल्क गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल हेतु सुरक्षित मातृत्व आश्वासन ''सुमन'' कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है। ''सुमन'' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के अनुसार समस्त जनपदों के मेडिकल कॉलेज/जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय/अन्य स्वास्थ्य इकाई/NQAS/LaQshya हेतु चयनित स्वास्थ्य इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से ''सुमन'' इकाई के रूप में अधिसूचित किया जाना है। शासनादेश संख्या–2023/103(A)/पांच–9–2023 चिकित्सा अनुभाग–9 दिनांक 24 अप्रैल 2023 के माध्यम से 518 स्वास्थ्य इकाइयों को 'सुमन' इकाइयों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

आप अवगत है कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन 'सुमन' कार्यक्रम के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्रांक–एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/एम0एच0/सुमन/167/2023–24/1284–2 दिनांक 16.05.2023 एवं पत्रांक–एन0एच0एम/एस0पी0एम0यू0/एम0एच0/सुमन/167/2023–24/6002–2 दिनांक 26.10.2023 आई0ई0सी0 मुद्रण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जनपदों को प्रेषित किये गये थे, जो कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में भी यथावत लागू रहेंगे परन्तु स्टीकर का मुद्रण जनपदवार निर्धारित संख्या के अनुसार किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु सुरक्षित मातृत्व आश्वासन 'सुमन' कार्यक्रम के अन्तर्गत 518 स्वास्थ्य इकाइयों पर– Exterior board, Posters, Banners, Digital wall painting (graffiti painting), Standees, Stickers, आई0ई0सी0 मुद्रण हेतु रू0 42,10,900/– (बयालीस लाख दस हजार नौ सौ मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है।

1.11 शल्य चिकित्सकों को सिजेरियन प्रसव एवं प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों को गर्भवती महिलाओं की Obstetrics Ultrasound प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2024–25 में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत शल्य चिकित्सकों को सिजेरियन प्रसव सम्बन्धित 12 दिवसीय प्रशिक्षण तथा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों (गयनोकॉलाजिस्ट) को 14 दिवसीय Obstetric Ultrasound प्रशिक्षण हेतु धनराशि के आवंटन पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2024–25 में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों की प्रथम सन्दर्भन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं को समस्त ए0एन0सी0 सेवाओं के अन्तर्गत अल्ट्रासाउन्ड की सुविधा एवं प्रसव सम्बन्धित जटिलताओं के प्रबन्धन हेतु समस्त चिकित्सकीय सेवायें प्रदान किये जाना है। इस हेतु प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों को गर्भवती महिलाओं के 14 दिवसीय Obstetrics Ultrasound एवं शल्य चिकित्सकों के 12 दिवसीय सिजेरियन प्रसव प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्रांक–एस.पी.एम.यू./मातृ स्वा0/प्रशिक्षण/146/2023–24/9513–2 दिनांकः 05.03.2024 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जनपदों को प्रेषित किये गये थे। वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त प्रशिक्षण हेतु गत वर्ष प्रेषित किये गये दिशा निर्देशों का पालन यथावत किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में शल्य चिकित्सकों को सिजेरियन प्रसव प्रशिक्षण हेतु एफ0एम0आर0 संख्या 12.2 में कुल धनराशि रु0 8.976 लाख तथा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों को गर्भवती महिलाओं की Obstetrics Ultrasound सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु एफ0एम0आर0 संख्या 2.6 में कुल धनराशि रु0 21.714 लाख होने वाले अनुमानित व्यय हेतु जिला स्वास्थ्य समिति जनपद लखनऊ के माध्यम से के0जी0एम0यू0, लखनऊ को आवंटित की गयी है।

1.12 250 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रसव कक्ष को सुदृढ़ीकृत किये जाने हेतु उपकरणों का क्रय

प्रदेश में मातृ एवं नवजात मृत्यु में कमी लाने हेतु गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। NFHS-5 के आँकड़ो के अनुसार उत्तर प्रदेश में 83.4 % महिलाओं का संस्थागत प्रसव हो रहा है एवं घरेलू प्रसव 32.2 % से घटकर 16.6 % रह गया है। घर पर होने वाले प्रसवों में नवजात मृत्यु दर 37.5 है तथा जन्म के पहले दिन (0–1 दिन) नवजात मृत्यु दर 22.8 प्रति हजार जीवित जन्म है, जिसे प्रसव के दौरान गुणवत्तापरक चिकित्सकीय देखभाल/प्रबंधन से कम किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 28 जनपदों के 250 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रसव कक्ष का सुदृढ़ीकरण किये जाने के लिए आवश्यक उपकरण/आर्टिकल का क्रय किये जाने हेतु रु0 2,00,000/– (रुपये दो लाख मात्र) प्रति इकाई की दर से, कुल धनराशि रु0 500.00 लाख (रुपये पांच करोड़ मात्र), भारत सरकार द्वारा प्रेषित आर0ओ0पी0 में निम्न तालिकानुसार स्वीकृत की गयी हैः–

गतिविधि	एफ0एम0 आर0 संख्या	लक्ष्य	दर (रू0)	जनपदों को आवंटित की जाने वाली धनराशि (रू0)
250 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रसव कक्ष को सुदृढ़ीकृत किये जाने हेतु उपकरण	14.3	250	2,00,000	5,00,00,000

जनपदों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रसव कक्षों के सुदृढ़ीकरण हेतु एम0एन0एच0 टूल किट के अनुसार एक प्रसव कक्ष हेतु निम्न उपकरणों/आर्टिकल का क्रय किया जाना है–

S.No.	**Name of the Equiment / Instruments/Articles**
1	Labour table with mattress & foot rest
2	Mackintosh (2sq mtr)
3	Kelly's Pad
4	Delivery trolley
5	Delivery tray with Instruments*
6	Emergency tray with drugs*
7	Medicine Tray with drugs*
8	Baby tray with Instruments*
9	Episiotomy tray with Instruments*
10	Portable lamp
11	Screen between two tables
12	Stool for birth companion
13	Wall clock Analouge with seconds hand
14	Foetal doppler
15	Autoclave Vertical
16	Colour coded bins and punture proof container
17	Plastic Tub for 0.5% chlorine solution
18	Hub cutter
19	Weighing scale Adult
20	Weighing scale Pediatric
21	I/v drip stand
22	B.P instrumment table type
23	Thermometre digital
24	Pulse oxymeter
25	Refrigerator
26	Baby warmer
27	Stethoscope

***Instruments/drugs in trays, as per MNH toolkit table 8 (Attached)**

उपरोक्त 28 जनपदों के 250 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जनपदवार सूची पत्र के साथ इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि चिन्हित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रसव कक्ष को क्रियाशील किये जाने हेतु उपकरण/आर्टिकल का क्रय सुनिश्चित किया जाए।

1.13 मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत मानव संसाधन

1. संविदा ए0एन0एम0 का मानदेयः–

वित्तीय वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 के एफ0एम0आर0 कोड 185.C.S001 में कुल स्वीकृत 19115 संविदा ए0एन0एम0 के पदों के सापेक्ष जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर जनपदों में कार्यरत 13004 संविदा ए0एन0एम0 के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 313,11,16,605/–(तीन सौ तेरह करोड़, ग्यारह लाख, सोलह हजार, छः सौ पॉच मात्र) आवंटित की गयी है, जिसका व्यय वर्तमान में कार्यरत संविदा ए0एन0एम0 के आधार पर नियमानुसार एवं मानकानुसार किया जायेगा। ***साथ ही अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस कार्यालय के पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/मा0स्वा0/मा0संसा0/105–3/2023–24/1784–2 दिनांक 26.05.2023 के माध्यम से संविदा ए0एन0एम0 हेतु प्रेषित दिशा–निर्देश वित्तीय वर्ष 2024–25 में यथावत लागू रहेंगे।***

2. ओ0टी0 टैक्नीशियन का मानदेय :–

वित्तीय वर्ष 2024–25 में संविदा पर समस्त जनपदों में ओ0टी0 टैक्नीशियन के मानदेय हेतु प्रेषित किये जाने वाले दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम में भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2024–25 में संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन के कुल 377 संविदा पदों के मानदेय हेतु एफ0एम0आर0 कोड–185.C.S0061 में स्वीकृति प्रदान की गयी है। **जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार जनपदों में कार्यरत संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन के मानदेय की अनुमानित बजट कुल धनराशि रू0 7,77,05,320/–(सात करोड़ सतत्तर लाख पॉच हजार तीन सौ बीस मात्र) आवंटित की गयी है, जिसका वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार व्यय किया जायेगा। इस कार्यालय के पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/मा0स्वा0/ मा0संसा0/105–8 /2023–24 /1679–2 दिनॉक 25.05.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रेषित दिशा–निर्देश में अंकित कार्य एवं दायित्व तथा सामान्य निर्देश वित्तीय वर्ष 2024–25 में यथावत लागू रहेंगे।**

3. प्रथम सन्दर्भन इकाइयों के संचालन हेतु वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से कार्यरत संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों (स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतक) के मानदेय।

मातृ एवं शिशु सम्बन्धी रोगों एवं जटिलताओं के चिन्हांकन, उनके प्रबन्धन तथा Mortality and Morbidity दर में कमी लाने हेतु प्रथम सन्दर्भन इकाई (एफ0आर0यू0) का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 421 इकाईयॉ एफ0आर0यू0 के रूप में चिन्हित है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम में राज्य कार्ययोजना पर भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश में एफ0आर0यू0 पर कार्यरत संविदा विशेषज्ञों चिकित्सकों के मानदेय एवं कार्य सम्बन्धित दिशा–निर्देश निम्नवत है–

1. **प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर संविदा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतक की तैनाती–**

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु संविदा 318 स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं 283 एनेस्थेटिस्ट के कुल स्वीकृत पदों में पूर्व के वर्षों में स्वीकृत किये गये सभी पद समाहित हैं।

संविदा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ/शल्यक एवं निश्चेतक हेतु मानदेय व्यवस्था–

पूर्व से वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों के मानदेय का भुगतान पूर्व में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा है, जोकि निम्नवत है–

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से कार्यरत हेतु वित्तीय व्यवस्था–

क्र0सं0	एफ0आर0यू0 केटेगरी	नियत मानदेय (रू0)	दूरस्थ क्षेत्र अतिरिक्त मानदेय (रू0)	कुल देय मानदेय प्रतिमाह (रू0)
1	ए केटेगरी	1,00,000.00	शून्य	1,00,000.00
2	बी केटेगरी	1,00,000.00	20,000.00	1,20,000.00
3	सी केटेगरी	1,00,000.00	40,000.00	1,40,000.00

- *वित्तीय वर्ष 2023–24 से राज्य स्तर विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती बिड माडल के माध्यम से की जा रही है। अतः बिड मॉडल के माध्यम से तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों के मानदेय का भुगतान बिड धनराशि के आधार पर किया जायेगा एवं वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से पूर्व से कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों हेतु नियुक्ति तिथि से देय मानदेय एवं समय–समय 05 प्रतिशत वेतन वृद्वि एवं नियमानुसार लायल्टी बोनस का आकणन करते हुये वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार व्यय किया जायेगा।*

- **बिड मॉडल के माध्यम से तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों के मानदेय का भुगतान बिड धनराशि के आधार पर किया जायेगा**

2. <u>वित्तीय व्यवस्था</u>–

- वाक–इन–इन्टरव्यू माध्यम से कार्यरत संविदा स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सक के मानदेय का भुगतान–**(FMR Code-185.C.S0113)** एवं संविदा निश्चेतकों का **(FMR Code-185.C.S0144)** से किया जायेगा।

- वॉक–इन–इन्टरव्यू से कार्यरत संविदा स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सक एवं निश्चेतक का उपरोक्त मानकानुसार **<u>01 अप्रैल 2024 से स्लैब निर्धारित कर उन्हें मानदेय आवंटित किया जाये, एवं बिड मॉडल से कार्यरत का निर्धारित बिड धनराशि के अनुसार मानदेय आवंटित किया जाये।</u>**

- ***उपरोक्त हेतु जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार जनपदों में कार्यरत संविदा स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सक के मानदेय की अनुमानित बजट कुल धनराशि रू0 22,11,71,700/– एवं संविदा निश्चेतक चिकित्सक मानदेय की अनुमानित बजट कुल धनराशि रू0 10,83,77,400/– जनपदवार फॉट के अनुसार आवंटित की जा रही है(सूची संलग्न) तथा यह आवंटित धनराशि डैप का अंश है।***

3. **उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/मा0स्वा0/मा0संसा0/105–4/2023–24/1787–2 दिनॉक 26.05.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रेषित दिशा–निर्देश में अंकित कार्य एवं दायित्व तथा सामान्य निर्देश वित्तीय वर्ष 2024–25 में यथावत लागू रहेंगे।**

<u>4. संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाताः–</u>

वित्तीय वर्ष 2024–25 में संविदा पर समस्त जनपदों में कार्यरत जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के मानदेय हेतु प्रेषित किये जाने वाले दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

वित्तीय वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 में कुल 75 संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता का मानदेय के एफ0एम0आर0 कोड 185.C.P267, यात्रा–व्यय एफ0एम0आर0 कोड -194.28 एवं आफिस व्यवस्था हेतु एफ0एम0आर0 कोड -194.29 में धनराशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार जनपदों में कार्यरत 59 संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 4,14,71,926/–(चार करोड़, चौदह लाख, एकत्तर हजार, नौ सौ छब्बीस, मात्र) यात्रा–व्यय हेतु कुल धनराशि रू0 70,80,000/–(सत्तर लाख, अस्सी हजार, मात्र) एवं आफिस व्यवस्था हेतु कुल धनराशि रू0 5,90,000/–(पॉच लाख, नव्वे हजार, मात्र) जनपदवार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है, जिसका वास्तविक कार्यरत संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के आधार पर नियमानुसार व्यय किया जायेगा। इस कार्यालय के पत्रांक– एस0पी0एम0यू0/मा0स्वा0/मा0संसा0 /105–9/2023–24/1783–2 दिनॉक 26.05.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रेषित दिशा–निर्देश वित्तीय वर्ष 2024–25 में यथावत लागू रहेंगे।

<u>5. 35 नग 100 शैययायुक्त एम0सी0एच0 विंग के संविदा स्टाफ का मानदेय</u>

मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत 35 नग 100 शैययायुक्त एम0सी0एच0 विंग में संविदा पर कार्यरत स्टाफ के मानदेय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस कार्यालय के पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/मा0स्वा0/मा0संसा0/105–7/2023–24/1680–2 दिनॉक 25.05.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रेषित दिशा–निर्देश वित्तीय वर्ष 2024–25 में यथावत लागू रहेंगे।

साथ ही अवगत कराना है कि जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार जनपदों में 35 नग 100 शैययायुक्त एम0सी0एच0 विंग में संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों के कार्यरत एवं रिक्त तथा पैरामेडिकल स्टाफ के कार्यरत पदों के मानदेय हेतु विभिन्न एफ0एम0आर0 कोड में कुल धनराशि रू0 **46,99,12,536/-** (छियालिस करोड़ निन्यानवे लाख बारह हजार पांच सौ छत्तीस मात्र) जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को निम्न तालिकानुसार आवंटित की जा रही है, जिसका व्यय वर्तमान में कार्यरत संविदा स्टाफ के आधार पर नियमानुसार एवं मानकानुसार किया जायेगाः–

क्रम सं0	गतिविधि	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या I	एफ0एम0 आर0 संख्या	जनपदों को कुल धनराशि आवंटित (रू0 में) (Salary+05% Inc.+Exp.Bonus)
1	संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी	**105**	**46**	**59**	185.C.S0110	9,25,92,480
2	संविदा बालरोग विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी	**105**	**32**	**73**	185.C.S0124	6,41,09,760
3	संविदा निश्चेतक विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी	**105**	**16**	**89**	185.C.S0141	3,75,76,560
4	संविदा एम0ओ0 पैथोलॉजिस्ट	**35**	**23**	**12**	185.C.S0178	4,62,96,240
5	संविदा एम0ओ0 रेडियोलॉजिस्ट	**35**	**9**	**26**	185.C.S0165	2,84,96,064
6	संविदा लैब टैक्नीशियन	**210**	**108**	**102**	185.C.S0045,	2,72,24,616
7	संविदा ओ0 टी0 टैक्नीशियन	70	**36**	**34**	185.C.S0062	94,54,320
8	संविदा नर्सिंग सिस्टर	140	**69**	**71**	185.C.S0012	2,95,89,408
9	संविदा स्टाफ नर्स (Neonatology Trained)	945	**442**	**503**	185.C.S0011	13,45,73,088
	कुल योग					**46,99,12,536**

नोट–वित्तीय वर्ष 2023–24 से राज्य स्तर विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती बिड माडल के माध्यम से की जा रही है। अतः बिड मॉडल के माध्यम से तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों के मानदेय का भुगतान बिड धनराशि के आधार पर किया जायेगा एवं वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से पूर्व से कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों हेतु नियुक्ति तिथि से देय मानदेय एवं समय–समय 05 प्रतिशत वेतन वृद्वि एवं नियमानुसार लायल्टी बोनस का आकणन करते हुये वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

6. एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी के मानदेयः–

वित्तीय वर्ष 2024–25 में संविदा पर समस्त जनपदों में एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी के मानदेय हेतु प्रेषित किये जाने वाले दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2024–25 आर0ओ0पी0 के एफ0एम0आर0 कोड 185.C.S0282 में भारत सरकार द्वारा एफ0आर0यू0 पर स्वीकृत 250 संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों के पदों हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है राज्य स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 में एफ0आर0यू0 की केटेगरी ए, बी, सी के अनुसार पूर्व से कार्यरत संविदा चिकित्साधिकारियों का मानदेय का भुगतान निम्नवत किया जाना है–

क्र0सं0	एफ0आर0यू0 केटेगरी	कुल देय मानदेय प्रतिमाह (रू0)
1	ए केटेगरी	60000 / –
2	बी केटेगरी	65000 / –
3	सी केटेगरी	70000 / –

नोट– जनपदों में चिकित्सकों की कमी के कारण वॉक–इन–इन्टरव्यू से तैनात संविदा महिला चिकित्सकों की वित्तीय वर्ष 2024–25 वेतन व्यवस्था में निम्नवत है–

- ***एफ0आर0यू0 की सभी केटेगरी (ए, बी एवं सी) पर पूर्व से कार्यरत संविदा महिला चिकित्साधिकारी को वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूर्व की भांति ही मानदेय का भुगतान एवं 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्वि तथा एक्पीरियेन्स बोनस वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार देय होगा।***
- ***वित्तीय वर्ष 2024–25 में वॉक–इन के माध्यम से नवीन संविदा महिला चिकित्साधिकारी का चयन समस्त एफ0आर0यू0(ए0बी0सी0)पर रिक्त पदों हेतु रू0 100000/– प्रतिमाह के अनुसार किया जाना है।***
- ***जनपदों को वित्तीय वर्ष 2024–25 में जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर जनपदों में कार्यरत संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी के मानदेय*** (12 Month Salary@Rs.85000/-PM+5% Increment)***)की कुल धनराशि रू0 13,38,75,000/–(रू0 तेरह करोड़ अड़तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) जनपदवार फॉट के अनुसार आवंटित की जा रही है। अनुमानित धनराशि आवंटित की जा रही है, जिसका व्यय वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा।***
- **उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/मा0स्वा0/मा0संसा0/105–4/2023–24/1785–2 दिनॉक 26.05.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रेषित दिशा–निर्देश में अंकित कार्य एवं दायित्व तथा सामान्य निर्देश वित्तीय वर्ष 2024–25 में यथावत लागू रहेंगे।**

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में संविदा पर समस्त जनपदों में कार्यरत एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी के मानदेय आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। रिक्त पदों की धनराशि नियुक्ति उपरान्त जनपदों को आवंटित की जायेगी।

7. संविदा स्टाफ नर्स का मानदेयः–

वित्तीय वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 के एफ0एम0आर0 कोड 185.C.S0015 में कुल 6981 संविदा स्टाफ नर्स के पदों की स्वीकृत प्राप्त हुई है। जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार समस्त जनपदों में कार्यरत संविदा स्टाफनर्स के मानदेय हेतु कुल धनराशि रू0 149,55,06,915/– (एक सौ उन्चास करोड़, पचपन लाख, छः हजार, नौ सौ पन्द्रह मात्र) आवंटित की गयी है, जिसका व्यय वर्तमान में कार्यरत संविदा स्टाफ नर्स के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा। साथ ही अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस कार्यालय के पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/मा0स्वा0/मा0संसा0/105–2/2023–24/1674–2 दिनांक 25.05.2023 के माध्यम से संविदा स्टाफ नर्स हेतु प्रेषित दिशा–निर्देश वित्तीय वर्ष 2024–25 में यथावत लागू रहेंगे।

8. ऑब्सटेट्रिक एच0डी0यू0 एवं ऑब्सटेट्रिक हाइब्रिड एच0डी0यू0–आई0सी0यू0/आई0सी0यू0 मेडिकल कालेज एवं जिला महिला चिकित्सालय में कार्यरत संविदा स्टाफ के मानदेय।

मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 06 मेडिकल कॉलेज–जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, (अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सटी), अलीगढ़, मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज, महारानी लक्ष्मीबाई, मेडिकल कॉलेज, झांसी, बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर, जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज, कानपुर नगर में ऑब्सटेट्रिक हाइब्रिड एच0डी0यू0 एवं आई0सी0यू0 (8 Bedded HDU+2 bedded ICU), के0जी0एम0यू0, लखनऊ में ऑब्सटेट्रिक हाइब्रिड एच0डी0यू0 (8 Bedded HDU+2 bedded ICU) एवं ऑब्सटेट्रिक आई0सी0यू0 (4 bedded ICU) तथा जिला महिला चिकित्सालय–आगरा, कानपुर नगर, वीरांगना अवंतीबाई एवं झलकारी बाई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, अमेठी, बरेली, सन्तकबीरनगर, सहारनपुर गोण्डा, महोबा एवं वाराणसी (8 Bedded HDU) तथा आजमगढ गौतमबुद्वनगर एवं मुरादाबाद में (6+2 Bedded Obs. Hybrid ICU) एवं जनपद बुलन्दशहर में (4+1 bedded Hybrid ICU), ऑब्सटेट्रिक एच0डी0यू0/आई0सी0यू0 की स्थापना एवं क्रियाशीलता हेतु संविदा निश्चेतक, चिकित्साधिकारी, स्टाफनर्स एवं एम0एण्डई0 असिस्टेन्ट हेतु भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 2024–25 में मानव संसाधन स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत है–

Obs. HDU, ICU Medical College DHAP HR Budget 2024-25

S. No.	Name of District	Name of Medical College	Anaesthetics (Specialist) FMR-185.C.S0469				Medical Officer FMR-185.C.S0475			
			Total Sanctioned	In Position	Vacant	Total Budget to District (Rs.) in position staff	Total Sanctioned	In Position	Vacant	Total Budget to District Rs. 65,150/- PM +5% Inrement+5% Exp. Bonus (Rs.) in position staff
1	Aligarh	JNMC,AMU	1	0	1	0	4	2	2	17,19,960
2	Prayagraj	MLNMC	1	0	1	0	4	1	3	8,59,980
3	Jhansi	MLBMC	1	0	1	0	4	0	4	
4	Gorakhpur	BRD MC	1	0	1	0	4	1	3	8,59,980
5	Kanpur Nagar	GSVMC	1	0	1	0	4	0	4	0
6	Lucknow	KGMC	1	0	1	0	8	0	8	0
7	GB Nagar	Govt Institute of MC, Noida	1	0	1	0	4	0	4	0
Total Budget to be District			**7**	**0**	7	0	32	4	28	34,39,920

Obs. HDU, ICU Medical College DHAP HR Budget 2024-25

S. No.	Name of District	Name of Medical College	Staff Nurse @ Rs.30,000 PM FMR-185.C.S0483				M&E Assistant @ Rs.16,600 PM FMR-185.C.P131			
			Total Sanctioned	In Position	Vacant	Total Budget to District @Rs. 39,938/-PM+5% increment, old & Rs.30,000/-PM new for 12 months (Rs.) in position staff	Total Sanctioned	In Position	Vacant	Total Budget to District @Rs. 22,100/-PM+5% increment for 12 months (Rs.) in position staff
1	Aligarh	JNMC, AMU	20	10	10	50,32,188	1	1	0	2,78,460

Obs. HDU, ICU Medical College DHAP HR Budget 2024-25										
S. No.	Name of District	Name of Medical College	Staff Nurse @ Rs.30,000 PM FMR-185.C.S0483				M&E Assistant @ Rs.16,600 PM FMR-185.C.P131			
			Total Sanctioned	In Position	Vacant	Total Budget to District @Rs. 39,938/-PM+5% increment, old & Rs.30,000/-PM new for 12 months (Rs.) in position staff	Total Sanctioned	In Position	Vacant	Total Budget to District @Rs. 22,100/-PM+5% increment for 12 months (Rs.) in position staff
2	Prayagraj	MLNMC	20	2	18	7,20,000	1	1	0	2,78,460
3	Jhansi	MLBMC	20	5	15	18,00,000	1	0	1	-
4	Gorakhpur	BRD MC	20	4	16	14,40,000	1	0	1	-
5	Kanpur Nagar	GSVMC	20	1	19	3,60,000	1	0	1	-
6	Lucknow	KGMC	28	23	5	1,15,74,032	1	1	0	2,78,460
7	GB Nagar	Govt.I. MC, Noida	20	0	20	0	1	0	1	-
Total Budget to be District			**148**	**45**	**103**	**2,09,26,220**	**7**	**3**	**4**	**8,35,380**

	Obs. HDU, ICU DWH DHAP HR Budget 2024-25										
S. No.	Name of District	Name of Medical College		Anaesthetics (Specialist) FMR-185.C.S0958(8.1.10.3)				Medical Officer @ Rs.100,000 PM Month FMR- 185.C.S0959 (8.1.10.1)			
				Sanctioned	In Position	Vacant	Total Budget	Sanctioned	In Position	Vacant	Total Budget
1	Azamgarh	DWH	New	1	0	1	0	4	0	4	0
2	Bulandshahar	DWH	New	1	0	1	0	4	0	4	0
3	Moradabad	DWH	New	1	0	1	0	4	0	4	0
Total Budget to be District				**3**	**0**	**3**	0	**12**	**0**	**12**	**0**

HDU, ICU DWH DHAP HR Budget 2024-25 Under Maternal Health Programme												
S. No.	Name of District	Name of Medical College	Staff Nurse @ Rs.30,000 PM FMR-185.C.S0482 (8.1.10.3)					M&E Assistant 1@ Rs.16,600 PM FMR-185.C.P403 (16.4.2.1.5)				
			Sanctioned	In Position	Vacant	Budget of in Positition@ Rs.30,000 PM for 12 month	Total Budget	Sanctioned	In Position	Vacant	Budget of Vacant Post	Total Budget
1	Kanpur Nagar	DWH	16	6	10	21,60,000	21,60,000	1	0	1	0	0
2	Agra	DWH	16	0	16	-	-	1	0	1	0	0
3	Amethi	DWH	16	0	16	-	-	1	0	1	0	0
4	Azamgarh	DWH	20	0	20	-	-	1	0	1	0	0
5	Bareilly	DWH	16	0	16	-	-	1	0	1	0	0
6	Bulandshahar	DWH	12	0	12	-	-	1	0	1	0	0
7	Gonda	DWH	16	0	16	-	-	1	0	1	0	0
8	Lucknow	Aanti bai DWH	16	1	15	3,60,000	3,60,000	1	0	1	0	0
9	Lucknow	Jhalkari Bai	16	0	16	-	-	1	0	1	0	0
10	Mahoba	DWH	16	0	16	-	-	1	0	1	0	0
11	Moradabad	DWH	20	0	20	-	-	1	0	1	0	0
12	Raibareilly	DWH	16	5	11	18,00,000	18,00,000	1	0	1	0	0
13	Saharanpur	DWH	16	0	16	-	-	1	0	1	0	0
14	Sitapur	DWH	16	4	12	14,40,000	14,40,000	1	0	1	0	0
15	SK Nagar	DWH	16	0	16	-	-	1	0	1	0	0
16	Varanasi	DWH	16	3	13	10,80,000	10,80,000	1	0	1	0	0
Total			**260**	**19**	241	68,40,000	**68,40,000**	**16**	**0**	**16**	0	0

नोट– ऑब्सटेट्रिक एच0डी0यू0 एवं ऑब्सटेट्रिक हाइब्रिड एच0डी0यू0– आई0सी0यू0/आई0सी0यू0 में पूर्व से कार्यरत संविदा विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्साधिकारी को वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूर्व की भांति ही मानदेय का भुगतान एवं 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि तथा एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा।

- *वित्तीय वर्ष 2024–25 में वॉक–इन के माध्यम से ऑब्सटेट्रिक एच0डी0यू0 एवं ऑब्सटेट्रिक हाइब्रिड एच0डी0यू0– आई0सी0यू0/आई0सी0यू0 पर नवीन तैनाती संविदा चिकित्साधिकारी का चयन रू0 1,00,000/–प्रतिमाह के अनुसार किया जाना है।*

- एम0बी0बी0एस0 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति जनपद स्तर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मानव अनुभाग, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के दिशा–निर्देशों के अनुसार से वॉक–इन–इन्टरव्यू माध्यम से की जायेगी।
- संविदा निश्चेतक की तैनाती राज्य स्तर से बिडिंग के माध्यम से राज्य स्तर से की जायेगी।
- पैरा मेडिकल संविदा स्टाफ (स्टाफनर्स एवं एम0 एण्ड ई0 असिस्टेन्ट) का चयन राज्य स्तर से किया जायेगा।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुमानित धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है जनपद कार्यरत संविदा स्टाफ का वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार भुगतान किया जाना है।
- जनपद–आजमगढ़, बुलन्दशहर एवं मुरादाबाद में उपकरणों की आपूर्ति होने के उपरान्त ही संविदा चिकित्साधिकारी की तैनाती दिशा–निर्देशों के अनुसार जनपद द्वारा की जायेगी।

कार्य एवं उत्तरदायित्व तथा सामान्य निर्देश–

इस कार्यालय के पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / मा0स्वा0 / मा0संसा0 / 105–10 / 2023–24 / 1786–2 दिनॉक 26.05.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रेषित दिशा–निर्देश वित्तीय वर्ष 2024–25 में मेडिकल कालेज के साथ–साथ *ऑब्सटेट्रिक एच0डी0यू0 एवं ऑब्सटेट्रिक हाइब्रिड एच0डी0यू0–आई0सी0यू0 / आई0सी0यू0 जिला महिला चिकित्सालय में* यथावत लागू रहेंगें।

9. संविदा क्यू0 आई0 मेण्टर मानदेयः–

वित्तीय वर्ष 2024–25 में संविदा पर जनपद–जनपद–बलिया, चन्दौली, देवरिया, फतेहपुर, हमीरपुर, हापुड़, जालौन, झांसी, ललितपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं सम्भल में संविदा पर कार्यरत क्यू0आई0 मेन्टर के मानदेय हेतु प्रेषित किये जाने वाले दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

अवगत कराना है कि मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत संविदा पर कार्यरत क्यू0आई0 मेन्टर के मानदेय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस कार्यालय के पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / प्रशिक्षण / क्यू0आई0 मेन्टर / 16 / 2023–24 / 1577–2 दिनांक 23.05.2023 के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये थे, जो कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में यथावत लागू रहेंगे। आप अवगत हैं कि राज्य स्तर जारी पत्र दिनांक 04.08.2022 एवं 25.10.2023 के अनुसार क्यू0आई0 मेन्टर, एन0एम0टी0सी0 / एस0एम0टी0आई0 में सम्बद्व / कार्यरत है। अतः वर्तमान में कार्यरत जनपद से प्रतिमाह प्राप्त उपस्थिति के अनुसार नियमानुसार मानदेय का भुगतान किया जाना है। ***क्यू0आई0 मेन्टर, वर्तमान में एस0एम0टी0आई0 एवं एन0एम0टी0सी0 पर कार्यरत है। अतः इनके द्वारा क्षेत्र भ्रमण का कार्य नहीं किया जा रहा है, जिस कारण इनके यात्रा व्यय मद में कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की जा रही है।***

साथ ही अवगत कराना है कि जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर जनपदों में कार्यरत 14 संविदा क्यू0आई0 मेन्टर के मानदेय हेतु एफ0एम0आर0 मद संख्या–185.C.P277 के अर्न्तगत कुल धनराशि रू0 1,02,97,670 / –(एक करोड़ दो लाख सत्तानवे हजार छः सौ सत्तर मात्र) जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है, जिसका व्यय वर्तमान में कार्यरत संविदा क्यू0आई0 मेन्टर के आधार पर मानकानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2. ब्लड सर्विसेज कार्यक्रम

2.1 ब्लड सर्विसेज एवं ब्लड डिसार्डर प्रबन्धन कार्यक्रम –

वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रदेश में ब्लड सर्विसेज कार्यक्रम संचालन हेतु डैप के माध्यम से जनपदों को आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निम्नवत प्रस्तावित है–

- **एफ0एम0आर0 मद संख्या 154.1** – के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के राजकीय जिला चिकित्सालयों के अन्तर्गत संचालित रक्त केन्द्रों को ब्लड डिसार्डर (हीमोफीलिया तथा हिमोग्लोबिनोपैथी) के सम्बन्ध में जनमानस को जागरूक करने, प्रचार–प्रसार तथा हीमोफीलिया तथा हिमोग्लोबिनोपैथी से सम्बन्धित विशेष दिवसों के आयोजन हेतु प्रति जनपद रू0 20,000.00 की धनराशि का आवंटन किया गया है।
- **एफ0एम0आर0 मद 154-2** – के अन्तर्गत
  1. भारत सरकार द्वारा बजट की स्वीकृति के क्रम में हीमोफीलिया प्रबन्धन हेतु नोडल संस्थान हिमैटोलॉजी विभाग एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ को हीमोफीलिया प्रबन्धन कार्यक्रम से सम्बन्धित दैनिक कार्यालय व्यय एवं अन्य आवश्यक गतिविधियों हेतु Contigency Support के रूप में एकमुश्त रू0 2.00 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया है।
  2. भारत सरकार द्वारा बजट की स्वीकृति के क्रम में प्रदेश में Hemophilia Comprehensive care हेतु रू0 51.36 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया है।
  3. भारत सरकार द्वारा बजट की स्वीकृति के क्रम में हिमैटोलॉजी विभाग एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के द्वारा एन0एच0एम0 पोषित परियोजना Early detection & Counselling हेतु कुल रु0 10.65 लाख का आवंटन किया गया है। सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा संस्थान से संचालित परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की त्रैमासिक आख्या अनिवार्य रूप से प्राप्त करते हुए स्टेट ब्लड सेल, एस0पी0एम0यू0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाना है।
- **एफ0एम0आर0 मद 154.3** – के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बजट की स्वीकृति के क्रम में प्रदेश में थैलेसीमिया प्रबन्धन हेतु निम्न तालिकानुसार 29 केन्द्रों को निम्नानुसार धनराशि का आवंटन किया गया है–

S.N.	Name of Districts	Name of Medical College	Manpower support under day care centre	Budget for Iron chelation	Budget for Leukofilteration	Budget for investigation	Contingency	Total Budget to center
1	**Agra**	Agra Medical College	0	1680000	2100000	210000	50000	4040000
2	**Allahabad**	Allahabad Medical College	0	1200000	1500000	150000	50000	2900000
3	**Aligarh**	JLN Medical College	705600	2400000	3000000	300000	50000	6455600
4	**Bareilly**	District Hospital	0	3840000	4800000	286000	50000	8976000
5	**Gorakhpur**	Gorakhpur Medical College	705600	1200000	1500000	150000	50000	3605600
6	**Kanpur**	GSVM Kanpur	705600	1824000	2280000	228000	50000	5087600
7	**Lucknow**	Lucknow KGMU*	705600	4800000	6000000	600000	50000	12155600
8		Lucknow SGPGIMS*	705600	10800000	13500000	1350000	50000	26405600
9		RMLIMS, Lucknow	705600	2880000	3600000	360000	50000	7595600
10	**Meerut**	LLRM Meerut Medical College	705600	1680000	2100000	210000	50000	4745600
11	**Varanasi**	IMS BHU	705600	3384000	4230000	423000	50000	8792600
12	**Jhansi**	MLB Medical	0	720000	900000	90000	50000	1760000

S.N.	Name of Districts	Name of Medical College	Manpower support under day care centre	Budget for Iron chelation	Budget for Leukofilteration	Budget for investigation	Contingency	Total Budget to center
		College						
13	GB Nagar	Child PGI, NOIDA	705600	7440000	9300000	930000	50000	18425600
14		GMIC, GB Nagar	0	720000	900000	90000	50000	1760000
15	Bulandsahar	District Hospital	0	720000	900000	90000	50000	1760000
16	Saharanpur	District Hospital	0	1680000	2100000	210000	50000	4040000
17	Azamgarh	District Hospital	0	1200000	1500000	150000	50000	2900000
18	Etawa	UPRIMS, Etawah	0	480000	600000	60000	50000	1190000
19	Banda	Rashtriya Medical College, Banda	0	480000	600000	60000	50000	1190000
20	Jalaun	Government Medical College, Jalaun	0	480000	600000	60000	50000	1190000
21	Kannauj	Government Medical College, Kannauj	0	480000	600000	60000	50000	1190000
22	Mirzapur	SIC District Hospital Barister Yusuf Imam Hospital, Mirzapur	0	480000	600000	60000	50000	1190000
23	Basti	District Hospital, Basti	0	480000	600000	60000	50000	1190000
24	Gonda	Babu Ishwar Saran Srivastav Zila Chikitsalaya, Gonda	0	480000	600000	60000	50000	1190000
25	Moradabad	Deen Dayal Upadhyay District Hospital, Moradabad	0	480000	600000	60000	50000	1190000
26	Ambedkarnagar	Mahamaya Medical College, Ambedkar Nagar	0	480000	600000	60000	50000	1190000
27	Bahraich	District Hospital, Bahraich	0	480000	600000	60000	50000	1190000
28	Lalitpur	District Hospital, Lalitpur	0	480000	600000	60000	50000	1190000
29	Ghaziabad	District Hospital, Ghaziabad	0	480000	600000	60000	50000	1190000
Total			**6350400**	**53928000**	**67410000**	**6547000**	**1450000**	**135685400**

उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का उपयोग उपरोक्त तालिकावत निर्धारित गतिविधियों हेतु ही किया जाय, उक्त उल्लिखित गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य हेतु किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता के अन्तर्गत आच्छादित होगा।

- **एफ0एम0आर0 मद संख्या 154.4 –** के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश में National Sickle Cell Anemia Elimination Mission के अन्तर्गत चिन्हित जनपदों (सोनभद्र, बलिया, देवरिया, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, ललितपुर एवं बहराइच) में जनमानस को Sickle Cell Anemia के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित आई0ई0सी0/प्रशिक्षण समाग्रियों के मुद्रण, जनमानस को जागरूक करने हेतु प्रचार–प्रसार गतिविधियों एवं कार्यशालाओं के आयोजन तथा विशेष दिवसों के आयोजन आदि हेतु प्रति जनपद रू0 1.00 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया है।
- **एफ0एम0आर0 मद संख्या 156.1 –**के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सालयों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों को Rational Use of Blood & Blood Products पर CME के आयोजन हेतु प्रति रक्तकेन्द्र रू0 15,000.00 का आवंटन किया गया है, जिसके अन्तर्गत रक्ताधान से सम्बन्धित मेडिकल तथा पैरा मेडिकल (स्टाफ नर्स आदि) न्यूनतम 100 प्रतिभागियों को उन्नमुखिकृत/प्रशिक्षित किया जाना है।
- **एफ0एम0आर0 मद संख्या 156.2 –(ब्लड स्टोरेज यूनिट के रेकरिंग हेतु)**– के अन्तर्गत रक्त भण्डारण इकाई में आवश्यकतानुसार केमिकल्स, रीएजेन्ट, ग्लासवेयर्स, कन्ज्यूमेबल, स्टेशनरी, अभिलेख एवं रिकार्ड निर्माण आदि हेतु तथा रक्त भण्डारण इकाई में कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु एन0एच0एम0 द्वारा समय–समय पर राज्य स्तर पर आयोजित बैठक/प्रशिक्षण/समीक्षा/कार्यशाला आदि में प्रतिभागिता करने की दशा में प्राप्त निर्देशानुसार प्रतिभागियों के टी0ए0 एवं डी0ए0 की प्रतिपूर्ति रेकरिंग मद में आवंटित धनराशि से किया जाना है।
- **एफ0एम0आर0 मद 158.2 –** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों को आउटडोर स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन हेतु प्रति शिविर रू0 2500.00 मात्र की धनराशि का आवंटन किया गया है, जिससे रक्तदान शिविर स्थल तक आवश्यक सामग्रियों एवं कर्मियों के परिवहन, शिविर स्थल पर टेन्ट, बैनर व अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है।
- **एफ0एम0आर0 मद 158.4 –** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों में रक्तदान करने वाले **प्रत्येक रक्तदाता** (स्वैच्छिक व प्रतिस्थानी) को अनिवार्य रूप से Refreshment उपलब्ध कराने के लिए प्रति रक्तदाता रू0 25.00 की दर से धनराशि का आवंटन किया गया है।
- **एफ0एम0आर0 मद संख्या 158.5 –** के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सालयों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों को स्वैच्छिक रक्तदान प्रोत्साहन, रक्तकेन्द्र से सम्बन्धित आई0ई0सी0/रक्तकेन्द्र हेतु आवश्यक अभिलेखों का निर्माण एवं रक्तदान से सम्बन्धित विशेष दिवसों के अन्तर्गत विभिन्न प्रचार–प्रसार एवं जनजागरूकता गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रति रक्तकेन्द्र रू0 25,000.00 की धनराशि का आवंटन किया गया है।
- **एफ0एम0आर0 मद संख्या 158.6 –** पर प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों के अन्तर्गत संचालित रक्त केन्द्रों के द्वारा ई–रक्तकोष पर Daily Reporting एवं Stock updation के लिए Internet Support हेतु प्रति माह रू0 1000.00 की दर से धनराशि का आवंटन किया गया है।
- **एफ0एम0आर0 मद संख्या 158.7 –** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के 14 राजकीय चिकित्सा संस्थानों में संचालित रक्तकेन्द्रों में स्थापित ऐसे उपकरण जिनकी वारंटी अवधि समाप्त हो चुकी है एवं राज्य रख–रखाव के अन्तर्गत आच्छादित नही है, के रख–रखाव हेतु/ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 के लिए निम्नतालिकानुसार आवंटित धनराशि का उपयोग किया जाना है।

S.N.	District	Blood Center Name	Type	Allocated Budget in Rs.
1	Agra	SN Med. Coll.	BCSU	450,000.00
2	Aligarh	JN Med. Coll.	BCSU	450,000.00
3	Allahabad	MLN Med. Coll.	BCSU	450,000.00
4	Ambedkar Ngr	Govt Medical College	DLBB	250,000.00
5	Etawah	RIMS,R Saifai	BCSU	450,000.00
6	Gorakhpur	BRD Med. Coll.	BCSU	450,000.00
7	Jhansi	MLB Med. Coll.	BCSU	450,000.00
8	Kannauj	Govt Medical College	DLBB	250,000.00
9	Kanpur Nagar	GSVM Med. Coll.	BCSU	450,000.00
10	GB Nagar	SSPH & PGTI	DLBB	450,000.00
11	Lucknow	SGPGIMS	BCSU	450,000.00
12	Lucknow	KGMU	BCSU	450,000.00
13	Meerut	LLRM Med. Coll.	BCSU	450,000.00
14	Varanasi	IMS,BHU	BCSU	450,000.00
Total				**59,00,000.00**

- **एफ0एम0आर0 मद 158.9** – के अन्तर्गत
    1. प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों में कार्यरत पी0आर0ओ0 के कम्युनिकेशन एवं यात्रा की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति माह रू0 1000.00 मात्र की दर से धनराशि का आवंटन किया गया है।
    2. प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों में कार्यरत काउन्सलर (एन0एच0एम0 तथा डी0जी0एच0एस0 से सहायतित) के कम्युनिकेशन एवं यात्रा के प्रतिपूर्ति हेतु प्रति माह रू0 1500.00 मात्र की दर से धनराशि का आवंटन किया गया है।

2.2 ब्लड सर्विसेज एवं हिमोफीलिया प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय

वर्ष 2024–25 में ब्लड सर्विसेज एवं ब्लड डिसार्डर कार्यक्रम के अन्तर्गत परिधिगत इकाईयों **ब्लड सेन्टर (ब्लड बैंक), बी0सी0टी0वी0, ब्लड स्टोरेज सेन्टर एवं हिमोफिलिया ट्रीटमेन्ट सेन्टर** हेतु कुल स्वीकृत मानव संसाधन के सापेक्ष सम्बन्धित केन्द्रों में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय एवं नियमानुसार Loyality Bonus/experience/EPF (संविदा कर्मियों हेतु), Increment, ESI/EPF/GST/Service Charges (सेवा प्रदाता ऐजेन्सी हेतु) के सम्बन्ध में प्राप्त राज्य कार्यकारी समिति के अनुमोदन के क्रम में कुल रू0 **4054.24** लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

कार्यरत संविदा कर्मियों के 12 माह के मानदेय एवं आउटसोर्स मानव संसाधन (डाटा आपरेटर, स्वीपर व वाहन चालक) के रिक्त पदों हेतु 09 माह के मानदेय के आधार पर आवंटित की गई धनराशि का उपयोग उन्हीं मद में किया जाएगा जिस मद के लिए धनराशि आवंटित की गई है।

2. कार्यरत मानव संसाधन का मानदेय भुगतान मानदेय निर्धारण के आधार पर किया जायेगा, मानव संसाधन हेतु Annual Increment, EPF, experience bonous आदि नियमानुसार प्रदत्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। Annual Increment की देयता कर्मी के 01 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण होने के पश्चात् Performance Appraisal के आधार पर देय होगा तथा आउटसोर्स स्टाफ के सम्बन्ध में राज्य स्तर से निर्गत दिशा–निर्देश अनुरूप Increment/ ESI/EPF/GST,Service Charges देयता सुनिश्चित की जानी है। डैप में आवंटित धनराशि बजट मात्र है।
3. मानव संसाधन के मानदेय निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि रक्तकेन्द्र हेतु स्वीकृत मानव संसाधन की नियुक्ति ब्लड सर्विसेज कार्यक्रम के अन्तर्गत रक्तकेन्द्र मे ही है एवं कर्मी वर्तमान में कार्यरत है तथा महानिदेशालय के पत्रांकः 11फ/ब्लडबैंक/एनएचएम/ सुदृढ़ीकरण/ 15–16/1574, दिनांकः 28 अगस्त, 2015 के माध्यम से प्रदत दिशा–निर्देशों के अनुरूप तकनीकी तथा गैर तकनीकी मानव संसाधन द्वारा उनके कार्य एवं दायित्वों के अंतर्गत सम्बन्धित इकाईयों में अनवरत योगदान प्रदान किया जा रहा है।
4. डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के वेतन को निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि नियुक्ति किये गये रक्तकेन्द्र में ई–रक्तकोष का संचालन किया जा रहा है एवं दैनिक स्टाक इन्ट्री की जा रही है।

3. बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

3. बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व से संचालित कार्यक्रमों/गतिविधियों के संचालन के लिये ऑपरेशनल कास्ट, स्थापना, रिपोर्टिंग प्रपत्रों/प्रशिक्षण मॉड्यूल के मुद्रण, उपकरणों के क्रय, प्रशिक्षण, आशा/आंगनवाड़ी प्रोत्साहन राशि आदि एवं संविदा, बिडिंग मॉडल, तथा आउट सोर्सिंग मानव संसाधन के मानदेय हेतु FMR Code के विभिन्न मदों में धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

तत्क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/DAP/73/2024–25/2105–2, दिनांक 12.07.2024 के माध्यम से कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु धनराशि आवंटित करते हुए दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

3.1–होम बेस्ड न्यूबार्न केयर कार्यक्रम (HBNC)

होम बेस्ड न्यूबार्न केयर कार्यक्रम (HBNC) के क्रियान्वयन हेतु महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 के स्तर से जारी पत्र संख्या–प0क0/आर0सी0एच0/एच0बी0एन0सी0/2015–16/3699–75, दिनांक 28.03.2016 एवं पत्र संख्या–प0क0/आर0सी0एच0/एच0बी0एन0सी0/VOL.iii/2019–20/950–75, दिनांक 10.10.2019 के माध्यम से एच0बी0एन0सी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नवजात शिशुओं एवं माताओं की प्रसवोपरान्त घरेलू देखभाल के उपरान्त आशाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में समस्त जनपदों को विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। तद्नुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

FMR Code-23.1 पर होम बेस्ड न्यूबार्न केयर क्रार्यक्रम (HBNC) के अन्तर्गत आशा द्वारा नवजात शिशुओं एवं माताओं की प्रसवोपरान्त घरेलू देख भाल के उपरान्त आशाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

FMR Code-23.5 पर होम बेस्ड न्यूबार्न केयर कार्यक्रम (HBNC) के अन्तर्गत आशा द्वारा नवजात शिशुओं एवं धात्री माताओं के गृह भ्रमण हेतु फार्मेट एवं रिपोर्टिंग प्रपत्रों की मुद्रण/प्रिन्टिग जनपद स्तर पर स्पेसिफिकेशन के अनुसार कराये जाने हेतु 0.50 पैसा प्रति पेज की दर से समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देशानुसार जनपद स्तर पर मुद्रण/प्रिन्टिग नियमानुसार करायी जानी है।

3.2–होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड (HBYC) कार्यक्रम

होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड (HBYC) कार्यक्रम के अन्तर्गत बाल्यकाल में होने वाली मृत्युओं, बीमारियों (जैसे–न्यूमोनिया, डायरिया इत्यादि) एवं कुपोषण से बचाव करते हुए उनका शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य एवं पोषण व्यवहारों को बढ़ावा देने हेतु शिशुओं की आयु 3, 6, 9, 12 एवं 15 माह की होने पर आशा द्वारा अतिरिक्त गृह भ्रमणों की व्यवस्था की गयी है। होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड (HBYC) कार्यक्रम के अन्तर्गत आशाओं द्वारा शिशुओं की घरेलू देख भाल के सम्बन्ध में एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/HBYC/70/2022–23/5819, दिनांक 15.11.2022 के माध्यम से आशाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में समस्त जनपदों को विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। तद्नुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

FMR Code-23.2 पर होमबेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड (HBYC) कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु प्रति आशा को प्रोत्साहन राशि प्रति भ्रमण के अनुसार त्रैमासिक आधार पर भुगतान करने हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

FMR Code-23.3 पर होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड (HBYC) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है।

FMR Code-23.4 पर HBYC कार्यक्रम के अन्तर्गत Procurement of HBYC ECD kit का जनपद स्तर पर भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये Technical specification and illustrative costing of Early Childhood Development Screening kit for HBYC visits by ASHA के अनुसार "Gem Portal" के माध्यम से

क्रय किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। इस हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।

<u>FMR Code-23.7</u> पर HBYC कार्यक्रम के अन्तर्गत Printing of Modules and job aids का जनपद स्तर पर मुद्रण/प्रिंन्टिग स्पेसिफिकेशन (Specification) के अनुसार कराये जाने हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देशानुसार जनपद स्तर पर मुद्रण/प्रिंन्टिग नियमानुसार करायी जानी है।

3.3 नवजात शिशु देखभाल सप्ताहः–

<u>FMR Code-24.33</u> पर नवजात शिशु देखभाल सप्ताह दिनांक 15–21 नवम्बर 2024 में विभिन्न गतिविधियों हेतु प्रति जनपद रू0 50000/– की दर से समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। **इस हेतु दिशा निर्देश भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।**

3.4–सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित मेडिकल कालेजों के बालरोग विभाग एवं जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयो में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयां क्रियाशील की गई हैं अथवा क्रियाशील की जा रही हैं। पूर्व में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों के संचालन हेतु ऑपरेशनल कास्ट, एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट एवं बीडिगं मॉडल/संविदा/आउट सोर्सिंग मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये थे। तद्नुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

<u>FMR Code-24.40</u> पर एस0एन0सी0यू0 ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों/मेडिकल कालेजों में क्रियाशील/क्रियाशील किये जा रहे एस0एन0सी0यू0 इकाईयों के लिये ऑपरेशनल कॉस्ट से औषधियों, कन्ज्यूमेबिल्स आदि के उपयोग किये जाने हेतु Govt. of India FBNC Operational Guidelines के अनुसार) कंगारू मदर केयर (KMC) /एम0एन0सी0यू0 इकाई हेतु आवश्यक सामग्री आदि तथा ए0एम0सी0 एवं उपकरणों के अनुरक्षण एवं इकाई को क्रियाशील बनाये रखने हेतु छोटे–मोटे उपकरण के क्रय एवं अन्य आवश्यक सामग्री एस0एन0सी0यू0 इन्चार्ज की आवश्यकतानुसार क्रय किये जायें। जिन उपकरणों के अनुरक्षण एवं रख–रखाव का कार्य बायो मेडिकल इक्यूपमेन्ट मेन्टीनेन्स के अन्तर्गत सेवा प्रदाता द्वारा किया जा रहा है, उनका रख–रखाव उपरोक्त सेवा प्रदाता के माध्यम से ही किया जाये। प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/मेडिकल कालेजों के विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग द्वारा बिना एस0एन0सी0यू0 इन्चार्ज के लिखित परामर्श से धनराशि का उपयोग न किया जाये। ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।
<u>FMR Code-24.44</u> पर एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट, Stationary, Printer Cartridge, Paper Rim, Internet, Mobile Recharge Monthly Expenses etc.- (कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्टेज, पेपर रिम, इन्टरनेट एवं मोबाइल आदि) का उपयोग Mother and newborn Care unit (MNCU) के अन्तर्गत Sick Newborn care Unit (SNCU)/KMC Lounge/Step down वार्ड में भर्ती नवजात शिशुओं हेतु भी उपयोग किया जायेगा)। क्रियाशील/क्रियाशील की जा रही इकाईयों हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

<u>FMR Code-24.37 पर एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट</u> (Format Printing) Printing of SNCU Case Record & Monitoring Sheet/treatment and Discharge Card (केस रिकार्ड शीट, मॉनीटरिंग डिस्चार्ज कार्ड आदि Mother and newborn Care unit (MNCU) के अन्तर्गत Sick Newborn care Unit (SNCU)/KMC Lounge/Step down वार्ड में भर्ती नवजात शिशुओं हेतु भी उपयोग किया जायेगा)। क्रियाशील/क्रियाशील की जा रही इकाईयों हेतु प्रति इकाई के अनुसार समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

<u>FMR Code-28.1</u> पर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत जिला महिला/ संयुक्त चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेजों में संचालित एस0एन0सी0यू0 में भर्ती नवजात शिशुओं को निःशुल्क जांच की सुविधा एवं डिस्चार्ज हो चुके नवजात शिशुओं को फॉलोअप के समय 01 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो जांचें चिकित्सालय में उचित इलाज प्रदान करने हेतु नहीं हो पा रहीं है वह जांच अन्य चिकित्सालयों/संस्थानों से कराने हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

<u>FMR Code-24.42</u> पर सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) में पूर्व से स्वीकृत C-PAP के उपयोग हेतु Consumables के क्रय हेतु सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

<u>FMR Code-24.42</u> पर वर्ष 2024–25 में स्वीकृत C-PAP के उपयोग हेतु Consumables के क्रय हेतु कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2024–25 / 2674, दिनांक 07.08.2024 के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों / जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालयों एवं सी0एच0सी0 के लिये एस0एन0सी0यू0 में C-PAP के उपयोग हेतु Consumables के क्रय हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।

<u>FMR Code-24.14</u> पर पूर्व से क्रियाशील एस0एन0सी0यू0 के उपकरणों का क्रय जनपद स्तर पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन (Specification) के अनुसार **"Gem Portal" से क्रय** किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। **इस हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।**

<u>3.5 फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर (FBNC) प्रशिक्षण</u>

एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्सों को 04 दिवसीय फैसीलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर (FBNC) मॉड्यूलर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के उपरान्त **2 Weeks FBNC Observership** प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) में कार्यरत मानव संसाधन को इस प्रशिक्षण को प्राप्त करना अनिवार्य है।

<u>FMR Code-24.3</u> पर एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्सों को 04 दिवसीय फैसीलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर (FBNC) मॉड्यूलर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है।

<u>FMR Code-24.4</u> पर एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्सों को **2 Weeks FBNC Observership प्रशिक्षण** प्रदान करने हेतु सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। **इस हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।**

<u>FMR Code-24.5</u> पर एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षकों का पूल तैयार करने के उद्देश्य से 06 दिवसीय फैसीलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर (FBNC) ऑब्सरवर–शिप ToT प्रदान करने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति लखनऊ को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है।

<u>FMR Code-24.45</u> पर एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्सों की क्षमता वर्धन के लिए स्टेट रिसोर्स सेंटर (SRC), के0जी0एम0यू0 लखनऊ, बी0एच0यू0 वाराणसी, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर एवं जे0एन0 मेडिकल कॉलेज ए0एम0यू0 अलीगढ़ द्वारा चिन्हित मेंटर्स द्वारा मेंटरिंग विजिट हेतु सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। **इस हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।**

<u>3.6 न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU):-</u>

<u>FMR Code-24.39</u> पर न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU) में उपयोग हेतु Printing of NBSU DATA Management & register printing, Case Record & Monitoring Sheet/treatment and Discharge Card etc. हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। **इस हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।**

<u>FMR Code-24.41</u> पर जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालयों / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रियाशील एन0बी0एस0यू0 इकाईयों के लिये ऑपरेशनल कॉस्ट मद में प्रति इकाई रू0 5,000.00 प्रति माह की दर से समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

FMR Code-24.43 पर upgraded NBSU के संचालन हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। **इस हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।**

FMR Code-24.10 पर न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU) में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञों, मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ नर्सों को 03 दिवसीय एन0बी0एस0यू0 प्रशिक्षण सम्बन्धित मेडिकल कॉलेजों में कराये जाने हेतु सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है।

FMR Code-24.9 पर न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU) में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर एवं स्टाफ नर्सो का 06 दिवसीय NBSU Observership Training हेतु सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। **इस हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।**

3.7 बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रमः–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के संचालन हेतु कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/CDR / 38 / 2021–22 / 3081–75, दिनांक 31.08.2021 पत्र संख्या –एस0पी0एम0यू0 / CH/CDR / 38 / 2021–22 / 6562–75, दिनांक 14.01.2022 के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों में बाल मृत्यु समीक्षा (CDR) कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे। तद्नुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

FMR Code-25.1 पर बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत Divisional Level Child Death Review Cum Orentation Training हेतु प्रति बैच रू0 28000.00 की दर से समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

FMR Code-25.3 पर बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में प्रपत्रों के मुद्रण हेतु प्रति प्रपत्र रू0 0.50 पैसा प्रति पेज के अनुसार समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

FMR Code-25.4 पर बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नवजात एवं बाल मृत्यु की रिपोर्टिगं करने हेतु आशाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु प्रति केस रू0 50.00 की दर समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

FMR Code-25.5 पर बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बाल मृत्यु के कारणों का (Verbal autopsy) निरीक्षण / जांच–पडताल बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रय क्रियान्वयन हेतु ए0एन0एम0 को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु प्रति केस रू0 100.00 की दर के अनुसार समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

FMR Code-25.6 पर बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बाल मृत्यु के कारणों का (Verbal autopsy) निरीक्षण / जांच–पड़ताल बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रय क्रियान्वयन हेतु वर्बल अटॉप्सी करने हेतु दो व्यक्तियों हेतु रू0 250.00 की दर से जनपद के ब्लॉक में वर्बल अटॉप्सी के अन्तर्गत प्रति टीम के आवागमन हेतु रू0 250.00 की दर के अनुसार समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

FMR Code-25.7 पर बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत Wage Compensation for parents हेतु रू0 200 / – की दर से समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

3.8 SAANS (Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully) कार्यक्रम

निमोनिया की रोकथाम एवं ससमय समुचित इलाज प्रदान कर Under-5 मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से समुदाय स्तर पर निमोनिया से ग्रसित बच्चों की पहचान कर उपचार किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा न्यूमोनिया से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के उदेश्य से SAANS (Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully) कार्यक्रम वर्ष 2019 में प्रारम्भ किया गया है। इसी क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/SAANS / 79 / 2022–23 / 6216–75, दिनांक 28.11.2022 के माध्यम से SAANS (Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully) कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये हैं। तद्नुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

<u>FMR Code-26.1</u> पर SAANS कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद एवं ब्लाक स्तरीय SAANS campaign तथा District & Block Planning & Review Meeting हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। **इस हेतु दिशा निर्देश भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।**

<u>FMR Code-26.2</u> पर SAANS (Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में 02 दिवसीय Peadiatrician/Medical officer and Staff Nurse **के प्रशिक्षण एवं** जनपद में 01 दिवसीय DPM/DCPM/BPM/BCPM/Sangini/ANM/LHV के प्रशिक्षण हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

<u>3.9 आई0एम0एन0सी0आई0 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (ToT)</u>

<u>FMR Code-27.4</u> पर राज्य स्तरीय 05 दिवसीय आई0एम0एन0सी0आई0 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (ToT) सम्बन्धित मेडिकल कॉलेजों में आयोजित की जायेगी, जिसमें प्रदेश के समस्त जनपदों से चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है, इन प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जनपद स्तरीय ए0एन0एम0 एवं एल0एच0वी0 को प्रशिक्षण दिया जाना है, इस हेतु सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। **इस हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।**

<u>FMR Code-27.2</u> पर आई0एम0एन0सी0आई0 प्रशिक्षण ए0एन0एम0 एवं एल0एच0वी0 के जनपद स्तरीय प्रशिक्षण हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। **इस हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।**

<u>3.10 एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम (AMB)</u>

<u>FMR Code-52.6</u> पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के संचालन हेतु आशा द्वारा 06 माह से 59 माह तक के समस्त बच्चों को वी0एच0एन0डी0 सत्र पर मोबलाइज करने तथा IFA Syrup 50 ml Bottle with auto dispenser के आयरन सीरप का वितरण सुनिश्चित करने हेतु, तथा प्रजनन उम्र की महिलायें (WRA) एवं धात्री महिलाओं को आयरन की गोलियों का वितरण सुनिश्चित करने हेतु रू0 150/– प्रति माह की दर से आशाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

<u>FMR Code-52.7</u> पर एनीमिया मुक्त भारत **(AMB)** कार्यक्रम के संचालन हेतु समस्त जनपदों में आशा एवं ए0एन0एम0 के ब्लाक स्तरीय ओरिएण्टेशन कम प्रशिक्षण हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि आवंटित की जा चुकी है। पूर्व में कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 /CH/AMB/69/2021–22/3054–75, दिनांक 29.08.2021 के माध्यम से ब्लाक स्तरीय ओरिएण्टेशन कम प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कम ओरिएण्टेशन का आयोजन निम्न मानकों के अनुसार किया जाना है :–

- प्रशिक्षण हेतु प्रति ब्लाक बैनर रू0 150.00 की दर से अनुमन्य है।
- प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागियों के Refreshment हेतु प्रति प्रतिभागी रू0 45.00 की दर से अनुमन्य है।
- प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री की प्रिन्टिंग आदि प्रति प्रतिभागी रू0 24.00 की दर से अनुमन्य है।

<u>3.11 पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC)</u>

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गंम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों के उपचार के उद्देश्य से प्रदेश के जनपदों के जिला पुरूष/संयुक्त चिकित्सालयों/सी0एच0सी0/मेडिकल कालेजों में पोषण पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना कर क्रियाशील की गयी हैं। पूर्व में, पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) में सीवियर अक्यूट मालन्यूट्रीशन (SAM) से प्रभावित कुपोषित बच्चों की पहचान व भर्ती के मानकों के साथ संचालन हेतु आपरेशनल कास्ट, आशा प्रतिपूर्ति राशि एवं संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। तद्नुसार इकाईयों का संचालन किया जाना है।

<u>FMR Code-54.1</u> पर आशा/आंगनवाड़ी (सन्दर्भन एवं फालोअप) को प्रोत्साहन राशि एन0आर0सी0 में गम्भीर रूप से कुपोषित (Severe Acute Malnutrition-SAM) बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर संदर्भित करने हेतु आशा/आंगनवाडी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु रू0 100/– प्रति बच्चे तथा 4

फॉलोअप कराने हेतु रू0 200/- इस प्रकार प्रति बच्चे कुल रू0 300/- की दर से समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। इस सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18-4/2023-24/9409, दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से जारी दिशा निर्देशानुसार आशाओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाना है।

FMR Code-54.4 पर पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) ऑपरेशनल कॉस्ट जिला पुरूष चिकित्सालय/ मेडिकल कालेजों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रियाशील/क्रियाशील किये जा रहे पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) के संचालन हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट मद में समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

3.12 माँ''कार्यक्रम "MAA" (Mother's Absolute Affection)

FMR Code-56.1 पर माँ''कार्यक्रम "MAA" (Mother's Absolute Affection) के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि- आशाओं द्वारा की जाने वाली बैठकों के उपरान्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु माह में 03 मीटिंग तथा त्रैमासिक आधार पर 08 से 10 मीटिंग की जानी है। इन तीन महीनों में आशा को प्रत्येक गर्भवती तथा धात्री महिला तक पहुंचना है। आशा वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में मातृ सम्मेलनों को दोहराती रहेगी। आशा को रु0 100.00 प्रोत्साहन राशि त्रैमासिक आधार पर प्रदान करने हेतु 04 त्रैमास के लिये समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

FMR Code-56.3 पर माँ'' कार्यक्रम "MAA" (Mother's Absolute Affection) के अन्तर्गत आशाओं द्वारा की जाने वाली बैठकों की रिपोर्टिंग हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्रों की मुद्रण/छपायी जनपद स्तर पर स्पेसिफिकेशन के अनुसार कराये जाने हेतु रू0 1.00 प्रति फार्मेट की दर से समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

3.13 विश्व स्तनपान सप्ताह 01-07 अगस्त 2024

FMR Code-56.4 पर विश्व स्तनपान सप्ताह 01-07 अगस्त 2024 में विभिन्न गतिविधयों हेतु प्रति जनपद रू0 40,000/- की दर से समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार आयोजन किया जाना है, इस हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।

3.14 LMU and CLMC -

प्रदेश के चयनित मेडिकल कॉलेजों/जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों में स्थापित/क्रियाशील सिक न्यूबार्न केयर इकाई (SNCU) के निकट एक Lactation Management Unit (LMU) की स्थापना की जानी है। एल0एम0यू0 सभी जिला स्तरीय प्रसव इकाईयों पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें प्रशिक्षित Lactation Support Staff द्वारा माताओं को स्तनपान कराने हेतु सहयोग प्रदान किया जायेगा। पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

FMR Code-57.4 पर Lactation Management Unit (LMU) की ऑपरेशनल कास्ट हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

FMR Code-57.5 पर **Comprehensive Lactation Management Center (CLMC)** के लिये बालरोग विभाग, किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, आई0एम0एस0-बी0एच0यू0 वाराणसी एवं जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज कानपुर में संचालित **CLMC** हेतु ऑपरेशनल कास्ट मद में सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

3.15 सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF)

प्रदेश के समस्त जनपदों में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) पूर्व की भाँति इस वर्ष 2024 में भी प्रदेश के समस्त जनपदों में मनाया जाना है। वर्ष 2024-25 में **भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार कार्यक्रम का नाम बदल कर डायरिया रोको अभियान किया गया है, जिसके सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके है।**

FMR Code-58.1 पर IDCF कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु रू0 100/— प्रति आशा के अनुसार समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

FMR Code-58.2 पर प्रदेश के समस्त जनपदों में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) कार्यक्रम के अन्तर्गत One day orientation meeting for IDCF हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

FMR Code-58.6 पर **IEC for IDCF** कार्यक्रम हेतु **IEC सामग्री** Printing cost for monitoring format, printing of Training material and Treatment protocols for display in health facilities and IEC material Printing like banners, posters, pamphlets etc. हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

3.16 बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन–

FMR Code-185.C.S0405,410,415,425,829 पर एन0आर0सी0 के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स एवं फिडिंग डिमॉन्स्ट्रेटर तथा संविदा एवं आउट सोर्स के माध्यम से कार्यरत कुक कम केयर टेकर एवं सफाई कर्मचारियों के मानदेय हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

FMR Code-185.C.S0431,435,442,1182 पर एस0पी0एम0 चिकित्सालय लखनऊ में संचालित पीकू में संविदा बालरोग विशेषज्ञ, संविदा मेडिकल ऑफीसर, संविदा स्टाफ नर्स एवं आउट सोर्स के माध्यम से कार्यरत वार्ड आया, के मानदेय हेतु जिला स्वास्थ्य समिति लखनऊ को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

FMR Code-185.C.S0441 पर एन0बी0एस0यू0 में कार्यरत संविदा स्टाफ नर्स के मानदेय हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

FMR Code-185.C.S0430,440,461,462,1181 पर एस0एन0सी0यू0 में संविदा एवं बिडिंग के माध्यम से कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ, संविदा मेडिकल ऑफीसर, संविदा स्टाफ नर्स एवं संविदा एवं आउट सोर्स के माध्यम से कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर तथा आउट सोर्स के माध्यम से कार्यरत वार्ड आया, सिक्योरिटी गार्ड एवं सफाई कर्मचारियों के मानदेय हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

FMR Code-185.C.S0446,447,449 पर Comprehensive Lactation Management Center (CLMC) के लिये बालरोग विभाग, किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, आई0एम0एस0–बी0एच0यू0 वाराणसी एवं जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर नगर में संचालित सी0एल0एम0सी0 में कार्यरत संविदा सी0एल0एम0सी0 मैनेजर, सी0एल0एम0सी0 लैब टैक्नीशियन एव आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत हाईजीन हेल्पर के मानदेय हेतु सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

FMR Code-185.C.S0448 पर **Lactation Management Unit (LMU)** में आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत एल0एम0यू0 काउंसलर के मानदेय हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

FMR Code-185.C.S0443,444,445 पर चयनित मेडिकल कॉलेजों के बालरोग विभाग में स्थापित स्टेट रिसोर्स सेन्टर (SRC) के संविदा ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, नर्सिंग कोऑर्डिनेटर एवं प्रशासनिक कम डाटा सहायक के मानदेय हेतु सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

FMR Code-185.C.S1149 संविदा स्टाफ नर्स पीडियाट्रिक एच0डी0यू0 के मानदेय हेतु सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

नोट–

- पूर्व से बिडिंग के माध्यम से नियुक्त बाल रोग विशेषज्ञों को बिडिंग में स्वीकृत फिक्स्ड धनराशि एवं पी0बी0एफ का भुगतान पूर्व में निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार दिया जायेगा एवं जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से नियुक्त बालरोग विशेषज्ञों को नियमानुसार एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो जाने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि देय है।

- केवल नवीन रिक्त संविदा मेडिकल ऑफिसर की भर्ती रू0 100000/- प्रति माह मानदेय की दर से जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से किया जाना है।
- **<u>5 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि</u>** बिडिंग के माध्यम से नियुक्त बाल रोग विशेषज्ञों को छोड़कर सभी संविदा एवं आउट सोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मियो को नियमानुसार एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो जाने पर 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि देय है।
- **<u>लॉयल्टी बोनस/experience bonus</u>** एस0एन0सी0यू0 बालरोग विशेषज्ञ एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को छोड़कर सभी कर्मियों को नियमानुसार लॉयल्टी बोनस देय होगा।
- एल0एम0यू0 हेतु रिक्त Lactation Counselor (आउट सोर्सिंग के माध्यम) की भर्ती रू0 15,000/- प्रतिमाह की दर से किया जाना है, एवं **ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 एवं एजेन्सी सर्विस चार्ज** का नियमानुसार अलग से भुगतान किया जाना है।
- एस0एन0सी0यू0 हेतु रिक्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (आउट सोर्सिंग के माध्यम) की भर्ती रू0 12,432/- प्रतिमाह की दर से किया जाना है, एवं **ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 एवं एजेन्सी सर्विस चार्ज** का नियमानुसार अलग से भुगतान किया जाना है।
- एस0एन0सी0यू0 हेतु रिक्त वार्ड आया/सिक्योरटी गार्ड/सफाई कर्मी (आउट सोर्सिंग के माध्यम) की भर्ती रू0 10100/- प्रतिमाह की दर से किया जाना है, एवं **ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 एवं एजेन्सी सर्विस चार्ज** का नियमानुसार अलग से भुगतान किया जाना है।
- एन0आर0सी0 हेतु रिक्त कुक कम केयरटेकर (आउट सोर्सिंग के माध्यम) की भर्ती रू0 11500/- प्रतिमाह की दर से किया जाना है, एवं सफाई कर्मी की भर्ती रू0 10100/- प्रतिमाह की दर से किया जाना है, एवं **ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 एवं एजेन्सी सर्विस चार्ज** का नियमानुसार अलग से भुगतान किया जाना है।
- उत्तर प्रदेश के Minimum Wages Act पालन करते हुये मानदेय देय होगा, **ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0,** का भुगतान ससमय करना सुनिश्चित करें अन्यथा किसी भी विषम परिस्थिति के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग मेडिकल कॉलेज स्वयं जिम्मेदार होगें।

वर्ष 2024-25 हेतु नवीन गतिविधियों के संचालन हेतु दिशा निर्देश

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 की आर0ओ0पी0 में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीन कार्यक्रमों/गतिविधियों के संचालन **हेतु FMR Code के विभिन्न मदों में** धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है। तत्क्रम में जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

तत्क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/DHAP/73/2024-25/2020-2, दिनांक 10.07.2024 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु डैप में आवंटित धनराशि एवं दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

1.1-एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत मानव संसाधन को 02 दिवसीय CPAP प्रशिक्षण।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 की आर0ओ0पी0 के **FMR Code-24.11** पर एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत मानव संसाधन को 02 दिवसीय CPAP (Continuous positive airway pressure) प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

तत्क्रम में एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञों/चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्सों को 02 दिवसीय CPAP प्रशिक्षण स्टेट रिसोर्स सेन्टर (SRC) बालरोग विभाग, किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी **लखनऊ,** बालरोग विभाग, डा0 राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान **लखनऊ**, स्टेट रिसोर्स सेन्टर (SRC) बालरोग विभाग, आई0एम0एस0-बी0एच0यू0 **वाराणसी**, स्टेट रिसोर्स सेन्टर (SRC) बालरोग विभाग, बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज **गोरखपुर** एवं स्टेट रिसोर्स सेन्टर (SRC) बालरोग विभाग, जे0एन0 मेडिकल कॉलेज **अलीगढ** में आयोजित करने के लिये जिला स्वास्थ्य समितियों को जिला कार्ययोजना डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

<u>1.2- Family participatory care ToT and जनपद स्तरीय FPC प्रशिक्षण तथा IEC & Training Package</u>

एस0एन0सी0यू0 इकाईयों में कार्यरत स्टाफ को 02 दिवसीय Family Participatory Care (FPCC) विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है, इस प्रशिक्षण से पूर्व 02 दिवसीय FPCC **प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (TOT) स्टेट रिसोर्स सेन्टर (SRC),** बालरोग विभाग जे0एन0 मेडिकल कॉलेज **अलीगढ़, स्टेट**

रिसोर्स सेन्टर (SRC), बालरोग विभाग बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज **गोरखपुर**, बालरोग विभाग जी0एस0बी0एम0 मेडिकल कॉलेज **कानपुर नगर**, बालरोग विभाग, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान **लखनऊ**, **स्टेट रिसोर्स सेन्टर (SRC),** बालरोग विभाग, किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी **लखनऊ**, एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कॉलेज **मेरठ**, **स्टेट रिसोर्स सेन्टर (SRC),** बालरोग विभाग, आई0एम0एस0–बी0एच0यू0 **वाराणसी** में कराया जाना प्रस्तावित है। इस TOT में एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्सों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है, इन प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा जनपद स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 के FMR Code-24.12 पर मेडिकल कॉलेज स्तरीय Family Participatory Care ToT एवं मेडिकल कालेजों के बालरोग विभाग एवं महिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों में क्रियाशील एस0एन0सी0यू0 इकाईयों में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञों, मेडिकल ऑफीसर, स्टॉफ नर्सों, डाटा इन्ट्री आपरेटर, वार्ड आया आदि को Family participatory care (FPC) एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं FMR Code:-24.38 पर प्रशिक्षण के लिए लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता (उपकरण, प्रशिक्षण पैकेज और आईईसी हेतु धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है। तत्क्रम में मेडिकल कॉलेज स्तरीय FPC ToT एवं जनपद स्तरीय FPC प्रशिक्षण तथा IEC & Training Package हेतु सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों की डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

1.3– जनपद में नवीन एन0बी0एस0यू0 की स्थापना हेतु One time establishment cost, radiant warmer and phototherapy unit and NBSU DATA Management.

नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के लिये चिकित्सालयों के प्रसव कक्ष में न्यूबोर्न केयर कार्नर **(NBCC)** प्रथम संदर्भन इकाईयों **(FRUs)** पर नवजात शिशु स्टेबलाईजेशन इकाईयां **(NBSUs)** एवं जनपदों के मेडिकल कॉलेजों/जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयां **(SNCUs)** की स्थापना कर क्रियाशील की गयी हैं।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 में जनपद में क्रियाशील प्रथम संदर्भन इकाईयों (FRUs)/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) में नवीन एन0बी0एस0यू0 की स्थापना कर क्रियाशील किये जाने हेतु FMR Code-24.31 पर One time establishment cost, FMR Code-24.17 पर radiant warmer & phototherapy unit and FMR Code-24.39 पर NBSU DATA Management हेतु धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

एन0बी0एस0यू0 के उपकरणों का जनपद स्तर पर क्रय भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार "Gem Portal" के माध्यम से वित्तीय क्रय नियमों का पालन करते हुये किया जाना है।

तत्क्रम में नवीन एन0बी0एस0यू0 की स्थापना कर क्रियाशील किये जाने हेतु One time establishment cost, Radiant warmer & phototherapy unit and NBSU DATA Management हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों की डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

1.4– नवीन एस0एन0सी0यू0 की स्थापना (अम्बेडकर नगर एवं जालौन)

नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों एवं जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों में सिक न्यूबोर्न केयर (SNCUs) इकाईयां स्थापित कर क्रियाशील की गयी हैं।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 में राजकीय मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन् में नवीन सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की स्थापना हेतु धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

एस0एन0सी0यू0 उपकरणों का जनपद स्तर पर क्रय भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार **"Gem Portal"** के माध्यम से वित्तीय क्रय नियमों का पालन करते हुये किया जाना है। तत्क्रम में FMR Code-24.27 पर New SNCU One time Establishment Cost and Minor Repair Renovation Cost एवं FMR Code-24.23 पर Procurement of equipment for SNCU हेतु सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति की डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। **इस हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।**

1.5— नवीन मदर न्यूबोर्न केयर इकाई (MNCU) की स्थापना एवं उपकरणों का क्रय।

भारत सरकार द्वारा जारी गाइडेन्स नोट के आधार माँ एवं नवजात शिशुओं को उचित उपचार एवं देखभाल प्रदान करने हेतु मेडिकल कॉलेज/जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में संचालित सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) के निकट मदर न्यूबोर्न केयर इकाई (MNCU) की स्थापना कर क्रियाशील किया जाना है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024—25 की आर0ओ0पी0 में बालरोग विभाग मेडिकल कॉलेजों एवं जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों नवीन मदर न्यूबोर्न केयर इकाई (MNCU) की स्थापना हेतु On time Establishment Cost, IEC Material and Radiant Warmer, Phototherapy unit के क्रय हेतु धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

नवीन MNCU की स्थापना हेतु उपकरणों एवं अन्य सामग्री का जनपद स्तर पर क्रय भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन (छायाप्रति संलग्न) अनुसार "Gem Portal" के माध्यम से वित्तीय क्रय नियमों का पालन करते हुये क्रय किया जाना है।

तत्क्रम में FMR Code-24.32 पर नवीन MNCU की स्थापना हेतु One time Establishment Cost and IEC Material एवं **FMR Code-24.25** पर नवीन MNCU की स्थापना हेतु Procurement of equipment for MNCU हेतु सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समितियों की डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

1.6— बाल मृत्यु समीक्षा (CDR) कार्यक्रम के अन्तर्गत One day Block Level Training cum orientation

कार्यालय के पत्र संख्या—एस0पी0एम0यू0/CH/CDR/38/2021—22/3081, दिनांक 31.08. 2021 एवं पत्र संख्या—एस0पी0एम0यू0/CH/CDR/38/2021—22/6562—75, दिनांक 14.01.2022 के माध्यम से बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों को संचालित किये जाने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे। तद्नुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024—25 की आर0ओ0पी0 के FMR Code-25.2 पर आशाओं के One day Block Level Training cum orientation हेतु धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

तत्क्रम में आशाओं के One day Block Level Training cum orientation हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों की डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

1.7— एन0आर0सी0 में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों, न्यूट्रिशनिस्ट एवं स्टाफ नर्सो का प्रशिक्षण।

बच्चों में कुपोषण एक गम्भीर समस्या है, कुपोषण के उपचार एवं रोकथाम हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से चयनित मेडिकल कॉलेजों/जिला पुरूष/संयुक्त चिकित्सालयों में पोषण पुर्नवास केन्द्र (NRC) की स्थापना कर क्रियाशील की गयी है। इन इकाईयों में कार्यरत मानव संसाधन को 03 दिवसीय ''Facility Based Management of SAM Children'' प्रशिक्षण डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, इस प्रशिक्षण के प्रति बैच कुल 40 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024—25 की आर0ओ0पी के FMR Code-54.2 पर 03 दिवसीय ''Facility Based Management of SAM Children'' प्रशिक्षण हेतु धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

तत्क्रम में एन0आर0सी0 में कार्यरत चिकित्सा अधिकरियों, न्यूट्रिशनिस्ट एवं स्टाफ नर्सो को 03 दिवसीय ''Facility Based Management of SAM Children'' प्रशिक्षण आयोजित को कराये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति की डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

1.8— माँ (MAA"- Mother's Absolute Affection) कार्यक्रम के अन्तर्गत 03 दिवसीय MAA/IYCF TOT एवं 03 दिवसीय MAA/IYCF प्रशिक्षण।

यह सर्वविदित है कि शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिये शिशु एवं बाल पोषण अत्यन्त आवश्यक है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिशु के लिये मॉ का दूध सर्वोत्तम अहार है तथा शिशु का मौलिक अधिकार भी है।

इसी क्रम में ("MAA"- Mother's Absolute Affection) कार्यक्रम के के अर्न्तगत प्रदेश के समस्त जनपदों में ब्लॉक स्तरीय 03 दिवसीय Infant and Young Child Feeding (IYCF) प्रशिक्षण Staff Nurse,

RMNCHA Counsellor, ANM and CHO को प्रदान किया जाना है। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण से पूर्व जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (TOT) में Maternal Health Consultant and Hospital Quality Manager from district; Staff Nurse and RMNCH+A Counselor from district level health facilities (delivery point); atleast one Medical Officer/Lady medical officer/Staff Nurse from each block को प्रशिक्षित किया जाना है, जनपद स्तरीय TOT से पूर्व राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (TOT) में Medical Officer and Staff Nurse को प्रशिक्षित किया जाना है। राज्य स्तरीय TOT में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा जनपद स्तरीय TOT में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जनपद स्तरीय TOT में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 के FMR Code-56.2 पर राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय 03 दिवसीय **MAA/IYCF TOT** तथा ब्लॉक स्तरीय 03 दिवसीय **IYCF** प्रशिक्षण हेतु धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

तत्क्रम में राज्य एवं जनपद स्तरीय 03 दिवसीय MAA/IYCF TOT के बैचों को आयोजित कराये जाने तथा ब्लॉक स्तरीय 03 दिवसीय **IYCF** प्रशिक्षण के बैचों आयोजित को कराये जाने हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों की डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

1.9- CLMC की स्थापना हेतु One time establishment cost

कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/CLMC&LMU/67/2023–24/9411, दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में नवीन Comprehensive Lactation Management Center (CLMC) की स्थापना, उपकरणों का क्रय, आपरेशनल हेतु डैप में आवंटित धनराशि एवं दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 की सप्लीमेन्ट्री आर0ओ0पी0 में CLMC की स्थापना हेतु One time establishment cost मद में धनराशि अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 के FMR Code-57.2 पर CLMC की स्थापना हेतु One time establishment cost, मद में **रू0 8.00 लाख** की धनराशि अनुमोदित की गयी है।

तद्नुसार CLMC की स्थापना हेतु (Minor Repair & Renovation, Infrastructure work as per Layout, furniture, Computer, etc.) मद में जिला स्वास्थ्य समिति की डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

1.10–एन0आई0सी0यू0 की स्थापना एवं उपकरणों का क्रय।

प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका, वीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय लखनऊ द्वारा एन0आई0सी0यू0 की स्थापना किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 के FMR Code-24.26 पर वीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय लखनऊ में Onetime Procurement of Equipments for NICU एवं FMR Code-24.29 पर One time establishment cost हेतु धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

तत्क्रम में वीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय लखनऊ में उपकरणों के क्रय एवं स्थापना हेतु जिला स्वास्थ्य समिति लखनऊ की डैप में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

वित्तीय निर्देश :–

वर्ष 2024–25 में कार्यक्रमों/गतिविधियों हेतु डैप में आवंटित धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाना है, डैप के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जाये साथ ही व्यय विवरण Financial Accounts Management System (FAMS) पोर्टल पर अपडेट किया जाये।

भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेशियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों शासनादेशों अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये। समस्त भुगतान **Financial Accounts Management System (FAMS)** साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुये पब्लिक फाईनेशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) **पोर्टल** के माध्यम से किये जायेंगे, जिससे कि व्यय धनराशि एवं उपलब्ध बजट की धनराशि का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जा सके।

अन्य किसी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मोबाइल नम्बर–9450966181 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मोबाइल नम्बर–7011198720 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

4.परिवार नियोजन कार्यक्रम

4.1 ए. परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑन गोईंग गतिविधियॉ

प्रदेश की वर्तमान सकल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.) 2.4 को आगामी वर्षों में 2.1 तक प्राप्त किए जाने हेतु परिवार नियोजन की स्थाई व अस्थाई दोनों प्रकार की विधियों को जनसमुदाय के मध्य प्रोत्साहित करते हुये लक्ष्य दम्पत्तियों को उनकी इच्छानुसार, गर्भ निरोधक साधन/सेवायें उपलब्ध कराये जाने हैं। वर्ष 2024–25 में, इन उद्देश्यों को ससमय प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार गतिविधियां सम्पादित की जानी हैं:–

1. प्रदेश के समस्त जनपदों में परिवार नियोजन सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्‌देश्य से मिशन परिवार विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियॉ यथा–प्रत्येक त्रैमास मिशन परिवार विकास अभियान का आयोजन, समुदाय की सहभागिता बढ़ाये जाने के उद्‌देश्य से सास–बहू बेटा सम्मेलन तथा नव दम्पत्तियों को शगुन किट (शगुन किट का वितरण), एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 का क्रियान्वयन, उपकेन्द्र स्तर तक परिवार नियोजन बॉक्स (कण्डोम बॉक्स) की स्थापना तथा नवीन गर्भ निरोधक साधनो की उपकेन्द्र स्तर तक उपलब्धता आदि सुनिश्चित किया जाना है। परिवार नियोजन की सेवाओं की उपलब्धता जन समुदाय के निकटतम बिंदु तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 1189(ए)/2022/पॉंच–9–2022–9 (127)/12 दिनांक 03.03.2023 के क्रम में परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता छाया–वी.एच.एन.डी. (CiVHND) सत्रों के दौरान भी सुनिश्चित किया जाना है। प्रत्येक छाया वी.एच.एन.डी. (CiVHND) सत्र में निर्धारित की गई मात्रा के अनुसार परिवार नियोजन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है। जनपद स्तर पर कार्यरत सहयोगी संस्थाओ के समन्वयन के साथ कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाये।
2. यद्यपि, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के आधार पर DHAP में जनपदवार राशि का आवंटन किया गया है, परन्तु इसका सम्बन्ध, जनपद के स्थायी एवं अस्थायी विधा के निर्धारित भौतिक ELA से नहीं है। प्रत्येक जनपद को अपनी जनपद की अनुपूरक मांग (अनमेट नीड) के आधार पर प्रत्येक लक्ष्य दम्पत्ति को उनकी इच्छा के अनुरूप (बास्केट ऑफ च्वॉइस) परिवार नियोजन की सेवाएं उपलब्ध कराना है।
3. चूॅकि भारत सरकार से अनुमोदित आर0ओ0पी0 में गतिविधिवार धनराशि निर्धारित व अनुमोदित होती है, अतः लाभार्थी से संबन्धित (DBT) भुगतान को छोड़कर अन्य सभी मद के भुगतान DHAP में आवंटित बजट के अधिकतम सीमा के अंतर्गत ही उपयोगित किया जाए।
4. प्रायः जनपदों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय ESB स्कीम, नियत दिवस सेवा (FDOS-Male/Female), पी0ओ0एल0, भिन्न–भिन्न मदों में सेवाप्रदाताओं एवं परिवार नियोजन परामर्शदाताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग की जाती है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त मदों में जनपदों को DHAP में आवंटित सीमा के अन्तर्गत ही नियमानुसार व्यय किया जाना है।
5. सभी भुगतान एवं व्यय डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से ही किए जाएंगे।
6. जनपद द्वारा वर्ष 2023–24 की कमिट करायी गयी धनराशि को वित्तीय वर्ष 2024–25 में वित्तीय नियमानुसार शत–प्रतिशत उपयोगित किया जाये।
7. समय–समय पर जनपदों द्वारा परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के तहत किये गये क्लेम के सापेक्ष राज्य इण्डेमनिटी उप कमेटी द्वारा परीक्षणोपरान्त दिये गये संस्तुति के आधार पर ही एन0एच0एम0 द्वारा सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवंटित किया जाता है। कुछ जनपदों द्वारा एन0एच0एम0 से आवंटित धनराशि का लाभार्थी को ससमय भुगतान नहीं किया जाता है और आवंटित धनराशि को कमिट भी नहीं किया जाता है जिससे लाभार्थी अथवा लाभार्थी के परिवार कोर्टकेस एवं जनसुनवाई आदि के माध्यम से शिकायत दर्ज करते है जिससे वाद दायर होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है (ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की दशा में जनपद द्वारा लापरवाही बरते जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद का होगा)। अतः स्पष्ट किया जाता है कि

परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के तहत एन0एच0एम0 द्वारा सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवंटित होने के उपरान्त अतिशीघ्र लाभार्थी अथवा उनके परिजनों को तुरन्त भुगतान किये जाने की कार्यवाही वित्तीय नियमानुसार किया जाए।

8. जनपद स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन एवं जनपदीय उपलब्धियों हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी हैं। अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी को परिवार कल्याण, पी0सी0पी0एन0डी0टी0, सुरक्षित गर्भपात सेवाओं एवं आर0टी0आई0/एस0टी0आई0 गतिविधियों हेतु समेकित नोडल अधिकारी–परिवार नियोजन के रूप में नामित किया जाये। तदोपरान्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनको अधिकार प्रदत्त करें तथा उनके माध्यम से जनपद स्तरीय गतिविधियों का क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
9. भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन की अस्थायी एवं स्थायी विधिओं की प्रगति एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर प्रदर्शित रिपोर्ट से ही ली जाती है। इसलिए नोडल अधिकारी परिवार नियोजन एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक का उत्तरदायित्व होगा कि वे मासिक रिपोर्ट में उपरोक्तानुसार वर्णित निजी चिकित्सालयो की रिपोर्ट को सम्मिलित करने हेतु एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर यूनिट को पंजीकृत करते हुए प्रगति को अद्यतन करें। साथ ही एच0एम0आई0एस0 पोर्टल की रिपोर्ट का आंकलन कर त्रुटियों को दूर कराते हुए मासिक रिपोर्ट का प्रेषण निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें।
10. मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ, भारत सरकार को उपलब्ध करायी जाने वाली विभिन्न रिपोर्टं, जिनसे सम्बन्धित आंकड़ो को एच0एम0आई0एस0 पोर्टल द्वारा संग्रहित एवं संकलित न किये जाने की स्थिति में मैनुअल रिपोर्टिंग नोडल अधिकारी–परिवार कल्याण, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक के माध्यम से राज्य मुख्यालय को निर्धारित समय सीमा में प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाय।
11. परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी समस्त स्टैण्डर्ड मैनुअल्स, रजिस्टर, प्रपत्र, बुकलेट (सहमति–पत्र, मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट, पोस्ट ऑपरेटिव कार्डस, प्रमाण पत्र, क्लेम फार्म आदि), वाउचर, प्रचार–प्रसार सामग्री आदि का मुद्रण पूर्ण कर आवश्यकतानुसार सम्बन्धित समस्त स्वास्थ्य ईकाईयो पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
12. यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश की समस्त स्वास्थ्य इकाइयों में बास्केट आफ च्वॉइस बना हो एवं सुसज्जित प्रकार से प्रदर्शित किया जाएँ। इसी के साथ समस्त जिला एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बास्केट आफ च्वॉइस की मुहर भी अवश्य ही उपलब्ध हो एवं उसका प्रयोग भी किया जा रहा हो। इस संबंध में पूर्व में ही विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके है।
13. वर्तमान में परिवार नियोजन सामग्री की आपूर्ति एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से ही की जा रही है। राज्य स्तर से आरम्भ होकर उपकेन्द्र स्तर तथा समुदाय स्तरीय कार्यकत्री (आशा) तक गर्भनिरोधक सामग्रियों की मॉग के सापेक्ष आपूर्ति एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि जिला स्तर की फैसिलिटी से लेकर आशा स्तर तक परिवार नियोजन सामग्री की उपलब्धता अवश्य रहें और स्टॉक आउट किसी भी दशा में न हो।
14. यह सुनिश्चित करना है कि जनपद की सभी स्वास्थ्य इकाई व आशाओं की मैपिंग एफ.पी.एल.एम. आई.एस. पोर्टल पर अवश्य की जाए। इन सभी का एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 आई.डी. एवं पासवर्ड संबन्धित स्वास्थ्य इकाईयों एवं आशाओं से साझा कर दिया जाए।
15. परिवार नियोजन सामग्री के वितरण के लिए मात्र एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल का ही प्रयोग किया जाए, किसी भी दशा में मैनुअल सामग्री किसी को भी न दी जाए। हर माह एच0एम0आई0एस0 में अंकित आंकड़ों के सापेक्ष एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 में अंकित Consumption (खपत) का मिलान किया जाए, जिससे पोर्टल में भी सही वितरित सामग्री दर्ज हो।

16. जनपद स्तर पर आशा के सहयोग से ग्रामवार, उपकेन्द्रवार एवं ब्लॉकवार लक्ष्य दम्पत्तियों की संख्या का वास्तविक अंकन किया जाये। साथ ही आशा के वी0एच0आई0आर0 रजिस्टर को भी अपडेट करते हुये लक्ष्य दम्पत्तियों को इच्छुक गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध कराएं।
17. प्रत्येक इच्छुक लक्ष्य दम्पत्ति को उसकी इच्छानुसार गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध कराये जाने हेतु आशा के माध्यम से प्री रजिस्ट्रेशन किया जाये। जनपद स्तर पर समस्त गतिविधियों का नियमित मासिक अनुश्रवण, मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला फैमिली प्लानिंग एवं एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक तथा मण्डल स्तर पर मण्डलीय अपर निदेशक, परिवार कल्याण, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक एवं मण्डलीय फैमिली प्लानिंग एवं एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक द्वारा किया जाएगा।
18. परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी मासिक, त्रैमासिक तथा समय–समय पर मांगी गयी समस्त रिपोर्ट्स नवीन निर्धारित प्रारूप पर सॉफ्ट एवं हार्ड/स्कैन कॉपी ई–मेल jdfamilyplanning@gmail.com व gmfamilyplanning2023@gmail.com के माध्यम से राज्य स्तर पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी–परिवार नियोजन एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के समन्वयन से जिला एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक की होगी। नोडल अधिकारी–परिवार नियोजन पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एवं सुरक्षित गर्भपात सेवाओं सम्बन्धी समस्त गतिविधियों की मासिक प्रगति आख्या को जनपद वैलिडेशन कमेटी में परीक्षण कर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के माध्यम से राज्य मुख्यालय को निर्धारित समय सीमा में प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
19. निजी चिकित्सालय/संस्थाएं यथा–हौसला साझीदारी के अन्तर्गत अधिकृत निजी चिकित्सालय/संस्था के अतिरिक्त केन्द्रीय उपक्रमों अथवा अन्य सरकारी संस्थाओं यथा–रेलवे व सैन्य चिकित्सालयों एम0जी0एच0एन0 अधिकृत/एफ0पी0पी0पी0ई0ए0 परियोजना के अन्तर्गत, चिन्हित चिकित्सालय के साथ अन्य निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा इकाईयों द्वारा परिवार नियोजन के क्षेत्र में किये गये कार्य को भी जनपद की उपलब्धि में सम्मिलित किया जायेगा।
20. परिवार नियोजन कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का नियमित मासिक अनुश्रवण, मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला फैमिली प्लानिंग एवं एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक तथा मण्डल स्तर पर मण्डलीय अपर निदेशक, परिवार कल्याण, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक एवं मण्डलीय फैमिली प्लानिंग एवं एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक द्वारा किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई (UPTSU) के जिला विशेषज्ञ–परिवार नियोजन (DFPS) द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
21. वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 के परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ प्रमुख बेंचमार्क निर्धारित किये गये हैं, जिसकी शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जानी है। प्रमुख बेंचमार्क का विवरण निम्नानुसार है–

Key performance indicators (as per ROP 2024-25)

Indicator statement	Indicator	Unit	ELA 2024-25
PPIUCD acceptance	Percentage of PPIUCD acceptance among institutional deliveries Numerator: Number of PPIUCDs inserted in public facilities Denominator: Number of institutional deliveries in public facilities	Percentage (%)	35 %
Injectable MPA user	Percentage of Injectable MPA users among eligible couples Numerator: Total number of injectable MPA dose/4 Denominator: Number of eligible couples	Percentage (%)	0.7%
Operationalization of FPLMIS	% of facilities indenting and issuing the stock in FPLMIS out of total facilities (including Sub centers) Numerator: Number of facilities indenting and issuing the stock in FPLMIS (including Sub centers) Denominator: Total number of facilities registered in	Percentage (%)	96%

	FPLMIS (including Sub centers)		
% Increase in Male sterilization from 2022-23	Numerator: No. Of male sterilization in the current year Denominator: No. of male sterilization on 2022-23.	Percentage (%)	30%
No. of Shagun Kit Distributed per ASHA	Numerator: No. of Shagun Kit distribuited Denominator : No. of ASHA Source : MPV Quarterly Report	Number	7 kit per ASHA
No. of Saas Beta Bahu Samellan Conducted	Numerator: No. of SBS Conducted Source: MPV Quarterly Report	Number	1,79,548

01. परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी में दी जाने वाली राशियों का विवरण –

1.1 सरकारी चिकित्सा इकाईयों में महिला नसबंदी (अन्तराल) हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान (FMR-42.7) – प्रदेश के समस्त सरकारी स्वास्थ्य ईकाईयों पर होने वाले महिला नसबंदी हेतु निम्न तालिकानुसार क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की जानी हैः–

(धनराशि रू0 में)

क्र0	विवरण	महिला नसबन्दी (अन्तराल) दर (रू0 में)
1	लाभार्थी	2000.00
2	प्रेरक / आशा	300.00
3	ड्रग / ड्रेसिंग / आई0पी0 सप्लाई	100.00
4	सर्जन प्रोत्साहन राशि	200.00
5	एनेस्थेटिस्ट / सहयोगी चिकित्सक	50.00
6	नर्स / ए.एन.एम	40.00
7	ओ0टी0 टैक्नीशियन / सहायक / एल0	20.00
8	वार्ड ब्वाय / आया	12.00
9	स्वीपर	08.00
10	क्लर्क / दस्तावेजीकरण	30.00
11	रिफ्रेशमेन्ट	20.00
12	अन्य विविध	20.00
कुल योग		**2800.00**

1.2 सरकारी चिकित्सा ईकाईयों में प्रसव पश्चात् नसबन्दी हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान (FMR-42.8)– प्रदेश के समस्त सरकारी स्वास्थ्य ईकाईयों पर होने वाले प्रसव पश्चात् नसबन्दी हेतु निम्न तालिकानुसार क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की जानी हैः–

(धनराशि रू0 में)

क्र0	विवरण	प्रसव पश्चात् नसबन्दी
1	लभार्थी	3000.00
2	प्रेरक / आशा	400.00
3	ड्रग / ड्रेसिंग / आई0पी0 सप्लाई	100.00
4	सर्जन प्रोत्साहन राशि	325.00
5	एनेस्थेटिस्ट / सहयोगी चिकित्सक	75.00
6	नर्स / ए.एन.एम	50.00
7	ओ0टी0 टैक्नीशियन / सहायक / एल0टी0	25.00
8	वार्ड ब्वाय / आया	15.00
9	स्वीपर	10.00
10	क्लर्क / दस्तावेजीकरण	–
11	रिफ्रेशमेन्ट	–
12	अन्य विविध	–
कुल योग		**4000.00**

1.3 सरकारी चिकित्सा ईकाईयों में पुरूष नसबंदी हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान (FMR-43.1) – वित्तीय वर्ष 2024–25 से सरकारी स्वास्थ्य ईकाईयों में पुरूष नसबंदी हेतु निम्न तालिकानुसार धनराशि प्रदान की जानी हैः–

(धनराशि रू0 में)

क्र0	विवरण	पुरूष नसबन्दी (एन0एस0वी0)
1	लभार्थी	3000.00
2	प्रेरक/आशा	400.00
3	ड्रग/ड्रेसिंग/आई0पी0 सप्लाई	50.00
4	सर्जन प्रोत्साहन राशि	400.00
5	एनेस्थेटिस्ट/सहयोगी चिकित्सक	–
6	नर्स/ए.एन.एम	40.00
7	ओ0टी0 टैक्नीशियन/ सहायक/एल0टी0	20.00
8	वार्ड ब्वाय/आया	12.00
9	स्वीपर	08.00
10	क्लर्क/दस्तावेजीकरण	30.00
11	रिफ्रेशमेन्ट	20.00
12	अन्य विविध	20.00
कुल योग		**4000.00**

निजी चिकित्सा इकाईयों एवं कॉट हेतु–

1.4 हौसला साझीदारी योजना के अन्तर्गत अभिप्रमाणित निजी चिकित्सा इकाई में महिला नसबंदी अन्तराल हेतु FMR-42.09 एवं प्रसव पश्चात हेतु FMR-42.10 के अन्तर्गत लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान–वर्ष 2022–23 में संशोधित शासनादेश संख्याः 57/2022/584/पॉच–9–2022 दिनांकित 30.05.2022 के क्रम में हौसला साझीदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिप्रमाणित निजी चिकित्सा इकाई में होने वाले महिला नसबंदी (अन्तराल एवं प्रसव पश्चात के अन्तर्गत महिला लाभार्थी को प्रोत्साहन धनराशि रू0 1400/– प्रति लाभार्थी की दर से भुगतान सम्बन्धित जनपद के जिला स्वास्थ्य समिति से किया जाना है। प्राइवेट क्लीनिक में होने वाले महिला नसबन्दी के लाभार्थियों की क्षतिपूर्ति का भुगतान मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर के किया जाना है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से परिवार नियोजन के लाभार्थी का भुगतान किया जायेगा।

1.5 हौसला साझीदारी के अन्तर्गत अभिप्रमाणित कॉट टीम द्वारा महिला नसबंदी हेतु लाभार्थी एवं प्रेरक/आशा को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति/प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान (FMR-42.11) –

हौसला साझीदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिप्रमाणित कॉट टीम द्वारा जनपद की सरकारी चिकित्सा इकाई में नसबंदी सेवा प्रदान किये जाने पर लाभार्थी एवं प्रेरक का भुगतान उसी ब्लॉक के चिकित्सा इकाई से किया जायेगा, जहॉ पर कॉट टीम द्वारा सेवाएं प्रदान की गई है। साथ ही नसबंदी फॉर्म की पूर्णतया अंकित मूल बुकलेट इकाई स्तर पर संरक्षित की जायेगी। कॉट टीम द्वारा किये गये समस्त केसों का विवरण इकाई पर उपलब्ध निर्धारित रजिस्टर यथा– नसबंदी पैथॉलॉजी एवं ओ0टी0 रजिस्टर में अवश्य किया जाये। प्रमाण पत्र चिकित्सा इकाई प्रभारी के हस्ताक्षर से ही निर्गत किये जायेंगे। मात्र चिकित्सा इकाई प्रभारी के हस्ताक्षर से ही निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।

<u>नोट–</u>

- नसबन्दी लाभार्थियों के समस्त रिकार्ड पूर्ण भरे व हस्ताक्षरित संरक्षित करते हुए फॉलोअप कार्ड व प्रमाण–पत्र का समय से वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- लाभार्थियों को परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना सम्बन्धी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाये। हौसला साझीदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिप्रमाणित कॉट टीम द्वारा किये गये महिला नसबंदी हेतु लाभार्थी एवं प्रेरक को निम्न तालिकानुसार धनराशि प्रदान की जानी हैः–

(धनराशि रू0 में)

क्र0	विवरण	**महिला नसबंदी**
		दर
1	लभार्थी	2000.00
2	प्रेरक / आशा	300.00
कुल योग		**2300.00**

1.6 हौसला साझीदारी के अन्तर्गत अभिप्रमाणित निजी चिकित्सा इकाई में पुरूष नसबंदी हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान (FMR - 43.3)– वर्ष 2022–23 में संशोधित शासनादेश संख्याः 57 / 2022 / 584 / पॉच–9–2022 दिनांकित 30.05.2022 के क्रम में हौसला साझीदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिप्रमाणित निजी चिकित्सा इकाई में पुरूष नसबंदी हेतु लाभार्थी को **धनराशि रू0 2000/– प्रति लाभार्थी** का भुगतान किया जाना है। प्राइवेट क्लीनिक में होने वाले पुरूष नसबन्दी के लाभार्थियों की क्षतिपूर्ति का भुगतान मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर के किया जाना है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से परिवार नियोजन के लाभार्थी का भुगतान किया जायेगा।

1.7 हौसला साझीदारी अन्तर्गत अभिप्रमाणित कॉट टीम द्वारा पुरूष नसबंदी हेतु लाभार्थी एवं प्रेरक/आशा को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति/प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान (FMR – 43.5) –

हौसला साझीदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिप्रमाणित कॉट टीम द्वारा जनपद की सरकारी चिकित्सा इकाई में पुरूष नसबंदी सेवा प्रदान किये जाने पर लाभार्थी एवं प्रेरक का भुगतान उसी ब्लॉक के चिकित्सा इकाई से किया जायेगा, जहॉ पर कॉट टीम द्वारा सेवाएं प्रदान की गई है। साथ ही नसबंदी फॉर्म की पूर्णतया अंकित मूल बुकलेट इकाई स्तर पर संरक्षित की जायेगी। कॉट टीम द्वारा किये गये समस्त केसों का विवरण इकाई पर उपलब्ध निर्धारित रजिस्टर यथा– नसबंदी पैथॉलॉजी एवं ओ0टी0 रजिस्टर में अवश्य किया जाये। प्रमाण पत्र चिकित्सा इकाई प्रभारी के हस्ताक्षर से ही निर्गत किये जायेंगे। मात्र चिकित्सा इकाई प्रभारी के हस्ताक्षर से ही निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।

नोट–

पुरूष नसबन्दी लाभार्थियों के समस्त रिकार्ड पूर्ण भरे व हस्ताक्षरित संरक्षित करते हुए फॉलोअप कार्ड व प्रमाण–पत्र का समय से वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- लाभार्थियों को परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना सम्बन्धी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाये। हौसला साझीदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिप्रमाणित कॉट टीम द्वारा किये गये पुरूष नसबंदी हेतु लाभार्थी एवं प्रेरक/आशा को निम्न तालिकानुसार धनराशि प्रदान की जानी हैः–

(धनराशि रू0 में)

क्र0	विवरण	**पुरूष नसबंदी**
1	लभार्थी	3000.00
2	प्रेरक / आशा	400.00
कुल योग		**3400.00**

1.8 महिला एवं पुरूष नसबन्दी नियत दिवस सेवा (FMR- 42.16)- प्रति नियत दिवस सेवा के लिए रू0 3500.00 की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या– एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / FDOS / 196 / 2022–23 / 6142 दिनांक–24.11.2022 के द्वारा प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार किया जाना है।

- नियत दिवस सेवा में महिला एवं पुरुष में नसबंदी केसों की संख्या 20 से कम होने की स्थिति में नियत दिवस सेवा नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में वास्तविक केसों की संख्या के आधार पर प्रति केस रू0 120.00 की दर से वास्तविक व्यय के आधार पर नियमानुसार धनराशि व्यय की जा सकती है, परन्तु नियत दिवस सेवा में नसबंदी केसों की अधिकतम संख्या 30 केस तक ही सीमित है।
- महिला एवं पुरूष नसबन्दी नियत दिवस सेवा हेतु प्रति नियत दिवस कुल धनराशि रू0 3500.00 प्राविधानित है, जिसमें आवश्यकतानुसार कुल प्राविधानित धनराशि से क्रमशः क्वालिटी सेवा हेतु 30 प्रतिशत, मेडिसिन हेतु 40 प्रतिशत, पी0ओ0एल0 हेतु 20 प्रतिशत तथा प्रचार–प्रसार हेतु 10 प्रतिशत धनराशि का व्यय किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में उपरोक्त निर्धारित मदों में से 05 से 10 प्रतिशत तक का मदवार वैरियेशन करते हुए भी व्यय किया जा सकता है। कुल व्यय निर्धारित धनराशि रू0 3500.00 बजट सीमा के अन्दर ही सीमित होना चाहिए।
- जिन स्वास्थ्य इकाईयों पर हौसला साझीदारी के अन्तर्गत कॉट टीम द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही है, वहॉ उस दिन दी गयी सेवाओं हेतु भी नियत सेवा दिवस मद की धनराशि रू0 3500.00, उपरोक्तानुसार व्यय की जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन या सप्ताह में दो बार एफ.आर.यू./ उपजनपदीय/तहसील स्तरीय चिकित्सालयों में सप्ताह में एक बार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पखवाड़ें में एक बार तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर माह में एक बार नियत दिवस सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- उन स्वास्थ्य केन्द्रों जहां पर प्रशिक्षित सेवाप्रदाता/सर्जन उपलब्ध है, वहॉ प्रतिदिन नसबन्दी की सेवा प्रदान की जाये।
- त्रैमासिक नियत दिवस कैलेण्डर चिकित्सा इकाई के अन्तर्गत आने वाली समस्त समुदाय स्तरीय कार्यकर्ताओं आशा, ए0एन0एम0 व आंगनबाड़ी की संख्या के आधार पर पम्पलेट/लीफलेट में मुद्रित कराकर समुदाय स्तरीय कार्यकर्ताओं के मध्य वितरण सुनिश्चित किया जाये।
- इच्छुक दम्पत्तियों का आशा के माध्यम से काउन्सलिंग कराते हुए परिवार नियोजन के स्थाई साधन महिला एवं पुरूष नसबंदी अपनाने हेतु प्री–रजिस्ट्रेशन किया जाय। प्री–रजिस्टर्ड किये गये क्लाइन्ट की सूची को ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों पर सूचित किया जाये, जिससे नियत सेवा दिवस की तैयारी ससमय की जा सके।
- प्री–रजिस्टर्ड किये गये क्लाइन्ट की सूची के अनुसार, जनपदीय परिवार कल्याण नोडल द्वारा नियत सेवा दिवस (एफ0डी0ओ0एस0) कैलेण्डर का निर्धारण किया जाये तथा कैलेण्डर की सूचना आशा तक उपलब्ध करायी जाये, जिससे कि आशा द्वारा प्री–रजिस्टर्ड क्लाइंट को उक्त एफ0डी0ओ0एस0 पर लाया जा सके।
- नियत सेवा दिवस (एफ0डी0ओ0एस0) कैलेण्डर के अनुसार सेवाप्रदाता की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये एफ0डी0ओ0एस0 कराया जाये।
- नियत सेवा दिवस (एफ0डी0ओ0एस0) की सूक्ष्म तैयारी हेतु आशा, ए0एन0एम0 व ऑगनबाड़ी की बैठक में चर्चा की जाए।
- नियत सेवा दिवस (एफ0डी0ओ0एस0) के दिन समस्त केसों का विवरण इकाई पर उपलब्ध निर्धारित नसबंदी बुकलेट, पैथॉलॉजी एवं ओ0टी0 रजिस्टर में अवश्य किया जाये।
- नसबन्दी लाभार्थियों के समस्त रिकार्ड पूर्ण भरे व हस्ताक्षरित संरक्षित करते हुए फॉलोअप कार्ड व प्रमाण–पत्र का समय से वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- लाभार्थी से सहमति पत्र अवश्य हस्ताक्षरित कराया जाये और निर्धारित प्रारुप पर मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट भी पूर्ण भरी जाए। सेवा का लाभ लेने आये लाभार्थियों को विधि से सम्बंधित सभी पहलुओं पर पूर्ण जानकारी दी जाये और विधि के प्रभावों से भली भॉति अवगत कराया जाये। साथ ही लाभार्थियों को परिवार कल्याण क्षतिपूर्ति योजना सम्बन्धी

पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए। लाभार्थी की काउन्सिलिंग अवश्य करें और सम्बंधित रिकॉर्ड को रजिस्टर पर अंकित करें।

- लाभार्थी के चिकित्सालय से छुट्टी किये जाने पर फालोअप कार्ड प्रदान किया जाए। साथ ही मौखिक रुप में अवगत भी कराया जाए कि किन–किन स्थितियों में अथवा तिथियों में लाभार्थी को स्वास्थ्य केन्द्र पर फालोअप हेतु उपस्थित होना है। सेवाप्रदाता द्वारा किन्हीं परिस्थितियों में नसबन्दी की सफलता के सन्देह की स्थिति में विवरण फालोअप कार्ड, सहमति पत्र एवं मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट के आपरेटिव नोट्स में अवश्य अंकित किया जाए तथा इस आशय का अंकन नसबन्दी प्रमाण पत्र में भी अवश्य किया जाए।
- पी0ओ0एल0 मद की धनराशि व्यय किये जाने की स्थिति में जेनरेटर लॉग बुक मेण्टेन की जाए।
- नियत सेवा दिवस (एफ0डी0ओ0एस0) हेतु नियत दिवस कैलेण्डर त्रैमासिक तैयार कर उसकी सूचना राज्य मुख्यालय को भेजी जाये, जिससे राज्य स्तर से शिविरों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जा सके।

1.9 फैमिली प्लानिंग इंडेमिनिटी (FPIS) स्कीम (FMR- 47.1) –

फैमिली प्लानिंग इंडेमिनिटी स्कीम के अन्तर्गत नसबंदी के पश्चात होने वाले असफल/जटिलता/मृत्यु के केसों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु धनराशि प्राविधानित है, जो समय–समय पर राज्य स्तरीय फैमिली इंडेमिनिटी उपसमिति के अनुशंसा पर सम्बन्धित जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जाता है। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शासनादेश संख्याः 52/2019/1115/ पांच–9–2019–9(56)/12 दिनांक 21 अगस्त 2019 के माध्यम से प्रदेश में परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना के अन्तर्गत प्रदान की जा रही क्षतिपूर्ति धनराशि को दिनांक 01 अप्रैल 2019 से दुगुना किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

Sec.	Coverage	Compensation Package as G.O 03.07.2014, with effect from 01.04.2013	Double Compensation Package as G.O 21.8.2019with effect from 01.04.2019
		Table -A	**Table –B**
I A	Death following sterilization (inclusive of death during process of sterilization operation) in hospital or within 7 days from the date of discharge from the hospital.	Rs. 2,00,000.00	Rs. 4,00,000.00
I B	Death following sterilization within 8-30 days from the date of discharge from the hospital.	Rs. 50,000.00	Rs. 1,00,000
I C	Failure of Sterilization	Rs. 30,000.00	Rs. 60,000.00
I D	Cost of treatment in hospital and upto 60 days arising out of complication following sterilization operation (inclusive of complication during process of sterilization operation) from the date of discharge.	Actual not exceeding Rs 25,000.00	Actual not exceeding Rs 50,000.00
II	Indemnity per Doctor/Health Facilities but not more than 4 in a year.	Upto Rs. 2 Lakh/ claim	Upto Rs.4 Lakh/claim

नोटः– समय–समय पर जनपदों द्वारा परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के तहत किये गये क्लेम के सापेक्ष राज्य इंडेमिनिटी उप कमेटी द्वारा परीक्षणोपरान्त दी गई संस्तुति के आधार पर ही एन0एच0एम0 द्वारा सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवंटित किया जाता है। कुछ जनपदों द्वारा एन0एच0एम0 से आवंटित धनराशि का लाभार्थी को ससमय भुगतान नहीं किया जाता है और आवंटित धनराशि को कमिट भी नहीं किया जाता है, जिससे लाभार्थी अथवा लाभार्थी के परिवार कोर्टकेस एवं जनसुनवाई आदि के माध्यम से शिकायत दर्ज करते है जिससे वाद दायर होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है (ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की दशा में जनपद द्वारा लापरवाही बरते जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित

जनपद का होगा)। अतः स्पष्ट किया जाता है कि परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के तहत एन0एच0एम0 द्वारा सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवंटित होने के उपरान्त अतिशीघ्र लाभार्थी अथवा उनके परिजनों को तुरन्त भुगतान किये जाने की कार्यवाही वित्तीय नियमानुसार किया जाए।

1.10 सर्जन टीम हेतु परिवहन व्यवस्था के लिए POL (FMR-50.22) – जनपद में नसबंदी हेतु लगाए जाने वाले नियत दिवस सेवाओं में सर्जन टीम के आवागमन की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शिविर हेतु रू0 1000/– की दर से अतिरिक्त धनराशि पी0ओ0एल0 (परिवहन व्यवस्था) हेतु प्राविधानित है जो निम्न परिस्थितियों में दी जानी हैः–

- यदि सर्जन एवं टीम दोनों अलग अलग स्थान से आ रहे हो और सर्जन द्वारा स्वयं के वाहन का प्रयोग किया जा रहा है तो इस दशा में शासन द्वारा निर्धारित प्रति किलोमीटर की दर से सर्जन को भुगतान किया जाएगा। ध्यान यह देना है की भुगतान की जाने वाली राशि रु0 1000/– से अधिक न हो और वित्तीय नियमों का पालन किया गया हो।
- यदि सर्जन द्वारा नियत सेवा दिवस में आने के लिए शासकीय वाहन का प्रयोग किया जाता है तो वाहन हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था शासकीय नियमानुसार इसी मद से अधिकतम धनराशि रु0 1000/– की सीमा तक उपयोगित किया जा सकता है।
- यदि कोई सर्जन टीम अपने जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपद में नसबन्दी सेवा प्रदान करती है तो ऐसी स्थिति में जिस जनपद में सेवा प्रदान की गयी है, उसी जनपद द्वारा पी0ओ0एल मद में आवंटित धनराशि से उस सर्जन टीम को पी0ओ0एल0 का भुगतान किया जायेगा।

02– परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत अस्थाई विधियों में दी जाने वाली राशियों का विवरणः–

2.1 प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन में लाभार्थी को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान (FMR-44.5)–लाभार्थी को प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन किए जाने के पश्चात गुणवत्ता एवं फॉलोअप सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से इन्सर्शन के पश्चात कुल रु0 300.00 प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि प्राविधानित है। पी0पी0आई0यू0सी0डी0 लाभार्थी का भुगतान जननी सुरक्षा योजना के भुगतान के साथ ही किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि लाभार्थी से पुनः खाता संख्या एवं अन्य दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन स्वास्थ्य केन्द्रों पर पी0पी0आई0यू0सी0डी0 विधा में प्रशिक्षित सेवा प्रदाता उपलब्ध हैं तथा पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, केवल उन्हीं केंन्द्रों पर जनपद स्तर से अवमुक्त धनराशि को हस्तांतरित किया जाए।

नोट–समस्त पी0पी0आई0यू0सी0डी0 निवेशन अपनाने वाले लाभार्थी से केस शीट पर सहमति लिया जाना अनिवार्य है तथा निर्धारित फॉलोअप कार्ड भी लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाये एवं सम्बन्धित विवरण रजिस्टर में अंकित किया जाये।

2.2 गर्भसमापन पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन हेतु लाभार्थी को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान (FMR-44.6)–सुरक्षित गर्भ समापन के पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन किए जाने पर गुणवत्ता एवं लाभार्थी का फॉलोअप सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से लाभार्थी को इन्सर्शन के पश्चात कुल **रु0 300.00 प्रति लाभार्थी की दर** से धनराशि प्राविधानित है।

नोट–समस्त पी0ए0आई0यू0सी0डी0 निवेशन अपनाने वाले लाभार्थी से केस शीट पर सहमति लिया जाना अनिवार्य है तथा निर्धारित फॉलोअप कार्ड भी लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाये एवं सम्बन्धित विवरण रजिस्टर में अंकित किया जाये।

2.3 ग्रामीण सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान (FMR - 186.4)– रू0 150/– प्रति पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन की दर से **कार्य आधारित** प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। यदि Each one teach

one विधि द्वारा किसी मेडिकल ऑफिसर/स्टाफ नर्स/ए.एन.एम. को जिला अस्पताल या एफ.आर.यू. में मास्टर ट्रैनर अथवा परफार्मिंग सेवा प्रदाता द्वारा पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन की ट्रेनिंग कराई जाती है तो उक्त स्टाफ को ट्रेन्ड माना जाएगा एवं पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाएगा। सेवा प्रदाताओं की भूमिका लाभार्थी के 02 बार फॉलोअप (प्रथम फॉलोअप डेढ़ माह पर एवं द्वितीय फॉलोअप तीन माह पर) करना सुनिश्चित किया जाना है। जिस भी फैसिलिटी में पी0पी0आई0यू0सी0डी0 की सेवा दी जा रही है वहाँ के प्रमुख/प्रभारी को यह सुनिश्चित करना है कि जिन भी सेवा प्रदाता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है उनके द्वारा लाभार्थी का निर्धारित अवधि में 02 फॉलोअप अवश्य किया जाए और उसका विवरण रजिस्टर के निर्धारित स्थान में अवश्य ही किया जाए।

2.4 **नगरीय सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान (FMR - 143.1)–** रू0 150/– प्रति पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन की दर से **कार्य आधारित** प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। यदि Each one teach one विधि द्वारा किसी मेडिकल ऑफिसर/स्टाफ नर्स/ए.एन.एम. को जिला अस्पताल या एफ.आर.यू. में मास्टर ट्रैनर अथवा परफार्मिंग सेवा प्रदाता द्वारा पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन की ट्रेनिंग कराई जाती है तो उक्त स्टाफ को ट्रेन्ड माना जाएगा एवं पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाएगा। सेवा प्रदाताओं की भूमिका लाभार्थी के 02 बार फॉलोअप (प्रथम फॉलोअप डेढ़ माह पर एवं द्वितीय फॉलोअप तीन माह पर) करना सुनिश्चित किया जाना है। जिस भी फैसिलिटी में पी0पी0आई0यू0सी0डी0 की सेवा दी जा रही है वहाँ के प्रमुख/प्रभारी को यह सुनिश्चित करना है कि जिन भी सेवा प्रदाता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है उनके द्वारा लाभार्थी का निर्धारित अवधि में 02 फॉलोअप अवश्य किया जाए और उसका विवरण रजिस्टर के निर्धारित स्थान में अवश्य ही किया जाए ।

2.5 **ग्रामीण सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर सुरक्षित गर्भपात सेवा के पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान (FMR-186.5)–** रू0 150/– प्रति पी0ए0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन की दर से कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। सेवा प्रदाताओं की भूमिका लाभार्थी के दो बार फॉलोअप (प्रथम फॉलोअप डेढ़ माह पर एवं द्वितीय फॉलोअप तीन माह पर) करना सुनिश्चित किया जाना है। जिस भी फैसिलिटी में पी0पी0आई0यू0सी0डी0 की सेवा दी जा रही है वहाँ के प्रमुख/प्रभारी को यह सुनिश्चित करना है कि जिन भी सेवा प्रदाता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है उनके द्वारा लाभार्थी का फॉलोअप अवश्य किया जाए और उसका विवरण रजिस्टर के निर्धारित स्थान में अवश्य ही किया जाए ।

2.6 **नगरीय सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर सुरक्षित गर्भपात सेवा के पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान (FMR-143.2)–** रू0 150/– प्रति पी0ए0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन की दर से कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। सेवा प्रदाताओं की भूमिका लाभार्थी के दो बार फॉलोअप (प्रथम फॉलोअप डेढ़ माह पर एवं द्वितीय फॉलोअप तीन माह पर) करना सुनिश्चित किया जाना है। जिस भी फैसिलिटी में पी0पी0आई0यू0सी0डी0 की सेवा दी जा रही है वहाँ के प्रमुख/प्रभारी को यह सुनिश्चित करना है कि जिन भी सेवा प्रदाता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है उनके द्वारा लाभार्थी का फॉलोअप अवश्य किया जाए और उसका विवरण रजिस्टर के निर्धारित स्थान में अवश्य ही किया जाए ।

2.7 **ग्रामीण सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन (FMR-186.6)–** यह योजना संख्या आधारित है। इस योजना के तहत कार्यरत परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के मानक निम्नानुसार हैंः–

- **<u>पी.पी.आई.यू.सी.डी</u>**–किसी प्रसव इकाई में किए गए कुल प्रसवों के सापेक्ष परिवार कल्याण परामर्शदात्री द्वारा प्रेरित कर (परामर्शदात्री के परामर्श रजिस्टर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर) 35 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. इन्सर्शन करवाए जाने की स्थिति में परिवार कल्याण परामर्शदात्री को 35 प्रतिशत से अधिक हुए केसों हेतु **प्रति केस रू0 50.00 की दर** से प्रोत्साहन राशि दी जाये। **उदाहरणार्थ**–यदि किसी इकाई में एक माह में 100 प्रसव किए जाते है जिसके सापेक्ष 50 पी.पी.आई.यू.सी.डी इन्सर्शन होता है जिसमें से परामर्शदात्री द्वारा 45 पी.पी.आई.यू.सी.डी इन्सर्शन कराया जाता है, उस स्थिति में 35 प्रतिशत से अधिक (36 से 45 केस तक अर्थात कुल 10 केस) केस पर **रू0 50/–प्रति केस** की दर से प्रोत्साहन राशि परिवार कल्याण परामर्शदात्री को देय होगी।
- **<u>प्रसव पश्चात नसबंदी सेवाः</u>**–किसी प्रसव इकाई में किए गए कुल प्रसवों के सापेक्ष परिवार कल्याण परामर्शदात्री द्वारा प्रेरित करने पर (परामर्शदात्री के परामर्श रजिस्टर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर) 15 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात नसबंदी करवाए जाने की स्थिति में, परिवार कल्याण परामर्शदात्री को 15 प्रतिशत से अधिक हुए केस पर **रू0 50.00 प्रति केस की दर** से प्रोत्साहन राशि देय होगी। **उदाहरणार्थ**–यदि किसी इकाई में एक माह में 100 प्रसव किए जाते है जिसके सापेक्ष 25 प्रसव पश्चात नसबन्दी होता है, जिसमें से परामर्शदात्री द्वारा 20 प्रसव पश्चात नसबन्दी कराया जाता है, उस स्थिति में 15 प्रतिशत से अधिक (16 से 20 केस तक अर्थात कुल 05 केस) केस पर रू0 50/–प्रति केस की दर से प्रोत्साहन राशि परिवार कल्याण परामर्शदात्री को देय होगी।

नोट– यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों द्वारा उपरोक्तानुसार उत्कृष्ट कार्य किया गया हो, उन्हें ही कार्य आधारित प्रोत्साहन धनराशि प्रदान किया जाए।

2.8 नगरीय सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन (FMR-143.3)– यह योजना संख्या आधारित है। इस योजना के तहत कार्यरत परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के मानक निम्नानुसार हैः–

- **<u>पी.पी.आई.यू.सी.डी</u>**–किसी प्रसव इकाई में किए गए कुल प्रसवों के सापेक्ष परिवार कल्याण परामर्शदात्री द्वारा प्रेरित कर (परामर्शदात्री के परामर्श रजिस्टर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर) 35 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. निवेशन करवाए जाने की स्थिति में परिवार कल्याण परामर्शदात्री को 35 प्रतिशत से अधिक हुए केसों हेतु **प्रति केस रू0 50.00 की दर** से प्रोत्साहन राशि दिया जाये। **उदाहरणार्थ**–यदि किसी इकाई में एक माह में 100 प्रसव किए जाते है जिसके सापेक्ष 50 पी.पी.आई.यू.सी.डी इन्सर्शन होता है, जिसमें से परामर्शदात्री द्वारा 45 पी.पी.आई.यू.सी.डी इन्सर्शन कराया जाता है, उस स्थिति में 35 प्रतिशत से अधिक (36 से 45 केस तक अर्थात कुल 10 केस) केस पर **रू0 50/–प्रति केस** की दर से प्रोत्साहन राशि परिवार कल्याण परामर्शदात्री को देय होगी।
- **<u>प्रसव पश्चात नसबंदी सेवाः</u>**–किसी प्रसव इकाई में किए गए कुल प्रसवों के सापेक्ष परिवार कल्याण परामर्शदात्री द्वारा प्रेरित करने पर (परामर्शदात्री के परामर्श रजिस्टर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर) 15 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात नसबंदी करवाए जाने की स्थिति में, परिवार कल्याण परामर्शदात्री को 15 प्रतिशत से अधिक हुए केस पर **रू0 50.00 प्रति केस की दर** से प्रोत्साहन राशि देय होगी। **उदाहरणार्थ**–यदि किसी इकाई में एक माह में 100 प्रसव किए जाते है जिसके सापेक्ष 25 प्रसव पश्चात नसबन्दी होती है, जिसमें से परामर्शदात्री द्वारा 20 प्रसव पश्चात नसबन्दी करायी जाती है, उस स्थिति में 15 प्रतिशत से अधिक (16 से 20 केस तक अर्थात कुल 05 केस) केस पर रू0 50/–प्रति केस की दर से प्रोत्साहन राशि परिवार कल्याण परामर्शदात्री को देय होगी।

नोट– यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों द्वारा उपरोक्तानुसार उत्कृष्ट कार्य किया गया हो, उन्हें ही कार्य आधारित प्रोत्साहन धनराशि प्रदान किया जाए।

2.9 अन्तरा इंजेक्शन हेतु लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि (FMR-45.3)– अन्तरा के लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि रू0 100/– प्रति डोज, प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है।

नोट – वर्ष 2023–24 में जिन जनपदों द्वारा उक्त मद में राज्य स्तर से अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है, ऐसे जनपद वर्ष 2024–25 की आवंटित धनराशि से इस मद में वास्तविक भौतिक उपलब्धि के सापेक्ष नियमानुसार धनराशि उपयोगित कर सकते है।

03– परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा को प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रोत्साहन राशि का विवरण–

3.1 प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन करवाने हेतु लाभार्थी को प्रेरित किए जाने पर आशा प्रोत्साहन राशि (FMR-44.1)– आशा द्वारा लाभार्थी के निर्धारित अवधि में 02 फॉलोअप कराने के उपरान्त धनराशि **रू0 150/–** प्रति पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन की दर से प्रोत्साहन राशि आशा को प्रदान की जानी है।

3.2 गर्भसमापन पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन हेतु आशाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान (FMR-44.2) –धनराशि **रू0 150/–** प्रति पी0ए0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन की दर से प्रोत्साहन राशि आशा को प्रदान की जानी है।

3.3 अन्तरा इंजेक्शन हेतु आशाओं को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि – (FMR-45.1)– समस्त जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण आशाओं के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को अन्तरा की सेवा सुनिश्चित कराने के उपरान्त आशा हेतु **रू0 100/–प्रति डोज** की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जानी है।

3.4 सास–बेटा–बहू सम्मेलन के आयोजन हेतु आशा को प्रोत्साहन राशि (FMR-46.1)- मिशन परिवार विकास गतिविधि के अन्तर्गत समस्त जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण आशाओं के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय के मध्य सास–बेटा–बहू सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। सास–बेटा–बहू सम्मेलन के सफल आयोजन के पश्चात सम्बन्धित ग्रामीण आशा को उसके ब्लॉक मुख्यालय तथा शहरी आशा को एन0यू0एच0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित प्रक्रिया के माध्यम से **रु0 100/– प्रति सम्मेलन की दर** से आशा हेतु धनराशि प्रदान की जानी है।

3.5 शगुन किट (पूर्व में नई पहल किट) वितरण हेतु आशा को प्रोत्साहन राशि (FMR-46.2)– समस्त जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण आशाओं के माध्यम से विगत 01 वर्ष के नव विवाहित दम्पत्तियों को शगुन किट वितरित करने पर आशा को प्रति किट **रू0 100/–** की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

3.6 इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम (ESB)

- **इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम (ESB) के तहत अस्थायी विधि के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि (FMR-50.1)––**विवाह के उपरांत 2 वर्षो तक अस्थायी विधियों का परामर्श प्रदान कर उपयोग सुनिश्चित कराने व प्रथम गर्भधारण में कम से कम दो वर्षों का विलम्ब सुनिश्चित कराने पर **रू0 500/– प्रति केस** की दर से प्रोत्साहन राशि का प्राविधान है।
- **इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम के तहत अस्थायी विधि के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि (FMR-50.2)–**ऐसे दम्पत्ति जिनका 01 बच्चा है, को पहले एवं दूसरे बच्चे के जन्म में 03 वर्षों तक अन्तर बनाये रखने हेतु अस्थायी विधियों का परामर्श प्रदान कर उपयोग सुनिश्चित कराने पर **रू0 500/– प्रतिकेस** की दर से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।
- **इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम के तहत स्थायी विधि के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि–(FMR-50.3)-** 02 बच्चों तक परिवार सीमित रखने वाले पात्र दम्पत्तियों को स्थाई विधियों (महिला/पुरूष नसबन्दी) का परामर्श प्रदान कर उनके द्वारा नसबन्दी सेवा प्राप्त करने पर, **रू0 1000/– प्रति केस** का भुगतान आशा को किया जाना है।

नोट– इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम (ESB) के तहत जनपदों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वास्तविक केसों के सापेक्ष समस्त आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन उपरान्त ही भुगतान किया जाये एवं भौतिक रिपोर्ट का सत्यापन एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों से मिलान करके किया जाये। इस हेतु सत्यापन की जिम्मेदारी जनपद स्तर पर जिला कम्युनिटी प्रासेस मैनेजर व जनपदीय एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर तथा ब्लाक स्तर पर ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर व ब्लाक कम्युनिटी प्रासेस मैनेजर की होगी।

04–मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों एवं राशि का विवरण

4.1 नव विवाहित दम्पत्तियों को परिवार नियोजन साधनों के बारे में अवगत कराने हेतु शगुन किट (नई पहल किट) का क्रय (FMR-46.3) – समस्त 75 जनपदों मे नव विवाहित दम्पत्तियों को परिवार नियोजन साधनों के बारे में अवगत कराते हुये शगुन किट वितरित किया जाना है। पत्र संख्या–एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.पी.–एम.पी.वी./165/2022–23/4899–2, दिनांक 08.10.2022 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकतम रू0 220.00 प्रति शगुन किट क्रय की दर से धनराशि का उपयोग किया जाना है।

नोट– शगुन किट का क्रय समय से करना अत्यंत ही आवश्यक है जिससे इसका वितरण भी समय से लाभार्थियों को किया जा सके। प्राथमिकता के आधार पर शगुन किट का क्रय DHAP के प्राप्त होने के बाद, तीन माह के अंदर अवश्य ही कर लिया जाए और अगले तीन माह के अंदर इसे आशा तक वितरित भी कर दिया जाए। शगुन किट का समय से क्रय की जाने की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक की होगी।

4.2 मिशन परिवार विकास अभियान (प्रत्येक तिमाही) (FMR- 46.6)– प्रदेश के समस्त जनपदों में मिशन परिवार विकास गतिंविधि के अन्तर्गत प्रत्येक तिमाही मिशन परिवार विकास अभियान (कुल 04 अभियान) क्रमशः जुलाई 2024 (विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा के दौरान), नवम्बर 2024 (एन0एस0वी0 पखवाड़ा के दौरान), जनवरी 2025 एवं मार्च 2025 में आयोजित किए जायेंगे। मिशन परिवार विकास अभियान की सेवाप्रदायगी अधिकतम सात दिवसीय होगी। अभियान के दौरान नियत दिवसों पर शल्यकों को प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त टी0ए0/डी0ए0 के रुप में रू0 1000.00 प्रतिदिन देय होगा। उक्त धनराशि कार्य आधारित प्रोत्साहन है, इसलिए यह राशि तभी प्रदान की जायेगी जब चिकित्सक द्वारा न्यूनतम 10 नसबन्दी केस सफलतापूर्वक सम्पादित कर लिए जायेंगे।

4.3 सास–बेटा–बहू सम्मेलन का आयोजन (FMR-46.4)–मिशन परिवार विकास गतिविधि के अन्तर्गत समस्त जनपदों में प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी आशा के कार्यक्षेत्र में सास–बेटा–बहू सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। सम्मेलन का आयोजन सास, बेटा एवं बहू की उपस्थिति में किया जायेगा। परिवारों के चयन का आधार वे समस्त परिवार होंगे, जिनमें लक्ष्य दम्पत्ति हो। उक्त कार्य हेतु आशाओं एवं ऑगनबाड़ी की मदद ली जाए, क्योंकि उनके पास क्षेत्र के परिवारों की समस्त जानकारी उपलब्ध रहती है। उक्त कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु प्रति सम्मेलन रु0 1500/– की दर से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है, जिनका व्यय निम्न तालिकानुसार ब्लॉक स्तर से किये जा रहे अन्य भुगतानों की भॉति नियमानुसार किया जाए–

(धनराशि रू0 में)

क्रम सं0	मद	दर
1	सास–बेटा बहू सम्मेलन के आयोजन हेतु	500.00
2	प्रतिभागी हेतु गिफ्ट	1000.00
	कुल योग	**1500.00**

नोट– विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े के महत्व को देखते हुए सभी जनपदों को यह सुनिश्चित करना है कि पखवाड़े के दौरान प्रथम चरण में आयोजित किए जा रहे दंपति संपर्क पखवाड़े के दौरान ही शत प्रतिशत सास–बेटा–बहू सम्मेलनों का आयोजन अवश्य ही कर लिया जाए। इस हेतु कार्ययोजना बनाने की जिम्मेदारी जिलों मे पदस्थ जिला परिवार नियोजन लाजीस्टिक प्रबन्धक की होगी, जिन जनपदों में लाजिस्टिक प्रबन्धक नहीं है, उन जनपदों में कार्ययोजना बनाने का कार्य जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा किया जाएगा। सास–बेटा–बहू सम्मेलनों के आयोजन के दौरान आयोजन स्थल पर निर्धारित बैनर

अवश्य ही लगाया जाए एवं कार्यक्रम का प्रचार प्रसार भी किया जाए, जिससे जन समुदाय की प्रतिभागिता अधिक से अधिक संख्या में हो सके।

4.4 **प्रचार–प्रसार वाहन ''सारथी'' (प्रत्येक तिमाही) (FMR-46.5)** –

समस्त जनपदों में जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर एक सुसज्जित सारथी वाहन (ई रिक्शा) जो संचार एवं प्रचार प्रसार के आधुनिक साधनों से सुसज्जित हो, में परिवार नियोजन गतिविधियों से सम्बन्धित आवश्यक प्रचार प्रसार तथा सामग्री की उपलब्ध्ता सुनिश्चित की जायेगी। जागरूकता वाहन को विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा, पुरुष नसबन्दी पखवाड़ा एवं जनवरी 2025 के मध्य जनपदो के दूर–दराज के इलाकों में परिवार नियोजन के संदेशों को प्रसारित किए जाने और समुदायों को जागरूक/संवेदनशील बनाने हेतु उपयोगित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सारथी वाहन का संचालन एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या–एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.पी.–एम.पी.वी./165/2022–23/5569–2, दिनांक 04.11.2022 में प्रदत्त दिशा निर्देशों एवं निर्धारित मानक के अनुसार संचालन तथा धनराशि का उपयोग किया जाना है। जनपद एवं ब्लाक स्तर पर सारथी वाहन के संचालन हेतु प्रत्येक जनपद को प्रत्येक चरण हेतु निम्न तालिकानुसार धनराशि प्राविधानित हैः–

(अ) जनपद स्तर पर प्रत्येक चरण हेतु सारथी वाहन के संचालन हेतु वित्तीय प्राविधान – समस्त जनपद				
अभियान की संख्या	कुल सारथी वाहन की संख्या (ई रिक्शा)	कुल कार्यदिवस	प्रति वाहन दर	कुल धनराशि रु0 में
3	2	4	2000	48000.00
प्रति चरण हेतु आबंटित धनराशि				16000.00

(ब) ब्लाक स्तर पर प्रत्येक चरण हेतु सारथी वाहन के संचालन हेतु वित्तीय प्राविधान– समस्त जनपद				
अभियान की संख्या	कुल सारथी वाहन की संख्या (ई रिक्शा)	कुल कार्यदिवस	प्रति वाहन दर	कुल धनराशि रु0 में
3	3	4	2000	72000.00
प्रति चरण हेतु आबंटित धनराशि				24000.00

वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रदेश के चिन्हित 10 जनपदों के नगरीय स्लम क्षेत्रों हेतु सारथी वाहन का प्राविधान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है–

(स) स्लम स्तर पर प्रत्येक चरण हेतु सारथी वाहन के संचालन हेतु वित्तीय प्राविधान				
अभियान की संख्या	कुल सारथी वाहन की संख्या (ई रिक्शा) **प्रति त्रैमास**	कुल कार्यदिवस **प्रति त्रैमास**	प्रति वाहन दर	कुल धनराशि रु0 में
3	15	4	2000	360000.00

जनपदवार स्लम स्तर पर चलने वाले सारथी वाहन की संख्या			
क्रम संख्या	**जनपद का नाम**	**जनपद वार ई रिक्शा की संख्या प्रति त्रैमास**	**जनपद वार एक मुश्त कुल धनराशि** रु0 में
1	आगरा	2	48000.00
2	अलीगढ	2	48000.00
3	बरेली	1	24000.00
4	अयोध्या	2	48000.00

5	फर्रुखाबाद	1	24000.00
6	फिरोजाबाद	1	24000.00
7	गौतम बुद्ध नगर	3	72000.00
8	गाजियाबाद	1	24000.00
9	गोरखपुर	1	24000.00
10	हरदोई	1	24000.00

05— परिवार नियोजन सेवाओं संबंधी सामग्री के भंडारण एवं वितरण सम्बंधी विवरण—

5.1 परिवार नियोजन सेवाओं सम्बन्धी सामग्रियों को राज्य औषधि भण्डारण गृह से मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक के औषधि भण्डारण गृह तक पहुंचाने हेतु यात्रा व्यय— परिवार नियोजन सेवाओं सम्बन्धी समस्त सामग्रियों को राज्य औषधि भण्डारण गृह से मण्डल, जनपद एवं ब्लाक के औषधि भण्डारण गृह तक पहुँचाने हेतु बजट का प्राविधान किया गया है। प्राविधानित बजट से, समस्त 18 मण्डलीय भण्डारण गृह एफ0पी0—एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से किये गये इन्डेण्ट अनुसार राज्य मुख्यालय के परिवार नियोजन सामग्री सम्बन्धित भण्डार गृह से प्राप्त करेंगें। इसी प्रकार समस्त 75 जनपद सम्बन्धित मण्डल मुख्यालय के भण्डार गृह से तथा जनपद के समस्त चिकित्सा ईकाईयॉ जनपद भण्डार गृह से एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से किये गये इन्डेण्ट अनुसार परिवार नियोजन सेवाओं सम्बन्धी सामग्री प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। जनपदों का दायित्व होगा कि इसी मद का उपयोग करते हुए समस्त ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों पर ब्लाक के समस्त प्राथमिक (ग्रामीण व शहरी) स्वास्थ्य केन्द्रों व उपकेन्द्रों हेतु परिवार नियोजन सेवाओं सम्बन्धी सामग्रियों का आपूर्ति एवं वितरण सुनिश्चित करें। साथ ही आवंटित धनराशि वित्तीय व शासकीय नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि में समस्त प्रकार के टैक्स आदि सम्मिलित हैं। इस हेतु विभिन्न औषधि भण्डार गृह हेतु निम्नानुसार बजट का प्राविधान किया गया हैं—

- **मण्डलीय औषधि भण्डारण गृह हेतु (FMR-48.3)** एकमुश्त धनराशि रू0 1.75 लाख प्रति वर्ष।
- **जनपदीय औषधि भण्डारण गृह हेतु (FMR-48.4)** एकमुश्त धनराशि रू0 84,000/— प्रति वर्ष।
- **ब्लाक स्तरीय औषधि भण्डारण गृह हेतु (FMR-48.5)** एकमुश्त धनराशि रू0 5,250/— प्रति वर्ष

6— परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षणों का विवरण

6.1 लैप इन्डक्शन प्रशिक्षण—(FMR -42.2) वर्ष 2024—25 में 12 दिवसीय लैप इन्डक्शन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक बैच में 04 चिकित्साधिकारी एवं 04 स्टाफनर्स/ओ.टी. टेक्निशियन को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। वर्ष 2024—25 में कुल 43 बैच आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जनपदवार बैचों की संख्या संलग्नक के माध्यम से दिया गया है। उक्त प्रशिक्षण हेतु **प्रति बैचवार धनराशि रू0 2,16,070/—**प्राविधानित है, जो निम्न तालिकानुसार हैः—

Laparoscopic Tubectomy Induction Training					
Duration of Training	12 working days for doctors & 6 working days for SN				
Number of trainees	4 Doctors & 4 Staff Nurse/OT Technician				
Trainers	2 Doctor trainers & 1 SN trainer				
S.N	**Budget Head**	**Rate**	**No. of Participants**	**Days**	**Total (Rs.)**
1	TA – Mos	2000	4	1	8000
2	TA – SN/ OT Technician	1500	4	1	6000
3	Honorarium per diem to trainer – Doctor	1000	2	12	24000
3	Honorarium per diem to trainer – SN	500	1	6	3000
4	Honorarium per diem to participants - MOs	500	4	12	24000

5	Honorarium per diem to participants - SNs/OT Technician	300	4	6	7200
6	Accommodation to participants – Mos	1500	4	12	72000
7	Accommodation to participants - SNs/OT Technician	1000	4	6	24000
8	Refreshment to Doctors trainees	250	4	12	12000
9	Refreshment to participants - 2 SNs/OT Technician	250	4	6	6000
10	Refreshment to trainers	250	2 MO Trainer	12	6000
			1 SN trainer	6	1500
11	Stationary including certificate	150	8	1	1200
12	Training Manual	350	8	1	2800
	Sub total				**197700**
13	**Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA**				**18370**
	Total for 01 Batch				**216070**

6.2 लैप रिफ्रेशर प्रशिक्षण–(FMR -42.1) - वर्ष 2024–25 में 3 दिवसीय लैप रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रत्येक बैच में 03 चिकित्साधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। वर्ष 2024–25 में कुल 17 बैच किया जाना प्रस्तावित है। जनपदवार बैचों की संख्या संलग्नक के माध्यम से दी गयी है। उक्त प्रशिक्षण हेतु **प्रति बैचवार धनराशि रू0 62145/–**प्राविधानित है जो निम्न तालिकानुसार हैः–

Laparoscopic Tubectomy Refresher Training					
Site of training		Medical Collage/District hospital/FRU CHC			
Duration of Training		03 working days			
Number of trainees		3 Doctors & 3 Staff Nurse/OT Technician			
Trainers		2 Doctor trainers & 1 SN trainer			
S.N	**Budget Head**	**Rate**	**No. of Participants**	**Days**	**Total (Rs.)**
1	TA – Mos (As per Norms) *	2000	3	1	6000
2	TA – SN/ OT Technician (As per Norms) *	1500	3	1	4500
3	Honorarium per diem to trainer – Doctor	1000	2	3	6000
4	Honorarium per diem to trainer – SN	500	1	3	1500
5	Honorarium per diem to participants – Mos	500	3	3	4500
6	Honorarium per diem to participants - SNs/OT Technician	300	3	3	2700
7	Accommodation to participants – Mos (As per Actual)	1500	3	3	13500
8	Accommodation to participants - SNs/OT Technician (As per Actual)	1000	3	3	9000
9	Refreshment to Doctors trainees	250	3	3	2250
10	Refreshment to participants - SNs/OT Technician	250	3	3	2250

Laparoscopic Tubectomy Refresher Training					
Site of training		Medical Collage/District hospital/FRU CHC			
Duration of Training		03 working days			
Number of trainees		3 Doctors & 3 Staff Nurse/OT Technician			
Trainers		2 Doctor trainers & 1 SN trainer			
11	Refreshment to trainers	250	3	3	2250
12	Stationary including certificate	150	6	1	900
13	Training Manual	350	6	1	2100
	Sub total				**57450**
14	Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA				**4695**
Total for 01 Batch					**62145**

6.3 मिनि लैप इन्डक्शन प्रशिक्षण–(FMR-42.4)- वर्ष 2024–25 में 12 दिवसीय मिनीलैप इन्डक्शन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रत्येक बैच में 04 चिकित्सा अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। वर्ष 2024–25 में कुल 17 बैच किया जाना प्रस्तावित है। जनपदवार बैचों की संख्या संलग्नक के माध्यम से दी गयी है। उक्त प्रशिक्षण हेतु **प्रति बैचवार धनराशि रू0 162000/–** प्राविधानित है जो निम्न तालिकानुसार है:–

Minilap Induction Training					
Site of training		Medical college/District hospital/FRU CHC			
Duration of Training		12 working days for doctors			
Number of trainees		4 Doctors			
Trainers		2 trainers			
S.N	**Budget Head**	**Rate**	**No. of participants**	**Days**	**Total (Rs.)**
1	TA – Mos	2000	4	1	8000
2	Honorarium per diem to trainer – Doctor	1000	2	12	24000
3	Honorarium per diem to participants - MOs	500	4	12	24000
4	Accommodation to participants – Mos	1500	4	12	72000
5	Refreshment to Doctors trainees	250	4	12	12000
6	Refreshment to trainers	250	2	12	6000
7	Stationary including certificate	150	4	1	600
8	Training Manual	350	4	1	1400
	Sub total				**148000**
9	**Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA**				**14000**
Total for 01 Batch					**162000**

6.4 मिनि लैप रिफ्रेशर प्रशिक्षण–(FMR-42.3)- वर्ष 2024–25 में 3 दिवसीय मिनीलैप रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक बैच में 04 चिकित्सा अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। वर्ष 2024–25 में कुल 25 बैच किया जाना प्रस्तावित है। जनपदवार बैचों की संख्या संलग्नक के माध्यम से दी गयी है। उक्त प्रशिक्षण हेतु **प्रति बैचवार धनराशि रू0 48,150/–** प्राविधानित है जो निम्न तालिकानुसार है:–

Minilap Refresher Training	
Site of training	Medical college/District hospital/FRU CHC
Duration of Training	03 working days for doctors
Number of trainees	4 Doctors
Trainers	2 trainers

S.N	Budget Head	Rate	No. of participants	Days	Total (Rs.)
1	TA – Mos	2000	4	1	8000
2	Honorarium per diem to trainer - Doctor	1000	2	3	6000
3	Honorarium per diem to participants - MOs	500	4	3	6000
4	Accommodation to participants - Mos	1500	4	3	18000
5	Refreshment to Doctors trainees	250	4	3	3000
6	Refreshment to trainers	250	2	3	1500
7	Stationary including certificate	150	4	1	600
8	Training Manual	350	4	1	1400
	Sub total				44500
9	Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA				3650
	Total				48150

6.5 लैप/मिनि लैप मास्टर ट्रेनर (ToT) प्रशिक्षण–(FMR -42.5) वर्ष 2024–25 में 3 दिवसीय लैप मास्टर ट्रेनर (ToT) प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक बैच में 04 चिकित्साधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। वर्ष 2024–25 में कुल 18 बैच किया जाना प्रस्तावित है। जनपदवार बैचों की संख्या संलग्नक के माध्यम से दी गयी है। उक्त प्रशिक्षण हेतु **प्रति बैचवार धनराशि रू0 48,150/–**प्राविधानित है, जो निम्न तालिकानुसार हैः–

Laparoscopic/Mini LAP Master Trainer Training (ToT)					
Site of training		Medical Colleges			
Duration of Training		03 working days for doctors			
Number of trainees		4 Doctors			
Trainers		2 trainers			
S.N	Budget Head	Rate	No. of participants	Days	Total (Rs.)
1	TA – Mos	2000	4	1	8000
2	Honorarium per diem to trainer - Doctor	1000	2	3	6000
3	Honorarium per diem to participants - MOs	500	4	3	6000
4	Accommodation to participants - Mos	1500	4	3	18000
5	Refreshment to Doctors trainees	250	4	3	3000
6	Refreshment to trainers	250	2	3	1500
7	Stationary including certificate	150	4	1	600
8	Training Manual	350	4	1	1400
	Sub total				44500
9	Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA				3650
	Total				48150

6.6 पुरुष नसबंदी (NSV) इन्डक्शन प्रशिक्षण–(FMR-43.7)- वर्ष 2024–25 में 05 दिवसीय **पुरुष नसबंदी (NSV) इन्डक्शन प्रशिक्षण** का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक बैच में 04 चिकित्सा अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। वर्ष 2024–25 में कुल 06 बैच किया जाना प्रस्तावित है। जनपदवार बैचों की संख्या संलग्नक के माध्यम से दी गयी है। उक्त प्रशिक्षण हेतु **प्रति बैचवार धनराशि रू0 73450/–** प्राविधानित है, जो निम्न तालिकानुसार हैः–

NSV Induction Training -FY 2024-25					
Site of training		As per the table attached in the annexure			
Duration of Training		05 working days			
Number of trainees		4 Doctors			
Trainers		2 Doctor trainers			
S.N	**Budget Head**	**Rate**	**No. of Participants**	**Days**	**Total (Rs.)**
1	TA – Mos	2000	4	1	8000
2	Honorarium per diem to trainer – Doctor	1000	2	5	10000

3	Honorarium per diem to participants - MOs	500	4	5	10000
4	Accommodation to participants – Mos	1500	4	5	30000
5	Refreshment to Doctors trainees	250	4	5	5000
6	Refreshment to trainers	250	2	5	2500
7	Stationary including certificate	150	4	1	600
8	Training Manual	350	4	1	1400
	Sub total				**67500**
9	Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA				**5950**
Total for 01 Batch					**73450**

6.7 पुरुष नसबंदी (NSV) रिफ्रेशर प्रशिक्षण–(FMR-43.8)- वर्ष 2024–25 में 03 दिवसीय पुरुष नसबंदी (NSV) रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक बैच में 04 चिकित्सा अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। वर्ष 2024–25 में कुल 04 बैच आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जनपदवार बैचों की संख्या संलग्नक के माध्यम से दी गयी है। उक्त प्रशिक्षण हेतु **प्रति बैचवार धनराशि रू0 48,150/–** प्राविधानित है, जो निम्न तालिकानुसार हैः–

NSV Refresher Training -FY 2024-25					
Site of training		As per the table attached in the annexure			
Duration of Training		03 working days			
Number of trainees		4 Doctors			
Trainers		2 Doctor trainers			
S.N	**Budget Head**	**Rate**	**No. of Participants**	**Days**	**Total (Rs.)**
1	TA – Mos	2000	4	1	8000
2	Honorarium per diem to trainer – Doctor	1000	2	3	6000
3	Honorarium per diem to participants - MOs	500	4	3	6000
4	Accommodation to participants – Mos	1500	4	3	18000
5	Refreshment to Doctors trainees	250	4	3	3000
6	Refreshment to trainers	250	2	3	1500
7	Stationary including certificate	150	4	1	600
8	Training Manual	350	4	1	1400
	Subtotal				**44500**
	Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA				**3650**
Total for 01 Batch					**48150**

6.8 कम्प्रहेन्सिव प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी-पी0पी0आई0यू0सी0डी0 प्रशिक्षण (CHOs/SNs/ANMs हेतु)(FMR- 44.3)- वर्ष 2024–25 में 05 दिवसीय कम्प्रहेन्सिव प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. पी0पी0आई0यू0सी0डी0 प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक बैच में 10 CHOs/SNs/ANMs को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। वर्ष 2024–25 में कुल 50 बैच किया जाना प्रस्तावित है। जनपदवार बैचों की संख्या संलग्नक के माध्यम से दिया गया है।

उक्त प्रशिक्षण हेतु **प्रति बैचवार धनराशि रू0 121650/–** प्राविधानित है जो निम्न तालिकानुसार है:–

Comprehensive IUCD - PPIUCD for CHOs/SNs/ANMs					
	Site of training		Divisions HQ DWH		
	Duration of Training		5 days		
	Number of trainees		10 CHOs/SNs/ANMs		
	Number of trainers		2 Trainers		
S.N	**Budget Head**	**Rate**	**No. of Participants**	**Days**	**Total (Rs.)**
1	TA - CHOs/SNs/ANMs	1000	10	1	10000

3	Honorarium per diem to trainer -Doctors	1000	2	5	10000
4	Honorarium per diem to participants - CHOs/SNs/ANMs	300	10	5	15000
6	Accommodation to participants - CHOs/SNs/ANMs	1000	10	5	50000
8	Refreshment to CHOs/SNs/ANMs	250	10	5	12500
9	Refreshment to trainers	250	2	5	2500
10	Stationary including certificate	150	10	1	1500
11	Training Manual, training aids & Kelly forceps	1000	10	1	10000
	Sub total				**111500**
Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA					**10150**
Total for 01 Batch					**121650**

नोट– विभिन्न क्लीनिकल परिवार नियोजन सम्बन्धित प्रशिक्षण (उक्त तालिका के अनुसार) हेतु बजट सम्बन्धित प्रशिक्षण स्थल यथा– मेडिकल कालेज एवं जिला महिला चिकित्सालय के प्रभारी को सम्बन्धित जनपद के जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से प्राविधानित धनराशि एक मुश्त आवंटित की जाएगी।

6.9 गर्भनिरोधक इन्जेक्शन अन्तरा पर SNs/ANMs का दो दिवसीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण–(FMR–45.2)- प्रदेश के 75 जनपदों के समस्त चिकित्सा इकाईयों पर पदस्थ SNs/ANMs को 02 दिवसीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भनिरोधक अंतरा छाया माला–एन, ईसीपी (OCP मैनुअल) के माध्यम से किया जाएगा। वर्ष 2024–25 में कुल 50 बैच आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जनपदवार बैचों की संख्या संलग्नक के माध्यम से दी गयी है। उक्त प्रशिक्षण हेतु जनपदों को प्रति बैचवार धनराशि **रू0 107000/–** निम्नानुसार प्राविधानित की जा रही है:–

Antara+ COCs Training for SNs/ANMs					
	Site of training		As per the table attached in the annexure		
	Duration of Training		2 days		
	Number of trainees		20 SNs/ANMs		
	Number of trainers		2 Trainers		
S.N	**Budget Head**	**Rate**	**No. of Participants**	**Days**	**Total (Rs.)**
1	TA - SNs/ANMs	1500	20	1	30000
2	Honorarium per diem to trainer – Doctor	1000	2	2	4000
3	Honorarium per diem to participants - SNs/ANMs	300	20	2	12000
4	Accommodation to participants - SNs/ANMs	1000	20	2	40000
5	Refreshment to SNs/ANMs	250	20	2	10000
6	Refreshment to trainers	250	2	2	1000
7	Stationary including certificate	150	20	1	3000
	Sub total				**100000**
8	Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA				**7000**
Total for 01 Batch					**107000**

6.10 Integrated counselling training on GOI manual (6 days) (FMR -50.6)- विदित है कि परिवार नियोजन एक व्यापक RMNCAH+N रणनीति की आधारशिला है। सतत विकास लक्ष्य SDG–3 जो परिवार नियोजन सहित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सर्वभौमिक पहुंच पर जोर देता है, को 2030 तक साकार करने के लिए परिवार नियोजन सेवाये अनिवार्य है। गुणवत्ता परक परिवार नियोजन सेवाओं व जानकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करके, हम बेहतर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। वर्तमान में कुछ ही स्वास्थ्य केन्द्रों

पर RMNCHA+N और AFHC परामर्शदाता उपलब्ध हैं जो महिलाओं/दम्पतियों तथा युवाओं को गर्भनिरोधक परामर्श प्रदान करते हैं। इसके अलावा राज्य में पर्याप्त संख्या में आईसीटीसी काउंसलर भी हैं, जिनका RMNCHA+N से सम्बन्धित पहलुओं पर क्षमता वर्धन किया जा सकता है ताकि वे भी महिलाओं/दम्पतियों को परिवार नियोजन संबन्धित आवश्यक जानकारी और परामर्श प्रदान कर सकें। वर्तमान में राज्य भर में विभिन्न स्तर के स्वास्थ्य केंद्रो पर उपरोक्त तीनों श्रेणी में कुल 1369 (252–RMNCHA, 186-Lactation counsellor, 435–AFHC, 496–ICTC) परामर्शदाता के पद स्वीकृत हैं। गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि सभी श्रेणी के परामर्शदाताओं का क्षमता वर्धन किया जाए, जिससे उनके द्वारा समुदाय मे महिलाओं/दम्पत्तियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप गर्भ निरोधक साधनों पर जानकारी दे कर उन्हे उनके पसंद के साधन को चुनने मे समर्थ बनाया जा सके एवं साथ ही लाभार्थी द्वारा चुने गए गर्भ निरोधक साधनो के उपयोग की निरंतरता में भी सुधार लाया जा सकेगा। यह प्रशिक्षण राज्य स्तर द्वारा संपादित किया जाएगा।

नोट— परिवार नियोजन से सम्बन्धित समस्त प्रशिक्षण में यू0पी0टी0एस0यू0 के द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

07—परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठकों का विवरण —

7.1 समस्त जनपदों के ग्रामीण ए.एन.एम. का त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठक (FMR-50.4)— प्रदेश के 75 जनपदों के प्रत्येक ब्लॉक पर ए0एन0एम0 के क्षमता वर्धन हेतु त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठक आयोजित की जानी है, जिसमें नवीन गर्भनिरोधक साधनो एवं एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 के सन्दर्भ में अभिमुखीकरण तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा भी की जायेगी। उक्त बैठकों का उद्देश्य ए.एन.एम. कार्यकत्रियों द्वारा समुदाय को विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध मे जागरूक किये जाने, समुदाय में गर्भनिरोधक साधनो की ग्राह्यता बढ़ाने, समुदाय की जिज्ञासा को उत्तरित किये जाने, कार्यकत्रियों का क्षमतावर्द्धन, किए गये कार्यों का मूल्यांकन एवं उनकी कमियों को दूर करना है। साथ ही कार्यक्षेत्र के लक्ष्य दम्पत्तियों को परिवार नियोजन सेवायें प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए जाने हेतु एवं काउन्सलिंग की आधारभूत जानकारियॉ प्रदान करके क्षमता वर्धन भी किया जाएगा, ताकि समुदाय स्तर पर लक्ष्य दम्पत्तियों को परिवार नियोजन साधनों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्रदान की जा सके। आशाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रोत्साहन राशियों के बारे में जागरूक किया जाना भी इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है। इन बैठकों में बी.सी.पी.एम. द्वारा नसबंदी, अंतरा एवं पी.पी.आई.यू.सी.डी. साधनों में शून्य प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाली आशाओं के नाम सभी ए.एन.एम. को नोट कराने है जिससे सम्बन्धित आशा से चर्चा कर उन्हें प्रोत्साहन राशि लेने के लिए प्रेरित किया जा सकें। इन बैठकों में नसबंदी, अंतरा एवं पी.पी.आई.यू.सी.डी. में सर्वाधिक आशा भुगतान प्राप्त करने वाली ए.एन.एम.को सम्मानित भी करना है, जिससे एक स्वस्थ्य प्रतियोगिता की शुरुआत हो सके। बैठक हेतु प्रति ब्लॉक प्रति त्रैमास अधिकतम रू0 1000.00 की दर से धनराशि का प्राविधान किया जा रहा है, जो निम्न तालिकानुसार व्यय किया जाना हैः—

क्र0	मद	कुल अधिकतम व्यय (रू0 में)
1	उपस्थित प्रतिभागियों हेतु बैठक व्यवस्था, स्टेशनरी एवं जलपान आदि	रू0 1,000.00

7.2 समस्त जनपदों के शहरी ए0एन0एम0 व आशा का त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठक (FMR-50.5)— प्रदेश के 75 जनपदों के शहरी ए.एन.एम. व आशा के क्षमता वर्धन हेतु त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठकें आयोजित की जानी है, जिसमें नवीन गर्भनिरोधक साधनो एवं एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 के सन्दर्भ में अभिमुखीकरण तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों का समीक्षा भी किया जायेगा। सभी शहरी प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के शहरी आशा एवं

ए0एन0एम0 द्वारा समुदाय को विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध मे जागरूक किये जाने, समुदाय में गर्भनिरोधक साधनो की ग्राह्यता बढाने, समुदाय की जिज्ञासा को उत्तरित किये जाने, कार्यकत्रियों का क्षमतावर्द्धन करना, किए गये कार्यों का मूल्यांकन एवं उनकी कमियों को दूर करना है। साथ ही कार्यक्षेत्र के लक्ष्य दम्पतियों को परिवार नियोजन सेवायें प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए जाने हेतु एवं काउन्सलिंग की आधारभूत जानकारियॉ प्रदान करके क्षमतावर्धन भी किया जाएगा, ताकि समुदाय स्तर पर लक्ष्य दम्पतियों को परिवार नियोजन साधनों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्रदान की जा सके। आशााओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रोत्साहन राशियों के बारे में जागरूक किया जाना भी इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है। इन बैठकों में सी.सी.पी.एम. द्वारा नसबंदी, अंतरा एवं पी.पी.आई.यू.सी.डी. साधनों में शून्य प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाली आशाओं के नाम सभी ए.एन.एम. को नोट कराने है, जिससे संबन्धित आशा से चर्चा कर उन्हें प्रोत्साहन राशि लेने के लिए प्रेरित किया जा सकें। इन बैठकों में नसबंदी, अंतरा एवं पी.पी.आई. यू.सी.डी. में सर्वाधिक आशा भुगतान प्राप्त करने वाली ए.एन.एम.को सम्मानित भी करना है जिससे एक स्वस्थ्य प्रतियोगिता की शुरुआत हो सके। बैठक हेतु प्रति नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र प्रति त्रैमास **अधिकतम रू0 250.00 की दर** से प्रति बैठक धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। इस गतिविधि के ससमय सम्पादन की जिम्मेदारी अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर की होगी। उक्त बैठक के आयोजन हेतु प्राविधानित धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए:–

क्र0	मद	कुल अधिकतम व्यय
1	उपस्थित प्रतिभागियों हेतु बैठक व्यवस्था, स्टेशनरी एवं जलपान आदि	रु0 250.00

7.3 मण्डल स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक (FMR- 50.26) वर्ष 2024–25 में मण्डल स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा हेतु 04 समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाएगा। जिसमें मण्डल के समस्त जनपदों के परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपकेन्द्र स्तर तक के समस्त शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य इकाईयों की भौतिक प्रगति, सेवाप्रदाताओं के भौतिक उपलब्धि ऑकलन, एफ0पी0–एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के क्रियान्वयन की स्थिति, मिशन परिवार विकास गतिविधि की भौतिक प्रगति, विभिन्न मुद्रित कराये जाने वाले सामग्रियों के क्रय की स्थिति, आशा एवं लाभार्थियों के भुगतान, गर्भनिरोधक सामग्रियों की उपलब्धता एवं वित्तीय प्रगति आदि विषयों पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा। मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक का यह दायित्व होगा कि वह त्रैमासिक आधार पर मण्डलीय अपर निदेशक के अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित करेंगें। इस बैठक में मण्डल के समस्त जनपदों के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल आफिसर (परिवार कल्याण), मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, क्षेत्रीय एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, जिला लेखा प्रबन्धक, मण्डलीय एवं जनपदीय एफ0पी0–एल0एम0आई0एस0 मैनेजर्स, मण्डलीय एवं जनपदीय एन0यू0एच0एम0 कोआर्डिनेटर महिला चिकित्सालय के हॉस्पिटल मैनेजर एवं जिला फैमिली प्लानिंग स्पेशलिस्ट (टी0एस0यू0) आदि प्रतिभाग करेंगे। सम्बन्धित मण्डल के जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मण्डलीय मुख्यालय को एकमुश्त धनराशि अवमुक्त की जाएगी। उक्त बैठक के आयोजन हेतु प्रति तिमाही प्रति मण्डल धनराशि रू0 5,000.00 की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है।

क्र0	मद	कुल अधिकतम व्यय (रू0 में)
1	उपस्थित प्रतिभागियों हेतु जलपान आदि	रु0 3,500.00
2	बैठक, व्यवस्था, बैनर, स्टेशनरी	रु0 1,000.00
3	अन्य	रु0 500.00

7.4 क्षेत्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक (FMR-50.29)- परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा हेतु प्रदेश में वर्ष 2024–25 में क्षेत्रीय स्तर पर – झांसी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, एवं वाराणसी में कुल 06 क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों का आयोजन किया

जाएगा। मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक का यह दायित्व होगा कि वो जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के समन्वयन से उक्त समीक्षा बैठक आयोजित करेंगें। इस बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल आफिसर (परिवार कल्याण), मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, क्षेत्रीय एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, जिला लेखा प्रबन्धक, मण्डलीय एवं जनपदीय एफ0पी0–एल0एम0आई0एस0 मैनेजर्स, मण्डलीय एवं जनपदीय एन0यू0एच0एम0 कोआर्डिनेटर महिला चिकित्सालय के हॉस्पिटल मैनेजर एवं जिला फैमिली प्लानिंग स्पेशलिस्ट (टी0एस0यू0) प्रतिभाग करेंगे। उक्त बैठक में राज्य स्तरीय अधिकारियों के द्वारा इकाईवार, विधिवार सेवाप्रदातावार उपलब्धि की समीक्षा के साथ संसाधनों की उपलब्धता एवं वित्तीय प्रगति आदि की समीक्षा की जायेगी। क्षेत्रीय स्तर पर बैठक के आयोजन हेतु सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय मुख्यालय के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में रू0 1,25,000.00 प्रति समीक्षा बैठक की दर से धनराशि का प्रावधान किया गया है।

नोट– बैठक के निर्धारण की तिथि की सूचना राज्य स्तर से पृथक से दी जायेगी।

मण्डल स्तर पर आयोजित की जाने वाली समीक्षा बैठकों की प्रस्तावित समय सारणी

समीक्षा बैठक का नाम	
परामर्शदाताओं (RMNCHA+ARSH+ICTC) का मण्डल स्तरीय त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठक हेतु वर्ष 2024–25 में निर्धारित माह	मण्डल स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक हेतु वर्ष 2024–25 में निर्धारित माह
मई, अगस्त, नवम्बर एवं फरवरी	**जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च**

08–परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत दिये जाने वाले मानदेय/मैनेजमेंट कॉस्ट का विवरण –

8.1 **परिवार नियोजन परामर्शदात्रियों हेतु मानदेय (FMR-HSS.9.185.C.S0522)**–कार्यरत परिवार नियोजन परामर्शदात्रियों हेतु 12 माह (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) हेतु ई0पी0एफ0, मानदेय एवं वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव संसाधन नीति, एन0एच0एम0, उ0प्र0 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार ही वेतन वृद्धि प्रदान की जाए।

8.2 **मण्डल स्तर पर तैनात संविदा मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर का मानदेय (FMR- 185.C.S1109)**– मण्डल स्तर पर कार्यरत संविदा मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर हेतु 12 माह (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) हेतु मानेदय एवं वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। इस हेतु सम्बन्धित मण्डलीय जनपद के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में बजट का प्राविधान किया गया है। सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0 के खाते में बजट अवमुक्त किये जाने के उपरान्त मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई मे कार्यरत अन्य एन0एच0एम0 के संविदा कर्मियों की भॉति भुगतान किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव संसाधन नीति, एन0एच0एम0, उ0प्र0 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार ही वेतन वृद्धि प्रदान की जाए।

8.3 **मण्डल स्तर पर तैनात संविदा मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर हेतु मैनेजमेंट कॉस्ट– (FMR-48.6)**–_मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर द्वारा अनुश्रवण, सर्पोटिव सुपरविजन, हैंण्ड होल्डिंग, प्रशिक्षण तथा राज्य मुख्यालय पर बैठकों आदि में प्रतिभाग करने हेतु पी0ओ0एल0, यात्रा भत्ता, टी0ए0/डी0ए0 एवं बोर्डिग लॉजिंग का भुगतान एवं अन्य विविध व्यय का भुगतान मैनेजमेण्ट कास्ट से किया जायेगा, जिसमें धनराशि रू0 12500/– प्रति माह की दर से एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या–एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ. पी–रिक्रू0/142/2022–23/6828–2, दिनांक 19.12.2022 मे प्रेषित विस्तृत दिशा निर्देश के अनुसार धनराशि का उपयोग किया जाना है।

8.4 **जनपद स्तर पर तैनात संविदा जिला एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर हेतु मानदेय मद का व्यय– (FMR- 185.C.S1110)** जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा जिला एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर हेतु 12 माह (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) हेतु मानेदय एवं वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव संसाधन नीति, एन0एच0एम0, उ0प्र0 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार ही वेतन वृद्धि प्रदान की जाए।

8.5 **जनपद स्तर पर तैनात संविदा जिला एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर हेतु मैनेजमेंट कॉस्ट– (FMR-48.7)–** जनपदीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर द्वारा अपने जनपद के विकास खण्डों में अनुश्रवण, सर्पोटिव सुपरविजन, हैंण्ड होल्डिग, प्रशिक्षण तथा राज्य मुख्यालय पर बैठकों आदि में प्रतिभाग करने हेतु पी0ओ0एल0, यात्रा भत्ता, टी0ए0/डी0ए0 एवं बोर्डिग लॉजिंग का भुगतान एवं अन्य विविध व्यय का भुगतान मैनेजमेण्ट कास्ट से किया जायेगा। जिसमें धनराशि **रू0 10416/–** प्रति माह की दर से एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या–एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.पी–रिकू0/142/2022–23/6828–2, दिनांक 19.12.2022 मे प्रेषित विस्तृत दिशा निर्देश के अनुसार धनराशि का उपयोग किया जाना है।

8.6 **<u>लेप्रोस्कोप मरम्मत हेतु बजट प्राविधान–(FMR-184.1)</u>** – वर्ष 2024–25 में लेप्रोस्कोप के मरम्मत हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। उक्त धनराशि के माध्यम से जनपदों में प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत योग्य लेप्रोस्कोप को वास्तविक व्यय के आधार पर नियमानुसार धनराशि उपयोगित किया जाना है। इस मद में धनराशि का प्रावधान सम्बन्धित जनपदों को Lum Sum किया गया है। परन्तु प्रति लेप्रोस्कोप के मरम्मत हेतु अधिकतम धनराशि रू0 50,000.00 से अधिक नही होना चाहिए।

<u>**नोट–** जिन जनपदों में लेप्रोस्कोपिक विधा से नसबन्दी का प्रचलन है, उन्हीं जनपदों हेतु धनराशि का प्रावधान किया गया है।</u>

09– परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित किए जाने वाले विशेष पखवाड़े एवं सम्मान समारोह का विवरण–

9.1 विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा आयोजन से सम्बंधित गतिविधियॉ –

(FMR-49.1)–विश्व जनसंख्या दिवस पर विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु **प्रति जनपद रू0 80,000.00** एवं **प्रति ब्लाक रू0 9,000.00।**

(FMR-49.3)–जनपद स्तर पर आयोजित गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिए प्रति जनपद रू0 20,000.00।

(FMR-49.5)–ब्लाक स्तर पर आयोजित गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिए प्रति ब्लाक रू0 1,000.00।

9.2 पुरुष नसबन्दी दिवस पखवाड़ा आयोजन से सम्बंधित गतिविधियॉ–

(FMR-49.2)–पुरुष नसबन्दी दिवस पखवाड़ा के विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रति जनपद रू0 20,000.00 एवं प्रति ब्लाक रू0 9,000.00।

(FMR-RCH.49.4)– पुरुष नसबन्दी दिवस पखवाड़ा के दौरान जनपद स्तर पर आयोजित गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिए प्रति जनपद रू0 5,000.00।

(FMR-49.6)– पुरुष नसबन्दी दिवस पखवाड़ा के दौरान ब्लाक स्तर पर आयोजित गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिए प्रति ब्लाक रू0 1,000.00।

9.3 मण्डल स्तरीय परफारमेन्स रिवार्ड (सम्मान समारोह)– **(FMR-186.2)**–वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान परिवार नियोजन की विभिन्न विधाओं में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले सेवाप्रदाता तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 के विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा के दौरान परिवार नियोजन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक, स्टॉफ नर्स) तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं (एल0एच0वी0, ए0एन0एम0 सी0एच0ओ. परिवार नियोजन परामर्शदाता एवं आशा) को सम्मानित किये जाने हेतु सम्मान समारोह का आयोजन मण्डल स्तर पर किया जाना है। इस हेतु प्रति मण्डल रू0 1.00 लाख की दर से मण्डलीय जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में धनराशि का प्राविधान किया गया है। उपलब्ध कराये गये बजट में से वेन्यू खर्च, बैनर,

लंच एवं स्वल्पाहार, सम्मानित किये जाने वाले प्रतिभागियो को प्रदान किये जाने वाले प्रतीक चिन्हों, प्रशस्ति पत्र, फोटोग्राफी तथा अन्य विविध व्यय आदि मे किया जा सकेगा। पुरस्कार के लिए नाम चयनित करते समय किसी मान्य एवं प्रामाणिक स्रोत (जैसे–एच0एम0आइ0एस0, ई–कवच, बी0सी0पीएम0 एम0आइ0एस0, मंत्रा ऐप आदि) का संज्ञान अवश्य ही लिया जाए। मण्डल स्तरीय सम्मान समारोह को समय से कराने की जिम्मेदारी मंडलीय कार्यक्रम प्रबन्धक एवं मंडलीय लॉजीस्टिक प्रबन्धक की होगी। सम्मान समारोह का आयोजन विश्व जनसंख्या पखवाड़ा के समापन के उपरांत (15 कार्य दिवस के अंदर) किया जाए। सम्मान समारोह को समय से आयोजित करने से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा और इसके परिणाम स्वरूप वर्ष के बचे हुए दिनों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

9.4 जनपद स्तरीय परफार्मेन्स रिवार्ड (सम्मान समारोह) (FMR- 186.3)– वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान परिवार नियोजन की विभिन्न विधाओं में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले सेवाप्रदाता तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 के विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा के दौरान परिवार नियोजन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक, स्टॉफ नर्स) तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं (एल0एच0वी0, ए0एन0एम0 सी0एच0ओ. परिवार नियोजन परामर्शदाता एवं आशा) को सम्मानित किये जाने हेतु सम्मान समारोह का आयोजन जनपद स्तर पर किया जाना है। इस हेतु प्रति जनपद रू0 30,000.00 की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। उपलब्ध कराये गये बजट में से वेन्यू खर्च, बैनर, लंच एवं स्वल्पाहार, सम्मानित किये जाने वाले प्रतिभागियो को प्रदान किये जाने वाले प्रतीक चिन्हों, प्रशस्ति पत्र, फोटोग्राफी तथा अन्य विविध व्यय आदि मे किया जा सकेगा। पुरस्कार के लिए नाम चयनित करते समय किसी मान्य एवं प्रामाणिक स्रोत (जैसे–एच0एम0आइ0एस0, ई–कवच, बी0सी0पीएम0 एम0आइ0एस0, मंत्रा ऐप आदि) का संज्ञान अवश्य ही लिया जाए। जनपद स्तरीय सम्मान समारोह को समय से कराने की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं एवं जिला लॉजिस्टिक प्रबन्धक की होगी। सम्मान समारोह का आयोजन विश्व जनसंख्या पखवाड़ा के समापन के उपरांत (15 कार्य दिवस के अंदर) किया जाए। सम्मान समारोह को समय से आयोजित करने से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा और इसके परिणाम स्वरूप वर्ष के बचे हुए दिनों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

10– परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाली आई.ई.सी., प्रपत्र एवं रजिस्टर के मुद्रण का विवरण –

10.1 परिवार नियोजन प्रपत्र/रजिस्टर आदि का मुद्रण (FMR–50.9)- परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयोग में आने वाले विभिन्न मैनुअल/प्रपत्र/रजिस्टर आदि के मुद्रण हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रेषित बजट फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार निम्नानुसार व्यय की जानी है:–

SN	Particulars	Pages				
		MC	DH/DWH/DCH	CHC/UCHC/BPHC	UPHC/PHC	HSC
1	Sterilization Register for MC,DH,CHC	120	120	120	0	0
2	PPIUCD/IUCD/PAIUCD Registration cum Follow up Registers for (all MC,DH, CHC, UCHC)	120	120	100	60	60
3	DIMPA/Antara Injectable Registration cum Follow up Registers for (all MC,DH, CHC,UCHC)	100	100	100	60	40
4	OCP Register for registration of Mala N, Chhaya, CC, ECP clients (all MC, DH, CHC, UCHC)	100	100	100	70	0
5	Integrated register for reporting of all method/Integrated FP register (all SC)	0	0	0	0	120
6	Counsellor Register (3/counsellors (120 pages), 1/AFHC (120 pages)counsellor)	120	120	120	0	0
7	Booklet for different forms of sterilization cases (Sterilization case sheet) -Public Sector and Private Sector in facilities providing FDS& FDOS services, distribution as per last year performance	As per specimen copy provided.				
8	PPIUCD/PAIUCD/IUCD Follow up card	As per specimen copy provided.				
9	Pre-registration slip for ASHAs	As per specimen copy provided.				
10	Injectable Registration cum Follow- up Cards	As per specimen copy provided.				

शासकीय एवं वित्तीय क्रय नियमों का पालन करते हुए उक्त सामग्रियों का मुद्रण धनराशि प्राप्त होते ही निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए कराया जाए। यह अवश्य ही सुनिश्चित करना है कि किसी भी दशा में निर्धारित रजिस्टर एवं प्रपत्र स्वास्थ्य इकाइयों में उपलब्ध रहे और उनका समुचित प्रयोग एवं अंकन किया जा रहा हो।

10.2 **पी.एन.सी. वार्ड में परिवार नियोजन कार्नर (हैंगिंग वाल माउन्ट) की स्थापना (FMR–50.20) –** संस्थागत प्रसव सेवाएँ, परिवार नियोजन (एफ.पी.) की जानकारी और सेवाओं तक पहुँचने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती हैं। इसी संदर्भ में पीएनसी वार्ड में एक परिवार नियोजन कॉर्नर (हैंगिंग वाल माउन्ट) विकसित करना प्रस्तावित है, जो परिवार नियोजन संबन्धित पोस्टर, परामर्श कार्ड, ''बास्केट ऑफ च्वॉइस'' तथा एम.ई.सी. व्हील (चिकित्सा पात्रता मानदंड) सामग्री से सुसज्जित होगा। इसके उपयोग द्वारा सेवा प्रदाता प्रसवोत्तर माताओं व उनके परिवारजनों को गर्भनिरोधक साधनो के उपयोग तथा प्रसव पश्चात प्रजनन क्षमता की वापसी पर जानकारी दे पाएंगे। साथ ही पीएनसी वार्ड मे भर्ती महिलाएं व उनके परिवारजन इसके माध्यम से स्वयं भी जागरूक हो पाएंगे। यह परिवार नियोजन के संदर्भ मे वन–स्टॉप प्वाइंट के रूप में कार्य करेगा।

भारत सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध सभी परिवार नियोजन साधनों एवं संबंधित विभिन्न सूचना सामग्रियों को प्रसव पश्चात महिलाओं तथा योग्य लाभार्थियों की जानकारी हेतु पीएनसी वार्ड में उपयुक्त स्थान/दीवार पर लगाना प्रस्तावित है, जिसके लिए एक एफ.पी. कॉर्नर (हैंगिंग वाल माउन्ट) पीएनसी वार्ड में लगाने का प्रावधान है, जिसमे रैक भी होगा ताकि उसमे परिवार नियोजन सामग्रियों को जानकारी एवं वितरण हेतु रखना सुनिश्चित किया जा सके।

इस गतिविधि से सम्बन्धित तकनीकी सहयोग – "उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई (UP TSU)" द्वारा प्रदान किया जाएगा।

प्रति एफ.पी. कॉर्नर **(हैंगिंग वाल माउन्ट)** स्थापित किए जाने हेतु धनराशि रु0 3500/– प्रावधानित है जिसका स्पेसिफिकेशन निम्न तालिका अनुसार है –

Description	**Unit Cost (Rs.)**
Wall hanging racks collapsible family planning corner Specification of wall hanging rack 1200 gsm Microns Zorbo Board 24-inch x 48 inch 12-inch flat platform on the top shelf UV Printing throughout the rack Semi-blade cuts throughout the rack to facilitate collapse Digital Die Cutting with 80 gg German Cutters 3 shelves with pockets Branding throughout the rack Depth 10 inches Collapsible side walls for branding	3,500.00

10.3 मिशन परिवार विकास अभियान में प्रयोग होने वाले हैंडबिलों का मुद्रण (FMR–50.15) – परिवार नियोजन के महत्व एवं प्रचार प्रसार के लिए अभियान के दौरान परिवार नियोजन के मुख्य संदेशों का हैंडबिल के रूप में मुद्रण करा कर जन समुदाय में वितरित करवाना है। अभियान के दौरान चलाये जा रहे सभी सारथी वाहनों में प्रचुर मात्रा में हैंडबिल की उपलब्धता रहनी चाहिए एवं इसका वितरण भी होना चाहिए। इन हैंड बिलों में सीमित परिवार के महत्व, परिवार नियोजन साधनों के प्रयोग की जानकारी, परिवार नियोजन के साधन के मिलने के स्थान एवं सेवा प्रदाताओं की जानकारी आदि की सूचना प्रदर्शित होनी चाहिए। प्रति जनपद हैण्डबिल मुद्रण हेतु धनराशि रु0 5,000.00 प्रति त्रैमास प्राविधानित है।

वित्तीय दिशा निर्देश– वर्ष 2024–25 में कार्यक्रमों/गतिविधियों हेतु डैप में आवंटित धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाना है, डैप के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जाये साथ ही व्यय विवरण **(Financial Accounts Management System (FAMS)** पोर्टल पर अपडेट किया जाये।

भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों शासनादेशों अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये। समस्त भुगतान **Financial Accounts Management System (FAMS)** पोर्टल का प्रयोग करते हुये पब्लिक फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट सिस्टम **(PFMS)** पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार किये जायेंगे, जिससे कि व्यय धनराशि एवं उपलब्ध बजट की धनराशि का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जा सके।

1.1 बी. परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीन गतिविधियॉ

- **आशा एवं सीएचओ के परिवार नियोजन विषयक क्षमतावर्धन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण (FMR - 50.8) –**

  वर्ष 2024–25 में समस्त 75 जनपदों में आशा एवं सीएचओ के परिवार नियोजन विषयक ज्ञान वर्धन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना है, जिस हेतु बजट का प्रावधान किया गया है। इस गतिविधि हेतु जनपदों द्वारा 4 मास्टर ट्रेनर का चयन कर राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु नामांकन दिया जाएगा। राज्य से प्रशिक्षण उपरांत मास्टर ट्रेनर द्वारा अपने अपने जनपदों में जनपद के ब्लॉक के कर्मियों का जनपद स्तरीय प्रशिक्षण का कार्य किया जाएगा। कुल 75 जनपदों में एक–एक बैच आवंटित किया जा रहा है जिसमें प्रति बैच लगभग 32 प्रतिभागीयों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। जनपद स्तर पर प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षण में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा अपने–अपने ब्लॉक में Cluster Meetings के दौरान ANM/CHO को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जनपद स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्रति बैच कुल धनराशि रु0 8700.00/– प्रावधानित है जिसका विवरण निम्न तालिका अनुसार है –

One Day Training of Block Officials at District Level for Further Training of ANM,CHO,ASHA in ongoing Block and Cluster Meetings on New Booklet for ASHA and CHO FP Introduced in year 2023					
Site of training		CMO Office			
Participants		HEO/ARO,BCPM,Nurse Mentors			
Duration of Training		01 Days			
Trainers		02 trainers			
S.N	**Budget Head**	**Unit Rate (In Rs.)**	**No. of participants**	**Days**	**Total (Rs.)**
1	Refreshment to Participants	250	32	1	8000.00
2	Refreshment to trainers	250	2	1	500.00
3	Contingency	200			200.00
	Total budget				8700.00

- **परामर्शदाताओं (RMNCHA+ARSH+ICTC) का मण्डल स्तरीय त्रैमासिक अभिमुखीकरण/ समीक्षा बैठक (FMR-50.27)**– परिवार नियोजन सेवाएँ प्रदान करने में परामर्शदाता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुचित परामर्श के माध्यम से परामर्शदाता लाभार्थी की शंकाओं का समाधान करने, लाभार्थी का फॉलोअप करने एवं परिवार नियोजन सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने में सक्षम होते हैं। परामर्शदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि समय–समय पर उनके द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा की जाये तथा उनकी विषयगत क्षमता को भी बढ़ाया जाये। इसी को ध्यान में रखते हुए मण्डल स्तर पर त्रैमासिक एक दिवसीय समीक्षा/क्षमतावर्धन का आयोजन मंडलीय अपर निदेशक के मार्गदर्शन में किया जाएगा। **इस हेतु प्रति मण्डल प्रति त्रैमास की धनराशि रु0 105500.00/– प्रावधानित है जिसका विवरण निम्न तालिका अनुसार है –**

Quarterly Divisional Level Review cum Orientation of RMNCHA Counsellors , AFHSC, ICTC, Lactational Counsellors					
Site of training		Division			
Duration of Training		01 Days			
Number of trainees		70 Counsellors in one batch (RMNCHA Counsellors , AFHSC, ICTC)			
Trainers		02 trainers			
S.N	**Budget Head**	**Unit Rate (In Rs.)**	**No. of participants**	**Days**	**Total (Rs.)**
1	TA - Counsellor	1000	70	1	70000.00
2	Refreshment to Counselor	250	70	1	17500.00
3	Refreshment to trainers	250	2	1	500.00
4	Stationery and contingency	250	70	1	17500.00
	Total budget				**105500.00**

- **परामर्शदाताओं (RMNCHA+ARSH+ICTC) का जनपद स्तरीय त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठक (FMR-50.28)**–_इसी प्रकार जनपद स्तर पर भी परामर्शदाताओं (RMNCHA+ARSH+ICTC) का त्रैमासिक एकदिवसीय समीक्षा/क्षमतावर्धन का आयोजन मुख्य चिकित्साधिकारी के मार्गदर्शन में किया जाएगा। **इस हेतु प्रति जनपद प्रति त्रैमास की धनराशि रु0 11,200.00/– प्रावधानित है जिसका विवरण निम्न तालिका अनुसार है –**

Quarterly District Level Review cum Orientation of RMNCHA,AFHSC ICTC Counsellors					
Site of training		CMO Office			
Duration of Training		01 Days			
Number of trainees		30 Counsellors in one batch (RMNCHA , AFHSC, ICTC Counsellors)			
Trainers		02 trainers			
S.N	**Budget Head**	**Unit Rate (In Rs.)**	**No. of participants**	**Days**	**Total (In Rs.)**
1	Refreshment to Counselor	250	32	1	8000.00
2	Stationery and contingency	100	32	1	3200.00
	Total budget				**11200.00**

- **<u>परिवार नियोजन कार्यक्रम पर ग्राम प्रधानो की ब्लॉक स्तरीय त्रैमासिक अभिमुखीकरण (FMR – 51.3)</u>** – ग्राम प्रधानों का परिवार नियोजन सेवाओं पर क्षमतावर्धन करते हुए उनके द्वारा अपने क्षेत्र के समुदाय में परिवार नियोजन सेवाओं की जानकारी, सेवाओं को अपनाने हेतु प्रोत्साहन तथा क्षेत्र में प्रदान की जा रही परिवार नियोजन सेवाओं की पहुँच, जागरूकता, समुदाय द्वारा भागीदारी एवं गुणवत्ता आदि का क्षेत्र में समुदाय को परिवार नियोजन सेवाओं का समुचित लाभ मिल सके जिसके लिए प्रधानों की सहभागिता से परिवार नियोजन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण कराने हेतु आच्छादित जनपद यथा– फतेहपुर, वाराणसी, मुरादाबाद एवं श्रावस्ती के चयनित ब्लॉक के प्रधानों को आर.एम.एन.सी.एच.ए. के अन्तर्गत परिवार नियोजन सेवाओं में प्रधानो का अभिमुखीकरण किया जाना है। इस कार्य में सी–3 संस्था द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। उक्त चार जनपदो के आच्छादित ब्लॉक निम्नवत हैं–

क.स.	जनपद का नाम	ब्लाक के नाम
1	**फतेहपुर**	ऐरायां, असोथर, बहुआ, भिटौरा, हसवा, तेलियानी, अमौली, देवमई, खजुहा, मलवां, धाता, हथगाम, विजयीपुर
2	**वाराणसी**	अराज़ीलाइन, बड़ागांव, चिरईगांव, चोलापुर, हरहुआ, काशी विद्यापीठ, सेवापुरी व पिण्डरा
3	**मुरादाबाद**	भगतपुर टांडा, दिलारी, बिलारी, छज़लैट, मुरादाबाद, मुण्डापाण्डे, कुन्दरकी व ठाकुरद्वारा
4	**श्रावस्ती**	इकौना, हरिहरपुर रानी, गिलौला, जमुनहा व सिरसिया

अभिमुखीकरण हेतु गतिविधियां–

- **राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.):** प्रधानों के अभिमुखीकरण हेतु सिफ्सा के सहयोग से जनपद स्तरीय चयनित स्वास्थ्य एवं पंचायती राज के जनपदीय अधिकारियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) में मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस गतिविधि में सी–3 संस्था सिफ्सा को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।
- टी.ओ.टी. में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स ब्लॉक स्तर पर प्रधानों का अभिमुखीकरण करते हुए परिवार नियोजन सेवाओं की ग्राहयता बढ़ाने हेतु एडवोकेसी करेंगे।
- प्रधानों का अभिमुखीकरण प्रत्येक त्रैमास में एक बार होगा साथ ही अभिमुखीकरण के साथ–साथ प्रधानों द्वारा परिवार नियोजन के क्षेत्र में किये गये कार्यों पर चर्चा तथा उनके अनुभव को साझा करना आदि गतिविधियां की जायेंगी। इस प्रकार एडवोकेसी मीटिंग प्रत्येक ब्लॉक में मिशन परिवार विकास त्रैमासिक अभियान में प्रत्येक पखवाड़े में आयोजित की जायेंगी। सी–3 संस्था द्वारा ब्लॉक स्तरीय एडवोकेसी मीटिंग में सिफ्सा से समन्वय करते हुए समुचित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- इस प्रकार प्रति त्रैमास 102 बैठक के अनुसार कुल 306 अभिमुखीकरण बैठक होनी है, **इस हेतु प्रति बैठक धनराशि रु0 15215.00/– प्रावधानित है जिसका विवरण निम्न तालिका अनुसार है–**

प्रधानों के अभिमुखीकरण हेतु प्रति बैठक बजट					
प्रशिक्षक की सं0		2			
प्रशिक्षण की अवधि		01 दिवसीय			
प्रतिभागियों की सं0		48			
S.N	Budget Head	Unit Rate (In Rs.)	No. of participants	Days	Total (Rs.)
1	भोजन प्रतिभागी हेतु	200	48	1	9600.00
2	भोजन प्रशिक्षक हेतु	200	2	1	400.00
3	स्टेशनरी	100	48	1	4800.00
4	कन्टिंजेसी / बैठक की दर से	415			415.00
	कुल योग (रू0) प्रति मीटिंग				15215.00

➢ **मिस्टर स्मार्ट सम्मेलन (FMR –51.4)** — पुरूषों में परिवार नियोजन की भागीदारी, जागरूकता तथा परिवार नियोजन साधनों को अपनाने एवं छोटे परिवार के महत्व आदि के लिए सब–सेन्टर स्तर पर मिस्टर स्मार्ट सम्मेलन तथा लोक विधा (मैजिक शो / कठपुतली शो) का आयोजन किया जाना है।

आच्छादित क्षेत्र:18 मंडल के मुख्यालय जिलों के समस्त 230 ब्लाक के 20 सब–सेन्टर प्रति ब्लॉक

कॉहोर्ट ग्रुप–

- नवविवाहित जोड़ा।
- ऐसे पुरुषों के परिवार जिनके 3 या अधिक बच्चे हैं।
- नवयुवक (आयु 18–21 वर्ष)

रणनीति एवं क्रियान्वयन–

- मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, सिफ्सा / एन0एच0एम0 द्वारा परियोजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु ब्लॉक स्तर पर मिस्टर स्मार्ट सम्मेलन के लिए ट्रेनर का पूल तैयार किया जायेगा। सिफ्सा द्वारा पूर्व में मिस्टर स्मार्ट सम्मेलन हेतु जनपद स्तरीय ट्रेनर का पूल तैयार किया जा चुका है। इन ट्रेनर्स द्वारा ब्लॉक स्तर से दो अधिकारी यथा पुरुष आयुष एम0ओ0, एच0ई0ओ0 / पुरुष स्टाफ नर्स, पुरुष काउंसलर और बी0सी0पी0एम0 का जिला स्तर पर अभिमुखीकरण किया जाएगा।
- एम0ओ0आई0सी0 एवं बी0सी0पी0एम0 द्वारा अपने ब्लॉक के 10 बेस्ट परफार्मिंग तथा 10 लो परफार्मिंग उपकेन्द्र का चिन्हिकरण किया जायेगा।
- प्रथम चरण में जनपद के चिन्हित 10 उपकेन्द्रों (5 बेस्ट परफार्मिंग तथा 5 लो परफार्मिंग उपकेन्द्र) पर मिस्टर स्मार्ट सम्मेलन माह जुलाई में आयोजित विश्व जनसंख्या दिवस (डब्ल्यू0पी0डी0) पर कराया जायेगा तथा इसी प्रकार द्वितीय चरण में जनपद के अन्य 10 उपकेन्द्रों (5 बेस्ट परफार्मिंग तथा 5 लो परफार्मिंग उपकेन्द्र) पर एन0एस0वी0 पखवाडे के दौरान आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार जनपद के कुल 20 उपकेन्द्रों को इस के अन्तर्गत आच्छादित किया जा सकेगा।
- सम्मेलन की अवधि लगभग 3 घंटे की रहेगी जिसमें ट्रेनर्स द्वारा पूर्व निर्धारित एजेन्डा एवं मानकीकृत टूल किट के अनुसार गतिविधि सम्पन्न की जायेगी।
- प्रति उपकेन्द्र तीन आशाओं द्वारा कॉहोर्ट ग्रुप (नवविवाहित जोड़े, ऐसे पुरुषों के परिवार जिनके 3 या अधिक बच्चे हैं और नवयुवक (18 से 21 वर्ष) का मोबलाइजेशन किया जायेगा, इस सम्मेलन की अध्यक्षता ग्राम प्रधान द्वारा की जाएगी।

मैजिक शो / कठपुतली शो :

- 230 ब्लॉक के चयनित 20 सब–सेन्टर के क्षेत्र में प्रति सब–सेन्टर मैजिक शो / कठपुतली शो का आयोजन समुदाय के बीच में सायंकाल किया जायेगा। यह गतिविधि डब्लू0पी0डी0 तथा एन0एस0वी0 पखवाड़े के दौरान कराई जानी है अतः प्रत्येक चिन्हित मुख्यालय जनपद के सभी ब्लॉक के 10 सब–सेन्टर प्रति पखवाड़ा मैजिक शो / कठपुतली शो किये जायेगें।
- जिला स्तर पर मैजिक शो / कठपुतली शो हेतु वेन्डर का चयन एवं अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से किया जायेगा। मैजिक शो / कठपुतली शो के वेन्डर का सूचना

एवं जनसम्पर्क विभाग से इम्पैनल होना जरूरी है। वेन्डर के चयन के उपरान्त जिला स्तर पर ब्लॉक वार एवं सब–सेन्टर वार मैजिक शो/कठपुतली शो कराने का शेड्यूल तैयार कर सम्बंधित अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी जिसे आशा के माध्यम से समुदाय में दो दिन पूर्व सूचित किया जायेगा साथ ही मैजिक शो/कठपुतली शो हेतु कोहार्ट ग्रुप के अनुसार ज्यादा से ज्यादा समुदाय के लोगों को एकत्रित किया जा सके।

- मैजिक शो/कठपुतली शो हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 1700/–प्रति सम्मेलन मय जी.एस.टी. सम्मिलित की गई है जिसमें वाद्य यंत्र, पोशाक एवं अन्य सम्मिलित हैं।

वर्ष 2024–25 में मिस्टर स्मार्ट सम्मेलन के सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों हेतु प्रावधानित बजट का विवरण निम्न तालिका अनुसार है –

मिस्टर स्मार्ट सम्मेलन			
क्र.सं.		**मद**	**दर (रू0 में)**
क	1	मिस्टर स्मार्ट सम्मेलन के आयोजन हेतु (सूक्ष्म जलपान आदि)	500.00
	2	प्रतिभागी हेतु गिफ्ट, बैनर एवं विविध व्यय	800.00
		कुल धनराशि	**1,300.00**
ख	1	आशा इन्सेन्टिव (प्रति सम्मेलन/प्रति आशा रू0 100/–एक सम्मेलन एक सब–सेन्टर पर अधिकतम 3 आशा हेतु इन्सेंटिव	300.00
क+ख		**कुल बजट प्रति मिस्टर स्मार्ट सम्मेलन प्रति सब–सेन्टर**	**1,600.00**
ग	1	मैजिक शो/कठपुतली शो हेतु प्रति सब–सेन्टर जहां पर मिस्टर स्मार्ट सम्मेलन का आयोजन किया गया है (बजट मय जी.एस.टी.)	**1,700.00**

नोट– एक मिस्टर स्मार्ट सम्मेलन प्रति सब–सेन्टर पर अधिकतम 3 आशा द्वारा समुदाय से सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

- **प्रथम संदर्भन इकाइयों में प्रसव पश्चात परिवार नियोजन सेवा में सुधार एवं निरंतरता हेतु होल–साइट–ऑन–साइट (Whole site & On site Orientation) अभिमुखीकरण (FMR -51.5)**

प्रथम संदर्भन इकाइयों (एफआरयू) में परिवार नियोजन सेवाओं मुख्यतः प्रसव पश्चात नसबंदी एवं पीपीआईयूसीडी के महत्व को देखते हुए एफ आर यू में पदस्थ सर्जन/स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, मेडिकल ऑफिसर तथा नर्स मैंटर/स्टाफ नर्स/परामर्शदाता का जनपद स्तर पर मास्टर ट्रेनर के रूप में एक दिवसीय अभिमुखीकरण किया जाएगा। उसके उपरांत सभी 417 एफआरयू में मास्टर ट्रेनर द्वारा अभिमुखीकरण का कार्य किया जाएगा। इस कार्य में UPTSU द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

- जनपद स्तर पर की जाने वाली ToT में प्रयोग की जाने वाली राशि का विवरण निम्न तालिका के आधार पर किया जाना है –

District level whole site onsite ToT for FRU					
Site of training		CMO Office/DWH			
Duration of Training		01 Days			
Number of trainees		3 per FRU			
Trainers		Master trainers trained by State			
SN	**Budget Head**	**Rate**	**Days**	**No. of participants**	**Total (Rs.)**
1	Honorarium to Trainers	500	1	4	2,000
2	Food for participants (Breakfast, Tea, Lunch etc.)	250	1	30	7,500
3	Food for trainers (Lunch, Tea etc.)	250	1	4	1,000
4	Travel expenses participants – MO	400	1	1	400
5	Travel expenses participants - Gynaecologists/Surgeon	500	1	1	500
6	Travel expenses participants – SN/Counsellor/Nurse mentor	300	1	1	300
7	Projector, training hall etc.	2,000	1	1	2,000
8	Contingency per participant @ Rs.50/participant (Banner + stationery)	50	1	30	1,500
Total budget for 1 district in Rs.					**15,200**

* स्वास्थ्य इकाई (FRU) स्तर पर की जाने वाली whole site onsite अभिमुखीकरण में प्रयोग की जाने वाली राशि का विवरण निम्न तालिका के आधार पर किया जाना है –

Facility level whole site onsite orientation for FRU					
Site of training		FRU			
Duration of Training		01 Days			
Number of trainees		All staff			
Trainers		District Master trainer			
SN	**Budget Head**	**Rate**	**Days**	**No. of participants**	**Total (Rs.)**
1	Honorarium to Trainers (As per NHM Norms)	500	2	2	2,000
2	Food for participants (Breakfast, Tea, Lunch etc.)	200	1	40	8,000
3	Food for trainers (Lunch, Tea etc.)	200	1	2	400
4	Projector, training hall etc.	2,000	1	1	2,000
5	Branding & IEC display	5000		1	5000
Total budget for1 FRU in Rs.					**17,400**

4.2 सुरक्षित गर्भपात सेवायें कार्यक्रम

देश में होने वाली मातृ मृत्यु में से 08 प्रतिशत से अधिक मृत्यु असुरक्षित गर्भपात के कारण होती हैं, जिससे महिला के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। देश में गर्भपात कानूनन वैध है तथा सुरक्षित गर्भपात अधिनियम 1971 एवं एम.टी.पी. ऐक्ट संशोधन 2021 के अन्तर्गत सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान की जाती है।

* **सर्जिकल मेथड से गर्भपात कराये जाने की स्थिति में आशा को प्रोत्साहन (FMR–10.2)**–सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने हेतु सर्जिकल मेथड से गर्भपात किए जाने की स्थिति में आशा को यात्रा भत्ता के रुप में प्रतिपूर्ति राशि दिया जाना है। इस योजना के तहत आशा द्वारा यदि किसी महिला को सर्जिकल गर्भपात सेवा दिलाने हेतु प्रेरित किया जाता है तो आशा को एकमुश्त धनराशि रु0 150.00 प्रति केस दिया जाएगा।
* **मेडिकल मेथड से गर्भपात कराए जाने की स्थिति में आशा को प्रोत्साहन (FMR–10.3)**–सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने हेतु मेडिकल मेथड से गर्भपात किए जाने की स्थिति में आशा को यात्रा भत्ता के रुप में प्रतिपूर्ति राशि दिया जाना है। इस योजना के तहत आशा द्वारा यदि किसी महिला को मेडिकल मेथड से गर्भपात सेवा दिलाने हेतु प्रेरित कर सेवा दिलायी जाती हैं तो आशा को एकमुश्त धनराशि रु0 225.00 प्रति केस दिया जाएगा।
* **सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण (FMR–10.4)**–सुरक्षित गर्भपात सेवा टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण लखनऊ के वीरांगना अवन्तीबाई चिकित्सालय में आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन संस्था के सहयोग से आयोजित की जाएगी। उक्त प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित जनपदों द्वारा प्रति बैचवार रु0 2,11,440.00 के उपयोग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत है–

Comprehensive Abortion Care trainings (Including MVA/ EVA and Medical abortion) for Trainers- 2024-25					
1	Programme Budget for - **TOT on CAC services**				
2	Duration - **04 Working days**				
3	Participants- **12 per Batch**				
4	Training Conducted By**- NHM**				
5	Total no. of Batches Proposed for Year 2024-25 - **02 Batch**				
6	Budget for one batch-**Rs. 2,11,440/-**				
Sl.No	**Activities**	**Rate in Rs.**	**No of participant**	**Days**	**Total**
1	Honararium per diem to Trainer- Doctor	1000	2	4	8000.00
2	Honararium per diem to Trainer- SN	500	1	4	2000.00
3	Honararium per diem to Participants- MOs	500	12	4	24000.00
4	Accomodation to Participants- MOs	1500	12	4	72000.00
5	Food- 12 Participants + 2 Trainers	250	14	4	14000.00

6	MVA kits for Participants	3000	12		36000.00
7	Incidental expenses -MOs	300	12	4	14400.00
	Total excluding TA				**170400.00**
8	TA -MO	2000	12	1	24000.00
	Total including TA				**194400.00**
9	Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA				**17040.00**
	Total Budget for 1 Batch in Rupees				**211440.00**

➢ **सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत चिकित्साधिकारियों का प्रशिक्षण (FMR- 10.5)** –सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत चिकित्साधिकारियों का 12 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदेश के चिन्हित जनपदों में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के 14 प्रशिक्षण केन्द्रो में आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन संस्था के सहयोग से आयोजित की जाएगी। उक्त प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित जनपदों द्वारा प्रति बैचवार धनराशि रु0 1,56,480.00 उपयोग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत है–

Comprehensive Abortion Care Training for Medical Officers 2024-25					
1	Duration - **12 Working days for Medical Officers**				
2	Participants- **03 Medical Officers per Batch**				
3	Training Conducted By-CAC **Training Centers**				
4	Total no. of Batches Proposed for Year 2024-25 - **35 Batches**				
5	Budget for one batch - **Rs.156480/batch**				
Sl.No	**Activities**	**Rate in Rs.**	**No of participant**	**Days**	**Total**
1	Honararium per diem to Trainer- Two Doctor	1000	2	12	24000.00
2	Honararium per diem to Participants MO	500	3	12	18000.00
3	Accomodation for Participants	1500	3	12	54000.00
4	Honararium per diem to trainer nurse	500	1	12	6000.00
5	Food to Participants and Trainers	250	5	12	15000.00
6	MVA Kits for Participatnts	3000	3	1	9000.00
7	Materials and Documents expenses	300	3	12	10800.00
	Total excluding TA				**136800.00**
8	TA for Participants-MO (on Actual basis)	2000	3	1	6000.00
9	Institutional overhead 10% of total training expenses excluding TA				**13680.00**
	Total including TA				**156480.00**
	Total Budget for 1 Batch Rupees				**156480.00**

➢ **सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ का प्रशिक्षण (FMR- 10.6)**–सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ का 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदेश के चिन्हित 14 जनपदों में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के प्रशिक्षण केन्द्रो में आयोजित की जाएगी। उक्त प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित जनपदों द्वारा प्रति बैचवार धनराशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैः–

Comprehensive Abortion Care Training for Obs & Gynae 2024-25					
1	Duration **- 5 Working days for Obs & Gynae**				
2	Participants- **04 Obs & Gynae per batch**				
3	Training Conducted By- **CAC Training Centre**				
4	Budget for one batch- **Rs.93800/Batch**				
Sl.No	**Activities**	**Rate in Rs.**	**No of participant**	**Days**	**Total**
1	Honararium per diem to Trainer- Two Doctor	1000	2	5	10000.00
2	Honararium per diem to Trainer- SN	500	1	5	2500.00
3	Honararium per diem to Participants MO	500	4	5	10000.00
4	Accomodation for Participants	1500	4	5	30000.00
5	Food to Participants and Trainers	250	6	5	7500.00
6	MVA kits for Participants	3000	4	0	12000.00

7	Incidental expenses	300	4	5	6000.00
	Total Excluding TA				**78000.00**
8	TA for Participants-MO (On Actual Basis)	2000	4	1	8000.00
9	Institutional overhead 10% of total training expenses excluding TA				**7800.00**
	Total including TA				**93800.00**
	Total Budget for 1 Batch Rupees				**93800.00**

- **सुरक्षित गर्भपात के अन्तर्गत औषधियों द्वारा गर्भपात का प्रशिक्षण (FMR– 10.8)**–सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के सुदृढीकरण हेतु औषधियों द्वारा विशिष्ट प्रशिक्षण कराना तय किया गया है। जिसके अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2024–25 में सुरक्षित गर्भपात सेवाएं कार्यक्रम में औषधियों द्वारा गर्भपात विशिष्ट (MMA) का प्रशिक्षण राज्य के 14 सुरक्षित गर्भपात प्रशिक्षण केंद्रों पर आयोजित किया जाना है । उक्त प्रशिक्षण 03 दिवसीय होगा, जिसके प्रत्येक बैच में 10 एम0बी0बी0एस0 सेवा प्रदाता प्रशिक्षित किये जायेंगे। यह प्रशिक्षण आइपास डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जाएगा 03 दिवसीय प्रशिक्षित सेवा प्रदाता अपने स्वास्थ्य इकाइयों पर मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन की सेवाएं दे सकेंगे। उक्त प्रशिक्षण हेतु संबधित जनपदों द्वारा प्रति बैचवार धनराशि रु०1,08,000.00 उपयोग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैं –

Comprehensive Abortion Care Training for MMA only 2024-25					
1	Duration - **03 Working days for Medical Officers**				
2	Participants- **10 Medical Officers per Batch**				
3	Training Conducted By-**Training Centers**				
4	Budget for one batch - **Rs.108000/batch**				
Sl.No	**Activities**	**Rate in Rs.**	**No of participant**	**Days**	**Total**
1	Honararium per diem to Trainer- Two Doctor	1000	2	3	6000
2	Honararium per diem to Participants MO	500	10	3	15000
3	Accomodation for Participants	1500	10	3	45000
4	Food to Participants and Trainers	250	12	3	9000
5	Stationary includng certificates	150	10	1	1500
6	Training Manual	350	10	1	3500
	Total excluding TA				**80000**
	TA for Participants-MO	2000	10	1	20000
8	Institutional over head 10% of total training expenses excluding TA				8000
	Total Budget for 1 Batch Rupees				**108000**

- **सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के दस्तावेजीकरण हेतु प्रपत्र/रजिस्टर आदि का मुद्रण (FMR- 10.11)**– सुरक्षित गर्भपात सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रपत्र/ रजिस्टर आदि के मुद्रण हेतु धनराशि का प्राविधान है –

क्रम	**मद**	**दर रु0 में**
1	RMP Opinion form booklet	150.00
2	Consent form booklet	150.00
3	Admission Register	150.00
4	Evacuation register	150.00
5	Form D Register	150.00
6	Form E Register	150.00
7	MMA Card	10.00

- **सुरक्षित गर्भपात सेवा कार्यक्रम में आई0इ0सी0 के अंतर्गत पोस्टर एवं आशा लीफलेट का मुद्रण (10.13) –**

सुरक्षित गर्भपात सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत विगत वर्ष भारत सरकार ने कार्यक्रम एवं सेवाओं के बारे में जनजागरूकता बढ़ाने हेतु स्वास्थ्य इकाईयों पर प्रदर्शित करने हेतु पोस्टर्स के प्रारूप भेजे है, जिन्हे स्वास्थ्य इकाईयों पर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनसमुदाय को जानकारी मिल सके। प्रति पोस्टर धनराशि रु0 50/– प्राविधानित है। पोस्टर के साथ ही राज्य की सभी आशाओं एवं संगिनी को सुरक्षित गर्भपात एवं गर्भपात पश्चात परिवार नियोजन पर क्षमतावृद्धि करने के उद्देश्य से लीफलेट का मुद्रण भी किया जाना है। प्रति लीफलेट धनराशि रु0 10/– प्राविधानित है।

- **क्षेत्रीय स्तर पर सुरक्षित गर्भपात सेवा कार्यक्रम की समीक्षा बैठक (10.1)–**

सुरक्षित गर्भपात सेवा कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं रणनीति नियोजन हेतु राज्य के 5 क्षेत्रीय समीक्षा कार्यशालाओं का आयोजन वित्तीय वर्ष 2024–2025 में आयोजित किया जाना है। इन समीक्षा बैठकों में मंडलीय संयुक्त निदेशक, अपर मुख्यचिकित्साधिकारी, नोडल ऑफिसर (परिवार कल्याण/ कैक), प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, मंडलीय एवं जनपद स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधक, क्षेत्रीय एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, जिला लेखा प्रबंधक, मंडलीय एवं जिला स्तरीय एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 मैनेजर्स एवं प्रत्येक जनपद से एक प्रशिक्षित सेवा प्रदाता प्रतिभाग करेंगे। उक्त बैठक में राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा इकाईवार सेवाप्रदातावार उपलब्धि की समीक्षा के साथ संसाधनों की उपलब्धता आदि की समीक्षा की जाएगी। क्षेत्रीय स्तर पर बैठक के आयोजन हेतु रु0 1,00,000/– प्रति समीक्षा बैठक की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। उक्त समीक्षा बैठक का आयोजन 5 मंडलीय मुख्यालय जनपद यथा – आगरा, अयोध्या, झाँसी, लखनऊ एवं वाराणसी में किया जाना है, जिसकी सूचना पृथक से दी जाएगी।

- **सुरक्षित गर्भपात सेवाओं कार्यक्रम के अंतर्गत एम0वी0ए0 किट का क्रय (10.10)–**

वित्तीय वर्ष 2024–2025 में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एम0वी0ए0 किट का क्रय किया जाना है। एम0वी0ए0 किट का वितरण ऐसी स्वास्थ्य इकाईओं पर किया जाना है, जहाँ पर पूर्व से प्रशिक्षित सेवा प्रदाता उपलब्ध है या इस वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षित किये जा रहे है। प्रति किट रु0 3000/– की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है।

4.3 पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कार्यक्रम

प्रदेश में घटता हुआ बाल लिंगानुपात गम्भीर चिन्ता का विषय है। कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग परीक्षण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994 में ''प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994'' पूर्व में ही प्रख्यापित किया जा चुका है, जो कि उत्तर प्रदेश में भी लागू है। वर्ष 2003 में इस अधिनियम में संशोधित करते हुए इसका नाम ''गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994'' कर दिया गया है। अधिनियम के अनुसार ऐसे सभी केन्द्र जहाँ गर्भधारण से पूर्व अथवा प्रसव पूर्व गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग की पहचान की जा सकती है, का पंजीकरण अनिवार्य है। किसी प्रकार से भी भ्रूण लिंग की जाँच कर उसका परिणाम बताना अथवा गर्भधारण पूर्व अथवा प्रसव पूर्व लिंग चयन करना व करवाना गैर कानूनी है। इस अधिनियम के अन्तर्गत गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग चयन से सम्बन्धित विज्ञापन भी पूर्णतया निषेध है। इस कानून की एक अहम बात यह भी है कि भ्रूण लिंग की जाँच करने वाले चिकित्सक तथा जाँच करवाने वाले व्यक्ति दोनो को कैद तथा जुर्माना हो सकता है।

प्रदेश में घटते हुये बाल लिंगानुपात की रोकथाम हेतु ''डिक्वाय ऑपरेशन'' संचालित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ''**मुखबिर योजना**'' 01 जुलाई 2017 से लागू की गयी। आवश्यक है कि लिंग चयन एवं लिंग चयन के पश्चात विशेष लिंग के भ्रूण की हत्या के अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/केन्द्रों/संस्थाओं की गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त की जाये व ऐसे केन्द्रों/संस्थाओं/स्थलों पर ''डिक्वाय ऑपरेशन'' के माध्यम से इस अवैध कार्य में सलिप्त व्यक्तियों/संस्थाओं/केन्द्रों के विरूद्व साक्ष्य एकत्रित करते हुये उनके विरूद्व मा0 न्यायालय में दण्डादेश पारित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये। ''**मुखबिर योजना**'' लागू होने के उपरान्त प्रदेश में अब तक कुल 12 सफल ''डिक्वाय ऑपरेशन'' ही सम्पादित किये गये है। अतः बाल लिंगानुपात में कमी लाने हेतु जनपदों द्वारा अधिक से अधिक सफल ''डिक्वाय ऑपरेशन'' किया जाना आवश्यक है।

''गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994'' के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 27 नवम्बर, 2013 को एक वेबसाइट www.pyaribitiya.in लांच की गयी। जिसके माध्यम से जनपद स्तर पर पंजीकृत ईकाइयों का अनुश्रवण किया जाता है। दिनांक 14 नवम्बर, 2020 से पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पोर्टल www.pyaribitiya.in के माध्यम से इकाईयों के पंजीयन/नवीनीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाईन कर दिया गया है। वर्तमान में आनलाईन प्रक्रिया के अन्तर्गत मार्च 2024 तक इकाईयों के पंजीयन हेतु प्राप्त 4962 आवेदनों का आनलाईन पोर्टल के माध्यम से निस्तारण किया जा चुका है। साथ ही आवश्यक है कि इकाईयो का पंजीयन/नवीनीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाये।

हेल्थ मैनेजमेन्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की माह फरवरी, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का जन्म के समय लिंगानुपात 936 है जो कि NFHS-5 (2019-21) में प्रदर्शित उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात 941 से 05 कम है जो कि चिंता का विषय है। Sample registration Syestem (SRS) 2018 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का जन्म पर बाल लिंगानुपात 880 है जो कि राष्ट्रीय स्तर से 19 कम है। उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात में 19 अंकों की गिरावट दर्शायी गयी है तथा यह गिरावट प्रदेश के अधिकतर जनपदों में प्रदर्शित हो रही है। गिरते हुए बाल लिंगानुपात का मुख्य कारण आधुनिक निदान तकनीकों का दुरुपयोग कर गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग की जानकारी प्राप्त कर उसके कन्या होने की दशा में उसका अवैध तरीके से गर्भपात कराना है। गिरते हुए बाल लिंगानुपात पर नियंत्रण प्राप्त करने तथा कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा ''गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994'' प्रख्यापित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में भी लागू है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा जिला–मजिस्ट्रेट को जनपदीय समुचित प्राधिकारी तथा तहसील स्तर पर उपजिला–मजिस्ट्रेट को तहसील स्तरीय समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद एवं मण्डल स्तरीय गतिविधियों के सम्पादन हेतु अनुमोदित धनराशि के आवंटित सीमा तक का व्यय, जनपद में आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल में उपलब्ध धनराशि से नियमानुसार व्यय की जानी है। जनपद स्तरीय गतिविधियों के सम्पादन का मुख्य दायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का एवं मण्डल स्तरीय गतिविधियों के सम्पादन का दायित्व मण्डलीय अपर निदेशक–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का है।

प्रदेश में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु राज्य समुचित प्राधिकारी (स्टेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी)/महानिदेशक परिवार कल्याण द्वारा समय–समय पर प्रेषित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में निम्नलिखित गतिविधियाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मण्डल/जनपद स्तर पर संचालित की जानी हैं –

जनपद/मण्डल स्तरीय पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ में कार्यरत संविदा कर्मियों का मानदेय

मण्डलीय स्तरीय डाटा असिस्टेन्ट– (FMR-185.C.P001)

- गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का मण्डल स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन एवं गतिविधियों के सफलता पूर्वक सम्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 में प्रदेश के प्रत्येक मण्डल हेतु 01 डाटा असिस्टेन्ट का पद स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में मण्डल **सहारनपुर** को छोड़कर समस्त 17 मण्डलीय जनपदों में एक–एक डेटा असिस्टेंट मण्डलीय अपर निदेशक–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय में तैनात है।
- भारत सरकार द्वारा पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर कार्यरत 17 डेटा असिस्टेंट हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 की कार्ययोजना में 29355/–रूपये प्रतिमाह की दर से 12 माह का मासिक मानदेय एवं 31 मार्च, 2024 को देय मानदेय पर 05 प्रतिशत की वेतन वृद्धि स्वीकृत की गयी है। साथ ही मण्डलीय जनपद–बॉदा, बस्ती, देवीपाटन, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़ एवं आजमगढ़ में मण्डलीय अपर निदेशक– चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय में सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत डेटा असिस्टेंट हेतु वर्ष 2024–25 में देय मासिक मानदेय पर अधिकतम 10 प्रतिशत का सर्विस चार्ज, 18 प्रतिशत का सर्विस टैक्स, 3.25 प्रतिशत का ई0एस0आई का भी प्राविधान 12 माहों के लिए किया गया है। डेटा असिस्टेंट के मानदेय के भुगतान का प्राविधान वित्तीय नियमानुसार, प्रेषित बजट फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये।

जनपद स्तरीय डाटा इन्ट्री आपरेटर– (FMR-185.C.P002)

- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 में प्रदेश के प्रत्येक जनपद हेतु 01 डाटा इन्ट्री आपरेटर का पद स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के 66 जनपदों में डेटा इन्ट्री आपरेटर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में गठित पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ में कार्यरत है, शेष 09 जनपदों यथा– मुरादाबाद, सम्भल, औरैया, हरदोई, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायू, पीलीभीत एवं फिरोजाबाद में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पद रिक्त है।

- प्रदेश के 66 जनपदों में संविदा पर कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटरों के मानदेय हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 की कार्ययोजना में @रूपये 16289/– प्रतिमाह की दर से 12 माह का मासिक मानदेय एवं 31 मार्च, 2024 को देय मानदेय पर 05 प्रतिशत की वेतन वृद्वि स्वीकृत की गयी है। सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत जनपद स्तरीय डाटा इन्ट्री आपरेटर हेतु वर्ष 2024–25 में देय मासिक मानदेय पर अधिकतम 10 प्रतिशत का सर्विस चार्ज, 18 प्रतिशत का सर्विस टैक्स, 13.36 प्रतिशत का ई0पी0एफ0, 3.25 का ई0एस0आई का भी प्राविधान 12 माह के लिए किया गया है। मानदेय के भुगतान का प्राविधान वित्तीय नियमानुसार, प्रेषित बजट फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये। जनपद मुरादाबाद, सम्भल, औरैया, हरदोई, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायूँ, पीलीभीत एवं फिरोजाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि रिक्त डेटा एन्ट्री आपरेटर के पदों पर चयन तब तक नहीं किया जाए, जब तक रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राज्य स्तर से दिशा–निर्देश प्रेषित न किये जाएं। वित्तीय वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 में मानदेय के भुगतान का प्राविधान वित्तीय नियमानुसार प्रेषित बजट फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये।

जनपद स्तरीय पी0सी0पी0एन0डी0टी0 को–ऑर्डिनेटर– (FMR-185.C.P008)

- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों हेतु 01 जनपद स्तरीय पी0सी0पी0एन0डी0टी0 को–ऑर्डिनेटर का पद स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत 75 पदों के सापेक्ष वर्तमान में केवल 20 जनपदों मे ही पी0सी0पी0एन0डी0टी0 को–ऑर्डिनेटर कार्यरत है। जिनके मासिक मानदेय हेतु रु0 29,355/– प्रतिमाह की दर से 12 माह की धनराशि दिए जाने की व्यवस्था की गयी है। समस्त कार्यरत पी0सी0पी0एन0डी0टी0 को–ऑर्डिनेटर को भारत सरकार द्वारा परफारमेन्स के आधार पर वर्तमान देय मानदेय पर 05 प्रतिशत की वेतन वृद्वि वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत की गयी है। पी0सी0पी0एन0डी0टी0 को–ऑर्डिनेटर हेतु मानदेय की धनराशि प्राविधानित की गयी है। 20 जनपद जिसमें पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर तैनात है का विवरण निम्नवत हैं–

क्रम सं0	मण्डल	जनपद	जनपद	जनपद	जनपद	जनपद	जनपद
1	**आगरा**	आगरा	फिरोजाबाद	मैनपुरी	मथुरा		
2	**मेरठ**	मेरठ	बागपत	बुलन्दशहर	गौतमबुद्धनगर **(पद रिक्त)**	गाजियाबाद	हापुड **(पद रिक्त)**
3	**लखनऊ**	लखनऊ	हरदोई	लखीमपुर खीरी	रायबरेली	सीतापुर	उन्नाव
4	**गोरखपुर**	गोरखपुर	देवरिया	कुशीनगर	महाराजगंज		
5	**वाराणसी**	वाराणसी **(पद रिक्त)**	चंदौली	गाजीपुर	जौनपुर **(पद रिक्त)**		

मानव संसाधन हेतु सामान्य दिशा निर्देश–

- जनपद एवं मण्डल स्तर पर कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मियों के लिए उनके कार्यो के मूल्यांकन हेतु जनपदों को पूर्व में मूल्यांकन प्रपत्र उपलब्ध करा दिये गये हैं। प्रत्येक कर्मी के मानदेय के भुगतान के लिए आवश्यक है कि वह अपने लिए निर्धारित कार्यदायित्वों की प्राप्ति सुनिश्चित करें, तभी उनके मानदेय का भुगतान किया जाये।
- संतोषजनक कार्य के आधार पर जो कर्मी जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय से अनुमोदनोपरान्त पुनर्अनुबन्धित कर लिये गये हैं, उनके मानदेय का भुगतान जनपदवार दी गई स्वीकृत संख्या एवं निर्धारित मानदेय के अनुसार ही किया जाये।

- भारत सरकार द्वारा रू0 15,000.00 प्रतिमाह तक मानदेय प्राप्त करने वाले पात्र संविदा कर्मियों हेतु ई0पी0एफ0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 2024–25 में प्रदान की गई है। ई0पी0एफ0 का लाभ यदि किसी संविदाकर्मी को एक बार प्राप्त हो चुका है तथा वर्ष 2024–25 में समान पद पर रहते हुये यदि मानदेय रू0 15,000.00 प्रतिमाह से ज्यादा होता है तो ऐसे संविदा कर्मियों को 15,000.00 प्रतिमाह के मानदेय तक ई0पी0एफ0 का लाभ मिलता रहेगा।
- समस्त महिला संविदा कर्मियों को मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत 180 दिन का अवकाश सवेतन अनुमन्य होगा।
- यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- संविदाकर्मी कालावधि के लिए किन्हीं पेन्शन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे। इन्हें ऐसे कालावधि के लिए कोई बोनस आदि देय नहीं होगा।
- संविदाकमी अपने विनियमतीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे और न ही उन्हें निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
- एन0एच0एम0 की उपरोक्त राशि का व्यय आपेरशनल गाइडलाइन्स फार आपरेशनल मैनेजमेंट में दी गई व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का अनुपालन करते हुए सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही की जाये।

कन्टीजेन्सी धनराशि का प्राविधान–(FMR-19.12)

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 में प्रत्येक जनपद हेतु मद सं0 19.12 में रू0 20,000.00 की दर से कुल रू0 15.00 लाख की धनराशि एवं मण्डल स्तर हेतु प्रति मण्डल रू0 10,000.00 की दर से कुल रू0 1.80 लाख की धनराशि कन्टीजेन्सी मद में स्वीकृत की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ के संचालन हेतु कार्यालय सामग्री एवं अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यकालापो/मदो के लिये किया जा सकेगा।

मुखबिर योजना के अन्तर्गत पुरस्कार का प्राविधान–(FMR-19.11)

- प्रदेश में घटता हुआ बाल लिंगानुपात गम्भीर चिन्ता का विषय है। आवश्यक है कि लिंग चयन एवं लिंग चयन के पश्चात विशेष लिंग के भ्रूण की हत्या के अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/केन्द्रों/संस्थाओं की गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त की जाएव ऐसे केन्द्रों/संस्थाओं/स्थलों पर ''डिक्वाय ऑपरेशन'' के माध्यम से इस अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/संस्थाओं/केन्द्रों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करते हुए उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय से दण्डादेश पारित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।
- उक्त योजना के संबंध में शासनादेश संख्याः–37/2017/383/पॉच–9–2017–9(37)/2017 दिनॉक 23 जून 2017 का संज्ञान लिया जाये एवं शासनादेश में निहित व्यवस्थानुरुप तथा राज्य समुचित प्राधिकारी के स्तर से इस सम्बंध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये डिक्वाय ऑपरेशन सम्पादित किये जाये तथा भुगतान हेतु प्रपत्र अग्रसारित किये जाये। जनसमुदाय द्वारा सफल डिक्वॉय ऑपरेशन करवाने पर ''मुखबिर'' को रु0 60,000/– व ''मिथ्या ग्राहक'' को रु0 1,00,000/– एवं ''मिथ्या ग्राहक सहायक'' को रु0 40,000/– की धनराशि पुरस्कार के रूप में 03 किश्तों में दावा करने पर अनुमन्य की जायेगी।

नोट– मुखबिर योजना के तहत धनराशि के भुगतान हेतु जनपदों से प्राप्त मॉग पत्र के आधार पर राज्य स्तर से धनराशि का आवंटन नियमानुसार किया जाएगा।

मण्डल एवं जनपद स्तरीय निरीक्षण टीमों हेतु मोबिलिटी सपोर्ट– (FMR Code- 19.13)

- मण्डल एवं जनपद स्तरीय कर्मियों के मोबिलिटी सपोर्ट हेतु नियमानुसार टी0ए0/डी0ए0 के भुगतान के लिए **प्रत्येक मण्डल को रु0 25,000.00** की धनराशि एवं **प्रत्येक जनपद को रू0 50,000.00** की धनराशि प्राविधानित की गयी है।
- पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 से विनियमित सेवायें प्रदान करने वाले केन्द्रों का निरीक्षण मण्डल स्तर से मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मण्डलीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा किया जाये।

- मण्डल स्तरीय निरीक्षण में मण्डलीय अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक के साथ सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जनपदीय समुचित प्राधिकारी (पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994) का उपकरणों व अभिलेखों को सील/सीज करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी का होना अनिवार्य है।
- जनपद स्तरीय निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक/जनपदीय नोडल पी0सी0पी0एन0डी0टी0 के साथ सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जनपदीय समुचित प्राधिकारी (पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का उपकरणों व अभिलेखों को सील/सीज करने हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
- निरीक्षण के समय यदि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित केन्द्र की समस्त अल्ट्रासाउण्ड मशीनों के साथ–साथ ऐसे समस्त उपकरण जिनके द्वारा गर्भधारण पूर्व अथवा प्रसव पूर्व लिंग चयन सम्भव है, को निरीक्षण के समय ही सील किया जाये। इसके अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेखों को मूल रूप में जब्त भी किया जाए इस हेतु पृथक से सीलिंग/सीजर मैमो आवश्यक रूप से बनाया जाये।
- जब्त किए गए अभिलेखों/उपकरणों के साथ–साथ निरीक्षण रिपोर्ट, सीलिंग मैमो व सीजर मैमो की मूल प्रति जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सम्बन्धित केन्द्र की पत्रावली में सुरक्षित रखीं जायें।
- अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में केन्द्र के पंजीकरण के निलम्बन/निरस्तीकरण के साथ–साथ दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में परिवाद योजित किए जाने की कार्यवाही जनपदीय समुचित प्राधिकारी द्वारा अमल में लायी जायेगी। इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दायित्व है कि वे मूल निरीक्षण रिपोर्ट, सीलिंग व सीजर मैमो के साथ–साथ समस्त साक्ष्य/अभिलेख जिलाधिकारी के समक्ष पत्रावली पर प्रस्तुत करें।
- निरीक्षण रिपोर्ट, सीलिंग मैमो व सीजर मैमो की एक छायाप्रति मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा निरीक्षणोपरान्त सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जनपदीय समुचित प्राधिकारी, (पी0सी0पी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994) के साथ–साथ अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण (पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, जगत नारायण रोड, लखनऊ–226003 को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।
- निरीक्षण हेतु प्रारूप पूर्व में जनपदों को उपलब्ध कराया जा चुका है।

क्षेत्रीय पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कार्यशाला– (FMR Code-19.3)

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 में समय समय पर होने वाले आवश्यक संशोधनों के सम्बन्ध में जनपद एवं मण्डल स्तरीय अधिकारियों के अभिमुखीकरण एवं कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा हेतु प्रदेश में कुल 05 क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन प्रदेश में **आगरा, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर एवं वाराणसी** जनपद में किया जाना है। पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के अन्तर्गत आयोजित होने वाली 05 क्षेत्रीय कार्यशालाओं हेतु प्रदेश के 75 जनपदों को निम्नानुसार 05 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है–

05 क्षेत्रीय कार्यशाला हेतु जनपदों का विवरण				
क्षेत्रीय जनपद लखनऊ	**क्षेत्रीय जनपद आगरा**	**क्षेत्रीय जनपद मेरठ**	**क्षेत्रीय जनपद गोरखपुर**	**क्षेत्रीय जनपद वाराणसी**
लखीमपुरखीरी	मथुरा	बागपत	देवरिया	जौनपुर
हरदोई	फिरोजाबाद	बुलन्दशहर	कुशीनगर	चन्दौली
रायबरेली	मैनपुरी	हापुड़	महाराजगंज	गाजीपुर
सीतापुर	झाँसी	जी.बी. नगर	**बस्ती**	**मिर्जापुर**
उन्नाव	जालौन	गजियाबाद	एस.के.नगर	सोनभद्र
अयोध्या	ललितपुर	**मुरादाबाद**	सिद्वार्थनगर	भदोही
अमेठी	**अलीगढ़**	बिजनौर	**आजमगढ**	**प्रयागराज**
बाराबंकी	एटा	सम्भल	बलिया	कौशाम्बी
अम्बेडकर नगर	हाथरस	अमरोहा	मऊ	फतेहपुर

सुल्तानपुर	कासगंज	रामपुर	**गोण्डा**	प्रतापगढ़
बरेली	**कानपुर नगर**	मुजफ्फरनगर	बलरापुर	**बांदा**
बदायूँ	इटावा	**सहारनपुर**	बहराइच	चित्रकूट
पीलीभीत	फर्रूखाबाद	शामली	श्रावस्ती	हमीरपुर
शाहजहाँपुर	कन्नौज			महोबा
	कानपुर देहात			
	औरेया			

उक्त कार्यशाला में राज्य, मण्डल, जनपद एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। अभिमुखीकरण कार्यशाला में राज्य स्तर से प्राधिकृत अधिकारी, मण्डल स्तर से मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अथवा उनके द्वारा नामित मण्डल स्तरीय सयुक्त निदेशक, प्रत्येक जनपद के जिला सलाहकार समिति के सदस्यों, जनपदीय नोडल अधिकारी (पी0सी0पी0एन0डी0टी0), जिला चिकित्सालय/जिला महिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालयों के मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षकों, सी.एच.सी./पी.एच.सी. के अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। कार्यशाला के आयोजन की तिथि निर्धारित होने की सूचना कम से कम 01 सप्ताह पूर्व राज्य स्तर को अवश्य प्रेषित कर दी जाये जिससे कि कार्यशाला में प्रतिभाग हेतु राज्य से किसी अधिकारी को नामित किया जा सके।

इस कार्यशाला को सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का है। उक्त कार्यशाला के आयोजन में मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक एवं उस जनपद के जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा। बैठक के आयोजन हेतु रू0 1,00,000.00 प्रति कार्यशाला की दर से बजट का प्राविधान सम्बन्धित मण्डलीय जनपद में किया गया है। कार्यशाला हेतु आंवटित धनराशि का व्यय आयोजन स्थल की व्यवस्था, प्रतिभागी हेतु स्टेशनरी पेन, पैड, फोल्डर एवं पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट की किताब (हिन्दी वर्जन), जलपान एवं भोजन इत्यादि में किया जाना है।

कार्यशाला के आयोजन के उपरान्त एक सक्षिप्त रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स एवं समाचार पत्रो की कटिंग मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के आई0ई0सी0 अनुभाग को तथा महानिदेशक–परिवार कल्याण को jointdirectorfw@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें। कार्यशाला में हुये व्यय का विवरण व सम्बन्धित दस्तावेज, डाक्यूमेण्टेशन (फोटोग्राफ आदि) एवं समाचार पत्रों की कटिंग, उपस्थित पत्रक आदि रिकार्ड के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर सुरक्षित रखें।

लिंगानुपात गिरावट रोकने हेतु जन जागरुकता (गर्ल्स चाइल्ड डे का आयोजन) (FMR Code-19.4)

देश भर में 24 जनवरी को प्रति वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस (National Girls child Day) मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरूआत वर्ष 2008 में हुई थी। इस दिन को मनाने का उद्वेश्य बालिकाओं के अधिकारों के प्रति आम जनमानस को जागरूक करना है। इसके अलावा समाज में उनके विकास के लिये समान अवसर और सम्मान दिलाने की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करना है एवं सबसे जरूरी बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर बात करना है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत जनपदों तथा ब्लॉक स्तर पर विभिन्न प्रचार–प्रसार गतिविधियों का आयोजन कर प्रदेश में लिंग अनुपात को बेहतर करने की दिशा में प्रयास किए जाते हैं। उक्त गतिविधि से जनसाधारण को पी0सी0पी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट के संबंध में जागरूक किया जाता है।

विगत वर्ष की भाँति इस वित्तीय वर्ष में भी 'गर्ल्स चाइल्ड डे' दिनांक 24.01.2025 को मनाया जाना है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत मण्डल, जनपद एवं ब्लाक स्तर पर विभिन्न गतिविधियॉ सम्पादित की जानी हैं, जिस हेतु **मण्डलवार रु0 50,000.00 जनपदवार रू0 25,000.00 एवं ब्लाक स्तर पर रू0 10,000.00 की धनराशि** का प्राविधान किया जा रहा है। इस धनराशि का व्यय निम्नानुसार वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जाये।

A) मण्डल स्तरीय गतिविधियॉं, जिनका व्यय निम्नानुसार किया जाए–

क्रम	गतिविधि	कुल अधिकतम व्यय (रू0में)
1	**मण्डल स्तरीय** लिंग संवेदीकरण कार्यशाला हेतु	12000.00
2	04 इण्टरमीडिएट कालेजों में वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन	16000.00
3	सर्वश्रेष्ठ 03–03 प्रतिभागियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन व पुरस्कार वितरण	7000.00
4	मण्डल स्तरीय रैली **एवं** गोष्ठी का आयोजन	8000.00
5	हैण्डबिल्स का मुद्रण	7000.00
कुल योग		**50000.00**

- **मण्डल स्तरीय लिंग संवेदीकरण कार्यशाला**

यह कार्यशाला मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। उक्त कार्यशाला में जनपद/ब्लाक स्तरीय अधिकारियों–सी.डी.ओ., बी.डी.ओ., बी.एस.ए., पी.ओ.–महिला एवं बाल विकास, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट एवं जनपद में पदस्थ महिला विशेषज्ञ तथा अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि यथा–टी0एस0यू0 आदि की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जानी है। इस कार्यशाला में प्रतिभागियों में जेण्डर सेन्सिटाइजेशन (लिंग संवेदीकरण) विषय पर विचार–विमर्श एवं जनपद में लिंगानुपात में होने वाली गिरावट पर चर्चा कर आगे की रणनीति बनाई जानी है।

उक्त कार्यशाला हेतु रू0 12000.00 आवंटित किए जा रहे हैं, जिसका व्यय निम्नानुसार वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जायेः–

क्र.स.	मद	संख्या(सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0में)
1	प्रतिभागियों हेतु चाय–नाश्ता एवं लंच	50	150.00	7500.00
2	स्टेशनरी	50	50.00	2500.00
3	बैनर	–	500.00	500.00
4	अन्य व्यय	–	–	1500.00
कुल योग				**12000.00**

- **मण्डल के 04 इण्टरमीडिएट कालेजों में वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन**

मण्डल के 04 इण्टरमीडिएट कालेजों में गर्ल्स चाईल्ड दिवस के अवसर पर वाद–विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाएगा। वाद–विवाद प्रतियोगिता का विषय लैंगिक भेदभाव व अल्ट्रासोनोग्राफी के फायदे एवं नुकसान आदि विषयों पर आधारित रहेगा तथा इससे सम्बन्धित अन्य विषयों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। **उक्त गतिविधि के आयोजन हेतु रू0 4,000.00 प्रति इण्टरमीडिएट कॉलेज की दर से कुल 04 कालेजों हेतु बजट रु0 16,000.00 स्वीकृत किया गया है,** जिसका व्यय प्रति कालेज निम्नानुसार वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जायः–

क्र.स.	मद	संख्या(सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0में)
1	प्रतिभागियों हेतु स्वल्पाहार एवं लन्च	80	25.00	2000.00
2	फोटोग्राफी एवं दस्तावेजीकरण	–	1000.00	1000.00
3	अन्य व्यय (बैनर, माईक, आदि)	–	1000.00	1000.00
कुल योग				**4000.00**
महायोगः– 4000.00×04 वाद–विवाद प्रतियोगिता				**16,000.00**

मण्डल स्तरीय 04 इण्टरमीडिएट कालेजों से चुने गए सर्वश्रेष्ठ 03–03 प्रतिभागियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजनः

यह प्रतियोगिता मण्डल स्तर पर आयोजित की जाये। इस प्रतियोगिता में 04 इण्टरमीडिएट कालेजों से चुने गएसर्वश्रेष्ठ 03–03 प्रतिभागियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता मण्डल के मण्डल स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों तथा अन्य विभाग के अधिकारियों सरकारी स्कूलों के अध्यापक, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट एवं मण्डल में पदस्थ महिला विशेषज्ञ,

प्राइवेट चिकित्सालयों के चिकित्सक आदि के समक्ष आयोजित की जाये। इस प्रतियोगिता के लिए कुल रु0 7000.00 व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका व्यय निम्नानुसार किया जाये–

क्र.स.	मद	संख्या(सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0में)
1	प्रतिभागियों हेतु स्वल्पाहार	25	100.00	2500.00
2	फोटोग्राफी एवं दस्तावेजीकरण	–	1000.00	1000.00
3	पुरस्कार	–	2000.00	2000.00
4	प्रमाण पत्र की प्रिण्टिंग	–	1000.00	1000.00
5	अन्य व्यय (बैनर, आदि)	–	500.00	500.00
कुल योग				**7000.00**

इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक इण्टरमीडिएट कालेजों के कुल 12 चयनित प्रतिभागियों में से सर्वश्रेष्ठ 03 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर पुरस्कार का वितरण मण्डल के मण्डलायुक्त/जनप्रतिनिधियों/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी आदि से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- **मण्डल स्तरीय रैली एवं गोष्ठी का आयोजन**

इस कार्यक्रम का आयोजन मण्डल स्तर पर किया जाए। इस रैली को मण्डलायुक्त/जनप्रतिनिधियों/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस रैली में आशा, ए0एन0एम0, आंगनबाड़ी एवं डिग्री कालेजों के विद्यार्थियों व मण्डल में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिभाग किया जाए। रैली का समापन गोष्ठी के रुप में किया जाए। इस गतिविधि हेतु रु0 8000.00 की स्वीकृति निम्न विवरण अनुसार प्रदान की जा रही हैः–

क्र. स.	गतिविधि	संख्या(सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0में)
1	रैली/गोष्ठी में प्रतिभागियों को चाय–नाश्ते की व्यवस्था हेतु	250	25.00	6250.00
2	अन्य व्यय (बैनर एवं फोटो कॉपी आदि)	–	1750.00	1750.00
योग				**8000.00**

- **हैण्डबिल्स का मुद्रण**

मण्डल स्तरीय गतिविधियों हेतु गर्ल्स चाइल्ड डे से सम्बन्धित हैण्डबिल्स का मुद्रण कराया जाना है, हैण्डबिल्स के मुद्रण हेतु रु0 7000.00 स्वीकृत किया जा रहा है।

B) जनपदीय स्तरीय गतिविधियॉ– जिसका व्यय निम्नानुसार किया जाए–

क्रम	गतिविधि	कुल अधिकतम व्यय (रू0)
1	**जनपद स्तरीय** लिंग संवेदीकरण कार्यशाला हेतु	10,000.00
4	जनपद स्तरीय रैली **एवं** गोष्ठी का आयोजन	8,000.00
5	हैण्डबिल्स का मुद्रण	7,000.00
कुल योग		**25000.00**

- **जनपद स्तरीय लिंग संवेदीकरण कार्यशाला–**

यह कार्यशाला जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। उक्त कार्यशाला में जनपद/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों–सी.डी.ओ., बी.डी.ओ., बी.एस.ए., पी.ओ.–महिला एवं बाल विकास, सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट एवं जनपद में पदस्थ महिला विशेषज्ञ तथा अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि यथा–यूनीसेफ, टी0एस0यू0 आदि की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जानी है। इस कार्यशाला में प्रतिभागियों में जेण्डर सेन्सिटाइजेशन (लिंग संवेदीकरण) विषय पर विचार–विमर्श एवं जनपद में लिंगानुपात में होने वाली गिरावट पर चर्चा कर आगे की रणनीति बनाई जानी है।
उक्त कार्यशाला हेतु रू0 10000.00 आवंटित किए जा रहे हैं, जिसका व्यय निम्नानुसार वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जायेः–

क्र.स.	मद	संख्या (सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0 में)
1	प्रतिभागियों हेतु चाय–नाश्ता एवं लंच	40	150.00	6000.00
2	स्टेशनरी	40	50.00	2000.00
3	बैनर	–	500.00	500.00
4	अन्य व्यय	–	–	1500.00
कुल योग				**10000.00**

- **जनपद स्तरीय रैली एवं गोष्ठी का आयोजन**

  इस कार्यक्रम का आयोजन जनपद स्तर पर किया जाए। इस रैली को जनप्रतिनिधियों/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस रैली में आशा, ए0एन0एम0, आंगनबाड़ी एवं डिग्री कालेजों के विद्यार्थियों व जनपद में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिभाग किया जाए। रैली का समापन गोष्ठी के रुप में किया जाए। इस गतिविधि हेतु रु0 8000.00 की स्वीकृति निम्न विवरण अनुसार प्रदान की जा रही है:–

क्र.स.	गतिविधि	संख्या (सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0में)
1	रैली/गोष्ठी में प्रतिभागियों को चाय–नाश्ते की व्यवस्था हेतु	250	25.00	6250.00
2	अन्य व्यय (बैनर एवं फोटो कॉपी आदि)	–	1750.00	1750.00
योग				**8000.00**

- **हैण्डबिल्स का मुद्रण**

  जनपद स्तरीय गतिविधियों हेतु गर्ल्स चाइल्ड डे से सम्बन्धित हैण्डबिल्स का मुद्रण कराया जाना है, जिस हेतु प्रोटोटाईप स्पेसिफिकेशन आदि पृथक से उपलब्ध कराए जायेंगे। हैण्डबिल्स के मुद्रण हेतु रु0 7000.00 स्वीकृत किया जा रहा है।

  C) ब्लॉक स्तरीय गतिविधियॉं– गर्ल्स चाइल्ड डे के अवसर पर प्रत्येक जनपद के विकास खण्डों में घटते हुए लिंगानुपात विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया जाना है, जिसमें विकास खण्ड स्तर की आशा, ग्राम प्रधानों, आंगनबाड़ी एवं ए.एन.एम. को कार्यक्रम में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किया जाय। इस कार्यक्रम हेतु प्रत्येक ब्लॉक को रु0 10,000.00 की धनराशि स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का व्यय निम्नानुसार किया जायः–

क्र.स.	गतिविधि	संख्या(सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0में)
1	गोष्ठी में प्रतिभागियों को चाय–नाश्ता की व्यवस्था हेतु	200	50.00	5000.00
2	हैण्डबिल्स का मुद्रण	–	3000.00	3000.00
3	अन्य व्यय बैनर एवं फोटोग्राफ आदि	–	2000.00	2000.00
योग				**10000.00**

नोटः गर्ल्स चाइल्ड डे के आयोजन के उपरान्त समस्त गतिविधियों की रिपोर्टिंग एवं फोटोग्राफ्स जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के आई0ई0सी0 अनुभाग को तथा महानिदेशक–परिवार कल्याण को भेजना सुनिश्चित करें।

वित्तीय व्यवस्था

- आयोजित हुई गतिविधियों का वास्तविक व्यय ही सम्बन्धित एफ0एम0आर0/मद में वित्तीय नियमानुसार बुक करना सुनिश्चित करें।
- विकास खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि, सम्बन्धित इकाईयों को आवश्यक दिशा–निर्देश के साथ हस्तान्तरित की जाये।

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डल स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि अपर निदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को हस्तान्तरित कर दें।
- समस्त गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण समयबद्व रुप से एस0पी0एम0यू0 कार्यालय तथा महानिदेशक–परिवार कल्याण को निर्धारित प्रारुप पर ई मेल gmfamilyplanning2023@gmail.com एवं jointdirectorfw@gmail.com पर प्रेषित किया जाना है।
- कार्यक्रमों/प्रशिक्षण आदि का डिजिटल डाक्यूमेण्टेशन (फोटोग्राफ आदि) एवं समाचार पत्रों की कटिंग, उपस्थित पत्रक आदि रिकार्ड के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर सुरक्षित रखें।

वित्तीय दिशा निर्देश– समस्त भुगतान FAMS सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए PFMS पोर्टल के माध्यम से किया जाना है, जिससे कि व्यय धनराशि एवं उपलब्ध बजट की धनराशि का सतत रूप से अनुश्रवण किया जा सके।

5. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0बी0एस0के0)

5. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए इसका विस्तार नगरीय क्षेत्र में भी किया गया है। तद्नुसार चिन्हित 31 जनपदों में 56 नगरीय मोबाइल हेल्थ टीमों के माध्यम से कार्यक्रम का संचालन किया जाना है। नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम के लिए उपकरण, वाहन विजिबिलिटी प्रोटोकॉल एवं वाहन की व्यवस्था हेतु धनराशि क्रमशः एफ0एफ0आर0 कोड 134.1, 134.2 एवं 134.3 में आवंटित की जा रही है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियों के संचालन हेतु निम्न मदों में धनराशि व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही हैं, जिसका उपयोग दिये गये मानकानुसार किया जाना है। गतिविधियों हेतु आवंटित की जाने वाली धनराशि जनपद के एलोकेशन/डैप का अंश है।

गतिविधिवार मानक का विवरण निम्नवत है–

एफ.एम.आर कोड	गतिविधि	वित्तीय मानक
RCH-3.21.OOC.1 (New FMR-21.1)	मोबाइल हेल्थ टीम हेतु वाहन की व्यवस्था	रु0 33000/वाहन/माह की दर से 12 माह हेतु
RCH-3.21.OOC.2 (New FMR-21.2)	सपोर्ट फॉर आर.बी.एस.के. सी0यू0जी0 (इन्टरनेट कनेक्शन एण्ड रेन्टल)	रु0 300/माह/टीम की दर से 12 माह हेतु
RCH-3.21.OOC.4 (New FMR-21.3)	आर0बी0एस0के0 एम.एच.टी. हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट /कन्टिंजेन्सी	रु0 2000/टीम वार्षिक की दर से
RCH-3.21.IEC.1 (New FMR-21.5)	आर.बी.एस.के. कार्ड एवं रजिस्टर का मुद्रण	रु0 1.50/आर0बी0एस0के0 कार्ड की दर से रु0 100.00/आर0बी0एस0के0 रजिस्टर की दर से
RCH-3.21.PME (New FMR-21.8)	आर.बी.एस.के. कन्वर्जेन्स एवं मॉनीटरिंग मीटिंग	रु0 1000/ब्लाक/समीक्षा बैठक की दर से जनपद स्तर पर 3 समीक्षा बैठक हेतु रु0 1000.00/ब्लाक की दर से माइक्रोप्लान बैठक हेतु
RCH-3.21.EQ (New FMR-21.12)	मोबाइल हेल्थ टीम हेतु उपकरणों की व्यवस्था	रु0 2300/टीम की दर से उपकरणों की मरम्मत हेतु
RCH-3.22.OOC.1 (New FMR-22.1)	ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर डी0ई0आई0सी0 सेन्टर	रु0 30,000/माह/डी0ई0आई0सी0 सेन्टर की दर से 12 माह हेतु
RCH-3.22.OOC.1 (New FMR-22.15 & 194.30)	ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर डी0ई0आई0सी0 मैनेजर	रु0 18,000 वार्षिक/डी0ई0आई0सी0 मैनेजर की दर से
RCH-3.22.OOC.2 (New FMR-22.2 & 194.31)	डी0ई0आई0सी0 मैनेजर हेतु फोन एवं इन्टरनेट चार्जेज	रु0 300/माह/डी0ई0आई0सी0 मैनेजर की दर से 12 माह हेतु
RCH-3.31.OOC (New FMR-31.2)	ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर पीडियाट्रिक कार्डियक यूनिट ए0एम0यू0 अलीगढ़	रु0 30,000/माह की दर से 12 माह हेतु
HSS(U)2.134.EQ.1 (New FMR-134.1)	नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम हेतु उपकरण की व्यवस्था	रु0 15000/टीम की दर से –विगत वर्ष में उपलब्ध धनराशि से नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम हेतु चिन्हित उपकरण क्रय कर लिये गये हों तो वर्तमान में क्रय करने की आवश्यकता नहीं।
HSS(U).2.134 (New FMR-134.3)	नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम हेतु वाहन की व्यवस्था	रु0 33000/वाहन/माह की दर से 12 माह हेतु
HSS.11.193.PME.9.1 New FMR-	डी.पी.एम.यू. ऑपरेशनल कॉस्ट	डी0ई0आई0सी0 मैनेजर को क्षेत्र भ्रमण हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट मद में रु0 10,000.00 प्रतिमाह

194.PME.9.1		की दर से 12 माह हेतु (मानव संसाधन अनुभाग द्वारा धनराशि जनपदों को आवंटित)।

उपरोक्त मदों में आवंटित धनराशि के व्यय के संदर्भ में कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/आर.बी.एस.के./2/2023–24/1007–2 दिनांक 08.05.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करें।

एफ.एम.आर कोड	गतिविधि	वित्तीय मानक
RCH-3.21.OOC.1 (New FMR-21.6)	आर0बी0एस0के0 प्रोग्राम बैनर	रु0 200/ प्रति बैनर की दर से 2 बैनर प्रति टीम
RCH-3.21.IEC.3 (New FMR-21.7)	आर0बी0एस0के0 वाहन विजिबिलिटी प्रोटोकॉल	रु0 4000.00 प्रति वाहन की दर से
RCH-3.22.IEC.2 (New FMR-22.6)	प्रसव इकाई हेतु बर्थ डिफेक्ट्स पोस्टर का मुद्रण	रु0 20.00 प्रति पोस्टर की दर से
HSS(U).2.134.IEC.1 (New FMR-134.2)	आर0बी0एस0के0 नगरीय वाहन विजिबिलिटी प्रोटोकॉल	रु0 4000.00 प्रति वाहन की दर से

उपरोक्त मदों में आवंटित धनराशि के व्यय के संदर्भ में कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/आर.बी.एस.के./2/2022–23/4833–2 दिनांक 03.10.2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करें।

रेफरल सपोर्ट फॉर सेकण्डरी/टरशियरी केयर- FMR Code- 22.3

- कार्यक्रम के अन्तर्गत संदर्भित बच्चों के उपचार हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान स्तर पर चिन्हित स्वास्थ्य अवस्थाओं की निःशुल्क शल्य चिकित्सा हेतु निम्न तालिका के अनुसार धनराशि का प्राविधान किया गया है।

Sl.No.	District	Name of Medical college	Rs. (in lakh)
1	Agra	S.N. Medical College, Agra	10.00
2	Aligarh	JN Medical College & Hospital AMU	300.00
3	Budaun	Goverment Medical College	5.00
4	Etawah	RIMS, Safai Etawah (UPUMS)	10.00
5	GB Nagar	SSPHPGTI GB Nagar	90.00
6	Gorakhpur	B.R.D. Medical College, Gorakhpur	5.00
7	Jhansi	M.L.B. Medical College, Jhansi	25.00
8	Kanpur Nagar	L.P.S. HRS Kanpur Nagar	5.00
9	Lucknow	K.G.M.U. Lucknow	15.00
10	Lucknow	SGPGI Lucknow	5.00
11	Lucknow	Dr. RML IMS Lucknow	50.00
12	Meerut	L.L.R.M. Medical College,Meerut	5.00
13	Prayagraj	M. L. N. Medical College	10.00
14	Sitapur	Regional Eye Institute Sitapur	30.00
15	Varanasi	Sir Sundarlal Hospital, BHU	5.00
		Total	**570.00**

- कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित स्वास्थ्य दशाओं के शल्य चिकित्सा पैकेज के रूप में भारत सरकार द्वारा अधिकतम धनराशि की सीमा निर्धारित की गयी है। पैकेज में शल्य क्रिया, परीक्षण (Pre and post investigation) शुल्क सहित सम्मिलित है। शल्य चिकित्सा हेतु विभिन्न लाजिस्टिक्स का प्रबंधन मेडिकल कालेज/संस्थान में प्रचलित क्रय नियमों के अनुसार किया जाना है। उपचार में होने वाले

व्यय का भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाना है। अपेक्षित है कि **व्यय की गई धनराशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित पैकेज की अधिकतम धनराशि से अधिक न हो।**

- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सारणी के अनुसार संबंधित मेडिकल कालेज/संस्थान को धनराशि हस्तांतरित कर दें।

नोटः– राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान से भविष्य में आवश्यकतानुसार धनराशि की मांग होने पर संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त राज्य स्तर को मांग पत्र प्रेषित करने पर आवश्यक धनराशि जनपदों को आवंटित की जा सकती है।

डी0ई0आई0सी0 नोडल ट्रेनिंग सेन्टर हेतु आपरेशनल कॉस्ट- FMR Code- 22.5

- कार्यक्रम के अन्तर्गत ए0एम0यू0 अलीगढ़ में स्थापित डी0ई0आई0सी0 नोडल ट्रेनिंग सेन्टर के संचालन हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट जैसे– a) consumables, b) maintenance of training centre room, AMC/ CMC of equipment, inverter, Audiovisual system, battery backup C) Miscellaneous stationary, printing paper etc other routine articles हेतु वार्षिक एक मुश्त रु0 1.00 लाख की धनराशि आवंटित की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि रु0 1.00 लाख जे0एन0 मेडिकल कालेज ए0एम0यू0 अलीगढ़ को हस्तांतरित कर दें।

के0जी0एम0यू0 लखनऊ में संचालित डी0ई0आई0सी0 हेतु उपकरण की व्यवस्था– FMR Code- 22.7

- कार्यक्रम के अन्तर्गत के0जी0एम0यू0 लखनऊ में स्थापित डी0ई0आई0सी0 हेतु रु0 30.89 लाख के उपकरण की व्यवस्था की जानी है। उपकरण क्रय के संबंध में पृथक से दिशा निर्देश दिनांक 24.07.2024 को प्रेषित किये गये हैं। उक्त के सदंर्भ में संक्षिप्त विवरण निम्नवत है–
- डी0ई0आई0सी0 के संचालन हेतु रु0 20.00 लाख के उपकरणों 1. Brainstem Evoked Response Audiometer (BERA), 2. Automated Blood cell Counter (3 part), 3. Semi-automated analyzer की व्यवस्था राज्य स्तर से यू.पी. मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लि0 के माध्यम से की जा रही है। शेष उपकरणों का क्रय जनपद स्तर पर नियमानुसार जेम पोर्टल/ई–टेण्डर के माध्यम से किये जाने हेतु एफ0एम0आर0 कोड 22.7 डी0ई0आई0सी0 हेतु उपकरण मद में रु0 10.89 लाख की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति जनपद लखनऊ को आवंटित की जा रही है।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि के0जी0एम00यू0 लखनऊ को हस्तांतरित कर दिया जाए।

डी.ई.आई.सी. इन्टीरियर डिजाइन– FMR Code- 22.9

- कार्यक्रम के अन्तर्गत के0जी0एम0यू0 लखनऊ में स्थापित डी0ई0आई0सी0 का इन्टीरियर डिजाइन किया जाना है, जिसके संदर्भ में Guidelines for Interior Design and Specifications of District Early Intervention Center (DEIC) April 2023 में दिये गये निर्देशानुसार मानक निर्धारित किया गया है। इस हेतु रु0 20.43 लाख की धनराशि आवंटित की जा रही है। डी0ई0आई0सी0 के इन्टीरियर डिजाइन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बुकलेट "Resource Manual for EQUIPMNENT AND INFRASTRUCTURE for DEIC under RBSK" का भी सहयोग लिया जा सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ द्वारा रु0 20.43 लाख की धनराशि के0जी0एम00यू0 लखनऊ को हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है।

बर्थ डिफेक्ट्स बुकलेट फॉर आशा– FMR Code- 23.8

- गृह आधारित नवजात देखभाल (एच0बी0एन0सी0) कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा को जीवन के पहले 42 दिनों तक निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार सभी नवजात शिशुओं का भ्रमण करना होता है। भ्रमण के दौरान नवजात शिशुओं में जन्मजात दोषों की पहचान हेतु प्रत्येक आशा को बर्थ डिफेक्ट्स बुकलेट दी जानी है। बुकलेट के मुद्रण हेतु रु0 25.00 प्रति बुकलेट (साईज– ए4, आर्ट पेपर, मल्टीकलर) की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है।

मानव संसाधन–

क्रसं0	FMR code	मानव संसाधन	वित्तीय मानक
1	185.C.S0310 to 331	मोबाइल हेल्थ टीम	–कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व से संविदा पर तैनात समस्त कर्मियों के मानदेय हेतु धनराशि वर्ष 2023–24 में दिये जा रहे मानदेय में 5 प्रतिशत वृद्धि कर आवंटित की जा रही है। नियमानुसार मानदेय व ई0पी0एफ0 का भुगतान किया जाये। –ए0एम0यू0 अलीगढ़ द्वारा पीडियाट्रिक कार्डियक यूनिट में समस्त प्रस्तावित रिक्त पदों पर भर्ती कर इकाई को वांछनीय स्तर पर क्रियाशील किया जाना अपेक्षित है। –आउटसोर्स स्टाफ के मानदेय हेतु आवंटित धनराशि में मानेदय वृद्धि, EPF, ESI, GST, Service charges (upto 10%) सम्मिलित है। नियमानुसार मानदेय का भुगतान किया जाये। –न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का नियमानुसार पालन किया जाए।
2	185.C.P260	डी0ई0आई0 मैनेजर	
3	185.C.S0348	Peadiatric Speech Therapist at SGPGI Lucknow	
4	185.C.S0341 to 400	डी0ई0आई0 स्टॉफ	
5	185.OOC.7	Paediatric Cardiac Evaluation and Cardiac Surgery Unit AMU staff Aligarh	

- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सारिणी के अनुसार मानदेय की धनराशि संबंधित मेडिकल कालेज/संस्थान को हस्तांतरित कर दें।

निम्नलिखित डी0ई0आई0सी0 पदों पर *नवीन भर्ती हेतु* बेसिक मानदेय में संशोधन किया गया है–

FMR code	DEIC HR	Basic Honoraria (Rs.)/Month
HSS.9.185.C.S0347	MO, MBBS	1,00,000/*

**** बढ़ा हुआ बेसिक मानदेय केवल रिक्त पदों के लिए लागू है।***

नोट–

1. कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों हेतु मानदेय मद में अवांटित धनराशि बजट मात्र है। मानदेय का भुगतान वास्तिक मानदेय निर्धारण के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा।
2. कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व के संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/आर.बी.एस.के./2/2023–24/1007–2 दिनांक 08.05.2023 का संदर्भ लें।

नगरीय क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन–

- **चिन्हित 31 जनपदों हेतु विशेष निर्देश**–
  - नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यों हेतु बैठने की व्यवस्था, सुसंगत स्थान यथा– जिला चिकित्सालय/नगरीय सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/डी0पी0एम0यू0 कार्यालय में की जाए।
  - नगरीय क्षेत्र के स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में टीम के भ्रमण हेतु टैक्सी परमिट वाहन, टीम हेतु उपकरणों एवं औषधियों की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाए।
  - समस्त नव चयनित ए0एन0एम0 एवं फार्मासिस्ट को नोडल अधिकारी आर0बी0एस0के0 एवं डी0ई0आई0सी0 मैनेजर द्वारा कार्यक्रम के लिए अभिमुखीकृत करते हुए शहर के निकटतम ब्लाक में कार्यरत मोबाइल हेल्थ टीम के साथ कार्य की हैण्ड्स ऑन ट्रेनिंग सुनिश्चित की जाए।
  - शिक्षा विभाग एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग के समन्वय से नगरीय स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों का डाटा एकत्रित कर नगरीय स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के भ्रमण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 का माइक्रोप्लान तैयार कर लिया जाए।

- नगरीय क्षेत्रों की टीमों के लिए आयुष चिकित्सकों की तैनाती से पूर्व कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ऐसी मोबाइल हेल्थ टीम, जिनमें 2 चिकित्सक तैनात हों, में से किसी एक चिकित्सक को कुछ समय के लिए एक नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम का प्रभार देते हुए टीमों का भ्रमण सुनिश्चित किया जाए।
- भ्रमण के दौरान चिन्हित 4Ds का संदर्भन नगरीय सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 / जिला चिकित्सालय में करते हुए उनका प्रबंधन कराया जाना है।
- जिस चिकित्सालय पर टीम तैनात की जायेगी, समस्त जन्मजात दोषों की स्क्रीनिंग कराने, रिपोर्टिंग रेफरल एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी उक्त टीम की होगी।

- <u>**शेष 44 जनपदों हेतु निर्देश**</u>–
  - चिन्हित 31 जनपदों के अतिरिक्त अन्य 44 जनपदों में पृथक से नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम की व्यवस्था नहीं है। अतः उक्त जनपदों के नगरीय क्षेत्र में स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण पूर्व से तैनात ग्रामीण क्षेत्र की टीमों के सहयोग से ही किया जाना है।
  - जनपद के नगरीय क्षेत्र की विशालता के अनुरुप आवश्यकतानुसार मोबाइल हेल्थ टीमों की व्यवस्था की जानी है।
  - नगरीय क्षेत्र के समीपस्थ अथवा कम आबादी वाले ब्लाक की ऐसी टीमें जिनके द्वारा उनके अपने क्षेत्र में नियमानुसार भ्रमण के उपरान्त समय अवशेष रहता है, का उपयोग नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम के रुप में किया जाये।
  - शिक्षा विभाग एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग से समन्वय स्थापित कर नगरीय स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्र का डाटा एकत्रित करते हुए अंतर्विभागीय सहयोग से नगरीय स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के भ्रमण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 का माइक्रोप्लान तैयार कर लिया जाए।
  - नगरीय क्षेत्र के स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में टीम के भ्रमण हेतु उनके पास पूर्व से उपलब्ध टैक्सी परमिट वाहन अथवा नियमानुसार क्षेत्रीय व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
  - भ्रमण के दौरान चिन्हित 4डी का संदर्भन नगरीय सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 / जिला चिकित्सालय में करते हुए उनका प्रबंधन कराया जाना है।
- <u>**नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम हेतु सामान्य निर्देश**</u>–
  - प्रत्येक नगरीय मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल (कक्षा 1 से 12 तक) का भ्रमण वर्ष में एक बार एवं आंगनबाड़ी केन्द्र का भ्रमण वर्ष में दो बार किया जाना है।
  - प्रत्येक टीम द्वारा प्रतिदिन 100–120 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है।
  - भ्रमण हेतु विजिबिलिटी प्रोटोकॉल तथा जी0पी0एस0 युक्त टैक्सी परमिट वाहन एवं स्क्रीनिंग हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक (आर0बी0एस0के0 कार्ड, रजिस्टर, उपकरण, औषधियॉ) की व्यवस्था जनपदीय नोडल अधिकारी–आर0बी0एस0के0 के द्वारा सुनिश्चित की जानी है। इस हेतु डी0ई0आई0सी0 मैनेजर समन्वय स्थापित करेंगे।
  - नगरीय क्षेत्र में कार्यरत समस्त टीमों की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर डी0ई0आई0सी0 मैनेजर द्वारा एकत्रित कर राज्य स्तर पर प्रेषित की जायेगी।

<u>RBSK Attendance and Monitoring App का संचालन– FMR Code- 21.16</u>

- सिफ्सा उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या 03 / सिफ्सा / रेमी–पी0आई0पी0 / 2023–24 / 517 दिनांक 29 अगस्त 2023 के माध्यम से आर0बी0एस0के0 अन्तर्गत RBSK Attendance and Monitoring App के संचालन हेतु निम्न विवरण के अनुसार प्रस्ताव दिया गया था:–

  Enhancement of RBSK monitoring App shall be continued with Updation and Upgradation of new features as per Android version/ as per requirements. The implementation shall be carried out by NHM with technical support from SIFPSA. The process for selection of agency for carrying out task in 75 districts of Uttar Pradesh from State level. The heads under the programme/App is proposed as under:

1. Updation and Upgradation as per Android version and maintenance.
2. Training and technical support.
3. A technical skilled manpower to be positioned in SIFPSA for ensuring that all queries outside of standard scope and observations are dealt with swiftly
4. Security Audit of Application through Cert-in empanelled Company
5. SSL for the application.
6. Cost per annum of one year hosting on NHM server.

- उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि RBSK Attendance and Monitoring App के संचालन सिफ्सा द्वारा किया जाना है, जिसके लिए एफ0एम0आर0 कोड 21.16 आर0बी0एस0के0 मोबाइल ऐप मद में कुल रु0 12.00 लाख की धनराशि सिफ्सा उ0प्र0 लखनऊ को आवंटित की जा रही है। उपर्युक्त धनराशि का उपयोग सक्षम स्तर से अनुमोदित कराते हुए प्रस्ताव के अनुसार नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु किया जाना है।

उपरोक्त आवंटित धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी–आर.बी.एस.के. एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

समस्त भुगतान FAMS Software का उपयोग करते हुए PFMS पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किये जाए, जिससे कि व्यय धनराशि एवं उपलब्ध बजट का सतत अनुश्रवण किया जा सके।

उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों के अनुसार जनपद में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का सफल संचालन सुनिश्चित करें।

6. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

6. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 से 19 वर्ष के किशोरों का सार्वभौमिक आच्छादन किया जाता है। इसमें शहरी और ग्रामीण, स्कूल जाने वाले, स्कूल न जाने वाले,/विवाहित अविवाहित तथा असेवित वर्ग के किशोर/किशोरी सम्मिलित हैं।

कार्यालय के पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/बजट/02/2023–24/1005–2 दिनांकः 08 मई, 2023 द्वारा वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये थे। वर्ष 2024–25 हेतु एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/बजट/02/2024–25/1951–2 दिनांक 08.07.2024 के माध्यम से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं। समस्त गतिविधियां पूर्व में प्रेषित एवं तालिका में अंकित पत्राकों के दिशा–निर्देशों के अनुरूप संचालित की जानी है।

वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों/गतिविधियों के सुचारु रुप से संचालन हेतु निम्न मदों में धनराशियां स्वीकृत की गई है, जिनका उपयोग दिये गये मानकानुसार सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

क स.	गतिविधि का नाम	नवीन एफ.एम. आर. कोड	मानक/पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक
मानव संसाधन			
1	जनपदीय आर0के0एस0के0 कोआर्डिनेटर/कन्सल्टेन्ट मानदेय	185.C.P266	वर्तमान में कार्यरत् कोआर्डिनेटर/कन्सल्टेन्ट के मानदेय हेतु 12 माह की धनराशि स्वीकृत की जा रही है। जिसका उपयोग मानव संसाधन डैप के निर्देशानुसार किया जाना है। जनपदीय आर0के0एस0के0 कोआर्डिनेटर का कार्य एवं दायित्व पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं।
2	किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर के मानदेय	185.C.S0521	जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर स्थापित साथिया केन्द्र में वर्तमान में कार्यरत् काउन्सलर्स के मानदेय हेतु 12 माह की धनराशि स्वीकृत की जा रही है। जिसका उपयोग मानव संसाधन डैप के निर्देशानुसार किया जाना है। किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर के कार्य एवं दायित्व पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं।
किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक सेवाएं			
3	किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक हेतु ऑपरेशनल व्यय।	35.1	साथिया केन्द्र के ऑपरेशनल व्यय हेतु रु0 12000.00 प्रति वर्ष प्रति साथिया केन्द्र की दर से।
4	साथिया कार्नर हेतु ऑपरेशनल व्यय।	35.3	माध्यमिक विद्यालयों में रु0 10000.00 प्रति वर्ष प्रति साथिया कार्नर की दर से।
5	माध्यमिक विद्यालयों में साथिया कार्नर स्थापित करने।	35.5	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/ए.एफ.एच.एस/03/2022–23/9166–3 दिनांकः 01.03.2023 के अनुसार किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक/साथिया कार्नर की माध्यमिक विद्यालयों में स्थापना हेतु धनराशि रू0 25000.00 प्रति साथिया कार्नर की दर से धनराशि स्वीकृत।
6	किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर हेतु मोबिलिटी एवं कम्युनिकेशन सपोर्ट।	35.6	• रू0 400.00 प्रति आउटरीच भ्रमण की दर से अधिकतम 08 आउटरीच गतिविधि प्रतिमाह 12 माह हेतु। • रू0 300.00 प्रति माह की दर से कम्युनिकेशन सपोर्ट 12 माह हेतु।

क्र स.	गतिविधि का नाम	नवीन एफ.एम. आर. कोड	मानक / पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक
7	जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट हेतु मोबिलिटी सपोर्ट।	35.7	आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट हेतु प्रति भ्रमण रू0 500.00 की दर से प्रति माह कुल 6 भ्रमण तथा कम्यूनिकेशन एवं इन्टरनेट हेतु रू0 300.00 प्रति माह की दर से 12 माह के लिये।
8	जनपद स्तरीय आर0के0एस0के0 समीक्षा बैठक।	35.8	जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक हेतु 10 ब्लॉक से कम वाले जनपदों हेतु प्रति बैठक रू0 5000.00 तथा 10 ब्लॉक से अधिक वाले जनपदों हेतु प्रति बैठक रू0 8000.00 की दर से।
9	किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक हेतु ए0एफ0एच0एस0 कार्ड एवं रजिस्टर।	35.9	पत्रांक–एस.पी.एम.यू. / किशोर स्वास्थ्य / बजट / 02 / 2023–24 / 4907–2 दिनांकः 08.10.2022 के अनुसार ए.एफ.एच.एस. रजिस्टर एवं ए.एफ.एच.एस. कार्ड का मुद्रण निम्न दरों पर कराया जाना हैः– ✓ प्रति कार्ड रु0 2.00 की दर से 3000 कार्ड प्रति क्लीनिक हेतु ✓ रु0 200.00 प्रति रजिस्टर की दर से 02 रजिस्टर प्रति क्लीनिक
10	किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक हेतु हैंण्डआउट।	35.10	किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के 06 मुख्य विषयों पर आधारित 06 प्रकार के कुल 6000 हैण्डआउट प्रति क्लीनिक (1000 प्रति विषय) रू0 3.50 प्रति हैंण्डआउट की दर से पत्रांक–एस.पी.एम. यू. / किशोर स्वास्थ्य / बजट / 02 / 2023–24 / 4907–2 दिनांकः 08.10.2022 के अनुसार।
11	ए.एफ.एच.एस. मेडिकल ऑफिसर प्रशिक्षण	35.13	RHFWTC पर मेडिकल आफिसर 02 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु रू0 1.35 लाख प्रति बैच की दर से धनराशि स्वीकृत। विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।
विफ्स "साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यक्रम			
12	आयरन की नीली गोली (60मिग्रा0)	36.3	शासनादेश संख्या–एस.पी.एम.यू. / आर.के.एस.के. / 7 / 2016–17 / 3091–8 दिनांकः 30.06.2016 के अनुसार साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यक्रम के अर्न्तगत 10 से 19 वर्ष के छात्र–छात्राओं एवं स्कूल न जाने वाली किशोरियों (आंगनवाड़ी केन्द्रों पर) को आयरन की (60 एम.जी.) की यू0पी0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन द्वारा जनपदों में उपलब्ध करायी गयी बड़ी नीली गोली की रिपोर्टिंग एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर की जाये।
13	विफ्स कार्ड	36.4	पत्रांक–एस.पी.एम.यू. / किशोर स्वास्थ्य / बजट / 02 / 2023–24 / 4907–2 दिनांकः 08.10.2022 के अनुसार रू0 3.50 प्रति कार्ड की दर से।
सथिया (पीयर एजुकेटर) कार्यक्रम			
14	किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस पर मोबिलाईजेशन हेतु आशा प्रोत्साहन।0	38.2	रू0 200 प्रति किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस की दर से प्रति आशा हेतु प्रोत्साहन धनराशि किशोर–किशोरियों को मोबिलाईजेशन करने हेतु।
15	जनपद स्तरीय पीयर एजुकेटर टी.ओ.टी.	38.3	कार्यालय के पत्रांक एस0पी0एम0यू0 / आर.के.एस.के. / प्रशिक्षण / 08 / 2017–18 / 3122–25 दिनांक 05.07.2017 के अनुसार जनपद स्तरीय टी.ओ.टी. हेतु रू0 147000 प्रति बैच की दर से धनराशि स्वीकृत।
16	पीयर एजुकेटर का 06 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण	38.4	पत्रांक एस0पी0एम0यू0 / आर.के.एस.के. / प्रशिक्षण / 08 / 2017–18 / 3122–25 दिनांक 05.07.2017 के अनुसार सभी नवीन चयनित पीयर एजुकेटर / साथिया के 06 दिवसीय ब्लॉक

क्र स.	गतिविधि का नाम	नवीन एफ.एम. आर. कोड	मानक/पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक
			स्तरीय प्रशिक्षण हेतु जनपद बहराइच को प्रति बैच रू0 70000 की दर से 149 बैच हेतु।
17	पीयर एजुकेटर्स हेतु नान मानिटरी इन्सेन्टिव।	38.5	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/प्रोक्योरमेंट /13/2019– 20/7486 दिनांक : 03 दिसम्बर, 2019 के अनुसार समस्त प्रशिक्षित पीयर एजुकेटर हेतु रू0 50 प्रतिमाह प्रति पीयर एजुकेटर की दर से।
18	किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस।	38.6	रू0 2500.00 प्रति किशोर स्वास्थ्य कल्याण दिवस की दर से धनराशि स्वीकृत।
19	किशोर स्वास्थ्य क्लब की बैठक।	38.7	पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/किशोर स्वास्थ्य/पीयर एजुकेटर /04/2018–19/10203–25 दिनांकः 31.12.2018 के अनुसार रू0 500.00 प्रति किशोर स्वास्थ्य क्लब की मासिक बैठक की दर से 8 माह के लिए बैठक की रिपोर्ट एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर अपलोड की जानी है तथा विस्तृत रिपोर्ट पृथक से राज्य स्तर पर प्रेषित की जाए।
20	उत्कृष्ट कार्य करने वाले पीयर एजुकेटर हेतु पुरस्कार एवं सम्मानित	38.8	पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/किशोर स्वास्थ्य/पीयर एजुकेटर/04/ 2023–24/4969–2 दिनांक :14.09.2023 के अनुसार धनराशि रु0 01.00 लाख प्रति जनपद की दर से।
आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम			
21	जनपद स्तरीय स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम टी.ओ.टी।	39.1	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/एस.एच.पी./15/ 2022–23/5856–2दिनांक : 15/11/2022 के अनुसार जनपद सहारनपुर एवं वाराणसी हेतु जनपद स्तरीय हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम 04 दिवसीय टी.ओ.टी के लिए धनराशि रू0 90200.00 प्रति बैच की दर से।
22	ब्लाक स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर प्रशिक्षण।	39.2	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोरस्वास्थ्य/एस.एच.पी./15/ 2022–23/5856–2 दिनांक : 15/11/ 2022 तथा – एस.पी. एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/एस.एच.पी./15/ 2020–21/ 6502–2 दिनांक : 20/01/2021 के अनुसार जनपद बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़ एवं वाराणसी हेतु धनराशि रू0 52800.00 प्रति बैच की दर से।
23	ब्लाक स्तरीय प्रधानाचार्य अभिमुखीकरण कार्यक्रम।	39.3	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/एस.एच.पी.15/ 2022–23 /5856–2 दिनांक : 15/11/2022 के अनुसार रू0 3000.00 प्रति ब्लाक की दर से जनपद सहारनपुर एवं वाराणसी हेतु।
24	प्रशिक्षण माड्यूल पोस्टर एवं अन्य आई. ई.सी. सामग्री का मुद्रण।	39.4	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/एस.एच.पी./15/ 2022–23 /5856–2 दिनांक : 15/11/2022 के अनुसार जनपद सहारनपुर एवं वाराणसी हेतु स्कूल हेल्थ एण्ड वेलनेस कार्यक्रम के माड्यूल पोस्टर एवं अन्य आई.ई.सी. सामग्री के लिए।
25	हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर एवं मैसेन्जर के लिये मर्चेन्टडाइज के प्रोक्योरमेंट।	39.5	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/एस.एच.पी./15/ 2022–23/5856–2 दिनांक : 15/11/2022 के अनुसार जनपद सहारनपुर एवं वाराणसी हेतु हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर एवं मैसेन्जर के मर्चेन्टडाइज के लिए।

क्र स.	गतिविधि का नाम	नवीन एफ.एम. आर. कोड	मानक/पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक
26	जनपद स्तरीय SHWP एम.आई.एस. टी.ओ.टी. एवं ब्लाक स्तरीय SHWP एम.आई.एस. प्रशिक्षण	39.6	**जनपद स्तर–** स्कूल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम की ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु एम.आई.एस. ऐप का प्रशिक्षण कराया जाना है। प्रत्येक ब्लाक से 02 प्रतिभागियों (पूर्व में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों में से ही एक स्वास्थ्य एवं एक शिक्षा विभाग) द्वारा प्रतिभाग किया जाना है)। प्रशिक्षणोपरान्त इनके द्वारा ब्लाक स्तर पर एम.आई.एस. का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। टी.ओ.टी हेतु 10 ब्लॉक से कम वाले जनपदों हेतु प्रति जनपद रू0 8000.00 तथा 10 ब्लॉक से अधिक वाले जनपदों हेतु प्रति जनपद रू0 10000.00 की दर से। **ब्लॉक स्तर–** समस्त अपर प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर को ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु एस.एच.डब्ल्यू.पी. एम.आई.एस. पर प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षणोपरान्त हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर द्वारा एस.एच.डब्ल्यू.पी.एम.आई.एस पर रिपोर्टिंग की जाये। एम.आई.एस. प्रशिक्षण हेतु धनराशि रू0 3000.00 प्रति ब्लाक की दर से।
27	उत्कृष्ट कार्य करने वाले हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर हेतु पुरस्कार एवं सम्मान	39.7	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/एस.एच.डब्ल्यू.पी./15/2023–24/4562–2 दिनांक : 06/09/2023 के अनुसार रु0 100000.00 प्रति की दर से।
अन्य किशोर स्वास्थ्य गतिविधियां			
28	किशोर स्वास्थ्य मंच का आयोजन।	40.2	माध्यमिक विद्यालयों में रू0 5000.00 प्रति किशोर स्वास्थ्य मंच आयोजन की दर से।
जूनियर विफ्स "साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यक्रम			
29	जूनियर विफ्स कार्ड।	52.3	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/बजट/02/2023–24/ 4907–2 दिनांकः 08.10. 2022 के अनुसार रू0 3.50 प्रति कार्ड की दर से।
30	आयरन की पिंक गोलियां	52.4	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समस्त सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के छात्र–छात्राओं को आयरन की पिंक गोली (45 एम.जी.) यू.पी. एम.एस.सी.एल द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यक्रम की रिपोर्टिंग एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर की जानी है।
31	आर.बी.एस.के. टीम द्वारा डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर से हीमोग्लोबिन परीक्षण।	52.5	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/इन्डेंट/27/2023–24/ 3735–2 दिनांक :06.08. 2023 के अनुसार समस्त जनपदों की आर.बी.एस.के. टीम द्वारा डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर से छात्रों का हीमोग्लोबिन परीक्षण किया जाना है। जनपदों को यू.पी.एम.एस.सी.एल द्वारा हीमोग्लोबिनोमीटर एवं लैनसेट, स्ट्रिप्स स्वॉब सहित उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यक्रम की रिपोर्टिंग एच.एम.आई.एस. पोर्टल एवं ई–कवच पर की जानी है।
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवसः 2024 –25 चरण हेतु ***(कार्यक्रम संचालन हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे)***			
32	मोबिलाईजेशन के लिए आशा प्रोत्साहन धनराशि	53.4	लाभार्थियों के मोबिलाईजेशन हेतु रु0 100.00 प्रति आशा की दर से।

क्र स.	गतिविधि का नाम	नवीन एफ.एम. आर. कोड	मानक/पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक
33	अभिमुखीकरण	53.5	राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर रू0 100.00 प्रति प्रतिभागी की दर से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापक एवं ए0एन0एम0 के ब्लॉक स्तरीय अभिमुखीकरण हेतु।
34	मुद्रण आई.ई.सी. मैटेरियल एवं रिर्पोटिंग प्रपत्र	53.6	राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अगस्त चरण के प्रचार–प्रसार एवं आई0ई0सी0 गतिविधियों तथा रिपोर्टिंग फार्मेट हेतु।
35	लांच एवं मीडिया जन जागरण एवं प्रचार	53.7	रू0 10000.00 प्रति जनपद एवं रू0 5000.00 प्रति ब्लॉक की दर से।
अभियान हेतु टैबलेट एल्बेण्डाजोल लक्ष्य के सापेक्ष यू0पी0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन द्वारा जनपदों में सप्लाई की जायेगी। प्रत्येक ब्लाक जनपद इकाई द्वारा डी.वी.डी.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से इन्डेंट किया जाना है। यू.पी.एम.एस.सी.एल द्वारा पूर्व में किये गये उपभोग के आधार पर सप्लाई की जायेगी। अतः डी.वी.डी.एम.एस. पोर्टल पर गोलियों के उपभोग को दर्शाना सुनिश्चित करें।			

भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गई है उसी सीमा तक नियमानुसार व्यय किया जाए। पुनः **एफ.ए.एम.एस. सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुये पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किये जायें, जिससे व्यय बजट का सतत् अनुश्रवण किया जा सके।** वित्तीय दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा धनराशि (DAP) के सापेक्ष ही व्यय किया जाये।

7. नियमित टीकाकरण कार्यक्रम

7. नियमित टीकाकरण कार्यक्रम

वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्न मदों में 12 माह हेतु धनराशियां स्वीकृत की गई है। कार्यालय के पत्रांक–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / आर.आई. / 2023–24 / 05 / 1009–2 दिनांक 08 मई, 2023 द्वारा वर्ष 2023–24 में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये थे। वित्तीय वर्ष 2024–25 की समस्त गतिविधियां पूर्व में प्रेषित एवं तालिका में अंकित दिशा–निर्देशों के अनुरूप संचालित की जानी है।

S/N	गतिविधि का नाम	New FMR Code	मानक / विवरण
1	3 bags (Red, black and yellow) **(RCH.4.32.DI.2)**	**32.1**	लाल, काले एवं पीले रंग की बैग के जनपद स्तर पर क्रय हेतु रू0 3/–प्रति बैग/प्रति सत्र (कुल 3 बैग) हेतु धनराशि स्वीकृत।
2	Bleach/Hypochlorite solution/ Twin bucket **(RCH.4.32.DI.3)**	**32.2**	ब्लीचिंग पाउडर तथा पाउडर को प्लास्टिक बाल्टी में घोलने हेतु 2 प्लास्टिक बाल्टी के क्रय के लिए रू0 500/–प्रति पी0एच0सी0 /सी0एच0सी0 /ब्लाक/अर्बन प्लानिंग यूनिट /कोल्ड चेन प्वाइंट हेतु धनराशि स्वीकृत।
3	Hub cutter **(RCH.4.32.DI.4)**	**32.3**	रू0 1000.00 प्रति कोल्ड चेन प्वाइंट की दर से धनराशि स्वीकृत।
4	Teeka Express Operational Cost- Shrawasti only (**RCH.4.32.OOC.1)**	**32.4**	जनपद श्रावस्ती हेतु रू0 62.75 लाख की धनराशि टीका एक्सप्रेस के आपरेशनल कास्ट के लिए स्वीकृत।
5	Monthly Village Health and Nutrition Days Monitoring **(RCH.4.32.OOC.2)**	**32.5**	कुल आयोजित सत्रों के 20 प्रतिशत सत्रों के पर्यवेक्षण हेतु रू0 100.00 प्रति सत्र की दर से छाया वी0/यू0एच0एन0डी0 सत्रों का पर्यवेक्षण वी0एच0एन0डी0 मोबाइल एप के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है।
6	Focus on slum & underserved areas in urban areas/alternative vaccinator for slums **(RCH.4.32.OOC.3)**	**32.6**	रु0 2100/– प्रतिमाह की दर से धनराशि व्यय की जायेगी। 33 जनपदों– **आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, औरैया, बहराईच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, अयोध्या, फतेहपुर, फिरोजाबाद, जी0बी0 नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, हरदोई, हाथरस, कौशाम्बी, खीरी, महोबा, मथुरा, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, संभल, संतकबीर नगर, शाहजंहापुर एवं उन्नाव** को धनराशि आवंटित की गई है।
7	Mobility support for mobile health team (Mobile Immunization Van) **(RCH.4.32.OOC.4)**	**32.7**	रू0 33000.00 प्रतिमाह की दर से मोबाइल इम्यूनाइजेशन वैन के लिए 62 जनपदों हेतु धनराशि स्वीकृति है। 13 जनपदों–**बदायूं, चित्रकूट, एटा, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, जौनपुर, ललितपुर, महोबा, श्रावस्ती एवं सीतापुर** को धनराशि आवंटित नहीं की गई है।
8	Alternative vaccine delivery in hard to reach areas **(RCH.4.32.OOC.5)**	**32.8**	दुर्गम क्षेत्र में टीकाकरण सत्र स्थलों पर वैक्सीन पहुंचाने हेतु 200/–प्रति टीकाकारण सत्र की दर से 67 जनपदों को धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। 8 जनपदों–**बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हाथरस, जालौन, रामपुर, सहारनपुर एवं भदोही** को धनराशि आवंटित नहीं की गई है।
9	Alternative Vaccine Delivery in other areas **(RCH.4.32.OOC.6)**	**32.9**	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नियमित टीकाकरण सत्रों में सत्र स्थल पर वैक्सीन पहुंचाने हेतु 90/–प्रति सत्र की दर से धनराशि स्वीकृत।
10	POL for Vaccine delivery	**32.10**	राज्य मुख्यालय/रीजनल वैक्सीन डिपो/मण्डल

	from State to District and from district to PHC/CHCs **(RCH.4.32.OOC.7)**		मुख्यालयों से जनपद तथा ब्लाक स्तर पर वैक्सीन वैन से वैक्सीन ले जाने हेतु प्रत्येक जनपद को रू0 2,00,000/–प्रति जनपद की दर से धनराशि स्वीकृत।
11	Cold chain maintenance **(RCH.4.32.OOC.8)**	**32.11**	रू0 20,000/– प्रति जनपद प्रति वर्ष तथा रू0 1000/– प्रति ब्लाक/कोल्डचेन प्वाइंट्स/अर्बन प्लानिंग यूनिट हेतु एवं 09 एस0वी0एस0 (लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, झांसी, कानपुर नगर, अयोध्या, गोरखपुर एवं वाराणसी) हेतु रू0 50,000/– की दर से धनराशि स्वीकृत।
12	Funds for annual maintenance operation of WIC/WIF at state and division level. **(RCH.4.32.OOC.10)**	**32.13**	मण्डल स्तर पर रू0 40,000.00 प्रति इकाई की दर से केवल 18 मण्डलीय जनपदों हेतु धनराशि स्वीकृत।
13	Funds for Electricity bill for WIC/WIF at state and division level **(RCH.4.32.OOC.11)**	**32.14**	मण्डलीय 18 जनपदों में वाक–इन कूलर/वाक–इन फ्रीजर (Walk in Cooler / Walk in Freezer) में व्यय होने वाली विद्युत व्यवस्था के बिल भुगतान हेतु रू0 1,50,000.00 प्रति डब्लू0आई0सी0/डब्लू0आई0एफ0 प्रति वर्ष की दर से धनराशि स्वीकृति।
14	Funds for POL for generators & operational expenses at divisional vaccine storage and state vaccine store **(RCH.4.32.OOC.12)**	**32.15**	मण्डलीय 18 जनपदों में मण्डल पर स्थापित वैक्सीन स्टोर प्वाइंट्स हेतु रू0 2,00,000.00 प्रति वैक्सीन स्टोर प्वाइन्ट्स की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
15	Funds for POL for generators & operational expenses at district level vaccine storage points and other cold chain points **(RCH.4.32.OOC.13)**	**32.16**	जनपद स्तर पर स्थापित वैक्सीन स्टोर प्वाइंट्स हेतु रू0 1.20 लाख प्रति वैक्सीन स्टोर प्वाइन्ट्स की दर से धनराशि स्वीकृत।
16	2 days Cold chain handlers training at District level **(RCH.4.32.CB.1)**	**32.21**	महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या अ0नि0/यू0आई0पी0/कैम्प/ 2023–24/12529–75 दिनांक 06 जुलाई, 2023 के मानकों के अनुसार दो दिवसीय कोल्ड चेन हैण्डलर्स के प्रशिक्षण के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। विस्तृत दिशा–निर्देश महानिदेशक परिवार कल्याण द्वारा पृथक से प्रेषित किए जाएंगे।
17	2 days' health workers training **(RCH.4.32.CB.2)**	**32.22**	महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या अ0नि0/यू0आई0पी0/2023–24/12015 दिनांक 06 जून, 2023 के मानकों के अनुसार दो दिवसीय हेल्थ वर्कर के प्रशिक्षण के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। विस्तृत दिशा–निर्देश परिवार कल्याण महानिदेशालय स्तर से पृथक से प्रेषित किए जाएंगे।
18	1 day data handler training at district level **(RCH.4.32.CB.3)**	**32.23**	महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या अ0नि0/यू0आई0पी0 /कैम्प/2023–24/12529–75 दिनांक 06 जुलाई, 2023 के मानकों के अनुसार एक दिवसीय डाटा हैण्डलर्स के प्रशिक्षण के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। विस्तृत दिशा–निर्देश महानिदेशक परिवार कल्याण द्वारा पृथक

			से प्रेषित किए जाएंगे।
19	3 days MO training **(RCH.4.32.CB.4)**	**32.24**	महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या अ0नि0 / यू0आई0पी0 / कैम्प / 2023–24 / 11919–11 दिनांक 06 जून, 2023 के मानकों के अनुसार तीन दिवसीय मेडिकल ऑफिसर प्रशिक्षण के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। विस्तृत दिशा–निर्देश महानिदेशक परिवार कल्याण द्वारा पृथक से प्रेषित किए जाएंगे।
20	ASHA Incentive under Immunization **(RCH.4.32.ASHA.1)**	**32.27**	आशा प्रोत्साहन राशि कुल रू0 225 / – प्रति लाभार्थी की दर से स्वीकृत है।।
21	Mobilization of children through ASHA or other mobilizers **(RCH.4.32.ASHA.2)**	**32.28**	आशा / आर0आई0 मोबिलाइजर (लिंक वर्कर) द्वारा ग्रामीण / शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण सत्र स्थल पर लाभार्थियों को लाकर टीकाकरण कराने हेतु रू0 150 / –प्रति टीकाकरण सत्र की दर से धनराशि की स्वीकृति।
22	Incentive to link worker for preparation of Due List of Children to be Immunized **(RCH.4.32.ASHA.3)**	**32.29**	जिन ग्रामीण / शहरी क्षेत्रों में आशा उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों में लिंक वर्कर हेतु ड्यू लिस्ट तैयार किए जाने हेतु रू0 100 / –प्रति सत्र की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
23	Consumables for computer including provision for internet access for strengthening RI **(RCH.4.32.PME.1)**	**32.30**	जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के कार्यालय में कम्प्यूटर के इन्टरनेट हेतु रू0 1000 / – प्रति माह की दर से धनराशि स्वीकृत।
24	To develop microplan at sub-Centre level **(RCH.4.32.PME.2)**	**32.31**	नियमित टीकाकरण की कार्ययोजना हेतु उपकेन्द्र के लिए रू0 100.00 प्रति उपकेन्द्र, की दर से धनराशि स्वीकृत।
25	consolidation of RI microplan blocks urban planning & District **(RCH.4.32.PME.3)**	**32.32**	माइक्रोप्लान बनाने एवं उसका अद्युनांत करने हेतु ब्लाक स्तर पर प्रति ब्लाक / पी0एच0सी0 हेतु रू0 1000.00 की दर से एवं प्रति जनपद रू0 2000.00 की दर से धनराशि स्वीकृत।
26	Quarterly review meetings exclusive for RI at district level **(RCH.4.32.PME.5)**	**32.34**	त्रैमासिक समीक्षा बैठकों के आयोजन हेतु रू0 100.00 प्रति प्रतिभागी बैठक की दर से धनराशि स्वीकृत।
27	Quarterly review meetings exclusive for RI at block level **(RCH.4.32.PME.6)**	**32.35**	त्रैमासिक समीक्षा बैठक हेतु रू0 1000 / –प्रति ब्लाक की दर से एवं रू0 500 / –प्रति अर्बन प्लानिंग यूनिट की दर से धनराशि स्वीकृत।
28	Mobility Support for supervision for district level officers **(RCH.4.32.PME.7)**	**32.36**	जनपद स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण के लिए 09 जनपदों को रू0 2.00 लाख की दर से, 13 जनपदों को रू0 2.25 लाख की दर से, 36 जनपदों को रू0 2.50 लाख की दर से एवं 17 जनपदों को रू0 3.00 लाख की दर से धनराशि स्वीकृति।

29	IEC Activities for Immunization-VHND/RI session Banner, VAS Banner, Wall Painting **(RCH.4.32.IEC.1.B)**	**32.38**	• नियमित टीकाकरण एवं वी0एच0एन0डी0 सत्रों हेतु प्रति ए0एन0एम0 02 बैनर @ रू0 270 / –**(6' x 3')** प्रति बैनर की दर से धनराशि स्वीकृत है।
			• **Wall painting (writing) -(Rs 20/ Sq ft.) (Size 6 x 3 Sq Ft) Rs. 360/- per wall painting**
			  • 1 wall painting, per district
			  • 12 wall painting, per block
			  • 1 wall painting, per urban planning unit (472)

30			• 1 wall painting, per District level Hospital • wall painting 01 sub Centre ares/panchyat bhawan/aww center (6 x 4) Rs. 20/- squre feet Rs. 480/-per wall painting **Banners for Vitamin A Supplementation Program- (6' x 2') @ Rs 15/ Sq Ft)-** विटामिन ए सम्पूरण कार्यक्रम हेतु दोनों चरणों हेतु प्रति एन0एन0एम0 01 बैनर @ रू0 180/- प्रति बैनर की दर से स्वीकृत है। बैनर एवं बाल पेन्टिंग प्रोटोटाईप संलग्न है।
30	Printing and dissemination of Immunization cards, tally sheets, monitoring forms etc **(RCH.4.32.IEC.3)**	**32.40**	रू0 10/- प्रति लाभार्थी (गर्भवती महिला) की दर से विभिन्न प्रपत्रों की प्रिन्टिंग हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
31	Quality Management system (QMS) for AEFI Surveillance **(Mordabad & Fatehpur)** **(RCH.4.32.SRRE.1)**	**32.46**	जनपद फतेहपुर एवं मुरादाबाद के लिए कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/आर0आई0/ए0ई0एफ0आई0/2023-24/34/5031-2 दिनांक-15 सितम्बर, 2023 के मानकों के अनुसार धनराशि स्वीकृत।
32	Environmental Surveillance for Polio Virus-9 District **(RCH.4.33.OOC)**	**33.2**	महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या अ0नि0/यू0आई0पी0/कैम्प/2023-24/11536-9 दिनांक 30 मई, 2023 के मानकों के अनुसार इन्वायरमेन्टल सर्विलेंस फॉर पोलियो वायरस कार्यक्रम के लिए 09 जनपदों-आगरा, जी0बी0 नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, प्रयागराज एवं वाराणसी हेतु धनराशि स्वीकृत।
33	Indo Nepal Border Polio Booth **(RCH.4.33.OOC)**	**33.3**	एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आर.आई./2023-24/02/1713 दिनांक 26 मई, 2023 के मानकों के अनुसार भारत नेपाल बार्डर पर पोलियो बूथ स्थापित करने हेतु 6 जनपदों-बहराईच, बलरामपुर, खीरी, महाराजगंज, श्रावस्ती एवं सिद्धार्थनगर हेतु धनराशि स्वीकृत।
34	Other Nutrition Component (PM activities Under Micronutrient Supplementation Program for VAS) **(RCH.7.60.PME.01)**	**55.2**	जून एवं दिसम्बर माह में आयोजित होने वाले विटामिन 'ए' सम्पूरण कार्यक्रम के विभिन्न गतिविधियों हेतु धनराशि स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 26 जून, 2024 से आगामी एक माह तक विटामिन 'ए' सम्पूरण कार्यक्रम के प्रथम चरण का आयोजन किया जाएगा।
35	Dist. & Block level mobility support for Bio-annual Vitamin A Supplementation round **(RCH.7.60.PME.01)**	**194.51**	विटामिन 'ए' सम्पूरण कार्यक्रम के जनपद एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों /कर्मचारियों के मोबिलिटी हेतु धनराशि स्वीकृत है ।
36	AEFI Kits **(HSS.7.179.DS.1)**	**180.6**	रू0 200/-प्रति ए0ई0एफ0आई0 किट की दर से धनराशि स्वीकृत।
37	Anaphylaxis Kit @ Rs. 200/- 1 kit for each ANM	180.7	रू0 200/-प्रति ए0एन0एम0 01 Anaphylaxis Kit की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। नियमानुसार Anaphylaxis Kit क्रय कर ए0एन0एम0 को वितरित किया जाना है।
38	RI cold chain handlers incentive **(HSS.9.185.OOC.5)**	**186.8**	कोल्ड चेन हैण्डलर्स के इन्सेन्टिव हेतु रू0 2400/-प्रतिमाह की दर से कुल 12 माह हेतु।

39	JE Campaign Operational Cost	32.18	प्रदेश के 4 जनपदों–बदायूं, रामपुर, चित्रकूट एवं जालौन में माह जुलाई 2024 में अपेक्षित जे0ई0 टीकाकरण अभियान (01 से 15 वर्ष) के बच्चों हेतु। विस्तृत दिशा–निर्देश महानिदेशक परिवार कल्याण द्वारा पृथक से प्रेषित किए जाएंगे।
40	Fire Extinguisher	32.20	प्रदेश के 1361 कोल्ड चेन हेतु नियमानुसार Fire Extinguisher क्रय किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत। 1-Fire Extinguisher (4-5 KG)CO2 @ Rs. 7000/- for each 2-Fire Extinguisher ABC (4-5 KG) @ Rs. 4000/- for each
41	ASHA Sangini Training on Routine immunization Supportive supervision and Communication skill Enhancement	32.25	प्रदेश में आशा संगिनी के 270 बैचों के प्रशिक्षण हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई हैं। विस्तृत दिशा–निर्देश महानिदेशक परिवार कल्याण द्वारा पृथक से प्रेषित किए जाएंगे।
42	Model Immunization Center for DWH/DH/DCH	32.42	प्रदेश में प्रत्येक जनपद के लिए चयनित किसी एक DWH/DH/DCH हेतु Model Immunization Center की स्थापना की जानी है। इस हेतु रू0 136700/–की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
43	Model Immunization Centre for one UPHCs in 72 Districts and 2 UPHCs in 13 Districts (Total 85 Facility)	32.44	प्रदेश में प्रत्येक जनपद के लिए चयनित किसी एक UPHC हेतु Model Immunization Center की स्थापना की जानी है। इस हेतु रू0 94400/– की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
44	One days CiVHSND module training at District level (MO, BCPM, HEO/BPM)	1.2	जनपद स्तर पर एक दिवसीय CiVHSND माड्यूल प्रशिक्षण के लिए प्रति बैच धनराशि रू0 16700/– की दर से 85 बैच के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
45	One days CiVHSND module training at Block level (ANM)	1.3	ब्लाक स्तर पर ए0एन0एम0 की एक दिवसीय CiVHSND माड्यूल के लिए 13300/–प्रति बैच की दर से 825 बैच हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
46	One days CiVHSND module training at Block level (ASHA & ASHA Sangini)	1.4	ब्लाक स्तर पर आशा एवं आशा संगिनी के एक दिवसीय CiVHSND माड्यूल प्रशिक्षण के लिए धनराशि रू0 15550/–प्रति बैच की दर से 5564 बैच हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
मानव संसाधन			
1	Cold Chain Handlers **(HSS.9.184.C.S0795)**	**185.C.S0795**	मण्डल स्तर पर 18 एवं जनपद स्तर पर 75 कोल्ड चेन हैण्डलर्स हेतु कुल रू0 246.76 लाख का बजट के लिए स्वीकृत प्रदान की गई है। –मण्डल स्तर पर 16 एवं जनपद स्तर पर 69 कार्यरत कोल्ड चेन हैण्डलर्स को दिनांक 31 मार्च, 2024 को मिल रहे मानदेय में नियमानुसार वार्षिक बढ़ोतरी एवं ई0पी0एफ0 सहित कुल रू0 234.32 लाख की धनराशि आवंटित है।
2	Technician/Refrigerator Mechanic- **(HSS.9.184.C.S0796)**	**185.C.S0796**	मण्डल स्तर पर 9 एवं जनपद स्तर पर 13 टेक्निशियन/रफ्रिजरेटर मैकेनिक हेतु कुल रू0 85.74 लाख का बजट के लिए स्वीकृत प्रदान की गई है। –मण्डल स्तर पर 8 एवं जनपद स्तर पर 13 कार्यरत कुल 21 टेक्निशियन/रफ्रिजरेटर मैकेनिक को दिनांक 31 मार्च, 2024 को मिल रहे मानदेय में नियमानुसार वार्षिक बढ़ोतरी सहित कुल रू0 83.34 लाख की धनराशि आवंटित है।

3	Vaccine Van Driver **(HSS.9.184.C.S0830)**	**185.C.S08 30**	08 वैक्सीन वैन ड्राइवर मण्डल स्तर (आगरा, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी) हेतु कुल रू0 23.22 लाख का बजट के लिए स्वीकृत प्रदान की गई है। मण्डल स्तर पर कार्यरत 03 वैक्सीन वैन (मण्डल बरेली, कानपुर नगर एवं वाराणसी) ड्राइवर को दिनांक 31 मार्च, 2024 को मिल रहे मानदेय में नियमानुसार वार्षिक बढ़ोतरी सहित कुल रू0 12.21 लाख की धनराशि आवंटित है।
4	Vaccine Store Keeper **(HSS.9.184.C.S0831)**	**185.C.S08 31**	09 वैक्सीन स्टोर कीपर मण्डल स्तर हेतु धनराशि की प्रदान की गई है। मण्डल स्तर कार्यरत 07 वैक्सीन स्टोर कीपर (मण्डल– अलीगढ़, आजमगढ़, बस्ती, गोण्डा, लखनऊ, मुरादाबाद एवं सहारनपुर) को दिनांक 31 मार्च, 2024 को मिल रहे मानदेय में नियमानुसार वार्षिक बढ़ोतरी सहित कुल रू0 36.95 लाख की धनराशि आवंटित है।
5	Data Entry Operator **(HSS.9.184.C.P354)**	**185.C.P35 4**	जनपद स्तर पर 75 डी0ई0ओ0 हेतु कुल रू0 217.31 लाख बजट के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद स्तर पर कार्यरत 75 डी0ई0ओ0 को दिनांक 31 मार्च, 2024 को मिल रहे मानदेय में नियमानुसार वार्षिक बढ़ोतरी (संविदाकर्मी हेतु ई0पी0एफ0 एवं आउट सोर्स डी0ई0ओ0 हेतु EPF, Agency charges, ESI & GST)सहित कुल रू0 215.90 लाख की धनराशि आवंटित है।

- वित्तीय दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा धनराशि (DAP) के सापेक्ष ही व्यय की जाए।
- समस्त भुगतान FAMS Software का उपयोग करते हुए PFMS पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किये जाएं, ताकि बजट व्यय का सतत अनुश्रवण किया जा सके।

उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों के अनुसार जनपद में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का सफल संचालन सुनिश्चित करें।

8. क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम

8.1 क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम

आप अवगत हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम प्रदेश की समस्त चिकित्सा इकाईयों पर गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपद स्तरीय चिकित्सालय (पुरूष, महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय) सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर आच्छादित है, जिनका भारत सरकार के निर्धारित मानकानुसार सुदृढ़ीकरण किया जाना है, जिससे कि चिकित्सा इकाई 'नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस' 'लक्ष्य' एवं 'मुस्कान' सर्टिफिकेशन' प्राप्त कर सकें।

उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न गतिविधियों यथाः क्वालिटी एश्योरेंस इम्पलीमेंटेशन फॉर ट्रैवर्सिंग गैप, क्वालिटी एश्योरेंस असेसमेंट कम मेंटॉरिंग विजिट, स्टेट असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट समीक्षा बैठक (राज्य स्तरीय) इन्सेंटिव फॉर एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन सर्पोटिव सुपरविजन भ्रमण (मण्डल एवं जनपद स्तर हेतु) मण्डल एवं जनपद में क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट हेतु ऑपरेशनल कास्ट हेतु एवं क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अर्न्तगत कार्यरत कार्मिकों का मानदेय एवं वेतन वृद्धि हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है।

<u>मानव संसाधन का मानदेयः</u> (डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, डिवीजनल कंसल्टेंट क्वालिटी/पब्लिक हेल्थ एवं हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर एडमिन कम प्रोग्राम असिस्टेंट एवं हेल्प डेस्क मैनेजर/ऑपरेटर)

क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल एवं जनपद स्तर पर तैनात मानव संसाधन: डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, डिवीजनल कंसल्टेंट क्वालिटी/पब्लिक हेल्थ एवं हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर तथा एडमिन कम प्रोग्राम असिस्टेंट एवं हेल्प डेस्क मैनेजर/ऑपरेटर के मासिक मानदेय एवं वार्षिक मानेदय वृद्धि का भुगतान नियमानुसार निर्धारित परफार्मेंस अप्रैजल के आधार पर डैप में आवंटित बजट के अनुसार किया जाना है। उक्त मद में बजट का आवंटन किया गया है। क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिको के कार्यो के परफार्मेंस अप्रैजल मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक मानदेय वृद्धि तथा लॉयल्टी बोनस दिया जाना है। वार्षिक वेतन वृद्धि कार्यरत संविदा कार्मियों को भारत सरकार द्वारा 3 वर्ष तथा 5 वर्ष की अवधि पूर्ण किये जाने पर लॉयल्टी बोनस क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपरोक्तनुसार जनपदवार फॉट के अनुसार धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है।

मेन्टारिंग एवं सपोर्टिव सुपरविजन (मण्डल एवं जनपद) FMR:- 175.12

क्वालिटी एश्योरेन्स कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल एवं जनपद स्तर पर तैनात कार्मिको द्वारा समय–समय पर कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु कार्यक्रमों के अनुश्रवण, सपोर्टिव–सुपरविजन, हैण्ड–होल्डिंग, प्रशिक्षण तथा बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु मण्डल के अन्दर, जनपद के बाहर भ्रमण किया जाता है। कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट मण्डल स्तर पर डिवीजनल कंसल्टेंट के मोबिलिटी हेतु अनुबंधित वाहन की व्यवस्था के लिए क्रमशः रू. 30000.00 एवं रू. 35000.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि जनपदों को आवंटन किया जा रहा है।

कार्यक्रम के सफल कियान्वयन एवं कार्यक्रम संबंधी मेंन्टॉरिगं हेतु कतिपय अनुभवी एवं कुशल कंसल्टेंट को अन्य जनपद की चिकित्सा इकाईयो (तैनाती मण्डल या जनपद के बाहर) में डयूटी राज्य स्तर या मण्डलीय अपर निदेशक स्तर से लगायी जाती है। उक्त के दृष्टिगत मेंन्टॉरिग एवं हैण्ड–होल्डिंग विजिट हेंतु कंसल्टेंट को अनुबन्धित वाहन को उपयोग करने हेतु अनुमति प्रदान की जा रही है। यह ध्यान रखा जाय कि कंसल्टेंट की नियमित सपोर्टिव सुपरविजन विजिट प्रभावित न हो तथा माह में चलने वाले वाहन की अधिकतम सीमा (कि0मी0) एवं आवंटित बजट की सीमा से अधिक न हो।

जनपदों या मण्डलों में अनुबधित वाहन का अनुबंध अनुमन्य बजट सीमा से कम है, तो अवशेष धनराशि से टैक्सी परमिट वाहनो की मण्डल/जनपद स्तर पर संचालित स्थानीय दरों (प्रति किमी) के आधार पर बजट की अधिकतम सीमा तक अतिरिक्त किमी वाहन चलाया जा सकता है जिससे कि भ्रमण की संख्या अधिक हो सकती है। उक्त को लागू करने से पूर्व आवश्यकता का ऑकलन एवं सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त वाहन अनुबंध शर्तो में उक्त बिन्दु को सम्मिलित किया जाना है।

मण्डल या जनपद में यदि सेवा–प्रदाता का अनुबंन्ध समय–सीमा समाप्त हो गयी हो तो 'जेम पोर्टल' अथवा खुली–निविदा के माध्यम से सेवा प्रदाता की दशाओ का उल्लेख भी अनुबंध में समाहित किया जाना समीचीन होगा। वाहन टेण्डर प्रकाशन के समय न्यूनतम दरों का उल्लेख किया जाना प्रभावी कदम होगा। 'जेम पोर्टल' से वाहन टेण्डर करते हुए समय निम्न एवं उच्च्य सीमा का विकल्प का चयन आवश्यक रूप से किया जाये।

डिवीजनल कंसलटेंट द्वारा भ्रमण के पूर्व भ्रमण संबंधी कार्ययोजना क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग एस0पी0एम0यू0 लखनऊ द्वारा अनुमोदित करने के उपरान्त प्रतिमाह अधिकतम 15 भ्रमण किये जाने है। डिवीजनल कंसलटेंट हेतु आवंटित धनराशि मण्डलीय अपर निदेशक के खाते में नियमानुसार हस्तांतरित की जायेगी। मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण द्वारा भ्रमण हेतु वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये तथा डिवीजनल कंसल्टेंट द्वारा उक्त भ्रमण संबंधी आख्या/फीडबैक क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा सत्यापित होने के उपरान्त वास्तविक बीजकों के सापेक्ष टी.ए./डी.ए. तथा बोर्डिंग, लॉजिंग का भुगतान किया जाये।

सपोर्टिव सुपरविजन (मण्डल एवं जनपद) हेतु टी.ए./डी.ए.तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग का भुगतान

उक्त कार्मिकों को महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) एस0पी0एम0यू0 एन0एच0एम0 के पत्र संख्या 144/ एस0पी0एम0यू0/डैप एच0आर0/2018–19/10398 दिनांक 4.01.2019 में वर्णित मानक तथा क्वाालिटी एश्योरेस अनुभाग द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा– निर्देशो के अनुरूप यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग का भुगतान निम्नवत किया जाना है :–

<table>
<tr><th>S.N.</th><th>Position Name</th><th>Base Monthly Honoraria in (INR)</th><th>Approved per Diem per Day for QA staff (INR)</th><th>Maximum lodgings applicability per day (INR)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td>District Consultant (QA)</td><td rowspan="2">Rs.45000.00 to 40000.00</td><td rowspan="3">1000</td><td rowspan="3">1500.00</td></tr>
<tr><td>Division Consultant (QA/PH)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hospital Manager</td><td>Rs.38588.00 & Above</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Admin Cum Programme Assistant</td><td>Rs. 12000.00 & above</td><td>500</td><td>1000.00</td></tr>
</table>

उक्त कार्मिकों को क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑपरेशनल मद के मानकानुसार टी0ए0 एवं डी0ए0 तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग का भुगतान नियमानुसार किया जाये। जिन चिकित्सा इकाईयों में एन.क्यू.ए./लक्ष्य/मुस्कान सर्टिफाइड हो चुके हैं, उनके कार्मिकों की ड्यूटी जनपद या मण्डल के अन्दर स्थित अन्य चिकित्सा इकाईयों में आवश्कतानुसार मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से ड्यूटी लगायी जा सकती है। उनके ड्यूटी के दौरान वाहन की व्यस्वथा डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेट द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा नियमानुसार टी.ए./डी.ए. का भुगतान किया जायेगा।

कार्यक्रम की समीक्षा हेतु बैठकों का आयोजनः– जनपद स्तर पर त्रैमासिक बैठक का आयोजन जिलाधिकारी/अध्यक्ष–जनपदीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति की अध्यक्षता में किया जाना है। उक्त बैठक को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम को एजेण्डा में सम्मिलित करते हुए साथ में किया जा सकता है। मण्डल स्तर पर मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम को एजेण्डा के रूप में सम्मिलित किया जायेगा। (उक्त बैठकों हेतु कोई धनराशि प्रावधानित नहीं है)। विशेष परिस्थितियों में यदि बैठक हेतु जलपान, स्टडी मैटेरियल आदि में व्यय की आवश्यकता हो तो सम्बंधित मण्डल/जनपद के ऑपरेशनल मद से व्यय किया जा सकता है।

ऑपरेशनल कॉस्ट (मण्डल, जनपद एवं चिकित्सा इकाई स्तर) FMR : - 175.13

क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल एवं जनपद स्तर पर ऑपरेशनल व्यय क्रमशः रू 30,000.00 एवं रू 25,000.00 प्रतिमाह की दर से जनपदीय चिकित्सालयों में तैनात हॉस्पिटल मैनेजर हेतु रु0 2000.00 प्रतिमाह की दर एवं हेल्प डेस्क मैनेजर हेतु रु0 6000.00 माह की दर से धनराशि अनुमन्य है उपर्युक्तानुसार धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है।

ऑपरेशनल मद से कार्यालय सम्बंधी गतिविधियॉ यथा–प्रशिक्षण सामग्री, फोटोकॉपी, राज्य स्तर से प्रेषित गाईडलाइन, मैनुअल प्रिन्टिंग, स्टेशनरी, बैठक में जलपान की व्यवस्था, टेलीफोन बिल, इंटरनेट, मोबाइल रिचार्ज (क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद एवं मण्डल स्तर पर तैनात कंसल्टेट, हास्पिटल मैनेजर तथा प्रोग्राम कम एडमिन असिस्टेंट प्रत्येक को त्रैमासिक आधार पर मोबाइल रिचार्ज /इंटरनेट हेतु अधिकतम् रू0 799.00 की दर से अनुमन्य होगा) इत्यादि में किया जायेगा।

जनपदीय चिकित्सालयों में तैनात हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर/हॉस्पिटल मैनेजर हेतु इंटरनेट, मैनुअल प्रिन्टिंग, स्टेशनरी तथा अन्य कार्यक्रम सम्बन्धित कार्य हेतु रू. 2000.00 प्रतिमाह की दर से व्यय किया जा सकता है। उक्त मद में बजट का आवंटन किया जा रहा है।

नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन' संबंधी चिकित्सा इकाईयों में गैप क्लोजर हेतु वित्तीय व्यवस्था (For Traversing gaps) : FMR : - 175.7

भारत सरकार द्वारा आर.ओ.पी वर्ष 2024–25 में क्वालिटी एश्योरेंस Traversing Gaps के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त मद में विभिन्न चिकित्सा इकाईयों को धनराशि रू0 498.50 लाख का आवंटन किया जा रहा है।

1. **माइको–बायोलॉजिकल सर्विलांस** इसके अन्तर्गत चिकित्सा इकाईयों के क्रिटीकल एरिया जैसे लेबर रूम ,लैब, ओ.टी.,एस.एन.सी.यू इत्यादि का माईक्रोबायोलॉजिकल सर्विलांस किया जाना आवश्यक है। माइक्रो–बायोलॉजिकल सर्विलांस हेतु वर्ष मं 02 बार किये जाने हेतु 121 जिला चिकित्सालयों को रू 30000.00 प्रति इकाई की दर से कुल धनराशि रू0 36.30 Lakh आवंटन किया जा रहा है।
2. **EQAS (Heamtology and Biochemistry)** : चिकित्सा इकाईयों में सम्पादित की जाने वाली विभिन्न जाँचों की गुणवत्ता एवं शुद्वता सुनिश्चित किये जाने वाले उद्देश्य से प्रयोगशालाओ का 'इन्टर्नल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम' एवं 'एक्सर्टनल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम' (IQAS & EQAS) कराया जाना आवश्यक है। चिकित्सा इकाई एवं जनपद स्तर पर इन्टर्नल क्वालिटी एश्योरेंस कराया जाना है। 'एक्सर्टनल क्वालिटी एश्योरेंस हेतु प्रदेश की अधिकृत/एन.ए.बी.एल. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से नियमित रूपो से जाँचों का रिवैलिडेशन कराया जाना है। उक्त हेतु 121 जिला चिकित्सालय एवं 150 चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रू0 20000.00 प्रति इकाई की दर से कुल धनराशि रू0 54.20 Lakh आवंटन किया जा रहा है।
3. **पेस्ट कन्ट्रोलः**–चिकित्सा इकाईयों में कीट–पतंगो तथा दीमक से बचाव हेतु पेस्ट कन्ट्रोल एवं एन्टीटरमाइट ट्रीटमेन्ट किया जाना आवश्यक है। उक्त के संबंध में चिकित्सा इकाईयों को रू0 24000.00 प्रति इकाई की दर से 1700 चिन्हित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रसव केन्द्र सम्मलित) को कुल धनराशि रू0 408.00 Lakh आवंटन किया जा रहा है :–

Budget for Traversing gaps closure –FMR 175.7					
Sno	**Particulars**	**Rate (INR)**	**Nos of Units**	**Amount (Rs in lakh)**	**Remarks**
1	Microbiological Surveillance	30000	121	36.30	121 District level hospital (LR,OT,SNCU (05 swab/Dept) - Details of hospitals annexued
2	EQAS	20000	271	54.20	121 District level Hospital and 150 CHCs selected under LaQshya (Details annexued)
3	Pest Control	24000	1700	408.0	1700 PHCs included DPs
	Total (Rs in Lakh)			**498.50**	

उक्त बजट का उपयोग निर्धारित मद में ही उपयोगित किया जाना है। अन्य गतिविधि में उपयोग को अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा। डिवीजनल/डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट/हास्पिटल मैनेजर्स द्वारा समय–समय पर आवंटित धनराशि के सदुपयोग हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग तथा अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

क्वालिटी एश्योरेंस असेसमेंट (स्टेट असेसमेंट एवं मेन्टॉरिंग विजिट) FMR : - 175.8

भारत सरकार के मानकानुसार चिकित्सालयों के स्टेट सर्टिफिकेशन हेतु स्टेट असेसमेंट किया जाता है। चिकित्सा इकाईयों में गैप क्लोजर हेतु तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु समय–समय पर राज्य स्तर से नामित टीम द्वारा मेन्टॉरिंग विजिट किया जाता है। उक्त असेसमेंट में असेसर्स द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति निर्धारित मानकानुसार किया जायेगा अथवा असेसर्स की सुविधानुसार जनपद स्तर से यात्रा टिकट, ठहरने हेतु होटल की व्यवस्था तथा स्थानीय स्तर पर आवागमन हेतु वाहन की व्यवस्था की जा सकती है। उपरोक्त बजट को असेसर्स की संख्या एवं असेसमेंट दिवस के अनुसार अधिकतम सीमा तक अनुमन्य होगा।

स्टेट असेसमेंटः—चिकित्सा इकाईयों द्वारा इन्टर्नल असेसमेंट में निर्धारित मानक पूर्ण करने पर राज्य स्तर से नामित टीमों द्वारा स्टेंट असेसमेंट किया जाता है। उक्त स्टेट असेसमेंट हेतु पूर्व में स्वीकृत मानकों के अनुसार असेसर्स के यात्रा भत्ता, मानदेय दैनिक भत्ता, बोर्डिंग एवं लॉजिंग का भुगतान निम्न विवरणानुसार किया जाना है।

स्टेट असेसमेंट हेतु असेसमेंट दिवस का निर्धारण निम्नवत् है :—

1. जनपद स्तरीय चिकित्सालयों जिसमें 12 विभागो तथा (लक्ष्य तथा मुस्कान सहित) का असेसमेंट 2 असेसर्स द्वारा 3 दिवस में किया जायेगा।
2. जनपद स्तरीय चिकित्सालय जिसमें 12 से अधिक विभाग है।(MuSQan सहित) का असेसमेंट 3 असेसर्स द्वारा 3 दिवस में किया जायेगा।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों FRU जिसमें 12 विभाग होते है। का असेसमेंट दो सदस्सीय टीम द्वारा 3 दिवस में किया जायेगा (Non -FRU) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (8 विभाग) का असेसमेंट दो सदस्सीय टीम द्वारा 2 दिवस में किया जायेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों UPHC/PHC & AAM-SC सहित का रिवैलिडेशन **मुख्य चिकित्सा अधिकारी** द्वारा नामित टीम द्वारा किया जायेगा। रिवैलिडेशन को स्टेट असेसमेंट के समतुल्य माना जायेगा, तथा उसमें प्राप्त अंको की निर्धारित अर्हता के उपरान्त भारत सरकार की एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु अनुरोध पत्र रिवैलिडेशन दो सदस्सीय टीम द्वारा दो दिवस तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेन्द्रों का दों सदस्सीय टीम द्वारा एक दिवस में किया जायेगा प्राथमिक केन्द्रों के रिवैलिडेशन में असेसर्स का भुगतान असेसमेंट की गयी चिकित्सा इकाई के जनपद से नियमानुसार किया जाना है। राज्य स्तर से समस्त जनपदों को एफ.एम.आर. 175.8 के अन्तर्गत बजट आवंटन किया गया है। UPHC/PHC & AAM-SC सहित का रिवैलिडेशन हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत हैः—

NQAS State assessment (For 01 PHC/UPHC (AAM) equivalent to Revalidation and Surveillance)				
Head	Unit cost	Number of participants	Days	Amount(Rs)
Travel cost for assessors (Taxi Hiring /Train as per actual (for two assessor				5000.00
Honorarium for External assessors	1000	2	2	4000.00
Total cost for one PHC/UPHC including (AAM)				**9000.00**

NQAS state assessment (For 01 AAM -SC equivalent ,Revalidation and Surveillance)				
Head	Unit cost	Number of participants	Days	Amount(Rs)
Travel cost for assessors (Taxi Hiring /Train as per actual (for two assessor)				5000.00
Honorarium for External assessors	1000	2	1	2000.00
Total cost for one AAM SC)				**7000.00**

यदि किसी जनपद को अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होती है तो मॉग पत्र मिशन निदेशक को प्रेषित किया जाये।

स्टेट असेसमेंट— जिला स्तरीय चिकित्सालय /सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्टेट असेसमेंट राज्य स्तर से किया जायेगा। उक्त समस्त श्रेणी की चिकित्सा इकाईयों (जिला स्तरीय चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्टेट असेसमेंट की ड्यूटी राज्य स्तर लगायी जायेगी। जनपद स्तरीय चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्टेट असेसमेंट का भुगतान असेसमेंट की गयी चिकित्सा इकाई के जनपद से नियमानुसार किया जाना है। राज्य स्तर से समस्त जनपदों को एफ.एम.आर. 175.8 के अन्तर्गत बजट आवंटन किया गया है। यदि किसी जनपद को अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होती है तो मॉग पत्र मिशन निदेशक को प्रेषित किया जाये। स्टेट असेसमेंट हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत है :—

NQAS State assessment/Surveillance (For one DH/CHC/PHC) as per actual days of assessment				
Head	Unit cost	Number of particiapnts	Days (As per actual)	Amount(INR)
Travel cost for assessors (Taxi Hiring /Train/ as per actual	2000	3	3	18000
Honorarium for External assessros	2000	3	3	18000
Boarding and Loadging	4000	3	3	36000
Contigency	2000			2000
Total cost for one DH/CHC				74000

यदि स्टेट असेसमेंट में सभी विभागों में 70 % से कम स्कोर प्राप्त होता है तो गैप क्लोजर हेतु एक माह का समय दिया जायेगा तथा एक माह पश्चात गैप क्लोजर पूर्ण करने पर डिविजनल तथा डिस्ट्रक्ट कंसल्टेंट द्वारा अपनी नियमित सर्पोटिव सुपरविजन के दौरान रिवैलीडेशन किया जायेगा। उक्त रिवैलिडेशन असेसमेंट के उपरान्त उक्त कंसल्टेट द्वारा स्कोर चेक लिस्ट तथा मानकानुसार समस्त अभिलेखो की सॉफ्ट कापी क्वालिटी अनुभाग को एस.पी.एम.यू लखनऊ की ई–मेल qanhmup2021@gmail.com पर एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित की जायेगी। उपरोक्त कार्य हेतु डिविजनल केसल्टेट को उत्तर दायी बनाया जा रहा है।

क्वालिटी एश्योरेंस (नेशनल सर्टिफिकेशन एवं रिसर्टिफिकेशन) FMR : - 175.9

क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत एन0क्यू0ए0एस के एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए भारत सरकार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्टेट असेसमेंट में अर्हता पूर्ण करने पर एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन हेतु राज्य स्तर से एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु भारत सरकार को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाता है। एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु असेसर्स के मानदेय, यात्रा भत्ता तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग की व्यवस्था हेतु निर्धारित मानकानुसार धनराशि रू. 840.00 लाख आवंटन किया जा रहा है। एन0क्यू0ए0एस के नेशनल असेसमेंट हेतु चिकित्सा इकाईयों के लिए मानक निम्नानुसार है :–

A. जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाईयों के एक्सटर्नल/नेशनल असेसमेंट हेतु मानक

NQAS Exteranal/National assessment and Recertification (For One DH)				
Head	Unit cost	Number of particiapnts	Days	Amount(INR)
Travel cost for assessors (Taxi Hiring /Train/Air/ as per actual	20000	3		60000.00
Honorarium for External assessros (Rs 4000 per day per Assessor for staff of health department and Rs 7000 per day per Assessor for other category (Non-Govt.)	7000	3	4	84000.00
Boarding and Loadging	4000	3	4	48000.00
Local transport	2000	1	4	8000.00
Conntingency	10000			10000.00
Total for one District hsopital				**210000.00**

B : सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्सटर्नल/नेशनल असेसमेंट हेतु मानक

NQAS External/National assessment and Recertification (For One CHC/UCHC)				
Head	Unit cost	Number of particiapnts	Days	Amount(INR)
Travel cost for assessors (Taxi Hiring /Train/Air/ as per actual	20000	2		40000.00
Honorarium for External assessros (Rs 4000 per day per Assessor for staff of health department and Rs 7000 per day per Assessor for other category (Non-Govt.)	7000	2	4	56000.00
Boarding and Loadging	4000	2	4	32000.00
Local transport	2000	1	4	8000.00
Conntingency	10000			10000.00
Total for one CHC/UCHC				**146000.00**

C : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्सटर्नल / नेशनल असेसमेंट हेतु मानक

NQAS External/National assessment and Recertification (For One PHC/UPHC)				
Head	Unit cost	Number of particiapnts	Days	Amount(INR)
Travel cost for assessors (Taxi Hiring /Train/Air/ as per actual	20000	2		40000.00
Honorarium for External assessros (Rs 4000 per day per Assessor for staff of health department and Rs 7000 per day per Assessor for other category (Non-Govt.)	7000	2	3	42000.00
Boarding and Loadging	4000	2	3	24000.00
Local transport	2000	1	3	6000.00
Conntingency	8000			8000.00
Total for one PHC/UPHC				**120000.00**

D : आयुष्मान आरोग्य मंदिर के एक्सटर्नल / नेशनल असेसमेंट हेतु मानक

NQAS External/National assessment and Recertification (For One AAM-SC)				
Head	Unit cost	Number of particiapnts	Days	Amount(INR)
Travel cost for assessors (Taxi Hiring /Train/Air/ as per actual	20000	2		40000.00
Honorarium for External assessros (Rs 4000 per day per Assessor for staff of health department and Rs 7000 per day per Assessor for other category (Non-Govt.)	7000	2	2	28000.00
Boarding and Loadging	4000	2	2	16000.00
Local transport	2000	1	2	4000.00
Conntingency	8000			8000.00
Total for one AAM(SC)				**96000.00**

नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन हेतु मानक :

NQA सर्टिफिकेशन हेतु तीन चरणों में असेसमेन्ट (इनर्टनल, स्टेट असेसमेंट एवं एक्सर्टनल असेसमेंट) किया जाता है। इनर्टनल असेसमेंट के ओवरऑल स्कोर 70% या अधिक होने पर डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेन्स समिति के माध्यम से स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस समिति को स्टेट असेसमेंन्ट हेतु अनुरोध किया जाता है। स्टेट असेसमेंन्ट में सभी विभागों में 70% से अधिक स्कोर होने पर राज्य स्तर से भारत सरकार को एक्सर्टनल असेसमेंट हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाता है। NQA सर्टिफिकेशन हेतु मानक निम्नवत् है :–

SN	Criteria	Criteria for NQA Certification (Aggregate Score %)			
		DH	SDH/CHC	UPHC /PHC	AAM -SC
1	Aggregate score of the health facility	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%
2	Score of each department of the health facility	≥ 70%	≥ 70%	NA	≥ 70% (each service package , atleast 7 package)
3	Segregated score in each Area of Concern	≥ 70%	≥ 70%	≥ 60 %	≥ 60 %
4	Score of Standard	Standard A2, Standard B5 and Standard D10 is >70%	Standard A2, Standard B5 and Standard D8 is >60%	Standard A2, Standard B4 and Standard F6 (PHC)/F4 (U-PHC) is ≥ 60%	≥ 60 % (A1,D3,D4 , D5 &G2)
5	Individual Standard wise score	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%
6	Patient Satisfaction Score	70% or Score of 3.5 on Likert	Scale 65% or Score of 3.2 on Linkert	60% or Score of 3.0 on Linkert	60% or Score of 3.0 on Linkert

NQA सर्टिफिकेशन हेतु आवश्यक डाक्यूमेंट का विवरण निम्नवत हैः

NQA सर्टिफिकेशन हेतु विभिन्न प्रकार के स्टेटुटरी रिक्वायरमेंट/ऑडिट एवं अभिलेखीकरण की आवश्यकता होती है, जो नेशनल एवं स्टेट असेसमेंट के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होता है। उक्त डाक्यूमेंट का विवरण निम्नवत हैः–

District Hospital (DH/DCH&DWH)	**Community Health Centre**	**Primary Health Centre / Urban Primary Health Centre**	**AAM (SC)**
1.Hospital Profile	1. No. and Names of departments to be assessed	1. Latest State Assessment Report and scores.	No. and Names of service packages to be assessed
2. Latest State Assessment Report and scores.	2. Latest State Assessment Report and scores.	2. Minutes of last Quality Team meeting (MOM).	Latest District level assessment report verified by State*
3. Minutes of last Quality Team meeting (MOM).	3. Minutes of last Quality Team meeting (MOM).	3. Departmental SOPs.	Minutes of last Quality Team meeting (Preferable within Last Quarter)
4. Departmental SOPs.	4. Departmental SOPs.		
5. Quality Improvement Manual.	5. Quality Improvement manual.	4. Quality Improvement Manual.	Work Instructions (As per Service Packages)
6. Copy of Hospital Wide Policies/ Procedures. (Government Order/ Single Pager Policy / Procedures): Vision, Mission, Values, Strategic Plan and Quality Policy (Condemnation Policy, Antibiotic policy,Social, Culture and Religious Equality policy,Privacy, Dignity and confidentiality policy of patient., Consent policy,Prescription by Generic Name policy,Adverse Event reporting policy,Referral policy,Timely reimbursement of entitlements and compensation,Grievance Redressal policy,Free treatment to BPL patient's procedure/ policy,	6. Policies/Procedures of the facility(Condemnation Policy, Antibiotic policy,Social, Culture and Religious Equality policy,Privacy, Dignity and confidentiality policy of patient, Consent policy,Referral policy,Policy of timely reimbursement of entitlements and compensation, Quality Policy.	5. Copy of Hospital Wide Policies/ Procedures. (Government Order/ Single Pager Policy / Procedures): Vision, Mission, Values, Strategic Plan and Quality Policy., Condemnation Policy, Maintaining of Patients Record, its security, sharing of information and safe disposal,• Higher Centre Referral Policy	Copy of Facility Wide Policies/ Instructions 3 5.1 Quality Policy & Objectives 5.2 Policy for Maintaining Patients' Records [its security,sharing of information and safe disposal] (Both physical and digital copies) 5.3 Referral Policy . Letter for Fire compliance from the appropriate authority.
7. Scores of Last 3 Patient Satisfaction Surveys and Subsequent Corrective and Preventive actions undertaken.	7. Scores of last 3 Patient satisfaction Surveys and subsequent Corrective and Preventive actions.	6. Scores of Last 3 Patient Satisfaction Surveys and Subsequent Corrective and Preventive actions undertaken.	Last 3 months Patient Satisfaction Survey Report (Analysis) with subsequent Corrective and Preventive actions undertaken.
8. Last 3 months data of Key Performance Indicators (KPI).	8. Last 3 months data of Key Performance Indicators	7. Last 3 months data of Key Performance Indicators (KPI).	. Last 3 months data of Key Performance Indicators (KPI).
9. Prescription/Medical Audit Analysis with Corrective and Preventive Action (CAPA)	9. Prescription Audit Analysis with Corrective and Preventive Action (CAPA) report	8. Prescription Audit Analysis with Corrective and Preventive Action (CAPA)	Bio Medical Waste (BMW) Authorization Certificate

NQA सर्टिफिकेशन हेतु इंसेन्टिव धनराशि मानदंड का विवरण निम्नवत है :—

S.No	Type of Health Facility	Incentive money criterion after NQA Certification				Remark
		NQA Certification without Conditionality		NQA Certification with Conditionality		
		Full Certification(All Departments)	Partial Certification	Full Certification(All Departments)	Partial Certification	
1	District Level Health Facility	Rs. 10,000.00 Per Functional Bed	Rs.10,000.00 Per Functional Bedx Nos of Dept Assessed / Total No of Dept	Rs. 7,000.00 Per Functional Bed	Rs.7,000.00 Per Functional Bedx Nos of Dept Assessed / Total No of Dept	
2	Community Health Centre-FRU	Rs. 10,000.00 Per Functional Bed	Rs.10,000.00 Per Functional Bed x Nos of Dept Assessed / Total No of Dept	Rs. 7,000.00 Per Functional Bed	Rs.7,000.00 Per Functional Bedx Nos of Dept Assessed / Total No of Dept	Rs.3,00000.00 for 30 Beds for without Conditionality)
3	Community Health Centre-Non FRU	Rs. 2,00,000.00				Rs.2,00000.00 for 30 Beds for Non-FRU (without Conditionality)
4	Primary Health Centre & UPHC	Rs. 3,00,000.00	NA			
5	Ayushman Arogya Mandir	Rs. 18,000.00 per package (total 12 package)	NA			

क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत असेसमेंट एवं मेन्टॉरिंग विजिट हेतु टीम के सदस्यों के भुगतान हेतु सामान्य दिशा—निर्देश :—

अवगत कराना है कि क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस, लक्ष्य सर्टिफिकेशन तथा कायाकल्प असेसमेंट हेतु इम्पैनल्ड असेसर्स को क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग, एस.पी. एम.यू लखनऊ द्वारा नामित किया जाता है। प्रत्येक असेसमेंट के उपरान्त संबंधित टीम के सदस्यों द्वारा नियमानुसार ससमय रिपोर्ट राज्य स्तर से साझा किया जाना अनिवार्य है। रिपोर्ट प्रेषण के सात दिवसो के भीतर संबंधित असेसर्स द्वारा यात्रा भत्ता, लाँजिंग तथा परडियम से संबंधित स्वप्रमाणित बीजक उपलब्ध कराया जाना है। बीजकों के प्रेषित करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं का अनुपालन अत्यन्त आवश्यक है, जो निम्नवत् हैः—

1. प्रत्येक असेसर्स द्वारा यात्रा भत्ता, लाँजिंग तथा परडियम हेतु क्लेम—फार्म में प्रत्येक सूचना भर कर दिनांक सहित हस्ताक्षरित (मोहर के साथ) की जायेगी।
2. यदि असेसमेंट हेतु समस्त असेसर्स एक ही जनपद से जा रहे है तो असेसर्स द्वारा एक ही वाहन का उपयोग किया जाये।
3. यात्रा हेतु यदी टैक्सी हायर की गयी है तो बीजकों में गाड़ी संख्या, टैक्सी परमिट संख्या, यात्रा का दिनांक, जनपद, चिकित्सालय का नाम तथा यात्रा दूरी की सूचना अंकित किया जाना आवश्यक है। सभी असेसर्स द्वारा यात्रा विवरण प्रपत्र भरा जाना है।
4. प्रत्येक असेसमेंट हेतु पृथक क्लेम—फार्म भरा जाना है तथा राज्य स्तर से निर्गत संबन्धित पत्र संलग्न किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। *असेसर्स द्वारा उक्त नियमों का अक्षरशः अनुपालन न करने की स्थिति में नियमानुसार राज्य स्तर से कटौती की जायेगी।

एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन के अर्न्गत इंसेन्टिव धनराशि के उपयोग हेतु निर्देश— FMR : - 175.1

भारत सरकार के स्तर से एक्सटर्नल असेसमेंट के उपरान्त चिकित्सालय द्वारा एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन की अर्हता पूर्ण करने पर मानकानुसार इंसेन्टिव धनराशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है। भारत सरकार के निर्देशानुसार अवार्ड हेतु प्राविधानित धनराशि का 75 प्रतिशत चिकित्सालय के नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड एवं कायाकल्प अवार्ड स्कीम के अंतर्गत चिन्हित गैप क्लोजर, सुदृढ़ीकरण,

रख–रखाव, स्वच्छता व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित किये जाने हेतु उपयोगित की जाये, जिससे चिकित्सालय के स्कोर में वृद्धि हो सके। शेष 25 प्रतिशत धनराशि चिकित्सा इकाईयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (नियमित संविदा एवं आउटसोर्स) के उत्साहवर्धन हेतु इन्सेंटिव के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। अवार्ड विजेता चिकित्सा इकाई को अवार्ड धनराशि में से इन्सेंटिव हेतु स्वीकृत 25 प्रतिशत धनराशि का उपयोग चिकित्सालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों कों कैश अवार्ड, क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण, चिकित्सालय में कर्मचारियों के कार्यस्थल में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों पर नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

अवार्ड धनराशि का 75 प्रतिशत कायाकल्प–अवार्ड योजना तथा क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड के असेसमेंट में चिन्हित गैप क्लोजर तथा चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण हेतु उपयोगित की जायेगी। यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि अन्य मद से प्राप्त बजट की कोई डुप्लीकेसी न हो। उक्त मद में बजट का आवंटन भारत सरकार द्वारा समय–समय पर चिकित्सा इकाईयों द्वारा एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

8.2 'लक्ष्य' इनीशिएटिव संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश :–

'लक्ष्य' सर्टिफिकेशन कार्यक्रम प्रदेश की समस्त जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों पर **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी** गुणवत्तापरक सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य वर्ष 2018 से संचालित है, जिससे प्रदेश में व्याप्त उच्च मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट लाई जा सके।

'लक्ष्य सर्टिफिकेशन' प्रक्रिया– 'लक्ष्य सर्टिफिकेशन' हेतु अच्छादित चिकित्सा इकाईयों में तीन चरणों में असेसमेन्ट (इन्टर्नल, स्टेट असेसमेंट एवं एक्सटर्नल असेसमेंट) किया जाता है। उक्त असेसमेंट में प्रत्येक चरण में अर्हता प्राप्त करने हेतु चिकित्सा इकाईयों को 05 मानकों को पूर्ण करना आवश्यक है। विवरण निम्नवत् हैः–

Criterion No	Certification Criterion	Aggregate Score (%)
1	Score of each department (LR or MOT) of the health facility	≥ 70%
2	Segregated score in each Area of Concern	≥ 70%
3	Score of Standard B3, E18, E19	≥ 70%
4	Individual Standard wise score	≥ 50%
5	Patient Satisfaction Score	70% or Score of 3.5 on Likert

उक्त मानकों के आधार पर एक्सटर्नल असेसमेंट के उपरान्त परिणाम निम्नवत घोषित किये जायेंगे।

S. No	No. of Criterion fulfilled in External Assessment	Certification Status Awarded
1	5 out of 5 criterion	Fully Certified
2	4 out of 5 Criterion	Conditionally Certified
3	<4 Criterion met out of 5	Deferred

क्वालिटी सर्कल का गठन– सर्वप्रथम लक्ष्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित समस्त चिकित्सा इकाईयों की लेबर रूम एवं मेटरनिटी ओ.टी में क्वालिटी सर्किल समूह का गठन अनिवार्य है। उक्त समूह के माध्यम से लेबर रूम एवं मेटरनिटी ओ0टी0 में लक्ष्य सर्टिफिकेशन संबंधी समस्त कार्यो एवं मानकों का कार्यान्वयन पर्यवेक्षण एवं गैप क्लोजर गतिविधियाँ सम्पादित की जायेगी ताकि मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता मे सुधार लाया जा सकें। उक्त समूह के सदस्यों का विवरण निम्नवत है :–

S.No	Quality Circle members	
	LR	MOT
1	Gynaecologist (Nodal)	Anaesthetist (Nodal)
2	Pediatrician	Gynaecologist
3	Hospital Manger/ MH Consultant	Pediatrician
4	Pharmacist	Hospital Manger/ MH Consultant
5	Staff Nurse	Pharmacist
6	Nurse Mentor	Staff Nurse
7	Support and House Keeping staff	MOT technician
8		Support and House Keeping staff

उक्त समूह के सदस्यों द्वारा माह में न्यूनतम एक बार बैठक की जायेगी ।

क्वालिटी सर्किल के कार्य एवं दयित्व क्लीनिकल गाइडलाइन्स एवं प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना। लेबर रूम तथा मैटरनिटी ओ. टी. का 'लक्ष्य' सर्टिफिकेशन सम्बंधित चेकलिस्ट पर असेसमेंट

किया जाना। गैप क्लोजर हेतु प्राथमिकता के आधार पर एक्शन–प्लान बनाना तथा ससमय क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। फैसिलिटी लेविल टारगेट सम्बन्धित डेटा बेस तैयार किया जाना।

इन्टर्नल असेसमेंट_ 'लक्ष्य सर्टिफिकेशन' चेकलिस्ट का उपयोग करते हुए प्रति वित्तीय वर्ष में त्रैमासिक असेसमेंट किया जाए। उक्त असेसमेंट डिपार्टमेन्टल नोडल (स्त्री रोग विशेषज्ञ लेबर रूम में तथा निश्चेतक मेटरनिटी ओ0टी0 में) के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालयों में हॉस्पिटल मैनेजर तथा संबंधित नर्स मेन्टर की टीम द्वारा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जिला मातृ स्वास्थ्य कंसल्टेंट तथा संबंधित नर्स मेन्टर की टीम द्वारा किया जाएगा। उक्त त्रैमासिक असेसमेंट की चेकलिस्ट प्रति त्रैमास के आखिरी माह में 25–30 तारीख के मध्य 'गुणक' एप के माध्यम से submit किया जाएगा जिससे राज्य स्तर पर 'गुणक' एप के Dash board पर उक्त असेसमेंट की चेकलिस्ट एवं आख्या प्रस्तुत हो सके। उक्त असेसमेंट मे पाए गए गैप को क्लोज करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने का दायित्व जिला चिकित्सालय स्तर पर हॉस्पिटल मैनेजर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों में मातृ स्वास्थ्य कंसल्टेंट का होगा।

चिकित्सा इकाई के लेबर रूम एवं मेटरनिटी ओ0टी0 को इन्टर्नल असेसमेंट में 70 प्रतिशत से अधिक स्कोर तथा वर्णित 5 मानको में अर्हता प्राप्त करने पर उसे एजेण्डा बिन्दु के रूप में डी0एच0एस0 की कार्यकारी समिति की बैठक में मातृ स्वास्थ्य कंसल्टेंट द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उक्त चिकित्सा इकाई का इन्टर्नल स्कोर का डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, क्यू.ए., द्वारा सत्यापन करने के पश्चात 'लक्ष्य' सर्टिफिकेशन संबंधी राज्य स्तरीय असेसमेंट हेतु क्वालिटी अनुभाग एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया जाएगा।

स्टेट असेसमेंट:– मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से जनपदों से इन्टर्नल असेसमेंट में अर्हता प्राप्त करने वाले चिकित्सा इकाईयों का राज्य स्तरीय असेसमेंट कराने हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त होने के पश्चात क्वालिटी अनुभाग एस.पी.एम.यू. द्वारा **स्टेट असेसमेंट** 1 दिवस में किया जायेगा। उक्त असेसमेंट में असेसर्स द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति निर्धारित मानकानुसार राज्य स्तर से क्वालिटी अनुभाग द्वारा किया जायेगा।

असेसमेन्ट के उपरान्त उक्त टीम द्वारा स्कोर की गयी चेकलिस्ट क्वालिटी अनुभाग एस.पी.एम.यू लखनऊ की ई–मेल qanhmup2021@gmail.com पर एक सप्ताह के भीतर प्रेषित की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा विकसित **'गुणक (Gunak) ऐप'** का उपयोग करते हुये उक्त स्कोर की प्रविष्टि असेसर्स द्वारा की जायेगी तथा असेसमेंट सम्पादित होने के तीन दिवसो के भीतर उक्त ऐप के माध्यम से Submit की जायेगी।

स्टेट असेसमेंट में **लेबर रूम** अथवा **मेटरनिटी ओ0टी0 में** 70% से कम स्कोर प्राप्त होने पर गैप क्लोजर हेतु एक माह का समय दिया जायेगा । तत्पश्चात गैप क्लोजर करने पर सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से स्कोर रिवैलिडिशन हेतु मातृ स्वास्थ्य कंसल्टेंट (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु)/हास्पिटल मैनेजर (जिला स्तरीय चिकित्सालय हेतु) तथा संबंधित डिवीजनल कंसल्टेंट की देख–रेख में कराया जायेगा। मण्डलीय अपर निदेशक को चिकित्सा इकाईयों के रिवैलिडेशन कराये जाने हेतु मिशन निदेशक के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./क्यू.ए./2019–20/03/6842 दिनांक 11.11.19 द्वारा अधिकृत किया गया है। उक्त असेसमेन्ट के उपरान्त उक्त टीम द्वारा प्रेषित स्कोर चेक लिस्ट तथा मानकानुसार समस्त अभिलेखो की सॉफ्ट कापी क्वालिटी अनुभाग एस.पी.एम.यू लखनऊ की ई–मेल qanhmup2021@gmail.com पर एक सप्ताह के भीतर प्रेषित की जायेगी। उपरोक्त कार्य हेतु संबंधित डिवीजनल कंसल्टेंट उत्तरदायी होगें।

नेशनल असेसमेंट– स्टेट असेसमेंट में समस्त मानकों में अर्हता प्राप्त करने पर एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित ऑन–लाईन SaQsham पोर्टल के माध्यम से अनुरोध किया जायेगा। उक्त पोर्टल पर अनुरोध पत्र के अतिरिक्त अन्य अभिलेखों का भी प्रेषण किया जाना आवश्यक है, जिसको उक्त चिकित्सा इकाईयों द्वारा क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को संबंधित डिवीजनल कंसल्टेंट के सत्यापन के उपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा। विवरण निम्नवत है:–

S.No	List of Documents to be submitted in the portal		S.No	List of Documents to be submitted in the portal
1	Signed Hospital data sheet		13	Policy- Vision, Mission, Values, Strategic Plan & Quality Policy
2	Office Order of Quality Circle Formation of LR & MOT		14	Policy- Condemnation Policy
3	Quality Policy & Objectives of LR & MOT		15	Policy- Antibiotic Policy
4	LattestLaQshya Assessment Checklist Validated by SQAU (LR and/or MOT)		16	Policy- Social, culture and religious equality policy

5	SOP (LR and/or MOT)	17	Policy- Privacy, dignity and confidentiality policy of patient
6	LaQshya FacilIndicators - As per Annexure 'C' (Last 3 months)	18	Policy- Consent Policy
7	OSCE Report of Assessment done in last one year	19	Policy- Referral policy
8	Documents in Respect of Six Rapid Improvement Cycle	20	Key Performance indicators (last 3 month)
9	Last 3 months record of Patient Satisfaction Survey (PSS) & subsequent Action plan of Labour room and Maternity Ward only.	21	Prescription/ Medical Audit Analysis with action taken report
10	Statuatory and Regulatory Compliance	22	Latest State Assessment Report (LR & MOT)
11	Quality Team Formation Order & minutes of last meeting	23	Policy- Timely reimbursement of entitlements & compensation policy
12	Quality Improvement Manual		

भारत सरकार द्वारा प्रेषित नवीन दिशा–निर्देशानुसार चिकित्स इकाईयों के 'लेबर रूम एवं मेटरनिटी ओ0टी0 विभाग को संयुक्त रूप से लक्ष्य सर्टिफिकेशन हेतु सम्मिलित किया जाना अनिवार्य है। लेबर रूम एवं मेटरनिटी ओ0टी0 मे सें मात्र एक अनुभाग के सर्टिफाईड होने की परिस्थिति में सर्टिफिकेशन अस्थायी मान्य होगा तथा अन्य अनुभाग को भी एक साल के भीतर सर्टिफाई कराना अनिवार्य होगा। उक्त की पूर्ति न होने की परिस्थिति में सर्टिफाईड अनुभाग का सर्टिफिकेशन भारत सरकार द्वारा निलंबित किया जा सकता है।

एक्सटर्नल असेसमेंट में अर्हता प्राप्त करने पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार सर्टिफाइर्ड चिकित्सा इकाई को इन्सेंटिव धनराशि प्रदान की जायेगी।

<u>स्टेट सर्विलांस असेसमेंट–</u> भारत सरकार के नवीन दिशा–निर्देशानुसार एक्सटर्नल असेसमेंट के उपरान्त 'Fully Certified' घोषित चिकित्सा इकाईयों की सर्टिफिकेशन की वैद्यता 03 वर्षो तक मान्य होगी। उक्त सर्टिफिकेशन की वैद्यता के अन्तराल में राज्य स्तर से गठित असेसर्स टीम द्वारा प्रति वर्ष उक्त चिकित्सा इकाई का स्टेट सर्विलांस असेसमेंट किया जायेगा जिसमें अर्हता प्राप्त करना उक्त चिकित्सा इकाई के लिए अनिवार्य होगा। अर्हता प्राप्त न करने स्थिति में उक्त चिकित्सा इकाई/ विभाग का सर्टिफिकेशन रद किया जायेगा एवं इंसेंटिव धनराशि प्रदान नही की जायेगी।

स्टेट असेसमेंट तथा स्टेट सर्विलांस असेसमेंट –

उक्त हेतु राज्य स्तर से टीम का गठन किया जायेगा। उक्त असेसमेंट में असेसर्स द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति निर्धारित मानकानुसार राज्य स्तर से क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग द्वारा किया जायेगा। विवरण निम्नवत हैः–

कस	विवरण	दर (रूपये में)	असेसर्स की संख्या	दिवस	धनराशि (रूपये में)
1	टीम के आवागमन हेतु यात्रा भत्ता (टैक्सी हायॅरिंग, या रेल किराया वास्तवित	2500.00	2	2	10000.00 (अधिकतम) **यात्रा के दिवसों के अनुसार**
2	मानदेय प्रतिदिन प्रति असेसर्स	2000.00	2	1	4000.00
3	बोर्डिंग लॉजिंग हेतु रू0 4000.00 प्रति असेसर्स) होटल में ठहरने एवं भोजन इत्यादि)	4000.00	2	2	16000.00 (अधिकतम)
4	स्थानीय मोबिलिटी सपोर्ट हेतु	2000.00	1	2	4000.00
5	कंटिनजेंसी/विविध व्यय (डाक्यूमेंटेशन–फोटो/वीडियोग्राफी, फोटोकॉपी, रिपोर्टिंग आदि हेतु)	6000.00			6000.00
				कुल योग	**40000.00**

'लक्ष्य सर्टिफिकेशन' हेतु राज्य स्तर से कराये गये स्टेट असेसमेंट में यदि चिकित्सा इकाई को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन हेतु स्टेट असेसमेंट भी सम्मिलित होता है तो असेसर्स को केवल नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन संबंधी स्टेट असेसमेंट में नियमानुसार दिये जाने वाले मानदेय, यात्रा भत्ता तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग का भुगतान ही मान्य होगा।

नेशनल असेसमेंट तथा सर्विलांस असेसमेंट –

उक्त हेतु भारत सरकार द्वारा असेसर्स टीम का गठन किया जायेगा। उक्त असेसमेंट में असेसर्स द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति निर्धारित मानकानुसार चिकित्सा इकाईयों द्वारा किया जायेगा। विवरण निम्नवत हैः–

'लक्ष्य' एक्सटर्नल असेसमेंट (लेबर रूम एवं मैटरनिटी ओ0टी0)					
कस	**विवरण**	**दर (रूपये में)**	**असेसर्स की संख्या**	**दिवस**	**धनराशि (रूपये में)**
1	टीम के आवागमन हेतु यात्रा भत्ता (एयर टिकट, टैक्सी हायॅरिंग, या रेल किराया वास्तवित	20000.00	2		40000.00
2	मानदेय प्रतिदिन प्रति असेसर्स	4000.00 (राजकीय विभाग में कार्यरत् असेसर्स हेतु) या 7000.00 (अन्य संस्थानों में कार्यरत् असेसर्स या रिटायर्ड अधिकारी हेतु)	2	3	42000.00 (अधिकतम)
3	बोर्डिंग लॉजिंग हेतु रू0 4000.00 प्रति असेसर्स) होटल में ठहरने एवं भोजन इत्यादि)	4000.00	2	3	24000.00
4	स्थानीय मोबिलिटी सपोर्ट हेतु	2000.00	1	3	6000.00
5	कंटिनजेंसी / विविध व्यय (डाक्यूमेंटेशन–फोटो / वीडियोग्राफी, फोटोकॉपी, रिपोर्टिंग आदि हेतु)	7000.00			7000.00
				कुल योग	**119000.00**

'लक्ष्य' एक्सटर्नल असेसमेंट (केवल लेबर रूम या मैटरनिटी ओ0टी0)					
कस	**विवरण**	**दर (रूपये में)**	**असेसर्स की संख्या**	**दिवस**	**धनराशि (रूपये में)**
1	टीम के आवागमन हेतु यात्रा भत्ता (एयर टिकट, टैक्सी हायॅरिंग, या रेल किराया वास्तवित	20000.00	2		40000.00
2	मानदेय प्रतिदिन प्रति असेसर्स	4000.00 (राजकीय विभाग में कार्यरत् असेसर्स हेतु) या 7000.00 (अन्य संस्थानों में कार्यरत् असेसर्स या रिटायर्ड अधिकारी हेतु)	2	2	28000.00
3	बोर्डिंग लॉजिंग हेतु रू0 4000.00 प्रति असेसर्स) होटल में ठहरने एवं भोजन इत्यादि)	4000.00	2	2	16000.00
4	स्थानीय मोबिलिटी सपोर्ट हेतु	2000.00	1	2	4000.00
5	कंटिनजेंसी / विविध व्यय (डाक्यूमेंटेशन–फोटो / वीडियोग्राफी, फोटोकॉपी, रिपोर्टिंग आदि हेतु)	3000.00			3000.00
				कुल योग	**91000.00**

'लक्ष्य सर्टिफिकेशन' हेतु भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले एक्सटर्नल असेसमेंट में यदि चिकित्सा इकाई का नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन हेतु एक्सटर्नल असेसमेंट भी सम्मिलित होता है तो असेसर्स को केवल नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन संबंधी एक्सटर्नल असेसमेंट में नियमानुसार दिये जाने वाले मानदेय, यात्रा भत्ता तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग का भुगतान ही मान्य होगा।

<u>इंसेंटिव धनराशि हेतु बजट का प्रावधान–</u>

भारत सरकार के मानकानुसार एक्सटर्नल असेसमेंट के उपरान्त 5 मानको में अर्हता प्राप्त कर 'Full Certification' प्राप्त करने वाली चिकित्सा इकाईयों को निम्न मानदण्डो को प्राप्त करने के उपरान्त इंनसेंटिव धनराशि प्रदान किया जायेगा।

1. लेबर रूम अथवा / एवं मैटरनिटी ओ0टी0 को 'Fully Certified' घोषित होने पर।

2. भारत सरकार द्वारा विकसित ‘LaQshya Guideline’ में उल्लिखित ‘Facility Level Targets’ के न्यूनतम 75% सकेतकों की प्राप्ति पर।
3. 80% लाभार्थियों के संतुष्टि एवं अति संतुष्टि प्राप्ति के प्रमाणीकरण पर।

उक्त मानकों की प्राप्ति के प्रमाण राज्य स्तर पर उपलब्ध करने के उपरान्त क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग एस0पी0एम0यू0,एन0एच0एम0 द्वारा उक्त चिकित्सा इकाईयों को एफ.एम.आर.कोड 15.1 के अन्तर्गत निम्न दरों से इंसेंटिव धनराशि आवंटित की जायेगी। विवरण निम्नवत हैः–

a)- जिला स्तरीय चिकित्सालयों हेतु रू0 3.00 लाख प्रति विभाग (लेबर रूम एवं मैटरनिटी ओ0टी0)

b)- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों (FRU) हेतु रू0 2.00 लाख प्रति विभाग (लेबर रूम एवं मैटरनिटी ओ0टी0)

S.No.	Facility Level Target Indicator	S.No.	Facility Level Target Indicator
1	Baseline assessment for LaQshya standards is done	11	80 % of preterm labour cases administered antenatal corticosteroids (ANCS) or 30% reduction from baseline
2	Quality Circle is established in the facility and is functional	12	No of Cases of maternal mortality because of pre- eclampsia, eclampsia & PIH or 25% reduction from baseline
3	% of Labour room and OT staff oriented on LR protocols, RMC & QI (all Dakshata trained staff should be considered as oriented. Otherwise, as the QI cycles are completed)	13	No case of APH/PPH related mortality or at least 25% reduction from baseline
4	90 % of deliveries attended by a birth companion	14	Facility Labour Room is reorganized as per labour room standardization guidelines (Yes/No)
5	90% of deliveries conducted using safe childbirth checklist in labour room Safe Surgery checklist in maternity OT	15	Facility Labour room has staffing as per defined norms in annexure B (Yes/No)
6	90% of deliveries monitored using real-time partograph	16	100% of women administered oxytocin immediately after birth
7	80% of deliveries where breastfeeding was initiated within 1 hour of birth or at least increment of 30% from baseline	17	80% and more osce score or at least increment of 30% from baseline
8	0% of cases of neonatal asphyxia in labour room or 20% reduction from baseline	18	Facility conducted referral audit last month (Yes/No)
9	0%cases of neonatal sepsis in in-born babies or 20% reduction from baseline	19	Facility conducted maternal death, neonatal death and near-miss on monthly basis (Yes/No)
10	5% or less of cases of surgical site infection in maternity OT or 50% reduction from baseline	20	Zero stock outs reported in labour room & Maternity OT (Yes/No)

भारत सरकार के निर्देशानुसार अवार्ड हेतु प्राविधानित धनराशि का 75 प्रतिशत चिकित्सालय के नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड, लक्ष्य स्टैण्डर्ड के अंतर्गत चिन्हित गैप क्लोजर, सुदृढ़ीकरण, रख–रखाव, स्वच्छता व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित किये जाने हेतु उपयोगित किया जायेगा, जिससे चिकित्सालय के स्कोर में वृद्धि हो सके। शेष 25 प्रतिशत धनराशि चिकित्सा इकाईयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (नियमित संविदा एवं आउटसोर्स) के उत्साहवर्धन हेतु इन्सेंटिव के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। अवार्ड विजेता चिकित्सा इकाई को अवार्ड धनराशि में से इंसेन्टिव हेतु स्वीकृत 25 प्रतिशत धनराशि का उपयोग चिकित्सालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों कों कैश अवार्ड, क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण, चिकित्सालय में कर्मचारियों के कार्यस्थल में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों पर नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

एक्सटर्नल असेसमेंट के उपरान्त Certification Criteria में उल्लेखित 05 में से मात्र 04 मानको में अर्हता प्राप्त करने वाली चिकित्सा इकाई को ‘Conditionally Certified’ घोषित किया जायेगा तथा उक्त चिकित्सा इकाईयों को भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार इंसेंटिव धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त उक्त चिकित्सा इकाईयों को सर्टिफिकेशन प्राप्ति की तिथि के 01 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त पुनः सर्टिफिकेशन हेतु भारत सरकार को ऑन–लाईन SaQsham पोर्टल के माध्यम से अनुरोध किया जायेगा।

एक्सटर्नल असेसमेंट के उपरान्त उक्त 05 में से मात्र 03 या उससे कम मानको में अर्हता प्राप्त करने वाली चिकित्सा इकाई को ‘Deferred’ घोषित किया जायोगा तथा उक्त चिकित्सा इकाईयों को

किसी प्रकार का सर्टिफिकेशन नही प्रदान किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त उक्त चिकित्सा इकाई को समस्त गैप क्लोजर के उपरान्त असेसमेंट संबंधी तीनों चरणो को पुनः पूर्ण करते हुये एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु भारत सरकार से अनुरोध करना होगा ।

क्रिटिकल गैप क्लोजर हेतु बजट का प्रावधान –

सर्टिफिकेशन हेतु चिकित्सा इकाईयों पर किये गए इन्टर्नल असेसमेंट का विशलेषण करने पर कतिपय critical gaps जिस कारण उक्त चिकित्सा इकाईयों के स्कोर में आवश्यक बढ़ोतरी नही हो पा रही है। उक्त critical gaps में माइक्रोबायेलाजिकल संर्विलास आफ क्रिटिकल एरिया तथा सुरक्षा गार्डो की तैनाती प्रमुख है। उक्त हेतु उक्त दोनों critical gaps को क्लोज करने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष की आर.ओ.पी. में धनराशि स्वीकृत की गयी है। विवरण निम्नवत् है :– **माइक्रोबायोलॉजिकल संर्विलासः–** उक्त प्रक्रिया मुख्यतः मेटरनिटी ओ0टी0 में संभवतः साल में दो बार किया जाना आवश्यक है। साथ ही लेबर रूम में यह प्रक्रिया समय–समय पर आवश्यकतानुसार की जाएगी। माइक्रोबायेलाजिकल संर्विलास मेटरनिटी ओ0टी0 तथा अन्य क्रिटिकल एरिया के संक्रमण दर को मापने की एक प्रभावी प्रक्रिया है। उक्त हेतु निम्न स्थानों से सैपल लिया जाना आवश्यक है।
OT table at the head end, OT light, A.C ducts, Instuement & Equlipment trolley, 4 walls, Floor preferably below the head an table

भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष की आर0ओ0पी0 में एफ.एम.आर.कोड 15.2 के अन्तर्गत माइक्रोबायेलाजिकल संर्विलास हेतु कुल 100 चिकित्सा इकाईयों को रू 8000.00 प्रति चिकित्सा इकाई की दर से रू0 8.00 लाख स्वीकृत किऐ गए है जिनकों जनपदवार आवंटित किया जा रहा है।

8.3 "हेल्प डेस्क" कार्यक्रम

भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदित वार्षिक राज्य कार्ययोजना वर्ष 2024–25 में प्रदेश के चिन्हित जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में "हेल्प डेस्क" कार्यक्रम के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। "हेल्प डेस्क" के संचालन हेतु चिन्हित जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में एक हेल्प डेस्क मैनेजर व एक हेल्प डेस्क ऑपरेटर का पद संविदा पर स्वीकृत किया गया है।

1. हेल्प डेस्क के उद्देश्य :–

- चिकित्सालय में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में लाभार्थियों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना।
- लाभार्थियों की शिकायतों एवं सुझावों के सम्बन्ध में समुचित एवं समयबद्ध निराकरण हेतु चिकित्सालय प्रशासन को सूचित करना एवं अभिलेखीकरण करना।
- 'कायाकल्प'–अवार्ड योजना के निर्धारित मानकानुसार स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सहयोग प्रदान करना।
- मेरा अस्पताल योजना तथा वॉश कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में नोडल अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।

2. हेल्प डेस्क की समयावधिः–

हेल्प डेस्क कार्मिकों द्वारा प्रातः 08:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक सेवायें प्रदान की जायेगीं।

3. हेल्प डेस्क ड्रेस कोडः–

हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर द्वारा पिंक रंग की फुल स्लीव कॉटन एप्रैन ड्यूटी के दौरान धारण की जायेगी। प्रत्येक हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में अधिकतम दो एप्रैन अनुमन्य है। प्रति एप्रैन हेतु अधिकतम रू0 500 की धनराशि अनुमन्य है। हेल्प डेस्क कार्मिकों द्वारा एप्रैन का क्रय उपरोक्त मानकों के अनुसार किया जायेगा। हेल्प डेस्क कार्मिकों द्वारा एप्रैन हेतु कपड़ा एवं सिलाई का बिल प्रस्तुत किया जायेगा। बिल प्रस्तुत करने पर हेल्प डेस्क ऑपरेशनल कॉस्ट मद (175.13) में उपलब्ध धनराशि में से सम्बन्धित कार्मिक को भुगतान किया जायेगा।

4. हेल्प डेस्क द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं :–

1. चिकित्सालय में आने वाले लाभार्थियों को चिकित्सकों एवं चिकित्सालय में उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना एवं मरीजों/तीमारदारों की जिज्ञासाओं का समाधान करना।
2. चिकित्सा इकाई में सुझाव/शिकायत पेटिका लगाया जाना तथा शिकायत पंजिका/पेटिका से प्राप्त सुझाव/शिकायत का अभिलेखीकरण करना एवं प्राप्त शिकायतों के निराकरण के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को अंकित करना, साथ ही यथा सम्भव शिकायतकर्ता को अवगत कराना।
3. चिकित्सालय में संदर्भित होकर आने वाले तथा चिकित्सा इकाई से अन्य इकाई को संदर्भित होकर जाने वाले मरीजों के लिए सूचना केंद्र के रूप में कार्य करना।

4. 102, 108 एवं ए.एल.एस. एम्बुलेन्स सेवा के माध्यम से मरीजों को आवश्यकतानुसार परिवहन सेवा उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।
5. चिकित्सालय में उपलब्ध सेवायें एवं संचालित किये जाने वाले विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उपलब्ध प्रचार–प्रसार सामग्रियों का संकलन एवं वितरण करना।
6. चिकित्सालय में किसी रोगी की मृत्यु हो जाने की दशा में शव को स्ट्रेचर एवं शव वाहन उपलब्ध कराने में सहायता करना।
7. निराश्रित मरीजों को यथावश्यक सहायता करना व संदर्भन सेवओं हेतु समन्वय स्थापित करना।

5. कार्य एवं दायित्व :–

(क) हेल्प डेस्क प्रबन्धक के कार्य एवं दायित्व :–

1. चिकित्सालय का दैनिक भ्रमण कर वार्डों, शौचालयों, प्रतीक्षालय, दवा वितरण कक्ष, भोजनालय, गलियारों आदि की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण, कायाकल्प की निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार करना तथा हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सूचित करना।
2. निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली समस्याओं को हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर / चिकित्सा अधीक्षक / चिकित्सा अधीक्षिका के साथ साझा करना, साथ ही दैनिक चेकलिस्ट में चिन्हित गैप के विषय में सूचित करना।
3. मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अंत में राज्य मुख्यालय की ईमेल आई डी पर प्रेषित करना।
4. चेकलिस्ट एवं लाभार्थियों से प्राप्त पेसेंट सैटिसफेक्शन फीडबैक फार्म प्रतिदिन हेल्प डेस्क ऑपरेटर द्वारा कम्प्यूटर पर फीड किया जाना सुनिश्चित करना तथा इस सम्बन्ध में हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अवगत कराना।
5. शिकायत / सुझाव / ई–मेल / टेलीफोन / साक्षात्कार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का विश्लेषण कर हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को उपलब्ध कराना।
6. हेल्प डेस्क से सम्बन्धित अन्य रिपोर्ट तैयार करना एवं अभिलेखीकरण करना।
7. चिकित्सालय प्रबन्धन से संपर्क कर समस्याओं / शिकायतों को दूर करने का प्रयास करना एवं सक्षम स्तर से समस्या का निस्तारण हो जाने पर अभिलेखीकरण करना साथ ही शिकायतकर्ता को अवगत कराना।
8. हेल्प डेस्क ऑपरेटर के पर्यवेक्षकीय एवं नियंत्रक अधिकारी के रूप में कार्य करना। हेल्प डेस्क ऑपरेटर द्वारा भरे गये फीडबैक फार्म का अनुश्रवण करना।
9. बाह्य रोगियों तथा अन्तः रोगियों से निर्धारित प्रश्नावली पर साक्षात्कार कर गुणवत्तापरक सुविधाओं को प्रदान करने में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका की सहायता करना।

(ख) हेल्प डेस्क ऑपरेटर के कार्य एंव दायित्व :–

1. लाभार्थियों को चिकित्सालय में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।
2. मरीजों और तीमारदारों द्वारा की गयी शिकायतों का निर्धारित पंजिका पर अभिलेखीकरण करना एवं सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त शिकायत को दूर कराने में सहयोग प्रदान करना।
3. प्रतिदिन 10 बाह्य एवं 10 अन्तः रोगियों से फीडबैक फार्म भरवाना एवं उसे हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर / एच.एम.आई.एस. ऑपरेटर के कम्प्यूटर / लैपटॉप में अंकित करना।
4. दैनिक रिपोर्टिंग प्रपत्र पर प्रतिदिन अंकन कर प्रबन्धक के माध्यम से हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से साझा करना।
5. प्रत्येक सप्ताह एक दिन निश्चित करके शिकायत / सुझाव पेटिका से प्राप्त शिकायतों / सुझावों से हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अवगत कराना।
6. आगन्तुकों को उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं (निदान व उपचार इत्यादि) एवं स्वास्थ्य अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
7. चिकित्सालय में उपलब्ध विशेषज्ञ सेवायें, दवायें एवं पैथोलॉजी में की जाने वाली समस्त जांचों की सूची हेल्प डेस्क पर उपलब्ध रखना। साथ ही जिन स्वास्थ्य केन्द्रों पर लाभार्थी संदर्भित किये जाते हैं उन केन्द्रों का नाम, संपर्क व्यक्ति का नाम, टेलीफोन / मोबाइल नं0 व ईमेल का पूर्ण विवरण एवं जिन स्वास्थ्य केन्द्रों से लाभार्थी संदर्भित होकर आते हैं उनका भी पूर्ण विवरण रखा जाना।
8. चिकित्सा इकाईयों पर हास्पिटल मैनेजर / हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर / चिकित्सा इकाई के राजकीय कम्प्यूटर सिस्टम का उपयोग हेल्प डेस्क कार्मिकों द्वारा रिपोर्टिंग हेतु किया जायेगा।

नोट–सुनिश्चित किया जाये कि हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर से चिकित्सालय के सामान्य क्रिया–कलापों जैसे मरीजों की पंजीकरण पर्ची बनाना, कम्प्यूटर कार्य में कम्प्यूटर ऑपरेटर की मदद करना अथवा दवाओं का वितरण आदि जैसे कार्य न कराये जायें।

6. **वित्तीय प्रबंधन** (FMR Code- 175.13) :–

वित्तीय वर्ष 2024–25 में "हेल्प डेस्क" की ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु रू0 6000.00 प्रतिमाह प्रति चिकित्सालय की दर से निम्न तालिका अनुसार प्रावधानित है :–

क्र0सं0	**मद**	**विवरण**	**स्वीकृत धनराशि (प्रतिमाह)**
1	टेलीफोन / सी.यू.जी.	रू0 1100– हेल्प डेस्क हेतु टेलीफोन एवं इन्टरनेट रू0 600 प्रतिमाह हेल्प डेस्क कार्मिकों के मोबाइल व्यय हेतु (रू0 300 हेल्प डेस्क प्रबन्धक एवं रू0 300 हेल्प डेस्क ऑपरेटर) नोट–स्पष्ट करना है कि उपरोक्तानुसार प्रत्येक कार्मिक को मोबाइल व्यय हेतु रू0 300 प्रतिमाह की दर से अर्थात् वर्ष में कुल रू0 3600 देय है। कार्मिक को आवंटित सी.यू.जी. या उसके व्यक्तिगत मोबाइल नं. पर किये गये रिचार्ज/ऑनलाइन रिचार्ज के बिल को सम्मिलित किया जाये।	1700.00
2	आकस्मिक विविध व्यय	हेल्प डेस्क पर प्रकाश व्यवस्था से सम्बन्धित व्यय, शिकायत पेटिका, नोटिस बोर्ड, हेल्प डेस्क फलैक्स (फ्रेम सहित), डस्टबिन आदि में किया जा सकता है।	1300.00
3	स्टेशनरी /अन्य सम्बन्धित मदों	हेल्प डेस्क तथा मेरा अस्पताल हेतु फीडबैक प्रपत्र, मासिक रिपोर्ट, दैनिक, साप्ताहिक व मासिक चेकलिस्ट, सुझाव/शिकायत पंजिका, विजिटर रजिस्टर, पेन–पैड, Printer Cartridge की Refilling, हेल्प डेस्क कार्मिकों का टीए/डीए ,एप्रैन हेतु धनराशि एवं अन्य सम्बन्धित मदों पर व्यय किया जा सकता है।	3000.00
		कुल	**6000.00**

मेरा अस्पताल :–

- हेल्प डेस्क कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत हेल्प डेस्क मैनेजर एवं ऑपरेटर द्वारा "***मेरा अस्पताल योजना***" में भी सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- नर्सिंग स्टेशन/डिस्चार्ज स्टेशन पर प्रचुर मात्रा में फीडबैक फार्म की उपलब्धता सुनिश्चित कराना हेल्प डेस्क मैनेजर का दायित्व होगा।
- मेरा अस्पताल योजना के अन्तर्गत प्रत्येक भर्ती मरीज को डिस्चार्ज करते समय ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स द्वारा फीडबैक फार्म भरवाया जायेगा।
- समस्त भरे गये फीडबैक फार्म दैनिक आधार पर हेल्प डेस्क ऑपरेटर द्वारा स्टाफ नर्स से प्राप्त कर, साफ्ट कॉपी में चिकित्सा इकाई में उपलब्ध लैपटॉप/डेस्कटॉप पर तैयार कर हॉस्पिटल मैनेजर को दैनिक/साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

7. **मानव संसाधन (हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर) :–**

1. प्रदेश के 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों के कुल 50 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में रोगी सहायता केन्द्र का संचालन वर्ष 2015 से किया जा रहा था। रोगी सहायता केन्द्र की उपयोगिता के दृष्टिगत वर्ष 2018 से प्रदेश के समस्त जनपदों के जिला स्तरीय चिकित्सालयों में रोगी सहायता केन्द्र को "हेल्प डेस्क" के रूप में विस्तारित करते हुये स्थापित किया गया है।
2. वित्तीय वर्ष 2018–19 में रोगी सहायता केन्द्रों पर कार्यरत कार्मिकों को Relocate कर "हेल्प डेस्क" पर तैनात किया गया।
3. चिन्हित जिला स्तरीय चिकित्सालयों में स्थापित प्रत्येक "हेल्प डेस्क" पर एक हेल्प डेस्क मैनेजर एवं एक हेल्प डेस्क ऑपरेटर का पद स्वीकृत है।
4. भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में हेल्प डेस्क पर कार्यरत हेल्प डेस्क मैनेजर का पुनरीक्षित प्रारम्भिक मानदेय रू0 16000 प्रतिमाह एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर का रू0 10000 प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है।

5. वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा हेल्प डेस्क मैनेजर मानदेय हेतु एफ.एम.आर. कोड संख्या 185.C.S0651 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है। कार्यरत हेल्प डेस्क मैनेजर्स हेतु मानदेय का आवंटन जिला स्वास्थ्य समिति को डैप के माध्यम से किया गया है।
6. वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा हेल्प डेस्क ऑपरेटर हेतु एफ.एम.आर. कोड संख्या 185.C.S0657 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है। कार्यरत हेल्प डेस्क ऑपरेटर्स हेतु मानदेय का आवंटन जिला स्वास्थ्य समिति को डैप के माध्यम से किया गया है।
7. भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में संविदाकर्मियों के मानदेय में गत वर्ष के सापेक्ष 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। यह उन्हीं संविदाकर्मियों को देय होगा जिन्होंने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है।
8. भारत सरकार द्वारा कार्यरत संविदाकर्मियों के लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस हेतु अनुमति प्रदान की गई है। लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस हेतु केवल वही संविदा कर्मी पात्र होगें जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में निरतंर 03 अथवा 05 वर्षों की सेवा एक ही पद पर पूर्ण की हो।
   i. ऐसे संविदाकर्मी जो वित्तीय वर्ष 2024–25 में 03 वर्ष पूर्ण करते हैं उन्हें 10 प्रतिशत एवं 05 वर्ष पूर्ण करने पर 5 प्रतिशत का लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस प्रदान किया जायेगा।
   ii. जिन संविदा कर्मी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में सेवाकाल का 03 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2024 में निर्गत किये गये वेतन में 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस प्रदान किया जायेगा।
   iii. जिन संविदा कर्मी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में सेवाकाल का 05 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2024 में निर्गत किये गये वेतन में 05 प्रतिशत (उनको 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस का लाभ पूर्व में भुगतान किया जा चुका है एवं शेष 05 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस देय है) लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस प्रदान किया जायेगा।
   iv. ऐसी महिला संविदा कर्मी जो मातृत्व अवकाश पर हो एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्षों की सेवा एक ही पद पर पूर्ण की हो । ऐसी महिला संविदा कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस के पात्र होगीं।
   v. ऐसे पुरूष संविदाकर्मी जो पितृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2024–25 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस के पात्र होगें।
   vi. सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस का लाभ नहीं दिया जायेगा। किन्तु वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।
9. भारत सरकार द्वारा रू0 15,000.00 प्रतिमाह तक के मानदेय प्राप्त करने वाले पात्र संविदा कर्मियों हेतु ई0पी0एफ0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 2024–25 में प्रदान की गई है। ई0पी0एफ0 का लाभ यदि रु० 15,000.00 प्रति माह या कम मानदेय आहरित करने पर किसी संविदाकर्मी को एक पद पर कार्य करते हुए प्राप्त हो चुका है तथा वर्ष 2024–25 में समान पद पर रहते हुये यदि मानदेय रू0 15,000.00 प्रतिमाह से ज्यादा होता है तो ऐसे संविदा कर्मियों को रू0 15,000.00 प्रतिमाह के मानदेय तक ई0पी0एफ0 का लाभ मिलता रहेगा।
10. एजेन्सी के माध्यम से आउटसोर्स किये गये हेल्प डेस्क मैनेजर तथा हेल्प डेस्क ऑपरेटर पर कर्मचारी बीमा योजना के प्रावधान लागू किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा रू0 21000.00 प्रतिमाह तक प्राप्त करने वाले कर्मियों हेतु ई0एस0आई0 की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
11. हेल्प डेस्क कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाईयों पर रिक्त पदों पर तैनाती कार्यालय के पत्र संख्या–पत्रांकः एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./क्यू.ए./हेल्प डेस्क/2019–20/10/9771–2 दिनांक 26.02.2020 के अनुरूप किया जाना है उक्त के अतिरिक्त जो चिकित्सा इकाईया मेडिकल कालेज में उच्चिकृत हो चुका है, उन चिकित्सा इकाईयों में अग्रिम निर्देशो तक हेल्प डेस्क मैनेजर/ऑपरेटर की नवीन भर्ती नही की जायें।

8. हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर (आउटसोर्स सहित) का टी.ए./डी.ए.:–

हेल्प डेस्क कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु समय–समय पर क्षमतावर्धन कार्यशाला एवं समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है जिसमें उक्त कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। कार्यशाला एवं समीक्षा बैठकों में प्रतिभाग किये जाने हेतु हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर को निम्नानुसार टी.ए./डी.ए. का भुगतान किया जाना हैः–

क्रम संख्या	पदनाम	मासिक मानदेय (रू0)	यात्रा भत्ता (वास्तविकता के आधार पर)		परडियम प्रतिदिन (रू0)	ठहरने की व्यवस्था हेतु अनुमन्यता प्रतिदिन (जनपद के बाहर की यात्रा की स्थिति में एवं वास्तविकता के आधार पर रू0)
			रेल मार्ग द्वारा	सड़क मार्ग द्वारा		
1	हेल्प डेस्क मैनेजर (आउटसोर्स सहित)	16000.00	AC III/AC Chair Car	बस/शेयर टैक्सी	500.00	1000.00
2	हेल्प डेस्क ऑपरेटर (आउटसोर्स सहित)	10000.00	AC III/AC Chair car	बस/शेयर टैक्सी	500.00	1000.00

9. मूल्यांकन एवं अनुश्रवणः— हेल्प डेस्क का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मुख्यतः मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जाना है। हेल्प डेस्क प्रबंधक प्रतिदिन डेस्क की गतिविधियों से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अवगत करायेंगे। हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर का दायित्व होगा कि वे मासिक रिपोर्ट डी.क्यू.ए.यू. को प्रेषित करेंगें। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट द्वारा रिपोर्ट का वैलीडेशन तथा गैप क्लोजर हेतु आवश्यकतानुसार हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर को सहयोग प्रदान किया जायेगा।

सुरक्षा गार्ड की तैनाती हेतुः—उच्च प्रसव दर वाली चिकित्सा इकाईयों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के उददेश्य से एफ.एम.आर.कोड 185.C.S0063 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में चिन्हित चिकित्सा इकाइयों में सुरक्षा गार्डो की तैनाती किये जाने हेतु जनपदवार कुल रू0 14212.80 लाख धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है।

चिकित्सा इकाईयों में सुरक्षा व्यवस्था सुद्वढ किये जाने हेतु सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्मय से किये जाने के संबंध में नवीन दिशा—निर्देश पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./लक्ष्य/19/2024—25/2456—2 दिनांक 30.07.2024 के माध्यम से प्रेषित किये गये है। दिशा—निर्देश निम्नवत् हैः—

1. सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड से ही किया जायेगा। उक्त हेतु निविदा किये जाने की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा गार्ड़ के मानदेय उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की प्रचलित दरों के आधार पर किया जायेगा। सुरक्षा गार्ड की तैनाती हेतु अनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सक्षम अधिकारी स्तर से किया जायेगा।
2. उक्त प्रक्रिया जनपदों को राज्य स्तर से आवंटित चिकित्सा इकाईवार बजट सीमा के भीतर पूर्ण किया जाना है। आवंटित बजट सीमा के अनुपात में चिकित्सा इकाईवार सुरक्षा गार्ड़ की अधिकतम संख्या निर्धारित की जायेगी।
3. जिन जनपदों द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा—निर्देशो के अनुसार जनपद स्तर पर जेम पोर्टल से निविदा के माध्यम से सेवा—प्रदाता एजेन्सी चयनित कर सुरक्षा गार्ड तैनात किये जा चुके है, उन जनपदों में पूर्व में किये गये अनुबंध की तिथि समाप्त होने के उपरान्त सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड से किया जाना है। किसी भी दशा में अनुबंध का नवीनीकरण/विस्तारीकरण नहीं किया जाना है।
4. जिन चिकित्सा इकाईयों हेतु उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के क्षेत्रिय शाखा द्वारा सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराये जाने में असमर्थता जतायी जा रही है, उन चिकित्सा इकाईयों हेतु सुरक्षा गार्ड पूर्व की भॉति जेम पोर्टल से श्रम आयोग के द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों के दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार निविदा कर रखें जा सकते है।

8.4 कायाकल्प'—अवार्ड योजनाः—

आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा 15 मई, 2015 से राजकीय चिकित्सा इकाईयोंमें स्वच्छता एवं हाइजीन व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने हेतु 'कायाकल्प' अवार्ड योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2020—21 में प्रदेश की समस्त चिकित्सा इकाईयॉः जनपद स्तरीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरबन प्राथमिक केन्द्र तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर्स को कायाकल्प अवार्ड के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है। अवार्ड के नामांकन हेतु चिकित्सा इकाईयों का तीन चरणो में असेसमेंन्ट (इनटर्नल, पियर एवं एक्सटर्नल) किया जाता है। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के इनटर्नल, पियर एवं एक्सटर्नल असेसमेंट के पश्चात राज्य स्तर से' राज्य कायाकल्प अवार्ड नामांकन समिति' के माध्यम से अन्तिम निर्णय लिया जाता है। योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम के समुचित कियान्वयन हेतु पूर्व में प्रेषित दिशा—निर्देश को अवक्रमित करते हुये समेकित दिशा—निर्देश निम्नवत् हैः—

'कायाकल्प–अवार्ड' योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण (FMR : 176.1)

भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 वर्ष 2024–25 में FMR : 176.1 पर प्रति जनपद 02 बैच के आयोजन हेतु (रू.66,000.00 प्रति जनपद की दर से) धनराशि स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय जनपद स्तर पर कायाकल्प अवार्ड योजना संबंधी ओरिएन्टेशन कम अवरेनेस एवं कार्यक्रम संबंधी चेकलिस्ट पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला आयोजन पर किया जायेगा। उक्त कार्यशाला का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा। उक्त कार्यशाला के आयोजन का उत्तरदायित्व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी–क्वालिटी एश्योरेंस तथा सम्बंधित डिस्ट्रिक कंसल्टेंट– क्यू0ए0 का होगा। कार्यशाला में उक्त जनपद के समस्त चिकित्सा इकाईयों के प्रभारी अधिकारी/नोडल अधिकारी–क्यू0ए0, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैव तकनीशियन तथा अन्य पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्प डेस्क मैनेजर, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक, ब्लाक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तथा अन्य कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों,जिनका पूर्व में उक्त प्रशिक्षण न किया गया हो, द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। संबंधित डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट द्वारा वर्तमान एवं पूर्व में प्रशिक्षित उक्त प्रतिभागियों की संकलित सूची राज्य स्तर पर सॉझा की जायेगी। उक्त कार्यशाला आवश्यकतानुसार एक से अधिक बैच में आयोजित की जा सकती है परन्तु प्रति बैच प्रतिभागियों की संख्या 50 से अधिक नही होनी चाहिए। कार्यशाला में 50 प्रतिभागियों प्रति बैच हेतु बजट का आवंटन किया गया है। यदि किसी कारणवश प्रतिभागियों की संख्या 50 से अधिक होने पर सम्बन्धित मद से आवंटित धनराशि की सीमा से अधिक व्यय नही होना चाहिये। उक्त कार्यशाला हेतु निम्न तालिकानुसार रू. 33,000.00 प्रति बैच की दर से धनराशि का प्रावधान किया गया है–

District Level Kayakalp Awareness Training (01 Batch) FMR- 176.1				
S.N.	**Activities**	**Rate (in Rs.)**	**Participants**	**Total**
1	Honorarium to Distt. Trainers	600	2	1200.00
2	Mess, Fooding for Participants	250	50	12500.00
3	Incidental expenses, Banner, Sound System etc.			3000.00
4	Contingency (Photocopy, Stationary, venue hiring if required etc.)			15000.00
5	Institutional Overhead (15% POL for generator if required etc.)			1300.00
Total				**33000.00**

प्रशिक्षण सम्बन्धित डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, डिवीजनल कंसल्टेंट–क्यू0ए0/पब्लिक हेल्थ या अन्य प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जायेगा। प्रतिभागियों को प्रशिक्षण सामग्री एवं अन्य आवश्यक लर्निंग रिसोर्स मेटेरियल्स आवश्यक रूप से प्रदान किया जायेगा।

असेसमेंन्ट की प्रक्रियाः–FMR : - 176.2

इन्टर्नल असेसमेंटः–जनपद स्तरीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अरबन प्राथमिक केन्द्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर– उपकेन्द्र के लिए निर्धारित चेकलिस्ट पर चिकित्सा इकाई स्तर से इन्टर्नल असेसमेंट किया जायेगा। चिकित्सा इकाईयों द्वारा इन्टर्नल असेसमेंट की रिर्पोट प्रत्येक त्रैमास में संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। यथा सम्भव जनपद/मण्डल स्तर से उक्त प्रेषित 5 से 10 प्रतिशत इर्न्टनल असेसमेंट स्कोर का अनुश्रवण किया जायेगा। वर्ष में एक बार 70 प्रतिशत से अधिक स्कोर प्राप्त चिकित्सा इकाईयों का पियर असेसमेंट हेतु नामाकंन किया जायेगा।

पियर असेसमेंट – इनटर्नल असेसमेंन्ट में 70 प्रतिशत या अधिक स्कोर प्राप्त करने वाले समस्त श्रेणियों (जिला स्तरीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक/शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर) की चिकित्सा इकाईयों का पियर असेसमेंट हेतु असेसर्स पूल से असेसर्स टीम का गठन कर पियर असेसमेंट संपादित किया जायेगा। जनपद स्तरीय चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पियर असेसमेंट की ड्यूटी राज्य स्तर से लगायी जायेगी। तथा प्राथमिक/शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के पियर असेसमेंट की ड्यूटी पूर्व की भाँति की मण्डल स्तर से डिवीजनल कंसल्टेट द्वारा तैयार की जायेगी। कायाकल्प अवार्ड स्कीम के अन्तर्गत जनपद स्तरीय चिकित्सालयों ,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्रों के पियर असेसमेंट का भुगतान असेसमेंट की गयी चिकित्सा इकाई के जनपद से नियमानुसार किया जाना है।

चिकित्सा इकाईयों में कार्य करने वाले मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टॅाफ तथा ब्लाक स्तरीय प्रबंधको में कायाकल्प अवार्ड योजना संबंधी जागरूकता में वृद्वि करने तथा अपनी संबंधित चिकित्सा इकाईयों को

कायाकल्प चेकलिस्ट के अनुसार तैयार करने में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पियर असेसमेंट में असेसर्स टीम के गठन में (प्राथमिक/शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर) निम्नवत् संशोधन किया जा रहा है :–

S.No	Cateogry of Health Facility	Exclusive cadre of Assessors from the Assessors pool to be nominated for the peer assessmnt
1	PHC/UPHC	Facility incharge, Staff Nurses, pharmacist ,paramedical staff , from one PHC of other Block as well as concerned BPMs & BCPMs of this block from the same or different district (as of assessed facility) of the concerned division only
2	AAM-SC	MoIc from PHC of other Block as well as concerned BCPMs & CHOs of this block from the same or different district (as of assessed facility) of the concerned division only

उक्त पियर असेसमेंट का अनुश्रवण डिवीजनल क्वालिटी कंसल्टेंट (मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक यदि डिवीजनल कंसल्टेंट का पद रिक्त हो) द्वारा किया जायेगा तथा अपने संबंधित जनपदों में संपादित किये जाने वाले पियर असेसमेंट की सारणी सूची संकलित कर क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग की ई–मेल आई.डी. qanhmup2021@gmail.com पर राज्य स्तर से निर्धारित किये गये समय के भीतर प्रेषित की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त डिविजनल कंसल्टेंट द्वारा पियर असेसमेंट पूर्ण होने के उपरान्त असेसमेंट की चिकित्सा इकाईवार थिमैटीक एवं सम्पूर्ण स्कोर राज्य स्तर से उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप पर प्रवृष्टि कर तथा असेसर्स द्वारा स्कोर की गयी चेकलिस्ट संकलित कर क्वालिटी एश्योरेस के ई–मेल आईडी पर ससमय प्रेषित किया जायेगा।

एक्सटर्नल असेसमेंट– पियर असेसमेंट में 70 प्रतिशत या उससे अधिक स्कोर प्राप्त करने वाली चिकित्सा इकाईयों (जिला स्तरीय चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के कायाकल्प एक्सटर्नल असेसमेंट की ड्यूटी राज्य स्तर से लगायी जायेगी। प्राथमिक/शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर की ड्यूटी पूर्व की भाँति की मण्डल स्तर से डिवीजनल कंसल्टेट द्वारा तैयार की जायेगी।

जनपद स्तरीय चिकित्सालयों ,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक/शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर) के एक्सटर्नल असेसमेंट का भुगतान असेसमेंट की गयी चिकित्सा इकाई के जनपद से नियमानुसार किया जाना है।

असेसमेंट हेतु बजट का प्रावधानः–पियर असेसमेंट–पियर असेसमेंट हेतु अर्ह समस्त श्रेणियों की चिकित्सा इकाई (इन्टर्लन असेसमेंट 70 प्रतिशत या अधिक) राज्य स्तर से समस्त जनपदों को एफ.एम. आर. 176.2 के अन्तर्गत राज्य स्तर से बजट आवंटन किया गया है।

असेसमेंट की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु असेसमेंट डयूटी लिस्ट को अन्तिम रूप प्रदान करते समय समस्त असेसर्स को यथासंभव समान अवसर प्रदान किया जाये। असेसमेंट हेतु गठित टीम के आवागमन हेतु अनिवार्य रूप से एक ही वाहन का उपयोग किया जायेगा। अपरिहार्य कारणों से यदि एक ही वाहन से आवागमन संभव न हो पाने की स्थिति में असेसर्स टीम के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग आवागमन हेतु किया जाना उचित होगा। पियर असेसमेंट हेतु मानदेय तथा मोबिलीटी संबंधी सत्यापित बीजको का भुगतान असेसमेंट की गयी चिकित्सा इकाई के जनपद से वास्तविक बीजको के आधार पर वर्ष 2024–25 अन्तर्गत एफ.एम.आर. कोड. 176.2 (Assessment-Kayakalp) में से नियमानुसार किया जायेगा समस्त श्रेणी की चिकित्सा इकाईयों हेतु पियर असेसमेंट संबंधी वित्तीय प्रावधान निम्नवत् हैः–

जिला स्तरीय चिकित्सालय हेतुः–जिला स्तरीय चिकित्सालय के पियर असेसमेंट हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत है :–

Peer Assessment of District Hospital (01 Day)				
Sno	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants /Qty**	**Amount**
1	Travel cost of Assessors	3000	2	6000
2	Honorarium / Per Diem of Assessor	1000	2	2000
			Total (Cost for one Hospital)	**8000**

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पियर असेसमेंट हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत है :–

Peer assessment of Cummunity Health Centre (01 day)				
Sno	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants /Qty**	**Amount**
1	Travel cost of Assessors	3000	2	6000
2	Honorarium / Per Diem of Assessor	1000	2	2000
			Total (Cost for one CHC)	**8000**

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/आयुष्मान आरोग्य मंदिर (उपकेन्द्र) :–

PHC/UPHC/AAM -SC peer assessment (01 Day)				
Sno	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants /Qty**	**Amount**
1	Travel cost of Assessors	4000	1	4000
2	Honorarium / Per Diem of Assessor	1000	1	1000
	Total (Cost for one PHC/UPHC/AAM-SC)			**5000**

यदि किसी जनपद को अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होती है तो मॉग पत्र मिशन निदेशक को प्रेषित किया जाये।

<u>एक्सटर्नल असेसमेंट</u>– एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु अर्ह समस्त श्रेणियों की चिकित्सा इकाई (पियर असेसमेंट 70 प्रतिशत या अधिक) की संख्या के अनुसार राज्य स्तर से समस्त जनपदों को एफ.एम.आर. 176.2 के अन्तर्गत बजट आवंटन किया गया है। एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु मानदेय तथा मोबिलीटी बोर्डिंग एवं लॉर्जिंग संबंधी सत्यापित बीजको का भुगतान असेसमेंट की गयी चिकित्सा इकाई के जनपद से वास्तविक बीजको के आधार पर वर्ष 2024–25 अन्तर्गत एफ.एम.आर. कोड. 176.2 (Assessment-Kayakalp) में से नियमानुसार किया जायेगा। असेसमेंट के दौरान टीम के सदस्यो को ऑन डयूटी माना जायेगा। भुगतान हेतु पत्रावली परिचालन का उत्तरदायित्व डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेट क्वालिटी एश्योरेंस का होगा। जिन जनपदों में डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंसल्टेंट का पद रिक्त है उन जनपदों में जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा किया जायेगा। समस्त श्रेणी की चिकित्सा इकाईयों हेतु एक्सटर्नल असेसमेंट संबंधी वित्तीय प्रावधान निम्नवत् हैः–

जनपद स्तरीय चिकित्सालयो के एक्सटर्नल असेसमेण्ट हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत हैः–

External Assessment of District level Hospital (01 Day)					
Sno	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants /Qty**	**Day**	**Amount**
1	Travel cost of Assessors	2000	3	2	12000
2	Honorarium / Per Diem of Assessor	2000	3	1	6000
3	Boarding & Lodging of Assessors	4000	3	2	24000
4	Contingency for Documentation				2000
	Total (Cost for One DH)				**44000**

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्सटर्नल असेसमेण्ट हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत हैः–

External Assessment of CHC (01 Day)					
Sno	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants /Qty**	**Day**	**Amount**
1	Travel cost of Assessors	2500	3	2	15000
2	Honorarium / Per Diem of Assessor	2000	3	1	6000
3	Boarding & Lodging of Assessors	4000	3	1	12000
4	Contingency for Documentation				1000
	Total (Cost for One CHC)				**34000**

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अरबन प्राथमिक केन्द्रों (आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहित) के एक्सटर्नल असेसमेण्ट हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत हैः–

External Assessment of PHC /UPHC/AAM-SC) (01 Day)					
s/n	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants /Qty**	**Day**	**Amount**
1	Travel cost of Assessors	2000	2	1	4000
2	Honorarium / Per Diem of Assessors	2000	2	1	4000
	Total (Cost for One PHC/UPHC/AAM-SC				**8000**

यदि किसी जनपद को अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होती है तो मॉग पत्र मिशन निदेशक को प्रेषित किया जाये।

'कायाकल्प–अवार्ड' योजना के अन्तर्गत एक्सर्टनल असेसमेंट/पियर असेसमेंट हेतु टीम के सदस्यों के भुगतान हेतु दिशा–निर्देश ।

कायाकल्प असेसमेंट हेतु इम्पैनल्ड असेसर्स को क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग, एस.पी.एम.यू लखनऊ द्वारा (एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु नामित किया जाता है। प्रत्येक असेसमेंट के उपरान्त संबंधित टीम के सदस्यों द्वारा नियमानुसार असेसमेंट समाप्ति दिवस के एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट एवं स्कोर

की गयी चेकलिस्ट राज्य स्तर पर (एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु)/जनपद स्तर पर (पियर असेसमेंट हेतु) ई–मेल के माध्यम से साझा किया जाना अनिवार्य है। असेसमेंट समाप्ति के 07 दिवसों के भीतर असेसर्स द्वारा मानदेय तथा मोबिलीटी बोर्डिंग एवं लॉर्जिंग संबंधी स्वप्रमाणित बीजक संबंधित जनपद/चिकित्सा इकाईयों को उपलब्ध कराया जाना है। संबंधित असेसर्स द्वारा प्रस्तुत बीजको के औचित्य पूर्ण भुगतान हेतु निम्न बिन्दुओ का अनुपालन किया जाना अनिवार्य हैः–

1. यात्रा हेतु उपयोग किये गये उक्त टैक्सी/ कैब के भुगतान हेतु असेसर्स द्वारा स्वप्रमाणित वास्तविक बीजको को प्रस्तुत करना होगा।
2. प्रत्येक असेसर्स द्वारा यात्रा भत्ता, लॉजिंग तथा परडियम हेतु क्लेम–फार्म में प्रत्येक सूचना भर कर दिनांक सहित हस्ताक्षरित की जायेगी।
3. असेसमेंट हेतु असेसर्स द्वारा यदि स्वय् के स्तर से वाहन की बुकिगं तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग की व्यवस्था की जाती है, तो सेवा प्रदाता द्वारा दिये गये बीजक में फार्म के जी.एस.टी. नम्बर होना आवश्यक है।
4. यात्रा हेतु यदि टैक्सी हायर की गयी है तो बीजकों में गाड़ी संख्या, यात्रा का दिनांक, जनपद, चिकित्सालय का नाम तथा यात्रा दूरी की सूचना अंकित किया जाना आवश्यक है।
5. प्रत्येक असेसर्स द्वारा उनके बैंक खाते की सूचना तथा एफ.ए.एम.एस पोर्टल पंजीकरण सूचना को निर्धारित प्रारूप में भरकर बीजकों के साथ संलग्न की जानी है। प्रत्येक असेसमेंट हेतु पृथक क्लेम–फार्म भरा जाना
6. प्रत्येक असेसर्स द्वारा उनके बैंक खाते की सूचना तथा एफ.ए.एम.एस पोर्टल पंजीकरण सूचना को निर्धारित प्रारूप में भरकर बीजकों के साथ संलग्न की जानी है।

*असेसर्स द्वारा उक्त नियमों का अक्षरश : अनुपालन न करने की स्थिति में नियमानुसार कटौती की जायेगी।

एक्सटर्नल असेसमेंट के अंको में 'मेरा–अस्पताल' के वेटेज व्यवस्था हेतु दिशा–निर्देशः–

भारत सरकार के पत्र संख्या–DO No. NHSRC/14-15/QI/01/Swacch Health Facilities & Kayakalp Date :12th July 2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत **'मेरा चिकित्सालय'** में आच्छादित चिकित्सालयों को 'कायाकल्प'–अवार्ड स्कीम के अन्तर्गत 15.0 प्रतिशत का वेटेज अंक प्रदान करने हेतु निर्णय लिया गया है। उक्त के अन्तर्गत चिकित्सा इकाई के स्कोर का निर्धारण निम्न सूत्र (अवार्ड टू पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज–कायाकल्प 2019केAnnexure-III पृष्ठ संख्या–141–142) के आधार पर किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

Mera Aspataal Score of Hospital can be calculated using the formula	=	Max. % age of dissatisfied patients in the state-% of patient dissatisfied at a Hospital / Min. % age of dissatisfied patients in the state- Min % of patient dissatisfied patient in the state	X 100

कायाकल्प–अवार्ड स्कीम के अन्तर्गत अन्तिम स्कोर गणना निम्नवत् की जायेगी :–(उदारणार्थ : यदि चिकित्सालय का चेकलिस्ट के आधार पर स्कोर 84 प्रतिशत है तथा मेरा अस्पताल स्कोर 66.66 प्रतिशत है, तो)

Score	Value	Wieghatge	Calculation	Wieghatge Score
Kayakalp Score	84.0%	85.0%	84.0X 0.85	71.4%
Mera Asptaal Score	66.6%	15.0%	66.6 X 0.15	9.99%
Total score of Hospital A				81.39 %

जो चिकित्सालय मेरा अस्पताल योजना के अन्तर्गत अच्छादित है, उनके अंतिम स्कोर की गणना तथा अवार्ड अंतिम सूची उपरोक्तानुसार राज्य स्तर से निर्गत की जायेगी।

स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र (एफ.एम.आर.कोड -177.1) :–

भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 दिसंबर, 2016 को ' स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र' कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय समग्र रूप से भारत को खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) बनाये जाने के लिए कार्य कर रहें है। भारत सरकार द्वारा ओ0डी0एफ0 आच्छादित विकास खण्डों की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो को एन0क्यू0ए0 सर्टिफिकेशन की उपलब्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आर0ओ0पी0 वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा रू0 250.00 लाख की धनराशि स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र के अन्तर्गत ओ.डी.एफ0 ब्लॉक में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण कायाकल्प के निर्धारित

मानकानुसार किया जाना है, जिससे वे गुणवत्तापरक चिकित्सा सेवायें प्रदान कर सकें। योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैंः–

1. सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का कायाकल्प अवार्ड स्कीम के अन्तर्गत 70 प्रतिशत स्कोर प्राप्त करना।
2. सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डड्र्स के निर्धारित मानकानुसार सुदृढ़ीकरण किया जाना।
3. पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय शहरी निकायों से समन्वय करना।
4. स्वच्छता एवं हाईजीन को सुधारने हेतु सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना।

उक्त धनराशि का आंवटन 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को (रू0 10.00 लाख प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दर से) कायाकल्प, एन0क्यू0ए0 स्टैडर्ड चेक लिस्ट के निर्धारित मानकानुसार सुदृढ़ीकरण हेतु किया जा रहा है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्राप्त बजट का 90 प्रतिशत क्वालिटी एश्योरेंस गैप क्लोजर तथा 10 प्रतिशत धनराशि सामुदायिक जागरूकता हेतु व्यय किया जाना है। सम्बन्धित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते में एफ.एम.आर.कोड 177.1 अन्तर्गत रू0 10.00 लाख (One Time Grant) की धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी, जिसको नियमानुसार इकाई के कायाकल्प अवार्ड योजना की निर्धारित चेकलिस्ट का उपयोग करते हुए गैप क्लोजर हेतु उपयोगित किया जाना है। धनराशि का उपयोग चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के हित को सर्वोपरि रखते हुए गुणवत्ता परक सेवायें प्रदान करने हेतु प्राथमिकता सुनिश्चित करते हुए निम्नवत् किया जा सकता हैः–

1. मरीजों हेतु पीने योग्य पानी की व्यवस्था।
2. बहिरंग (ओ.पी.डी.) के अन्दर पेंशेंट कॉलिंग सिस्टम लगाने की व्यवस्था।
3. परिसर के अन्दर हर्बल गार्डेन बनाना।
4. मरीजों एवं तीमारदारों हेतु वेटिंग एरिया में कुर्सियों पंखे इत्यादि की व्यवस्था।
5. पेंशेट केयर एरिया में हाथ धोने हेतु वॉश बेसिन की उचित व्यवस्था।
6. लेबर रूम एवं ऑपरेशन थ्रिएटर में एल्बो टैप की व्यवस्था।
7. पेंशेंट केयर एरिया मे ंउचित मात्रा में एल्कोहल बेस्ड हैण्ड–रब की व्यवस्था।
8. मरीजों के लिए भोजन आपूर्ति हेतु ढक्कन युक्त ट्राली की व्यवस्था।
9. सभी चिकित्सा कर्मी और सहायकों के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट की व्यवस्था।
10. 'हॉस्पिटल एक्वॉयर्ड इंफेक्शन' की रोकथाम हेतु माइको बॉयोलॉजिकल सर्विलांस की व्यवस्था।
11. नवजात शिशुओं के लिए बेबी ब्लैंकेट की व्यवस्था।

उक्त के अतिरिक्त एन.क्यू.ए. चेकलिस्ट के अनुसार अन्य गैप क्लोजर किये जाने हेतु भी इस धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्वालिटी का उत्तरदायित्व होगा कि वे उपरोक्त चेक प्वाइंट के आधार पर धनराशि के उपयोग हेतु चिकित्सा अधीक्षक से विचार–विमर्श कर कार्ययोजना तैयार करें।

नोटः–उक्त धनराशि का उपयोग निम्न कार्यों हेतु नहीं किया जाना हैः–

1. स्टाफ की नियुक्ति एवं मानदेय।
2. बड़े निर्माण या क्रय दवाओं की क्रय।
3. डायग्नोस्टिक, थैरेप्यूटिक एवं रिहैबिलिटेशन इक्यूपमेंट इत्यादि।
4. अनुबंधित सेवा प्रदाता को कोई लम्बित भुगतान।

सामुदायिक सहभागिता हेतु की जाने वाली गतिविधियांः–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 'खुले में शौच से मुक्ति' विषयक प्रचार–प्रसार एवंज न सहभागिता बढ़ाने हेतु ब्लॉक स्तर पर कार्यशाला का अयोजन, सामुदायिक जागरूकता हेतु रैली का आयोजन, स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन विद्यालयों में हैंड हाईजीन प्रमोशन हेतु हैण्ड वॉश स्टेप डिमॉन्सट्रेशन, विद्यलायों में प्रतियोगिता का अयोजन तथा व्यक्तिगत स्वच्छता एवं मेन्सट्रुअल हाईजीन प्रमोशन हेतु आशाओं को पुरस्कार आदि का आयोजन स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान किया जा सकता है। ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाने वाली सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने हेतु निम्न गतिविधियों का आयोजन का विवरण निम्नवत् हैः–

ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन–अन्तर्विभागीय समन्वय हेतु 'खुले में शौच से मुक्ति' विषयक कार्यशाला का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा। कार्यशाला में खण्ड विकास अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा स्वास्थ्य इकाई के समस्त स्टाफ ए.एन.एम. एवं आशा संगिनी को आमंत्रित किया जायेगा। कार्यशालय के आयोजन हेतु अधिकतम धनराशि

रू0 5000.00 आवंटित की जा रही है, जिसका उपयोग बैनर, लर्निंग मैटेरियल तथा प्रतिभागियों के रिफ्रेशमेंट आदि पर रू0 50.00 प्रति प्रतिभागी की दर से व्यय किया जायेगा।

सामुदायिक जागरूकता हेतु रैली का आयोजन– खुले में शौच से मुक्ति हेतु सामुदायिक जनजागरूकता बढ़ाने हेतु ब्लॉक स्तर पर रैली का आयोजन किया जायेगा। रैली में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्थानीय विभागीय अधिकारियों तथा 5–10 विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को सम्मिलित किया जायेगा। रैली के आयोजन हेतु निम्न वित्तीय व्यवस्था की जा रही है।

क्र.	गतिविधि विवरण	धनराशि (रू0 में)	टिप्पणी
1	बैनर एवं डिस्पले बोर्ड (तख्ती)	5000.00	
2	प्रतिभागियों का रिफ्रेशमेंट	5000.00 (अधिकतम)	रू0 20 प्रतिभागी की दर से
	कुल योग	10000.00	

विद्यालयों में हैण्ड हाईजीन प्रमोशन–स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम के द्वारा हाथ धोने के तरीके, (डब्ल्यू0एच0ओ0 के हैण्ड वॉश स्टेप) पर छात्र–छात्राओं को प्रदर्शन तथा स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जागरूक किया जायेगा।

व्यक्तिगत स्वच्छता एवं मेन्सट्रुअल हाईजीन प्रमोशन–किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए मेन्सट्रुअल हाईजीन कार्यक्रम के अन्तर्गत आशाओं द्वारा सैनेटरी नैपकीन का प्रमोशन के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशाओं के प्रोत्साहन हेतु ब्लॉक में सर्वाधिक सैनेटरी नैपकीन की वितरण करने वाली तीन आशाओं को क्रमशः प्रथम पुरस्कार रू0 500.00 द्वितीय पुरस्कार रू0–300.00 तथा तृतीय पुरस्कार रू0 200.00 चिकित्सा अधीक्षक के स्तर से प्रदान किया जायेगा।

अवार्ड प्राप्त जनपद स्तरीय चिकित्सालयों हेतु पुरस्कार धनराशि के उपयोग हेतु वित्तीय दिशा–निर्देश FMR : - 176.3

कायाकल्प अवार्ड योजना के अन्तर्गत असेसमेन्ट तीन चरणों में किया जाता है। एक्सटर्नल असेसमेन्ट में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण करने वाली चिकित्सा इकईयों को मानकानुसार अवार्ड धनराशि आवंटित की जाती है। उक्त के सम्बंध में पृथक से दिशा–निर्देश प्रेषित किया जायेगा।

'राज्य स्तरीय कायाकल्प अवार्ड समिति' द्वारा लिये गये निर्णय के कम में राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त चिकित्सा इकाईयों को निर्धारित अवार्ड धनराशि को राज्य कायाकल्प अवार्ड नामांकन समिति द्वारा कम की जा सकती है तथा कटौती की गयी धनराशि को वरीयता के कम में प्रथम 10 या अधिक रैंक तक अथवा औचित्यपूर्ण अनुपात में आवंटित की जा सकती है। कायाकल्प अवार्ड योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड धनराशि का विवरण निम्नवत हैः–

Award Criteria DH/CHC/PHC/AAM-SC:-

s/n	Type of health facility	Award Money (Rs.in lakh)	Remark
1	District level Hospitals (DH/DCH/DWH)	I Rank across the state Rs.50.00 Lakh II Rank across the state Rs.20.00 Lakh III Rank across the state Rs.10.00 Lakh& Consolation prize : Rs.3.00 Lakh	Top Ranker's (I,II & III) must increase 5% score from previous year score
2	CommunityHealth Centre /Urban Commiunity Health Centre	I Rank across the state Rs.15.00 Lakh II Rank across the state Rs.10.00 Lakh& Consolation prize : Rs.1.00 Lakh	Top Ranker's (I & II) must increase 5% score from previous year score
3	Primary Health Centre (Including Ashumaan Arogya mandir)	I Rank across District Rs.2.00 Lakh& Consolation prize : Rs.0.50 Lakh	District 1st ranker must increase 5% score from previous year score
4.	(Ashumaan Arogya mandir) (SC)> 50	1st prizes Rs 1.00 Lakh 1st Runner –upRs 50,000, 2nd Runner-up Rs 35,000 , & Consolation prize :Rs.25,000	District 1st ranker must increase 5% score from previous year score

Award Criteria U-PHC				
Sno	**Nos of UPHCs**	**Award Criteria**	**Award Money (Rs.in Lakh)**	**Remarks**
1	10--20	One Winner	2.00	District 1st ranker must increase 5% score from previous year score
2	21--50	One Winner	2.00	
		1st Runner -up	1.50	
3	More than 50	One Winner	2.00	
		1st Runner -up	1.50	
		2nd Runner -up	1.00	
4	All UPHCs scoring 70% or more on External Assesment		0.50	

***नोटः–** गुणवत्ता की निरन्तरता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत चिकित्सा इकाईयों का रैण्डम आधार पर राज्य स्तर से रिवैलिडेशन किया जा सकता है तथा असेसमेंट के स्कोर में (अवार्ड के समय एक्सटर्नल असेसमेंट स्कोर) पांच प्रतिशत से अधिक कमी की स्थिति में दण्ड स्वरूप अवार्ड धनराशि में कटौती की जा सकती है, जिसका निर्धारण राज्य स्तर से किया जायेगा।*

अवार्ड धनराशि के उपयोग हेतु निर्देश–FMR : - 176.3

भारत सरकार के निर्देशानुसार अवार्ड हेतु प्राविधानित धनराशि का 75 प्रतिशत चिकित्सालय के नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड एवं कायाकल्प अवार्ड स्कीम के अंतर्गत चिन्हित गैप क्लोजर, सुदृढ़ीकरण, रख–रखाव, स्वच्छता व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित किये जाने हेतु उपयोगित की जाये, जिससे चिकित्सालय के स्कोर में वृद्धि हो सके। शेष 25 प्रतिशत धनराशि चिकित्सा इकाईयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (नियमित संविदा एवं आउटसोर्स) के उत्साहवर्धन हेतु इन्सेंटिव के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। अवार्ड विजेता चिकित्सा इकाई को अवार्ड धनराशि में से इन्सेंटिव हेतु स्वीकृत 25 प्रतिशत धनराशि का उपयोग चिकित्सालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों कों कैश अवार्ड, क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण, चिकित्सालय में कर्मचारियों के कार्यस्थल में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों पर नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

अवार्ड धनराशि का 75 प्रतिशत कायाकल्प–अवार्ड योजना तथा क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड के असेसेमेंट में चिन्हित गैप क्लोजर तथा चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण हेतु उपयोगित की जायेगी। यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि अन्य मद से प्राप्त बजट की कोई डुप्लीकेसी न हो।

असेसमेन्ट हेतु समय सारणी–

Sno	Type of Assessment	Time Line		
		District Level Hospital (DH,DWH & DCH)	**Community Health Centers**	**Primary Health Centre (Including Health & Wellness centre)**
1	Internal Assessment	1st Month of Each Quarter	1st Month of Each Quarter	1st Month of Each Quarter
2	Peer Assessment	June of Each Financial Year	Jul–Aug of Each Financial Year	July month of Each Financial Year
3	External Assessment	Aug,2024	Sep,2024	November, 2024

कायाकल्प–अवार्ड स्कीम के अंतर्गत जनपदों की समस्त चिकित्सालयों को अवार्ड की अर्हता में लाना भारत सरकार व प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। योजना के प्रारम्भ से अब तक अवार्ड की अर्हता प्राप्त चिकित्सालयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है किन्तु यह प्रयास किया जाना है कि अधिक से अधिक संख्या में चिकित्सालयों को क्वालिटी एश्योरेंस एवं 'कायाकल्प' के मानकानुसार सुदृढ़ किया जाये ताकि जनसमुदाय को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो सकें। अवार्ड धनराशि जनपदवार बजट आंवटन हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

जनपदों द्वारा समस्त भुगतान FAMS पोर्टल का प्रयोग करते हुये PFMS पोर्टल के माध्मय से किया जायेगा। जिससे की उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सकें। पूर्व में प्रेषित किये गये दिशा–निर्देशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उपरोक्त पुनरीक्षित दिशा–निर्देश को समेकित करते हुए पढ़ा जाय।

9. कम्युनिटी प्रोसेस

9.1 उपकेन्द्र स्तरीय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मन्दिर–

प्रदेश के समस्त जनपदों में जनसमुदाय को गुणवत्तापरक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से समस्त उपकेन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में सुदृढ़ीकृत किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में जनपदवार 23329 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर के संचालन हेतु तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रदेश में संचालित शेष उपकेन्द्रों एवं प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–58/5–9099–83–2021, दिनांक 31.01.2024 के माध्यम से जनपदों में स्थापित किये जाने वाले 5000 नवीन उपकेन्द्रों, इस प्रकार कुल 7401 उपकेन्द्रों को उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के रूप में उच्चीकृत किये जाने का लक्ष्य है।

राज्य स्तर पर लिए गये निर्णय के अनुसार इन 7401 उपकेन्द्रों के सापेक्ष जनपदवार शेष 50 प्रतिशत निम्न तालिकानुसार 3718 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के संचालन हेतु 08 माह के लिए आवश्यक धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को डैप के माध्यम से आवंटित की जा चुकी है, जिसका व्यय इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के क्रियाशील होने के पश्चात किया जाना है।

वर्ष 24–25 में जनपदवार उपकेन्द्र स्तरीय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मन्दिरों की संख्या

क्र. सं.	जनपद का नाम	**23329** उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मन्दिर (12 माह हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट)	**3718** उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मन्दिर (08 माह हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट)	कुल लक्षित उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मन्दिर	वर्ष 24–25 में नवीन अनुमोदित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मन्दिर	कुल लक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मन्दिर
	Total	**23329**	**3718**	**27047**	**268**	**3032**
1	Agra	363	58	**421**	1	45
2	Aligarh	357	59	**416**	3	37
3	Ambedkar Nagar	318	46	**364**	5	31
4	Amethi	281	35	**316**	0	30
5	Amroha	194	36	**230**	1	26
6	Auraiya	150	36	**186**	1	26
7	Ayodhya	315	51	**366**	1	30
8	Azamgarh	616	101	**717**	12	77
9	Badaun	362	71	**433**	2	45
10	Baghpat	169	19	**188**	0	20
11	Bahraich	589	26	**615**	6	55
12	Ballia	440	63	**503**	6	72
13	Balrampur	331	30	**361**	9	33
14	Banda	236	34	**270**	5	50
15	Barabanki	457	59	**516**	5	58
16	Bareilly	412	78	**490**	4	54
17	Basti	330	60	**390**	5	38
18	Sant Ravidas Nagar	196	32	**228**	0	17
19	Bijnor	386	74	**460**	8	53
20	Bulandshahar	362	73	**435**	6	63
21	Chandauli	249	44	**293**	7	30
22	Chitrakoot	149	12	**161**	0	28
23	Deoria	369	82	**451**	11	76
24	Etah	197	50	**247**	0	32
25	Etawah	165	35	**200**	0	28
26	Farrukhabad	219	35	**254**	1	28
27	Fatehpur	302	72	**374**	8	43
28	Firozabad	231	44	**275**	3	55
29	GB Nagar	110	15	**125**	1	19
30	Ghaziabad	123	12	**135**	0	15
31	Ghazipur	508	70	**578**	3	60
32	Gonda	490	67	**557**	2	52
33	Gorakhpur	532	87	**619**	8	66
34	Hamirpur	207	7	**214**	0	34
35	Hapur	161	15	**176**	0	24
36	Hardoi	540	79	**619**	6	49
37	Hathras	172	37	**209**	0	25
38	Jalaun	253	24	**277**	3	33
39	Jaunpur	575	113	**688**	4	85
40	Jhansi	332	6	**338**	0	32

क्र. सं.	जनपद का नाम	23329 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मन्दिर (12 माह हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट)	3718 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मन्दिर (08 माह हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट)	कुल लक्षित उपकेन्द्र स्तरीय स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मन्दिर	वर्ष 24–25 में नवीन अनुमोदित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मन्दिर	कुल लक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मन्दिर
41	Kannauj	197	38	**235**	3	35
42	Kanpur Dehat	237	38	**275**	4	29
43	Kanpur Nagar	369	19	**388**	0	42
44	Kasganj	173	28	**201**	3	32
45	Kaushambi	223	31	**254**	6	33
46	Kushinagar	503	82	**585**	2	55
47	Lakhimpur Kheri	563	64	**627**	4	61
48	Lalitpur	175	18	**193**	0	23
49	Lucknow	218	63	**281**	3	31
50	Maharajganj	401	57	**458**	5	40
51	Mahoba	136	13	**149**	0	12
52	Mainpuri	216	45	**261**	10	53
53	Mathura	246	50	**296**	1	27
54	Mau	228	51	**279**	0	36
55	Meerut	256	41	**297**	2	34
56	Mirzapur	263	76	**339**	13	48
57	Moradabad	272	53	**325**	2	31
58	Muzaffarnagar	257	62	**319**	5	44
59	Pilibhit	246	42	**288**	6	28
60	Pratapgarh	433	77	**510**	6	59
61	Prayagraj	625	129	**754**	1	65
62	Rae Bareli	380	65	**445**	0	50
63	Rampur	259	39	**298**	3	30
64	Saharanpur	337	66	**403**	0	38
65	Sambhal	267	36	**303**	2	31
66	Sant Kabir Nagar	241	36	**277**	5	25
67	Shahjahanpur	343	65	**408**	3	40
68	Shamli	137	27	**164**	0	22
69	Shravasti	134	36	**170**	0	10
70	Siddharth Nagar	376	47	**423**	5	63
71	Sitapur	620	75	**695**	12	76
72	Sonbhadra	235	32	**267**	12	40
73	Sultanpur	335	55	**390**	2	45
74	Unnao	364	72	**436**	6	43
75	Varanasi	316	43	**359**	5	27

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं वर्ष 2023–24 में प्रेषित दिशा–निर्देशों एस.पी. एम.यू. / कम्यु.प्रो. / एच.डब्ल्यू.सी. / 2023–24 / 88 / 1570–75 दिनांक 23.05.2023 के अनुसार यथावत प्रदान की जाती रहेंगी। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु वित्तीय दिशा–निर्देश निम्नानुसार है–

क्र.	गतिविधि का नाम	एफ.एम. आर. कोड	डैप के माध्यम से आवंटित धनराशि (रुपये लाख में)	गतिविधि के संचालन हेतु निर्देश
01	**आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा प्रतिपूर्ति धनराशि**	150.1	12387.68	**उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से सम्बद्ध आशा हेतु प्रतिपूर्ति राशि**-वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित समस्त 23329 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु रु0 5000 / – प्रति माह प्रति केन्द्र की दर से 12 माह हेतु एवं 3718 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु रु0 5000 / – प्रति माह प्रति केन्द्र की दर से 08 माह हेतु कुल अनुमन्य धनराशि का 80 प्रतिशत धनराशि आशाओं हेतु सी–बैक फार्म अंकित करने एवं एन0सी0डी0 रोगियों के फालोअप हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।

क्र.	गतिविधि का नाम	एफ.एम. आर. कोड	डैप के माध्यम से आवंटित धनराशि (रुपये लाख में)	गतिविधि के संचालन हेतु निर्देश
02		150.2	1412.48	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से सम्बद्ध आशा हेतु प्रतिपूर्ति राशि**-वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित शेष 2764 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु रु0 5000/– प्रति माह प्रति केन्द्र की दर से 12 माह के लिए एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुमोदित 268 सुदृढ़ीकृत किये जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु 08 माह हेतु, अनुमन्य धनराशि का 80 प्रतिशत, आशाओं द्वारा सी–बैक फार्म अंकित करने एवं एन0सी0डी0 रोगियों के फालोअप हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।
03	मल्टीस्किलिंग	150.5	4316.93	**उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु मल्टीस्किलिंग-** उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से सम्बन्धित मानव संसाधन की क्षमतावर्धन/प्रशिक्षण हेतु रु0 30000/– प्रति केन्द्र प्रति वर्ष की दर से वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि जनपदवार तालिका के अनुसार समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। **इस सम्बन्ध में पूर्व में प्रेषित दिशा– निर्देश पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./सी.पी./एच.डब्ल्यू.सी./प्रशि./2021–22/ 116/6560, दिनांक 08.12.2022 के अनुसार गतिविधियॉ सम्पादित की जायेंगी।** उक्त के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं आशा के प्रशिक्षण हेतु पृथक से दिशा–निर्देश प्रेषित किये जायेंगे।
04	मल्टीस्किलिंग	150.6	833.80	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु मल्टीस्किलिंग-**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से सम्बन्धित मानव संसाधन की क्षमतावर्धन/ प्रशिक्षण हेतु रु0 55000/– प्रति केन्द्र प्रति वर्ष की दर से अनुमोदित 3032 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। **इस सम्बन्ध में पूर्व में प्रेषित दिशा– निर्देश पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./सी.पी./एच.डब्ल्यू.सी./प्रशि./2021–22/116/6560, दिनांक 08.12.2022 के अनुसार गतिविधियॉ सम्पादित की जायेंगी।** उक्त के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं आशा के प्रशिक्षण हेतु दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।
05	आई0ई0सी0 एवं प्रिटिंग	150.7	3713.38	**उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर आई0ई0सी0 एवं प्रिटिंग गतिविधियों** में वित्तीय वर्ष 2023–24 तक जिन उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को आई0ई0सी0 मद में धनराशि आवंटित की गयी थी उन केन्द्रों को वित्तीय वर्ष 2024–25 में रू0 10500/– प्रतिकेन्द्र की दर से व वित्तीय वर्ष 2024–25 में संचालित किये जाने वाले उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु रू0 21444/– प्रति केन्द्र दर से आवश्यक धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।

क्र.	गतिविधि का नाम	एफ.एम. आर. कोड	डैप के माध्यम से आवंटित धनराशि (रुपये लाख में)	गतिविधि के संचालन हेतु निर्देश
06		150.8	757.97	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर आई0ई0सी0एवं प्रिटिंग गतिविधियों** में वित्तीय वर्ष 2023–24 तक जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को आई0ई0सी0 मद में धनराशि आवंटित की गयी थी उन केन्द्रों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में रू0 22718/– प्रति केन्द्र की दर से व 268 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु रू0 48525/– प्रति केन्द्र की दर स आई0ई0सी0 एवं प्रिटिंग गतिविधियों हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।
07	**इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन्थिनिंग**	150.9	734.32	**इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन्थिनिंग** वित्तीय वर्ष 2024–25 की राज्य वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत 268 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में सुदृढ़ीकृत किये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। उक्त के क्रम में जनपदवार आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के रूप में सुदृढ़ीकृत किये जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक नवीन चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर की इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन्थनिंग एवं फैसिलिटी ब्राण्डिंग हेतु प्रति केन्द्र रु0 2.74 लाख की दर से धनराशि के अनुसार आवंटित की गयी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की गैप एनालिसिस के अनुसार आवश्यक उपकरण/सामग्री का क्रय किया जायगा। इसके अतिरिक्त शेष धनराशि का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में विद्युत व्यवस्था, इन्वर्टर, पेयजल, महिला व पुरूषों के लिए पृथक शौचालय, स्टोर हेतु आलमारी आदि की व्यवस्था में भी किया जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर में एक कक्ष को चिन्हित कर उसे वेलनेस रूम के रूप में विकसित किया जाना है। उक्त कक्ष में लाभार्थियों की काउन्सिलिंग, स्क्रीनिंग आदि का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कक्ष में हेल्थ प्रमोशन से सम्बन्धित गतिविधियां संपादित किये जाएंगे। आवश्यक फर्नीचर, उपकरण, योग हेतु चटाई आदि क्रय किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मरीजों के बैठने, विकलांगों के लिए रैम्प, चिकित्सालय परिसर में योग के लिए स्थान आदि भी विकसित किया जा सकता है। इस हेतु पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।
08	**आई0टी0 उपकरण**	150.11	160.80	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर आई0टी0 उपकरणों** यथा–डेस्कटॉप एवं टैबलेट की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु रु0 60000/– प्रति केन्द्र की दर से वित्तीय वर्ष 2024–25 में नवीन अनुमोदित 268 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के रूप में सुदृढ़ीकृत करने हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। **जिसका कय भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.02.2018 में दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार किया जाना है।**

क्र.	गतिविधि का नाम	एफ.एम. आर. कोड	डैप के माध्यम से आवंटित धनराशि (रुपये लाख में)	गतिविधि के संचालन हेतु निर्देश
09	आई0टी0 हेतु आवर्ती व्यय	150.12	1290.37	**उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर आई0टी0 हेतु आवर्ती व्यय** के लिए रु0 5000/– प्रति केन्द्र प्रति वर्ष की दर से वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित 23329 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर नेटवर्क की उपलब्धता हेतु 12 माह के लिए आवश्यक धनराशि एवं शेष 3718 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर आई0टी0 हेतु आवर्ती व्यय के लिए रु0 5000/– प्रति केन्द्र प्रति वर्ष की दर से 08 माह हेतु आवश्यक धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।
10		150.13	147.13	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर आई0टी0 हेतु आवर्ती व्यय** के लिए रु0 5000/– प्रति केन्द्र प्रति वर्ष की दर से वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित शेष 2764 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 12 माह एवं नवीन 268 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु 8 माह के लिए नेटवर्क की उपलब्धता हेतु आवश्यक धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।
11	आशाओं हेतु कम्युनिकेशन कॉस्ट	150.15	5299.98	**आशाओं एवं आशा संगिनियों हेतु कम्युनिकेशन कॉस्ट** हेतु रु0 250/– प्रति माह प्रति आशा एवं आशा संगिनी की दर से मोबाइल के नेट व्यवस्था के लिए 12 माह हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।
12	कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हेतु टी0ए0–डी0ए0	150.16	1238.77	**उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के टी0ए0–डी0ए0** हेतु अनुमन्य रु0 500/– प्रति सी0एच0ओ0 प्रति माह की दर से आवश्यक धनराशि के सापेक्ष 80 प्रतिशत धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके क्रम में 23329 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए 12 माह हेतु आवश्यक धनराशि **एवं** 3718 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से सम्बद्ध कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हेतु रु0 500/– प्रति माह प्रति कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की दर से अनुमन्य धनराशि का 80 प्रतिशत 08 माह हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। जिसका उपयोग वास्तविक व्यय के अनुसार किया जायेगा।
13	इण्डिपेन्डेन्ट मॉनिटरिंग कॉस्ट	150.17	580.94	**इण्डिपेन्डेन्ट मॉनिटरिंग कॉस्ट–** 1. आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु रु0 33000/– प्रति माह की दर से वाहन 2. कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स (23329) की समीक्षा बैठक के आयोजन हेतु रु0 200/– प्रति प्रति त्रैमास की दर से 04 त्रैमास के लिए एवं शेष 3718 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हेतु 03 त्रैमासिक बैठकों हेतु **(पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश संख्या–एस.पी.एम.यू./सी.पी./मॉनिटरिंग/2023–24/142/8484, दि0 02.02.2024 अनुसार** 3. रु0 1.00 लाख प्रति जनपद भारत सरकार/ राज्य/मण्डल स्तरीय अधिकारियों के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण में राज्य के दिशा–निर्देशानुसार व्यय किया जाना है। इस प्रकार उपरोक्त गतिविधियों हेतु आवश्यक धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की

क्र.	गतिविधि का नाम	एफ.एम. आर. कोड	डैप के माध्यम से आवंटित धनराशि (रुपये लाख में)	गतिविधि के संचालन हेतु निर्देश
				गयी है।
14	योगा (वेलनेस गतिविधि)	151.2	3871.15	**उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग सत्रों हेतु** वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित 23329 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग सत्र आयोजित किये जाने हेतु प्रति केन्द्र रु0 250/– प्रति सत्र की दर से माह में 10 सत्रों के लिए 12 माह हेतु एवं शेष 3718 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग सत्रों के आयोजन हेतु 08 माह के लिए आवश्यक धनराशि का 50 प्रतिशत समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। **योग शिविर का आयोजन** तथा व्यय **पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र सं.–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./आई.ई.सी./2022–23/107/7071, दिनांक 27.12.2022 के अनुसार किया जायेगा।**
15		151.3	441.40	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग सत्रों हेतु** वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित शेष 2764 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु 12 माह एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुमोदित 268 प्राथमिक स्वासथ्य केन्द्रों 08 माह हेतु प्रति केन्द्र रु0 250/– प्रति सत्र की दर से माह में 10 सत्रों के लिए आवश्यक धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि अनुमोदित की गयी है। अनुमोदनानुसार जनपदवार आवश्यक धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। **योग शिविर का आयोजन पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./आई.ई.सी./2022–23/107/7071, दिनांक 27.12.2022 के अनुसार किया जायेगा।**
16	**टेलीकन्सल्टेशन**	152.1	151.20	**टेलीकन्सल्टेशन**– आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर टेलीकन्सल्टेशन सुविधा प्रदान करने हेतु प्रदेश में संचालित 90 टेलीकन्सल्टेशन हब (15 मेडिकल कॉलेज एवं 75 जिला स्तरीय चिकित्सालय) के संचालन के लिए 12 माह हेतु आवश्यक धनराशि निम्नानुसार आवंटित की गयी हैः– 1–इन्टरनेट की सुविधा हेतु रु0 1000/– प्रति माह की दर से, 2–हब पर अन्य आवर्ती व्ययों हेतु रु0 1000/– प्रति माह की दर से एवं 3–चिकित्सा विश्व विद्यालयों में स्थापित हब पर विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करने हेतु रु0 3000/– प्रति दिन की दर से माह में अधिकतम 24 दिनों हेतु आवश्यक धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। **जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./सी.पी./टेलीमेडिसिन/ 2023–24/106/1791–7, दिनांक 26.05.2023 के अनुसार किया जायेगा।**

क्र.	गतिविधि का नाम	एफ.एम. आर. कोड	डैप के माध्यम से आवंटित धनराशि (रुपये लाख में)	गतिविधि के संचालन हेतु निर्देश
17	कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स मेंटरशिप	153.1	16.20	**कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स मेंटरशिप**–आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तैनात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के क्षमतावर्धन एवं कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु भारत सरकार द्वारा CHO Mentoring कार्यक्रम पायलट के रूप में संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में 12 जनपदों (फतेहपुर, बहराइच, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, इटावा, शाहजहाँपुर एवं महराजगंज) में कुल 25 स्टेट मेन्टर प्रशिक्षणोपरान्त मेण्टरिंग का कार्य कर रहे हैं। जनपद से प्रत्येक स्टेट मेण्टर के साथ 36 सी0एच0ओ0, मेंटरिंग हेतु सम्बद्ध किये जाएंगे, धीरे–धीरे इनकी संख्या बढ़ायी जायगी जो 100–120 तक होगी। मेण्टरिंग कार्य हेतु स्टेट मेण्टर्स को प्रोत्साहन राशि प्रति सी0एच0ओ0 रू0 100/– प्रतिमाह एवं 05 सूचकांकों पर किये गये प्रदर्शन के आधार पर रू0 50/– प्रोत्साहन राशि हेतु आवश्यक धनराशि संलग्नक–2 के अनुसार आवंटित की गयी है। **जिस हेतु पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र सख्या–एस.पी.एम.यू./ कम्यु.प्रो./सी.एच.ओ. मेन्टरिंग/2023–24/142/5501, दि0 04.10.2023 के अनुसार गतिविधियॉ सम्पादित की जायेंगी ।**
18	आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि	188.1	46453.80	वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित 23329 उपकेन्द्रों पर तैनात **कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए** 12 माह हेतु एवं शेष 3718 **कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए 08 माह हेतु** कार्य आधारित प्रोत्साहन रु0 15000/– प्रतिमाह प्रति सी0एच0ओ0 की दर से समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। **जिस हेतु पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रसं.–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./एच.डब्ल्यू.सी./2020 –21/88/ 2826 दिनांक 27.07.2022 एवं सं.–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./एच.डब्ल्यू.सी./2020–21/88/7297, दि0 04.01.2023 के अनुसार पी.बी.आई./टी.बी.आई. भुगतान की प्रक्रिया की जायेंगी।**
19	आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि	188.2	25807.68	वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित 23329 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों/आशाओं हेतु टीम बेस्ड इनसेंटिव हेतु रु0 1.00 लाख प्रति केन्द्र प्रति वर्ष की दर से एवं शेष 3718 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों/आशाओं हेतु टीम बेस्ड इनसेंटिव हेतु रु0 1.00 लाख प्रति केन्द्र प्रति वर्ष की दर से 08 माह हेतु आवश्यक धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। **जिस हेतु पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र सं.–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./एच.डब्ल्यू.सी./2020–21/88/ 2826, दिनांक 27.07.2022 एवं सं–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./एच.डब्ल्यू.सी./2020– 21/88/7297, दिनांक 04.01.2023 के अनुसार पी.बी.आई./टी.बी.आई. भुगतान की प्रक्रिया की जायेंगी।**
20		188.3	5885.33	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु टीम बेस्ड इनसेंटिव (टी0बी0आई0)**-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों/ आशाओं हेतु टीम बेस्ड इनसेंटिव

क्र.	गतिविधि का नाम	एफ.एम. आर. कोड	डैप के माध्यम से आवंटित धनराशि (रुपये लाख में)	गतिविधि के संचालन हेतु निर्देश
				हेतु रु0 2.00 लाख प्रति केन्द्र प्रति वर्ष की दर से का अनुमोदन प्राप्त हुआ है, प्राप्त अनुमोदन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित 2764 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु 12 माह एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुमोदित 268 प्राथमिक स्वासथ्य केन्द्रों 08 माह हेतु आवश्यक धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। **जिस हेतु पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र सं–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./एच.डब्ल्यू.सी./2020–21/88/2826, दिनांक 27.07.2022 एवं सं.–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./एच.डब्ल्यू.सी./2020–21/88/7297, दिनांक 04.01.2023 के अनुसार पी.बी.आई./टी.बी.आई. भुगतान की प्रक्रिया की जायेंगी।**
21	जेनरिक मेडिसिन	150.3	0.00	**उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेतु** रु0 40000/– प्रति केन्द्र प्रति वर्ष की दर से औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त है। केन्द्रों पर औषधियों की उपलब्धता उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 के माध्यम से सुनिश्चित करायी जायेगी है। केन्द्रों द्वारा औषधियों की आपूर्ति पासबुक व्यवस्था के अनुसार डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम **(पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./सी.पी./डी.वी.डी.एम.एस./2022–23/ 133/4027, दिनांक 07.09.2022 के अनुसार) से प्राप्त की जायेगी।**
22		150.4	0.00	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु** रु0 50000/– प्रति केन्द्र प्रति वर्ष की दर से औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त है। केन्द्रों पर औषधियों की उपलब्धता उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 के माध्यम से सुनिश्चित करायी जायेगी है। केन्द्रों द्वारा औषधियों की आपूर्ति पासबुक व्यवस्था के अनुसार डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जायेगी।

9.1.1 समस्त उपकेंद्र स्तरीय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय क्रियाशील आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेतु सूचना शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) सम्बन्धी गतिविधियां।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में 19066 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिन्हें पूर्व में आई0ई0सी0 एवं प्रिन्टिंग मद में धनराशि आवंटित की गयी थी उन्हें वित्तीय वर्ष 2024–25 में रू0 10500/– प्रति केन्द्र की दर से एवं वर्ष 2024–25 में क्रियाशील होने वाले नवीन 7981 उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेतु रू0 21444/– प्रति केन्द्र की दर से, इसी प्रकार वर्ष 2023–24 में 2764 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिन्हें पूर्व में आई0ई0सी0 एवं प्रिन्टिंग मद में धनराशि आवंटित की जा चुकी है उन्हें वित्तीय वर्ष 2024–25 में रू0 22718/– प्रति केन्द्र की दर से एवं वर्ष 2024–25 में क्रियाशील होने वाले नवीन 268 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेतु रू0 48525/– की दर से आवश्यक धनराशि के अनुसार समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को धनराशि आवंटित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में आई0ई0सी0 एवं प्रिन्टिंग गतिविधियों हेतु जनपदवार निम्न तालिका में उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या के आधार पर धनराशि आवंटित की गयी है:–

क्रम सं0	जनपद	उपकेन्द्र स्तरीय AAM जिन्हें रू0 10500/- प्रतिकेन्द्र की दर से धनराशि आवंटित की गयी	उपकेन्द्र स्तरीय AAM जिन्हें रू0 21444/- प्रतिकेन्द्र की दर से धनराशि आवंटित की गयी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय AAM जिन्हें रू0 22718/- प्रति केन्द्र की दर से धनराशि आवंटित की गयी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय AAM जिन्हें रू0 48525/- प्रति केन्द्र की दर से धनराशि आवंटित की गयी
	Total	**19066**	**7981**	**2764**	**268**
1	Agra	321	100	44	1
2	Aligarh	327	89	34	3
3	Ambedkar Nagar	318	46	26	5
4	Amethi	243	73	30	0
5	Amroha	179	51	25	1
6	Auraiya	130	56	25	1
7	Ayodhya	268	98	29	1
8	Azamgarh	561	156	65	12
9	Badaun	300	133	43	2
10	Baghpat	165	23	20	0
11	Bahraich	388	227	49	6
12	Ballia	334	169	66	6
13	Balrampur	251	110	24	9
14	Banda	145	125	45	5
15	Barabanki	388	128	53	5
16	Bareilly	389	101	50	4
17	Basti	311	79	33	5
18	Sant Ravidas Nagar	129	99	17	0
19	Bijnor	375	85	45	8
20	Bulandshahar	362	73	57	6
21	Chandauli	223	70	23	7
22	Chitrakoot	131	30	28	0
23	Deoria	283	168	65	11
24	Etah	197	50	32	0
25	Etawah	158	42	28	0
26	Farrukhabad	177	77	27	1
27	Fatehpur	249	125	35	8
28	Firozabad	204	71	52	3
29	GB Nagar	71	54	18	1
30	Ghaziabad	97	38	15	0
31	Ghazipur	338	240	57	3
32	Gonda	369	188	50	2
33	Gorakhpur	507	112	58	8
34	Hamirpur	132	82	34	0
35	Hapur	140	36	24	0
36	Hardoi	382	237	43	6
37	Hathras	168	41	25	0
38	Jalaun	157	120	30	3
39	Jaunpur	362	326	81	4
40	Jhansi	292	46	32	0
41	Kannauj	169	66	32	3
42	Kanpur Dehat	203	72	25	4
43	Kanpur Nagar	325	63	42	0
44	Kasganj	164	37	29	3
45	Kaushambi	181	73	27	6
46	Kushinagar	257	328	53	2
47	Lakhimpur Kheri	399	228	57	4
48	Lalitpur	100	93	23	0
49	Lucknow	198	83	28	3
50	Maharajganj	218	240	35	5
51	Mahoba	90	59	12	0
52	Mainpuri	173	88	43	10
53	Mathura	142	154	26	1
54	Mau	176	103	36	0
55	Meerut	244	53	32	2
56	Mirzapur	241	98	35	13
57	Moradabad	272	53	29	2
58	Muzaffarnagar	253	66	39	5
59	Pilibhit	195	93	22	6

क्रम सं0	जनपद	उपकेन्द्र स्तरीय AAM जिन्हें रू0 10500/- प्रतिकेन्द्र की दर से धनराशि आवंटित की गयी	उपकेन्द्र स्तरीय AAM जिन्हें रू0 21444/- प्रतिकेन्द्र की दर से धनराशि आवंटित की गयी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय AAM जिन्हें रू0 22718/- प्रति केन्द्र की दर से धनराशि आवंटित की गयी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय AAM जिन्हें रू0 48525/- प्रति केन्द्र की दर से धनराशि आवंटित की गयी
	Total	**19066**	**7981**	**2764**	**268**
60	Pratapgarh	273	237	53	6
61	Prayagraj	598	156	64	1
62	Rae Bareli	316	129	50	0
63	Rampur	240	58	27	3
64	Saharanpur	300	103	38	0
65	Sambhal	241	62	29	2
66	Sant Kabir Nagar	193	84	20	5
67	Shahjahanpur	289	119	37	3
68	Shamli	128	36	22	0
69	Shravasti	120	50	10	0
70	Siddharth Nagar	312	111	58	5
71	Sitapur	507	188	64	12
72	Sonbhadra	213	54	28	12
73	Sultanpur	253	137	43	2
74	Unnao	317	119	37	6
75	Varanasi	245	114	22	5

क्र.	गतिविधि का नाम	क्रियान्वयन हेतु निर्देश
1	**हेल्थ प्रमोशन–डे**	**उपकेद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर–**वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित एवं वर्ष 2024–25 में स्थापित किये जाने वाले उपकेद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर 27 स्वास्थ्य प्रेरक दिवस आयोजित किया जा सकता है। उपकेंद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर प्रति स्वास्थ्य प्रेरक दिवस के आयोजन हेतु रू0 200/– की दर से धनराशि दी जा रही है। **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–**वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित किये जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर 27 स्वास्थ्य प्रेरक दिवस आयोजित किया जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर प्रति स्वास्थ्य प्रेरक दिवस के आयोजन हेतु रू0 300/– की दर से धनराशि दी जा रही है। जिसमें चार्ट–पेपर, बैनर, जलपान एवं अन्य कार्य हेतु चिकित्साधिकारी एवं सी0एच0ओ0 द्वारा स्वास्थ्य प्रेरक दिवसों पर स्वयं से खर्च की गयी धनराशि को प्रारूप पर भर कर ब्लाक प्रभारी चिकित्साधिकारी के पास जमा करेंगे। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा गतिविधि का सत्यापन आयुष्मान आरोग्य मंदिर के पोर्टल/आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऐप से किया जा सकता है। सत्यापन कर सम्बन्धित के खाते मे भुगतान किया जायेगा। प्रेषित की जा चुकी है। **गतिविधि का आयोजन–**प्रत्येक उपकेंद्र स्तरीय व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर आयोजन सी0एच0ओ0 एवं चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में कराया जायेगा। स्वास्थ्य प्रेरक दिवस आयोजित करने के एक सप्ताह पूर्व क्षेत्र की समस्त आशाओं, ए0एन0एम0, आशा संगिनियों को गतिविधि के आयोजन एवं विषय के बारे में जानकारी प्रदान की जायेगी, जिससे उनके द्वारा जनसमुदाय को सम्बन्धित दिवस के आयोजन के विषय एवं उपयोगिता के बारे में जागरूक किया जा सके। क्षेत्र की आशाओं द्वारा विषय आधारित लाभार्थियों एवं क्षेत्र के गणमान्य अतिथियों को आमंत्रित किया जायेगा। गतिविधि हेतु विषय एवं चर्चा बिन्दु चार्ट पेपर पर अंकित कर केन्द्र की दीवार पर आयोजन से 2–3 दिन पूर्व चस्पा किया जायेगा। गतिविधि के आयोजन के उपरान्त पोर्टल पर नियमित रूप से रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाय।
2	**पोस्टर**	वित्तीय वर्ष 2024–25 में क्रियाशील होने वाले प्रति उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर 4 पोस्टर व वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरो पर 5 पोस्टर एवं वर्ष 2024–25 में क्रियाशील होने वाले प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर 6 पोस्टर राज्य स्तर से

		उपलब्ध कराये गये प्रोटोटाइप एवं स्पेसिफिकेशन **(तालिका –B, C एवं D)** के अनुसार मुद्रण कराकर लगाया जाना है। इन पोस्टर्स को प्राथमिकता पर वेटिंग एरिया, ओ.पी.डी कक्ष, वैलनेस/काउंसलिंग कक्ष में चस्पा किया जाए।
3	**पैम्फलेट**	वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर जनसमुदाय को प्राप्त होने वाली सेवाओं एवं अन्य सेवाएं (Hypertention, Diabetes, AAM Services & e-Sanjeevani) के बारे में जागरूक करने हेतु 04 प्रकार के 500 प्रति पैम्फलेट निर्धारित प्रोटोटाइप एवं स्पेसिफिकेशन **(तालिका–C)** के अनुसार मुद्रण कराकर प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर उपलब्ध कराई जानी है. पैम्फलेट को सेवा प्रदाता द्वारा केंद्र पर आने वाले लाभार्थियों एवं समुदाय में वितरित किया जाना है।
4	**रेफरल स्लिप**	वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित किये जाने वाले उपकेन्द्र स्तरीय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर (600 प्रति आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर) रेफरल स्लिप प्रोटोटाइप एवं स्पेसिफिकेशन **(तालिका – A,B,C,D)** के अनुसार मुद्रण कराकर उपलब्ध कराया जाना है।
5	**ओ0पी0डी0 स्लिप**	वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित किये जाने वाले उपकेन्द्र स्तरीय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर (प्रति आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु) 6000 ओ0पी0डी0 स्लिप प्रोटोटाइप एवं स्पेसिफिकेशन **(तालिका – A,B,C,D)** के अनुसार मुद्रण कराकर प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर मुद्रण कराकर उपलब्ध कराया जाय।
6	**जन आरोग्य समिति रजिस्टर**	वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित किये जाने वाले उपकेन्द्र स्तरीय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर जन आरोग्य समिति की स्थापना की जानी है। जिस हेतु प्रति आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर प्रोटोटाइपएवं स्पेसिफिकेशन **(तालिका – A,B,C,D)** के अनुसार मुद्रण कराकर प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर उपलब्ध कराया जाना है।
7	**ओ0पी0डी0 रजिस्टर**	वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित किये जाने वाले उपकेन्द्र स्तरीय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर 02 ओ0पी0डी0 रजिस्टर प्रति आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर प्रोटोटाइप एवं स्पेसिफिकेशन **(संलग्नक–'क' की तालिका – A,B,C,D)** के अनुसार मुद्रण कराकर उपलब्ध किया जाय।
8	**एच.पी.डी. रजिस्टर**	वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित किये जाने वाले उपकेन्द्र स्तरीय एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरो हेतु हेल्थ प्रमोशन–डे रजिस्टर प्रति आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर प्रोटोटाइप एवं स्पेसिफिकेशन **(तालिका – A,B,C)** के अनुसार मुद्रण कराकर उपलब्ध कराया जाना है।
9	**ड्रग रजिस्टर**	वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित किये जाने वाले उपकेन्द्र स्तरीय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर ड्रग रजिस्टर का मुद्रण प्रोटोटाइप एवं स्पेसिफिकेशन **(तालिका – A,B,C,D)** के अनुसार उपलब्ध कराया जाना है।
10	**गैर संचारी रोग फॉलोअप रजिस्टर**	वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित किये जाने वाले उपकेन्द्र स्तरीय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर एक एन0सी0डी0 फालोअप रजिस्टर का मुद्रण प्रोटोटाइप एवं स्पेसिफिकेशन **(तालिका – A,B,C,D)** के अनुसार कराकर उपलब्ध कराया जाना है।
11	**दवा लिफाफा**	वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित किये जाने वाले उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर 3000 लिफाफा (प्रति–आयुष्मान आरोग्य मंदिर)एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर ओ0पी0डी0 स्लिप के अनुमानित कुल 6000 लिफाफा (प्रति–आयुष्मान आरोग्य मंदिर) (निःशुल्क दवा व जागरूकता संबन्धित संदेश लिखा हुआ) प्रोटोटाइप एवं स्पेसिफिकेशन **(तालिका – A,B,C,D)** के अनुसार मुद्रण कराकर उपलब्ध कराया जाना है।

12	**स्टैण्डी**	वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित किये जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर एक स्टैण्डी का प्रोटोटाइपएवं स्पेसिफिकेशन **(तालिका –C,D)** के अनुसार मुद्रण कराकर उपलब्ध कराया जाना है।
13	**योगा किट**	वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित किये जाने वाले उपकेन्द्र स्तरीय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर 10 योगा किट रू0 150 / – प्रति किट की दर से व प्लास्टिक जार रू0 500 / – प्रति जार की दर से प्रति आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर स्पेसिफिकेशन **(तालिका –B,D)** के अनुसार क्रय कर उपलब्ध कराया जाय है।
14	**सिटीजन चार्टर**	वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित किये जाने वाले उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर जनसमुदाय को आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर प्राप्त होने वाली सेवाओं की जानकारी दिये जाने के उद्देश्य से आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर सिटीजन चार्टर को केन्द्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जाना है। सिटीजन चार्टर का मुद्रण प्रोटोटाइप एवं स्पेसिफिकेशन **(तालिका–B)** के अनुसार मुद्रण कराकर उपलब्ध कराया जाना है।
15	**पी0ए0एस0 विद माइक (पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम)**	वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित किये जाने वाले उपकेन्द्र स्तरीय व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरो पर 1 पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम विद माइक क्रय कर उपलब्ध कराया जाना है। इसका उपयोग आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर स्वास्थ्य मेले, स्वास्थ्य गतिविधियो के आयोजन में तथा आउटरीच सर्विस में प्रचार–प्रसार हेतु किया जाना है। पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम विद माइक क्रय किये जाने हेतु प्रति आयुष्मान आरोग्य मंदिरों हेतु रू0 3795 / – की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। जिसका क्रय स्पेसिफिकेशन **(तालिका –B, D)** के अनुसार क्रय कर उपलब्ध कराया जाना है।
16	**आयुष्मान आरोग्य मंदिर इण्डीकेटर**	वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित किये जाने वाले उपकेन्द्र स्तरीय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरो पर (प्रति आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर) इण्डीकेटर सनबोर्ड प्रोटोटाइप एवं स्पेसिफिकेशन **(तालिका –B, D)** के अनुसार मुद्रण कराकर लगाया जाना है, इन सनबोर्ड को ओ.पी.डी कक्ष, वैलनेस / काउंसलिंग कक्ष में लगाया जायेगा।
17	**वॉकथन / दौड़**	वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित किये जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर छःमाही वॉक्थन या मास रैली दिये गये दिवसों पर कराई जायेगी जिसके अर्न्तगत जनसमुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में / स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों की जानकारी दी जायेगी। इसके आयोजन हेतु प्रति केन्द्र के लिए रू0 1000 / – की दर से धनराशि दी जा रही है जिसमें रू0 400 / – प्रचार–प्रसार एवं रू0 600 / – जलपान हेतु व्यय किया जायेगा। चिकित्सा अधिकारी द्वारा खर्च की गयी धनराशि को अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के सत्यापन उपरान्त सम्बन्धित के खाते मे भुगतान किया जायेगा। इस गतिविधि का आयोजन आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर अथवा आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्षेत्र के किसी ऐसे स्थान पर किया जायेगा जहाँ जन सामान्य आसानी से पहुँच सके एवं आयोजन हेतु समुचित स्थान की उपलब्धता हो। मेडिकल आफिसर द्वारा वॉकथन के आयोजन से एक सप्ताह पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आयुष्मान आरोग्य मंदिर की समस्त आशा एवं ए0एन0एम0 द्वारा वॉक्थन के आयोजन के सम्बन्ध में प्रचार प्रसार किया जायेगा। क्षेत्र की आशाओं द्वारा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों एवं लाभार्थियों को आमंत्रित किया जायेगा। गतिविधि के आयोजन एवं प्रचार प्रसार हेतु स्थानीय एन0जी0ओ0 / स्वयं सहायता समूहों / स्थानीय कलाकारों (जैसे आल्हा, नुक्कड़ नाटक, लोकगीत आदि) आदि का सहयोग लिया जा सकता है।
18	**एल0ई0डी0 टेलीविजन**	वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित किये जाने वाले प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर 1 एल0ई0डी0 टेलीविजन हेतु रू0 17000 / – की दर से धनराशि दी जा रही है। एल0ई0डी0 टेलीविजन का क्रय स्पेसिफिकेशन **(तालिका –D)** के अनुसार जनपद द्वारा नियमानुसार क्रय कर लगाया जाना है। एल0ई0डी0 टेलीविजन को प्राथमिकता पर वेटिंग एरिया, सभागार कक्ष में लगाया जायेगा।

19	**पेनड्राइव**	वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित किये जाने वाले प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर 1 पेनड्राइव हेतु रू0 400/– की दर से धनराशि दी जा रही है। पेनड्राइव का क्रय स्पेसिफिकेशन **(तालिका –D)** के अनुसार जनपद द्वारा नियमानुसार क्रय कर उपलब्ध कराया जाना है।
20	**नोटिस बोर्ड**	वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित किये जाने वाले प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर 1 नोटिस बोर्ड हेतु रू0 1200/– की दर से धनराशि दी जा रही है। नोटिस बोर्ड का क्रय स्पेसिफिकेशन **(तालिका–D)** के अनुसार जनपद द्वारा नियमानुसार क्रय कर उपलब्ध कराया जाना है।
21	**व्हाइट बोर्ड**	वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित किये जाने वाले प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर 1 व्हाइट बोर्ड हेतु रू0 800/– की दर से धनराशि दी जा रही है। व्हाइट बोर्ड का क्रय स्पेसिफिकेशन **(तालिका –D)** के अनुसार जनपद द्वारा नियमानुसार क्रय कर उपलब्ध कराया जाना है।
22	**हेल्थ प्रमोशन डे बैनर**	वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर हेल्थ प्रमोशन डे बैनर एवं स्पेसिफिकेशन **(तालिका –C,D)** के अनुसार प्रिटिंग कराकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर उपलब्ध कराया जाना है।
23	**ई. –संजीवनी बैनर**	वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुमोदित एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर ई–संजीवनी बैनर प्रोटोटाइप एवं स्पेसिफिकेशन **(तालिका –C,D)** के अनुसार प्रिटिंग कराकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर उपलब्ध कराया जाना है।
24	**एरो/ साईनेज बोर्ड**	वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरो पर एरो/साईनेज बोर्ड आयुष्मान आरोग्य मंदिर को जाने वाले रास्ते पर लगाया जायेगा, जिस पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम तथा जाने की दिशा एरो→ द्वारा प्रदर्शित होगी। Arrow 5x2.5 sqft Tin sheet पर लिखा जायेगा जिसे 4 फिट ऊपर आयरनइ राड पर प्रोटोटाइप एवं स्पेसिफिकेशन **(तालिका –D)** के अनुसार लगाया जायेंगा। जिस हेतु रू0 3500/–की दर से प्रति आयुष्मान आरोग्य मंदिरो पर प्रति sinage board / arrow board स्थापन की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।
25	**ईट राइट टूलकिट**	भारत सरकार के पत्र संख्या–DO-Z-28015/23/2018-NHM-I दिनांक 17.07.2020 **(संलग्नक–3)** द्वारा 'ईट राइट इण्डिया' मूवमेन्ट के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापित होने वाले उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरो पर ईट राइट टूलकिट की व्यवस्था की जानी है। जिसको eatrightindia.gov.in की वेबसाइट पर दिये गये टूलकिट का क्रय नियमानुसार कर प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिरो पर उपलब्ध कराया जाना है।
26	**जनपद स्तरीय गतिविधि**	जनपद स्तर पर विशेष स्वास्थ्य दिवसों के आयोजन के प्रचार–प्रसार सम्बन्धी गतिविधियों, बैनर पोस्टर आदि को उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जाय व जिला स्तर पर प्रतिवर्ष एक वृहद् कार्यशाला का आयोजन भी किया जाय, जिसमें सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की जाय। कार्यशाला में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों जैसे–चिकित्साधिकारी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ए0एन0एम0 एवं आशा तथा अन्य कर्मियो को सम्मानित किया जायगा। District Level activities पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर की संख्या के आधार पर समस्त क्रियाशील आयुष्मान आरोग्य मंदिर इकाइयों को मिला कर कुल धनराशि जनपद स्तर से व्यय की जानी है।

मुद्रण व क्रय की जाने वाली सामग्रियों का स्पेसीफिकेशन–समस्त उपकेंद्र स्तरीय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेतु सूचना शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) सम्बन्धी गतिविधियों हेतु मुद्रण कार्य एवं क्रय हेतु **स्पेसीफिकेशन लिंक** https://drive.google.com/drive/folders/1iICnWob JAAXLfnuAkcMlHyi80HRXIbuY? usp=drive_link के माध्यम से जनपदों को प्रेषित किया जा रहा है। वित्तीय वर्षवार आई0ई0सी0 एवं प्रिटिंग मद में किये जाने वाले मुद्रण/क्रय/गतिविधियां निम्न तालिकानुसार निर्धारित की गयी है–

वित्तीय वर्ष 2023–24 तक आच्छादित प्रति उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर 09 प्रकार की आई0ई0सी0 एवं प्रिन्टिंग गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका–A

SC AAM already Operational 2023-24 (Old SCs)						
S. No.	**IEC Activity**	**Material Specification**	**Size (Approx)**	**Quantity /AAM**	**Unit Cost (Rs)**	**Total Cost**
1	Celebration of health promotional days (As per the norms of GoI, every AAM will celebrate at least three health days per month for which Rs 200/health day is assigned to SCs which will be used for prior preparation of that particular day	3 health day celebration per month @Rs. 200 per health day celebration for 9 months	NA	27	200	5400
2	Referral slips	75 gsm, A5 size (half of A4) coloured print (two A5 referral slips will be printed side by side on A4 sheet with perforation) One copy for AAM and one for patient.	A5 size	600	0.3	180
3	OPD Slips	75 gsm A4 size coloured print	A4 size	6000	0.3	1800
4	Jan Arogya Samiti (JAS) Register	A3 Size with coloured cover pages and black and white internal 150 Pages	A3 Size	1	250	250
5	Medicine Envelope	56 gsm 19x15 cm in size brown coloured print, pasting included	19x15 cm	3000	0.5	1500
6	OPD register	A3 Landscape, 75 gsm, coloured cardboard cover with black & white 150 pages	A3 Size	2	250	500
7	eSanjeevani Banner	Placing of banners at prominent.	3x4 ft	1	250	250
8	NCD follow up register, drugs register & HPD register	A3 Landscape, 75 gsm, coloured cardboard cover with black & white pages	A3 Size	3	200	600
9	*District Level Activities. (Annual)	District level events/print Media brief/felicitation/days celebration/ placing of banners at prominent places/ miscellaneous.	NA	-	-	20
Total						**10500**

*जनपद स्तरीय गतिविधि हेतु प्रति उपकेन्द्र रू0 20/– की दर से धनराशि क्रियाशील आयुष्मान आरोग्य मन्दिर की संख्या के आधार पर जनपद स्तर से व्यय किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में क्रियाशील होने वाले प्रति उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर 14 प्रकार की आई0ई0सी0 एवं प्रिन्टिंग गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका–B

IEC SC AAM will be operational in 2024-25 (New)						
S. No.	**IEC Activity**	**Material Specification**	**Size (Approx)**	**Quantit y/AAM**	**Unit Cost (Rs)**	**Total Cost**
1	Celebration of health promotional days (As per the norms of GoI, every AAM will celebrate atleast three health days per month for which Rs 200/health day is assigned to SCs which will be used for prior preparation of that particular day	3 health day celebration per month @Rs. 200 per health day celebration for 09 month	NA	27	200	5400
2	4 IEC posters (Hypertension, Diabetes, Wellness Calendar, Asha incentive list) Any 4	Eco Vinyl print with matt lamination pasted on 3mm sunboard, wall mount	3x2	4	600	2400
3	Medicine envelope (Half the size of OPD slips)	56 gsm 19x15 cm in size brown coloured print, pasting included	19x15 cm	3000	0.5	1500
4	Citizen Charter for each AAM	Eco vinyl print with matt laminating pasted on 3mm sunboard wall mount coloured	3x2	1	600	600
5	Referral slips	75 gsm A5 size (half of A4) coloured print (two A5 referral slips will be printed side by side on A4 sheet with perforation. One copy for AAM and one for patient.	A5 size	600	0.3	180
6	OPD Slips	75 gsm A4 size coloured print	A4 size	6000	0.3	1800

7	Jan Arogya Samiti (JAS) Register	A3 Size with colored cover pages and black and white internal pages	A3 Size	1	250	250
8	OPD Register	A3 Landscape, 75 gsm, coloured cardboard cover with black & white 150 pages	A3 Size	2	250	500
9	NCD Follow up register, drugs register & HPD register	A3 Landscape, 75 gsm, coloured cardboard cover with b&w page	A3 Size	3	200	600
10	PA System	Mic Built in microphone	1	1	3795	3795
		Bluethooth: Yes				
		Wireless: Yes				
		Sound output: 12Db				
		Power output: 40watt				
		Battery life: 10 Hours				
		Battery: Lithum ion				
		Woofer height approx: 5.5inch				
		Speaker Charging Cable Charger				
11	Yoga kit	10 mat@per 150/and 500 Jar for Drinking Water	6 x 2 feet -for mat	10	150	1500
				1	500	500
12	AAM Indicator	Eco vinylprint with matt laminating pasted on 3mm sunboard wall mount coloured	3x3	1	900	900
13	Eat right tool kit (As per eatrightindia.gov.in regarding)	eatrightindia.gov.in (tool kit)	as per goi.web	1	1500	1500
14	*District Level Activities.(Annual)	District level events/print Media brief/ felicitation/days celebration/ placing of banners at prominent places/ miscellaneous.	NA	-	-	19
		Total				**21444**

*जनपद स्तरीय गतिविधि हेतु प्रति उपकेन्द्र रू0 19/– की दर से धनराशि क्रियाशील आयुष्मान आरोग्य मन्दिर की संख्या के आधार पर जनपद स्तर से व्यय किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2023–24 तक आच्छादित प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर 13 प्रकार की आई0ई0सी0 एवं प्रिन्टिंग गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका–C

PHC AAM already Operational 2023-24 (2764)						
S. No	**Particular**	**Material Specification**	**Size**	**Quantity per AAMs**	**Cost (Rs)**	**Total Cost(Rs)**
1	Celebration of health promotional days (As per the norms of GoI, every HWC will celebrate atleast three health days per month for which Rs 300/health day is assigned to PHCs which will be used for prior preparation of that particular day	3 health day celebration per month @Rs. 300 per health day celebration)for 9 month	NA	27	300	8100
2	5 IEC posters (Healthy life style, AAM services, Free medicine, wellness calendar and Asha incentive list)	Eco Vinyl print with mat lamination pasted on 3mm sun board, wall mount	3x2 ft	5	600	3000
3	Standee at AAM(Telemedicine)	2.5 x 6 ft aluminum roll up standees with coloured printing and PVC banner sheet	2.5 x 6 ft	1	1500	1500
4	Referral slip	75 Gsm A5 size (half of A4 size) colour print, two A5 referral slips will be printed side by side on A4 sheet with perforation. One copy for HWC and one for patient.	A5	600	0.3	180
5	OPD Slip	75 Gsm A4 size colour print	A4 Size	6000	0.3	1800
6	Medicine Envelope	56 gsm 19x15 cm in size brown colour print, pasting included	19x15 cm	6000	0.5	3000
7	Jan Arogya Samiti (JAS) Register	A3 Size with colored cover pages and black and white internal pages	A3	1	250	250
8	OPD register	A3 Landscape, coloured cardboard cover with b&w 150 pages	A3	2	250	500
9	NCD Follow up register, Health promotion day &drugs register	A3 Landscape, coloured cardboard cover with b&w pages	A3	3	200	600
10	4 types of pamphlets (Hypertension, Diabetes and AAM services & eSanjeevani)	A4 Size, 80 gsm, coloured printing.	500 each	2000	0.5	1000

11	Walkathon mass rally on AAM day, UHC day) (including the 400/-as cast of promotional material and 600/for refreshment)	NA	half yearly	2	1000	2000
12	Health promotion Day Banner & eSanjeevani Banner	Placing of banners at prominent.	3x4	2	250	500
13	District Level Activities.(Annual)*	District level events/print Media brief/ felicitation/ days celebration/ placing of banners at prominent places/ miscellaneous.	NA	-	-	288
	Total					**22718**

*जनपद स्तरीय गतिविधि हेतु प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रू0 288/— की दर से धनराशि क्रियाशील आयुष्मान आरोग्य मन्दिर की संख्या के आधार पर जनपद स्तर से व्यय किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में क्रियाशील किये जाने वाले प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर 19 प्रकार की आई0ई0सी0 एवं प्रिन्टिंग गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका–D

PHC AAM will be Operational 2024-25 (268)						
S. No	**Particular**	**Material Specification**	**Size**	**Quantity per HWCs**	**Cost (Rs)**	**Total Cost(Rs)**
1	Celebration of health promotional days (As per the norms of GoI, every HWC will celebrate atleast three health days per month for which Rs 300/health day is assigned to PHCs which will be used for prior preparation of that particular day	3 health day celebration per month @Rs. 300 per health day celebration)for 9 month	NA	27	300	8100
2	6 IEC posters (Yoga1, (Hypertension , Diabetes, and AAM services, Wellness Calendar & Asha incentive list)	Eco Vinyl print with mat lamination pasted on 3mm sun board, wall mount	3x2 ft	6	600	3600
3	Signage/Arrow Board	2.5 x 5 sq ft mounted on iron bars of 5 ft (1 ft underground and 4 above ground) including installation.	2.5 x 5 sq ft	1	3500	3500
4	AAM Indicator	Eco vinyl print with mat lamination pasted on 3mm sun board, wall mount	3x3 ft	1	900	900
5	Referral slip	75 Gsm A5 size (half of A4 size) coloured print, two A5 referral slips will be printed side by side on A4 sheet with perforation. One copy for HWC and one for patient.	A5	600	0.3	180
6	OPD Slip	75 Gsm A4 size coloured print	A4 Size	6000	0.3	1800
7	Standee	2.5 x 6 ft aluminum roll up standees with coloured printing and PVC banner sheet	2.5 x 6 ft	1	1500	1500
8	JAS Register	A3 Size with colored cover pages and black and white internal pages	A3	1	250	250
9	OPD Register	A3 Landscape, coloured cardboard cover with black & white 150 pages	A3	2	250	500
10	NCD follow up register, & drugs register	A3 Landscape, coloured cardboard cover with b&w pages	A3	2	200	400
11	P A system	Mic Built in microphone Bluetooth: Yes Wireless: Yes, Sound output: 12Db Power output: 40watt Battery life: 10 Hours Batter: Lithum ion Woofer height approx.: 5.5inch Speaker Charging Cable Charger	5.5 inch	1	3795	3795
12	LED Television	Smart Television	32 inch	1	17000	17000
13	Pen Drive	IEC resources for display in T B	16 GB	1	400	400
14	Notice Board	Green or red board with mounted hook, to be placed at public sitting area.	3x 4 ft	1	1200	1200
15	White Board	White board, with frame, mounted at public sitting area.	2.x 3 ft	1	800	800
16	Yoga kit	10 mat@per 150/and 500/ per Jar	6 x 2 feet -	10	150	1500

		for Drinking Water		1	500	500
17	Health promotion Day Banner & eSanjeevani Banner	Placing of banners at prominent.	3x4	2	250	500
18	Walkathon mass rally on AAM day, UHC day) (including the 400/-as cast of promotional material and 600/for refreshment)	NA	half yearly	2	1000	2000
19	*District Level Activities.(Annual)	District level events/print Media brief / felicitation/ days celebration/ placing of banners at prominent places/ miscellaneous.	NA			100
	Total					**48525**

*जनपद स्तरीय गतिविधि हेतु प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रू0 100/— की दर से धनराशि क्रियाशील आयुष्मान आरोग्य मन्दिर की संख्या के आधार पर जनपद स्तर से व्यय किया जायेगा।

9.1.2 आशाओं एवं ए0एन0एम0 को Expanded Services packages के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

प्रदेश में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से जन समुदाय को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण आदि के अतिरिक्त 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों का रक्तचाप, मधुमेह एवं तीन प्रकार के सामान्य कैंसरों (मुख, स्तन एवं गर्भाशय) की स्क्रीनिंग की जा रही है। उक्त के साथ ही वृद्धावस्था सम्बन्धी सेवायें, मानसिक स्वास्थ्य, नेत्र स्वास्थ्य, नाक, कान, गला स्वास्थ्य, आकस्मिक एवं ट्रामा सम्बन्धी सेवायें भी प्रदान की जानी है। इन सेवाओं को जन–जन तक पहुँचानें में आशा, आशा संगिनी एवं ए0एन0एम0 की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त के दृष्टिगत ओरल, वृद्वावस्था सम्बन्धी सेवायें, मानसिक स्वास्थ्य, नेत्र स्वास्थ्य, नाक, कान, गला स्वास्थ्य, आकस्मिक एवं ट्रामा सम्बन्धी सेवाओं में आशा, आशा संगिनी एवं ए0एन0एम0 का प्रशिक्षण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

वर्ष 2024–25 में Capacity Building & Multiskilling के अन्तर्गत OEEE **(Oral, Eye, ENT & Emergency Care)** पर 6 दिवसीय एवं MNS, Elderly & Palliative care पर 6 दिवसीय जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण 55–55 के बैच **(प्रत्येक सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र पर 5–5 बैच) में** आयोजित करने हेतु रू0 2,59,87,500.00 सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित किया जा चुका है। आशाओं एवं ए0एन0एम0 को Expanded Services packages के अन्तर्गत उपरोक्त विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किये जाने से पहले जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण का आयोजन समस्त सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों निम्नानुसार किया जाना है–

प्रशिक्षकों का चयन–

- प्रशिक्षण राज्य स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा ही प्रदान किया जायेगा। इस हेतु राज्य स्तर पर समस्त सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- किसी भी दशा में ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान न किया जाये जिन्होंने आशाओं एवं ए0एन0एम0 हेतु OEEE एवं MNS, Elderly & Palliative care माड्यूल में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी0ओ0टी0) प्राप्त न किया हो।

प्रतिभागियों का चयन–

- आशाओं एवं ए0एन0एम0 हेतु OEEE एवं MNS, Elderly & Palliative care के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्षेत्र की समस्त आशाओं एवं ए0एन0एम0 को भारत सरकार द्वारा निर्धारित Oral, Eye, ENT, Management of Common Emergencies, Burns and Trauma Care (Emergency care), Mental, Neurological and Substance use (MNS) Disorders Care, Elderly & Palliative care के माड्यूल में प्रशिक्षण कराया जाना है। **इस हेतु प्रत्येक जनपद के प्रत्येक ब्लाक से कुल चार प्रशिक्षकों (दो चिकित्साधिकारी, एक एच0ई0ओ0/एच0एस0 एवं एक एन0जी0ओ0 प्रशिक्षकों) का चयन किया जायेगा।**
- प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों को नामित करते समय यह ध्यान रखा जाये कि जिन प्रशिक्षकों द्वारा आशा 6–7 माड्यूल (14 दिवसीय + 7 दिवसीय + 5 दिवसीय अथवा 15 दिवसीय) में टी0ओ0टी0 प्राप्त की हो, ऐसे प्रशिक्षकों को वरीयता प्रदान की जाये।

<u>प्रशिक्षण स्थल सम्बन्धी व्यवस्थायें–</u>

- प्रशिक्षण स्थल पर प्रतिभागियों के ठहरने, भोजन, पीने के पानी, साफ–सफाई, बिजली / जेनरेटर आदि की समुचित व्यवस्था की जाये।
- प्रत्येक बैच में 30 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। किसी भी दशा में 25 से कम प्रतिभागियों के बैच आयोजित न किये जायें।
- प्रशिक्षण से पूर्व प्रतिभागियों के नामांकन की पुष्टि अवश्य कर ली जाये जिससे बैच पूरा किया जा सके।
- प्रशिक्षण सत्र ऐसे कक्ष में आयोजित किया जाये जहाँ 30 प्रतिभागियों एवं 4 प्रशिक्षकों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो। अभ्यास सत्र एवं ग्रुप वर्क हेतु प्रशिक्षण स्थल पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो।
- प्रशिक्षण कक्ष में ब्लैक / व्हाईट बोर्ड, आई0ई0सी0 सामग्री तथा अन्य प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाये।

<u>प्रशिक्षण का संचालन–</u>

- प्रशिक्षण में प्रतिभागियों का नामांकन, उनके द्वारा प्रशिक्षण में प्रतिभाग सुनिश्चित करना आदि सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा। प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र का दायित्व होगा।
- रीजनल को–आर्डिनेटर द्वारा सम्बन्धित जनपदों के डी0सी0पी0एम0 / डी0पी0एम0 एवं सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण सत्र में प्रतिभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।
- प्रशिक्षण सत्र के सफल संचालन हेतु प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा एक कोर्स कोआर्डिनेटर / नोडल नामित किया जाएगा, जिसका मुख्य दायित्व प्रतिभागियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित कराना होगा।
- को–आर्डिनेटर / नोडल द्वारा सम्बन्धित प्रधानाचार्य से समन्वय कर प्रशिक्षण कैलेन्डर तैयार किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण कैलेन्डर को सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारियों, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, महानिदेशक, प्रशिक्षण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, को प्रेषित किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण कैलेन्डर में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना राज्य स्तर पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन प्रशिक्षण माडयूल की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा। कार्यक्रम सारणी में दी गयी सत्र योजना, सत्र की समय योजना, सत्र की विषय वस्तु एवं प्रशिक्षण पद्धति का कडाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- प्रशिक्षकों को उनके द्वारा लिये जाने वाले सत्रों / विषयों के बारे में, प्रस्तुतिकरण पूर्व में ही तैयार कर लिया जाये। प्रस्तुतिकरण हेतु सहायक सामग्री कोआर्डिनेटर / नोडल द्वारा उपब्लध करायी जाये तथा प्रशिक्षण में सहायक तकनीकों का प्रयोग किया जाये।
- प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में निर्धारित विषय वस्तु के अनुसार प्रदर्शन एवं अभ्यास सत्रों का आयोजन किया जाये।
- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक माडयूल / फोटोकापी एवं अन्य स्टेशनरी आदि की उपलब्धता सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र स्तर से सुनिश्चित की जायेगी।
- प्रशिक्षण के सुचारू संचान हेतु जेनेरेटर की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित की जाये।
- प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के आयोजन के साथ किसी अन्य प्रशिक्षण / गतिविधि / कार्यक्रम में न लगाया जाये और न ही प्रशिक्षकों को किसी अन्य प्रशिक्षण / गतिविधि में लगाया जाये।
- प्रशिक्षण के प्रथम दिन प्री–टेस्ट तथा अन्तिम दिन पोस्ट–टेस्ट अनिवार्य रूप से कराना है।
- प्रशिक्षण बैच समाप्त होने के दूसरे दिन प्रतिभागियों की सूचना SASHAKT portal पर रीजनल को–आर्डिनेटर द्वारा अद्युनांत की जाये।

वित्तीय व्यवस्था–

- सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों पर निम्न बैच कास्ट के अनुसार प्रशिक्षण कराया जायेगा–

6 days District ToT for ASHA & ANM Training on OEEE (Oral, Eye, ENT & Emergency Care) at RHFWTCsFY. 2024-25 (FMR-150.5)					
S.N.	**Particulars**	**Rate**	**Days**	**No. of units**	**Amount (Rs.)**
1	Per diem to participants (Group A & B equivalent)	500	6	10	30,000.00
2	Per diem to participants (Group C & D equivalent)	300	6	20	36,000.00
3	Fooding (Lunch, tea & Snacks) for Participants with trainers	250	6	34	51,000.00
4	Honorarium to Trainers	1000	6	4	24,000.00
5	Stationary and training Material (Bag, Pen, Pad, Photocopy,Group Photograph, Banner etc, Subject to Actual)	600	1	30	18,000.00
6	Module printing (4 Module for ASHA & 4 Module for ANM training) @ Rs.100 per Module	800	1	30	24,000.00
7	P.O.L.	1000	6	1	6,000.00
	Sub total				189,000.00
8	Institutional over head (IOH)@ 10				18,900.00
9	T.A. to participants (actual as per norms)				30000.00
	Amount for 1 Batch				237,900.00

6 days District ToT for ASHA & ANM Training on MNS, Elderly & Palliative care at RHFWTCsFY. 2024-25 (FMR-150.5)					
S.N.	**Particulars**	**Rate**	**Days**	**No. of units**	**Amount (Rs.)**
1	Per diem to participants (Group A & B equivalent)	500	6	10	30,000.00
2	Per diem to participants (Group C & D equivalent)	300	6	20	36,000.00
3	Fooding (Lunch, tea & Snacks) for Participants with trainers	250	6	34	51,000.00
4	Honorarium to Trainers	1000	6	4	24,000.00
5	Stationary and training Material (Bag, Pen, Pad, Photocopy,Group Photograph, Banner etc, Subject to Actual)	600	1	30	18,000.00
6	Module printing (3 Module for ASHA & 3 Module for ANM training) @ Rs.115 per Module	700	1	30	21,000.00
7	P.O.L.	1000	6	1	6,000.00
	Sub total				186,000.00
8	Institutional over head (IOH)@ 10				18,600.00
9	T.A. to participants (actual as per norms)				30000.00
	Amount for 1 Batch				234,600.00

अन्य व्यवस्थायें–

- प्रशिक्षकों एवं प्रतिभागियों को प्रशिक्षणोंपरान्त मानदेय का भुगतान, परडायम एवं यात्रा भत्ता के रूप में तालिका में अंकित धनराशि के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
- विभिन्न मदों पर व्यय, प्रतिभागियों की संख्या एवं वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित बजट सीमा के अन्दर ही करना होगा।
- वित्तीय मानकों में किसी प्रकार का परिर्वतन न किया जाये।
- यात्रा भत्ता का भुगतान राजकीय मानकों के अनुसार वास्तविक व्यय के आधार पर किया जायेगा।

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग –

- प्रशिक्षण सत्रों का अनुश्रवण सम्बन्धित अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं आख्या को अपर निदेशक, कार्यालय एवं राज्य स्तर पर प्रेषित किया जायेगा।

9.2कम्युनिटी प्रोसेस के अन्तर्गत कार्यरत मानव संसाधन के कार्य, उत्तरदायित्व तथा मानदेय

कम्युनिटी प्रोसेस के अन्तर्गत कार्यरत सेवा प्रदाता (सर्विस डिलीवरी) से सम्बन्धित संविदा पर कार्यरत मानव संसाधन के कार्य एवं उत्तरदायित्व तथा मानदेय आदि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निम्नवत है–

1. **<u>हेल्थ एण्ड वेलनेस असिस्टेण्ट(श्रावस्ती)</u>**–जनपद श्रावस्ती के जिन आयुष्मान आरोग्य मन्दिरों पर हेल्थ एण्ड वेलनेस असिस्टेण्ट कार्यरत हैं उनके द्वारा सी0एच0ओ0 एवं एन0एन0एम0 के कार्यों में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

   उक्त के अतिरिक्त आयुष्मान आरोग्य मन्दिर पर ए0एन0एम0, आशा, व पुरूष कार्यकर्ता द्वारा भी सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिनके आयुष्मान आरोग्य मन्दिर से सम्बन्धित कार्य एवं उत्तरदायित्व पूर्व में प्रेषित पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0/कम्यू0प्रो0/ एच0डब्ल्यू0सी0/2022–23/ 88/टी0सी0–5/ 5365–75 दिनांक 29.10.2022 के माध्यम से दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्ववत रहेंगे ।

2. **<u>लैब टेक्नीशियन</u>**–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर नियुक्त किये गये लैब टेक्नीशियन के कार्य एवं उत्तरदायित्व पूर्व में प्रेषित पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0/कम्यू0प्रो0/ एच0डब्ल्यू0सी0/2022–23/88 टी0सी0–3/9704 दिनांक 13.03.2024 के माध्यम से दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्ववत रहेंगे।
3. **<u>स्टाफ नर्स (एम0एच0–सी0पी0)</u>**–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर नियुक्त किये गये स्टाफ नर्स (एम0एच0–सी0पी0) के कार्य एवं उत्तरदायित्व पूर्व में प्रेषित पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0/कम्यू0प्रो0/सी0एच0डब्ल्यू0सी0/एच0आर0/2019–20/108/9979 दिनांक 27.03.2024 के माध्यम से दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्ववत रहेंगे।
4. **<u>कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर</u>**–उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर नियुक्त किये गये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कार्य एवं उत्तरदायित्व पूर्व में प्रेषित पत्र सं0–एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./एच.डब्ल्यू. सी./2022–23/88/टी0सी0–5/5365–75 दिनांक 29.10.2022, आर.एम.एन.सी.एच.+ए. गतिविधियों हेतु मातृ स्वास्थ्य अनुभाग द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/एच0डब्लू0सी0/170/2023–24/1241 दिनांक 15.05.2023 एवं नियमित टीकाकरण कार्यक्रम हेतु पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/आर0आई0/2022–23/05/ 9451–75 दिनांक 09.03.2024 के माध्यम से दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्ववत रहेंगे।

5. **<u>एम0बी0बी0एस0 मेडिकल ऑफिसर–टेलीमेडिसिनः–</u>**

   उपरोक्त कर्मियों के अतिरिक्त प्रदेश की चिन्हित चिकित्सा इकाईयों में टेलीकन्सल्टेशन सेवाओं हेतु एम0बी0बी0एस0 मेडिकल ऑफिसर–टेलीमेडिसिन की तैनाती किये जाने का प्रावधान है। कार्यक्रम के संचालन तथा एम0बी0बी0एस0 मेडिकल ऑफिसर–टेलीमेडिसिन के कार्य एवं उत्तरदायित्व हेतु पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0पी0/टेलीमेडिसिन/2023–24/106/1791–7 दिनांक 26.05.2023, चिकित्सा अनुभाग–9 के पत्र संख्या–2209/2022/2209/पाँच–9–2022, दिनांक 02.11.2022 एवं पत्र संख्या–एस0पी0 एम0यू0/सी0पी0/टेलीमेडिसिन/ 2024–25/106/531, दिनांक 30.04.2024 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु एम0बी0बी0एस0 मेडिकल ऑफिसर–टेलीमेडिसिन के अनुमोदित मानदेय एवं वेतन वृद्धि निम्न विवरण के अनुसार देय होगा–

- टेलीकन्सल्टेशन सेवाओं हेतु संविदा पर विगत वर्षों से कार्यरत चिकित्सकों का प्रारम्भिक मानदेय रू0 60000/– प्रतिमाह है। इन कार्यरत चिकित्सकों का मानदेय, नियमानुसार अनुमन्य वार्षिक मानदेय वृद्धि सम्मिलित कर देय होगा।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 में टेलीकन्सल्टेशन सेवाओं हेतु संविदा पर नवीन नियुक्त किये जाने वाले एम. बी.बी.एस. चिकित्सकों हेतु प्रारम्भिक मानदेय रू0 1,00,000/– प्रतिमाह अनुमोदित है।
- टेलीकन्सल्टेशन सेवाओं हेतु एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों के रिक्त पदों का विज्ञापन वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये अनुमोदित मानदेय प्रतिमाह रू0 1,00,000/– के अनुरूप प्रकाशित किया जाये।
- टेलीमेडिसिन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों के परफॉरमेंस अप्रेजल में टेलीकन्सल्टेशन सेवाओं को सम्मिलित किया जाये।
- टेलीमेडिसिन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकों पर, राज्य स्तरीय मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत किये गये समस्त दिशा–निर्देश यथावत प्रभावी होंगें।

उपरोक्त मानव संसाधन की जनपदवार संख्या **(संलग्नक–**SD.1) के अनुसार एम0बी0बी0एस0 मेडिकल ऑफिसर–टेलीमेडिसिन, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, स्टाफ नर्स (एम0एच0–सी0पी0), लैब टेक्नीशियन एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस असिस्टेण्ट के मानदेय, वार्षिक वेतन वृद्धि, एक्सपीरियंस बोनस एवं ई0पी0एफ0 (हेल्थ एण्ड वेलनेस असिस्टेण्ट–श्रावस्ती एवं लैब टेक्नीशियन) हेतु आवश्यक धनराशि डैप के माध्यम से जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। उक्त कार्मिकों के मानदेय, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस का आंगणन **(संलग्नक–**SD.3) के अनुसार किया जायेगा। वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु अर्द्धवार्षिक कार्य मूल्यांकन जिला स्वास्थ्य समिति के अन्य कर्मियों के समान किया जाएगा। अर्द्धवार्षिक कार्य मूल्यांकन किया जायेगा।

संलग्नक–SD.1

जनपदवार मानव संसाधन की संख्या

Srl. No.	District Name	No. of in position HWA (Shrawasti)	No. of in position LT	No. of in position Staff Nurse	No. of in position CHO's	Total no. of Medical Officer (MBBS)-Telemedicine
	Total	**13**	**2198**	**2000**	**16844**	**300**
1	Agra	0	31	21	278	11
2	Aligarh	0	31	17	300	6
3	Ambedkar Nagar	0	18	21	280	3
4	Amethi	0	20	26	202	3
5	Jyotiba Phule Nagar	0	18	21	162	3
6	Auraiya	0	21	19	118	3
7	Ayodhya	0	27	22	233	8
8	Azamgarh	0	51	46	496	11
9	Badaun	0	34	33	267	3
10	Baghpat	0	11	16	141	3
11	Bahraich	0	44	31	344	0
12	Ballia	0	55	50	287	3
13	Balrampur	0	23	14	208	3
14	Banda	0	31	30	143	8
15	Barabanki	0	49	31	332	3
16	Bareilly	0	40	33	370	6
17	Basti	0	21	27	270	3
18	Sant Ravidas Nagar	0	16	16	111	3
19	Bijnor	0	39	33	334	3
20	Bulandshahar	0	37	40	308	3
21	Chandauli	0	21	18	200	3
22	Chitrakoot	0	21	16	118	3
23	Deoria	0	59	47	249	0
24	Etah	0	22	26	183	0
25	Etawah	0	20	17	138	8
26	Farrukhabad	0	24	20	161	3
27	Fatehpur	0	25	26	234	0
28	Firozabad	0	42	38	184	3
29	GB Nagar	0	17	12	60	8
30	Ghaziabad	0	11	7	82	3
31	Ghazipur	0	45	43	280	3
32	Gonda	0	38	40	316	3
33	Gorakhpur	0	45	33	451	8
34	Hamirpur	0	27	29	125	3
35	Hapur	0	16	19	129	0
36	Hardoi	0	38	31	356	3
37	Hathras	0	9	19	158	3
38	Jalaun	0	23	22	149	3
39	Jaunpur	0	75	58	324	3
40	Jhansi	0	25	25	262	8
41	Kannauj	0	28	26	158	3
42	Kanpur Dehat	0	23	18	174	3
43	Kanpur Nagar	0	42	37	265	8
44	Kasganj	0	21	24	156	3
45	Kaushambi	0	25	22	138	3
46	Kushinagar	0	47	35	216	3

Srl. No.	District Name	No. of in position HWA (Shrawasti)	No. of in position LT	No. of in position Staff Nurse	No. of in position CHO's	Total no. of Medical Officer (MBBS)-Telemedicine
	Total	**13**	**2198**	**2000**	**16844**	**300**
47	Lakhimpur Kheri	0	44	39	347	3
48	Lalitpur	0	13	22	94	3
49	Lucknow	0	26	11	168	13
50	Maharajganj	0	24	25	199	3
51	Mahoba	0	8	10	89	3
52	Mainpuri	0	36	37	154	3
53	Mathura	0	20	17	113	3
54	Mau	0	24	33	152	3
55	Meerut	0	28	24	223	11
56	Mirzapur	0	30	26	214	3
57	Moradabad	0	20	24	255	3
58	Muzaffar Nagar	0	24	27	238	3
59	Pilibhit	0	15	18	169	3
60	Pratapgarh	0	42	40	234	3
61	Prayagraj	0	57	35	537	11
62	Raebareli	0	44	36	269	3
63	Rampur	0	21	26	212	3
64	Saharanpur	0	28	25	286	3
65	Sambhal	0	21	20	217	3
66	Sant Kabir Nagar	0	13	15	165	3
67	Shahjahanpur	0	27	29	258	5
68	Shamli	0	8	23	114	0
69	Shrawasti	13	7	8	102	3
70	Siddharth Nagar	0	55	33	271	0
71	Sitapur	0	53	43	439	3
72	Sonbhadra	0	24	23	175	3
73	Sultanpur	0	34	39	220	3
74	Unnao	0	29	22	267	3
75	Varanasi	0	17	15	213	14
	Total	**13**	**2198**	**2000**	**16844**	**300**

संलग्नक–SD.3

मानदेय, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस का आंगणन

	तैनाती की तिथि	मानदेय प्रतिमाह रुपये में (एक्सपीरियंस बोनस एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर	1 अप्रैल 2024 एवं उसके पश्चात	20500
	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक	21525
	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक	22601
	1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक	25991
	1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	27291
	1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	30020
	1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक	30753
	1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक	32291

	तैनाती की तिथि	मानदेय प्रतिमाह रुपये में (एक्सपीरियंस बोनस एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
स्टाफ नर्स–एम0एच0 सी0पी0	1 अप्रैल 2024 एवं उसके पश्चात	20500
	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक	21525
	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक	22601
	1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक	25991
	1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	27291
	1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	30020
	1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक	31521

लैब टेक्नीशियन	तैनाती की तिथि	मानदेय प्रतिमाह रुपये में (वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
	1 अप्रैल 2024 एवं उसके पश्चात	15000
	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक	15750
	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक	16538

हेल्थ एण्ड वेलनेस असिस्टेण्ट(श्रावस्ती	तैनाती की तिथि	मानदेय प्रतिमाह रुपये में (वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
	1 अप्रैल 2024 एवं उसके पश्चात	15000
	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक	15750
	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक	16538
	1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक	19019
	1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	19970
	1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	21967
	1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक	23065
	1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक	24218

नोट–मानदेय, वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस, मानव संसाधन अनुभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार देय होगा।

ई0पी0एफ0–लैब टेक्नीशियन एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस असिस्टेण्ट (श्रावस्ती) के ई0पी0एफ0 हेतु 13.00 प्रतिशत की दर से नियोक्ता अंशदान सहित आवश्यक धनराशि आवंटित की जा रही है।

एम0बी0बी0एस0 मेडिकल ऑफिसर–टेलीमेडिसिन

पद नाम	तैनाती की तिथि	मानदेय प्रतिमाह रुपये में (वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)	वर्ष
एम0बी0बी0एस0 मेडिकल ऑफिसर–टेलीमेडिसिन	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक	63000	1
	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक	66150	2
	1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक	69458	3
	1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	72931	4

नोट–एम0बी0बी0एस0 मेडिकल ऑफिसर–टेलीमेडिसिन का मानदेय एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि मानव संसाधन अनुभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार देय होगा।

मानदेय हेतु आवंटित धनराशि अधिकतम बजट मात्र है, प्रत्येक कर्मचारी को वास्तविक मानदेय का भुगतान योगदान तिथि एवं एन0एच0एम0 के मानव संसाधन के दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायगा।

संलग्नक–SD.3-A

कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के मानदेय, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस की आंगणन शीट

(धनराशि रूपये में)

	नियुक्ति का वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल देय धनराशि प्रति माह	वित्तीय वर्ष 2017-18	20000							
	वित्तीय वर्ष 2018-19	21000	20000						
	वित्तीय वर्ष 2019-20	22050	21000	20500					
	वित्तीय वर्ष 2020-21	25358	22050	21525	20500				
	वित्तीय वर्ष 2021-22	26626	25358	22601	21525	20500			
	वित्तीय वर्ष 2022-23	29289	26626	25991	22601	21525	20500		
	वित्तीय वर्ष 2023-24	30753	29289	27291	25991	22601	21525	20500	
	वित्तीय वर्ष 2024-25	**32291**	**30753**	**30020**	**27291**	**25991**	**22601**	**21525**	**20500**

संलग्नक—SD.3-B

स्टाफ नर्स—एम0एच0सी0पी0 के मानदेय, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस की आंगणन शीट

(धनराशि रूपये में)

	नियुक्ति का वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल देय धनराशि प्रति माह	वित्तीय वर्ष 2018-19	20500						
	वित्तीय वर्ष 2019-20	21525	20500					
	वित्तीय वर्ष 2020-21	22601	21525	20500				
	वित्तीय वर्ष 2021-22	25991	22601	21525	20500			
	वित्तीय वर्ष 2022-23	27291	25991	22601	21525	20500		
	वित्तीय वर्ष 2023-24	30020	27291	25991	22601	21525	20500	
	वित्तीय वर्ष 2024-25	**31521**	**30020**	**27291**	**25991**	**22601**	**21525**	**20500**

संलग्नक—SD.3-C

लैब टेक्नीशियन के मानदेय, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस की आंगणन शीट

(धनराशि रूपये में)

	नियुक्ति का वर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
कुल देय धनराशि प्रति माह	वित्तीय वर्ष 2022-23	15000		
	वित्तीय वर्ष 2023-24	15750	15000	
	वित्तीय वर्ष 2024-25	**16538**	**15750**	**15000**

संलग्नक—SD.3-D

हेल्थ एण्ड वेलनेस असिस्टेण्ट (श्रावस्ती) के मानदेय, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस की आंगणन शीट

(धनराशि रूपये में)

	नियुक्ति का वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल देय धनराशि प्रति माह	वित्तीय वर्ष 2017-18	15000							
	वित्तीय वर्ष 2018-19	15750	15000						
	वित्तीय वर्ष 2019-20	16538	15750	15000					
	वित्तीय वर्ष 2020-21	19019	16538	15750	15000				
	वित्तीय वर्ष 2021-22	19970	19019	16538	15750	15000			
	वित्तीय वर्ष 2022-23	21967	19970	19019	16538	15750	15000		
	वित्तीय वर्ष 2023-24	23065	21967	19970	19019	16538	15750	15000	
	वित्तीय वर्ष 2024-25	**24218**	**23065**	**21967**	**19970**	**19019**	**16538**	**15750**	**15000**

संलग्नक—SD.3-E

एम0बी0बी0एस0 मेडिकल ऑफिसर—टेलीमेडिसिन के मानदेय एवं वार्षिक वेतन वृद्धि की आंगणन शीट

(धनराशि रूपये में)

	नियुक्ति का वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल देय धनराशि प्रति माह	वित्तीय वर्ष 2020-21	60000			
	वित्तीय वर्ष 2021-22	63000	60000		
	वित्तीय वर्ष 2022-23	66150	63000	60000	
	वित्तीय वर्ष 2023-24	69458	66150	63000	60000
	वित्तीय वर्ष 2024-25	**72931**	**69458**	**66150**	**63000**

रीजनल को—ऑर्डिनेटर (आशा) एवं ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक (बी0सी0पी0एम0) के कार्य, उत्तरदायित्व तथा मानदेय

कम्युनिटी प्रोसेस के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत प्रोग्राम मैनेजमेण्ट (कार्यक्रम प्रबन्धन) से सम्बन्धित मानव संसाधन के कार्य एवं उत्तरदायित्व तथा मानदेय आदि के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश निम्नवत है—

1. **रीजनल को—ऑर्डिनेटर (आशा)** के कार्य एवं उत्तरदायित्व पूर्व में प्रेषित पत्र सं0—एस0पी0एम0यू0 / कम्यू0प्रो0 / आर0ए0सी0 / 2017—18 / 60 / 4941, दिनांक 10.10.2022 के माध्यम से दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्ववत रहेंगे। रीजनल को—ऑर्डिनेटर (आशा) के मानदेय,

वार्षिक वेतन वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस का आंगणन (संलग्नक–PM.3) के अनुसार किया जायगा।

2. **ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक** के कार्य एवं उत्तरदायित्व पूर्व में प्रेषित पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / कम्यू0प्रो0 / बी0सी0पी0एम0 / 2021–22 / 64 / 5059–75 दिनांक 14.10.2022 के माध्यम से दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्ववत रहेंगे। ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक के मानदेय, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस का आंगणन (संलग्नक–PM.3) के अनुसार किया जायेगा।

कार्यरत 11 रीजनल कोऑर्डिनेटर (आशा) एवं 761 ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक के मानदेय, वार्षिक वेतन वृद्धि, ई0पी0एफ0 एवं एक्सपीरियंस बोनस हेतु आवश्यक धनराशि डैप के माध्यम से जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु अर्द्धवार्षिक कार्य मूल्यांकन जिला स्वास्थ्य समिति के अन्य कर्मियों के समान किया जाएगा।

Srl. No.	District Name	No. of in position RCs	No. of in position BCPM
	Total	**11**	**761**
1	Agra	1	13
2	Aligarh	0	10
3	Ambedkar Nagar	0	9
4	Amethi	0	13
5	Jyotiba Phule Nagar	0	6
6	Auraiya	0	7
7	Ayodhya	1	9
8	Azamgarh	0	21
9	Badaun	0	15
10	Baghpat	0	6
11	Bahraich	0	13
12	Ballia	0	15
13	Balrampur	0	8
14	Banda	0	7
15	Barabanki	0	14
16	Bareilly	1	14
17	Basti	0	14
18	Sant Ravidas Nagar	0	6
19	Bijnor	0	9
20	Bulandshahar	0	14
21	Chandauli	0	9
22	Chitrakoot	0	3
23	Deoria	0	15
24	Etah	0	6
25	Etawah	0	6
26	Farrukhabad	0	5
27	Fatehpur	0	12
28	Firozabad	0	9
29	GB Nagar	0	4
30	Ghaziabad	0	4
31	Ghazipur	0	16
32	Gonda	0	13
33	Gorakhpur	1	19
34	Hamirpur	0	7
35	Hapur	0	4
36	Hardoi	0	16
37	Hathras	0	3
38	Jalaun	0	9
39	Jaunpur	0	20
40	Jhansi	1	7
41	Kannauj	0	7
42	Kanpur Dehat	0	8
43	Kanpur Nagar	1	10
44	Kasganj	0	7
45	Kaushambi	0	8
46	Kushinagar	0	14
47	Lakhimpur Kheri	0	15
48	Lalitpur	0	6
49	Lucknow	1	8
50	Maharajganj	0	12
51	Mahoba	0	4
52	Mainpuri	0	8
53	Mathura	0	9

Srl. No.	District Name	No. of in position RCs	No. of in position BCPM
	Total	**11**	**761**
54	Mau	0	9
55	Meerut	1	11
56	Mirzapur	0	10
57	Moradabad	1	8
58	Muzaffar Nagar	0	9
59	Pilibhit	0	7
60	Pratapgarh	0	16
61	Prayagraj	1	18
62	Raebareli	0	18
63	Rampur	0	6
64	Saharanpur	0	9
65	Sambhal	0	7
66	Sant Kabir Nagar	0	9
67	Shahjahanpur	0	14
68	Shamli	0	4
69	Shrawasti	0	5
70	Siddharth Nagar	0	14
71	Sitapur	0	19
72	Sonbhadra	0	7
73	Sultanpur	0	12
74	Unnao	0	16
75	Varanasi	1	7
	Total	**11**	**761**

संलग्नक– PM.3

रीजनल को–ऑर्डिनेटर (आशा) एवं बी0सी0पी0एम0 हेतु मानदेय, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस का आंगणन

	तैनाती की तिथि	मानदेय प्रतिमाह रुपये में (एक्सपीरियंस बोनस एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
रीजनल को–ऑर्डिनेटर (आशा)	1 अप्रैल 2024 एवं उसके पश्चात	35000
	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक	36750
	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक	38588
	1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक	44376
	1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	46595
	1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	51255
	1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक	53818
	1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक	56509
	1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक	59334
	1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक	62301
	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक	65416

	तैनाती की तिथि	मानदेय प्रतिमाह रुपये में (एक्सपीरियंस बोनस एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
बी0सी0पी0एम0	1 अप्रैल 2024 एवं उसके पश्चात	15000
	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक	15750
	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक	16538
	1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक	19019
	1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	19970
	1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	21967
	1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक	23065
	1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक	23987
	1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक	25186
	1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक	26204

नोट–मानदेय, वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस, मानव संसाधन अनुभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार देय होगा।

ई0पी0एफ0–बी0सी0पी0एम0 के ई0पी0एफ0 हेतु 13.00 प्रतिशत की दर से नियोक्ता अंशदान सहित आवश्यक धनराशि आवंटित की गयी है।

मानदेय हेतु आवंटित धनराशि अधिकतम बजट मात्र है, प्रत्येक कर्मचारी को वास्तविक मानदेय का भुगतान योगदान तिथि एवं एन0एच0एम0 के मानव संसाधन के दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

संलग्नक–PM.3-A

रीजनल को–ऑर्डिनेटर (आशा) के मानदेय, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस की आंगणन शीट

(धनराशि रूपये में)

	नियुक्ति का वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल देय धनराशि प्रति माह	वित्तीय वर्ष 2014-15	35000										
	वित्तीय वर्ष 2015-16	36750	35000									
	वित्तीय वर्ष 2016-17	38588	36750	35000								
	वित्तीय वर्ष 2017-18	44376	38588	36750	35000							
	वित्तीय वर्ष 2018-19	46595	44376	38588	36750	35000						
	वित्तीय वर्ष 2019-20	51255	46595	44376	38588	36750	35000					
	वित्तीय वर्ष 2020-21	53818	51255	46595	44376	38588	36750	35000				
	वित्तीय वर्ष 2021-22	56509	53818	51255	46595	44376	38588	36750	35000			
	वित्तीय वर्ष 2022-23	59334	56509	53818	51255	46595	44376	38588	36750	35000		
	वित्तीय वर्ष 2023-24	62301	59334	56509	53818	51255	46595	44376	38588	36750	35000	
	वित्तीय वर्ष 2024-25	**65416**	**62301**	**59334**	**56509**	**53818**	**51255**	**46595**	**44376**	**38588**	**36750**	**35000**

संलग्नक–PM.3-B

बी0सी0पी0एम0 के मानदेय, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं एक्सपीरियंस बोनस की आंगणन शीट

(धनराशि रूपये में)

	नियुक्ति का वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल देय धनराशि प्रति माह	वित्तीय वर्ष 2015-16	12000									
	वित्तीय वर्ष 2016-17	12600	12000								
	वित्तीय वर्ष 2017-18	13230	12600	12000							
	वित्तीय वर्ष 2018-19	18665	16380	15600	15000						
	वित्तीय वर्ष 2019-20	19598	18837	16380	15750	15000					
	वित्तीय वर्ष 2020-21	21558	19779	18837	16538	15750	15000				
	वित्तीय वर्ष 2021-22	22636	21757	19779	19019	16538	15750	15000			
	वित्तीय वर्ष 2022-23	23768	22845	21757	19970	19019	16538	15750	15000		
	वित्तीय वर्ष 2023-24	24956	23987	22845	21967	19970	19019	16538	15750	15000	
	वित्तीय वर्ष 2024-25	**26204**	**25186**	**23987**	**23065**	**21967**	**19970**	**19019**	**16538**	**15750**	**15000**

9.3 वित्तीय वर्ष 2024–25 में आशा कार्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों एवं किराये के भवनों में संचालित उपकेन्द्रों के किराये के सम्बन्ध में ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशा कार्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों एवं किराये के भवनों में संचालित उपकेन्द्रों के किराये हेतु धनराशि का आवंटन डैप के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु किया जा रहा है, जिसके संचालन हेतु दिशा–निर्देश पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है।

1. **आशा कार्यक्रम–** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुँचाने एवं उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने में आशा की अहम भूमिका है। आशा कार्यक्रम सुचारू एवं प्रभावी रूप से चलाने हेतु आशा योजना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों हेतु दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैः–

   - वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त अनुमोदन के सापेक्ष 168653 आशा एवं 8013 आशा संगिनी हेतु प्रतिपूर्ति राशि एवं अन्य गतिविधियों हेतु पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू. /कम्यु.प्रो./आशा योजना/2022–23/58/1455, दिनांक 22.05.2023 के अनुसार किया जायेगा।

- ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक हेतु मोबीलिटी एवं कम्युनिकेशन कॉस्ट, का व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू. / कम्यु.प्रो. / बी0सी0पी0एम0 / 2021–22 / 64 / 5059, दिनांक 14.10.2022 के अनुसार किया जायेगा।
- रीजनल को–ऑर्डिनेटर (आशा) हेतु टी0ए0 / डी0ए0, ठहरने, कार्यालय व्यय एवं कम्युनिकेशन कॉस्ट का व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू. / कम्यु.प्रो. / आर.ए.सी. / 2017–18 / 60 / 4941, दिनांक 10.10.2022 के अनुसार किया जायेगा।

2. **किराये के भवनों में संचालित उपकेन्द्रों के किराये हेतु** विस्तृत दिशा–निर्देश पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या– एस.पी.एम.यू. / कम्यु.प्रो. / पी0आई0पी0 / 2021–22 / 93 / 2479–75, दिनांक 10.08.2021 के अनुसार व्यय किया जायेगा।

भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024–25 में आशा कार्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न निम्न गतिविधियों के संचालन हेतु डैप के माध्यम से बजट आवंटन / दिशा–निर्देश।

क्र.	गतिविधि का नाम	एफ.एम. आर. कोड	डैप के माध्यम से आवंटित धनराशि (रुपये लाख में)	गतिविधि के संचालन हेतु निर्देश
01	ए0ए0ए0 बैठक	**159.1**	2246.95	**ए0ए0ए0 की बैठक** हेतु आशाओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों हेतु रू0 75 / – प्रति बैठक प्रतिमाह की दर से प्रति आशा / आंगनबाड़ी कार्यकत्री हेतु आवश्यक धनराशि का 70 प्रतिशत 12 माह हेतु संलग्न जनपदवार तालिका के अनुसार समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।
02	आशा सम्मेलन	**159.2**	569.13	**आशा सम्मेलन आयोजित** किये जाने हेतु 90 प्रतिशत आशाओं, समस्त आशा संगिनियों, अर्बन आशाओं हेतु रु0 300 / – प्रति आशा एवं प्रति ब्लॉक रु0 5000 / – की दर से आशा सम्मेलन हेतु आवंटित की जा रही है। इसके अतिरिक्त आशा सम्मेलन में आशा संगिनी आवर्ड हेतु रु0 10000 / – प्रति जनपद की दर से एवं ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक के आवर्ड हेतु रु0 5000 / – प्रति जनपद की दर से आवश्यक धनराशि का आवंटन समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।
03	आशा बीमा (आशा सोशल सिक्योरिटी स्कीम)	**159.3**	715.91	**आशा बीमा**–ग्रामीण आशा, शहरी आशा एवं आशा संगिनी हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए पुनरीक्षित दर रु0 330 / – के स्थान पर रू0 436 / – प्रति वर्ष प्रति आशा की दर से एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हेतु पुनरीक्षित दर रु0 12 / – के स्थान पर रू0 20 / – प्रति वर्ष प्रति आशा की दर से आवश्यक धनराशि का आवंटन जनपदवार तालिका के अनुसार समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। जिसका व्यय पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू. / कम्यु.प्रो. / आशाबीमायोजना / 2015–16 / 84 / 6382, दिनांक 24.10.2019 एवं संख्या–एस.पी.एम.यू. / कम्यु.प्रो. / आशा बीमा योजना / 2018–19 / 84 / वॉल्यूम–1 / 4911–75, दिनांक 19.11.2020 के अनुसार किया जायेगा।
04	आशा नियमित गतिविधियों हेतु प्रतिपूर्ति राशि	**159.4**	34405.21	**आशा नियमित गतिविधियों हेतु प्रतिपूर्ति राशि-**समस्त आशाओं के लिए नियमित गतिविधियों हेतु रू0 2000 / – प्रति माह प्रति आशा की दर से अनुमन्य धनराशि का 85 प्रतिशत धनराशि का आवंटन 12 माह हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।
05	आशा यूनिफॉर्म	**159.5**	1501.66	**आशा यूनिफॉर्म-** प्रदेश की समस्त आशा एवं आशा संगिनियों के यूनीफार्म के लिए रू0 1000 / – प्रति आशा / आशा संगिनी प्रति

क्र.	गतिविधि का नाम	एफ.एम. आर. कोड	डैप के माध्यम से आवंटित धनराशि (रुपये लाख में)	गतिविधि के संचालन हेतु निर्देश
				वर्ष की दर से अनुमन्य धनराशि का 85 प्रतिशत धनराशि का आवंटन समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।
06	आशा संगिनी इंसेन्टिव	**159.7**	1389.45	**आशा संगिनी इंसेन्टिव-** ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधकों के साथ आशा संगिनियों की मासिक बैठक हेतु प्रति बैठक रू0 150/– तथा आशा संगिनी रजिस्टर को अधुनांत करने हेतु रू0 300/– प्रतिमाह प्रति आशा संगिनी एवं विभिन्न चिन्हित गतिविधियों (सी–बैक फार्म का परीक्षण, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्षय रोग से ग्रसित रोगियों हेतु दवाइयों की उपलब्धता, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं, उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं, कुपोषित बच्चों, का फॉलोअप) हेतु रु0 1250/– प्रति माह, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 1700/–प्रति आशा संगिनी प्रतिमाह की दर से अनुमन्य धनराशि का 85 प्रतिशत धनराशि का आवंटन 12 माह हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।
07	हेल्थ प्रमोशन–डे इंसेन्टिव	**159.8**	3440.52	**हेल्थ प्रमोशन–डे-** आशा द्वारा माह में एक बार स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कारकों से सम्बन्धित थीम आधारित, हेल्थ प्रमोशन डे मनाये जाने हेतु प्रति आशा रू0 200/– प्रति माह की दर से अनुमन्य धनराशि का 85 प्रतिशत धनराशि का आवंटन 12 माह हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।
08	मदर्स ग्रुप मीटिंग इंसेन्टिव	**159.9**	707.90	**मदर्स ग्रुप मीटिंग-** प्रदेश के चयनित 28 जनपदों में आशा द्वारा 2 माह में एक बार मदर्स ग्रुप मीटिंग आयोजित किये जाने हेतु प्रति आशा रू0 200/– की दर से 6 बैठकों के लिए अनुमन्य धनराशि का 85 प्रतिशत का आवंटन 12 माह हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।
09	आशा संगिनियों द्वारा आशाओं के सहायतित पर्यवेक्षण	**159.10**	5884.75	**आशा संगिनियों द्वारा आशाओं के सहायतित पर्यवेक्षण** हेतु रू0 300 प्रतिदिन की दर से माह में अधिकतम 24 दिनों हेतु अधिकतम कुल रु0 7200/– प्रति माह प्रति आशा संगिनी की दर से अनुमन्य धनराशि का 85 प्रतिशत का आवंटन 12 माह हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।
10	आशा प्रारम्भिक प्रशिक्षण	**159.11**	256.00	**आशा प्रारम्भिक प्रशिक्षण-**आशा प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु रु0 1.28 लाख प्रति बैच कॉस्ट की दर से धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। उक्त गतिविधि का संचालन पूर्व में निदेशक, रा0स्वा0 एवं परि0क0सं, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रेषित् दिशा–निर्देश पत्र संख्या–चार्ट./नयी आशा प्रशि0/178/13/ 35–07, दि0 03. 01.2017 तथा बैच कॉस्ट हेतु कार्यालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र सख्या–एस0पी0एम0यू0/कम्यु0प्रो0/इन्डेक्शनट्रेनिंग 2012–13/ 35/8341, दिनांक 06.11.2018 के अनुसार व्यय किया जायेगा।
11	आशा क्लस्टर बैठक	**159.12**	1951.44	**आशा क्लस्टर बैठक-** आशा क्लस्टर बैठक आशा के क्षमतावर्द्धन प्लेटफार्म के रूप में विकसित किये जाने हेतु रु0 200/– प्रति आशा संगिनी प्रति माह की दर से एवं रु0 100/– प्रति आशा प्रति माह की दर से एवं रु0 2500/– प्रति ब्लॉक प्रति वर्ष की दर से अनुमन्य धनराशि का 85 प्रतिशत का आवंटन 12 माह

क्र.	गतिविधि का नाम	एफ.एम. आर. कोड	डैप के माध्यम से आवंटित धनराशि (रुपये लाख में)	गतिविधि के संचालन हेतु निर्देश
				हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। उक्त गतिविधि का संचालन पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रसं–एस.पी.एम.यू. / कम्यु.प्रो. / पी.आई.पी. / 2021–22 / 93 / 2478–75, दिनांक 10.08.2021 के अनुसार किया जायेगा।
12	**सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों पर आशा मॉड्यूल 6–7 के अन्तर्गत प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण**	**159.13**	47.77	**सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों पर आशा मॉड्यूल 6–7 के अन्तर्गत प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण** हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु 01 बैच समस्त सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र पर आयोजित किये जाने हेतु प्रति बैच रु0 4.34 लाख की दर से आवंटन सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सम्बन्धित सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र को आवंटित किया जाना है। अतः इस हेतु धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। उक्त गतिविधि का संचालन पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू. / कम्यु.प्रो. / एच.डब्ल्यू.सी. / प्रशि0 / 2022–24 / 116 / 8379, दिनांक 30.01.2024 के अनुसार किया जायेगा।
13	**आशा मॉड्यूल 6–7 प्रशिक्षण**	**159.14**	209.25	**आशा मॉड्यूल 6–7 प्रशिक्षण** हेतु रु0 83700 / – प्रति बैच की दर से धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। उक्त गतिविधि का संचालन पूर्व में निदेशक, रा0स्वा0 एवं परि0क0सं, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या–संस्थान / आशा / 902 / 05 / वाल्यूम– 05 / 664–78, दि0 19.02.2016 तथा बैच कॉस्ट हेतु कार्यालय रा.स्वा.मि. के पत्र सख्या–एस0पी0एम0यू0 / कम्यु0प्रो0 / इन्डेक्शन ट्रेनिंग / 20 12 –13 / 35 / 8341, दिनांक 06.11.2018 के अनुसार व्यय किया जायेगा।
14	**आशा संगिनी रिफ्रेशर प्रशिक्षण (जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण)**	**159.16**	14.78	**सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों पर आशा संगिनी रिफ्रेशर प्रशिक्षण के अन्तर्गत** जिला स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु 01 बैच समस्त सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र पर आयोजित किये जाने हेतु प्रति बैच रु0 1.35 लाख की दर से आवंटन सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से आवंटित की गयी है। इस हेतु धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया जा रहा है। गतिविधि हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।
15	**आशा संगिनी रिफ्रेशर प्रशिक्षण (आशा संगिनियों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण)**	**159.16**	94.65	**आशा संगिनियों का 03 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण** चिन्हित 36 जनपदों में आयोजित किया जाना है। जिस हेतु प्रति बैच रु0 63100 / – की दर से धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया जा रहा है। गतिविधि हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

क्र.	गतिविधि का नाम	एफ.एम. आर. कोड	डैप के माध्यम से आवंटित धनराशि (रुपये लाख में)	गतिविधि के संचालन हेतु निर्देश
16	आर0सी0, डी0सी0पी0एम0 एवं बी0सी0पी0एम0 रिफ्रेशर प्रशिक्षण (बी0सी0पी0एम0 रिफ्रेशर प्रशिक्षण)	**159.18**	37.14	**बी0सी0पी0एम0 का 03 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण** प्रथम चरण में चिन्हित 09 मण्डलीय जनपदों के अन्तर्गत आने वाले बी0सी0पी0एम0 हेतु आयोजित किया जाना है। जिस हेतु प्रति बैच रु0 2.06 लाख की दर से धनराशि का आवंटन जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। इस हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।
17	नवीन आशा ड्रग किट	**159.20**	43.62	**नवीन आशा ड्रग किट** हेतु रु0 750/– प्रति आशा ड्रग किट की दर से धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।
18	आशा एवं आशा संगिनी डायरी का मुद्रण	**159.23**	309.17	**आशा एवं आशा संगिनी डायरी का मुद्रण** हेतु रु0 175/– की दर से प्रति आशा एवं आशा संगिनी हेतु धनराशि का आवंटन समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।
19	आशा एवं आशा संगिनी प्रपत्र का मुद्रण	**159.24**	93.57	**आशा एवं आशा संगिनी प्रपत्र-**आशा एवं आशा संगिनी वाउचर मुद्रण हेतु प्रति आशा, प्रति आशा संगिनी रु0 25/– के स्थान पर रु0 50/– प्रति आशा एवं संगिनी की दर से, आशा संगिनी प्रपत्र मुद्रण हेतु रु0 50 प्रति आशा संगिनी की दर से एवं रु0 150/– ब्लॉक आशा मास्टर पेमेंट रजिस्टर मुद्रण हेतु प्रति ब्लॉक की दर से धनराशि का आवंटन समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।
20	आशा प्रारम्भिक प्रशिक्षण माड्यूल का मुद्रण	**159.25**	5.81	**आशा प्रारम्भिक प्रशिक्षण माड्यूल मुद्रण** हेतु रु0 100/– प्रति आशा माड्यूल की दर से आवश्यक धनराशि का आवंटन संलग्न जनपदवार तालिका के अनुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। उक्त गतिविधि का संचालन पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या–चार्ट./नयी आशा प्रशि0/178/13/35–07, दि0 03.01.2017 के अनुसार किया जायेगा।
21	आशा 6–7 प्रशिक्षण माड्यूल का मुद्रण	**159.26**	12.53	**आशा माड्यूल 6–7** हेतु रु0 200/– प्रति आशा माड्यूल सेट की दर से 6265 आशा माड्यूल मुद्रण (02 माड्यूल) हेतु धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।
22	आशा 6–7 प्रशिक्षण माड्यूल का मुद्रण (RHFWTC)	**159.27**	2.06	**आशा 6–7 प्रशिक्षक माड्यूल** हेतु समस्त सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र पर आयोजित किये जाने हेतु रु0 750/– प्रशिक्षक माड्यूलों हेतु प्रति प्रशिक्षक की दर से धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सम्बन्धित सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र को किया जाना है।
23	आशा संगिनियों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण मॉड्यूल का मुद्रण (जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण)	**159.28**	0.67	**सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों पर आशा संगिनी रिफ्रेशर प्रशिक्षण के अन्तर्गत** जिला स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण माड्यूल मुद्रण हेतु प्रति मॉड्यूल रू0 175/– की दर से मॉड्यूल प्रिण्टिंग हेतु प्रति बैच रू0–6125/– की दर से धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से समस्त सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र को किया जाना है। गतिविधि हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

क्र.	गतिविधि का नाम	एफ.एम. आर. कोड	डैप के माध्यम से आवंटित धनराशि (रुपये लाख में)	गतिविधि के संचालन हेतु निर्देश
24	आशा संगिनियों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण मॉड्यूल का मुद्रण (आशा संगिनियों के प्रशिक्षण)	**159.28**	7.88	**आशा संगिनियों के प्रशिक्षण** हेतु प्रति मॉड्यूल रू0 175/– की दर से मॉड्यूल प्रिण्टिंग हेतु चिन्हित 36 जनपदों में 150 बैचों के लिए से धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। गतिविधि हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।
25	बी0सी0पी0एम0 मोबिलिटी एवं कम्युनिकेशन कॉस्ट	**159.29**	501.84	**बी0सी0पी0एम0 मोबिलिटी एवं कम्युनिकेशन कॉस्ट-** बी0सी0पी0एम0 मोबिलिटी के लिए रु0 4800/– प्रति माह की दर से एवं कम्युनिकेशन कॉस्ट हेतु रू0 300/– प्रति माह की दर से, 12 माह हेतु धनराशि का आवंटन जनपदवार तालिका के अनुसार समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। **उक्त गतिविधि का संचालन पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./बी0सी0पी0एम0/ 2021–22 64/5059, दिनांक 14.10.2022 के अनुसार किया जायेगा।**
26	ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर की त्रैमासिक मण्डल स्तरीय बैठक	**159.30**	16.40	**ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर की त्रैमासिक मण्डल स्तरीय बैठक** हेतु प्रति बी0सी0पी0एम0 रु0 500/– प्रति त्रैमास की दर से 04 त्रैमासिक बैठकों हेतु धनराशि का आवंटन समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।
27	रीजनल को–आर्डिनेटर (आशा) के टी0ए0/ डी0ए0, ऑफिस एक्सपेन्डीचर एवं कम्यूनिकेशन कास्ट	**159.31**	64.68	**रीजनल को–आर्डिनेटर (आशा) के टी0ए0/डी0ए0, ऑफिस एक्सपेन्डीचर एवं कम्यूनिकेशन कास्ट** आदि के लिए 12 माह हेतु धनराशि का आवंटन निम्नानुसार किया गया है:– 1. आर0सी0 हेतु टी0ए0 रु0 2500/– की दर से माह में 10 भ्रमण हेतु, 2. आर0सी0 हेतु डी0ए0 रु0 1100/– की दर से माह में 10 दिवस हेतु, 3. आर0सी0 हेतु ठहरने (होटल) रु0 2200/– की दर से माह में 5 दिवस हेतु, 4. आर0सी0 हेतु कार्यालय व्यय रु0 1500/– प्रति माह की दर से एवं 5. आर0सी0 हेतु कम्युनिकेशन कॉस्ट रु0 500/– प्रति माह की दर से सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। **उक्त गतिविधि का संचालन पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या– एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./आर.ए.सी. /2017–18/60/ 4941, दिनांक 10.10.2022 के अनुसार किया जायेगा।**
28	जनपद स्तरीय आशा मेण्टारिंग ग्रुप की बैठक	**159.32**	7.50	**आशा मेण्टारिंग ग्रुप की बैठक-** जनपद स्तरीय आशा मेण्टारिंग ग्रुप की बैठक हेतु रु0 10000/– प्रति जनपद की दर से समस्त जनपद स्तरीय आशा मेण्टारिंग ग्रुप की बैठक हेतु धनराशि का आवंटन समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।

क्र.	गतिविधि का नाम	एफ.एम. आर. कोड	डैप के माध्यम से आवंटित धनराशि (रुपये लाख में)	गतिविधि के संचालन हेतु निर्देश
29	किराये के भवनों में संचालित उपकेन्द्रों का किराया	**168.1**	2454.12	**किराये के भवनों में संचालित उपकेन्द्रों किराये** हेतु रु0 3000/— प्रति माह प्रति केन्द्र की दर से 12 माह हेतु धनराशि का आवंटन समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। **उक्त गतिविधि का संचालन पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या— एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./पी0आई0पी0/2021—22/93/2479—75, दिनांक 10.08.2021 के अनुसार व्यय किया जायेगा।**
30	प्रशिक्षकों हेतु एच0बी0एन0सी0 किट	**23.10**	2.75	**मॉड्यूल 6—7 के अन्तर्गत प्रशिक्षित किये जाने वाले प्रशिक्षकों हेतु** एच0बी0एन0सी0 किट रु0 1000/— प्रति किट की दर से धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सम्बन्धित सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र को किया जाना है। **उक्त गतिविधि का संचालन पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या— एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./आशा योजना/2017—18/58/टी0सी0/4560, दिनांक 26.08.2019 में निदृष्ट मानकानुसार जैम पोर्टल के माध्यम से व्यय किया जाना है।**
31	आशा एच0बी0एन0सी0 किट पुनर्भरण	**23.11**	240.86	**आशा एच0बी0एन0सी0 किट पुनर्भरण**— आशा एच0बी0एन0सी0 किट पुनर्भरण हेतु रु0 150/— प्रति आशा (मॉड्यूल 6—7 में प्रथम चरण प्रशिक्षित आशाओं की संख्या के आधार पर) की दर से आवश्यक धनराशि का आवंटन समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।

*यह भी अवगत कराना है कि **आशा संगिनी द्वारा ई—कवच एप्लीकेशन पर रिपोर्टिंग** के अन्तर्गत समस्त आशा संगिनियों द्वारा ई—कवच एप्लीकेशन पर अपने क्षेत्र की समस्त आशाओं का पंजीकरण/मैपिंग ई—कवच पर किया जायेगा। आशा के क्षेत्र भ्रमण के दौरान निर्धारित 10 सूचकांको पर आशावार सूचना एप्लीकेशन पर नियमिति रूप से भरी जानी है। 10 सूचकांकों के साथ ही आशा कलस्टर मीटिंग, ड्रग किट रीफिलिग, आशा भुगतान रिपोर्ट, मातृ—मृत्यु एवं बाल—मृत्यु रिपोर्ट, एच0आर0पी0 आदि सूचनायें भी ई—कवच एप्लीकेशन पर भरी जानी है। इन भरी गयी सूचनाओं के आधार पर आशा की सक्रियता का मूल्याकन कर उसका सहयोगत्मक पर्यवेक्षण किया जायेगा।

जनपदवार धनराशि आवंटन हेतु संख्याः—

Sr. No.	District	No. of Target ASHA	No. of Target ASHA Sangini	No. of Urbans ASHA	No. of Block's	No. of AWW	No. of ASHAs trained in Module 6-7 (R1)	Total Rented Sub Centre
	Total	**168653**	**8013**	**12489**	**820**	**187997**	**160575**	**6817**
1	Agra	2708	120	625	15	2982	2620	81
2	Aligarh	2871	143	440	12	3039	2813	43
3	Ambedkar Nagar	2397	120	98	9	2548	2288	120
4	Amethi	1900	113	4	13	1943	1830	86
5	Auraiya	1320	64	42	7	1789	1294	15
6	AYODHYA	2307	114	110	11	2378	2281	94
7	Azamgarh	4072	199	70	22	5588	3980	205
8	Baghpat	993	52	88	6	1338	924	20
9	Bahraich	3553	160	97	14	3094	3314	296
10	Ballia	3076	146	44	17	3455	2983	229
11	Balrampur	2535	99	60	9	1882	2063	81
12	Banda	1686	77	63	8	1705	1543	8
13	Barabanki	3426	163	34	15	3052	3413	122
14	Bareilly	3060	144	374	15	2857	3007	97
15	Basti	2346	117	54	14	2655	2214	143
16	Bijnor	3070	154	176	11	3209	2928	123
17	Budaun	2818	129	171	15	2937	2675	99
18	Bulandshahar	2645	115	245	16	3958	2145	149
19	CHANDAULI	1983	98	49	9	1823	1880	36
20	Chitrakoot	936	43	25	5	959	802	30

Sr. No.	District	No. of Target ASHA	No. of Target ASHA Sangini	No. of Urbans ASHA	No. of Block's	No. of AWW	No. of ASHAs trained in Module 6-7 (R1)	Total Rented Sub Centre
	Total	**168653**	**8013**	**12489**	**820**	**187997**	**160575**	**6817**
21	Deoria	2930	147	47	16	3243	2725	117
22	Etah	1700	75	47	8	1864	1642	61
23	Etawah	1372	69	161	8	1564	1212	30
24	Farrukhabad	1540	75	148	7	1752	1491	42
25	Fatehpur	2422	116	48	13	2907	2347	74
26	Firozabad	1664	84	252	9	2540	1605	59
27	Gautam Buddh Nagar	708	39	110	4	1108	603	23
28	Ghaziabad	700	34	285	4	1373	667	21
29	Ghazipur	3623	182	30	16	4118	3518	232
30	Gonda	3532	160	101	16	3095	3401	207
31	Gorakhpur	3970	181	338	19	4032	3793	317
32	Hamirpur	1009	47	56	7	1500	968	12
33	Hapur	876	40	212	4	887	837	40
34	Hardoi	3876	178	54	19	3930	3727	149
35	Hathras	1312	60	73	7	1712	1246	18
36	Jalaun	1251	62	51	9	1814	1222	13
37	Jaunpur	4161	208	82	21	5321	3968	315
38	Jhansi	1345	65	166	8	1379	1320	8
39	Jyotiba Phule Nagar	1626	71	161	6	1430	1565	25
40	Kannauj	1506	75	79	8	1615	1463	41
41	Kanpur Dehat	1780	85	8	10	1788	1721	55
42	Kanpur Nagar	1754	85	941	10	2134	1666	26
43	Kasganj	1325	58	43	7	2445	1249	54
44	Kaushambi	1676	75	11	8	1775	1562	78
45	KUSHINAGAR	3750	170	25	14	4134	3678	238
46	Lakhimpur Kheri	3892	178	119	15	3503	3599	197
47	Lalitpur	1055	50	13	6	1124	1018	9
48	Lucknow	1530	78	1185	8	2716	1485	72
49	Maharajganj	2666	134	21	12	3133	2630	179
50	Mahoba	697	35	39	4	881	662	4
51	Mainpuri	1915	93	52	9	1788	1915	40
52	Mathura	1552	77	171	10	2363	1510	120
53	Mau	2025	94	64	9	2587	2004	41
54	Meerut	1762	85	588	12	2076	1704	30
55	Mirzapur	2148	108	100	12	2680	2034	90
56	Moradabad	2161	111	330	8	2742	2044	76
57	Muzaffarnagar	2210	99	249	9	2274	2150	43
58	Pilibhit	1521	77	54	7	1960	1415	92
59	Pratapgarh	3408	153	50	17	3247	3408	148
60	Prayagraj	4885	227	677	20	4499	4399	168
61	Raebareli	2813	134	80	18	2833	2672	68
62	Rampur	1720	86	107	6	2700	1699	35
63	Saharanpur	2713	135	491	11	3410	2638	78
64	Sambhal	2030	89	157	8	1800	1730	83
65	SANT RAVIDAS NAGAR	1430	68	52	6	1483	1355	89
66	SANTKABIR NAGAR	1957	87	42	9	1783	1941	15
67	Shahjahanpur	2927	130	151	15	2913	2801	88
68	Shamli	1003	46	37	5	980	949	10
69	Shrawasti	1263	61	16	5	925	1252	17
70	Siddharth Nagar	3026	126	18	14	3112	2692	135
71	Sitapur	3979	199	282	19	4232	3791	214
72	Sonbhadra	1774	78	56	8	1825	1611	103
73	Sultanpur	2664	127	57	13	2511	2598	131
74	Unnao	2684	132	133	16	3352	2564	86
75	Varanasi	2133	105	700	8	3914	2112	24
	Total	**168653**	**8013**	**12489**	**820**	**187997**	**160575**	**6817**

9.3.1 आशा रिफ्रेशर प्रशिक्षण एवं आशा सर्टिफिकेशन हेतु दिशा–निर्देश

आशाओं की क्षमतावर्द्धन एवं कौशल में निपुणता हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रदेश के चिन्हित 11 (आगरा, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झॉसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज एवं वाराणसी) जनपदों में आशा रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। आशा रिफ्रेशर प्रशिक्षण हेतु

त्रिस्तरीय प्रशिक्षण (राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण एवं आशा रिफ्रेशर प्रशिक्षण) प्रदान किया जायेगा। चिन्हित जनपदों के लिये प्रशिक्षण हेतु लक्षित आशाओं की संख्या, एवं आवश्यक धनराशि के आवंटन का विवरण **संलग्नक–2** में उल्लेखित है। अवगत कराना है कि चिन्हित आशा एवं आशा संगिनियों का RMNCH+A विषय पर National Institue of Open Schooling (NIOS) के माध्यम से सर्टिफिकेशन कराये जाने हेतु आशा रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। जनपद हेतु आवंटित कुल लक्षित आशा में 90 प्रतिशत आशाओं एवं 10 प्रतिशत आशा संगिनियों को आशा रिफ्रेशर प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाये।

<u>राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (एस.टी.ओ.टी.) –</u>

राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (एस.टी.ओ.टी.) में प्रत्येक सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र से मॉड्यूल 6–7 में प्रशिक्षित (14 दिवसीय + 7 दिवसीय + 5 दिवसीय अथवा 15 दिवसीय) एक चिकित्सा अधिकारी, एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं दो एन.जी.ओ. प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ में आयोजित किया जायेगा।

<u>जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (डी.टी.ओ.टी.) –</u>

जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (डी.टी.ओ.टी.) में चिन्हित जनपदों के प्रत्येक ब्लॉक से कुल 04 चार प्रतिभागियों (01 चिकित्सा अधिकारी, 01 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं 02 एन.जी.ओ. प्रशिक्षक) द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। जनपद स्तरीय टी.ओ.टी. में उन्हीं प्रशिक्षकों को नामित किया जाये जिनके द्वारा मॉड्यूल 6–7 (14 दिवसीय + 7 दिवसीय + 5 दिवसीय अथवा 15 दिवसीय) में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो। तीन दिवसीय जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण सम्बन्धित सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित किया जायेगा। जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण हेतु एक बैच की धनराशि का विवरण निम्न तालिका में उल्लेखित हैः–

3 Days District TOT for ASHA Refresher Training at RHFWTCs					
F.Y. - 2024-25 (FMR-159.17)					
S.N.	**Particulars**	**Rate**	**Days**	**No. of units**	**Amount (Rs.)**
1	Perdiem to participants (MO)	500	3	8	12,000.00
2	Perdiem to participants (HEO/HS, NGO Trainer)	300	3	17	15,300.00
3	Honorarium to Trainers	1000	3	3	9,000.00
4	Fooding (Lunch, tea & Snacks) for Participants with trainers	250	3	28	21,000.00
5	Contingency (Register, Pen, Bag, Stationary and & Banner, Group Photography, Certificate for participants etc.)	300	1	25	7,500.00
6	POL for Generator etc.				2,000.00
7	**Total (A)**				**66,800.00**
8	Institutional over head (IOH)@ 10%				**6,680.00**
9	TA to Participants & trainers as per Actual				**25,000.00**
10	**Total Amount for one Batch**				**98,480.00**

<u>आशा रिफ्रेशर प्रशिक्षण –</u>

जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (डी.टी.ओ.टी.) प्राप्त प्रशिक्षकों द्वारा ही चिन्हित आशाओं एवं आशा संगिनियों को आशा रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। केवल उन्हीं आशा एवं आशा संगिनी को आशा रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिनके द्वारा एच.बी.एन.सी. एवं एच.बी.वाई.सी. प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो। आशा रिफ्रेशर प्रशिक्षण में प्रतिभागियों (आशा एवं आशा संगिनी) के चयन के मानक, कार्यालय के पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू. / कम्यू.प्रो. / आशा योजना / 2022–23 / 58 / 1455 दिनांक 22.05.2023 के शीर्षक **पुरस्कार हेतु आशा चयन** एवं **पुरस्कार हेतु आशा संगिनी चयन** के अनुरूप हैं, जिनका विस्तृत विवरण निम्नवत हैः–

<u>आशा रिफ्रेशर प्रशिक्षण एवं आशा सर्टिफिकेशन हेतु आशा चयन के मानक–</u>

वित्तीय वर्ष 2023–24 में आशाओं द्वारा अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में किये गये कार्यों के आधार पर विकास खण्ड की श्रेष्ठ आशाओं का चयन किया जायेगा। जनपद हेतु लक्षित आशाओं की संख्या ब्लॉकवार आवंटन जनपद स्तर से किया जायेगा। श्रेष्ठ आशाओं के चयन के मानकों का विवरण निम्नवत है–

आशा हेतु श्रेष्ठ कार्य के मानक–

क्र0 सं0	गतिविधियाँ	आशाओं के निर्धारित क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर अंक प्रतिशत
1	आशा द्वारा अपने क्षेत्र में कराये गये उन संस्थागत प्रसवों की संख्या जिसमें उसे प्रति केस रू0 600/– प्राप्त हुआ हो।	
2	आशा के कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या	
3	आशा के कार्यक्षेत्र में आशा द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी गर्भ निरोधक साधन हेतु प्रेरित करने पर	
4	आशा द्वारा एच.बी.एन.सी.कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में एच.बी.एन.सी. हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या जिसमें उसे प्रति केस रू0 250/– प्राप्त हुआ हो।	
	उपर्युक्त मानकों के प्रतिशत का कुल योग	
	औसत प्रतिशत	

1. **आशा द्वारा क्षेत्र से संस्थागत प्रसव कराना**

क– आशा द्वारा कराये गये संस्थागत प्रसव

ख– आशा के क्षेत्र में सम्भावित प्रसव की संख्या (जनपद के जन्म दर के आधार पर)=

जन्म दर×जनसंख्या/**1000**

संस्थागत प्रसव प्रतिशत = क×100/**ख**

2. **आशा के कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चे**

क– कार्य क्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या

ख– कुल 0–1 वर्ष तक के बच्चों की सम्भावित संख्या

पूर्ण टीकाकरण प्रतिशत = क×100/**ख**

3. **स्थायी गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग हेतु प्रेरणा–**

आशा द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में स्थायी गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित लाभार्थियों की संख्या × 100/10

4. **आशा द्वारा एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम** के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में एच.बी.एन.सी. हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या ×100 /25

उदाहरण–आशा राधा देवी, जनपद–पीलीभीत, ब्लॉक–बीसलपुर के ग्राम पिपरिया में कार्यरत है, जिसकी आबादी 1400 है। पीलीभीत की जन्मदर 30 प्रति हजार है। राधा देवी द्वारा वर्ष 2023–24 में 25 संस्थागत प्रसवों हेतु प्रोत्साहन राशि 600 रू0 प्रति प्रसव प्राप्त हुई है। वर्ष 2023–24 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या 27 है। राधा देवी द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 पुरूष व 3 महिलाओं को स्थायी गर्भनिरोधक साधनों हेतु प्रेरित कर सुविधा प्रदान करायी गयी । इसके अतिरिक्त राधा देवी द्वारा एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में एच.बी.एन.सी. हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या 15 है, जिस हेतु राधा देवी को रू0 250 प्रति केस में प्रदान किया गया है।

राधा देवी के औसत प्रतिशत की गणना निम्न अनुसार की जायेगी–

1. कुल सम्भावित प्रसव– 30×1400/1000=42
   संस्थागत प्रसव–25
   प्रतिशत=(25×100)/42=59.52%
2. ग्राम पिपरिया में कुल 0–1 वर्ष तक के बच्चों की सम्भावित संख्या–30×1400/1000=42
   पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि=27
   पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि का प्रतिशत–27 ×100/42=64.29 %
3. परिवार नियोजन की उपलब्धि का प्रतिशत–4×100/10=40%
4. एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या 15 ×100 /25=60%

5 औसत प्रतिशत–(59.52+64.29+40+60)/4 = 55.95%

प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार औसत प्रतिशत के आधार पर ब्लॉक की श्रेष्ठ आशाओं का चयन कर विवरण सहित अपनी संस्तुति मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

आशा रिफ्रेशर प्रशिक्षण एवं आशा सर्टिफिकेशन हेतु आशा संगिनी चयन के मानक–

वित्तीय वर्ष 2023–24 में आशा संगिनी द्वारा अपने निर्धारित क्लस्टर (कार्यक्षेत्र) में किये गये कार्यों के आधार पर जनपद स्तर पर श्रेष्ठ आशा संगिनियों को आशा रिफ्रेशर हेतु चयनित किया जायेगा। जनपद हेतु लक्षित आशाओं की संख्या में आशा संगिनियों की संख्या सम्मिलित है। ब्लॉकवार आशा संगिनियों का आवंटन जनपद स्तर से किया जायेगा। श्रेष्ठ आशा संगिनी के चयन के मानकों का विवरण निम्नवत है–

आशा संगिनी हेतु श्रेष्ठ कार्य के मानक–

क्र0 सं0	गतिविधियाँ	आशाओं के निर्धारित क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर अंक प्रतिशणत
1	आशा संगिनी के क्लस्टर में समस्त आशाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में अपने क्षेत्र में कराये गये उन संस्थागत प्रसवों की संख्या जिसमें आशाओं को प्रति केस रू0 600/– प्राप्त हुआ हो।	
2	आशा संगिनी के क्लस्टर में समस्त आशाओं के कार्यक्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या (0–1 वर्ष तक)	
3	आशा संगिनी के क्लस्टर में समस्त आशाओं के कार्यक्षेत्र में आशा द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी गर्भ निरोधक साधन अपनाने वाले लाभार्थियों की संख्या	
4	आशा द्वारा एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में एच. बी.एन.सी. हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या जिसमें उसे प्रति केस रू0 250/– प्राप्त हुआ हो।	
5	आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं का मासिक औसत आशा भुगतान (नियमित गतिविधियाँ, जे0एस0वाई0, आर0आई0 एवं परिवार नियोजन)	
	उपर्युक्त चार मानकों के प्रतिशत का कुल योग	
	औसत प्रतिशत	

1. **आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं द्वारा संस्थागत प्रसव कराना**
   क– आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं द्वारा कराये गये कुल संस्थागत प्रसव
   ख– आशा संगिनी के क्षेत्र में सम्भावित प्रसव की संख्या (जनपद के जन्म दर के आधार पर)= जन्म दर×जनसंख्या/**1000**
   संस्थागत प्रसव प्रतिशत = क×100/**ख**

2. **आशा के कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चे**
   क– आशा संगिनी के क्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या
   ख– आशा संगिनी के क्षेत्र में कुल 0–1 वर्ष तक के बच्चों की सम्भावित संख्या
   पूर्ण टीकाकरण प्रतिशत = क×100/**ख**
3. **स्थायी गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग हेतु प्रेरणा–**
   आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित लाभार्थियों की संख्या × 100/200
4- आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं द्वारा एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में एच.बी. एन.सी. हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या ×100 /500
5. **आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं का मासिक औसत भुगतान प्रतिशत–**
   आशा संगिनी के क्षेत्र में कार्यरत समस्त आशाओं द्वारा प्राप्त कुल चार मद (नियमित गतिविधियाँ, जे0एस0वाई0, आर0आई0 एवं परिवार नियोजन) में मासिक प्रतिपूर्ति राशि×100/2500

उदाहरण– श्रीमती लक्ष्मी देवी (आशा संगिनी), ब्लॉक–महरोनी जनपद–झांसी में कार्यरत है, जिनके क्लस्टर की जनसंख्या 22000 है। झांसी की जन्मदर 25 प्रति हजार है। श्रीमती लक्ष्मी देवी (आशा संगिनी) के क्लस्टर में कार्यरत समस्त 20 आशाओं द्वारा वर्ष 2023–24 में 180 संस्थागत प्रसव हेतु

प्रोत्साहन राशि 600 रू0 प्राप्त हुई है। वर्ष 2023–24 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या 500 है व परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 पुरूष व 60 महिलाओं को स्थायी गर्भनिरोधक साधनों हेतु प्रेरित कर सुविधा प्रदान करायी गयी। लक्ष्मी देवी के क्षेत्र में आशाओं द्वारा एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में एच.बी.एन.सी. हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या 400 है। श्रीमती लक्ष्मी देवी (आशा संगिनी) के क्षेत्र में समस्त आशाओं का औसत आशा भुगतान रू 1800 / — है।

श्रीमती लक्ष्मी देवी (आशा संगिनी) के औसत प्रतिशत की गणना निम्न मानक के अनुसार की जायेगी—

1. कुल सम्भावित प्रसव—25×22000 / 1000=550
   संस्थागत प्रसव—180
   प्रतिशत=(180×100) / 550=32.72%
2. कुल 0—1 वर्ष तक के बच्चों की सम्भावित संख्या—25×22000 / 1000=550
   पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि=500
   पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि का प्रतिशत—500 ×100 / 550=90.90 %
3. परिवार नियोजन की उपलब्धि का प्रतिशत—70×100 / 200=35%
4. एच.बी.एन.सी.कार्यक्रम के हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या 400 ×100 /500=80%
5. औसत आशा भुगतान प्रतिशत—1800×100 / 2500 = 72%
6. औसत प्रतिशत—(32.72+90.90+35+80+72) / 5 = 62.12%

प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार औसत प्रतिशत के आधार पर ब्लॉक की श्रेष्ठ आशा संगिनियों का चयन कर विवरण सहित अपनी संस्तुति मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

- आशा रिफ्रेशर प्रशिक्षण में आशाओं के चयन हेतु प्रारूप संलग्न है **(संलग्नक—3)**।
- तीन दिवसीय आशा रिफ्रेशर प्रशिक्षण हेतु एक बैच की धनराशि का विवरण निम्न तालिका में उल्लेखित है:—

3 Days ASHA Refresher Training					
F.Y. - 2024-25 (FMR-159.17)					
S.N.	**Particulars**	**Rate**	**Days**	**No. of units**	**Amount (Rs.)**
1	Perdiem to participants (ASHA)	150	3	30	13,500.00
2	Honorarium to Trainers	500	3	4	6,000.00
3	Food for ASHA (Tea, Lunch etc.)	100	3	30	9,000.00
4	Lodging and Dinner for ASHA	100	3	30	9,000.00
5	Lodging and Dinner for NGO Trainer	100	3	2	600.00
6	Food for trainers (Breakfast, Tea, Lunch etc.)	100	3	4	1,200.00
7	Contingency (Register, Pen, Stationary etc.)	100	1	30	3,000.00
8	POL for Generator, Field Visit etc.				2,000.00
9	TA to ASHA upto @ Rs. 300/- (Actual) & TA to NGO Trainers (As per Actual)				10,200.00
10	**Total Amount for one Batch**				**54,500.00**

आशा सर्टिफिकेशन —

आशाओं की क्षमतावर्द्धन एवं कौशल में निपुणता हेतु वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रदेश के चिन्हित 11 (आगरा, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज एवं वाराणसी) जनपदों में आशा रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। चिन्हित जनपदों के लिये

धनराशि आवंटित की जा चुकी है। **आशा रिफ्रेशर प्रशिक्षण के उपरान्त इन्हीं आशाओं का RMNCH+A विषय पर एनआईओएस के माध्यम से आशा सर्टिफिकेशन कराया जाना है।** उक्त सर्टिफिकेशन हेतु एन.आई.ओ.एस. के पोर्टल पर आशा एव आशा संगिनी द्वारा स्वयं को पंजीकृत किया जायेगा। पंजीकरण की प्रक्रिया में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा आशा एव आशा संगिनी को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। पंजीकरण शुल्क रू0 762 / — प्रति आशा की दर से जनपद स्तर से एन. आई.ओ.एस. को भुगतान किया जायेगा। जिस हेतु आवश्यक धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

आशा सर्टिफिकेशन कार्यक्रम की अवधि –

एक वर्ष में आशा सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकरण व परीक्षाओं के अवसरों को चार तिमाही में विभाजित किया गया है, जो कि निम्नवत हैः–

- प्रथम तिमाही–माह फरवरी (पंजीकरण), माह मार्च (प्रायोगिक व सैद्धान्तिक परीक्षा) व माह अप्रैल (परिणाम घोषणा)
- द्वितीय तिमाही–माह मई (पंजीकरण), माह जून (प्रायोगिक व सैद्धान्तिक परीक्षा) व माह जुलाई (परिणाम घोषणा)
- तृतीय तिमाही–माह अगस्त (पंजीकरण), माह सितम्बर (प्रायोगिक व सैद्धान्तिक परीक्षा) व माह अक्टूबर (परिणाम घोषणा)
- चतुर्थ तिमाही–माह नवम्बर (पंजीकरण), माह दिसम्बर (प्रायोगिक व सैद्धान्तिक परीक्षा) व माह जनवरी (परिणाम घोषणा)
- एक बार पंजीकृत आशा एवं आशा संगिनी को आशा सर्टिफिकेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम चार अवसर प्रदान किये जायेंगें।

परीक्षा केन्द्र –

एन.आई.ओ.एस. के प्रतिनिधियों द्वारा जनपदीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर परीक्षा केन्द्र का आवंटन किया जायेगा।

प्रश्न–पत्र –

- सैद्धान्तिक परीक्षा का प्रश्न पत्र, परीक्षा केन्द्र के लिये एन.आई.ओ.एस. आशा पोर्टल पर डाउनलोड करने और प्रिंट आउट लेने के लिये अपलोड किया जायेगा। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में, प्रतिभागियों को प्रश्न–पत्र की हार्ड कॉपी नजदीकी प्रशिक्षण केन्द्र अथवा एन.आई.ओ.एस. के क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- आशा सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के मूल्यांकन निम्नानुसार किया जायेगा–

Sl. No.	Type of Assessment	Total Marks	Pass Percentage	Pass Marks
1	Internal Assessment	30	50%	15
2	Theory	30	50%	15
3	Practical	40	60%	24

- आशा सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने के लिये समेकित रूप से कम से कम 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ऑनलाइन पंजीकरण –

- आशा एवं आशा संगिनियों द्वारा एन.आई.ओ.एस. आशा पोर्टल (https://asha.nios.ac.in/) पर पंजीकरण/नामांकन स्वयं द्वारा ब्लॉक/जनपद की सहायता से किया जायेगा।
- प्रत्येक आशा एवं आशा संगिनियों द्वारा एन.आई.ओ.एस. आशा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आभा आईडी (आयुष्मान भारत) आवश्यक होगी।
- ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात् एक पंजीकरण आईडी की रसीद जारी होगी जिसे स्वयं आशा द्वारा ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड कर प्राप्त किया जायेगा।

ऑनलाइन पंजीकरण के उपरान्त सत्यापन –

- एन.आई.ओ.एस. आशा पोर्टल (https://asha.nios.ac.in/) पर जनपदीय डी.सी.पी.एम./डी.पी.एम. को पंजीकृत किया जायेगा जिससे वह आशा एवं आशा संगिनी का सत्यापन कर सकेंगें। एन.आई.ओ.एस. आशा पोर्टल पर पंजीकरण के पश्चात् पंजीकरण का सत्यापन जनपदीय डी.सी.पी.एम./डी.पी.एम. द्वारा किया जायेगा।

आन्तरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) –

- आशा रिफ्रेशर प्रशिक्षण के दौरान आशा एवं आशा संगिनियों का आन्तरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) प्रशिक्षकों द्वारा किया जायेगा।
- आशा रिफ्रेशर प्रशिक्षण के प्रशिक्षकों द्वारा प्रत्येक बैच की आन्तरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) की शीट जनपद स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
- आशा एवं आशा संगिनियों के प्राप्तांकों को जनपदीय डी.सी.पी.एम./डी.पी.एम. द्वारा एन.आई.ओ.एस. आशा पोर्टल (https://asha.nios.ac.in/) पर अद्युनान्त किया जायेगा।

पर्यवेक्षक – (ए.एन.एम./सी.एच.ओ./ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी)

- ऑनलाइन पंजीकृत आशाओं की सूची पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है।

- जनपदों द्वारा पंजीकृत आशाओं का आन्तरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) करवाया जायेगा एवं उसका परिणाम एन.आई.ओ.एस. पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। इस हेतु एन.आई.ओ.एस. द्वारा नामित प्रतिनिधि से समन्वय कर उक्त गतिविधि सम्पादित की जायेगी।
- ऑनलाइन पंजीकृत आशाओं के पुष्टिकरण व सत्यापन के लिये उक्त पर्यवेक्षक का उत्तरदायित्व होंगें।
- एनआईओएस समस्त प्रकार के External Evaluation से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये उत्तरदायी होंगें।

प्रमाण–पत्र एवं प्रोत्साहन धनराशि –

- एन.आई.ओ.एस. द्वारा परीक्षा का मूल्यांकन करने के उपरान्त उत्तीर्ण आशा एवं आशा संगिनियों को प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा। प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रत्येक सफल आशा एवं आशा संगिनी को रू0 5000/– की प्रोत्साहन धनराशि एकमुश्त पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रदान की जायेगी।
- आशा एवं आशा संगिनी हेतु अनुमन्य प्रोत्साहन धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समितियों को किया जा चुका है।

9.4 अनटाइड धनराशि

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जनपद स्तरीय रोगी कल्याण समिति, ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय रोगी कल्याण समिति, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों तथा उपकेन्द्र स्तरीय जन आरोग्य समिति हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए डैप के माध्यम से **धनराशि आवंटित की जा चुकी है।** अन्टाइड धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जायेगा–

9.4.1 **FMR Code 199.1** एवं **FMR Code 199.2** के अन्तर्गत क्रमशः 140 जनपद स्तरीय रोगी कल्याण समितियों एवं 1032 ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय रोगी कल्याण समितियों को आवंटित धनराशि का व्यय कार्यालय के पत्रांक एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो0/अन्टाइड फण्ड/2023–24/61/1454 दिनांक 22.05.2023 के अनुसार किया जाना है।

9.4.2 **FMR Code 199.3** के अन्तर्गत 2865 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय कार्यालय के पत्रांक एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./अन्टाइड फण्ड/ 2023–24/61/1454 दिनांक 22.05.2023 एवं पत्रांक एस.पी.एम.यू./सी.पी./जे.एस.एस./2021–22/113/4831–75 दिनांक 03.10.2022 के अनुसार किया जायेगा एवं व्यय की गयी धनराशि का अंकन जन आरोग्य समिति पंजिका में किया जाना है।

9.4.3 **FMR Code 199.4** के अन्तर्गत क्रमशः 25573 उपकेन्द्रों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय कार्यालय के पत्रांक एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./वी.एच.एस.एन.सी./2022–23/10/5349–75 दिनांक 28.10.2022 के अनुसार किया जाना है।

9.4.4 **FMR Code 199.6** के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित उपकेन्द्रों में से 23329 उपकेन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उच्चीकृत किया जा चुका है। उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गठित जन आरोग्य समितियों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय पत्रांक एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./वी.एच.एस.एन.सी./2022–23/ 10/5349–75 दिनांक 28.10.2022 एवं पत्रांक एस.पी.एम.यू./सी.पी./जे.एस.एस./2021–22/113/4831–75 दिनांक 03.10.2022 के अनुसार किया जायेगा एवं व्यय की गयी धनराशि का अंकन जन आरोग्य समिति पंजिका में किया जाना है।

9.4.5 **FMR Code 199.5** ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों हेतु धनराशि डैप के माध्यम से जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। इस सम्बन्ध में पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्रांक–एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो0/वी0एच0एस0एन0सी0/ 2022–23/10/ 5349–75 दिनांक 28.10.2022 के अनुसार व्यय किया जायेगा।

10. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

10. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु संचालित विभिन्न गतिविधियों के संचालनार्थ धनराशि का आवंटन जनपदों को किया गया है। आवंटित धनराशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

- **FAMS Code -127 – Development and Operations of Ayushman Aarogya Mandir in Urban** --

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2024–25 के अन्तर्गत FAMS Code 127 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 3442.17 लाख जनपदों डैप के माध्यम से आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है –

1. **FAMS Code 127.1 (ASHA Incentive for U-AAM)--**इस मद में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अन्तर्गत कार्यरत शहरी आशाओं हेतु रु0 1,000/– प्रति माह प्रति आशा की दर से कुल 12489 अरबन आशाओं हेतु 12 माह के लिये धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या–SPMU/NUHM/Guidelines/2021-22/47/6464 दिनांक 10.01.2022 के द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार किया जाना है।
2. **FAMS Code 127.2 (Incentive to ASHA for C-BAC form)--**इस मद में NCD screening के लिये 12489 शहरी आशाओं हेतु C-BAC form के लिये रू0 10/– प्रति C-BAC form for 740 Forms per Urban ASHA की दर से प्रोत्साहन राशि 12 माह हेतु आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या–SPMU/NUHM/Budget/2022-23/61/5072 दिनांक 14.10.2022 के द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार किया जाना है।
3. **FAMS Code 127.4 (IT Support)—**722 यू0पी0एच0सी0–आयुष्मान आरोग्य मंदिर (710 पूर्व से स्वीकृत तथा 12 नवीन) पर इन्टरनेट कनेक्टवीटी हेतु 01 वर्ष के लिये रु0 10,000/– प्रति यू0पी0एच0सी0–आयुष्मान आरोग्य मंदिर की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या–SPMU/NUHM/Budget/2022-23/61/5072 दिनांक 14.10.2022 के द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार किया जाना है।
4. **FAMS Code 127.5 (Mobile Recharge)--**इस मद में शहरी आशाओं हेतु रु0 200/– प्रति माह प्रति आशा की दर से कुल 12489 शहरी आशाओं हेतु 12 माह के लिये धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या–SPMU/NUHM/CP/2023-24 / 16/1832 दिनांक 29.05.2023 के अनुसार किया जाना है।
5. **FAMS Code 127.6 (Computer & Printer for 12 new UPHC-AAM)--**इस मद में रू0 60,000/– प्रति यू0पी0एच0सी0–आयुष्मान आरोग्य मंदिर की दर से 01 नग कंप्यूटर एवं प्रिंटर विथ यू0पी0एस0 हेतु कुल नवीन 12 यू0पी0एच0सी0 के लिये धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या–SPMU/NUHM/Budget/2022-23 / 61/5072 दिनांक 14.10.2022 के अनुसार किया जाना है। नवीन 12 यू0पी0एच0सी0 की जनपदवार संख्या निम्नवत् है –

S.no.	Name of District	Name of City	Existing/New City	New U-PHC
1	Prayagraj	Prayagraj	Existing	**3**
2	Sambhal	Sambhal	Existing	**4**
3	Pratapgarh	Pratapgarh	Existing	**2**
4	Banda	Banda	Existing	**1**
5	Sant Kabir Nagar	Bakhira	New	**1**
6	Basti	Basti	Existing	**1**
Total				**12**

6. **FAMS Code 127.7 (Branding & IEC for 12 new UPHC-AAM)--** इस मद में रू0 40,000/– प्रति यू0पी0एच0सी0–आयुष्मान आरोग्य मंदिर की दर से आई0ई0सी0 एवं ब्रांडिंग हेतु कुल उपरोक्त नवीन 12 यू0पी0एच0सी0 के लिये धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या–SPMU/NUHM/Budget/2022-23/61/4979-75 दिनांक 11.10.2022 के अनुसार किया जाना है।

7. **FAMS Code 127.8 (IEC & Wellness Activities)—**722 यू0पी0एच0सी0—आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर आई0ई0सी0 एवं वेलनेस गतिविधि के लिये 12 माह हेतु रु0 24,000/— प्रति यू0पी0एच0सी0—आयुष्मान आरोग्य मंदिर की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग हेतु दिशा—निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे है।

8. **FAMS Code 127.9 (Printing of C-BAC form)--**इस मद में रू0 05/— प्रति C-BAC form की दर से 740 C -BAC form प्रति शहरी आशा, इस प्रकार कुल 12489 शहरी आशाओं के लिये C-BAC form के प्रिंटिंग हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या—SPMU/NUHM/HWC/2019-20/76/3474 दिनांक 17.07.2019 के अनुसार किया जाना है।

➢ **FAMS Code 130 – ASHA (Including ASHA Certification and ASHA benefit package)**-

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2024—25 के अन्तर्गत FAMS Code 127 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 4254.70 लाख जनपदों डैप के माध्यम से आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है —

1. **FAMS Code 130.1(Routine and Recurrring Incentive to ASHA)--** इस मद में आशा प्रतिपूर्ति राशि हेतु रू0 2000/— प्रतिमाह प्रति आशा की दर से कुल 12489 अरबन आशाओं को 12 माह हेतु एवं 3780 नवीन शहरी आशाओं को 06 माह हेतु आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या—SPMU/NUHM/CP/2023-24/16/1832दिनांक 29.05.2023 के अनुसार किया जाना है। 3780 नवीन शहरी आशाओं की जनपदवार संख्या निम्नवत् है —

S. No.	District	New Slum U-ASHA	New Non Slum U-ASHA	Total
1	Agra	297	3	300
2	Aligarh	42	15	57
3	Amroha	13	17	30
4	Ayodhya	0	23	23
5	Bareilly	52	139	191
6	Banda	0	22	22
7	Bijnor	0	77	77
8	Etawah	2	54	56
9	Etah	11	24	35
10	Firozabad	17	156	173
11	Fatehpur	18	39	57
12	G.B. Nagar	0	341	341
13	Ghaziabad	0	781	781
14	Ghazipur	0	50	50
15	Hamirpur	0	32	32
16	Hardoi	44	24	68
17	Hathras	0	46	46
18	Jaunpur	0	27	27
19	Jhansi	0	72	72
20	Kasganj	1	28	29
21	Kaushambhi	2	21	23
22	Kushinagar	0	135	135
23	Mahoba	14	14	28
24	Mainpuri	33	0	33
25	Mathura	9	37	46
26	Mau	18	76	94
27	Meerut	0	240	240
28	Moradabad	0	203	203
29	Pratapgarh	2	24	26
30	Prayagraj	0	49	49
31	Raibareilly	0	25	25
32	Rampur	1	147	148
33	Sambhal	40	70	110
34	S.K.Nagar	1	25	26
35	sitapur	18	52	70
36	Sultanpur	7	11	18
37	Unnao	13	26	39
	Total	**655**	**3125**	**3780**

2. **FAMS Code 130.2 (Health Promotion Day incentive to ASHA)--** इस मद में रु0 200/– प्रति माह प्रति आशा की दर से 12489 आशाओं हेतु 12 माह के लिये धनराशि आवंटित की गयी है। उक्त धनरशि का व्यय महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या–प0क0–13 /सं0नि0न0 / श0आ0–दिशा–निर्देश/52/2020–21/931–75 दिनांक 26.06.20 के अनुसार किया जाना है।
3. **FAMS Code 130.3 (Induction Training for ASHAs)--** इस मद रु0 मे 1,37,600/– प्रति बैच की दर से एवं रु0 100/– प्रति माड्यूल प्रति आशा की दर से 3780 नवीन शहरी आशाओं एवं 94 drop-out शहरी आशाओं के 133 बैच के 08 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु 38 जनपदों को धनराशि आवंटित की गयी है। इस सम्बन्ध में महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या–प0क0/08–प्रशि0/अर0आशा0/2016–17/842 दिनांक 20.05.2016 के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।
4. **FAMS Code 130.4 (Module 6 & 7 Training for ASHAs)--** इस मद मे रु0 88,200/– प्रति बैच की दर से 53 बैच हेतु 08 जनपदों को धनराशि आवंटित की गयी है। इस सम्बन्ध में महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या–प0क0 13/सं0नि0न0/अर0आशा0 /52/2019–20/3277–50 दिनांक 30.10.2019, SPMU/NUHM/guideline/2020-21/47/2684 दिनांक 16.08.2021,SPMU/ NUHM /budget /2022-23/61/4981 दिनांक 11.10.2022 के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।
5. **FAMS Code 130.5 (Award for ASHA for every cluster of 150 ASHA)--** शहरी आशाओं द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों हेतु ASHA Award (I-@Rs 5000/-, II-@Rs 2000, III-@Rs 1000) के लिये धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या–SPMU/NUHM/CP/2023-24/16/1832 दिनांक 29.05.2023 के अनुसार किया जाना है।
6. **FAMS Code 130.6 (ASHA Drug Kit)--** इस मद में रु0 750/– प्रति आशा की दर से 3780 नवीन शहरी आशाओं के ड्रग किट के लिये धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या–SPMU/NUHM/CP/2023-24/16/1832 दिनांक 29.05.2023 के अनुसार किया जाना है।
7. **FAMS Code 130.7 (ASHA Uniform)--** इस मद में 16269 शहरी आशाओं के यूनिफार्म हेतु रु0 1000/– 2 सेट यूनिफार्म प्रति आशा हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या–SPMU/NUHM/CP/2023-24/16/1832 दिनांक 29.05.2023 के अनुसार किया जाना है।
8. **FAMS Code 130.8 (UHIR and Voucher)--** इस मद में प्रिंटिग हेतु रू0 325/– प्रति शहरी आशाओं की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसमें Urban Health Index Register (Rs. 300/- प्रति रजिस्टर) & Urban ASHA Voucher (Rs. 25/- प्रति वाउचर) हेतु 12489 शहरी आशाओं के लिये धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या–SPMU/NUHM/CP/2023-24/16/1832 दिनांक 29.05.2023 के अनुसार किया जाना है।
9. **FAMS Code 130.9 (ASHA certification)--** इस मद में 500 शहरी आशाओं के National Institute of Open Schooling (NIOS) के माध्यम से ASHA certificationहेतु प्रति आशा रू0 6062/–की दर से धनराशि 05 जनपदों को संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि का गतिविधिवार विवरण निम्नवत् है –

r. No.	District	Target of Urban ASHA for Certification	One time Certification Incentive to Certified ASHA @ Rs 5000/- per ASHA	Certification Fee to NIOS @ Rs 762/ASHA	Travel Cost to ASHA @ Rs 300/ASHA	Total Budget Allocated to Districts (Rs)
1	Meerut	100	500000	76200	30000	606200
2	Moradabad	100	500000	76200	30000	606200
3	Prayagraj	100	500000	76200	30000	606200
4	Varanasi	100	500000	76200	30000	606200
5	Bareilly	100	500000	76200	30000	606200
	Total	**500**	**2500000**	**381000**	**150000**	**3031000**

ASHA certification हेतु दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

➢ **FAMS Code 131 - MAS (Mahila Aarogya Samiti)-**

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2024–25 के अन्तर्गत FAMS Code 131 मे स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 24.98 लाख जनपदों को सलंग्न फॉट के अनुसार डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है –

1. **FAMS Code 131.1 - (Printing of MAS Register)--** इस मद में MAS Register हेतु रु0 200/– प्रति रजिस्टर प्रति महिला आरोग्य समिति की दर से 12489 महिला आरोग्य समिति हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/1386 दिनांक 19.05.2023 के अनुसार किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रचलित VHSNC रजिस्टर की भांति महिला आरोग्य समिति के रजिस्टर का मुद्रण निम्न स्पेशिफिकेशन के अनुसार किया जाना है–

क्र0स0	विवरण	साईज	जी0एस0एम0	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. x 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगो मे	4
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ – 2 स्टेप्ल्ड	28 से.मी. x 21से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग मे	196

महिला आरोग्य समिति के रजिस्टर का प्रोटोटाइप पृथक से प्रेषित किया जा रहा है।

➢ **FAMS Code 134 -Outreach activity (ANM Mobility, UHND, Special outreach camp)**-

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2024–25 के अन्तर्गत FAMS code 131 के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि रू0 848.32 लाख जनपदों डैप के माध्यम से आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है –

1. **FAMS Code 134.4 -(Mobility Support to ANMs)--** इस मद में Mobility Support for ANM हेतु रू0 500/– प्रतिमाह प्रति ए0एन0एम0 की दर से 3670 ए0एन0एम0 (3463 पूर्व से स्वीकृत संविदा ए0एन0एम0, 156 रेगुलर ए0एन0एम0 तथा 51 नवीन संविदा ए0एन0एम0) हेतु कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

   उपरोक्त धनराशि का उपयोग ए0एन0एम0 द्वारा शहरी मलिन बस्तियों में शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित करने एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु मोबिलिटी में व्यय किया जायेगा। ए0एन0एम0 द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर यह धनराशि ए0एन0एम0 के खाते में स्थानांतरित की जायेगी। इस धनराशि का व्यय पत्र SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/5887 दिनांक 18.10.2023 के अनुसार किया जाना है।

2. **FAMS Code 134.5 -(UHND)--** प्रत्येक ए0एन0एम0 द्वारा अपने आवंटित क्षेत्र में 04 यू0एच0एन0डी0 प्रति माह आयोजित किये जायेगें जिसके हेतु 3670 ए0एन0एम0 (3463 पूर्व से स्वीकृत संविदा ए0एन0एम0, 156 रेगुलर ए0एन0एम0 तथा 51 नवीन संविदा ए0एन0एम0) हेतु रू0 250/– प्रति यू0एच0एन0डी0की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

   यू0एच0एन0डी0 के आयोजन हेतु दिशा–निर्देश पत्र संख्या–SPMU/NUHM/Guideline/ 2020 - 21/47/2685-75 दिनांक16.08.2021 तथा पत्र संख्या–SPMU/NUHM/OR&UHND/2021-22/53/ 6467-75 दिनांक 10.01.2022के माध्यम से निर्गत किये गये हैं।

3. **FAMS Code 134.6- (Special Outreach Camps)--** वित्तीय वर्ष 2024–25 की आर0ओपी0 मे प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षेत्र में प्रत्येक त्रैमास 01 विशेष आउटरीच कैम्प (Special Outreach Camp) आयोजित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस हेतु रू0 6500/– प्रति त्रैमास प्रति Special Outreach Camp की दर से 722 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। प्रति त्रैमास आयोजित किये जाने वाले कैम्प हेतु अनुमोदित धनराशि निम्नानुसार व्यय की जायेगी–

क्र0सं0	गतिविधि	धनराशि प्रति कैम्प (रू0)
1	चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक का दैनिक भत्ता (एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 को रू 1500/– तथा विशेषज्ञ हेतु रू0 3000/–)	3,000/–
2	पैरा मेडिकल स्टाफ (कुल 03) हेतु प्रत्येक को रू0 500/–की दर से (आवश्यकतानुसार स्टाफ नर्स, एल0टी0, फार्मासिस्ट, नेत्र सहायक, डेन्टल हाइजिनिस्ट आदि को रखा जा सकता है)	1,500/–
3	परिवहन व्यवस्था	1,000/–
4	प्रचार–प्रसार (लाउडस्पीकर, बैनर, इत्यादि) एवं बैठने की व्यवस्था	1,000/–
	कुल योग	**6,500/–**

स्पेशल आउटरीच कैम्प की आवृत्ति (मासिक के स्थान पर त्रैमासिक) के अतिरिक्त पत्रांक SPMU/NUHM/Guideline/2020-21/47/ 2686-75 दिनांक 16.08.2021, SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/1386 दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से स्पेशल आउटरीच कैम्प हेतु प्रेषित अन्य दिशा निर्देश यथावत रहेंगे।

- **FAMS Code 137- Urban PHC (Computer, Printer, Rent, Equipment & Furniture) –**

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2024–25 के अन्तर्गत FAMS Code 137के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 1960.00 लाख जनपदों को डैप के माध्यम से आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः–

1. **FAMS Code 137.1 (Computer Printer with UPS)--** इस मद में 14 नवीनस्वीकृत Secretarial Staff for Account Keeping & MIS हेतु 01 Computer with printer and UPS @रु0 50,000/– प्रति Computer with printer and UPS की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। 14 नवीन Secretarial Staff for Account Keeping & MISकी जनपदवार संख्या निम्नवत् है–

S.no	Districts	New Sec. Staff for Acc. Keeping & MIS approved in RoP 2024-25
1	Prayagraj	**3**
2	Sambhal	**4**
3	Pratapgarh	**2**
4	Banda	**1**
5	Sant Kabir Nagar	**1**
6	Basti	**3**
	Total	**14**

उक्त Computer & printer हेतु स्पेशिफिकेशन निम्नवत् है–

S.n	Item	Specification
1	Desktop	Core i5 or above, 3.2 Ghz or above, 4 GB RAM or above, min 1 TB HDD/SSD, USB 104 keyboard, USB optical mouse, Integrated onboard Ethernet controller 10/100/1000 with PXE support and remote wakeup mbps network adaptor, Min. 19th monitor support dual display, Windows 10 professional, 3 yr onsite warranty, OEM standard.
2	Printer	Laser, Mono, A4 and other, 20 PPM or above, Scan/Print/Copy, warranty as per OEM/min 3 yrs.

2. **FAMS Code 137.2 (Equipment and Furniture for 12 new UPHCs)--** इस मद में रु0 3,00,000/– प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से 12 नवीन यू0पी0एच0सी0 हेतु Equipment and Furniture के लिये सम्बंधित जनपदों को आंवटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या–SPMU/NUHM/Budget/2022-23/61/4979-75 दिनांक 11.10.2022 के अनुसार किया जाना है।

3. **FAMS Code 137.3 (Rent of UPHCs)--** इस मद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के किराये हेतु रु0 25,000/– प्रति माह प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से 639 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (627 पूर्व से संचालित एवं 12 नवीन यू0पी0एच0सी0) के 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। किराये का निर्धारण डी0एम0 सर्किल रेट या रू0 25,000/–जो कम हो, देय होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि जनपद के किसी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का किराया एरिया क्षेत्रफल एवं डी0एम0 सर्किल रेट के

अनुसार रू0 25,000/– से अधिक हो तो, जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोपरान्त भवन को किराये पर लेते हुए जनपद को किराये के मद में कुल आवंटित धनराशि में से प्रतिमाह बचत धनराशि से नियमानुसार भुगतान किया जा सकता है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या–SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/1386 दिनांक 19.05.2023 के अनुसार किया जाना है।

- **FAMS Code HSS(U).3.137.EQ.1 (Computer Printer with UPS)--** इस मद में पूर्व से स्वीकृत Secretarial Staff for Account Keeping & MIS हेतु, वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में भारत सरकार से 616 Computer with printer and UPS @रु0 50,000/–प्रति Computer with printer and UPS for 616 Secretarial Staff for Account Keeping & MIS की दर से कुल धनराशि रु0 308.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

उक्त धनराशि को वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु राज्य स्तर पर रक्षित करते हुए जनपदों को आवंटित की गयी है। 616 Secretarial Staff for Account Keeping & MIS की जनपदवार संख्या निम्नवत् है–

Sr. No.	District	No. of Sec. Staff for Acc. Keeping & MIS
1	Agra	26
2	Aligarh	18
3	Ambedkarnagar	5
4	Amroha	7
5	Ayodhya	7
6	Azamgarh	4
7	Baghpat	3
8	Bahraich	4
9	Banda	4
10	Bareilly	24
11	Bijnor	12
12	Budaun	6
13	Bulandshahar	9
14	Deoria	3
15	Etah	4
16	Etawah	7
17	Farrukhabad	6
18	Fatehpur	4
19	Firozabad	13
20	GB Nagar	17
21	Ghaziabad	46
22	Gonda	3
23	Gorakhpur	18
24	Hamirpur	3
25	Hapur	6
26	Hardoi	8
27	Hathras	5
28	Jalaun	7
29	Jaunpur	4
30	Jhansi	11
31	Kannauj	4

Sr. No.	District	No. of Sec. Staff for Acc. Keeping & MIS
32	Kanpur Nagar	43
33	Kasganj	4
34	Kaushambi	3
35	Kheri	7
36	Kushinagar	5
37	Lucknow	44
38	Mainpuri	4
39	Mathura	10
40	Mau	5
41	Meerut	23
42	Mirzapur	5
43	Moradabad	22
44	Muzaffarnagar	8
45	Pilibhit	5
46	Pratapgarh	3
47	Prayagraj	20
48	Rae Bareli	4
49	Rampur	8
50	Saharanpur	17
51	Sambhal	5
52	Sant Kabir Nagar	4
53	Sant Ravidas Nagar	3
54	Shahjahanpur	11
55	Shamli	5
56	Sidharthnagar	7
57	Sitapur	8
58	Sonabhadra	3
59	Unnao	8
60	Varanasi	24
	Total	616

उक्त Computer & printer हेतु स्पेशिफिकेशन निम्नवत् है–

S.n	Item	Specification
1	Desktop	Core i5 or above, 3.2 Ghz or above, 4 GB RAM or above, min 1 TB HDD/SSD, USB 104 keyboard, USB optical mouse, Integrated onboard Ethernet controller 10/100/1000 with PXE support and remote wakeup mbps network adaptor, Min. 19th monitor support dual display, Windows 10 professional, 3 yr onsite warranty, OEM standard.
2	Printer	Laser, Mono, A4 and other, 20 PPM or above, Scan/Print/Copy, warranty as per OEM/min 3 yrs.

- **FAMS Code 142 Remuneration of all NHM HR–**

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2024–25 के अन्तर्गत FAMS Code 142 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 45582.85 लाख 12 माह हेतु जनपदों को डैप के माध्यम से आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है –

1. **FAMS Code 142.C.S001 (ANM/LHV at UPHC)--**इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 3463 ए0एन0एम0 एवं 51 नवीन स्वीकृत ए0एन0एम0 के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि

रू0 7429.08 लाख धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से ए0एन0एम0 द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है। नवीन 51 ए0एन0एम0 की जनपदवार संख्या निम्नवत् है –

S. No.	District	No. of new ANM approved under NUHM
1	Prayagraj	9
2	Sambhal	12
3	Pratapgarh	9
4	Banda	5
5	Sant Kabir Nagar	5
6	Basti	4
7	Deoria	5
8	Maharajganj	2
	Total	**51**

2. **FAMS Code 142.C.S006 (Staff Nurses at UPHC)--**इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदो के सापेक्ष 1543 Staff Nurse एवं 24 नवीन स्वीकृत Staff Nurse हेतु 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 4699.83 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Staff Nurse द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है। नवीन 24 Staff Nurse की जनपदवार संख्या निम्नवत् है –

S.no.	Name of District	Name of City	New U-PHC	No. of new SN approved under NUHM
1	Prayagraj	Prayagraj	3	6
2	Sambhal	Sambhal	4	8
3	Pratapgarh	Pratapgarh	2	4
4	Banda	Banda	1	2
5	Sant Kabir Nagar	Bakhira	1	2
6	Basti	Basti	1	2
Total			**12**	**24**

3. **FAMS Code 142.C.S011 (Staff Nurse at U-CHC)--** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 35 Staff Nurse के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 99.27 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Staff Nurse द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।

4. **FAMS Code 142.C.S016 (Lab Technician at UPHC)--**इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पद 710 Lab Technician एवं 12 नवीन स्वीकृत Lab Technician के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 1747.23 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Lab Technician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है। नवीन 12 Lab Technician की जनपदवार संख्या निम्नवत् है –

S.no.	Name of District	Name of City	New U-PHC	No. of new LT approved under NUHM
1	Prayagraj	Prayagraj	3	3
2	Sambhal	Sambhal	4	4
3	Pratapgarh	Pratapgarh	2	2
4	Banda	Banda	1	1
5	Sant Kabir	Bakhira	1	1
6	Basti	Basti	1	1
Total			**12**	**12**

5. **FAMS Code 142.C.S021 (Lab Technician at UCHC)--**इस मद के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में पूर्व में स्वीकृत 05 Lab Technician के 12 माह का मानदेय हेतु धनराशिरू0 9.48 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Lab Technician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।

6. **FAMS Code 142.C.S026 (Pharmacist at UPHC)—** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदो के सापेक्ष 710 Pharmacist एवं 12 नवीन स्वीकृत Pharmacist के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 2297.21 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Pharmacist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है। नवीन 12 Pharmacist की जनपदवार संख्या निम्नवत् है –

S.no.	Name of District	Name of City	New U-PHC	No. of newPharmacist approved under NUHM
1	Prayagraj	Prayagraj	**3**	3
2	Sambhal	Sambhal	**4**	4
3	Pratapgarh	Pratapgarh	**2**	2
4	Banda	Banda	**1**	1
5	Sant Kabir	Bakhira	**1**	1
6	Basti	Basti	**1**	1
Total			**12**	**12**

7. **FAMS Code 142.C.S045 (Data Assistant at UCHC)--**इस मद में जनपद लखनऊ में 08 Data Assistant के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 23.37 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Data Assistant द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।
8. **FAMS Code 142.C.S046 (Nurse Mentor at UCHC)--** इस मद में जनपद वाराणसी में स्वीकृत नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 01 Nurse Mentor के 12 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 3.00 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Nurse Mentor द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।
9. **FAMS Code 142.C.S051 (Gynaecologist)--**इस मद में नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 11 Gynaecologist के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 173.76 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Gynaecologist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।
10. **FAMS Code 142.C.S057 (Paediatrician)-**इस मद में नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 13 Paediatrician के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 187.38 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Paediatrician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।
11. **FAMS Code 142.C.S062 (Anaesthetist)-**इस मद में नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 12 Anaesthetist के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 185.58 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Anaesthetist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।
12. **FAMS Code 142.C.S068 (Surgeon)--**इस मद में जनपद वाराणसी में पूर्व से स्वीकृत नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 02 Surgeon के 12 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 29.09 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Surgeon द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।
13. **FAMS Code 142.C.S074 (Radiologist)--**इस मद में जनपद लखनऊ के 08 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कुल 08 Radiologist के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 144.00 लाख

आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Radiologist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।

14. **FAMS Code 142.C.S080 (Other Specialist/Physician)**--इस मद में जनपद लखनऊ के 08 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कुल 08 Physician के 12 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 132.15 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Physician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।

15. **FAMS Code 142.C.S081 (Other Specialist/Surgeon)**--इस मद में जनपद वाराणसी के नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कुल 02 Surgeon के 12 माह का मानदेय हेतु धनराशि रू0 36.00 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Surgeon द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।

16. **FAMS Code 142.C.S090 (Full Time MO at UPHC)**-- इस मद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु पूर्व में स्वीकृत कुल 566 Full time MBBS Medical Officer एवं 12 नवीन स्वीकृत Full time MBBS Medical Officer के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 5318.27 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Full time MBBS MO द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।

नोट– पूर्ण कालिक एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों के 181 रिक्त पदों के सापेक्ष नवीन चयन किये जाने वाले पूर्ण कालिक एम.बी.बी.एस. चिकित्सक हेतु मानदेय रू0 80000/– प्रतिमाह की दर से भारत सरकार के स्तर से इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया गया है, जिसकी संख्या जनपदवार डैप की फॉट में वर्णित की गयी है।

17. **FAMS Code 142.C.S095 (Part Time MO at UPHC)**-- इस मद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 34 Part time MBBS Medical officer के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 156.22 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Part time MBBS MO द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।

नोट– जनपद में पार्ट टाइम चिकित्सक के पद रिक्त होने पर राज्य स्तर से स्वीकृति उपरान्त ही उनकी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय।

18. **FAMS Code 142.C.S100 (Full Time MO at UCHC (EMO))**--इस मद में जनपद वाराणसी के नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 04 EMO के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 36.77 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से EMO द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।

19. **FAMS Code 142.C.S106 (Other Support staff)**--इस मद में नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 1572 Support Staff एवं नवीन स्वीकृत नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 24 Support Staff के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 3248.60 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Support Staff को निम्नानुसार मानदेय सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है –

For In -position Support staff (Joined in or before FY 2020-2021)		
Particular	**Employee Hired by DHS**	**Employee Hired by Agency**
Salary	12053	11555
PF(Emp.) 12%	1446	1387
ESI(Emp.)	[redacted]	202
Net Payable	**10607**	**9966**
GST 18%	[redacted]	2633

Service	[redacted]	1156
EPF (13.36%)	1610	1544
ESI (3.25%)	[redacted]	376
	13663	**17263**

For In -position Support staff (Joined in or before FY 2023-2024)	
Particular	**Employee Hired by Agency**
Salary	11279
PF(Emp.) 12%	1353
ESI(Emp.) 1.75%	197
Net Payable to Employee	**9728**
GST 18%	2570
Service charge (10%)	1128
EPF (13.36%) by Employer	1507
ESI (3.25%) by Employer	367
	16851

For vacant – All vacant position will be full filled by DHS through empanelled outsource agency

Support Staff - NUHM joining in FY 2024-25	
Particular	**Employee Hired by Agency**
Salary	10089
PF(Emp.) 12%	1211
ESI(Emp.) 1.75%	177
Net Payable to Employee	**8702**
GST 18%	2299
Service charge (10%)	1009
EPF (13.36%) by Employer	1348
ESI (3.25%) by Employer	328
	15073

नोट–

- उपरोक्त मानदेय की धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
- उपरोक्त सर्पोट स्टॉफ का वेतन निर्धारण Minimum Wages Act, 1948के अर्न्तगत समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- नवीन स्वीकृत सर्पोट स्टॉफ की भर्ती आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

20. **FAMS Code 142.C.S112 (Secretarial Staff for Account Keeping & MIS)--** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत कुल 687 Secretarial Staff for Account Keeping & MIS एवं 14 नवीन स्वीकृत Secretarial Staff for Account Keeping & MIS के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 1456.36 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Secretarial Staff for Account Keeping & MIS द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है। नवीन 14 Secretarial Staff for Account Keeping & MIS की जनपदवार संख्या निम्नवत् है –

S.n.	District	No. of UPHC			Sec Staff for A/C Keeping and MIS		
		UPHC approved till FY 2023-24	New UPHC approved in FY 2024-25	Total UPHC Approved	Approved till FY2023-24	New Sec Staff approved in FY 2024-25	Total Sec Staff
1	Prayagraj	25	3	28	25	**3**	28
2	Sambhal	5	4	9	5	**4**	9
3	Pratapgarh	3	2	5	3	**2**	5
4	Banda	4	1	5	4	**1**	5
5	Sant Kabir Nagar	4	1	5	4	**1**	5
6	Basti	2	1	3	0	**3**	3
	Total	43	12	55	41	**14**	55

21. **FAMS Code 142.C.P009 (Divisional Urban Health Consultants)--** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत कुल 18 Div Urban Health Consultant के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 141.62 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Div UHC द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।

22. **FAMS Code 142.C.P014 (District Urban Health Cordinator)**--इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 75 Urban Health Coordinator के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 419.60 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Urban Health Coordinator द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।

<u>नोट–जनपद गाजियाबाद में पूर्व से स्वीकृत 02 अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर के पद में से 01 अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर (जो वर्तमान में रिक्त है) को जनपद कानपुर देहात मे आवंटित किया गया है।</u>

23. **FAMS Code 142.C.P015 (Data cum Account Assistant)**--इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 75 Data cum account assistant के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 272.30 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Data cum account assistant द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।

24. **FAMS Code 142.C.P016/P017/P018 (Sr. Computer Operator/Store Keeper/Support Staff)**--इस मद में 01 Computer Operator, 01 Store Keeper and 03 Support Staff (Lucknow Urban RCH Office) के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 12.54 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Computer Opretor, Store Keeper and Support Staff द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।

For In -position Support staff(Joined in or before FY 2020-2021)		
Particular	**Employee Hired by DHS**	**Employee Hired by Agency**
Salary	12053	11555
PF(Emp.) 12%	1446	1387
ESI(Emp.) 1.75%	[redacted]	202
Net Payable to	**10607**	**9966**
GST 18%	[redacted]	2633
Service charge	[redacted]	1156
EPF (13.36%) by	1610	1544
ESI (3.25%) by	[redacted]	376
	13663	**17263**

For vacant – All vacant position will be full filled by DHS through empanelled outsource agency

Support Staff - NUHM joining in FY 2024-25	
Particular	**Employee Hired by Agency**
Salary	10089
PF(Emp.) 12%	1211
ESI(Emp.) 1.75%	177
Net Payable to Employee	**8702**
GST 18%	2299
Service charge (10%)	1009
EPF (13.36%) by Employer	1348
ESI (3.25%) by Employer	328
	15073

<u>नोट–</u>

- *उपरोक्त मानदेय की धनराशि का आवटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।*
- *उपरोक्त सर्पोट स्टॉफ का वेतन निर्धारण Minimum Wages Act, 1948 के अर्न्तगत समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।*

25. **FAMS Code 142.C.P028 (CP & CPHC Manager)**--इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 46 CP & CPHC Manager के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 113.09 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित

धनराशि में से CP & CPHC Manager (पूर्व नाम सी0सी0पी0एम0) द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।

26. **FAMS Code 142.C.P029 (City Public Health Manager)--**इस मद के अन्तर्गत 129 CPHM के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 433.44 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से City PHM द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।

मानव संसाधन के सम्बन्ध में समय–समय पर राज्य स्तर से मानव संसाधन अनुभाग द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश का अनुपालन जनपद स्तर से किया जाना है।

- **FAMS Code 143– Performance Based Incentive-**

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2024–25 के अन्तर्गत FAMS code 143 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 3818.40 लाख जनपदों को डैप के माध्यम से आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है –

1. **FAMS Code 143.5 (Performance Based Incentive to 578 contractual MOs at UPHCs-AAM) --**इस मद मे यू0पी0एच0सी0–आयुष्मान आरोग्य मंदिर के 578 contractual full time MO के Performance Based Incentive हेतु रू0 20,000/– प्रतिमाह प्रति contractual full time MO की दर से 12 माह हेतु धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या–SPMU/NUHM/Guidelines/2021-22/47/7052 दिनांक 03.02.2022 के अनुसार किया जाना है।
2. **FAMS Code 143.6 (Performance Based Incentive to 1013 contractual MOs at U-AAMs) --** इस मद मे अरबन–आयुष्मान आरोग्य मंदिर के 1013 contractual full time MO के Performance Based Incentive हेतु रू0 20,000/– प्रतिमाह प्रति contractual full time MO की दर से 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या– SPMU/NUHM/15thFC/2023-24/82/7164 दिनांक 13.12.2023 तथा SPMU/NUHM/ 15thFC/2022-23/82/1798 दिनांक 26.05. 2023 के अनुसार किया जाना है।

- **FAMS Code 144– Team Based Incentive-**

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2024–25 के अन्तर्गत FAMS code 144 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 2089.74 लाख जनपदों को डैप के माध्यम से आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः–

1. **FAMS Code 144.1 (Team Based Incentives for 722 UPHCs-AAM)--** इस मद में 722 यू0पी0एच0सी0–आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेतु रु0 1,80,000/– प्रतिमाह प्रति यू0पी0एच0सी0–आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रति वर्ष की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या–SPMU/NUHM/Guidelines/2021-22/47/6464 दिनांक 10.01.2022 के अनुसार किया जाना है।
2. **FAMS Code 144.2 (Team Based Incentives for 1013 U-AAMs)--** इस मद में 1013 अरबन–आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेतु रू रू0 78,000/– प्रतिमाह प्रति अरबन–आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रति वर्ष की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या– SPMU/NUHM/15thFC/2023-24/82/7164 दिनांक 13.12.2023 के अनुसार किया जाना है।

- **FAMS Code 146 -Planning and Program Management (Mobility Support and Admin.Expense)-**

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2024–25 के अन्तर्गत FAMS Code 146 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 679.56 लाख जनपदों को डैप के माध्यम से आंवटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या– SPMU/NUHM/DPMU/2021-22/57/2474-

2 दिनांक 10.08.2021 के अनुसार किया जाना है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है –

1. **FAMS Code 146.1 (Mobility Support for SPMU)--** इस मद में 18 Divisional Consultant के Mobility Support हेतु रू0 33,000/– प्रतिमाह प्रति Divisional PMU की दर से 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
2. **FAMS Code 146.2 (Mobility Support for DPMU)--** इस मद में Mobility Support for DPMU मद में 26 DPMU हेतुरू0 33,000/– प्रतिमाह प्रति DPMU की दर से (who are having >3 cities or >10 UPHCs), 32 DPMU हेतु रू0 15,000/– प्रतिमाह प्रति DPMU (who are having >1 city or >3 UPHCs) एवं अन्य 17 DPMU को रू0 10,000/– प्रतिमाह प्रति DPMU की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
3. **FAMS Code 146.3 (Mobility Support for CP & CPHC Manager& CPHM) –**इस मद में Mobility Support for CP & CPHC Manager हेतु रु0 5,000/– प्रतिमाह प्रति CP & CPHC Manager की दर से 46 CP & CPHC Manager हेतु एवं Mobility Support for City Public Health Manager हेतु रु0 2,500/– प्रतिमाह प्रति की दर से 129 City Public Health Manager हेतु कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

नोट–मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट/सी0सी0पी0एम0/एकाउन्टेंट कम डीइओ के TA/DA हेतु धनराशि का उपयोग इस कार्यालय के पत्र संख्या SPMU/NUHM/DPMU/2019-20/57/1644 दिनांक 22.05.2019 के अनुसार किया जायेगा।

4. **FAMS Code 146.5 (Administrative Expenses for SPMU)--** इस मद में Administrative Expenses हेतु रू0 15,000/– प्रतिमाह की दर से प्रति Div. PMU को कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग मण्डल मुख्यालय के अतिरिक्त बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु, डी0ए0, बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन, इन्टरनेट बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्कतानुसार अन्य कंटिनजेंसी मद में किया जायेगा।
5. **FAMS Code 146.6 (Administrative Expenses for DPMU)--** इस मद में Administrative Expenses हेतु 26 DPMU हेतु रू0 25,000/– प्रतिमाह प्रति DPMU की दर से (who are having >3 cities or >10 UPHCs) एवं शेष 49 जनपदों को रु0 18,000/– प्रतिमाह प्रति DPMU की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग राज्य/मण्डल स्तर की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु, डी0ए0, बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन, इन्टरनेट बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्कतानुसार अन्य कंटिनजेंसी मद में किया जायेगा।
6. **FAMS Code 146.7/146.8 (Administrative Expenses for CP & CPHC Manager & CPHM)--**इस मद में 46 CP & CPHC Manager के Administrative Expences हेतु रू0 3,000/– प्रति माह प्रति CP & CPHC Manager की दर से एवं 129 City Public Health Manager के Administrative Expences रु0 1,500/– प्रतिमाह प्रति की दर से 129 CPHM हेतु कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग राज्य/मण्डल स्तर की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु डी0ए0, बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन, इन्टरनेट बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्कतानुसार अन्य कंटिनजेंसी मद में किया जायेगा।

नोट– मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट/सी0सी0पी0एम0/एकाउन्टेंट कम डीइओ के TA/DA हेतु धनराशि का उपयोग इस कार्यालय के पत्र संख्या SPMU/NUHM/DPMU/2019-20/57/1644दिनांक 22.05.2019 के अनुसार किया जायेगा।

7. **FAMS Code 146.9 (Laptop for CP & CPHC Manager & CPHM)--** इस मद में 46 City Community Process Manager एवं 129 City Public Health Manager हेतु 01 Laptop with printer each @रु0 60,000/– प्रति Laptop with printer की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। स्पेशिफिकेशन निम्नवत् है–

S.n	Item	Specification
1	Laptop	Core i5 or above, minimum 8 GB RAM, 1 TB HDD and/or min 512 SSD, OEM pre loded genuine windows 10 or higher, min 14 inch screen, wi fi, Bluetooth, LAN, USB & HDMI port, etc with OEM on site warranty.
2	Printer	Laser, Mono, A4 and other, 20 PPM or above, Scan/Print/Copy, warranty as per OEM/min 3 yrs.

- **FAMS Code 149- Untied Grants (Untied grants to UPHC,UCHC and MAS)-**

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2024—25 के अन्तर्गत FAMS Code 149 के अन्तर्गत UPHC, UCHC व MAS के अनटाईड फंड हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 2494.45 लाख जनपदों को डैप के माध्यम से आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् है—

1. **FAMS Code 149.1 (JAS Untied Fund to UPHC)--** इस मद में 722 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जन आरोग्य समिति हेतु रु0 2.50 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

भारत सरकार से प्राप्त निर्देशो के क्रम मे नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो हेतु आपरेशनल व्यय (बिजली, टेलिफोन बिल, स्टेशनरी, ओ.पी.डी. स्लिप, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, विभिन्न रजिस्टर, इत्यादि) हेतु व्यय की जानी वाली धनराशि को सम्बन्धित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की जन आरोग्य समिति हेतु आवंटित Untide Fund में सम्मिलित कर दिया गया है। अतः नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के आपरेशनल व्यय हेतु समस्त व्यय,रू0 8,000/— प्रतिमाह की सीमा के अन्तर्गत, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्टाइड फन्ड से जन आरोग्य समिति के व्यय हेतु निहित प्राविधानो के अनुसार ही किया जायेगा। इस धनराशि का व्यय पत्र संख्या—SPMU/NUHM/JAS/2023-24/55/3990 दिनांक 11.08.2023 के अनुसार किया जाना है।

2. **FAMS Code 149.2 (Untied Fund to UCHC)--** इस मद में 13 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (जनपद लखनऊ के 08 तथा वाराणसी के 05) के रोगी कल्याण समिति हेतु रु0 5.00 लाख प्रति नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्त धनराशि का व्यय महानिदेशक, परिवार कल्याण के पत्र संख्या—प0क0—13 / सं0नि0नग0/रो0क0स0/116/2017—18/3875—75 दिनांक 10.08.2017 के अनुसार किया जाना है।

नोट— जनपद द्वारा नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते में 01 अप्रैल, 2024 को उपलब्ध धनराशि को उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से घटाते हुये शेष धनराशि सम्बन्धित रोगी कल्याण समिति के खाते में हस्तांतरित किया जाना है तथा प्रत्येक नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाय।

3. **FAMS Code 149.3 (Untied Fund to MAS)--** वर्ष 2024—25की आर0ओ0पी0 में Untied funds for 12489 MAS हेतु रू0 5,000/— प्रति MAS की दर से 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्त धनराशि का व्यय पत्रांक SPMU/NUHM/Guideline/2020-21/47/2683-75 दिनांक 16—08—2021 अनुसार किया जाना है।

नोट— जनपद द्वारा महिला आरोग्य समिति के खाते में 01 अप्रैल, 2024 को उपलब्ध धनराशि को उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से घटाते हुये शेष धनराशि सम्बंधित महिला आरोग्य समिति के खाते में हस्तांतरित किया जाना है तथा प्रत्येक महिला आरोग्य समिति द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

- **FAMS code 142- Remuneration of Urban Ayushman Aarogya Mandir HR–**

1. **FAMS code 142.C.S124 -(MO at U-AAM)--**इस मद में 1013 Urban Ayushman Aarogya Mandir (U-AAM) हेतु कुल 1013 MBBS Medical Officer के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 8800.05 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से MBBS MO द्वारा जनपद में दी गयी

योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।

नोट– पूर्ण कालिक एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों के 615 रिक्त पदों के सापेक्ष नवीन चयन किये जाने वाले पूर्ण कालिक एम.बी.बी.एस. चिकित्सक हेतु मानदेय रू0 80000/– प्रतिमाह की दर से भारत सरकार के स्तर से इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया गया है, जिसकी संख्या जनपदवार संलग्न फॉट में वर्णित की गयी है।

2. **FAMS code 142.C.S125 -(Staff Nurses for U-AAM)--**इस मद में 1013 Urban Ayushman Aarogya Mandir (U-AAM) हेतु कुल 1013 Staff Nurse हेतु 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 2491.98 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Staff Nurse द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।
3. **FAMS code 142.C.S126 -(ANM for U-AAM)--** इस मद में 1013 Urban Ayushman Aarogya Mandir (U-AAM) हेतु कुल 1013 ए0एन0एम0 हेतु 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 1722.50 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से ए0एन0एम0 द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।
4. **FAMS code 142.C.S127 -(Support staff for U-AAM)--**इस मद में 1013 Urban Ayushman Aarogya Mandir (U-AAM) हेतु कुल 2026 Support Staff हेतु 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि रू0 3763.08 लाख आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Support Staff को निम्नानुसार मानदेय सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।

For In -position staff (Joined in FY--2023-2024)

Support/Cleaning Staff	(Amount in Rs.)
Particular	**Employee Hired by Agency**
Salary	10741
PF(Emp.) 12%	1289
ESI(Emp.) 1.75%	188
Net Payable to Employee	**9264**
GST 18%	2448
Service charge (10%)	1074
EPF (13.36%) by Employer	1435
ESI (3.25%) by Employer	349
	16047

For vacant – All vacant position will be full filled by DHS through empanelled outsource agency

Support/Cleaning Staff - NUHM FY 2024-25	(Amount in Rs.)
Particular	**Employee Hired by Agency**
Salary	10089
PF(Emp.) 12%	1211
ESI(Emp.) 1.75%	177
Net Payable to Employee	**8702**
GST 18%	2299
Service charge (10%)	1009
EPF (13.36%) by Employer	1348
ESI (3.25%) by Employer	328
	15073

नोट–

- *उपरोक्त मानदेय की धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।*
- *उपरोक्त सर्पोट स्टॉफ का वेतन निर्धारण Minimum Wages Act, 1948 के अन्तर्गत समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।*

* *नवीन स्वीकृत सर्पोट स्टॉफ की भर्ती आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।*

➢ **FAMS code 180.8- Free Diagnostic Services Initiative–** इस मद में भारत सरकार द्वारा Drugs & consumables हेतु 722 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए रु0 6.50 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से स्वीकृत किया गया है। जनपदों को स्वीकृत धनराशि का कुल 20% बजट @ रु0 1.30 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से Reagents & consumables हेतु आवंटित किया गया है। अवशेष 80% बजट से यू0पी0एम्0एस0सी0एल0 के माध्यम से औषधियों का क्रय राज्य स्तर से किया जा रहा है।

उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाय–

1. जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुये PFMS पोंटल के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सके।
2. किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जॉच के समय प्रेषित किया जा सके।
3. ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
4. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशो एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
5. मानदेय का निर्धारण नियुक्ति के समय निर्धारित मानदेय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि एवं लॉयल्टी/एक्सपिरियंस बोनस के आधार पर सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण के उपरान्त नियमानुसार देय हैं। उपरोक्त निर्धारित मानदेय में किसी भी प्रकार का पुर्नरीक्षण राज्य स्तर की अनुमति के उपरान्त ही अनुमन्य/मान्य होगा।
6. जनपद स्तर से क्रय किये जाने वाली समस्त सामग्री को जैम पोर्टल के माध्यम से समस्त वित्तीय नियमों को ध्यान में रखते हुये किया जाय।

उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन0यू0एच0एम0 एवं कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

11. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

11. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं मासिक समीक्षा बैठकों हेतु दिशा–निर्देश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक है कि उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता होती है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण तन्त्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर वित्तीय व्यवस्था एवं योजना बनायी गयी है। योजना के अर्न्तगत विभिन्न स्तरों पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं मासिक समीक्षा बैठक करने हेतु गत वर्ष में पत्रांक– एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्डई. / 2023–24 / 01 / 1436 दिनांक 22.05.2023 के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये थे। वित्तीय वर्ष 2024–25 में एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्रसंख्या–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्डई. / 2024–25 / 01 / 1544 दिनांक 18.06.2024 के माध्यम से गत वर्ष के दिशा–निर्देशों (कुछ संसोधनों के साथ) का ही अनुसरण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जो कि निम्नवत हैं–

1. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु गत वर्ष की ही भांति इस वर्ष भी 04 प्रकार की चेकलिस्टों का प्रयोग किया जाना है। पूर्व में प्रचलित एच0डब्ल्यू0सी0 चेकलिस्ट का नाम परिवर्तित कर अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर चेकलिस्ट कर दिया गया है। समस्त चेकलिस्टों को पूर्व की भांति गूगल फार्म पर ही भरा जाना है। भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में इन चेकलिस्टों के आधार पर एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही लागू किया जायेगा।
2. मण्डल स्तर पर आयोजित की जाने वाली मण्डलीय समीक्षा बैठक मण्डलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में की जायेगी। इस बैठक हेतु बजट में भी संशोधन किया गया है। मासिक मण्डलीय समीक्षा बैठक हेतु रू0 7500.00 प्रति बैठक का प्रावधान किया गया है। बैठक का विस्तृत कार्यवृत्त (प्रतिभागी सूचना सहित), एन0एच0एम0 पोर्टल पर मण्डल स्तर से एक सप्ताह के भीतर अपलोड किया जायेगा।
3. जनपद स्तर पर आयोजित की जाने वाली शासी निकाय की बैठक हेतु रू 4500.00 प्रति बैठक हेतु आवंटित किये जा रहे हैं। इसी प्रकार कार्यकारी समिति की बैठक हेतु रू0 2500.00 प्रति बैठक का प्राविधान किया गया है। बैठक के उपरान्त विस्तृत कार्यवृत्त (प्रतिभागी सूचना सहित), एन0एच0एम0 पोर्टल पर जनपद स्तर से दो सप्ताह के भीतर अपलोड किया जायेगा।

उक्त के क्रम में मण्डल, जनपद एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में 12 माह हेतु निम्नवत धनराशि आवंटित की जा रही है–

- एफ.एम.आर.कोड संख्याः **194.46** Field Visit (Supportive Supervision at State Level) मद में Divisional Meeting/DHS-GB/EC हेतु **रु0 79.20 लाख** (उन्यासी लाख बीस हजार रूपये मात्र),
- एफ.एम.आर. कोड संख्या **194.47** Field Visit (Supportive Supervision at District Level) मद में **रू0 665.28 लाख** (छः करोड़ पैंसठ लाख अट्ठाईस हजार रूपये मात्र) एवं
- एफ.एम.आर. कोड संख्या **194.48** Field Visit (Supportive Supervision at Block Level) मद में **रू0 3247.20 लाख** (बत्तीस करोड़ सैंतालीस लाख बीस हजार रूपये मात्र)।

उपरोक्त के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि मण्डल, जनपद एवं ब्लाक में जी0पी0एस0 युक्त टैक्सी परमिट वाहनों से सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु स्वीकृत बजट को शासकीय एन0एच0एम0 वित्तीय मैनुअल के नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें।

नोट– सहयोगात्मक पर्यवेक्षण से संबंधित पत्राचार एम0 एण्ड ई0 अनुभाग की ई–मेल आई डी medivisionspmu@gmail.com पर करना सुनिश्चित करें।

12. नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कार्यक्रम

12.प्री–सर्विस एजूकेशन फार नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कार्यक्रम

परियोजना का उद्देश्यः

प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी एजूकेशन कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जी0एन0एम0 स्कूल्स एवं ए0एन0एम0टी0सी0 को सुदृढ़ करना है, जिससे की उच्च गुणवत्तापरक शैक्षिक एवं क्लीनिकल्स सेवाओं की जानकारी नर्स/मिडवाइफ्स को प्रदान कर उनकी क्षमता का विकास किया जा सके। कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय 06 कॉलेज ऑफ नर्सिंग व 09 जी0एन0एम0 स्कूल्स तथा 36 ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्रों मे स्किल लैब, आई0टी0 लैब एवं लाइब्रेरी की स्थापना की जा चुकी है।

चयनित जनपदः–

परियोजना के अन्तर्गत 07 जनपदों में 09 जी0एन0एम0, 35 जनपदों में 36 ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र एवं 05 जनपदों में 06 कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्थापित है।

क्रियान्वयन रणनीतिः–

- शैक्षिक मानकों के क्रियान्वयन के माध्यम से नर्सिंग कालेज/स्कूल्स के सम्बंधित कालेज में शैक्षिक और मूल्यांकन प्रक्रियाओं की गुणवत्ता सुधार मे मदद एवं सहयोग करेंगें।
- चयनित कालेज आफ नर्सिंग/जी0एन0एम0/ए0एन0एम0 स्कूल्स में स्किल्स लैब के माध्यम से छात्रों को उच्च गुणवत्तापरक शैक्षिक एवं क्लीनिकल जानकारी प्रदान की जायेगी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नर्सिंग स्कूल्स के प्रधानाचार्य द्वारा नर्सिंग फैकल्टी/पी0एच0एन0 ट्यूटर्स को विभिन्न प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाना है।
- आई0एन0सी0 के मानकों के अनुसार नर्सिंग कालेज/स्कूल्स में नर्सिंग फैकल्टी/पी0एच0एन0 ट्यूटर्स की तैनाती सुनिश्चित की जानी है।

वित्तीय व्यवस्थाः–

- एफ0एम0आर0 मद संख्या 185.C.S1025/185.C.S1026/185.C.S1030/185.C.S0953 में कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं जी0एन0एम0/ए0एन0एम0 स्कूल्स में संविदा मानव ससाधन–नर्सिंग फैकल्टी/पी0एच0एन0 ट्यूटर्स को मानदेय धनराशि रु0 35,000/– प्रतिमाह, नर्सिंग मिडवाइफरी ट्यूटर्स को रु0 45,000/– प्रतिमाह एवं कार्यक्रम सहायकों को रु0 22,660/– प्रतिमाह की दर से धनराशि का प्रविधान किया गया है। साथ ही नियमानुसार इंक्रीमेंट एवं एक्सपीरियंस बोनस की धनराशि अनुमन्य है।
- एफ0एम0आर0 मद संख्या 192.1 में 6 कॉलेज ऑफ नर्सिंग व 7 जी0एन0एम0 स्कूल तथा 36 ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु रु0 25000/– की दर से (6 माह) Mobility/ POL हेतु कुल रू0 73.50 लाख की धनराशि तथा एफ0एम0आर0 मद संख्या 192.2 Contingency मद में 6 कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए रू0 7500/– तथा 7 जी0एन0एम0 स्कूल 36 ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए रू0 5000/– की दर से (6 माह) हेतु कुल रू0 15.60 लाख की धनराशि सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गई है।
- एफ0एम0आर0 मद संख्या 194.27 में कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर नगर, मेरठ एवं वाराणसी मे तैनात 05 नर्सिंग मिडफाइफरी ट्यूटर्स हेतु कुल 15 दो दिवसीय सहयोगात्मक पर्वेक्षण (3 भ्रमण प्रति एन0एम0टी0 प्रति वर्ष) भ्रमण हेतु अधिकतम रु0 7000/– प्रति भ्रमण की दर से कुल रु0 1.05 लाख की धनराशि सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गई है, जिसका व्यय मानकानुसार/वास्तविकता के आधार पर किया जाय।

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान किये जाने वाले कार्यः–

- प्रत्येक नर्सिंग मिडवाइफरी ट्यूटर्स द्वारा चार माह में एक बार आवंटित जी0एन0एम0 स्कूल्स का दो दिवसीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाना है, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना होगाः–
  - i. आई0एन0सी0 मानको के अनुसार जी0एन0एम0 स्कूल में स्थापित विभिन्न लैबों की स्थिति।
  - ii. जी0एन0एम0 स्कूल मे तैनात नर्सिंग ट्यूटर्स का OSCE based कॉम्पीटेंसी एसेसमेन्ट।
  - iii. नर्सिंग ट्यूटर्स का कौशल विकास हेतु Mannequins पर आन साइट प्रशिक्षण दिया जाना।
  - iv. नर्सिंग स्कूल से सम्बद्ध क्लीनिकल प्रेक्टिस हेतु चयनित चिकित्सालय का भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अनुश्रवण तथा नर्सिंग छात्रों द्वारा किये जा रहे कार्यो का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाना।
  - v. जी0एन0एम0 स्कूल मे रखे जाने वाले समस्त अभिलेखों के रख–रखाव में सहयोग प्रदान करना आदि।

नोडल अधिकारीः–

जनपद स्तर पर प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी एजूकेशन को क्रियान्वित करने के लिए पूर्व में नोडल अधिकारी नामित किये जा चुके है। सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षा है कि उनके द्वारा नोडल अधिकारी न बदले जाये यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में बदला जाना आवश्यक हो तो, नये नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नम्बर, पदनाम एवं ई–मेल आई0डी0 की सूचना महानिदेशक, (प्रशिक्षण), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 की ई–मेल आई0डी0 dgmhtraining@gmail.com तथा एस0पी0एम0यू0 के नर्सिंग अनुभाग की ई–मेल आई0डी0 spmunursingcellup2022@gmail.com पर उपलब्ध कराई जाय।

अनुबंध की कार्यवाही :–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी एजूकेशन कार्यक्रम में चयनित नर्सिंग मिडवाईफिरी ट्यूटर्स, नर्सिंग फैकल्टी, पी0एच0एन0 ट्यूटर्स एवं कार्यक्रम सहायको को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से संविदा पर नियमानुसार तैनात किये जाने की कार्यवाही सम्बंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से की जाय।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–

प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी एजूकेशन कार्यक्रम के लिए अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अभिन्न अंग है। इसके अंतर्गत महानिदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, निदेशक नर्सिंग, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, अपर निदेशक– परिवार कल्याण, अपर निदेशक– चिकित्सा शिक्षा तथा एन0एच0एम0 के तकनीकी सहयोग हेतु अनुबंधित जपाईगो संस्था के अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार नर्सिंग फैकल्टी की RMNCH+A गतिविधियों में Competency Assessment की प्रगति समीक्षा की जाय।

सम्पर्क सूत्रः–

1. डा0 नरेन्द्र अग्रवाल, महानिदेशक–प्रशिक्षण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ई–मेल dgmhtraining@gmail.com
2. डॉ0 दिनेश कुमार, निदेशक–मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय मो0 9412816699, ई–मेल jdmch@gmail.com
3. डॉ0 अनीता शर्मा, निदेशक, नर्सिंग, मो0–9897220115, ई–मेल dirnursing.dgmh@gmail.com
4. डॉ0 रवि प्रकाश दीक्षित, महाप्रबन्धक मातृ स्वास्थ्य/नर्सिंग, एस0पी0एम0यू0, मो0–6306872191, ई–मेल spmunursingcellup2022@gmail.com

13. प्रशिक्षण

13. प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. स्किल्ड बर्थ अटेन्डेन्ट (एस0बी0ए0)–एफ0एम0आर0 कोडः 17.1 & 17.2

प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं, जैसे संस्थागत प्रसवों को बढ़ाना देना एवं संस्थागत प्रसवों को प्रशिक्षित चिकित्सकों/स्टाफ़ नर्सों/ए0एन0एम0 के द्वारा कराया जाना आदि। इसी क्रम में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रसव केन्द्रों पर तैनात समस्त ए0एन0एम0/एल0एच0वी0/स्टाफ नर्स/महिला सी0एच0ओ0 की दक्षता में वृद्वि के लिये विशेष प्रशिक्षण ''स्किल्ड बर्थ अटेण्डेंट (एस0बी0ए0) प्रशिक्षण'' दिया जा रहा है।

जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय के अतिरिक्त प्रसव सेवा प्रदान करने वाले सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र/उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर तैनात ए0एन0एम0/एल0एच0वी0/स्टाफ नर्स/महिला सी0एच0ओ0 का वर्ष 2024–25 में 21 दिवसीय (5 दिन थ्योरी सत्र + 16 दिन प्रैक्टिकल सत्र) एस0बी0ए0 प्रशिक्षण प्रदेश के समस्त ज़िला महिला/संयुक्त चिकित्सालय एवं प्रथम सन्दर्भन इकाईयों (एफ0आर0यू0)/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पादित किया जाना है। उक्त प्रशिक्षण इस कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/प्रशिक्षण/16/2023–24/1579, दिनांक 25.05.2023 के माध्यम से एस0बी0ए0 प्रशिक्षण से सम्बंधित प्रेषित दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2024–25 में समस्त कार्यवाही सम्पादित किया जाना है। साथ ही आवश्यकतानुसार उक्त प्रशिक्षण की 2 दिवसीय टी0ओ0टी0 एस0आई0एच0एफ0डब्लू0, लखनऊ में आयोजित की जानी है।

प्रशिक्षण का अनुश्रवण राज्य स्तर से महानिदेशक–प्रशिक्षण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा एस0पी0एम0यू0 के अधिकारियों, मण्डल स्तर से मण्डलीय अपर निदेशक एवं मण्डलीय तथा जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु यू0पी0टी0एस0यू0 द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

वित्तीय व्यवस्था–एफ0एम0आर0 कोड 17.2 में स्टॅाफ नर्स/ए0एन0एम0/एल0एच0वी0/महिला सी0एच0ओ0 (@ Rs. 1.83 lakh per batch) आदि हेतु धनराशि सम्मिलित है। वर्ष 2024–25 में एस0बी0ए0 प्रशिक्षण हेतु रू0 13,84,29,250.00 की धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है।

2. दक्ष प्रशिक्षण–एफ0एम0आर0 कोडः 17.3 & 17.4

प्रशिक्षण का उद्‌देश्य प्रसव इकाइयों पर तैनात स्टाफ नर्सों को प्रसव पूर्व/दौरान एवं प्रसवोपरान्त प्रसव प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने तथा प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं के प्रबंधन एवं आवश्यकतानुसार संदर्भित किया जाना है। नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल सुनिश्चित करना तथा नवजात को पुनर्जीवित (Newborn Resuscitation) करने का कौशल प्रदान किया जाना है, जिससे उनके द्वारा गुणवत्तापरक प्रसव सेवाएं प्रदान की जा सकें।

स्टॅाफ नर्स का 6 दिवसीय आवासीय दक्ष प्रशिक्षण टी0एन0ए0आई0 नोएडा एवं प्रदेश में स्थापित 4 आर्ट ऑफ स्किल लैब (एस.आई.एच.एफ.डब्ल्यू–लखनऊ, डी0सी0एच0–नोएडा, आर0एच0एफ0 डब्ल्यू0टी0सी0–झांसी एवं वाराणसी) में आयोजित किया जाना है। इस हेतु सम्बंधित संस्थान द्वारा सेमिनार कक्ष, आवश्यक मैनीक्विंस/ऑडियो विज़ुअल उपकरण (एल.सी.डी/टी.वी./प्रोजेक्टर) आदि की क्रियाशीलता, लर्निंग रिसोर्स सामग्री, एजेण्डा एवं बैनर एवं प्रशिक्षार्थियों के ठहरने/भोजन तथा सुरक्षा आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। साथ ही आवश्यकतानुसार उक्त प्रशिक्षण की टी0ओ0टी0 एस0आई0एच0एफ0डब्लू0, लखनऊ में आयोजित की जानी है।

प्रशिक्षण का अनुश्रवण राज्य स्तर से महानिदेशक–प्रशिक्षण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं एस0पी0एम0यू0 के अधिकारियों, मण्डल स्तर से मण्डलीय अपर निदेशक एवं मण्डलीय तथा जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा किया जाएगा। साथ ही Objective Structured Clinical Examination

(OSCE) स्कोर का मूल्यांकन करने में तकनीकी सहयोग यू0पी0टी0एस0यू0 के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

वित्तीय व्यवस्था– प्रशिक्षण के एक बैच में 16 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है, जिस हेतु एफ0एम0आर0 कोड 17.4 में रू0 82.03 लाख की धनराशि निम्न तालिकानुसार सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति एवं एस.आई.एच.एफ.डब्ल्यू–लखनऊ की चार्ट सोसाइटी को आवंटित की जा रही है :–

S.N.	Name of District	Skill Lab Name	No. of Batch	Per batch Cost	Total Budget (in Rs.)
1	Chart Society-SIHFW, Lucknow	Skill Lab, SIHFW	2	215880.00	431760.00
2	Varanasi	Skill Lab, RHFWTC- Varanasi	4	215880.00	863520.00
3	Jhansi	Skill Lab, RHFWTC- Jhansi	4	215880.00	863520.00
4	G.B. Nagar	Skill Lab, DCH - Noida	3	215880.00	647640.00
5		Skill Lab-TNAI Noida	25	215880.00	5397000.00
Total batch			**38**		**8203440.00**

3. स्टेट ऑर्ट आफ स्किल लैब का रख–रखाव– एफ0एम0आर0 कोडः 17.5

प्रदेश की 4 स्टेट आर्ट ऑफ स्किल लैब (एस0आई0एच0एफ0डब्लू0, लखनऊ, डी0सी0एच0–नोएडा, आर0एच0एफ0डब्लू0टी0सी0 वाराणसी एवं झांसी) के आर्टिकल्स/मैनीक्वींस के रख–रखाव आदि के लिए इस कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/प्रशिक्षण/32/2023–24/4541–2, दिनांक 06.09.2023 के माध्यम से प्रेषित दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2024–25 में समस्त कार्यवाही सम्पादित किया जाना है। इस हेतु एफ0एम0आर0 मद संख्या 17.5 में निम्न तालिकानुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही हैः–

Sl. No.	Name of District	Budget for Skill lab Articles maintenance (Rs. in lacs)
1.	SIHFW, Lucknow	1.00
2.	Varanasi	1.00
3.	Jhansi	1.00
4.	G.B. Nagar	1.00
Total		**4.00**

4. चिकित्सालयों में कार्यरत स्वागती, वार्ड ब्वाय/वार्ड आया एवं सुरक्षा गार्डों हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण (Behavioural Training)- एफ0एम0आर0 कोडः 192.7

उच्च चिकित्सा इकाइयों यथा–जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालयों, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत स्वागती, वार्ड ब्वाय/वार्ड आया एवं सुरक्षा गार्डों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। चूंकि एक ओर ये कर्मी चिकित्सा इकाई पर दी जाने वाली विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू रूप से संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वहीं दूसरी ओर चिकित्सा इकाई पर आने वाले लाभार्थियों तथा उनके सहयोगियों के साथ बातचीत करने, जानकारी प्रदान करने तथा सहयोग प्रदान करने के प्रथम बिन्दु होते हैं। इन कर्मियों द्वारा अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निभाने से चिकित्सा इकाई की गुणवत्ता बढ़ती है, साथ ही आने वाले लाभार्थियों तथा जनसमुदाय के चिकित्सालय से संतुष्टि के स्तर को भी बढ़ाता है। अतः इन कर्मियों को अपने उत्तर दायित्व में दक्ष, सक्षम तथा कुशल बनाये जाने हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण वर्ष 2024–25 में कराया जाना है।

उपर्युक्त प्रशिक्षण एक दिवसीय है, जो जनपद स्तर पर जिला चिकित्सालयों में आयोजित किया जाना है। इस हेतु सेमिनार कक्ष, रिसोर्स सामग्री, चार्ट, मार्कर, एजेण्डा एवं बैनर आदि की उपलब्धता तथा प्रतिभागियों के बैठने की उचित व्यवस्था की जाए।

साथ ही अवगत कराना है कि उक्त प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु राज्य स्तर पर 2 दिवसीय टी0ओ0टी0 आयोजित किया जाना है, जिसमें प्रत्येक जनपद से 4 प्रतिभागी (चिकित्सा अधिकारी–1, हास्पिटल मैनेजर–1, क्वालिटी परामर्शदाता–1, डी0एच0ई0आई0ओ0 / एच0ई0ओ0 / स्टाफ नर्स–1) द्वारा प्रतिभाग किया जाना है।

वित्तीय व्यवस्था– वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 के एफ0एम0आर0 कोड 192.7 में रू0 22,55,985.00 की धनराशि एस0आई0एच0एफ0डब्लू0, लखनऊ की चार्ट सोसाइटी को टी0ओ0टी0 के 9 बैच सम्पादित किये जाने हेतु एवं रू0 76,95,050.00 की धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है।

5. एस0आई0एच0एफ0डब्लू0 द्वारा संचालित वर्चुअल क्लासरूम–एफ0एम0आर0 कोडः 192.8

वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 के मद संख्या 192 में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ के अंतर्गत संचालित Virtual Classroom (एस0आई0एच0एफ0डब्लू0 एवं 10 आर.एच. एफ.डब्लू.टी.सी.) हेतु कुल रू0 15.00 लाख की धनराशि एस0आई0एच0एफ0डब्लू0 की चार्ट सोसाइटी को आवंटित की जा रही है। उक्त धनराशि का उपयोग एन0एच0एम0 की वित्तीय आपरेशनल गाइडलाइन फार फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दिये गये निर्देशानुसार किया जाना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि इसमें किसी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो।

6. एस0आई0एच0एफ0डब्लू0 से सम्बंधित CMEs Training and Digital Connectivity of Classroom- एफ0एम0आर0 कोडः 192.9

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 के मद संख्या 192 में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ हेतु CMEs Training and Digital Connectivity of Classroom के लिए स्वीकृत रू0 225.00 लाख की धनराशि में से रू0 112.50 लाख की धनराशि एस0आई0एच0एफ0डब्लू0 की चार्ट सोसाइटी को आवंटित की जा रही है। उक्त धनराशि का उपयोग एन0एच0एम0 की वित्तीय ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दिये गये निर्देशानुसार किया जाना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि इसमें किसी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो।

सम्पर्क सूत्रः–

1. डा0 संजय शहवाल (मो0 7007722314) एवं डा0 अल्का सिंह (मो0 7985542089) संयुक्त निदेशक–प्रशिक्षण (dgmhtraining@gmail.com)
2. डा0 अर्चना वर्मा, महाप्रबंधक–प्रशिक्षण, एस0पी0एम0यू0 मो0–8604401148 (gmtrainingnhm2022@gmail.com)
3. डा0 महेश सिंह (मो0 8090668710) एवं डा0 मनीष सिंह (मो0 7800090315) नोडल अधिकारी, एस0आई0एच0एफ0डब्लू0
4. डा0 वन्दना सिंह (8004930725) एवं डा0 प्रशान्त मिश्रा (9721081399), यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ।

14. जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम

14.1 जिला चिकित्सालय सृदुढ़ीकरण कार्यक्रम

अवगत कराना है कि जिला चिकित्सालय सृदुढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत मानव संसाधन के सापेक्ष ऑनगोइंग मानव संसाधन एवं ट्रामा सेण्टर के मानदेय, लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स एवं अन्य कम्प्लाइन्सेज़ (ई0पी0एफ0, ई0एस0आईसी0, सर्विस चार्ज एवं जी0एस0टी0) हेतु धनराशि रू0 26233.99 लाख का आवंटन इस कार्यालय के पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/डी0एच0एस0/ 3/2024–26/1914–3, दिनाँक 06.07.2024 के माध्यम से किया गया है, का संज्ञान लेने का कष्ट करें एवं आवंटित बजट का व्यय नियमानुसार वास्तविकता के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जिला चिकित्सालय सृदुढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत गत् वर्ष 2023–24 में इस कार्यालय के पत्र, दिनाँक 22.05.2023 एवं 23.11.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए निम्न दिशा निर्देशों सहित यथावत् किये जाने हेतु निर्देशित किया जाना है–

1. सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों पर चयन प्रक्रिया राज्य स्तर से की जानी है।
2. विभिन्न संवर्गो पर स्वीकृत **पैरामेडिकल पदों एवं चतुर्थ श्रेणी– कुक, वार्ड आया/वार्ड ब्वॉय एवं मल्टी टास्क वर्कर के पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर चयन प्रकिया के सम्बन्ध में** राज्य कार्यकारी समिति की बैठक, दिनाँक 09.05.2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में **पृथक से दिशा निर्देश प्रेषित किये जायेंगे। अतः तब तक सभी पैरामेडिकल पदों एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर मानव संसाधन का चयन स्थगित किया जाता है।**
3. वर्तमान में कार्यरत् मानव संसाधन के मानदेय में संशोधन के क्रम में अवगत कराना है कि–
   - **I.** बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में संचालित डेन्टल यूनिट हेतु स्वीकृत 7 डेन्टल सर्जन (एम0डी0एस0) के पदों पर कार्यरत् मानव संसाधन के संशोधित मानदेय में रू0 1,20,000/– प्रतिमाह पर भारत सरकार से अनुमोदन प्रदान किया गया है (अवगत हों कि इस संशोधित मानदेय में वित्तीय वर्ष 2024–25 में पाँच वर्ष सम्बन्धी देय लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस एवं इन्क्रीमेण्ट भी निहित है)। अतः वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल मानदेय रू0 1,20,000/– प्रतिमाह की दर से देय होगा एवं भविष्य में यदि कोई पद रिक्त होगा तब रिक्त पद के सापेक्ष मूल मानेदय धनराशि रू0 1,20,000/– ही होगी। उक्त पदों पर मानदेय हेतु अनुमोदित धनराशि दिनाँक 01.04.2024 से लागू की जानी है। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2024–25 में मानदेय की गणना नियमानुसार करते हुए मानदेय निर्गत किया जाये। साथ ही अवगत कराना है कि उक्त मानदेय पर नियमानुसार इन्क्रीमेण्ट आगामी वर्ष से लागू होगा।
   - **II.** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्गत पत्र सं0 4150, दिनाँक 18.08.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए डी0एच0एस0 कार्यक्रम के निर्बाध संचालन हेतु ई0एम0ओ0, ई0एम0ओ0–एच0डी0यू0 एवं ई0एम0ओ0–ट्रॉमा सेण्टर के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में रिक्त पदों पर चयन जनपद स्तर पर वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से पूर्व में प्रेषित टी0ओ0आर0 के आधार पर किया जायेगा। संज्ञान लें कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में ई0एम0ओ0 के रिक्त पदों का मूल मानदेय रू 1,00,000/– स्वीकृत है एवं कार्यरत् ई0एम0ओ0 हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक इन्क्रीमेण्ट एवं नियमानुसार लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स देय होगा। **संशोधित मानदेय मात्र रिक्त पदों पर लागू होगा।**
4. आप अवगत हैं कि दिनाँक 01.10.2022 द्वारा प्रेषित दिशा निर्देशानुसार अग्रिम आदेशों तक जनपदों में चतुर्थ श्रेणी कुक एवं वॉर्ड आया/वॉर्ड ब्वॉय के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु ऑउटसोर्सिंग के माध्यम से चयन प्रकिया स्थगित की गई थी। तत्पश्चात् पुनः एस0पी0एम0यू0

कार्यालय के पत्र दिनाँक 23.05.2023 में अवगत कराया गया कि चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त सभी पैरामेडिकल पदों पर चयन प्रकिया राज्य स्तर से की जायेगी।

इस कम में निर्देशित किया जाता है कि स्वीकृत **पैरामेडिकल पदों एवं चतुर्थ श्रेणी– कुक, वार्ड आया/वार्ड ब्वॉय एवं मल्टी टास्क वर्कर के पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर चयन प्रकिया के सम्बन्ध में** राज्य कार्यकारी समिति की बैठक, दिनाँक 09.05.2024 में दिये गये निर्देशों के कम में **पृथक से दिशा निर्देश प्रेषित किये जायेंगे। अतः तब तक सभी पैरामेडिकल पदों एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर मानव संसाधन का चयन स्थगित किया जाता है।**

उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। यदि जनपद स्तर पर उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है या की जायेगी तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं वित्तीय हानि होने पर (संबंधित के मानदेय से) रिकवरी करते हुए भरपाई की जायेगी। साथ ही इस कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं जैसे–विधिक मामले/आई0जी0आर0एस0/आर0टी0आई0/अन्य शिकायतें इत्यादि के लिए सम्बन्धित जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।

5. माह फरवरी, 2024 एवं मार्च, 2024 में राज्य स्तर से की गई चयन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नवचयनित मानव संसाधन– स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स (यू0) स्टाफ नर्स–एच0डी0यू0, फार्मासिस्ट एवं लैब टैक्नीशियन द्वारा सम्बन्धित जनपदों पर कार्ययोगदान दिया गया है। इन नवचयनित मानव संसाधन पर भी अन्य संविदा मानव संसाधन की भाँति एन0एच0एम0 की मानव संसाधन नीति लागू होगी।

6. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत मानव संसाधन की नियुक्ति जिस स्वास्थ्य इकाई हेतु स्वीकृत है, उसको वहीं कार्य योगदान देना अनिवार्य है। अर्थात् उनका स्थानान्तरण अथवा सम्बद्धीकरण किसी अन्य स्वास्थ्य इकाई से किया जाना पूर्णतया निषेध है।

7. अवगत कराना है कि यू0पी स्टेट के मिनिमम वेजेस् एक्ट का अनुपालन करते हुए कुक, वार्ड आया/वार्ड ब्वॉय एवं मल्टी टास्क वर्कर के पदों पर पूर्व से कार्यरत् कर्मियों का मानदेय एवं अन्य कम्प्लाइन्सेज़ निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8. ई0पी0एफ0 व ई0एस0आई0सी0 का ससमय भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा किसी भी प्रतिकूल स्थिति की दशा में सम्बन्धित मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका स्वयं जिम्मेदार होंगे।

9. जनपदवार एवं चिकित्सालयवार आवंटित बजट का उपयोग वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

नोट– तत्कम में पुनः अवगत कराना है कि कार्यकम के अन्तर्गत जनपद स्तर केवल ई0एम0ओ0 (बिन्दु 3 के प्रस्तर II पर अंकित सभी ई0एम0ओ0 के पद) के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर चयन प्रकिया पत्र सं0 4150, दिनाँक 18.08.2023 **पर निर्गत दिशा निर्देशों के आधार पर नियमानुसार की जायेगी एवं शेष अन्य चिकित्सकीय पदों पर चयन प्रकिया राज्य स्तर से की जायेगी।**

स्वीकृत पैरामेडिकल पदों एवं चतुर्थ श्रेणी– कुक, वार्ड आया/वार्ड ब्वॉय एवं मल्टी टास्क वर्कर के पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में पृथक से दिशा निर्देश प्रेषित किये जायेंगे। अतः तब तक सभी पैरामेडिकल पदों एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर मानव संसाधन का चयन स्थगित किया जाता है।

जिला स्वास्थ्य समिति से अनुबंधित ट्रामा सेण्टर/चिकित्सालय में तैनात संविदा मानव संसाधन (आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत् कर्मियों के अतिरिक्त) पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मानव संसाधन नीति में जनपदीय संविदा कर्मियों हेतु उल्लिखित नियम शर्तें लागू होंगे। साथ ही राष्ट्रीय

स्वास्थ्य मिशन के स्टेट हेल्थ एक्शन प्लान वर्ष 2023–24 के पृष्ठ सं0 213 से 222 पर अंकित नियम शर्तों का संज्ञान लेने का कष्ट करें। जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुए PFMS Portal के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सके। प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक वित्तीय नियमों का शत–प्रतिशत् अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय/भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्त के क्रम में सम्बन्धित द्वारा जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पत्र 1914–3, दिनाँक 06.07.2024 के माध्यम से प्रेषित प्रपत्र पर **स्वीकृत मानव संसाधन सम्बन्धी वांछित सूचना पत्र प्राप्ति की दिनाँक से 15 कार्यदिवसों में** एवं **मासिक कार्य समीक्षा हेतु** भर कर **प्रत्येक माह की 5 तारीख तक राज्य स्तर पर ई– मेल के माध्यम से districthospitals2.up2024@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये।**

14.2 डी0एन0बी0 एवं दो वर्षीय पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कार्यक्रम

अवगत कराना है कि जिला चिकित्सालय सृदुढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित डी0एन0बी0 कार्यक्रम एवं दो वर्षीय पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु धनराशि रू0 1969.26 लाख का आवंटन इस कार्यालय के पत्र एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/डी0एच0एस0/1/2024–26/1560–3, दिनाँक 18.06.2024 के माध्यम से किया गया है, का संज्ञान लेने का कष्ट करें एवं आवंटित बजट का व्यय नियमानुसार वास्तविकता के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जिला चिकित्सालय सृदुढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत गत् वर्ष 2023–24 में इस कार्यालय के पत्र, दिनाँक 19.05.2023 एवं 23.05.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निम्न दिशा निर्देशों सहित यथावत् किया जाना है–

डी0एन0बी0 कोर्स–

प्रशिक्षार्थियों का मानदेय (एफ0एम0आर0 191.1)–

सभी चिकित्सालयों में एकरूपता से प्रशिक्षार्थियों को स्टाईपेन्ड दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 910/चि0–3–2021 दिनांक 25.06.2021 द्वारा स्टाइपेंड प्रथम वर्ष में धनराशि रू0 70,000/– प्रतिमाह, द्वितीय वर्ष मे धनराशि रू0 72,000/– प्रतिमाह,तथा तृतीय वर्ष में धनराशि रू0 74,000/प्रति माह की दर से निर्धारित की गई है, तदनुसार जनपदों को धनराशि आवंटित की जा रही है। नवीन आवेदित विभागों के एक्रीडिटेशन के परिणाम घोषित होने के पश्चात् स्वीकृत सीटों के आधार पर बजट पृथक से आवंटित किया जायेगा। सेकेण्ड्री सीटों के विद्यार्थियों को भी प्रथम वर्ष में रू0 72,000/–प्रतिमाह तथा अन्तिम वर्ष में रू0 74000/–प्रतिमाह की दर से स्टाइपेंड का भुगतान किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय प्रशिक्षार्थियों की उपलब्धता के अनुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि एक वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षार्थी दो विभिन्न शैक्षिक वर्षों में अध्ययन करते हैं। चिकित्सालयों में स्वीकृत प्राइमरी सीटों तथा अपेक्षित सेकेण्ड्री सीटों के आधार पर स्टाइपेन्ड हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है।

राजकीय चिकित्सकों हेतु प्रोत्साहन भत्ता– (एफ0एम0आर0 191.2) –

डी0एन0बी0 कोर्स के अन्तर्गत फैकल्टी के रूप में कार्यरत राजकीय चिकित्सकों के द्वारा अपने दैनिक कार्यों, दायित्वों के साथ–साथ शिक्षण एवं प्रशिक्षण का भी कार्य किया जाता है। इसके लिए प्रति लेक्चर/थ्योरी क्लासेज़ लेने के लिए प्रोत्साहन धनराशि रू0 2,000/– प्रति लेक्चर स्वीकृत है। नेशनल बोर्ड ऑफ इग्ज़ैमिनेशन (एन0बी0ई0) के मानकों के अनुसार सप्ताह में कम से कम 10 घंटे, जिसमें से

5 घंटे प्रायोगिक कक्षाएं एवं 5 घंटे थ्योरी की कक्षाएं ली जायेंगी। इस प्रकार प्रति विषय प्रति सप्ताह 75 मिनट के कम से कम 4 क्लासेज़ लिये जायेंगे।

सीनियर रेजीडेन्ट्स (एस0आर0) का मानदेय (एफ0एम0आर0 191.3)–

वर्ष 2024–25 हेतु कुल 49 सीनियर रेजीडेन्ट्स के पदो हेतु मानदेय रू0 1,25,000/प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिए स्वीकृति प्राप्त है (इन्क्रीमेंट/लॉयल्टी बोनस हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति नही दी गई)। आवंटित धनराशि का व्यय सीनियर रेजीडेन्ट्स की उपलब्धता के अनुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा। सीनियर रेजीडेन्ट्स के मानदेय के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तें/कन्डीशनैलिटीज़ निर्धारित की जा रही हैः–

- सीनियर रेजीडेन्ट्स आकस्मिक सेवाओं में पूर्ण योगदान देंगे।
- शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य के साथ–साथ चिकित्सा उपचार के कार्यों में भी पूर्ण योगदान देगें।
- सीनियर रेजिडेंट्स की उपस्थिति चिकित्सालय में डी0एन0बी0 कोर्स हेतु एन0बी0ई0 के अनुसार मान्यता प्राप्त करने में सहायक है। अतः सीनियर रेजीडेन्ट्स के चयन के सम्बन्ध में मिशन निदेशक के पत्र एस.पी.एम.यू./नियोजन/38/2017–18/13290–2 दिनॉक 26.03.2018 के माध्यम से निर्गत दिशा–निर्देशों एवं एन0बी0ई0 के मानकों का पालन किया जायेगा।

आवंटित धनराशि का व्यय सीनियर रेजीडेन्ट्स के कार्यकाल के अनुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

सेटिंग–अप/रनिंग लाइब्रेरी (एफ0एम0आर0 191.4) –

नेशनल बोर्ड ऑफ इग्ज़ैमिनेशन (एन0बी0ई0) द्वारा लाइब्रेरी की स्थापना एवं क्रियाशीलता पर विशेष बल दिया गया है। इस हेतु वर्तमान में 7 लाइब्रेरियन कम प्रोग्राम अस्सिटेंट कार्यरत् हैं। उनके मानदेय सम्बन्धी धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। आवंटित धनराशि का व्यय लाइब्रेरियन कम प्रोग्राम असिस्टेंट के कार्यकाल के अनुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

नोट–

1. वर्ष 2020 में डॉ0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय के आयुर्विज्ञान संस्थान में परिवर्तित एवं चिकित्सा शिक्षा का स्थानांतरित होने के कारण वर्तमान में डी0एन0बी0 कोर्स का संचालन नहीं किया जा रहा अतः सम्बन्धित चिकित्सालय हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 में डी0एन0बी0 कोर्स के लिए किसी मद में स्वीकृति प्राप्त नही हुई है, अतः डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में लाईब्रेरियन कम प्रोग्राम असिस्टेंट का पद समाप्त कर दिया गया है।
2. वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा लाइब्रेरियन कम प्रोग्राम असिस्टेंट के पद पर स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है एवं उक्त पद के स्थान पर सेटिंग–अप/रनिंग लाइब्रेरी के नाम से धनराशि अनुमोदित की गई है।
3. वर्तमान में कार्यरत लाइब्रेरियन कम प्रोग्राम असिस्टेंट के पद हेतु मानदेय रू 33,075/– प्रति माह के अनुसार भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है (इन्क्रीमेंट/लॉयल्टी बोनस हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई)।

डी0एन0बी0 कार्यक्रम के संचालन हेतु वित्तीय रख–रखाव एवं शासकीय कार्य हेतु प्रोत्साहन धनराशि (एफ0एम0आर0 191.5)–

कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्तीय रख–रखाव एवं शासकीय कार्य सम्पादित करने के लिए प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नामित अधिकारी (एम0बी0बी0एस0) हेतु रू0 10,000.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि का आवंटन किया गया है। उक्त धनराशि निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका द्वारा नामित (उनके अलावा अन्य कार्यरत राजकीय चिकित्सक) को देय होगा। आवंटित धनराशि का व्यय वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

बुक्स एवं जर्नल्स (एफ0एम0आर0 191.8) –

कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित लाइब्रेरी हेतु बुक्स के लिए रु0 1.00 लाख प्रति विषय एवं जर्नल्स हेतु रु0 1.00 लाख प्रति विषय की दर से भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि का आवंटन किया गया है।

रोटेशनल पोस्टिंग हेतु धनराशि (एफ0एम0आर0 191.10) –

नैशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन के दिशा–निर्देशानुसार डी0एन0बी0 प्रशिक्षार्थियों के लिए रोटेशनल पोस्टिंग अनिवार्य मानकों में से एक है। लखनऊ के 3 चिकित्सालयों (बलरामपुर जिला चिकित्सालय, डॉ0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय, वीरांगना अवन्ती बाई महिला चिकित्सालय) द्वारा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के साथ रोटेशनल पोस्टिंग के लिए एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अनुसार रोटेशनल पोस्टिंग का भुगतान प्रति अभ्यर्थी प्रतिमाह रु0 20,000.00 (बीस हजार मात्र) किया जाना है।

दो वर्षीय पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कार्यक्रमः–

प्रशिक्षार्थियों का मानदेय (एफ0एम0आर0 191.11)–

सम्बन्धित चिकित्सालयों में अध्ययनरत् जूनियर रेजीडेन्ट्स को देय स्टाइपेण्ड प्रथम वर्ष में रू0 70,000/– प्रतिमाह, द्वितीय वर्ष मे धनराशि रू0 72,000/– प्रतिमाह की दर से आवंटन किया गया है। नवीन आवेदित विभागों के एक्रीडिटेशन के परिणाम घोषित होने के पश्चात् स्वीकृत सीटों के आधार पर बजट पृथक से आवंटित किया जायेगा।

राजकीय चिकित्सकों हेतु प्रोत्साहन भत्ता (एफ0एम0आर0 191.12)–

दो वर्षीय पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कार्यक्रम के अन्तर्गत फैकल्टी के रूप में कार्यरत राजकीय चिकित्सकों तथा अन्य सहयोगी विभागों के चिकित्सकों द्वारा अपने दैनिक कार्यों, दायित्वों के साथ–साथ शिक्षण एवं प्रशिक्षण का भी कार्य किया जाएगा, जिसके लिए प्रति लेक्चर/थ्योरी क्लासेज़ हेतु प्रोत्साहन धनराशि रू0 2,000/– प्रति लेक्चर स्वीकृत की गई है। नेशनल बोर्ड ऑफ इग्ज़ैमिनेशन (एन0बी0ई0) के मानकों के अनुसार सप्ताह में कम से कम 10 घंटे, जिसमें से 5 घंटे प्रायोगिक कक्षाएं एवं 5 घंटे थ्योरी की कक्षाएं ली जायेंगी। इस प्रकार प्रति विषय सप्ताह में 75 मिनट के कम से कम 4 क्लासेज़ लिये जायेंगे।

बुक्स एवं जर्नल्स (एफ0एम0आर0 191.15) –

कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित लाइब्रेरी हेतु बुक्स के लिए रु0 1.00 लाख प्रति विषय एवं जर्नल्स हेतु रु0 1.00 लाख प्रति विषय की दर से भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि का आवंटन किया गया है।

साथ ही अवगत कराना है कि नवीन आवेदित विभागों के एक्रिडिटेशन के परिणाम घोषित होने के पश्चात् सम्बन्धित सभी एक्रिडिटेड डी0एन0बी0/डिप्लोमा कोर्सेज़ सम्बन्धी बजट पृथक से आवंटित किया जाएगा।

दो वर्षीय पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कार्यक्रम एवं डी0एन0बी0 कार्यक्रम सम्बन्धी बजट के आवंटन का विस्तृत विवरण सुलभ सन्दर्भ हेतु चिकित्सालयवार, जनपदवार एवं मदवार कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/डी0एच0एस0/1/2024–26/1560–3, दिनाँक 18.06.2024 के साथ संलग्न किया गया है। जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुए PFMS Portal के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सके प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक वित्तीय नियमों का शत–प्रतिशत् अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय/भुगतान किया जायेगा। साथ ही उक्त से सम्बन्धित व्यय विवरण प्रतिमाह पूर्व में उपलब्ध कराये गये प्रपत्र पर ससमय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में (ई–मेल dnb.up2024@gmail.com) पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए आंवटित बजट का उपयोग नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें।

15. आयुष

15.1 आयुष औषधियों के क्रय एवं भण्डारण हेतु दिशा–निर्देश

जनपदों को CHC/PHC/DH हेतु आयुष औषधियों के क्रय एवं भण्डारण तथा पंचकर्म इकाई के लिए आयुष औषधियों के क्रय हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है–

1. आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये आवश्यक आयुष औषधियों की आवश्यकता का आंकलन एवं निर्धारण किया जाय तथा तद्नुसार क्रय जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित समिति द्वारा दिशा–निर्देशों का पालन करते हुये किया जाये–
   - (i) मुख्य चिकित्साधिकारी – सदस्य सचिव।
   - (ii) जिला होम्योपैथिक अधिकारी – सदस्य।
   - (iii) क्षेत्रीय आयुर्वेद/यूनानी चिकित्साधिकारी – सदस्य।
   - (iv) वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय, मुख्य चिकित्साधिकारी – सदस्य।
   - (v) जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0 – सदस्य।
2. आयुष औषधियों और दवाईयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार) के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से अथवा राज्य सरकारों के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अपनी स्वयं की विनिर्माण इकाईयों में निर्माण करने तथा सुव्यवहार (जीएमपी) का अनुपालन करने वाले सहकारिता संस्थानों से प्राप्त औषधियों के लिए कम से कम 50 प्रतिशत प्रदत्त अनुदान का उपयोग किया जाना चाहिए।
3. आयुष विभाग, भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी की आवश्यक औषधि सूची के अनुसार और वैध विनिर्माण अनुज्ञप्ति धारक अन्य उत्तम विनिर्माण व्यवहार (जीएमपी) वाली अनुपालन ईकाईयों से औषधियों प्राप्त करने के लिए मिशन के तहत प्रदत्त शेष अनुदान सहायता का उपयोग औषधियों को खरीदने के लिए किया जा सकता है।
4. शास्त्रीय औषधियां क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की Essential Drug List (EDL) for AYUSH के अनुरूप क्रय की जायें, जो एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है।
5. आयुष औषधियां क्रय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रत्येक सम्बन्धित औषधि के प्रत्येक बैच का किसी अनुमोदित प्रयोगशाला या नेशनल एक्रिडेटेड बोर्ड ऑफ टेस्टिंग केलिबेरेशन लेबोरेटरीज (एन0ए0बी0एल0) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण कर लिया गया है। प्रयोगशाला रिपोर्ट की प्रति सुरक्षित रखी जायेगी।
6. जनपदों में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सको की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार औषधियों का क्रय चिकित्सा इकाईयों पर तैनात चिकित्सकों की विधानुसार किया जाये एवं क्रय की जाने वाली औषधियों की मात्रा आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जाय, यानि कि अधिक उपयोग वाली औषधियां अधिक मात्रा में कम उपयोग आने वाली औषधियां कम मात्रा में क्रय की जायें।
7. आयुष औषधियों के क्रय हेतु उपलब्ध धनराशि से आयुष विधा की औषधियां पर्याप्त मात्रा में क्रय के पश्चात् अवशेष धनराशि से आयुष की जिस विधा की औषधि की अतिरिक्त आवश्यकता हो, का जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तवत् गठित क्रय समिति द्वारा दिशा–निर्देशों का पालन करते हुये नियमानुसार किया जाय।
8. आयुष औषधियों के क्रय–आदेश की एक प्रति gmayushnrhm03@gmail.com पर भी प्रेषित की जाय।

9. आयुष औषधियों के वितरण हेतु शीशियां इत्यादि आवश्यकतानुसार संबंधित चिकित्सालय के आर0के0एस0 अनटाईड फन्ड से नियमानुसार क्रय की जायें।

10. क्रय की गयी आयुष औषधियों का भण्डारण जनपद स्तरीय सी0एम0एस0डी0 में किया जायेगा। जहां से औषधि भण्डारण नियमों का पालन करते हुए आवश्यकतानुसार जनपद के चिकित्सालयों में वितरण हेतु आवंटित करते समय औषधि प्राप्ति एवं अवसान तिथि (एक्सपायरी दिनांक) का अंकन सुनिश्चित किया जाये, जिससे शीघ्र एक्सपायर होने वाली औषधियों को प्राथमिकता के आधार पर समय से पूर्व वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

11. जनपद स्तरीय सी0एम0एस0डी0 में आयुष मद में क्रय की गयी औषधियों हेतु अलग स्टॉक रजिस्टर बनाया जायेगा, जिसमें आपूर्ति की गयी औषधियों का सम्पूर्ण विवरण तथा उनका विभिन्न चिकित्सालयों में वितरण अंकित किया जायेगा। इसी प्रकार समस्त चिकित्सालयों में भी अलग से आयुष औषधियों का स्टॉक रजिस्टर बनाया जायेगा, जिसमें प्राप्ति एवं वितरण अंकित किया जायेगा।

12. चिकित्सालय स्तर पर आयुष औषधियों की प्राप्ति/वितरण का कार्य एवं अभिलेखों का रख–रखाव आयुष फार्मासिस्ट द्वारा किया जायेगा। आयुष फार्मासिस्ट की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त कार्य संविदा आयुष चिकित्सक द्वारा किसी अन्य कार्मिक के सहयोग से किया जायेगा।

13. आयुष औषधियों की एक्सपायरी दिनांक पंजिका अलग से बनायी जायेगी तथा स्टोर कीपर द्वारा प्रतिमाह समीक्षा सुनिश्चित की जायेगी। एक्सपायरी दिनांक के अतिरिक्त भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन अथवा फंगस आदि का प्रकोप होने पर औषधि वितरण रोक कर सम्बन्धित अधिकारियों से परामर्श लिया जायेगा।

14. शेल्फ लाइफ, आपूर्ति के समय औषधि के अवसान (एक्सपायर) होने की निर्धारित अवधि की कम से कम 75 प्रतिशत अवश्य होनी चाहिये तथा निर्माण की तिथि 6 माह से अधिक पुरानी न हो।

15. आयुष औषधियों के वितरण सम्बन्धित अभिलेख जैसे इन्डैन्ट बुक, इशु रजिस्टर, डेली एब्सट्रैक्ट रजिस्टर आदि का नियमानुसार रख–रखाव सुनिश्चित किया जायेगा।

16. आयुष औषधि के क्रय, भण्डारण एवं वितरण की त्रैमासिक समीक्षा उपर्युक्त समिति द्वारा की जायेगी तथा उसकी आख्या मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

17. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित जनपद स्तर पर तैनात एक आयुष चिकित्सक एवं एक आयुष फार्मासिस्ट को अपने चिकित्सालय के नियमित कार्य के अतिरिक्त सी0एम0एस0डी0 स्टोर में मुख्य फार्मासिस्ट के सहयोग से आयुष औषधियों के रख–रखाव, भण्डारण तथा प्राप्ति एवं वितरण की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी जायेगी।

18. आयुष औषधियों हेतु जनपदवार आवंटित धनराशि का उपयोग कर प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण–पत्र आयुष अनुभाग की ई–मेल gmayushnrhm03@gmail.com पर प्रेषित की जायेगी।

19. धनराशि का आवंटन मात्र व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु आपरेशनल गाइडलाईन फार फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट में की गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी संगत नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का समस्त स्तरों पर पालन सुनिश्चित करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

20. धनराशि का व्यय गतिविधि हेतु आवंटित बजट की निर्धारित सीमा तक सभी वित्तीय एवं क्रय नियमों का अनुपालन करते हुये किया जाये। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

15.2 पंचकर्म इकाई की Operational Cost हेतु दिशा–निर्देश

मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष कार्यक्रम के अंर्तगत, श्री राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ में संचालित **पंचकर्म इकाई** की Operational Cost (एफ0एम0आर0 कोड–198.6) हेतु धनराशि रू0 5.00 लाख जनपद–लखनऊ को आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, जनपद–लखनऊ के स्तर से सभी वित्तीय एवं क्रय नियमों का अनुपालन करते हुए निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है –

1. उक्त धनराशि का प्रयोग पंचकर्म इकाई के सुचारु रुप से संचालन हेतु आवश्यक स्टेशनरी, कन्ज्यूमेबिल्स तथा मरीजों को पंचकर्म क्रिया कराने हेतु आवश्यक सहायक सामग्री हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति के पश्चात् किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि का प्रयोग एक वित्तीय वर्ष में पंचकर्म इकाई के आवश्यक उपकरणों की मरम्मत हेतु अधिकतम धनराशि रु0 50,000 की सीमा में किया जा सकता है। अपरिहार्य परिस्थितियों में जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुमोदनोपरान्त अधिकतम रु0 2.00 लाख सीमा तक भी व्यय किया जा सकता है।
3. उक्त धनराशि का व्यय पंचकर्म विशेषज्ञ (पुरूष/महिला) द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, जनपद–लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा।
4. सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त व्यय की गयी धनराशि का बीजक प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नियमानुसार बीजक की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित के खाते में किया जायेगा।
5. पंचकर्म मद से धनराशि के उपयोग के समय सुनिश्चित किया जाय कि उक्त मद में किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाय।
6. प्रत्येक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखा पुस्तिकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाय तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तिकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखना एवं मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेट्यूटी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्त गतिविधि के सुचारू संचालन के लिए दिशा–निर्देशों के अनुरूप आवंटित वित्तीय सीमा (धनराशि रू0 5.00 लाख) में आपरेशनल गाइडलाइन फार फाइनेन्शियल मैनजमेन्ट में की गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी संगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही नियमानुसार व्यय किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सक्षम प्राधिकारी/जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगें। किसी तरह की त्रुटि अथवा विसंगति दृष्टिगत होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी अपनी स्पष्ट अभियुक्ति सहित सूचना ई–मेल gmayushnrhm03@gmail.com पर तत्काल प्रेषित करे।

15.3 आयुष मानव संसाधन के मानदेय हेतु दिशा–निर्देश

मानव संसाधन के 12 माह के मानदेय हेतु आवंटित धनराशि का व्यय निम्न दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करें:–

1. एफ0एम0आर0 कोड 185.C.S0296 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में नवीन नियुक्ति/एक वर्ष से कम की सेवा अवधि वाले संविदा आयुष चिकित्सकों को रू0 32,000 प्रतिमाह तथा 5 वर्ष से अधिक सेवा अवधि पूर्ण करने वाले (वर्तमान में कार्यरत) संविदा आयुष चिकित्सकों को अधिकतम रू0 47,195 प्रतिमाह की दर से Basic मानदेय (दिनांक 31 मार्च 2024 को प्रदत्त मानदेय) वास्तविक गणना के आधार पर नियमानुसार देय होगा। उक्त Basic मानदेय पर नियमानुसार 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगा।
2. एफ0एम0आर0 कोड 185.C.S0297 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में नवीन नियुक्ति/एक वर्ष से कम की सेवा अवधि वाले (वर्तमान में कार्यरत) संविदा आयुष फार्मासिस्टों को रू0 12,500.00 प्रतिमाह, 5 वर्ष से अधिक सेवा अवधि पूर्ण करने वाले संविदा आयुष फार्मासिस्टों को अधिकतम रू0 17,700.00 प्रतिमाह की दर से Basic मानदेय (दिनांक 31 मार्च 2024 को प्रदत्त मानदेय) वास्तविक गणना के आधार पर नियमानुसार देय होगा। उक्त Basic मानदेय 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि तथा ई0पी0एफ0 देय होगा।
3. एफ0एम0आर0 कोड0 185.C.S0302 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में नवीन नियुक्ति/एक वर्ष से कम की सेवा अवधि वाले संविदा पंचकर्म विशेषज्ञ को रू0 50,000 प्रतिमाह की दर से देय होगा।
4. जनपद में तैनात संविदा आयुष चिकित्सकों एव फार्मासिस्टों तथा पंचकर्म इकाई में तैनात उन्ही संविदा पंचकर्म विशेषज्ञ को लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस प्रदान किया जाना है, जिनके द्वारा मानव संसाधन अनुभाग द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या–300/एस0पी0एम0यू0/डैप–एचआर/लॉयल्टी बोनस 2017– 2018/12448 दिनांक–08.03.2018 तथा पत्र संख्या–300/एस0पी0एम0यू0/डैप–एच आर/लॉयल्टी बोनस 2017– 2018/13035–75 दिनांक– 20 मार्च 2018 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी है।
5. वित्तीय वर्ष 2024–25 में संविदा आयुष फार्मासिस्टों के ई0पी0एफ0 हेतु भारत सरकार द्वारा 13.36 प्रतिशत की दर से प्रदत्त धनराशि एफ0एम0आर0 कोड 185.C.S0297 पर आवंटित धनराशि में सम्मिलित है जो कि तद्समय लागू दर के आधार पर नियमानुसार देय होगा।
6. वित्तीय वर्ष 2024–25 में पंचकर्म इकाई में आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से तैनात मानव संसाधन (पंचकर्म टेक्नीशियन, पंचकर्म अटेण्डेंट एवं सफाई कर्मी) हेतु ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 तथा एजेन्सी चार्जेस, एफ0एम0आर0 कोड 185.C.S0303, 185.C.S0304, 185.C.S0305 पर आवंटित धनराशि में सम्मिलित है।
7. संविदा आयुष चिकित्सकों (विशेषकर संविदा आयुष पुरूष चिकित्सकों) को सर्वप्रथम ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों जहाँ पर कोई भी चिकित्सक (M.B.B.S./AYUSH) नियमित अथवा संविदा पर तैनात नहीं है, पर तैनात करते हुये उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जनपद स्तर पर संचालित आयुष विंग में तीनों विधा के एक–एक संविदा आयुष चिकित्सक एवं यथासंभव फार्मासिस्ट तैनात रहें।
8. यदि जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक उपलब्ध हो, ऐसी स्थिति में चिकित्सा इकाईयों के कार्य की आवश्यकता के आधार पर संविदा आयुष चिकित्सकों की तैनाती की जाय।
9. स्वास्थ्य इकाईयों पर जिस विधा का संविदा आयुष चिकित्सक तैनात किया जा रहा है, वहाँ पर उसी विधा के संविदा आयुष फार्मासिस्ट की तैनाती तथा आयुष औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय । साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी स्वास्थ्य इकाई (PHC/CHC/DH) पर संविदा आयुष फार्मासिस्ट की तैनाती संविदा आयुष चिकित्सकों के बिना न की जाये।
10. आवंटित धनराशि का वित्तीय सीमा में सभी शासकीय एवं वित्तीय नियमों का पालन करते हुए व्यय किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही उपर्युक्त तालिका में किसी तरह की त्रुटि अथवा विसंगति दृष्टिगत होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी अपनी स्पष्ट अभियुक्ति सहित सूचना ई–मेल gmayushnrhm03@gmail.com पर तत्काल प्रेषित करे।

16. आई0एम0ई0पी0

16.1 प्रदेश के ग्रामीण चिकित्सा इकाईयों यथा एम0सी0एच0 विंग (50 एवं 30 शैय्या हेतु), ट्रामा सेन्टर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं मेडिकल केयर यूनिट पर साफ–सफाई व्यवस्था, रख–रखाव, गार्डनिंग एवं लाण्ड्री सेवाओं सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

आप अवगत है कि प्रदेश सरकार जनसामान्य को गुणवत्तापरक चिकित्सकीय सेवाये उपलब्ध कराने के लिये दृढसंकल्प है। गुणवत्तापरक चिकित्सा सेवाओं के लिये चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था तथा स्वच्छ वातावरण आवश्यक है। ग्रामीण चिकित्सा इकाईयों यथा एम0सी0एच0 विंग, ट्रामा सेन्टर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं मेडिकल केयर युनिट पर साफ–सफाई व्यवस्था, रख–रखाव, गार्डनिंग एवं लाण्ड्री सेवाओं के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

प्रदेश के ग्रामीण चिकित्सा इकाईयों यथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एम0सी0एच0 विंग (50 एवं 30 श्यया हेतु), ट्रामा सेन्टर, एवं मेडिकल केयर युनिट पर साफ–सफाई व्यवस्था, रख–रखाव एवं लाण्ड्री का कार्य जिला स्तर से जैम पोर्टल के माध्यम से निविदा कराते हुये जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोंपरान्त कार्य कराया जाये।

आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेन्सी का चयनः–

- मुख्य चिकित्साधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से निविदा प्रक्रिया के द्वारा श्रम विभाग में पंजीकृत ऐसी सेवा प्रदाता एजेन्सी का चयन कर लें, जिसका चिकित्सालय की साफ–सफाई, रख–रखाव तथा लाण्ड्री सेवाओं के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव हो।
- जनपद स्तर पर सेवाप्रदाता एजेन्सी का स्वतंत्र कार्यालय/कार्यशाला स्थापित हो तथा पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं लाण्ड्री से सम्बन्धित उपकरणों की उपलब्धता हो। इस आशय के प्रमाणित साक्ष्य, फोटोग्राफ्स एवं कर्मचारियों के पूर्ण विवरण (नाम, पता, उम्र सहित) टेण्डर के साथ प्राप्त कर लिये जाये।
- सेवा प्रदाता एजेन्सी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी के परिवार एवं उसके नजदीकी रिश्तेदार की न हो।
- सेवाप्रदाता एजेन्सी के चयन में भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा को ध्यान में रखते हुये ही दरों का निर्धारण किया जाये।

सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ अनुबन्ध में शामिल करने हेतु आवश्यक बिन्दुः–

- एम्बयूलेटरी एरिया (OPD, Emergency, Lab), प्रोसीजर एरिया, ऑग्जिलरी एरिया, वार्ड, लॉबी, खुली जगह (Kitchen, Pharmacy, Laundry, Admin Office, Garden & Open Area. etc) तथा स्नान गृह व शौचालय की साफ सफाई नियमित रूप से प्रतिदिन की जायेगी।
- चिकित्सालयों मे शौचालयों की सफाई प्रतिदिन कम से कम 03 बार की जायेगी। शौचालय के दरवाजे पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार मासिक कलेण्डर चस्पा किया जाये जिस पर प्रतिदिन (प्रातः, दोपहर एवं शाम) सफाई करने का समय तथा सफाई कर्मी के हस्ताक्षर अंकित किये जायें।
- प्रत्येक प्रसव के बाद प्रसव कक्ष की सफाई की जाए, ताकि स्वच्छता की गुणवत्ता की मानिटरिंग सुनिश्चित हो सके।
- चिकित्सालय में प्रसूता एवं अन्य रोगियो को फ्रेश धुले हुए चादर/तकिया आदि बांसी कागज के लिफाफो में देते हुये रजिस्टर में उपलब्ध कराये गये वस्त्रों की तारीख व समय अंकित कर लाभार्थी के हस्ताक्षर कराए जायें। सभी अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रखे जायें।
- सेवा प्रदाता के साथ एम0ओ0यू0 में यह अवश्य दर्शाया जाए कि यदि सेवा प्रदाता एजेन्सी वांछित सेवाएं 02 महीने के अन्दर प्रदान नहीं करती है तो अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा। अनुबन्ध में गुणवत्तापरक एवं ससमय कार्य न करने पर नियमानुसार पेनाल्टी का भी प्राविधान किया जाये।
- स्वच्छ वातावरण के अर्न्तगत स्वच्छ चिकित्सालय परिसर, यथास्थान पर कूडादान की व्यवस्था एवं स्वच्छ पेयजल व्यवस्था इत्यादि आते है।
- Hospital upkeep (रख–रखाव) के अन्तर्गत एनिमल एवं पेस्ट कन्ट्रोल (एन्टीटरमाइट, रोडेन्ट, इन्सेक्ट कन्ट्रोल, मच्छरों से बचाव हेतु खिडकियों एवं दरवाजों में जाली की व्यवस्था), गार्डनिंग एवं खुली जगह का रख–रखाव तथा रिमूवल ऑफ जंक मैटेरियल आते है।
- सफाई व्यवस्था के अन्तर्गत Functional Areas की साफ–सफाई उनके जोखिम स्तर (उच्च, मध्यम एवं सामान्य) के अनुरूप नियमानुसार समयावधि में करायी जाये।

वित्तीय व्यवस्था–भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 में FMR Code-175.2 के अन्तर्गत–

आउटसोर्सिंग के माध्यम से मेडिकल केयर यूनिट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एम0सी0एच0 विंग (50 एवं 30 शैय्या) एवं ट्रामा सेन्टर की सफाई व्यवस्था, गार्डनिंग तथा लाण्ड्री सेवाओं हेतु धनराशि रू0 9625.45 लाख (रू0 2400.00 प्रति शैय्या प्रति माह की दर से) की स्वीकृत गयी है।

- स्वीकृत धनराशि का उपयोग चिन्हित चिकित्सालयों मेडिकल केयर युनिट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एम0सी0एच0 विंग (50 एवं 30 शैय्या) एवं ट्रामा सेन्टर में नियमित साफ–सफाई, गार्डनिंग एवं लाण्ड्री सेवाओं जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त एन0एच0एम0 फाइनेन्सियल मैनुअल के वित्तीय नियमों के प्राविधानों के अनुसार निविदा कराकर सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि से किया जाये।
- धनराशि का व्यय–विवरण मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से मासिक वित्तीय रिपोर्ट में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उत्तर प्रदेश तथा एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 में प्रति माह उपलब्ध कराया जाये।
- समस्त भुगतान फैम्स साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए PFMS पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि व्यय धनराशि एव उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सके।
- जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित धनराशि का उपयोग नियमों की परिधि में सुनिश्चित करें।
- मुख्य चिकित्साधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि सेवा प्रदाता एजेन्सी का नाम एवं विवरण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
- स्टेट बजट अथवा अन्य किसी योजनाओं से यदि उक्त मद में कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपयोग न किया जाये तथा प्रकरण को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ एवं मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाये, जिससे की किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी के कारण भविष्य में होने वाले अनावश्यक विधिक वाद की संभावनाओं से बचा जा सकें।

<u>नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–</u>

1. नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य अधीक्षक/प्रत्येक जनपद की क्वालिटी एश्योरेंस टीम (DQAC) के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।
2. जिला अधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति एवं विभागीय कार्यक्रम समीक्षा बैठकों में ग्रामीण चिकित्सा इकाईयों में सफाई व्यवस्था का नियमित अनुश्रवण किया जाए।
3. राज्य स्तरीय, मण्डल स्तरीय तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान चिकित्सालयों की सफाई व्यवस्था का अनुश्रवण किया जायेगा, जिससे जनता को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।

यदि किसी जनपद में वर्ष 2023–24 में चिकित्सालयों की साफ–सफाई, रख–रखाव तथा लाण्ड्री सेवाओं हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से उपरोक्तवत् नियमानुसार सेवा प्रदाता एजेन्सी का चयन किया गया है, तो जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त कर अपरिहार्य परिस्थितियों में अगली निविदा होने तक वर्ष 2024–25 हेतु सेवाएं ली जा सकती है।

<u>16.2 प्रदेश के जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में मशीनीकृत/मैनुअल लाण्ड्री सेवाएं</u>

अवगत कराना है कि एन0एच0एम0 योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 में जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं एम0सी0एच0 विंग (100 एव 200 शैय्या) हेतु भारत सरकार द्वारा मशीनीकृत लाण्ड्री के लिये कुल धनराशि रू0 3906.03 लाख अनुमोदित की गयी है। जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में लाण्ड्री सेवाओं हेतु एफ0एम0आर0 कोड– 175.5 में 06 माह (अप्रैल 24 से सितम्बर 24) के लिए कुल धनराशि रू0 1296.37 लाख (रू0 बारह करोड़, छियानबे लाख 37 हजार मात्र) जी0एस0टी0 सहित जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त/आवंटित की जा रही है। शेष माह हेतु धनराशि शीघ्र ही अवमुक्त/आवंटित की जायेगी। जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन के उपरान्त इस धनराशि का उपयोग वर्ष 2024–25 में सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा किए गए वास्तविक कार्य के अनुसार किया जायेगा।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में लाण्ड्री सेवाओं हेतु एफ0एम0आर0 कोड– 175.5 के अन्तर्गत केन्द्रीकृत निविदा के आधार पर चयनित अनुबन्धित 44 जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं 07 एम0सी0एच0

विंग (100 शैय्या) में मशीनीकृत लाण्ड्री तथा शेष जिला स्तरीय चिकित्सालयों/एम0सी0एच0 विंग (100/200 शैय्या) में मैनुअल लाण्ड्री की व्यवस्था है।

- जिन जिला स्तरीय चिकित्सालयों हेतु मैनुअल लाण्ड्री की निविदा जिला स्तर से की गयी है उन चिकित्सालयों में केन्द्रीयकृत निविदा पूर्ण होने तक पूर्ववत् नियम एवं शर्तों के अनुसार जारी रहेगी।
- केन्द्रीयकृत निविदा के माध्यम से मैकेनाइज्ड लाण्ड्री की व्यवस्था हेतु एजेन्सियों के चयन एवं अनुबन्ध के उपरान्त प्राप्त दरों के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

जिन जिला स्तरीय चिकित्सालयों में केन्द्रीयकृत अनुबन्ध नहीं हुआ है उन चिकित्सालय में अधिकतम रू0 500/बेड/माह (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) की दर से मैनुअल लाण्ड्री की व्यवस्था जिला स्तर से जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त कार्य का सम्पादन किया जाये। सेवाप्रदाता एजेन्सी के चयन में सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में आवंटित धनराशि की सीमा को ध्यान में रखते हुये ही दरों का निर्धारण किया जाये।

- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2024–25 में सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि से किया जाये।
- मशीनीकृत लाण्ड्री सेवाओं हेतु चयनित सेवा प्रदाता को चिकित्सालय प्रशासन द्वारा चिकित्सालय परिसर में लाण्ड्री सेवाओं हेतु स्थान चिन्हित कर प्रदान किया जायेगा तथा पानी एवं विद्युत की उपलब्धता भी चिकित्सालय प्रशासन द्वारा की जायेगी। विद्युत व्यवस्था हेतु चयनित सेवा प्रदाता द्वारा एक सब मीटर स्थापित किया जायेगा तथा चिकित्सालय प्रशासन को प्रत्येक माह के अन्त में चेक के माध्यम से उपयोग की गयी विद्युत का निर्धारित दरों से भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
- सेवा प्रदाता द्वारा मशीनीकृत लाण्ड्री कार्य हेतु प्रदत्त स्थान को 24X7 साफ–सुथरा रखा जायेगा।
- निविदा की शर्तों के अनुरूप पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं सम्बन्धित उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। इस हेतु प्रमाणित साक्ष्य, फोटोग्राफ्स एवं कर्मचारियों के पूर्ण विवरण (नाम, पता, उम्र सहित) प्राप्त कर लिये जाये।
- सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक जिला स्तरीय चिकित्सालय में न्यूनतम एक सुपरवाईजर की व्यवस्था की जायेगी जोकि सेवा प्रदाता के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करेगा तथा मशीनीकृत लाण्ड्री (एकत्रीकरण, परिवहन, पृथक्कीकरण तथा धुलाई इत्यादि) सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु उत्तरदायी होगा।
- सेवा प्रदाता द्वारा मशीनीकृत लाण्ड्री (एकत्रीकरण, परिवहन, पृथक्कीकरण तथा धुलाई इत्यादि) सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु अनुबन्ध में उलेखित शर्तों के अनुरूप समुचित संख्या में शारीरिक रूप से स्वस्थ प्रशिक्षित कर्मियों (Supervisor, Washerman, Ironman, Pickup & Delivery man) की व्यवस्था की जायेगी। उक्त कर्मियो के नियुक्ति से पूर्व एवं कार्य के दौरान टीकाकरण की व्यवस्था भी सेवा प्रदाता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- सेवा प्रदाता द्वारा उक्त कर्मियों हेतु निर्धारित यूनीफॉर्म, एप्रन तथा अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों (Protective Gears) को प्रदान किया जायेगा। जिससे सुरक्षात्मक तरीकों का पालन करते हुये मशीनीकृत लाण्ड्री व्यवस्था (एकत्रीकरण, परिवहन, पृथक्कीकरण तथा धुलाई इत्यादि) सुचारू रूप से संचालित किया जाना सुनिश्चित हो सके।
- सेवा प्रदाता द्वारा अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप चिकित्सालय की कैटगरी (बेड सं0) के आधार पर निम्नतालिकानुसार मशीनीकृत लाण्ड्री उपकरणों की स्थापना एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित की जायेगी।

Need of set of equipment to cater the linen						
Hospital Category (No. of beds)-		**Category A (Upto 150 Beds)**	**Category B (151-300 Beds)**	**Category C (301-450 Beds)**	**Category D (451-600 Beds)**	**Category E (above 600 Beds)**
Particulars	**Capacity**	**Required No.**	**Required No.**	**Required No.**	**Required No.**	**Required No.**
Washing Machine	30 Kg	1	0	1	0	1
	60 Kg	0	1	1	2	2
Hydro Extractor	15 Kg	1	0	1	0	1

	30 Kg	0	1	1	2	2
Drying Tumbler	30 Kg	1	0	1	0	1
	60 Kg	0	1	1	2	2
Steam Press	Medium Size	2	3	4	4	5
Steam Generator	9 KW	1	0	0	0	0
	18 KW	0	1	1	2	3
Dry Linen Trolley	200 Ltr	4	8	12	15	20
Wet Linen Trolley	200 Ltr	4	8	12	15	20
Folding Table		2	3	4	4	5
Racks		4	8	12	15	20
Calendaring Machine		0	0	1	1	1

- सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत बिल का नियमानुसार भुगतान साप्ताहिक परफार्मेन्स रिव्यू (WPR) शीट के प्राप्त प्राप्तांकों के औसत योग के आधार पर निम्न तालिकानुसार किया जायेगाः–

Performance Based Payment and Penalities	
WPR Average Score (out of 100)	**Percentage of Payment to be Reimbursed of the Gross Bill Amount**
0-20	No payment
21-40	40%
41-60	60%
61-70	80%
71-80	90%
81-100	100%

- चिकित्सालय में बेड–शीट, तकिया–कवर इत्यादि का पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित कर प्रतिदिन बेड–शीट, तकिया–कवर बदला जाना सुनिश्चित करें।
- चिकित्सालय में प्रसूता एवं अन्य रोगियो को फ्रेश धुले हुए चादर/तकिया आदि बांसी कागज के लिफाफो में देते हुये रजिस्टर में उपलब्ध कराये गये वस्त्रों की तारीख व समय अंकित कर लाभार्थी के हस्ताक्षर कराए जायें। सभी अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रखे जायें।
- गंदी, दागदार एवं रक्तरंजित बेड–शीट, तकिया–कवर इत्यादि को हटाकर उनका नियमानुसार पृथक्करण एवं निसंक्रमित किया जाना सुनिश्चित करें।
- स्वीकृत धनराशि का उपयोग एन0एच0एम0 फाइनेन्सियल मैनुअल के वित्तीय नियमों के प्राविधानों के अनुसार किया जाए। धनराशि व्यय करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी तरह का व्ययावर्तन, Diversion न हो।
- समस्त भुगतान फैम्स साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए PFMS पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि व्यय धनराशि एव उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सके।
- स्टेट बजट अथवा अन्य किसी योजनाओं से यदि उक्त मद में कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी एवं भविष्य में अनावश्यक विधिक वाद की संभावनाओं से बचने के लिये उक्त कार्य हेतु अन्य किसी योजना से प्राप्त धन का व्यय न किया जाये तथा प्रकरण को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश एवं मिशन एन0एच0एम0, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग नियमों की परिधि में सुनिश्चित करें।
- प्रश्नगत धनराशि का व्यय–विवरण प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका के स्तर से मासिक वित्तीय रिपोर्ट में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश तथा एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 में प्रति माह उपलब्ध कराया जाये।
- किसी भी प्रकार के विवाद/मतभिन्नता की अवस्था में अनुबन्ध पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

- प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका की जिम्मेदारी होगी कि सेवा प्रदाता एजेन्सी की नियमित रिपोर्टिंग एवं अनुश्रवण तथा बीजको का समयबद्ध भुगतान हेतु शीघ्र कार्यवाही करें।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन–

- मशीनीकृत/मैनुअल लाण्ड्री की सेवाओं के नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का मुख्य दायित्व क्वालिटी एश्योरेंस टीम का होगा। इस कार्य में हॉस्पिटल मैनेजर द्वारा प्रमुखता से सहयोग दिया जायेगा।
- जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सालयों में मशीनीकृत/मैनुअल लाण्ड्री व्यवस्था का जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठकों एवं विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठकों में नियमित अनुश्रवण किया जाए।
- जनता को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु राज्य, मण्डल तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान चिकित्सालयों की मशीनीकृत/मैनुअल लाण्ड्री व्यवस्था का अनुश्रवण किया जायेगा।

16.3 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में मशीनीकृत/मैनुअल क्लीनिंग एवं गार्डनिंग सेवायें

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के जिला स्तरीय चिकित्सालयों में क्लीनिंग एवं गार्डनिंग का कार्य मशीनीकृत सिस्टम द्वारा कराये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुयी थी। प्रदेश सरकार चिकित्सालयो में जनसामान्य को गुणवत्तापरक चिकित्सकीय सेवाये उपलब्ध कराने के लिये दृढसंकल्प है। गुणवत्तापरक चिकित्सा सेवाओं के लिये चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था तथा स्वच्छ वातावरण आवश्यक है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निविदा के माध्यम से प्रदेश के 181 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग का कार्य आउटसोर्स से किये जाने हेतु निम्नलिखित सेवाप्रदाताओं को चयनित किया गया–

1. मेसर्स ऑल सर्विसेस ग्लोबल प्रा0 लि0।
2. मेसर्स प्राइम क्लीनिंग सर्विसेज।
3. मेसर्स सन् फैसिल्टी प्रा0 लि0।
4. मेसर्स ए01 फैसिल्टी एण्ड प्रोपटी मैनेजर प्रा0 लि0।
5. मेसर्स एन0 कपूर जनोटरर्स प्रा0 लि0।
6. मेसर्स बिलीव साल्यूशन एण्ड सर्विसेस।
7. मेसर्स सर्विस मास्टर।
8. मेसर्स एस0ए0बी0 फैसिलिटी मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्रा0 लि0

उक्त चयनित सेवाप्रदाताओं द्वारा अपने क्लस्टर के जिला चिकित्सालयों में क्लीनिंग एवं गार्डनिंग सेवाओं का कार्य निविदा की शर्तों के अनुसार मशीने, उपकरण एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराते हुये प्रारम्भ कर दिया गया है। निविदा शर्तों के अनुसार जिला चिकित्सालयों में मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग सेवाओं की नियमित रिपोर्टिंग एवं अनुश्रवण तथा संबंधित सेवाप्रदाताओं के बीजकों के समयबद्ध भुगतान हेतु मैनुअली भुगतान की प्रक्रिया जारी रहेगी।

जनपद स्तरीय चिकित्सालयों की मशीनीकृत स्वच्छता के क्षेत्र में आर0एफ0पी0/अनुबन्ध को दृष्टिगत रखते हुये इसका संक्षिप्त विवरण में निम्नलिखित है–

(1) Cleaning and gardening schedule.

(2) Indicative equipment, tools and consumables required for mechanized cleaning and gardening.

(3) Responsibilities of service providers

(4) Responsibilities of SIC/CMS/Nodal office

वित्तीय वर्ष 2024–25 में क्लीनिंग एवं गार्डनिंग सेवाओं हेतु एफ0एम0आर0 कोड– 175.3 के अन्तर्गत महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अनुबन्धित 181 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग की जा रही है तथा शेष 16 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में मैनुअल क्लीनिंग की जा रही है।

तत्क्रम में जिन जिला स्तरीय चिकित्सालयों हेतु मैनुअल क्लीनिंग की निविदा जिला स्तर से की गयी है उन चिकित्सालयों में केन्द्रीयकृत निविदा पूर्ण होने तक पूर्ववत् नियम एवं शर्तों के अनुसार जारी रहेगी। जिन जिला स्तरीय चिकित्सालयों में केन्द्रीयकृत अनुबन्ध नहीं हुआ है। उन चिकित्सालयों में अधिकतम रू0 600/बेड/माह (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) की दर से मैनुअल क्लीनिंग एवं गार्डनिंग की व्यवस्था जिला स्तर से जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा करते हुये जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त कार्य का सत्यापन किया जायेगा। सेवाप्रदाता एजेन्सी के चयन में सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में आवंटित धनराशि की सीमा को ध्यान में रखते हुये ही दरों का निर्धारण किया जाये।

वित्तीय व्यवस्था– वित्तीय वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 में जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं एम0सी0एच0 विंग (100 एवं 200 शैय्या) हेतु भारत सरकार द्वारा मशीनीकृत साफ–सफाई के लिये कुल धनराशि रू0 11463.32 लाख अनुमोदित की गयी है। जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था, रख–रखाव एवं गार्डनिंग सेवाओं हेतु एफ0एम0आर0 कोड–175.3 में 09 माह (अप्रैल 24 से दिसम्बर 24) के लिए कुल धनराशि रू0 8029.25 लाख (रू0 अस्सी करोड़, उन्तीस लाख पच्चीस हजार मात्र) जी0एस0टी0 सहित जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त/आवंटित की जा रही है। शेष माह हेतु धनराशि शीघ्र ही अवमुक्त/आवंटित की जायेगी।

जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन के उपरान्त–

- इस धनराशि का उपयोग वर्ष 2024–25 में सेवाप्रदाता/एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि से किया जायेगा।
- सेवा प्रदाता द्वारा मासिक बीजक प्रस्तुत किये जाने के सापेक्ष भुगतान अनुबन्ध में सम्मिलित निविदा के अनुसार मासिक प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।
- कुल प्राप्तांक की गणना साप्ताहिक मानिटरिंग शीट के प्राप्तांको के औसत (कुल 100 मे से) के योग के आधार पर की जायेगी।

  (The calculation of Final score value, 100% i.e. sum of the weightage scored to be considered from the average cumulative weighted score of weekly Review Sheet. The final score value shall fall in a particular range of score and based on that particular percentage of full payment will be reimbursed to the provider as following:

Sr. No.	Score (out of 100)	Percentage of payment to be reimbursed
1	0-10	No payment
2	11-20	20%
3	21-40	40%
4	41-60	60%
5	61-70	80%
6	71-80	90%
7	81-100	100%

- निविदा की शर्तों के अनुरूप पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं सम्बन्धित उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। इस हेतु प्रमाणित साक्ष्य, फोटोग्राफ्स एवं कर्मचारियों के पूर्ण विवरण (नाम, पता, उम्र सहित) प्राप्त कर लिये जाये।
- स्वीकृत धनराशि का उपयोग एन0एच0एम0 फाइनेन्सियल मैनुअल के वित्तीय नियमों के प्राविधानों के अनुसार किया जाए। धनराशि व्यय करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी तरह का व्ययावर्तन, Diversion न हो।
- स्टेट बजट अथवा अन्य किसी योजनाओं से यदि उक्त मद में कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी एवं भविष्य में अनावश्यक विधिक वाद की संभावनाओं से बचने के लिये उक्त कार्य हेतु अन्य किसी योजना से प्राप्त धन का व्यय न किया जाये तथा प्रकरण

को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश एवं मिशन एन0एच0एम0, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाये।

- प्रश्नगत धनराशि का व्यय–विवरण प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका के स्तर से मासिक वित्तीय रिपोर्ट में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश तथा एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 में प्रति माह उपलब्ध कराया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग नियमों की परिधि में सुनिश्चित करें।
- प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका की जिम्मेदारी होगी कि सेवा प्रदाता एजेन्सी की नियमित रिपोर्टिंग एवं अनुश्रवण तथा बीजको का समयबद्ध भुगतान हेतु विभागीय वेबसाइट (पोर्टल सिस्टम) पर प्रदर्शित करने हेतु शीघ्र कार्यवाही करें।
- किसी भी प्रकार के विवाद/मतभिन्नता की अवस्था में अनुबन्ध पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

1. मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग की सेवाओं के नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का मुख्य दायित्व क्वालिटी एश्योरेंस टीम का होगा। इस कार्य में हॉस्पिटल मैनेजर द्वारा प्रमुखता से सहयोग दिया जायेगा।
2. जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सालयों में मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग व्यवस्था का जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठकों एवं विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठकों में नियमित अनुश्रवण किया जाए।
3. जनता को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु राज्य, मण्डल तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान चिकित्सालयों की मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग व्यवस्था का अनुश्रवण किया जायेगा।
4. चिकित्सालय स्तर पर नोडल अधिकारी नामित कर दैनिक आधार पर कन्ज्यूमेबल्स के स्टॉक रजिस्टर, वितरण आदि का भौतिक सत्यापन कराया जाये।
5. भुगतान हेतु निर्धारित परफारमेंन्स इंडिकेटर्स दैनिक आधार पर विभागीय नोडल अधिकारियों एवं मैट्रन द्वारा भरा जाये तथा उनके चेकलिस्ट को संकलित कर भुगतान हेतु नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये एवं मानक पूर्ण न होने पर नियमानुसार 'पेनाल्टी' लगायी जाये।
6. डेली राउण्ड के दौरान चिकित्सालय की सफाई की फीडबैक रजिस्टर में अंकित करायी जाये तथा सुधारात्मक कार्यवाही हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

16.4 उपकेन्द्र की साफ–सफाई हेतु दिशा निर्देश

भारत सरकार के स्तर से प्रदेश में 25730 उपकेन्द्रों की साफ सफाई हेतु रू0 1000.00 प्रति उपकेन्द्र/माह की दर से एक वर्ष के लिए धनराशि रू0 30,87,60,000/– (तीस करोड़ सत्तासी लाख, साठ हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रत्येक उपकेन्द्र की साफ सफाई हेतु एफ0एम0आर0 कोड– 175.4 के अन्तर्गत रू0 1000.00 प्रतिमाह की धनराशि का समुचित उपयोग दिशा निर्देश के अनुसार किया जाना है, जो कि निम्नवत् है –

1. स्वीकृति धनराशि का व्यय अंशकालिक स्वैच्छिक सफाई कर्मी के मानदेय पर किया जायेगा जिसके द्वारा उपकेन्द्र परिसर, कक्ष व स्वचालय की प्रतिदिन प्रातः सफाई की जायेगी साथ ही आवश्यकतानुसार फर्नीचर, रैक, लेबर टेबिल, एवं कड़ेदान आदि की सफाई ए0एन0एम0 के निर्देशानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उपकेन्द्र की साफ सफाई हेतु आवश्यक सामग्री यथा झाड़ू, डस्टर, फिनायन, साबुन, ब्लीचिंग पाउडर, वाईपर इत्यादि की उपलब्धता सम्बन्धित उपकेन्द्र अनटाइड फण्ड के मद में उपलब्ध धनराशि से की जायेगी।

3. उपकेन्द्र की साफ सफाई का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित केन्द्र की ए0एन0एम0 का होगा। जिसका नियमित मूल्यांकन एवं अनुश्रवण उस क्षेत्र के सम्बन्धित स्वास्थ्य पर्यवेक्षक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में नियमानुसार सम्बन्धित सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 के आर0के0एस0 खातें में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से स्थानान्तरित की जायेगी।
5. सम्बन्धित अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा सम्बन्धित उपकेन्द्र की ए0एन0एम0 द्वारा सत्यापित बाउचर के आधार पर सम्बन्धित सफाई कर्मी के खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से धनराशि स्थानान्तरित की जायेगी। ए0एन0एम0 द्वारा सभी सत्यापित बिल एवं बाउचर आडिट हेतु सुरक्षित रखे जायेंगे।
6. उपरोक्त धनराशि के सदुपयोग का उत्तदायित्व सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का होगा एवं उनके द्वारा नियमित क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान उपकेन्द्रों की साफ सफाई की व्यवस्था की व्यवस्था का भी अनुश्रवण किया जायेगा।
7. स्टेट बजट अथवा अन्य किसी भी योजना से यदि उक्त मद में कोई धनराशि प्राप्त होती है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा, तथा प्रकरण महानिदेशक परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जायेगा, जिससे भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो।
8. धनराशि का आवंटन मात्र व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता है, अपितु आपरेशनल गाइडलाइन फार फाईनेन्शियल मैनेजमेण्ट में की गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों व अन्य प्रभारी संगत नियमों/निर्देशों तथा राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का समस्त स्तरों पर पालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा, किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सक्षम अधिकारी जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

16.5 प्रदेश की समस्त चिकित्सा इकाईयों पर उत्सर्जित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

आप अवगत है कि प्रदेश के जिला स्तरीय चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ब्लॉक स्तरीय पी0एच0सी0, अरबन पी0एच0सी0, एम0सी0एच0 विंग, पी0एच0सी0 एवं सब सेंटर (जहां पर प्रसव का कार्य किया जाता है) तथा ट्रामा सेन्टर पर उत्सर्जित बायो मेडिकल वेस्ट (उपचार एवं चिकित्सीय जॉच से उत्पन्न होने वाले जैव अपशिष्टों) का एकत्रीकरण, परिवहन एवं निस्तारण किया जा रहा है। प्रदेश के 61 जनपदों हेतु बायो मेडिकल वेस्ट के एकत्रीकरण, परिवहन एवं निस्तारण हेतु केन्द्रीकृत निविदा के माध्यम से सेवा प्रदाताओं द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण संबंधी सेवायें प्रदान की जा रही है एवं शेष 14 जनपदों के जिला स्तर एवं ब्लाक स्तरीय चिकित्सालयों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु सेवाओं का कार्य जिला स्तर से किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में जिला स्तरीय एवं ग्रामीण चिकित्सालयों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु राज्य स्तर पर नवीन केन्द्रीयकृत निविदा प्रक्रियाधीन है। अतः वित्तीय वर्ष 2024–25 में एक वर्ष तक अथवा केन्द्रीयकृत निविदा होने तक (जो भी पहले घटित हो) पूर्ववत् व्यवस्था जारी रहेगी।

उक्त के क्रम में प्रदेश की समस्त चिकित्सा इकाईयों पर उत्सर्जित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

1. भारत सरकार के राजपत्र बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 यथा संशोधित रूल्स, 2018 का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 यथा संशोधित रूल, 2018 में निहित प्रविधानों के अनुसार नियमो का अनुपालन न करने पर चिकित्सा इकाई के प्रभारी के विरुद्ध जुर्माना व सजा का भी प्राविधान है, जिसके लिये चिकित्सा इकाईयों के प्रभारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. प्रत्येक चिकित्सा इकाई को प्रश्नगत प्रयोजन हेतु क्षेत्रीय/स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक चिकित्सालय के प्रभारी, चिकित्सालय में उत्सर्जित हो रहे विभिन्न श्रेणियों के बायो मेडिकल वेस्ट को नियमानुसार पृथक–पृथक कलर कोडिंग के अनुसार पीला, लाल बैग्स तथा सफेद एवं

नीले कन्टेनर/बाक्स में एकत्रित कर कॉमन ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी द्वारा नियामानुसार निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

4. कन्टेनर पर बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 यथा संशोधित रूल्स, 2018 की अनुसूची–iv, A & B में वर्णित चित्र के अनुसार नामांकन किया जाये।
5. बायो मेडिकल वेस्ट के पृथककरण, भण्डारण एवं परिवहन के समय शारीरिक सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें।
6. चिकित्सालय में उत्सर्जित हो रहे विभिन्न श्रेणियों के बायो मेडिकल वेस्ट को अधिकतम 48 घण्टे के अन्दर निस्तारित कराना अनिवार्य होगा।
7. प्रत्येक चिकित्सालय प्रभारी का दायित्व होगा कि वह एक रजिस्टर तैयार कराये, जिसमें प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले विभिन्न प्रकार के बायो मेडिकल वेस्ट की मात्रा तथा कब और किसके द्वारा कॉमन ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी पर निस्तारण हेतु भेजा गया, को अंकित किया जाये।
8. प्रत्येक चिकित्सालय प्रभारी का दायित्व होगा कि वह बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 यथा संशोधित रूल्स, 2018 के प्रारूप–4 (नियम–13) के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर प्रत्येक वर्ष जून 30 तक या उससे पहले उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करते हुये, रिपोर्ट की एक प्रति इस महानिदेशालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। समस्त स्वास्थ्य इकाईयों द्वारा उक्त वार्षिक रिपोर्ट का प्रदर्शन चिकित्सा इकाई की वेबसाइट पर भी किया जाना अपेक्षित है।
9. चिकित्सा इकाई प्रभारी/नोडल आफिसर प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का डाटा http://bmwmis.uphssp.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. सामान्यतः जनपदों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु दो या तीन कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी कार्यशील है, जिन्हें उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है। अतः जनपद हेतु अनुमन्य कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी से निविदा के आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित कराने के उपरान्त ही बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाये।
11. प्रत्येक चिकित्सालय सेवाप्रदाता को भुगतान करने से पूर्व जाँच ले कि कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट फैसिलिटी क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकृत/सत्यापित है।

चिकित्सालयों के बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु कॉमन ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइडर को निविदा के आधार पर अनुबन्धित करने हेतु मार्गदर्शक नियम एवं शर्तेः–

1. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कॉमन ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइडर ही निविदा में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे।
2. शहरी क्षेत्र के चिकित्सा इकाईयों हेतु प्रतिदिन शैय्या उपयोगिता दर के आधार पर दरें प्राप्त की जायेगी तथा जो इकाईयाँ नगर निगम/नगर पालिका की सीमा के बाहर स्थित हैं, उन पर उत्सर्जित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु अलग से दरें प्राप्त की जायेंगी।
3. सर्विस प्रोवाइडर को प्रति दिन संबंधित चिकित्सालय परिसर में आकर निर्दिष्ट स्थल से बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु ले जाना होगा। प्रत्येक दशा में बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण अनिवार्य रूप से 48 घंटे के अन्दर किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित सर्विस प्रोवाइडर का होगा।
4. सर्विस प्रोवाइडर द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट के संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण से संबंधित समस्त कार्य बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 यथा संशोधित रूल्स, 2018 में निहित प्राविधानों के अनुसार किये जाने की बाध्यता होगी। उक्त रूल्स का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण विधिक एवं आर्थिक उत्तदायित्व संबंधित सर्विस प्रोवाइडर का होगा।
5. बायो मेडिकल वेस्ट का संग्रहण परिवहन तथा निस्तारण किये जाने हेतु आवश्यक कंज्युमेबिल्स एवं अन्य सामग्री की पर्याप्त एवं निर्बाध आपूर्ति संबंधित सर्विस प्रोवाइडर के साथ किये गये अनुबन्ध के अनुसार सुनिश्चित की जाये।
6. बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण तथा कंज्यूमेबिल व अन्य सामग्री की आपूर्ति हेतु पृथक–पृथक दरें संबंधित निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी।
7. निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित अन्य समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. सेवाप्रदाता एजेन्सी के चयन में भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा को ध्यान में रखते हुये ही दरों का निर्धारण किया जाये।

<u>उपरोक्त सभी बिन्दुओं का उल्लेख सेवा प्रदाता एजेन्सी के अनुबन्ध में अवश्य इंगित करें।</u>

जिन जनपदों में केन्द्रीयकृत निविदा नहीं हुई है उनके द्वारा केन्द्रीयकृत निविदा होने तक के लिये अधिकतम रू0 25.00 प्रति शैय्या प्रति दिन से जनपद स्तर पर निविदा करते हुये बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण अपेक्षित है।

<u>वित्तीय व्यवस्था–</u>

प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण चिकित्सालयों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 में जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों हेतु एक वर्ष के लिये एफ0एम0आर0 कोड संख्या 175.1 के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 11570.03 लाख स्वीकृत की गयी है। जिला स्तरीय चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ब्लॉक स्तरीय पी0एच0सी0, अरबन पी0एच0सी0, एम0सी0एच0 विंग पी0एच0सी0 एवं सब सेंटर (जहां पर प्रसव का कार्य किया जाता है), तथा ट्रामा सेन्टर में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु एफ0एम0आर0 कोड संख्या 175.1 में 06 माह अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 (183 दिन) के लिए कुल धनराशि रू0 5800.87 लाख (अट्ठावन करोड़, सत्तासी हजार मात्र) जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है।

- चिन्हित चिकित्सालयों में नियमित बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त एन0एच0एम0 फाइनेन्शियल मैनुअल के वित्तीय नियमों के प्राविधानों के अनुसार सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि से किया जाये।
- चिकित्सा इकाईयों में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट के (सर्विसेज एवं कन्ज्यूमेबिल्स) मद में किया जाने वाला भुगतान एन0एच0एम0 द्वारा अनुमन्य राशि से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा सम्बन्धित प्रभारी स्वयं इसके जिम्मेदार होगें।
- प्रश्नगत धनराशि का व्यय–विवरण मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से मासिक वित्तीय रिपोर्ट राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ को प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायें।
- जिला स्वास्थ्य समिति को अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग नियमों की परिधि में सुनिश्चित करें।
- समस्त भुगतान फैम्स साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए PFMS पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि व्यय धनराशि एव उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सके।
- भारत सरकार की मंशानुसार प्रत्येक मुख्य चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व है कि उनके द्वारा सेवा प्रदाता एजेन्सी का नाम एवं विवरण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जाये।
- यदि उक्त मद में स्टेट बजट अथवा किसी अन्य योजना से कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति अथवा विधिक वाद की संभावनाओं से बचने के लिये एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपयोग न करते हुये प्रकरण को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 एवं मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाये।

16.6 जिला स्तरीय चिकित्सालयों (129) एवं ग्रामीण क्षेत्रों की 936 सी0एच0सी0 delivery points पर पी0ओ0एल0 फॉर जनरेटर मद में अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश।

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 की वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रदेश के 129 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों के लिये रू0 35000/माह/इकाई की दर से धनराशि रू0 541.80 लाख एवं 936 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये रु0 17500/माह/इकाई की दर से धनराशि रू0 1965.60 लाख, इस प्रकार Quality Assurance Implement & Mera Aspataal के अंतर्गत पावर बेकअप हेतु पी0ओ0एल0 फॉर जनरेटर के लिय कुल धनराशि रू0 2507.40 लाख (पच्चीस करोड़ सात लाख चालीस हजार मात्र) एफ0एम0आर0 कोड 175.6 के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को धनराशि आवंटित की गई है।

समस्त प्रभारी अधिकारी जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर विद्युत विभाग से विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित रोस्टर प्राप्त कर लें एवं उसके अनुसार विद्युत बाधित होने की स्थिति में जनरेटर का उपयोग किया जाए तथा जनपद के अभियन्ता अथवा मण्डलीय तकनीकी परामर्शी द्वारा जांच कराकर जनरेटर की औसत उचित खपत की जांच कर लॉगबुक में अंकित की जाय। चिकित्सा इकाइयों में निर्बाध रूप से 24 X 7 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित की जाये जिससे कि विभाग की छवि धूमिल न हो।

1. जनरेटर की लॉगबुक प्रतिदिन भरी जाए, लांगबुक में विद्युत बाधित होने की अवधि, जनरेटर चलाये जाने की अवधि, पी0ओ0एल0 की खपत दर्शायी जाए। स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी अधिकारी, द्वारा प्रतिदिन लॉगबुक का सत्यापन किया जाए।
2. जिन स्वास्थ्य इकाई में जनरेटर आपरेटर नियुक्त न हों, वहां पर प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई पर इस कार्य का दायित्व एक जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी को सौंपा जाए।
3. राज्य स्तरीय, मण्डल स्तरीय अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अन्य जनपदीय अधिकारियों द्वारा इकाइयों के निरीक्षण में समय–समय पर विशेष रूप से रात्रि कालीन निरीक्षण के दौरान विद्युत बाधित होने कि स्थिति में जनरेटर की क्रियाशीलता तथा लॉगबुक का सत्यापन किया जाए, तथा निरीक्षण आख्या में किसी प्रकार की प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित किये जाने की स्थिति में कार्यवाही कर राज्य स्तर पर अवगत कराया जाए।
4. स्टेट बजट अथवा अन्य किसी योजनाओं से यदि उक्त मद में कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपयोग न किया जाये तथा प्रकरण को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तथा मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 के संज्ञान में लाया जाये, जिससे किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी के कारण भविष्य में होने वाले अनावश्यक विधिक वाद की संभावनाओं से बचा जा सकें।
5. किसी प्रकार का व्ययावर्तन (Diversion) न किया जाए।
6. चिकित्सा इकाईयों द्वारा मदवार पी0ओ0एल0 फॉर जनरेटर हेतु बीजक की मूल प्रति सुरक्षित रखा जाये एवं स्टॉक एंट्री की जाये।
7. सम्बन्धित जिला स्तरीय चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सतत् अभिलेखों का रख–रखाव सुनिश्चित किया जाये।
8. पी0ओ0एल0 फॉर जनरेटर से सम्बन्धित समस्त बीजको के सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक की होगी तथा सभी बीजक सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रति सत्यापित किये जायेगे।
9. प्रति इकाई आवंटित की गयी धनराशि का उपयोग वास्तविक विद्युत कटौती के दृष्टिगत अधिकतम सीमा में ही किया जाना है।
10. समस्त भुगतान फैम्स साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए PFMS पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि व्यय धनराशि एव उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सके।
11. जिलाधिकारी स्तर से गठित समिति के द्वारा न्यूनतम 10 प्रतिशत रैंडम बिलों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाये।
12. धनराशि का आवंटन मात्र व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु आपरेशनल गाइडलाइन फार फाइनेन्शियल मैनजमेन्ट में की गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी संगत नियमों/निर्देशों एवं राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का समस्त स्तरों पर पालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सक्षम प्राधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगें।

अतएव उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में पी0ओ0एल0 फॉर जनरेटर के लिए सुचारू संचालन हेतु गतिविधिवार तालिका एवं दिशा–निर्देश के अनुरूप आवंटित वित्तीय सीमा में सभी शासकीय एवं वित्तीय नियमों का पालन करते हुए व्यय किया जाना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार पी0ओ0एल0 फॉर जनरेटर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रत्येक माह की प्रगति रिपोर्ट एस0पी0एम0यू0 एवं महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायें।

17. मानव संसाधन

17.1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा कर्मियो की तैनाती के संबंध में सामान्य नियम, जी0आर0सी0 एवं एच0आर0 पॉलिसी का अनुपालन किये जाने के संबंध में:—

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा कर्मियों की तैनाती/अनुबन्ध के नवीनीकरण के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त निर्देशों को संकलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु दिशा—निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

2. सभी चयन/तैनाती के सम्बन्ध में जो दिशा—निर्देश जारी किये जा रहे हैं, उन पर सर्वप्रथम जिला स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत गठित शासी निकाय में चर्चा/विचार—विमर्श किया जायेगा। चर्चा/विचार विमर्श के उपरान्त उक्त पर सहमति प्राप्त की जायेगी। यदि शासी निकाय की बैठक में विलम्ब हो रहा हो तो अध्यक्ष—शासी निकाय से पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाये। इस आदेश में जो दिशा—निर्देश दिये गये हैं उन दिशा—निर्देशों के क्रम में कार्मिकों की तैनाती/अनुबन्ध का नवीनीकरण किया जायेगा।

3. यह संज्ञान में आया है कि कुछ (कतिपय) जनपदों में भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक मानव संसाधन (कार्मिक) रख लिये जाते हैं और उनका वेतन भी निर्गत किया जाता है, जो कि नियम विरुद्ध/गैर कानूनी की श्रेणी में आता है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी भी जनपद द्वारा ऐसा किया गया तो सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

4. यह संज्ञान में आया है कि कुछ (कतिपय) जनपदो में अधिकतम मानदेय हेतु स्वीकृत बजट को प्रतिमाह वेतन के रूप में आहरित किया जाता हैं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मानदेय का निर्धारण नियुक्ति के समय निर्धारित मानदेय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि एवं लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस के आधार पर नियमानुसार देय हैं। उपरोक्त निर्धारित मानदेय में किसी भी प्रकार का पुर्नरीक्षण राज्य स्तर की अनुमति के उपरान्त ही अनुमन्य/मान्य होगा। यदि किसी भी जनपद में इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मी के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5. प्रत्येक संविदाकर्मी का छमाही मूल्यांकन Appropriate Authority द्वारा निर्धारित प्रारूप पर किया जायेगा, उक्त प्रारूप पर सूचना पूर्ण रूप से संकलित/भरकर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा। Appraisal प्रारूप न होने की स्थिति में संविदा कर्मियों के वेतन आहरण पर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यालय के स्तर से रोक लगाई जा सकती हैं (प्रथम छमाही अप्रेजल किये जाने के पश्चात् किसी संविदाकर्मी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उसे चेतावनी—पत्र इस आशय के साथ निर्गत किया जायेगा कि वह अपने कार्य व व्यवहार में अतिशीघ्र सुधार कर लें)। प्रथम छमाही अप्रेजल उपरान्त किसी भी संविदाकर्मी की सेवा—समाप्ति नहीं की जायेगी।

6. यह पुनः अवगत कराया जाता है कि जनपद स्तर पर तैनात समस्त संविदा कर्मियों का अनुबन्ध संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के साथ ही किया जायेगा।

7. संविदा कर्मियों/चिकित्सकों इत्यादि की तैनाती स्थान विशेष के लिये होगी। जिन चिकित्सा इकाईयों पर नियमित पद भरे हुए हैं, उन इकाईयों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा के आधार पर तैनाती नहीं की जाएगी। चिकित्सा इकाईयों पर नियमित पद के सापेक्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा के आधार पर तैनाती होने की दशा में सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मियो हेतु मानव संसाधन नीति पत्रांक संख्याः 501/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एच0आर0पॉलिसी/2019—20/7790 दिनांक 13.12.2019 के माध्यम से दिनांक 01.04.2019 से लागू की गयी है। जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पोर्टल www.upnrhm.gov.in पर गाइडलाइन सेक्शन में उपलब्ध है।

9. नियत मासिक मानदेय पर तैनात किये गये समस्त संविदा कर्मियों एवं चिकित्सक, नियमित सेवाओं के कर्मी एवं चिकित्सक की भांति ही नियत रोस्टर के अनुसार कार्य करेंगे तथा प्रभारी

अधिकारी की सहमति से इन्हें आकस्मिक अवकाश (कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 14), चिकित्सकीय अवकाश (कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 16) तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात् देय होंगे।

एक कैलेंडर वर्ष में संविदा कर्मचारी की अप्रयुक्त (शेष) चिकित्सकीय अवकाशों को अगले वर्ष में अग्रसारित किया जायेगा। संविदा कर्मी की पूर्ण सेवा अवधि में चिकित्सकीय अवकाश के संचय की अधिकतम सीमा 120 दिवसों की मान्य होगी। जिन संविदा कर्मियों द्वारा रोस्टर के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है ऐसे कर्मियों को राजपत्रित अवकाश हेतु पूर्व से अनुमति लिया जाना आवश्यक नहीं है।

10. **(A)** समस्त महिला संविदा कर्मियों को मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट 1961 एवं मानव संसाधन नीति में वर्णित नियमों के अन्तर्गत 180 दिन का मातृत्व अवकाश सवेतन अनुमन्य होगा।
The Maternity Benefit (Ammendment) Act, 2017, an act further to amend the Maternity Benefit Act, 1961 vide Official Gazette registered no. DL-(N)04/007/2003-17 dated 28.03.2017. The Maternity Benefit (Ammendment) Act, 2017 made ammendments in the the Principle Maternity Benefit Act, 1961 accordindly section 5 has been amended the details are mentioned as follows:

- **<u>Section 5:</u>** In the principal act, in section5, A In sub-section (3) -

i. For the words "twelve weeks of which not more than six weeks", the words "twenty-six weeks of which not more than eight weeks" shall be substituted;

ii. After sub-section (3) and before the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the maximum period entitled to maternity benefit by a woman having two or more than two surviving children shall be twelve weeks of which not more than six weeks shall precede the date of her expected delivery."

Note: As per Maternity Benefit Act,1961 "No woman shall be entitled to maternity benefit unless she has actually worked in as establishment of the employer from whom she claims maternity benefit, for a period of not less than 80 days in the twelve months immediately preceeding the date of her expected delivery".

<u>Note: All Female employees (excluding Trainees) working under NHM, UP are eligible for Maternity Leaves as per the Principle Maternity Benefit Act, 1961 & The Maternity Benefit (Ammendment) Act,2017.</u>

For further more information kindly refer the Maternity Benefit Act, 1961 & The Maternity Benefit (Ammendment) Act,2017 for reference.

यदि कोई महिला कर्मी मातृत्व अवकाश का उपभोग करती है तो उस अवधि में महिला कर्मी को अनिवार्य रूप से नियमित वेतन निर्गत कराया जाना सुनिश्चित करें।

यदि किसी भी जनपद में इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मी के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी एवं उपरोक्त हेतु संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला लेखा प्रबंधक उत्तरदायी होगें।

(B) समस्त पुरूष संविदा कर्मियों को 15 दिवसों (साप्ताहिक अवकाश/छुट्टियों को छोड़कर) का पितृत्व अवकाश, एच0आर0 पॉलिसी में वर्णित नियमों के अनुसार सवेतन अनुमन्य होगा।

11. **मण्डल/जनपद स्तर पर किसी संविदा कर्मी के नवीन तैनाती, त्याग–पत्र, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, मानव संसाधन नीति में अनुमोदित अवकाश के समाप्ति के उपरान्त यदि कोई कर्मी किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग जैसे कि अवैतनिक अवकाश/चिकित्सकीय अवकाश इत्यादि करता है तो इन सभी का अनुमोदन पूर्वोत्तर/कार्योत्तर संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति से लेना अनिवार्य है।**

12. यदि कोई संविदाकर्मी बिना किसी विशेष (विशिष्ट) कारण अथवा पूर्व सूचना के अपने कार्यस्थल (ड्यूटी) से लगातार 07 दिवसों से अधिक समय तक अथवा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो मानव संसाधन नीति में वर्णित व्यवस्था के अनुसार संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा

कार्यवाही की जायेगी। ऐसे संविदाकर्मी जो बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थिति/कार्य छोड़कर चले गये उनको 03 नोटिस प्रत्येक 07 दिवसों के अन्तराल पर देते हुये भरपूर सुनने का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त ही जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुये संविदा समाप्ति की प्रक्रिया की जायेगी एवं उक्त सूचना को मानव सम्पदा पोर्टल पर भी अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जायें। ऐसे संविदाकर्मी को उस पद पर पुनः कार्य की अनुमति/योगदान कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

13. पैरामेडिकल कर्मियों के पदों का एक ''पूल'' दिया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के पैरामेडिकल कार्मिक सम्मिलित हैं (पैरामेडिकल कर्मियों का प्रकार, कार्यक्रम विशेष द्वारा वर्णित दिशा–निर्देश (गाइडलाइन) के अनुसार होगा)। (सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 स्तर पर 80–85 प्रतिशत पैरामेडिकल तैनात किये जायें तथा आवश्यकतानुसार मात्र 15–20 प्रतिशत ही जनपदीय महिला/पुरूष एवं संयुक्त चिकित्सालयों में तैनात किये जायें। किसी भी दशा में जनपद हेतु आवंटित संख्या से अधिक पैरामेडिकल कार्मिक न रखे जायें।

14. जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज पर तैनात किये गये संविदा कर्मियों/ चिकित्सकों हेतु प्राविधानित मानदेय की धनराशि की लिमिट इन इकाइयों पर खोले गये ZBSA (Zero Balanace Subsidiary Account) बैंक खाते में जारी की जायेगी। जो संविदा कर्मी ई0पी0एफ0 के दायरे में आते है उसका भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति से किया जायेगा। सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/अन्य इकाईयों जो मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन आती है ऐसे संविदा कर्मियो के मानदेय का भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति से किया जायेगा।

15. प्रत्येक कर्मी के मानदेय के भुगतान हेतु आवश्यक है कि वह अपने लिए चिन्हित कार्यदायित्वों की प्राप्ति सुनिश्चित करें, तभी उनके मानदेय का भुगतान किया जायेगा। अनुमोदित संख्या से अधिक संख्या में मानव संसाधन की तैनाती किसी भी दशा में अनुमन्य/मान्य नहीं होगा।

16. संतोषजनक कार्य के आधार पर जो कर्मी/चिकित्साधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय से अनुमोदनोंपरान्त पुनर्अनुबन्धित कर लिये गये हैं, उनके मानदेय का भुगतान जनपदवार दी गई स्वीकृति संख्या एवं निर्धारित मानदेय के अनुसार कर दिया जाये।

17. संविदा कर्मी के जनपद पर सफलतापूर्वक दस्तावेज सत्यापन उपरान्त योगदान देने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जायें कि सम्बन्धित द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर आधार ऑथेन्टिकेशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गयी हो तथा उसका ई0एच0आर0एम0एस0 कोड को जनरेट कर लिया गया हो।

18. मण्डल/जनपद स्तर पर किसी संविदा कर्मी के नवीन तैनाती/त्याग–पत्र/मृत्यु/सेवा निवृत्त/सेवा–समाप्ति की दशा में संबंधित मण्डल/जनपद द्वारा तत्काल प्रभाव से मानव सम्पदा पोर्टल पर संबंधित कर्मी की अद्यतन सूचना को अपडेट किया जायें एवं मानव सम्पदा पोर्टल पर अपडेट होने के उपरान्त राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के संबंधित प्रोग्राम डिवीजन एवं मानव संसाधन अनुभाग को उक्त की सूचना अगले माह की 07 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

19. मानव संसाधन से सम्बन्धित किसी भी कार्यवाही हेतु सूचना मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के आधार पर की जायेगी। अतः मानव सम्पदा पोर्टल पर संविदा कर्मियों की सही एंव अद्यतन सूचना दर्ज कराना सुनिश्चित करें। केवल संविदा कर्मियों का ही रजिस्ट्रेशन मानव सम्पदा पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी विवाद की स्थिति में उत्तरदायित्व, संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति का होगा।

20. वित्तीय वर्ष 2024–25 में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में संविदा पर तैनात कर्मियों का मानदेय अलग–अलग दर पर स्वीकृत किया गया है जिसके सम्बन्ध में श्रेणीवार विस्तृत विवरण आगामी प्रस्तरो में दिया गया है।

21. वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मण्डल/जनपद स्तर पर कार्यरत कर्मियो के पदो के सापेक्ष विभिन्न एफ0एम0आर0 मदों के अन्तर्गत अनुमोदित मानदेय में गत वर्ष के सापेक्ष 05 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु स्वीकृत निम्न शर्तों के आधार पर कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

(i) ऐसे कर्मी जिनका वर्ष 2024–25 में 01 वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण हो रहा हैं, उन्हें 01 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 5% की प्रथम वार्षिक मानदेय वृद्धि उनके प्रथम वर्ष पूर्ण होने की तिथि से प्रदान की जाये।

(ii) ऐसे कर्मी जो 01 अप्रैल 2024 को 01 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर चुके है, उन्हें 01 अप्रैल 2024 से भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 5% की वार्षिक मानदेय वृद्धि प्रदान की जायें।

(iii) वित्तीय वर्ष 2024–25 में कर्मियों को संतोषजनक परफॉरमेंस के आधार पर 5% की वार्षिक मानदेय वृद्धि प्रदान करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति हेतु मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 तथा जिला स्वास्थ्य समिति हेतु अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया गया।

22. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विभिन्न एफ0एम0आर0 कोड के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 में मण्डल/जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मियों के स्वीकृत पदो के सापेक्ष एक्सीपीरियन्स बोनस (पूर्व में कहा जाने वाला लॉयल्टी बोनस) हेतु स्वीकृत निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार भुगतान किये जाने के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

(i) ऐसे संविदा कर्मी जो कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में सेवाकाल का 03 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2024 में निर्गत किये गये मानदेय में 10% एक्सपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेगा।

(ii) ऐसे संविदा कर्मी जो कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में सेवाकाल का 05 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2024 में निर्गत किये गये मानदेय मे 5% (उनको 10% एक्सपीरियन्स बोनस का लाभ पूर्व में भुगतान किया जा चुका हैं एवं शेष 5% एक्सपीरियन्स बोनस देय है) एक्सपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेगा।

(iii) ऐसी महिला संविदा कर्मी जो मातृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2024–25 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी एक्सपीरियन्स बोनस की पात्र होंगी।

(iv) ऐसे पुरुष संविदा कर्मी जो पितृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2024–25 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी एक्सपीरियन्स बोनस के पात्र होंगे।

(v) जिन संविदा कर्मियों को एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्रता अवधि में प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है, वे कर्मी एक्सपीरियन्स बोनस के पात्र नहीं होंगें।

(vi) **जिन संविदा कर्मियों द्वारा 03 वर्षों में कुल 06 माह तथा 05 वर्षों में कुल 08 माह का अवकाश लिया गया है वे कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्र नहीं होंगें।**

(vii) सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत कर्मी एक्सपीरियन्स बोनस के पात्र नहीं है।

23. **(A)** भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 10.03.2016 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति, मे कार्यरत पात्र संविदा कर्मियों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधान को लागू किया गया है। उक्त के भुगतान हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश (गाइडलाइन) का पालन किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा रू0 15,000.00 प्रतिमाह तक के मानदेय प्राप्त करने वाले पात्र संविदा कर्मियों हेतु ई0पी0एफ0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 2024–25 में प्रदान की गयी हैं। ई0पी0एफ0 का लाभ यदि रू0 15,000.00 प्रतिमाह या कम मानदेय आहरित करने पर किसी संविदाकर्मी को एक पद पर कार्य करते हुये प्राप्त हो चुका हैं तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में समान पद पर रहते हुये यदि मानदेय रू0 15,000.00 प्रतिमाह से ज्यादा होता है तो ऐसे संविदा कर्मियों को रू0 15,000.00 प्रतिमाह के मानदेय तक ई0पी0एफ0 का लाभ मिलता रहेगा। ई0पी0एफ0 हेतु

समय–समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त अन्य दिशा–निर्देशों को लागू किया गया हैं। जिसे जनपदों द्वारा ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। इसमें किसी प्रकार की लापवाही पायी गयी तो सम्बन्धित के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(B) भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति, मे सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत पात्र कर्मियों हेतु कर्मचारी बीमा योजना के प्रावधान को लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा रू0 21,000.00 प्रतिमाह (रू0 25,000.00 प्रतिमाह दिव्यांग कर्मी हेतु) तक के मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मी जोकि सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत हैं उन्हे ई0एस0आई0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 2024–25 में प्रदान की गयी है। ई0एस0आई0 हेतु समय–समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त अन्य दिशा–निर्देश लागू किया गया हैं। जिसे जनपदों द्वारा ससमय अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।

24. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में सेवाप्रदाता एजेंसी के माध्यम से कर्मियों के चयन हेतु पत्र संख्याः 144/एस0पी0एम0यू0/ डैप–एच0आर0/ नियु0/2019–20/6074–2 दिनांक 15.10.2019 के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये है। जिनका जनपद स्तर पर सेवाप्रदाता एजेंसी के माध्यम से कर्मियों के चयन हेतु पालन सुनिश्चित किया जाना है।

25. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत मण्डल/जनपद स्तर पर सेवाप्रदाता एजेंसी के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स कर्मियो हेतु सरकार द्वारा निर्धारित सभी वैधानिक अनुपालन (Statutory Compliance) जैसे कि Minimum Wages EPF, ESI, Service Charge, GST इत्यादि का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायें। मुख्य चिकित्साधिकारी/संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबधित जनपद में चयनित सेवाप्रदाता एजेंसी द्वारा वैधानिक अनुपालन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (उत्तर प्रदेश में लागू न्यूनतम मजदूरी शासनादेश के दृष्टिगत) का ससमय अनुपालन किया जाय, उदाहरण तालिकानुसार निम्नवत् है :–

For Example										
Sr. No	For monthly Honoraria per unit (In Rs) for the F.Y. 2024-25 with 5% Increment				Employer EPF & ESI		Total Rs	GST @18 %	Service Charge @4.50 %	Sub Total Rs (01 Month)
	Gross Honoraria	EPF (Employee share) @12%	ESI (Employee share) @0.75 %	Honorarium of Employee (In Rs)	Rs 15000/- (maximum ceiling) EPF Employer Share (@13%)	Rs 21,000/- (maximum ceiling) ESI (Employer Share) @ 3.25%				
1	13500	1620	101	11779	1755	439	15694	2825	706	**19225**

26. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत यदि नवीन भर्ती/नियुक्ति की गयी है तो पात्र कर्मियों (संविदा, आउटसोर्स व वेन्डर मानव संसाधन) का सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि, आयुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें एवं पूर्व से कार्यरत पात्र कर्मियों (संविदा, आउटसोर्स व वेन्डर/कोविड–19 में कार्यरत अस्थायी मानव संसाधन) के ई0पी0एफ0 ससमय ई0पी0एफ0 खाते में जमा कराकर चालान की प्रतिलिपि पत्रावली मे रक्षित करना सुनिश्चित करने के साथ राज्य स्तर पर वेतन निर्गत किये जाने की प्रारुप के साथ प्रत्येक माह की 03 तारीख तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यदि किसी जनपद में ई0पी0एफ0 के सम्बन्ध में पैनालिटी अथवा डैमेजेस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा लगाये जाते है तो उसके लिये सम्बन्धित जनपद के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0)/प्राशासनिक अधिकारी (नोडल अधिकारी) एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक व जिला लेखा प्रबन्धक पूर्णतया उत्तरदायी होंगें।

27. प्रत्येक माह की 03 तारीख तक विगत माह के मानदेय की धनराशि संविदा/आउटसोर्स/वेण्डर कर्मियों को अनिवार्य रूप से उनके खाते में मानव सम्पदा साफ्टवेयर के माध्यम से स्थानान्तरित की जायें। 01 माह से अधिक मानदेय लम्बित/न निर्गत किये जाने पर उक्त जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी। मुख्य चिकित्साधिकारी/ संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, उपरोक्त उल्लिखित संविदा/आउटसोर्स/वेण्डर कर्मियों का मानदेय उपरोक्त उल्लिखित तिथि तक निर्गत किये जाने व समस्त वैधानिक अनुपालन जैसे ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, सर्विस चार्ज, जी0एस0टी0, वेतन वृद्धि, एक्सपीरियन्स बोनस (संविदाकर्मी) इत्यादि (Statutory Compliance) का विगत् माह का जमा चालान प्राप्त करने के उपरान्त मानदेय निर्गत करें एवं प्रत्येक माह की 03 तारीख तक पूर्व प्रेषित प्रारूप पर निर्गत किये गये मानदेय (सैलेरी सर्टिफिकेट) ससमय मानव ससांधन अनुभाग एवं वित्त अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं उक्त को जिला स्वास्थ्य समिति बैठक के कार्यवृत्त में सम्मिलित कराना भी सुनिश्चित करें।

28. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत संविदा कर्मियों की कार्य करने हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी, किन्तु संविदा पर कार्यरत चिकित्सा कार्य हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं चिकित्सकों (एम0बी0बी0एस0) को शारीरिक एव मानसिक रुप से स्वस्थ्य होने पर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष का प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है तथा संविदा पद पर कार्य करने की इनकी अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष तक की होगी (आयुष चिकित्साधिकारी एवं आयुष विशेषज्ञ की आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष ही होगी जिस हेतु दिशा–निर्देश पत्र संख्याः 03/SPMU/NHM/AYUSH/Manav Sansadhan/2018-19/2457 दिनांक 18.06.2019 से प्रेषित किया गया)। **नोटः–चिकित्साधिकारी (एम0बी0बी0एस0) एवं विशेषज्ञ के रिक्त पदो पर समस्त श्रेणी (अनारक्षित, ई0डब्ल्यू0एस0, ओ0बी0सी0–एन0सी0एल0, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण हेतु आयु के समस्त लाभोपरान्त (After Availing all the age relaxation benefits) आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। आवेदन हेतु अभ्यर्थियों की आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से की जायेगी (इच्छुक अभ्यर्थी की आयु विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि पर 65 वर्ष से अधिक न हों)।**

29. पत्र संख्या–648/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एच0आर0/2022–23/8683 दिनांक 15.02. 2023 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत विशेषज्ञ के रिक्त पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन बिडिंग के माध्यम से राज्य स्तर पर सम्पादित किये जाने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदो को पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त के क्रम मे विशेषज्ञ के रिक्त पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन बिडिंग के माध्यम से राज्य स्तर से सम्पादित की जा रही है।

30. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में डिस्ट्रिक्ट वॉक इन के माध्यम से संविदा चिकित्साधिकारियों (एम0बी0बी0एस0) के रिक्त पदो हेतु भर्ती प्रक्रिया सम्पादित करते हुये जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोंपरान्त तैनाती किये जाने हेतु पत्र संख्या–179/एस.पी.एम.यू. /एन.एच.एम./ डिस्ट्रिक्ट/वॉक–इन–इंटरव्यू/2023–24/4150 दिनांक 18.08.2023 के माध्यम से जनपदों को अधिकृत किया गया है एवं राज्य स्तर से अनुमोदन की बाध्यता को समाप्त किया गया है।

30.1 <u>कमेटी का गठनः–</u>

30.1.1 जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति–अध्यक्ष अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी–ADM/CDO।

30.1.2 मुख्य चिकित्साधिकारी/संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति–सदस्य।

30.1.3 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक–सदस्य।

30.1.4 जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0–सदस्य।

30.1.5 मुख्य कोषाधिकारी–सदस्य।

30.1.6 जिला लेखा प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0–सदस्य।

नोट– उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त चयन समिति में प्रत्येक वर्ग विशेष (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के सदस्य का प्रतिनिधित्व हो यदि ऐसा संभव नही है तो ऐसे वर्ग विशेष के सदस्य को विशेष आमंत्री के रूप में चयन समिति में जोड़ा जाएगा।

नोटः– *उपरोक्त वर्णित समिति के अतिरिक्त अन्य गठित समिति द्वारा की गयी भर्ती प्रक्रिया किसी भी दशा मे मान्य नही होगी।*

30.2 भर्ती प्रक्रिया में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायें।

30.3 इच्छुक अभ्यर्थियो की आयु विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि पर 65 वर्ष से अधिक न हो।

30.4 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मी यदि भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग करते है तो जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत लागू मानव संसाधन नीति के अनुसार NOC व अन्य का पालन सुनिश्चित किया जाये।

30.5 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत सम्पादित सभी भर्ती प्रक्रियाओं में कोविड–19 काल में कार्यरत कर्मियों को कोविड–19 सेवाकाल में दी गयी सक्रिय सेवाओं के क्रम में ए0एम0एस0 पोर्टल पर पंजीकृत अल्पकालिक आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों को क्यू0आर0 कोड आधारित अनुभव प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित जनपद द्वारा निर्गत) प्रस्तुत करने के आधार पर निम्नानुसार अधिमानी अंक प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसकी अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत अंक निर्धारित हैः–

- 06 माह की कोविड–19 में सेवा पूर्ण किये जाने पर 05 प्रतिशत अतिरिक्त अंक।
- 01 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अंक।
- 01 वर्ष 05 माह या उससे अधिक सेवा पूर्ण किये जाने पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त अंक।

अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम अंक प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिमानी अंक प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

- क्यू0आर0 कोविड अनुभव प्रमाण पत्र से सम्बन्धित पूर्ण दिशा–निर्देश समय–समय पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया के दौरान जारी किये जाते है।

30.6 अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोंपरान्त ही तैनाती, सेवा समाप्ति (एक अवसर सुनने का प्रदान किया जायेगा) एवं त्याग पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त से सम्बन्धित यदि कोई शिकायत, वाद–विवाद/कोर्ट केस, आर0टी0आई एवं अन्य प्राप्त होने की दशा में जिला स्वास्थ्य समिति स्वयं उत्तरदायी होगी।

31. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–10/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एच0आर0/विविध/2023–24/4908 दिनांक 12.09.2023 एवं पत्र संख्या–307/पांच–09–2024 दिनांक 21.02.2024 एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या–10/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एच0आर0/विविध/ 2023–24/4157 दिनांक 18.08.2023 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन कार्यरत किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण न किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

31.1 यदि किसी भी संविदा कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यदि कोई न्यायिक कार्यवाही होती है तो स्थानान्तरण करने वाले अधिकारी इसके लिये स्वयं उत्तरदायीं होंगें उक्त स्थानान्तरण की जिम्मेदारी राज्य द्वारा किसी भी दशा में व्यवहृत नहीं की जायेगी।

31.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा संविदा कर्मियों की नियुक्ति स्थान विशेष के लिये की जाती है।

31.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत भर्ती हेतु विज्ञापन विज्ञप्ति में भी यह वर्णित हैः– The posts are non-transferable.

31.4 राज्य स्तर से चयनित अभ्यर्थियों हेतु निर्गत ऑफर लेटर में भी यह वर्णित होता है कि "No transfer shall be done to another facility of concerned District Health Society/District in any circumstances."

32. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन तैनात संविदा कर्मियो की चेकलिस्ट अनुसार पर्सनल फाइल संबंधित जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में संरक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

33. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में राज्य स्तर से अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त सम्बन्धित जनपदों को जनपद स्तर पर एक कमेटी नामित करते हुये दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। सम्बन्धित जनपदों से अपेक्षा है कि चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों का विज्ञापन में वर्णित वांछित योग्यता से मिलान करने के उपरान्त ही सफल अभ्यर्थियों की योगदान आख्या लेना सुनिश्चित करें।

34. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में चिकित्सा इकाई (सर्विस डिलीवरी) के मानव संसाधन को किसी भी दशा में सम्बद्ध नहीं किया जायेगा।

35. संविदाकर्मी/चिकित्सक सेवा–अवधि के लिए पेन्शन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे। इन्हें ऐसे सेवा–अवधि के लिए कोई बोनस आदि देय नहीं होगा।

36. संविदाकर्मी/चिकित्सक अपने विनियमतीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे और न ही उन्हें निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।

37. संविदा पर कार्यरत चिकित्सक/कर्मी की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस अथवा एक माह का समतुल्य मानदेय देकर उनकी सेवाये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 से समाप्त की जा सकती है।

38. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में राशि का व्यय ऑपरेशनल दिशा–निर्देश/गाइडलाइन्स फार आपरेशनल मैनेजमेंट में दी गई व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का अनुपालन करते हुए सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही की जायेंगी।

39. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत जनपदो में कार्यरत संविदा कर्मचारियो द्वारा कार्य में अनियमितता पाये जाने पर पत्रांक संख्याः 197/एस0पी0एम0यू0/ डैप–एच0आर0/ जी0आर0सी0/ 2018–19/12394 (75)–11 दिनांक 07.03.2019 में वर्णित दिशा–निर्देशो के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।

40. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत मण्डल/जनपद स्तर पर संविदा कर्मियो की समस्या के समाधान हेतु Grievance Redressal Committee का गठन किया गया है। उक्त के संदर्भ में पत्र संख्याः 24/एस0पी0एम0यू0/डैप–एच0आर0/शासन/2018–19/1769 दिनांक 26.05.2018 एवं 197/SPMU/ DAP-HR/GRC/2019-20/315 दिनांक 10.04.2019 एवं पत्र संख्या–199/एस0पी0एम0यू0/डैप–एच0आर0 /जी0आर0सी0/2023–24/3244–3 दिनांक 19.07.2023 में वर्णित दिशा–निर्देशो के अनुसार नियमित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।

41. मण्डल/जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मी यदि व्यक्तिगत कारणों से राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0 पर आते है तो सक्षम अधिकारी से अवकाश एवं स्टेशन अवकाश के अनुमोदनोपरान्त, अवकाश की प्रति के साथ राज्य स्तर पर आना सुनिश्चित करें।

42. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत जनपद/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत कर्मचारियो के लिए प्राशासनिक संरचना तथा राज्य/जनपद स्तर पर कार्यरत कर्मियो के वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु

मूल्यांकन के लिए पदानुक्रम अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं सेवा नवीनीकरण के सम्बन्ध मे दिशा निर्देश पत्र संख्या–06 / एस0पी0एम0यू / एच0आर0 / 2024–25 / 1288–2 दिनांक–07.06.2024 के माध्यम से प्रेषित किये गये है।

17.2 पैरामेडिकल स्टाफ (लैब टेक्नीशियन, एक्स–रे टेक्नीशियन) (एफ0एम0आर0 8.1.1.5.1 (FAMS FMR Code- 185.C.S0046) एवं 8.1.1.9 (FAMS FMR Code- 185.C.S0078))

वित्तीय वर्ष 2024–25 में संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन, एक्स–रे टेक्नीशियन रु0 23227.00 (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 15,923.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) तथा नियमानुसार अतिरिक्त बजट ई0पी0एफ0 हेतु पद / मानदेय बजट ओल्ड एफ.एम. आर. कोड संख्या 8.1.1.5.1, 8.1.1.9/S.NO 185 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2024–25 में 05 प्रतिशत की बढ़ोतरी केवल उन संविदाकर्मी पर लागू होगी, जिन्होंने एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। तदनुसार अनुबन्ध पत्रों में संशोधन करा लिया जायें।

कर्त्तव्य एवं दायित्वः–

संविदा पर पैरामेडिकल स्टाफ (लैब टेक्नीशियन एवं एक्स–रे टेक्नीशियन) को अपेक्षित कार्यों एवं दायित्वों के अनुसार कार्यों का निर्वहन करना होगा। इनकी ड्यूटी भी निर्देशानुसार शिफ्ट् में लगाई जा सकती है।

Performance Appraisal Form (Lab Technician)

PART-I

Review period: Name: Date of joining: Location: Date of completion of contract:

PART-II

Performance & Achievements (Please comment on the major achievements during the reporting period)

Lab Technician		
Sl.No.	**Activities**	**Achievement** (2023-24)
1.	No. of routine blood tests (TLC/DLC/Haemoglobin/ESR	
2.	Stool and urine tests	
3.	Bleeding time, clotting time	
4.	Diagnosis of RTI/STDs with wet mounting, Grams strain, etc.	
5.	Sputum testing for tuberculosis (if designated asa microscopy cent under RNTCP)	
6.	Blood smear examination for malarial parasite.	
7.	Rapid tests for pregnancy/malaria	
8.	RPR test for Syphilis/YAWS surveillance	
9.	Any other tests (specify-)	

Qualitative Assessment:-

Behaviour with patients/Community		
Good	**Average**	**Bad**
Is punctual		
Always	**Sometimes**	**Never**
Takes interest in assigned job		
Always	**Sometimes**	**Never**
Attend and participate in staff meeting		
Always	**Sometimes**	**Never**
C: Any extraordinary achievement made or reasons for shortfall if any during the reporting period		
D. Remark of the Assessing Authority - Overall assessment of the appraisee:		
Date:	**Name:**	**Signature:**

PERFORMANCE APPRAISAL FORM (X-Ray Technician)

PART-I

Review period: Name: Date of joining: Location: Date of completion of contract:

Performance & Achievements (Please comment on the major achievements during the reporting period)

Condition of X-RAY machine-funcional/non functional		
Sl.No.	**Activities**	**Achievement** (2023-24)
1.	Ensuring standards in Film Developing and processing modalities	
2.	Following standards of exposure techniques in terms of KV,MA and time	
3.	Following standards in recognition of the part of the body to be X-rayed and select the exposure factor accordingly.	
4.	Preparation of fixer, developer, replenisher to maintain temperatu	
5.	Use of proper exposure factors, collimators, cones and various protective measures.	
6.	Number of X-Rays done	

QUALITATIVE ASSESSMENT:-

Behaviour with patients/Community		
Good	**Average**	**Bad**
Is punctual		
Always	**Sometimes**	**Never**
Takes interest in assigned job		
Always	**Sometimes**	**Never**
Attend and participate in staff meeting		
Always	**Sometimes**	**Never**
C: Any extraordinary achievement made or reasons for shortfall if any during the reporting period		
D. Remark of the Assessing Authority - Overall assessment of the appraisee:		
Date:	**Name:**	**Signature:**

17.3 जनपदीय चिकित्सालयों में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (एफ0एम0आर0 16.4.3.1.9 (FAMS FMR Code- 185.C.P350)) :-

वित्तीय वर्ष 2024–25 में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर रु0 18058.00 प्रतिमाह एवं रु0 12,432.00 (रिक्त पदों हेतु Minimum Wages act के अनुसार) का अधिकतम बजट (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+नियमानुसार एक्सपीरियन्स बोनस–यदि पात्र हों तो) तथा नियोक्ता द्वारा वैधानिक कटौती योगदान हेतु (EPF@13.00%,ESI@3.25%,GST@18%, Max.Service Charge @10%) की दर से अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया हैं। जोकि नियमानुसार अनुमन्य होने की दशा में लागू होगा जिसका पद/बजट ओल्ड एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.3.1.9/S.NO 185 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2024–25 में 05 प्रतिशत की बढ़ोतरी केवल उन संविदाकर्मी पर लागू होगी जिन्होंने एक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। एक्सपीरियन्स बोनस का लाभ केवल जिला स्वास्थ्य समिति के संविदा कर्मियो को अनुमन्य हैं।

PERFORMANCE APPRAISAL FORM (DATA ENTRY OPERATOR)

PART-I

Review period: Name: Date of joining: Location: Date of completion of contract:

PART-II

Performance & Achievements (Please comment on the major achievements during the reporting period)

Data Entry Operator

Sl.No.	**Activities**		**Achievement (2023-24)**
1.	Data Entry of all required information/records on a concurrent basis and producing monthly/quarterly reports/formats		**Not Submitted/ entered**
Data/Records	**Timely Submission**	**Late Submission**	
Janani Suraksha Yojna			
ASHA			
FRU/24 x 7 Delivery Services			
School Health Program			
National Disease Control Programmes			
RTI/STI Sevices			
Quarterly District updates (for CMO/DPM)			
Any other programme			

17.4 दन्त चिकित्सक (एफ. एम. आर. कोड संख्या 8.1.4.1 (FAMS FMR Code- 185.C.S0253)) :–

वर्ष 2024–25 में मेनस्ट्रीम कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत दन्त चिकित्सक को रु0 67372.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 39,900.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) पद/मानदेय बजट ओल्ड एफ. एम. आर. कोड संख्या 8.1.4.1/S.No 185 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2024–25 में 05 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी केवल उन संविदाकर्मी पर लागू होगी जिन्होंने एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। तदनुसार अनुबन्ध पत्रों में संशोधन करा लिया जाये।

दन्त चिकित्सकों की तैनाती हेतु सामान्य नियम –

दन्त चिकित्सकों की तैनाती उपरोक्तानुसार उन्हीं स्थानों पर की जानी है जहां डेन्टल चेयर उपलब्ध है तथा नियमित दन्त चिकित्सक तैनात न हों एवं दन्त चिकित्सा से सम्बन्धित सारे उपकरण उपलब्ध हों। इसके लिए जनपदवार फॉट में जो स्वीकृति दी गई है उससे अधिक संख्या में बी0डी0एस0 चिकित्सकों की तैनाती अनुमन्य नहीं होगी। दंत चिकित्सकों की उपलब्धता का व्यापक प्रचार–प्रसार करायें ताकि अधिक से अधिक दंत रोगी उनका लाभ उठा सकें।

PERFORMANCE APPRAISAL FORM (DENTAL SURGEON)

S.No.	**Activities**	**Achievement (2023-24)**
1.	No. of OPD cases attended	
2.	No. of cases handled at the facility	
3.	No. of emergency cases attended against the total no. of cases	
4.	No. of procedures handled at the facility	

17.5 जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में कार्यरत संविदा कर्मियों को निम्न मानदेय बजट भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

1 **जिला कार्यक्रम प्रबन्धक**–हेतु अधिकतम बजट रू0 67283.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+ एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 32700.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) पद/मानदेय बजट ओल्ड एफ. एम.आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1/S.No 185 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है।

2 **जिला लेखा प्रबन्धक**–हेतु अधिकतम बजट रू0 54761.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+ एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु 26,650.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) पद/मानदेय बजट ओल्डएफ.एम. आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1/S.No 185 पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है।

3 **जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर**–हेतु अधिकतम बजट रू0 54761.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु 26,650.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) पद/मानदेय बजट के ओल्ड एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1/S.No 185 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है।

4 **जिला डाटा कम लेखा सहायक (डी0डी0एम0)**–हेतु अधिकतम बजट रू0 37380.00 प्रतिमाह (मानदेय+ वार्षिक वेतन वृद्धि+एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 18,150.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) पद/मानदेय बजट ओल्ड एफ.एम.आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1/S.No 185 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है।

5 **कार्यालय सहायक**–हेतु अधिकतम बजट रू0 13963.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि) तथा रु0 10089.00 प्रतिमाह (Minimum Wages Act के अनुसार) (रिक्त पदों हेतु) तथा नियोक्ता द्वारा वैधानिक कटौती योगदान हेतु (EPF@13.00%,ESI@3.25%,GST@18%, Service Charge-max 10%) की दर से अतिरिक्त बजट का प्रावधान ओल्ड एफ.एम.आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1/S.No 185 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है।

6 **जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हेतु ऑपरेशन व्यय**–जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ऑपरेशनल व्यय हेतु रू0 1,50,000.00 प्रतिमाह व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा S.No 194 में स्वीकृत किया गया है।

जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में संविदा कर्मियों की तैनाती हेतु सामान्य नियम :–

1. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु प्रेषित धनराशि को जिला स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत गठित शासी निकाय में चर्चा की जायेगी और सहमति प्राप्त की जायेगी। यदि शासी निकाय की बैठक में विलम्ब हो रहा हो तो अध्यक्ष–शासी निकाय से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाये। आपसे अनुरोध है कि प्रेषित धनराशि को जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के खाते में स्थानान्तरित करवाकर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें। जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा वित्तीय नियमावली का अनुपालन करते हुए इस धनराशि का उपयोग किया जाये।
2. वित्तीय वर्ष 2024–25 में वास्तविक कार्य करने की तिथि से एवं संतोषजनक कार्य के आधार पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के अधिकारियों/कर्मियों के मानदेय का भुगतान कर दिया जाये।

जिला कार्यक्रम प्रबन्धक old FMR 16.4.2.1.1 for 12 months FY 2024-25 (FAMS Code- 185.C.P255) :–

- जिला स्वास्थ्य समिति शासी एवं कार्यकारी निकाय की नियमित रूप से प्रतिमाह बैठक कर सभी कार्यक्रमों के प्रगति की समीक्षा करवाना।
- जनपद स्तर पर कार्यरत कार्यक्रम समन्वयक/कन्सलटेन्ट (DMHC, DLC-NLEP, DPC-NTEP, DQC, DC-NTCP, DC-NVBDCP, UHCs-NUHM, DQIM, DEICM, FLC-NCD) के कार्यो की मासिक बैठक में कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को फीडबैक उपलब्ध कराना। उक्त कार्य मे DPM द्वारा DCPM तथा DAM का सहयोग भी लिया जाये।
- जनपद में संविदा के आधार पर नवीन भर्ती होने व योगदान देने/प्रस्तुत करने के उपरान्त संबंधित सभी औपचारिकताओं को 10 कार्यदिवसों में पूर्ण करते हुये मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित

कराना। यदि कोई संविदाकर्मी द्वारा त्याग–पत्र दिया गया हों या कर्मी की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 से (संविदा) सेवा–समाप्ति की गयी हो तो ऐसे संविदाकर्मी की सूचना भी उपरोक्त उल्लिखित दिवसो में मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज/अपडेट कराना सुनिश्चित करें जिसे जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा उक्त पोर्टल पर डाटा/विवरण का नियमित रूप से परीक्षण किया जायेगा।

- डिस्ट्रिक्ट वाक–इन के माध्यम से चयनित संविदा विशेषज्ञों/चिकित्सकों की चयन प्रक्रिया हेतु जिला कार्यक्रम प्रबंधक को नोडल नामित किया गया है तथा तत्क्रम में जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा पूर्ण सूचना ससमय राज्य स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रेषित करना।
- प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जनपद में कार्यरत संविदाकर्मी/आउटसोर्स/वेण्डर कर्मियों की व्यक्तिगत सूचना (जनपद का नाम, कार्यक्रम का नाम, पदनाम, योगदान तिथि) एवं संक्षेप/विस्तृत सूचना (Summarised) (कार्यक्रमवार, पदवार, कार्यरत कर्मियों की संख्या एवं रिक्त पदों की सूचना) मानव संसाधन अनुभाग को प्रेषित करना। इसके अतिरिक्त समय–समय पर वांछित सूचना को ससमय राज्य स्तर पर प्रेषित करना।
- जननी सुरक्षा योजना सहित सभी कार्यक्रमों के संचालन हेतु जनपद की सभी इकाईयों के पास पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना एवं जच्चा का अस्पताल में 48 घंटे रूकने हेतु सत्यापन करना।
- डिलीवरी प्वाइंट्स सहित सभी इकाईयों तथा कार्यालयों मे कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से वित्त पोषित कर्मियों की कार्यस्थल पर उपस्थिति का औचक निरीक्षण।
- जिला स्वास्थ्य समिति मे कार्यरत सभी कार्मिकों का मानव सम्पदा पर पंजीयन, अवकाश प्रबन्धन, वार्षिक अनुबन्ध तथा समय से मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करवाना।
- जिला स्वास्थ्य समिति मे कार्यरत सभी कार्मिकों का छमाही परफॉरमेन्स अप्रेजल सुनिश्चित करना।
- प्रतिमाह निर्धारित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आयोजित होने वाले सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु प्रतिभागियों का नामांकन तथा जनपद स्तरीय कार्यक्रम का समय से गुणवत्ता सहित आयोजन कराना।
- टीकाकरण सत्रो का (बुधवार एवं शनिवार) पर्यवेक्षण।
- अरबन हेल्थ पोस्ट पर डिस्प्ले बोर्ड की फोटोग्राफी तथा भौतिक प्रगति की रिपोर्ट।
- HMIS/UPHMIS पोर्टल पर माहवार एच.एम.आई.एस. की अद्यतन रिपोर्ट, जिला डाटा कम लेखा सहायक (DDAA) तथा जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुमोदित नवीन पद (District Monitoring & Evaluation Specialist) के द्वारा कियान्वित करते हुये आरसीएच पर पंजीकरण सुनिश्चित करवाना।
- निर्माण कार्य की माहवार अद्यतन सूचना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार का कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण तथा जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन की कार्यवाही कराना।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम दो विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के दौरान कार्यक्रम की समीक्षा विशेषकर मोबाइल टीम की उपस्थिति तथा स्वास्थ्य कार्ड एवं रजिस्टर का भरा जाना।
- एन0डी0सी0पी0 (राष्ट्रीय कार्यक्रम) से सम्बन्धित अद्यतन शासनादेशो/सर्कुलर/दिशा–निर्देशो/ एन0आर0एच0एम0 वेबसाइट पर उपलब्ध फार्म से मुख्य चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारियों को अवगत कराना तथा उनके क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- एन0डी0सी0पी0 (राष्ट्रीय कार्यक्रम) कार्यक्रमों का औचक निरीक्षण एवं उक्त से सम्बन्धित समीक्षात्मक आख्या एस0पी0एम0यू0 को ई–मेल द्वारा प्रेषित किया जाना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति/एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।
- जनपद मे कार्यरत Devlopment Partners के साथ समन्वयय करते हुये कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- सामूहिक बीमा योजना हेतु समस्त पात्र कर्मियों का डाटा प्रत्येक माह की 22 तारीख तक राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को प्रेषित करना।

जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक old FMR 16.4.2.1.1 for FY 2024-25 (FAMS Code- 185.C.P256):–

- कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग द्वारा संचालित समस्त गतिविधियों के गुणवत्तापूर्वक संचालन, मूंल्याकन एवं अनुश्रवण में जनपदीय नोडल अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।
- जनपद पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सी0एच0ओ0) द्वारा अपने पद से त्याग–पत्र देने की दशा में जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा संबंधित सी0एच0ओ0 के Surety Bond से संबंधित अर्हता का पालन करने में जनपद नोडल अधिकारी द्वारा सहयोग प्रदान करते हुये प्रत्येक माह की 09 तारीख तक सम्बन्धित सूचना कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग, वित्त अनुभाग एवं मानव संसाधन अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाना।
- जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा जनपद पर कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सी0एच0ओ0) को ससमय परफॉरमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव (PBI) के भुगतान का पालन करने में जनपद स्तर पर सहयोग प्रदान करते हुये प्रत्येक माह की 09 तारीख तक सम्बन्धित सूचना कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग, वित्त अनुभाग एवं मानव संसाधन अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाना।
- काम छोड़ चुकी आशा/आशा संगिनी और बिना आशा वाले गावो का आंकलन कर नई आशा/आशा संगिनी का चयन करवाने में सहयोग प्रदान करना।
- कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग से सम्बन्धित बजट का फॉलो अप (जिले से ब्लॉक को) अविरत रूप से फंड जारी किया जाना सुनिश्चित करना और उनके अधिकतम उपयोग में सहयोग करना।
- आशा व आशा संगिनी को प्रदान की जाने वाली प्रतिपूर्ति धनराशि का ससमय एवं नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाना।
- आशा किटो की आपूर्ति, वितरण एवं उन्हें फिर से भरने के लिए अच्छी व्यवस्था करना।
- आशा के लिए अतिरिक्त सहयोगी तंत्र जैसे–आशा पुरस्कार, शिकायत निवारण प्रणाली, आशा सहायता तंत्र स्थापित करना।
- राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशों को ब्लॉक स्तर पहुंचना।
- वीएचएसएनसी के गठन/पुनर्गठन का पर्यवेक्षण करना और जिला स्तरीय सहयोगी टीम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिले के सभी गांवों में राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार सामुदायिक निगरानी के लिए प्रक्रिया विकसित करना।
- कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग से सम्बन्धित गतिविधियों हेतु जिला प्रशिक्षण टीम के गठन एवं क्षमतावर्द्वन में सहयोग करना।
- एक व्यवस्थित प्रशिक्षण योजना तैयार करना, आशा, आशा संगिनी और वीएचएसएनसी सदस्यो के ब्लॉकवार प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं निगरानी करना।
- प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुचारु व्यवस्था, जैसे–समुचित आधारभूत सुविधाएं और प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराकर, गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाना।
- कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग से सम्बन्धित सभी प्रशिक्षकों और प्रशिक्षार्थियों का एक डेटा बेस रखना।
- कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग से सम्बन्धित जिला प्रशिक्षकों, आशा का प्रशिक्षण उपरांत मूल्यांकन सुनिश्चित करना और उनके एवं जिला प्रशिक्षण स्थल की प्रमाणीकरण प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना।
- कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग से सम्बन्धित ब्लॉक टीम को पर्यवेक्षण एवं मार्ग–दर्शन प्रदान करने के लिए जिला नोडल अधिकारी और राज्य आशा और सामुदायिक संसाधन केंद्र के साथ समन्वय करना।
- ग्राम स्वास्थ्य योजनाओं का संकलन करने, और जिला स्वास्थ्य कार्य–योजना के सामुदायिक प्रक्रिया अनुभाग का बजट तैयार करने में डीपीएमयू के साथ समन्वय स्थापित कर, योगदान प्रदान करना।
- कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग से सम्बन्धित प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन हेतु जिला संसाधन पूल को सुदृढ़ बनाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों और अन्य सरकारी विभागों, जैसे कि महिला एवं बाल विकास, स्वच्छ पेय जल, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समन्वय करना।
- ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर के साथ समय–समय पर समीक्षा बैठके करना।
- आशा एवं सामुदायिक प्रक्रियाओं से संबंधित गतिविधियों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना।
- समुदाय स्तर पर संचालित विभिन्न गतिविधियों यथा राष्ट्रीय कार्यक्रमो, जे.ई./ए.ई.एस. आदि का समुदाय स्तर पर क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान सहायतित पर्यवेक्षण करना एवं भ्रमण आख्या से उच्चाधिकारियों को अवगत कराना।
- क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान वी.एच.एन.डी. का अनुश्रवण करना।

- प्रत्येक आशा के ब्यौरे, प्रशिक्षण स्थिति और ड्रॉपआउट संबंधी ब्लॉकवार डेटाबेस रखना।
- प्रमुख कार्यों में आशा की सक्रियता का मूल्यांकन करने के लिए ब्लॉक सामुदायिक संयोजकों द्वारा प्रस्तुत प्रारूपों के अनुरूप जिला स्तरीय निष्पादन रिपोर्टों का संकलन करना।
- कम निष्पादन करने वाले ब्लॉकों की पहचान करना, कम प्रदर्शन के कारणों का आकलन करना और सुधार के लिए रणनीतियां बनाना।
- जनपद के समस्त आयुष्मान आरोग्य मन्दिर का नियमित अनुश्रवण एवं सी0एच0ओ0 की क्रय त्रैमासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन करना।
- वीएचएसएनसी के प्रशिक्षण, कार्यक्षमता, व्यय और लंबित कार्य (बैकलॉग) के बारे में ब्लॉकवार डेटाबेस बनाए रखना भी इसका एक नियमित कार्य है।
- रोगी कल्याण समिति के गठन/नवीनीकरण एवं सुचारू संचालन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- जनपद में स्थापित किये जाने वाले आयुष्मान आरोग्य मन्दिर के चिन्हीकरण में सहयोग प्रदान किया जाना।
- आयुष्मान आरोग्य मन्दिर के गैप एनालिसिस करवाने में सहयोग करना।
- गैप एनालिसिस के अनुसार आवश्यक उपकरण एवं सामग्री के उपलब्ध कराने में जनपदीय नोडल अधिकारी (एच.डब्ल्यू.सी.) को सहयोग प्रदान करना।
- आयुष्मान आरोग्य मन्दिर की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रों का आवश्यक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कर जनपदीय नोडल अधिकारी (एच.डब्ल्यू.सी.) को अवगत कराते हुये जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- आयुष्मान आरोग्य मन्दिर से सम्बन्धित विभिन्न पोर्टल्स पर ससमय रिपोर्ट अपलोड किये जाने में जनपदीय नोडल अधिकारी (एच.डब्ल्यू.सी.) को सहयोग प्रदान किया जाना।
- अन्य कार्य जो कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग द्वारा प्रदान किये जायें।

जिला लेखा प्रबन्धक old FMR 16.4.2.1.1 for FY 2024-25 (FAMS Code- 185.C.P258):–

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जनपद के अन्दर समस्त कार्यक्रमों के लेखा सम्बंधी कार्यो का मासिक अनुश्रवण एवं समीक्षा करना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रर्मो में एवं विभिन्न इकाईयों पर कार्यरत लेखाकंन अधिकारी/कर्मचारी का पर्यवेक्षण करना।
- फाइनेन्सियल गाइडलाइन्स के अनुसार लेखा पुस्तकों के अद्यतन रखरखाव के लिये प्रत्येक माह कम से कम चार सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 का निरीक्षण कर आख्या जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में शामिल करना तथा राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- एफ.एम.आर, बी0आर0एस0, कमिटेड रिपोर्ट, कॉकरेन्ट ऑडिट रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट को मासिक अन्तराल पर राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को प्रेषित करना।
- जिला स्वास्थ्य समिति, सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, जिला अस्पताल एवं अन्य इकाईयों द्वारा एफ.ए. एम.एस. पोर्टल पर की गयी प्रविष्टियों की पूर्णतः की मासिक या कम अन्तराल पर समीक्षा करना।
- एफ.ए.एम.एस. पोर्टल से जिला स्वास्थ्य समिति के लेखा पुस्तकों का प्रिन्ट आउट निकालकर अभिरक्षित करना ।
- प्रत्येक माह ब्लाक लेखा प्रबन्धक की बैठक करना एवं रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- वित्तीय लेखा पुस्तकों के रख–रखाव के निरीक्षण रिपोर्ट के अनुपालन आख्या तैयार करवाना एवं वित्तीय नियमावली के अनुरूप कार्य की समीक्षा करना।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के समस्त लेखा कार्य की समीक्षा करना।
- पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल को पत्र संख्या–एस.पी.एमयू./एन0आर0एच0एम0/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/ 187/2017–18/1782–6 दिनांक 28.05.2018 एवं तद्पश्चात् जारी दिशा–निर्देश के अनुसार लागू कराना।
- कान्करेन्ट ऑडिट निष्पादित करवाना, प्रत्येक माह जनपद की समस्त इकाईयों बैंक समाधान विवरण एफ.ए.एम.एस. पोर्टल पर तैयार करवाना एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय विवरण तैयार करना एवं ई–मेल के माध्यम से ऑडिटर एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।

- जिला ऑडिट समिति की प्रत्येक वर्ष कम से कम 06 बैठक आयोजित करवाना एवं कार्यवृत राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- कान्करेन्ट ऑडिट कृत कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या को जिला ऑडिट समिति की समक्ष प्रस्तुत करना एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- वैधानिक ऑडिट निष्पादित करवाना तथा कृत कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या की समीक्षा करना तथा कृत कार्यवाही रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- जनपद के अन्दर की समस्त इकाईयों का बैंक समाधान विवरण बनवाने, मैनुअल रोकड़ बही एवं बाउचर पत्रावलियां के रख–रखाव की समीक्षा करना।
- जनपद के अन्दर समस्त इकाईयों की लेखा पुस्तकों की रख–रखाव की अद्यतन स्थिति का एजेण्डा जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में शामिल करवाना।
- टी0डी0एस0, जी0एस0टी0, ई0पी0एफ0 एवं अन्य वैधानिक दायित्वों की कटौती एवं समय से जमा करवाने की समीक्षा करना तथा डी0डी0ओ0 को यथा स्थिति एवं उसके परिणाम से अवगत कराना।
- राज्य स्वास्थ्य समिति से जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति से जिला अस्पताल सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 एवं अन्य इकाइयों के मध्य फण्ड समाधान विवरण तैयार करना।
- जनपद की समस्त इकाईयों पर फाईनेन्शियल एण्ड एकाउन्टिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (एफ0ए0एम0एस0) को लागू करवाना।
- फाईनेन्शियल एण्ड एकाउन्टिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (एफ0ए0एम0एस0) के अनुसार व्यय एवं पी0एफ0एम0 एस0 पोर्टल के अनुसार व्यय का इकाईवार रिपोर्ट तैयार करना तथा मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रत्येक सप्ताह दोनों के व्यय में अन्तर की समीक्षा करवाना।
- प्रत्येक माह की 07 तारीख तक सभी कार्यरत कर्मियों का मानदेय निर्गत करते हुए, निर्गत सम्बन्धी सूचना वित्त अनुभाग एवं मानव संसाधन अनुभाग को प्रेषित करना।
- एन0आर0एच0एम0 के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति / एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।

जिला डाटा कम लेखा सहायक (District Data Manager) old FMR 16.4.2.1.1 for FY 2024-25 FAMS Code 185.C.P259) –

राज्य स्तर से निर्धारित लेखांकन एवं अन्य कार्य, जिला लेखा प्रबन्धक के कार्यो में सहयोग, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के लेखा पुस्तकों को तैयार करना एवं अभिरक्षित करना तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के निर्देश में अन्य कार्य एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति / एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।

जिला कार्यक्रम प्रबंधको (डी0पी0एम0) हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रारूप निम्नवत् है:–

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष ....
संविदा कर्मी का नाम ....
तैनाती स्थल जनपद..
माह में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या ....
तैनाती की तिथि ....संविदा समाप्त होने की तिथि..

क्र0 सं0	कार्य / उत्तरदायित्व	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1.	जिला स्वास्थ्य समिति शासी एंव कार्यकारी निकाय की नियमित रूप से प्रतिमाह बैठक करवाना।	10	
2.	जननी सुरक्षा योजना में धनराशि सुनिश्चित करवाना एवं जच्चा का अस्पताल में 48 घं रूकने हेतु सत्यापन करना।	10	
3.	प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जनपद में कार्यरत संविदाकर्मी / आउटसोर्स कर्मियों की व्यक्तिगत सूचना एवं संक्षेप सूचना मानव संसाधन अनुभाग को प्रेषित करना।	10	
4.	जिला स्वास्थ्य समिति मे कार्यरत सभी कार्मिकों का मानव सम्पदा पर पंजीयन, अवकाश प्रबन्धन, वार्षिक अनुबन्ध तथा समय से मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करवाना।	10	
5.	डिलीवरी प्वाइंट्स सहित सभी इकाईयों तथा कार्यालयों मे कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिश से वित्तपोषित कर्मियों की कार्यस्थल पर उपस्थिति का औचक निरीक्षण।	10	

6.	टीकाकरण सत्रों का (बुधवार एवं शनिवार) पर्यवेक्षण।	10	
7.	HMIS/UPHMIS पोर्टल पर माहवार एच.एम.आई.एस. की अद्यतन रिपोर्ट, जिला डाटा लेखा सहायक (DDAA) तथा जनपद स्तर पर अनुमोदित नवीन पद (District Monitoring & Evaluation Specialist) के द्वारा कियान्वित करते हुये आरसीएच पर पंजीकरण सुनिश्चित करवाना।	10	
8.	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम दो विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के दौरान कार्यक्रम की समीक्षा विशेषकर मोबाइल टीम की उपस्थिति तथा स्वास्थ्य कार्ड एवं रजिस्टर का भरा जाना।	10	
9.	एन0डी0सी0पी0 (राष्ट्रीय कार्यक्रम) से सम्बन्धित अद्यतन शासनादेशों / सर्कुलर / दिशानिर्देशों / एन0आर0एच0एम0 वेबसाइट पर उपलब्ध फार्म से सी0एम0ओ0 एवं सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारियों को अवगत कराना तथा उनके कियान्वयन में सहयोग।	10	
10.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति / एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य	10	
	कुल योग	**100**	

- ग्रेडिंग का आधारः–

आंकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असन्तोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक (डी0सी0पी0एम0) हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रारूप निम्नवत् हैः–

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष ....

संविदा कर्मी का नाम ....

तैनाती स्थल (जनपद का नाम)...

वित्तीय वर्ष में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या (आकस्मिक / चिकित्सकीय / पैटरनिटी / मैटरनिटी / एल0डब्ल्यू0पी0 अवकाश इत्यादि) ....

तैनाती की तिथि ....संविदा समाप्त होने की तिथि...

क्र0 सं0	कार्य उत्तरदायित्व	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1.	नई आशा एवं आशा संगिनी की नियुक्ति के साथ आशा की अद्यतन सूचना।	10	
2.	वी0एच0एन0डी0 सत्रों का (बुधवार एवं शनिवार) पर्यवेक्षण।	10	
3.	रोगी कल्याण समिति की धनराशि का माहवार उपयोग रिपोर्ट।	10	
4.	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक की भ्रमण रिपोर्ट।	10	
5.	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस का सत्यापन एवं रिपोर्ट।	10	
6.	हेल्थ एवं वैलनेस सेन्टर से सम्बन्धित समस्त रिपोर्टिंग ससमय सुनिश्चित करना।	10	
7.	हेल्थ एवं वैलनेस सेन्टर टेली कन्सल्टेशन सुविधा का सुचारु एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना	10	
8.	आशाओं एवं आशा संगिनी को देय मॉनिटरी एवं नॉनमॉनिटरी प्रतिपूर्ति राशि की ब्लॉकवार समीक्षा एवं अनुश्रवण करना।	10	
9.	हेल्थ एवं वैलनेस सेन्टर की कन्स्ट्रक्शन, ब्रान्डिंग व कियाशीलता की अद्युनान्त सूचना रखना	10	
10.	एन0एच0एम0 के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति / एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधारः–**

आंकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असंतोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	

उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

जिला लेखा प्रबन्धक (डी0ए0एम0) हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रारूप निम्नवत् है:–

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष ....

संविदा कर्मी का नाम ....

तैनाती स्थल (जनपद का नाम)..

वित्तीय वर्ष में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या (आकस्मिक / चिकित्सकीय / पैटरनिटी / मैटरनिटी / एल0डब्ल्यू0पी0 अवकाश इत्यादि) ....

तैनाती की तिथि ....संविदा समाप्त होने की तिथि..

क्र0 सं0	कार्य उत्तरदायित्व	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के समस्त कार्यक्रमों के लेखा कार्यो की समीक्षा। (कैश बुक बैंक समाधान विवरण / बिल वाउचर / पत्रावलियां का रख–रखाव एवं अन्य लेखा पुस्तिकें आदि)	10	
2.	प्रत्येक माह कम से कम चार सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 का निरीक्षण कर वहां फाइनेन्सिय गाइडलाइन्स के अनुसार लेखा पुस्तकों के अद्यतन रखरखाव की स्थिति की आख्या।	10	
3.	माहवार एफ.एम.आर, एवं अन्य रिपोर्ट की अद्यतन सूचना प्रेषण।	10	
4.	प्रत्येक माह ब्लाक एकाउंट मैनेजर की बैठक करना एवं वित्तीय लेखा का निरीक्षण आख्या बनवाना एवं वित्तीय नियमावली के अनुरूप कार्य की समीक्षा करना।	10	
5.	कांकरेन्ट ऑडिट सम्बन्धी कार्य।	10	
6	वैधानिक ऑडिट सम्बन्धी कार्य।	10	
7	वार्षिक / त्रैमासिक वित्तीय विवरण तैयार करना।	10	
8	एफ0ए0एम0एस0 को लागू करवाना।	10	
9	टी0डी0एस0 / जी0एस0टी0 / ई0पी0एफ0 / अन्य वैधानिक दायित्वों से सम्बन्धित कार्य।	10	
10	एन0आर0एच0एम0 के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति / एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधार:–**

आंकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असंतोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

जिला डाटा कम लेखा सहायक (डी0डी0ए0ए0 / डी0डी0एम0) हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रारूप

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष ....

संविदा कर्मी का नाम ....

तैनाती स्थल (जनपद का नाम)..

वित्तीय वर्ष में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या (आकस्मिक / चिकित्सकीय / पैटरनिटी / मैटरनिटी / एल0डब्ल्यू0पी0 अवकाश इत्यादि) ....

तैनाती की तिथि ....संविदा समाप्त होने की तिथि..

क्रम सं0	कार्य उत्तरदायित्व	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1.	मुख्य चिकित्साधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रमों / गतिविधियों को ब्लॉक स्तर पर कियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।	10	
2.	जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई की लेखा पुस्तकों का रख–रखाव करना।	10	
3	रोगी कल्याण समिति एवं ग्राम,स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति हेतु नियोजन एवं कियान्वय हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को सहयोग प्रदान करना।	10	

4	प्रत्येक माह कम से कम 8 से 10 दिन क्षेत्र का भ्रमण करना।	10	
5	जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई की पत्रावली/सर्पोटिंग बिल बाउचर/अन्य सम्बन्धित तैयार करना।	10	
6	मासिक व्यय रिर्पोट में ब्लॉक स्तर पर हुए व्ययों का समय से सम्मिलित करना।	10	
7	राज्य स्तर से निर्धारित वित्तीय एवं लेखाकंन कार्य।	10	
8	जिला स्वास्थ्य समिति के समस्त बैंक खातों का मासिक बैंक समाधान विवरण फैम्स पर तैयार करना।	20	
9	सम्बन्धित ब्लॉक के सभी कार्यक्रमों का अनुश्रवण करना।	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधारः–**

आंकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असंतोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

17.6 ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (एफ0एम0आर0 कोड सं0–16.4.3.1.1)

जनपदों में ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई क्रियाशील हैं तथा इन इकाइयों पर विभिन्न स्तर के संविदा कर्मी कार्यरत हैं जिसमें प्रत्येक ब्लाक पर एक ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक एवं एक ब्लाक लेखा प्रबन्धक की स्वीकृति है।

वर्ष 2024–25 में ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में कार्यरत संविदा कर्मियों को निम्न मानदेय बजट भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है।

1. **ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक**– हेतु अधिकतम बजट रू0 39005.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+ एक्सपीरियन्स बोनस), 24255.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) पद/मानदेय बजट भारत सरकार द्वारा ओल्ड एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.3.1.1 /S.NO 185 में स्वीकृत किया गया है।
2. **ब्लाक लेखा प्रबन्धक**– हेतु अधिकतम बजट एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.3.1.1 पर रू0 29918.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 22,325.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) पद/मानदेय बजट भारत सरकार द्वारा ओल्ड एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.3.1.1/S.NO 185 में स्वीकृत किया गया है।
3. **ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में ऑपरेशनल व्यय** हेतु S.NO 194 में रूपये 20101.00 प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त मानदेय बजट एवं ऑपरेशनल व्यय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2024–25 में 05 प्रतिशत की बढ़ोतरी केवल उन संविदाकर्मी पर लागू होगी जिन्होंने एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। तदनुसार अनुबन्ध पत्रों में संशोधन करा लिया जाय।

ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के संविदा कर्मियों की तैनाती हेतु सामान्य नियम निम्नवत् हैंः–

ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई संविदा कर्मियों की तैनाती हेतु सामान्य नियम

1. ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु प्रेषित धनराशि को जिला स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत गठित शासी निकाय में चर्चा की जायेगी और सहमति प्राप्त की जायेगी। यदि शासी निकाय की बैठक में विलम्ब हो रहा हो तो अध्यक्ष–शासी निकाय से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा वित्तीय नियमावली का अनुपालन करते हुए इस धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. इस वित्तीय वर्ष में वास्तविक कार्य करने की तिथि से एवं संतोषजनक कार्य के आधार पर ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के कर्मियों/अधिकारियों के मानदेय का भुगतान जनपदवार दी गई निर्धारित मानदेय के अनुसार कर दिया जाये।

ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों में कार्यरत संविदा कर्मियों के कार्य एवं दायित्व :–

ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक (FMR 16.4.3.1.1 FAMS Code- 185.C.P345)

- **निर्धारित कार्य एवं उत्तरदायित्व**

- कार्यक्रमों के क्रियान्चयन हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रभारी अधीक्षक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मंशानुरूप सहयोग प्रदान करना।
- ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम नियोजन, संचालन, पर्यवेक्षण, समन्वयन हेतु पूर्णरूपेण उत्तरदायी।
- ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में कार्यरत सहयोगियों BAM, BCPM & DEO का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करते हुये इकाई का संचालन।
- रोगी कल्याण समिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों की कार्य क्षमता एवं विकास हेतु कार्ययोजना बनाना।
- ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण हेतु ग्राम संबंधी कार्ययोजना बनवाना, साथ ही उक्त समिति को समयानुसार धनराशि उपलब्ध करवाना।
- विकास खंड स्तर पर विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय करते हुये स्वास्थ्य कार्ययोजना का निर्माण तथा कियान्वयन मे अर्न्तविभागीय सहयोग प्राप्त करना।
- ए.एन.एम./आशा की मीटिंग में उपस्थित होकर सुझावों एवं समस्याओं के निस्तारण करना।
- प्रत्येक माह से प्रगति सूचना डाउनलोड कर चिकित्सा अधीक्षक के साथ चर्चा करना तथा ए.एन.एम. एवं आशा की मासिक बैठक मे डेटा प्रस्तुत करना।
- सभी लाभार्थियों तथा आशा एंव सेवा प्रदाताओं को समय से प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित करवाना।
- प्रभारी अधीक्षक/चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण लागू करवाना
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम दो विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के दौरान कार्यक्रम की समीक्षा विशेषकर मोबाइल टीम की उपस्थिति तथा स्वास्थ्य कार्ड एवं रजिस्टर का भरा जाना।
- माह में कम से कम 8–10 दिन की फील्ड विजिट तथा ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के दैनिक संचालन, वित्तीय प्रबंधन करना।
- वित्तीय प्रबंधन में प्रभारी अधीक्षक/चिकित्साधिकारी को सहयोग प्रदान करना तथा BAM का पर्यवेक्षण करना।
- मसिक प्रगति आख्या प्रत्येक माह समय पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक को प्रस्तुत करना ।
- स्थापना, कार्यक्रम अनुश्रवण, नियोजन, सस्भागी समन्वयन मे उच्चाधिकारियों को सहयोग प्रदान करना।
- प्रत्येक माह में कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति की सूचना जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को ससमय प्रेषित करना जिससे कि मानदेय का ससमय भुगतान किया जा सके।

ब्लाक लेखा प्रबन्धक FMR 16.4.3.1.1 (FAMS FMR Code- HSS.9.184.C.P346)

- अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक को वित्तीय कार्यो में सहयोग करना।
- पी0एफ0एम0एस0 लॉग बुक/चेक निर्गत रजिस्टर तैयार करना।
- रोकड़ बही एवं बैंक बही तैयार करना।
- प्रत्येक माह एफ.ए.एम.एस पोर्टल से बैंक समाधान विवरण तैयार करना।
- एफ.ए.एम.एस पोर्टल का प्रयोग करते हुए ही पी.एफ.एम.एस. पोर्टल से भुगतान करना तथा टी0डी0एस0, जी0एस0टी0 एवं अन्य वैधानिक दायित्वों की कटौती, उसी दिन समय से जमा करना एवं भुगतान की प्रविष्टि एफ.ए.एम.एस. पोर्टल पर अद्यतन करना।
- एफ.एम.आर एवं अन्य वित्तीय सूचना तैयार करना एवं जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराना।
- एफ.ए.एम.एस. पोर्टल से लेखा पुस्तकों का प्रिन्ट आउट निकालकर अभिरक्षित करना।
- कान्करेन्ट एवं स्टेच्युटरी ऑडिटर को ऑडिट के दौरान मैनुअल रोकड़ बही, बैंक समाधान विवरण, बाउचर एवं अन्य वित्तीय प्रपत्र एवं पत्रावली उपलब्ध कराना।
- एफ0ए0एम0एस0/पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर उपकेन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का पंजीकरण ।
- पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से मेकर आई0डी0 का प्रयोग करते हुये समस्त भुगतान करना।

- आशा पोर्टल से तैयार भुगतान की सूचना को मूल आशा बाउचर से मिलान के उपरान्त अनुमोदन हेतु चिकित्सा अक्षीधक/प्रभारी चिकित्सधिकारी को अग्रसारित करना तथा आशा भुगतान से सम्बन्धित मूल बाउचर को अभिरक्षित करना।
- उप–केन्द्र/जन अरोग्य समिति एवं ग्राम स्वच्छता एवं पोषण समितियों के वित्तीय अभिलेखों का अनुश्रवण करना।
- उप–केन्द्र/जन अरोग्य समिति एवं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र बिल बाउचर की मूल प्रति ब्लाक स्तर पर अभिरक्षित करना।
- उप–केन्द्र/जन अरोग्य समिति एवं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों के बैंक खाते मे अवशेष एवं ब्लाक की लेखा पुस्तकों में दर्शायी गयी अवशेष का विवरण तैयार करना।
- ब्लाक की समस्त सीएचसी/पीएचसी एवं सीएचसी/पीएचसी स्तरीय जन अरोग्य समितियों के लेखा पुस्तकों का रख–रखाव करना।
- वित्तीय लेखा का निरीक्षण आख्या की कृत कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या बनवाना एवं वित्तीय नियमावली के अनुरूप कार्य की समीक्षा करना।
- समस्त लेखा संबंधित डाटा को संकलित करना एवं समस्त ब्लाक संबंधित समस्त एन.एच.एम. कार्यो का प्रत्येक माह संकलन/अद्यतन एवं आख्या तैयार करना।
- राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार अन्य लेखाकंन सम्बन्धी कार्य।
- फाईनेन्शियल एण्ड एकाउन्टिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (एफ0ए0एम0एस0) के माध्यम से समस्त वित्तीय लेन–देनो को व्यवहरित करना।
- फाईनेन्शियल एण्ड एकाउन्टिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (एफ0ए0एम0एस0) के अनुसार व्यय एवं पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के अनुसार व्यय का इकाईवार रिपोर्ट तैयार करना तथा चिकित्सा अक्षीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से प्रत्येक सप्ताह दोनों के व्यय में अन्तर की समीक्षा करवाना।
- प्रत्येक त्रैमास में कम से कम 01 बार अपने ब्लॉक के अधीन समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/आयुष्मान अरोग्य मन्दिर/उपकेन्द्र का भ्रमण कर लेखा पुस्तकों को अद्यतन कराने में सहयोग प्रदान करना।

<u>ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक (बी0पी0एम0) हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रारूप निम्नवत् हैः–</u>

<u>कार्य मूल्यांकन प्रपत्र</u>

मूल्यांकन वर्ष ....
संविदा कर्मी का नाम ....
तैनाती स्थल (जनपद का नाम)...
वित्तीय वर्ष में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या (आकस्मिक/चिकित्सकीय/पैटरनिटी/मैटरनिटी /एल0डब्ल्यू0पी0 अवकाश इत्यादि) ....
तैनाती की तिथि ....संविदा समाप्त होने की तिथि...

क्र0 सं0	कार्य उत्तरदायित्व	अधिकतम	प्राप्त अंक
1.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में कार्यत सहयोगियों BAM, BCPM, & DEO का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करते हुये इकाई का संचालन।	10	
2.	रोगी कल्याण समिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों की कार्य क्षमता ए विकास हेतु कार्ययोजना बनाना।	10	
3.	ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण हेतु ग्राम सम्बन्धी कार्ययोजना बनवाना, साथ ही उक्त समिति को समयानुसार धनराशि उपलब्ध करवाना।	10	
4.	ए.एन.एम./आशा की मीटिंग में उपस्थित होकर सुझावों एवं समस्याओं का निस्तारण करना।	10	
5.	सभी लाभार्थियों तथा आशा एवं सेवाप्रदाताओं को समय से प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित करवाना।	10	
6.	प्रभारी अधीक्षक/चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण लागू करवाना।	10	
7.	माह में कम से कम 8–10 दिन की फील्ड विजिट तथा ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के	10	

	दैनिक संचालन, वित्तीय प्रबन्धन करना।		
8.	वित्तीय प्रबन्धन में प्रभारी अधीक्षक/चिकित्साधिकारी को सहयोग प्रदान करना तथा BAM का पर्यवेक्षण करना।	10	
9.	मासिक प्रगति आख्या प्रत्येक माह समय पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को प्रस्तुत करना।	10	
10.	प्रत्येक माह में कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति की सूचना जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को ससमय प्रेषित करना जिससे कि मानदेय का ससमय भुगतान किया जा सके।	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधारः–**

आंकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असंतोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (बी0ए0एम0) हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रारूप निम्नवत् हैः–
कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष ....
संविदा कर्मी का नाम ....
तैनाती स्थल (जनपद का नाम)...
वित्तीय वर्ष में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या (आकस्मिक/चिकित्सकीय/पैटरनिटी/मैटरनिटी/एल0डब्ल्यू0पी0 अवकाश इत्यादि) ....
तैनाती की तिथि ....संविदा समाप्त होने की तिथि...

क्र0 सं0	कार्य उत्तरदायित्व	अधिकतम	प्राप्त अंक
1.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, के समस्त कार्यक्रमों के लेखा कार्यों की समीक्षा। (कैश बुक/बैंक समाधान विवरण/बिल वाउचर/पत्रावलियों का रख–रखाव एवं अन्य लेखा पुस्तकें आदि।	10	
2.	माहवार एफ0एम0आर0 एवं अन्य रिपोर्ट की अद्यतन सूचना प्रेषण।	20	
3.	उप–केन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समितियों के वित्तीय अभिलेखो का अनुश्रवण करना।	10	
4.	कान्करेट ऑडिट संबंधी कार्य।	20	
5.	वैधानिक ऑडिट संबंधी कार्य।	10	
6.	एफ0ए0एम0एस0 पर कार्य करना।	10	
7.	टी0डी0एस0/जी0एस0टी0/ई0पी0एफ0/अन्य वैधानिक दायित्वों से संबंधित कार्य।	10	
8.	एन0आर0एच0एम0 के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति/एस0पी0एम0यू0/जिला स्वास्थ्य समिति/सी0एम0ओ0/एम0ओ0आई0सी0/द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधारः–**

आंकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असंतोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

18. एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 कार्यक्रम

एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 कार्यक्रम

18.1 हेल्थ मैनेजमेण्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एच0एम0आई0एस0)

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत वर्ष 2009 से एच0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य सम्बंधी सूचनाएं जनपद स्तर पर संकलित करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। तत्क्रम में प्रदेश में जनपद स्तर से डाटा की फीडिंग की जा रही थी, भारत सरकार के निर्देशो के क्रम में वर्ष 2012–13 से फैसिलिटी बेस्ड डाटा की फीडिंग ब्लॉक स्तर से समस्त जनपदो द्वारा की जा रही है। उक्त पोर्टल पर स्वास्थ्य सम्बंधी डेटा के उपयोग के लिए मांग में लगातार वृद्धि हुई है, जो सूक्ष्म स्तर की कार्ययोजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन के लिए उपयोगी सिद्ध हुयी है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओ की गुणवत्ता एवं उपलब्धता, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, सेवाओं के लिये व्यय और समाज के कमजोर वर्गों सहित सम्पूर्ण आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच में स्वास्थ्य सेवाओ के उपयोग हेतु सही निर्णय लेने मे प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण पहलू हैं। नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जनपदीय चिकित्सालयों की रैंकिंग एवं महत्वाकांक्षी जनपदों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अनुश्रवण हेतु एच.एम.आई.एस. डाटा उपयोगित किया जा रहा है। सतत गुणवत्तापरक डेटा एवं उसके संकेतकों की जानकारी एन0एच0एम0 के उद्देश्यों को पाने मे सहायक होंगे।

प्रमुख उददेश्य

- प्रदेश में मुख्यतः मातृ, शिशु तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओ के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना।
- प्रदेश के समस्त जनपदो की लगभग 30,000 स्वास्थ्य इकाईयो की माहवार भौतिक प्रगति/सूचना उपलब्ध कराना।
- प्रदेश की समस्त स्वास्थ्य इकाईयो की वर्षवार उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सूचना एवं उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की सूचना मासिक आधार पर उपलब्ध कराना।

उपयोगिता

- स्वास्थ्य इकाई स्तर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की सूचना।
- लाभार्थी को दी गई स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धता।
- स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता मॉनिटरिंग में सहायता।
- आगामी वर्ष की कार्ययोजना एवं लॉजिस्टिक आंकलन में उपयोगिता।

2. आर0सी0एच0 पोर्टल

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माताओं को प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसवोपरान्त दी जा रही सेवाओं तथा बच्चों के टीकाकरण सेवाओं की रिपोर्टिंग तथा फॉलोअप हेतु ''आर0सी0एच0 पोर्टल'' तैयार किया गया है। उक्त सिस्टम में प्रदेश के सभी जिलों से मास्टर डाटाबेस व लाभार्थियों की जानकारी अंकित की जा रही है। इस सिस्टम के मुख्य उद्देश्य व उपयोग निम्नानुसार हैं:–

उद्देश्य–

- प्रदेश में माताओं एवं बच्चों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की लाभार्थी स्तर की जानकारी सॉफ्टवेयर के माध्यम से एकत्र करना तथा इसके द्वारा समस्त गर्भवती महिलाओं को कार्यक्रम के निर्धारित समयानुसार प्रसवपूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसव पश्चात चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें प्रदान किया जाना, समस्त बच्चों का पूर्ण–टीकाकरण सुनिश्चित किया जाना एवं परिवार नियोजन सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- संपूर्ण सेवा लाभ अवधि में गर्भवती महिला, धात्री माताओं एवं बच्चों का रेगुलर फॉलोअप करना।
- प्रत्येक लाभार्थी को प्रदान की गई सेवाओ एवं शेष सेवाओं सम्बन्धी Workplan/Due list स्वास्थ्य कर्मियों को ससमय उपलब्ध कराना।

उपयोग–

- लाभार्थी को दी गई सेवाओं संबंधी जानकारी की ऑन–लाईन उपलब्धता।
- आशा, ए.एन.एम. व लाभार्थी के दूरभाष एवं अन्य विवरण की ऑन–लाईन उपलब्धता, जिससे कि उनसे सम्पर्क करके दी गई सेवाओं का सत्यापन किया जा सके तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

- स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ता व आशा को आउटरीच सत्र हेतु पूर्व से जानकारी, वर्कप्लान के माध्यम से उपलब्ध कराना तथा दी गई सेवाओं की जानकारी अद्यतन कराने की सुविधा।
- स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं मॉनिटरिंग में सहायता।
- आगामी वर्ष की कार्ययोजना एवं लॉजिस्टिक का आंकलन।

पोर्टल में उपलब्ध रिपोर्ट्स का जनपद द्वारा नियमित रूप से उपयोग कर विभिन्न कार्यकमों को क्रियान्वित करने, सेवाओं के सत्यापन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु प्रत्येक स्तर पर उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

भारत सरकार द्वारा एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर राज्य को आर0ओ0पी0 के अंतर्गत धनराशि का आवंटन किया जाता है तथा आवंटित धनराशि में कटौती भी पूर्ण प्रतिरक्षण, पूर्ण ए0एन0सी0, डी0एच0 रैकिंग एवं एफ0आर0यू0 की क्रियाशीलता के उपलब्ध डाटा के अनुसार कन्डीशनैलिटी के अनुरूप की जाती है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि राज्य स्तर से समय–समय पर जारी निर्देशों का जनपद स्तर पर कड़ाई से पालन किया जाए तथा निश्चित समयावधि पर डाटा की फीडिंग एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टल पर की जाए। एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 कार्यक्रमों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु निम्नानुसार स्वीकृतियां प्रदान की गयी हैः–

1. प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक

a. जनपद स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक– FMR Code 195.2

उक्त गतिविधि के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक वर्ष में प्रत्येक त्रैमास में जनपद स्तर पर आहूत की जानी है, जिसमे HMIS / RCH / e Kavach/e Shusrut/eHealth एवं सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु जनपद के प्रत्येक ब्लॉक से 05 कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। सम्बन्धित गतिविधि में 01 दिवसीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक हेतु प्रतिभागियों के जलपान एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु कुल रु0 500.00 प्रति प्रतिभागी की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

b. मण्डल स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक– FMR Code 195.3

उक्त गतिविधि के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक वर्ष में 02 बार मण्डल स्तर पर आहूत की जानी है, जिसमे HMIS/RCH / e Kavach/e Shusrut /eHealth एवं सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु मण्डल के प्रत्येक जनपद के 05 कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। सम्बन्धित गतिविधि में 01 दिवसीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक हेतु प्रतिभागियों के जलपान एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु कुल रु0 500.00 प्रति प्रतिभागी की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

2. प्रिन्टिग ऑफ आरसीएच रजिस्टर–FMR Code 16.3

आर0सी0एच0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आरसीएच रजिस्टर प्रिटिंग सम्बन्धी कार्य जनपद स्तर से किया जाना है, जिसके अन्तर्गत उक्त गतिविधि हेतु प्रति रजिस्टर रू0 250.00 की दर से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप को जनपद की आवश्यकतानुसार मुद्रित कराया जाना है।

3. ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में प्रिन्टिग ऑफ फालोअप फार्मेट/सर्विस ड्यू लिस्ट/वर्क प्लान–FMR Code 16.5

एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 के अन्तर्गत फालोअप फार्मेट/सर्विस ड्यू लिस्ट/वर्क प्लान की प्रिटिंग सम्बन्धी कार्य जनपद स्तर से किया जाना है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उक्त गतिविधि के संचालन हेतु उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप को जनपद की आवश्यकतानुसार मुद्रित कराया जाना है।

भारत सरकार द्वारा समस्त जनपदों के प्रत्येक ब्लॉक में फालोअप फार्मेट/सर्विस डियू लिस्ट/ वर्क प्लान हेतु अधिकतम रू0 3.00 प्रति आशा प्रतिमाह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसे भारत सरकार के मानकों के अनुसार जनपद/ब्लाक स्तर पर व्यय किया जाना है।

4. **एच0एम0आई0एस0 कार्यक्रम हेतु निर्धारित प्रारूप की प्रिंटिंग– FMR Code 195.7**

एच0एम0आई0एस0 फारमेट की प्रिंटिंग सम्बन्धी कार्य जनपद स्तर से किया जाना है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उक्त गतिविधि के संचालन हेतु उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप को जनपद की आवश्यकतानुसार नियमानुसार competitive bidding के माध्यम से मुद्रित कराया जाना है।

उपकेन्द्र, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में 100 प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड एच0एम0आई0एस0 रिर्पोटिंग फॉरमेट हेतु भारत सरकार द्वारा इकाईवार फार्मेट की प्रिंटिंग निर्धारित पृष्ठों की संख्या के आधार पर अधिकतम रू0 2.00 प्रति पेज की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है। उक्त धनराशि का निर्धारित मानक के अनुसार उपयोग जनपद स्तरीय इकाइयों (SC/PHC/CHC/DH) को रिर्पोटिग प्रारूप उपलब्ध कराने हेतु प्रिंटिंग मद में नियमानुसार किया जाना है।

5. ई–हॉस्पिटल परियोजना क्रियान्वयन – FMR Code 195.8

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 2024–25 में ई–हॉस्पिटल परियोजना के अन्तर्गत 30 जनपदीय चिकित्सालयों में लीज लाइन कनेक्शन, ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन एवं प्रशासनिक व्यय हेतु धनराशि मानकानुसार स्वीकृत की जा चुकी है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024–25 में शत–प्रतिशत उपयोगित किया जाना है।

6. डिवीजनल एम एण्ड ई हब कार्यक्रम हेतु मण्डल स्तर पर कार्यरत मानव–संसाधन के लिए मोबिलिटी सपोर्ट–FMR Code 195.10

डिवीजनल एम0 एण्ड ई0 हब कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर कार्यरत मानव–संसाधन के मोबिलिटी सपोर्ट हेतु मण्डल स्तर पर शत्–प्रतिशत फैसिलिटी एवं लाभार्थी बेस्ड रिपोर्टिंग हेतु डिवीजनल एम0 एण्ड ई0 हब गतिविधि के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर कार्यरत एम0 एण्ड ई0 आफिसर एवं एम0 एण्ड ई0 असिस्टेन्ट के लिए टी.ए./डी.ए./Accommodation हेतु धनराशि आवंटित की जाती है।

उपर्युक्तानुसार सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा मण्डल के समस्त जनपदों में विजिट सुनिश्चित किया जाना है। विजिट के दौरान सम्बन्धित को निम्नलिखित बिन्दुओ पर कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी–

- आर0सी0एच0, एच0एम0आई0एस0 एवं सम्बन्धित गतिविधि हेतु राज्य स्तर पर प्रेषित होने वाले डेटा को जनपदों के मैनुअल रिकार्ड से मिलान एवं पुष्टीकरण करना।
- आर0सी0एच0 एवं एच0एम0आई0एस0 से संबधित डेटा की गुणवत्ता का परीक्षण करना। विशेषकर आर0सी0एच0 टैकिंग प्रारूप पर ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों के फोन नम्बर का अंकन सुनिश्चित करना है।
- ए0एन0एम0 द्वारा अनमोल/अन्य रिपोर्टिंग सम्बन्धित समस्याओं की जानकारी संकलित करना एवं प्रारूप भरने में उनकी हैण्ड होल्डिंग करना।
- सम्बन्धित द्वारा जनपदों में भ्रमण की रिपोर्ट मण्डलीय अपर निदेशक को प्रस्तुत की जाय एवं प्रतिलिपि मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक को भी प्रेषित करें।

7. इण्टरनेट कनेक्टिविटी लेन/डाटा कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु मानकों के सम्बन्ध में– FMR Code 195.11

इंटरनेट कनेक्टिविटी के मासिक बिल के भुगतान, नजदीक के स्वान सेंटर्स (SWAN- State Wide Area Network) अथवा साइबर कैफे के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ब्लाक/जनपद/प्रदेश मुख्यालय को सूचनाएं प्रेषित करने के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जाना है। उक्त के अन्तर्गत 18 डिवीजनल एम एण्ड ई हब में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेतु अधिकतम रु0 750.00 प्रति माह की दर से एवं 470 ब्लॉक इकाइयों, जो वित्तीय वर्ष 2021–22 ईसीआरपी–2 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है, में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेतु अधिकतम रु0 750.00 प्रति माह प्रति ब्लाक की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है।

8. एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 कार्यक्रम हेतु ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में अन्य आफिस व्यय– FMR Code 195.12

एच0एम0आई0एस0/आर0सी0एच0 कार्यक्रम के अंतर्गत 18 मण्डलीय एम0 एण्ड ई0 हब एवं 470 ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों में अन्य ऑफिस व्यय हेतु अधिकतम रु0 750.00 प्रति माह की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। उक्त के अन्तर्गत 18 डिवीजनल एम एण्ड ई हब में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेतु अधिकतम रु0 750.00 प्रति माह की दर से एवं 470 ब्लॉक इकाइयों, जो वित्तीय वर्ष 2021–22 ईसीआरपी–2 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है, में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेतु अधिकतम रु0 750.00 प्रति माह प्रति ब्लाक की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है। उक्त गतिविधि के अन्तर्गत कम्प्यूटर कन्ज्युमेबिल्स का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जाये।

9. ए0एम0सी0 ऑफ कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यूपीएस– FMR Code 195.13

एच0एम0आई0एस0/आर0सी0एच0 कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्वास्थ्य इकाइयों, जिला चिकित्सालयों एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों में कम्प्यूटर प्रिन्टर्स एवं यू0पी0एस0 की ए0एम0सी0 हेतु अधिकतम रु0 2,500.00 प्रति कम्प्यूटर वार्षिक की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है। एम.सी.टी.एस. कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्थापित 820 कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 एवं 75 डी0पी0एम0यू एवं 18 मण्डलीय एम0एण्ड0ई0 हब के कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 के ए0एम0सी0 (वार्षिक रख–रखाव) के उपयोग हेतु **(केवल उन्ही जनपदों द्वारा व्यय की जाय, जिनके द्वारा संबंधित कम्प्यूटर की वारण्टी अवधि वित्तीय वर्ष 2024–25 में समाप्त हो रही हो)** एवं एण्टी–वायरस आदि पर नियमानुसार व्यय किया जाएगा।

जनपद में आपूर्तित सभी प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 की ए0एम0सी0 का अनुबन्ध जेम पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार प्रक्रियाएं अपनाते हुए डी0एच0एस0 के अनुमोदनोपरान्त अनुबन्ध की कार्यवाही की जाय। प्रत्येक कम्प्यूटर पर एन्टी वायरस साफ्टवेयर उपलब्ध हो, इस हेतु भी कार्यवाही नियमानुसार की जाय।

10. टैबलेट डिवाईस के संचालन हेतु इन्टरनेट/डाटा एवं परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव– FMR Code 16.2

भारत सरकार द्वारा आरसीएच पोर्टल पर प्रेषित किये जाने हेतु एएनएम के माध्यम से संकलित सूचनाओं को टैबलेट डिवाईस पर उपलब्ध ऐप के माध्यम से सीधे एएनएम द्वारा अंकित/अद्यतन किये जाने के लिए **अनमोल ऐप** विकसित कर उपलब्ध कराई गयी है। एएनएम को टैबलेट डिवाईस उपलब्ध कराई गयी है, जिस पर अनमोल ऐप क्रियाशील कर एएनएम द्वारा लाभार्थियों यथा–योग्य दम्पत्ति, गर्भवती महिला, नवजात एवं प्राप्त कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं यथा एएनसी, टीकाकरण आदि की सूचना अंकित/अद्यतन की जाए, जो स्वतः आरसीएच पोर्टल पर अद्यतन हो जाएगी।

टैबलेट डिवाईस पर इन्टरनेट/डाटा एवं परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव हेतु अधिकतम् धनराशि रु0 300.00 प्रति ए0एन0एम0 प्रति माह की दर से स्वीकृति प्रदान की जा रही है, जिसे भारत सरकार के मानकों के अनुसार जनपद/ब्लॉक स्तर पर व्यय किया जाना है।

11. ब्लॉक स्तर पर कार्यरत ब्लाक डाटा–इन्ट्री ऑपरेटर के मानदेय– FMR Code 185.C.P351

भारत सरकार के निर्देशानुसार आर0सी0एच0 पोर्टल पर शत्–प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड डाटा इन्ट्री/अपलोडिंग का कार्य किया जाना है। आर0सी0एच0 पोर्टल के सफल संचालन हेतु प्रत्येक जनपद में ब्लॉक स्तर पर आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर्स के मानदेय हेतु रू0 17,024.00 प्रतिमाह की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

12. डाटा एन्ट्री कार्य की आउटसोर्सिंग– FMR Code 185.C.P352

डाटा एन्ट्री कार्य की आउटसोर्सिंग हेतु अधिकतम रु0 5.00 प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि स्वीकृत की गई है। डाटा एन्ट्री कार्य आउटसोर्सिंग हेतु चयनित संस्था द्वारा एच0एम0आई0एस0/आर0सी0एच0 एवं अन्य पोर्टल के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाएं शत–प्रतिशत पोर्टल पर दर्ज करने की दशा में इस धनराशि का व्यय डी0एच0एस0 के अनुमोदनोपरान्त जनपद स्तर पर किया जाना है।

13. डिवीजनल एम एण्ड ई हब के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का मानदेय– FMR Code 185.C.P273 & P274

डिवीजनल एम एण्ड ई हब कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर स्वीकृत डिवीजनल एम एण्ड ई हब कार्मिकों (एम एण्ड ई ऑफिसर एवं एम एण्ड ई असिस्टेन्ट) हेतु आवश्यक धनराशि सम्बन्धित जनपदों को आवंटित की गयी है, विवरण निम्नवत् है–

1. डिवीजनल एम एण्ड ई हब ऑफिसर हेतु रू0 65,898.00 प्रतिमाह एवं 05 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु आवश्यक धनराशि।
2. अलीगढ़, चित्रकूट (जनपद–बाँदा) एवं मिर्जापुर में कार्यरत डिवीजनल एम एण्ड ई असिस्टेण्ट के मानदेय हेतु रू0 24,217.00 एवं 5 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु आवश्यक धनराशि।
3. प्रयागराज, बरेली, बस्ती, अयोध्या, मेरठ एवं मुरादाबाद में कार्यरत डिवीजनल एम एण्ड ई असिस्टेण्ट के मानदेय हेतु रू0 21,966.00 एवं 5 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु आवश्यक धनराशि।

उक्त धनराशि का उपयोग सम्बन्धित कार्मिकों के मानदेय भुगतान हेतु मण्डल स्तर पर किया जाना है। मण्डल स्तर पर एम एण्ड ई हब गतिविधि के अन्तर्गत 01–01 एम एण्ड ई ऑफिसर एवं एम एण्ड ई असिस्टेन्ट की तैनाती की गयी है। उक्त कार्मिक एचएमआईएस एवं आरसीएच के अन्तर्गत गतिविधि क्रियान्वयन हेतु एवं पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की जा रही सूचनाओं की गुणवत्ता एवं पूर्णता के लिये उत्तरदायी होंगे। एम एण्ड ई हब कार्मिक राज्य स्तर पर एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 के अन्तर्गत गतिविधियों की कार्ययोजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं मण्डलीय जनपदों में गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु एवं डेटा आधारित गतिविधि/कार्यों हेतु समन्वय स्थापित करेंगे।

14. ई–सुश्रुत परियोजना क्रियान्वयन–FMR Code 195.4

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 2024–25 में ई–सुश्रुत परियोजना के अन्तर्गत 408 चिकित्सा इकाईयों यथा जनपदीय चिकित्सालयों में लीज लाइन कनेक्शन, ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन एवं प्रशासनिक व्यय एवं तहसील स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन एवं प्रशासनिक व्यय हेतु आवश्यक धनराशि मानकानुसार स्वीकृत की जा चुकी है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024–25 में शत–प्रतिशत उपयोगित किया जाना है।

19. राष्ट्रीय कार्यक्रम (संचारी रोग)

19.1 राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एन0टी0ई0पी0) कार्यक्रम

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 वर्ष 2023–24 में स्वीकृत गतिविधि के संचालन हेतु पत्र सं0–56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 1766–2 दिनांक 26.05.2023 एंव 01 / NTEP / एन0पी0 / 2023–24 / 7477 दिनांक 27.12.2023 द्वारा जनपदवार गतिविधिवार FAMS पर आवंटित धनराशि के अनुसार उपयोग / व्यय किये जाने हेतु दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये थे।

आर0ओ0पी0 वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष FAMS पर जनपदवार गतिविधिवार 12 माह हेतु आवंटित धनराशि के अनुसार उपयोग / व्यय किये जाने के लिये एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या–03 / एन0टी0ई0पी0 / एन0पी0 / 2024–25 / 2498–2 दिनांक 31.07.2024 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश संलग्नक सहित प्रेषित किये गये हैं, जिनका संज्ञान लेने का कष्ट करें। संक्षिप्त दिशा–निर्देश निम्नवत प्रेषित किये जा रहे हैं:–

क. सं.	मद	दिशा–निर्देश
1	DSTB Training (State and District Level) **73.1**	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश एंव कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज की सहभागिता बढ़ाने के लिए आरटीपीएमयू स्तर पर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक / फैकेल्टी एंव विभागाध्यक्षों हेतु 5 कार्यशाला / प्रशिक्षण के विषय (Differentiated TB Care, DRTB & Extra pulmonary TB] Paediatric TB] TB Preventive treatment एंव TB palliative care) के लिए रू0 1.00 लाख प्रति कार्यशाला / प्रशिक्षण कुल रू0 5 लाख की धनराशि प्रति आर0टी0पी0एम0यू0 आवंटित की गई है, का व्यय नियमानुसार व्यय किया जाना है। उक्त सभी कार्यशाला एंव प्रशिक्षण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश पृथक से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ के स्तर से पृथक से प्रेषित की जायेगी। FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
2	73 DSTB CME **73.2**	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0 प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश एंव जनपदों में निजी क्षेत्र के चिकित्सको का संवेदीकरण हेतु आयोजित की जाने वाली 01 बैठक / कार्यशाला हेतु रू0 50,000 / – प्रति जनपद एंव साथ ही पी0पी0एस0ए0 जनपदों में उक्त 01 बैठक / कार्यशाला हेतु रू0 01 लाख प्रति जनपद एंव राज्य स्तरीय सी0एम0ई0 हेतु जनपद लखनऊ को 02 लाख की धनराशि आवंटित की गई है, जिसका व्यय जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाना है। राज्य स्तरीय सी0एम0ई0 के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश पृथक से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ के स्तर से पृथक से प्रेषित की जायेगी। FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
3	73 DSTB Treatment Supporter Honorarium (Rs.1000) **73.5**	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0 प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है। उक्त मद में एन0टी0ई0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024 के नोटिफिकेशन के लक्ष्य के सापेक्ष धनराशि आवंटित की गयी है।
4	73 DSTB Lab Materials and consumables for DMCs **73.6**	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0 प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार, नियमानुसार व्यय किया जाना है। FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
5	73 DSTB Sample collection and Transport **73.7**	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0 प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 1766–2 दिनांक 26.05.2023 एंव 01 / NTEP / एन0पी0 / 2023–24 / 7477 दिनांक 27.12.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार, FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है। हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर (HWC) को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (**AAM**) समझा जायेगा। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ के स्तर से पत्र सं0–एस0टी0सी0एस0 / 294 / 2019 / 1263 दिनांक 28.03.2024 को इन्डियन पोस्टल सर्विसेज, उ0प्र0 के द्वारा क्षय रोगियों के सैम्पल बुकिंग / ट्रांसपोंटेशन अनुबन्ध का नवीनीकरण 21.03.2025 तक के लिए पूर्व निर्धारित दरों नियम व शर्तो के अनुसार किया जा चुका है।
6	73 DSTB Vehicle hiring for drug transportation **73.8**	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0 प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार, FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
7	73 DSTB Procurement of Sleeves and drug boxes **73.9**	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0 प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार एवं **FAMS** पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
8	73 DSTB Local Procurement of first line Anti TB	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0 प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार, **FAMS** पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।

क. सं.	मद	दिशा–निर्देश
	drugs. **73.10**	
9	73 DSTB Maintenance and Management of Equipment DMC, X-ray and ECG, etc 73.15	इस मद में आवंटित धनराशि में एनटीईपी के अन्तर्गत डीएमसी की प्रयोगशाला के उपकरणो में एक्स–रे और ईसीजी मशीन आदि के लिए रखरखाव (यदि एनएचएम बायो मेडिकल उपकरण रखरखाव कार्यक्रम/अनुबंध के तहत कवर नहीं किया गया है) हेतु प्रति जनपद रू0 50000/–की धनराशि आंवटित की जा रही है। जिसका जनपद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 की वित्तीय गाइडलाइन के अनुसार **FAMS** पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
10	73 DSTB Maintenance & Management of Office Equipment (Office Equipment at STC, SDS) 73.16	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0 प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार एवं **FAMS** पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
11	73 DSTB Initial Establishment / Refurbishmen t / Upgradation of STO office, STDC, SDS, DDS, DTC, TU, DMC, X- ray facility 73.17	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0 प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार,एवं **FAMS** पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
12	73 DSTB Procurement of Office Equipment 73.18	राज्य स्तरीय ईकाई स्टेट टीबी ट्रेनिंग एण्ड डिमान्सट्रेशन सेन्टर (एस0टी0डी0सी0) आगरा हेतु 02 नग **Desktop Computer with Printer, scanner and UPS,** एस0टी0डी0सी0 लखनऊ हेतु 02 नग **Desktop Computer with Printer, scanner and UPS** एवं एएस0टी0डी0सी0 गोरखपुर हेतु 02 नग **Desktop Computer with Printer, scanner and UPS** हेतु प्रति नग रू0 **75,000/-** की धनराशि आवंटित की गई है। उक्त कय जनपद में वित्तीय गाइडलाइन एंव **Procurement** गाइडलाइन के अनुसार, **FAMS** पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
13	73 DSTB Incentive for community volunteers undertaking ACF 73.19	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0 प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार, **FAMS** पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
14	73 DSTB Printing 73.20	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0 प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के क्रम में **FAMS** पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार मुद्रण का कार्य कराये जाने हेतु नियमानुसार व्यय किया जाना है।
15	73 DSTB Operational Research 73.22	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत 05 आपरेशल रिसर्च हेतु रू0 2.00/– लाख प्रति आपरेशल रिसर्च एंव 15 थीसिस हेतु रू0 30,000/– प्रति थीसिस अनुमोदन किया गया है। यदि कोई आपरेशल रिसर्च एंव थीसिस का प्रस्ताव हो तो जनपद अपने मेडिकल कालेज से समन्वय स्थापित करते हुए आपरेशल रिसर्च एंव थीसिस का प्रस्ताव आपरेशल रिसर्च चेयरपर्सन को प्रेषित करें। मेडिकल कालेज से प्राप्त आपरेशल रिसर्च एंव थीसिस के प्रस्ताव को आपरेशल रिसर्च समिति द्वारा अनुमोदन के उपरान्त राज्य से सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आंवटित किया जायेगा।
16	73 DSTB Research for Medical College 73.24	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार एंव राज्य स्तरीय 01 OR Committee की बैठक के आयोजन हेतु जनपद लखनऊ को रू0 50000/–तथा 01 राज्य स्तर की आपरेशल रिर्सच की कार्यशाला के आयोजन हेतु रू0 100000/– FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है। उक्त कार्यशाला एंव बैठक के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश पृथक से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ के स्तर से पृथक से प्रेषित की जायेगी।
17	74 NPY NPY for DSTB patients 74.1 NPY for DRTB patients	इस मद में वर्ष 2018–19 में दिनांक 01.04.2018 से भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना (न्यूट्रीशियन सपोर्ट) के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त क्षय रोगियों (सरकारी एवं निजी क्षेत्र) को डी0बी0टी0 के माध्यम से रू0 500/– प्रति माह की दर से प्रदान किया जा रह्य है । अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन), भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली के अर्द्ध0शा0 सं0 जेड–28015/326/2019–टीबी दिनांक 31.12.2023 के अनुसार दिनांक 01.01.2024 से निःक्षय पर पंजीकृत प्रत्येक क्षय रोगी के लिए रू0 1500.00 की दो किश्ते ही बनेगी। प्रथम किश्त निदान उपरान्त बन जायेगी तथा दूसरी किश्त 84 दिन के उपचार उपरांत बनेगी। तत्पश्चात प्रत्येक माह की उपचार अवधि में वृद्धि (जहां आवश्यक हो) की दशा में रू0 500.00 प्रतिमाह पूर्व की भॉति दिया जायेगा) नियमानुसार निःक्षय पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट का उपयोग करते हुए डी0बी0टी0 द्वारा शत प्रतिशत भुगतान किया जाना है। उक्त मद में जनपदवार आंवटित धनराशि का विवरण DHAP में FAMS Portal पर

क. सं.	मद	दिशा–निर्देश
	74.2	उल्लिखित है।
18	74 NPY Incentive for Asha/ Community Volunteer for Bank account seeding of TB patient within 15 days of treatment initiation to enable the DBT 74.3	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0 प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 01/NTEP/एन0पी0/2023–24/7477 दिनांक 27.12.2023 द्वारा मानक मद **(Old FMR-73-DSTB DBT Treatment supporter Honorarium (1000) NDCP.4.73.DBT.1½** में पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार, **FAMS** पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त डीबीटी भुगतान को सक्रिय करने के लिए आशा/सामुदायिक स्वंयसेवक द्वारा **उपचार शुरू होने के 15 दिनों के भीतर निक्षय पोर्टल में अधिसूचित टीबी रोगियों के बैंक विवरण को उपलब्ध कराने पर** आशा/सामुदायिक स्वंयसेवक को रू0 50/– प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उक्त मद में आवंटित धनराशि के व्यय हेतु निम्न निर्देशों का पालन किया जाना है। ❖ डीबीटी भुगतान को सक्रिय करने के लिए जिन अधिसूचित टीबी रोगियों के बैंक विवरण उपलब्ध नही है, की सूची एस0टी0एस0 द्वारा सी0एच0ओ0 के माध्यम से आशा/सामुदायिक स्वंयसेवक को उपलब्ध करायी जानी है। ❖ आशा/सामुदायिक स्वंयसेवक द्वारा जिन अधिसूचित टीबी रोगियों के बैंक विवरण उपलब्ध कराया जायेगा, की सूची सी0एच0ओ0 के माध्यम से एस0टी0एस0 को हस्ताक्षरित प्रति उपलब्ध करायी जायेगी। ❖ एस0टी0एस0 द्वारा स्वंय सी0एच0ओ0 को दी गयी सूची से जांच करके जिला क्षय रोग अधिकारी को आशा/सामुदायिक स्वंयसेवक के भुगतान हेतु सूची भेजा जाना है, जिससे आशा/सामुदायिक स्वंयसेवक का ससमय भुगतान हो सके। **राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की सूचना एस0टी0एस0 द्वारा बी0सी0पी0एम0 को उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की सूचना बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 पोर्टल पर अंकित की जा सके।**
19	75 PPP Private Provider Incentive 75.1	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार, **FAMS** पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है। उक्त मद में एन0टी0ई0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024 के नोटिफिकेशन के लक्ष्य के सापेक्ष धनराशि आवंटित की गयी है।
20	75 PPP Informant Incentive 75.2	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार एवं **FAMS** पर जनपदवार आवंटित धनराशि के क्रम में नियमानुसार व्यय किया जाना है।
21	75 PPP Public Private Support Agency (PPSA) 75.3	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार, **FAMS** पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
22	75 PPP Any Public Private Mix (PP/NGO Support) 75.4	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के क्रम में एवं **FAMS** पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
23	76 LTBI Treatment of LTBI 76.3	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार, **FAMS** पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
24	76 LTBI Incentive for TPT (Rs. 250) 76.4	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 01/**NTEP**/एन0पी0/2023–24/7477 दिनांक 27.12.2023 द्वारा मानक मद **(Old FMR-73-DSTB DBT Treatment supporter Honorarium (1000) NDCP.4.73.DBT.1)** में पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार, **FAMS** पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक टीपीटी पात्र व्यक्तियों के टीपीटी कोर्स के पूरा होने पर, उसके टीपीटी ट्रीटमेंट सर्पोटर जो आशा या सामुदायिक स्वयंसेवक होंगे को 250/– की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उक्त मद में आवंटित धनराशि का व्यय भारत सरकार के उक्त पत्र के क्रम में नियमानुसार किया जाना है। टीपीटी पात्र व्यक्तियों के टीपीटी कोर्स के पूरा होने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि निक्षय पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न हो रही है। सामुदायिक स्वयंसेवक के प्रोत्साहन राशि का सामुदायिक स्वयंसेवक के खाते में निर्धारित प्रकिया, जो निम्नवत है, के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा। • सर्वप्रथम टीबी मरीजों के सभी घरेलू सम्पर्को का निक्षय पोर्टल पर **enrollment** किया जायेगा। • टीपीटी पात्र व्यक्तियों का निक्षय पोर्टल पर टीपीटी शुरूकिया जायेगा। • टीपीटी पात्र व्यक्तियों को ट्रीटमेंट सपोर्टर से लिंक किया जायेगा। • टीपीटी पात्र व्यक्तियों के आउटकम आने के पश्चात, निक्षय पोर्टल पर ट्रीटमेंट सपोर्टर का बेनिफिट मेन्यूवली **generate** किया जाना है, के उपरान्त अन्य डी0बी0टी0 योजना के अनुसार अनुसरण किया जाना है। ***राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में निक्षय पोर्टल के माध्यम से आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की सूचना एस0टी0एस0 द्वारा बी0सी0पी0एम0 को उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की सूचना बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 पोर्टल पर अंकित की जा सके।***
25	77 DRTB Training (State and District Level) 77.1	इस मद में कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है। उक्त सभी प्रशिक्षण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश पृथक से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ के स्तर से पृथक से प्रेषित की जायेगी। FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।

क. सं.	मद	दिशा–निर्देश
26	77 DRTB Treatment Supporter Honorarium (Rs.5000) 77.2	इस मद में कार्यक्रम के अर्न्तगत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के कम में FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
27	77 DRTB Lab Materials and consumables for DMCs 77.3	इस मद में कार्यक्रम के अर्न्तगत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के कम में एवं FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
28	77 DRTB Procurement of DRTB drugs 77.4	इस मद में कार्यक्रम के अर्न्तगत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के कम में FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
29	77 DRTB Maintenance and Management for DR TB Centre, IRL, C &DST Lab and Molecular Diagnostics Equipment 77.5	इस मद में कार्यक्रम के अर्न्तगत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के कम में एवं FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
30	77 DRTB Procurement of equipment for DR TB Centre, IRL, C &DST Lab and Molecular Diagnostics 77.6	इस मद में कार्यक्रम के अर्न्तगत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0 प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा प्रेषित दिशा निर्देश के कम में एवं FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
31	77 DRTB Initial Establishment / Refurbishmen t / Upgradation of Nodal DRTB centre, CBNAAT, TRUNAAT sites, IRL & CDST labs 77.7	इस मद में कार्यक्रम के अर्न्तगत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0 प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के कम में एवं FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
32	77 DRTB Sample collection and Transport 77.8	इस मद में कार्यक्रम के अर्न्तगत राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अर्न्तगत इस मद में आंवटित धनराशि से जनपद में एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोगियों के जॉच/भर्ती/उपचार हेतु आवागमन आदि पर राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0 प्र0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा मानक मद **(Old FMR-79-State specific initiative and innovation DBT Travel support for DRTB Patients NDCP.4.79.DBT)** में पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार, **FAMS** पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
33	78 TB Harega Desh Jeetega ACSM (State & District) 78.1	इस मद में कार्यक्रम के अर्न्तगत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र सं0 उ0 प्र0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के कम में एवं FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
34	78 TB Harega Desh Jeetega Printing (ACSM) 78.2	इस मद में कार्यक्रम के अर्न्तगत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनएस0पी0एम0यू0, लखनऊ, उ0 प्र0, के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के कम में एवं FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
35	78 TB Harega Desh Jeetega Any other IEC/BCC activities 78.3	इस मद में कार्यक्रम के अर्न्तगत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनएस0पी0एम0यू0, लखनऊ, उ0प्र0, के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के कम में एवं FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।
36	Sl no 194 Planning and Program Management	इस मद में कार्यक्रम के अर्न्तगत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एस0पी0एम0यू0, लखनऊ, उ0प्र0, के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार नियमानुसार एवं FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार व्यय किया जाना है।

क. सं.	मद	दिशा–निर्देश
	Supervision and Monitoring (State and District Level) 194.38	
37	Sl no 194 Planning and Program Management Vehicle Operation (POL) 194.39	इस मद में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों (जिन्हे कार्यकम में दो पहिया वाहन स्वीकृत है, परन्तु विभाग द्वारा दो पहिया वाहन उपलब्ध करायी गयी है) को पी0ओ0एल0 एंव दो पहिया वाहन के इन्श्योरेन्स, प्रदूषण एंव मेन्टेन्स इत्यादि हेतु प्रति वर्ष अधिकतम रू0 45,000/– की धनराशि का व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के अन्तर्गत वित्तीय गाइडलाइन के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा। संविदा कर्मचारियों (जिन्हे कार्यकम में दो पहिया वाहन स्वीकृत है, परन्तु विभाग द्वारा दो पहिया वाहन उपलब्ध नही करायी गयी है) को पी0ओ0एल0 हेतु प्रति वर्ष अधिकतम रू0 45,000/– अन्य कर्मचारियों की भॉति देय होगा। उक्त व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के अन्तर्गत वित्तीय गाइडलाइन के अनुसार, नियमानुसार किया जायेगा। राज्य एवं जनपद स्तरीय ईकाईयों पर उपलब्ध सरकारी चार पहिया वाहन एवं 02 पहिया वाहन के पी0ओ0एल0 का व्यय राज्य स्तर की गाडलाइन के अनुसार, नियमानुसार सम्पादित कराया जाये। पी0ओ0एल0 के भुगतान हेतु कर्मचारियों के द्वारा स्वयं दिए गये “Paid by me” के बीजक नियमानुसार भुगतान हेतु मान्य नही होंगे, इस सम्बन्ध में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा लागू की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा। उक्त मानक मद में FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार किया जाना है।
38	Sl no 194 Planning and Program Management Vehicle hiring 194.40	इस मद में राज्य एवं जनपद स्तरीय ईकाईयों द्वारा कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु वेहिकल हायरिंग का व्यय राज्य/जनपद में जनपद स्तरीय अनुबन्ध अथवा जेम पोर्टल के अनुसार FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार किया जाना है।
39	Sl no 194 Planning and Program Management Office operation (Miscellaneous) 194.41	इस मद में कार्यकम के अर्न्तगत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनएस0पी0एम0यू0, लखनऊ, उ0प्र0, के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के क्रम में एवं FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार किया जाना है। राज्य स्तरीय ईकाई एस0डी0एस0 आगरा, बरेली, लखनऊ एंव वाराणसी में कालातीत हो चुकी क्षय निरोधी औषधियों के **Dispose off** हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ के स्तर से दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किया जायेगा।
40	Sl no 194 Planning and Program Management Vehicle Operation (Maintenance) 194.42	इस मद में कार्यकम के अर्न्तगत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एस0पी0एम0यू0, लखनऊ, उ0प्र0, के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार **FAMS** पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार किया जाना है।
41	Sl no 194 Planning and Program Management Medical Colleges (Any Meetings) 194.45	इस मद में कार्यकम के अर्न्तगत राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एस0पी0एम0यू0, लखनऊ उ0प्र0, के पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1766–2 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश के क्रम में एवं FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार किया जाना है।
42	Human Resource	इस मद में जनपद स्तर पर कार्यरत् कर्मियों के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि **FAMS** पर आंवटित की गयी है। जिसमें मानदेय, वार्षिक मानदेय वृद्वि, लायल्टी बोनस/**Experience** बोनस, (केवल संविदा कर्मियों के लिए), ई0पी0एफ0 (मूल मानदेय 15000 तक वाले कर्मियों,) एवं आउटसोर्स हेतु ई0एस0आई0 (रु0 21000 तक के मानदेय हेतु,) जी0एस0टी0 एवं सर्विस चार्ज अधिकतम 10% तक सम्मिलित है।आवंटित धनराशि में से कार्यरत् मानव संसाधन, जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस/**Experience** बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित (यदि लागू हो तो) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है। FAMS पर जनपदवार आवंटित धनराशि के अनुसार नियमानुसार किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा रिक्त पदों हेतु रू0 1.00 लाख प्रति **Medical Officer** प्रति माह स्वीकृत है। कार्यरत् **Medical Officer** को वित्तीय वर्ष 2023–24 में देय मानदेय के अनुसार ही मानदेय नियमानसुार देय होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- निर्देशित किया जाता है कि कार्यकम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन०एच०एम० के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हुए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- FAMS Portal पर आंवटित धनराशि की सीमा के सापेक्ष ही व्यय की सूचना की अंकित करें, आंवटित धनराशि से अधिक व्यय की सूचना अंकित करना नियम विरूद्ध है।

- जनपद स्तर से आशा एवं आशा संगिनियों का ससमय भुगतान के सम्बन्ध में कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग द्वारा समय–समय पर प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद द्वारा यह सुनिशिचित किया जायेगा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार आवंटन की सीमा तक संगत मद में FAMS Portal पर व्यय विवरण अंकित किया जायेगा। किसी भी दशा में आवंटन की सीमा के ऊपर व्यय नहीं किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम तीन ओ०ई०एम० जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।
- राज्य स्तर/जनपद स्तर से आंवटित की जाने वाली समस्त लैब मैटिरियल/कन्जूमेबिलस का आंवटन निक्षय औषधि पर उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। अतः निक्षय औषधि पर समस्त टी०यू०/डी०एम०सी० के द्वारा आवंटन के सापेक्ष उपयोगित का विवरण ससमय अंकित कराना सुनिश्चित करें, जिससे उपरोक्त का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा सके।
- मानव संसाधन मद में बजट आवंटन मात्र है। आवंटित बजट के सापेक्ष बजट का जनपद स्तर पर कार्यरत् मानव संसाधन/पदों को ही वास्तविकता के आधार नियमानुसार ससमय मानदेय देय होगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- मानदेय की धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
- आउटसोर्स पद का वेतन निर्धारण Current Applicable Minimum Wages Act,1948 के अर्न्तगत समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- आउटसोर्स पदों पर कार्यरत् मानव संसाधन के EPF, ESI का ससमय भगतान सुनिश्चित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय निरोधी औषधियों एवं कन्जयुमेबल्स के वितरण हेतु वाहन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु दिशा–निर्देशः–

एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या–02/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2447–2 दिनांक 29.07.2024 के माध्यम से राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय निरोधी औषधियों एवं कन्जयुमेबल्स के वितरण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपदवार आवंटन एवं आवंटित धनराशि के उपयोग/व्यय किये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश संलग्नक सहित प्रेषित किये गये हैं, जिनका संज्ञान लेने का कष्ट करें। संक्षिप्त दिशा–निर्देश निम्नवत प्रेषित किये जा रहे हैंः–

<u>राज्य औषधि भण्डार (एसडीएस) स्तर की गतिविधियाँ–</u>

1. प्रत्येक राज्य औषधि भंडार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मानदंडों के अनुसार निविदा प्रक्रिया के माध्यम से अथवा वर्णित शर्तों के अनुसार पूर्व में अनुबन्धित सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से औषधि और लैब कन्जयुमेबल्स सामग्रियों के परिवहन हेतु एजेंसी का चयन तथा राज्य औषधि भंडार हेतु आवंटित वाहनों के अनुसार नियामानुसार अनुबन्धित किया जाना है।
2. औषधि और लैब कन्जयुमेबल्स सामग्रियों का परिवहन राज्य औषधि भंडार से अन्य राज्य औषधि भंडार, राज्य औषधि भंडार से जनपद औषधि भंडार और जनपद औषधि भंडार से अन्य जनपद औषधि भंडार तक होगा (दो जनपद औषधि भंडारके बीच औषधियो और लैब कन्जयुमेबल्स सामग्रियों का वितरण केवल तभी हो सकता है जब दोनों जनपद औषधि भंडार एक ही राज्य औषधि भंडार के अंतर्गत आते हो।)
3. राज्य औषधि भंडार द्वारा तीन तरह की सेवाओं का प्रावधान किया जाना है।
    a. Dedicated Vehicle
    b. Full Truck Load
    c. Courier

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपरोक्त गतिविधि से सम्बन्धित कोई प्रचलित व्यवस्था नहीं है। अतः इन्टरनेट के माध्यम से परिवहन की दरों के आधार पर गणना कर आवंटित प्रस्तावित किया गया है। विवरण निम्नवत् है–

Estimated Project Cost for Transportation of Drugs and Consumables (Inclusive of GST) (SDS-SDS,SDS-DDS)					
Outsourcing Rental Services inclusive of (Driver +Diesel +Maintainance Charges/Toll Charges/Parking Charges/any other charges)					
Dedicated Vehicle (**DV**)					
Head	**Estimated Distance**	**Estimated rate per Km**	**No of Dedicated Vehicles**	**Total Monthly Cost**	**Yearly Cost**
Dedicated Vehicle (DV) -Fixed SDS Lucknow	3000	25	3	225,000	2,700,000
Dedicated Vehicle (DV) -Fixed SDS Varanasi	3000	25	4	300,000	3,600,000
Dedicated Vehicle (DV) -Fixed SDS Bareilly	3000	25	2	150,000	1,800,000
Dedicated Vehicle (DV) -Fixed SDS Agra	3000	25	2	150,000	1,800,000
Total Cost (Travel)					9,900,000
Full Truck Load (FTL)					
Head	**Estimated Distance in KM per trip**	**Estimated Rate per Km**	**Avg. Monthly FTL Trip**	**Avg. Yearly FTL Trip**	**Yearly Cost**
Full Truck Load (FTL)- SDS Lucknow	700	50	2.7	32	1,120,000
Full Truck Load (FTL)- SDS Varanasi	700	50	0.3	4	140,000
Full Truck Load (FTL)- SDS Bareilly	700	50	0.3	4	140,000
Full Truck Load (FTL)- SDS Agra	700	50	0.3	4	140,000
Total Cost (Travel)					1,540,000

Courier					
Head	**Considered Weight (in Kg)**	**Rate/ Kg**	**Avg. No. of Monthly booking**	**Avg. Monthly Cost**	**Yearly Cost**
Surface courier charges -SDS Lucknow	50	20	10	10,000	120,000
Surface courier charges -SDS Varanasi	50	20	10	10,000	120,000
Surface courier charges -SDS Bareilly	50	20	5	5,000	60,000
Surface courier charges -SDS Agra	50	20	5	5,000	60,000
Total Cost (Travel)					360,000
Total Cost (HR)					
Total Cost SDS Lucknow					**3,940,000**
Total Cost SDS Varanasi					**3,860,000**
Total Cost SDS Bareilly					**2,000,000**
Total Cost SDS Agra					**2,000,000**
Total Variable Cost					**11,800,000**

5. राज्य औषधि भंडारों में लिंक जनपदों की संख्या तथा दवा वितरण के लोड के आधार पर निम्नानुसार Dedicated Vehicle उपलब्ध कराया जाना है एवं तद्नुसार धनराशि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया जा रहा है। विवरण निम्नवत् है–

a. एसडीएस (लखनऊ)–03 Dedicated Vehicle
b. एसडीएस (बरेली)–02 Dedicated Vehicle
c. एसडीएस (वाराणसी)–04 Dedicated Vehicle
d. एसडीएस (आगरा)–02 Dedicated Vehicle

<u>Dedicated Vehicle</u>:-

1. Dedicated Vehicle की क्षमता लगभग 1–1.5 मीट्रिक टन होनी चाहिये। वाहन 4 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और जीपीएस सहित होना चाहिए।
2. परिवहन एवं यातायात विभाग के समस्त नियमों का पालन करना एवं इनसे सम्बन्धित समस्त व्यय भार का दायित्व अनुबन्धित एजेन्सी का होगा।
3. औषधियो एवं लैब कन्जयुमेबल्स सामग्रियो के Loading & Unloading की जिम्मेदारी अनुबन्धित एजेन्सी की होगी।
4. Dedicated Vehicle में एक ड्राइवर और एक सहायक अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए।
5. Dedicated Vehicle एक निश्चित मासिक किराये के आधार पर उपलब्ध होगा। उक्त वाहन द्वारा औसतन मासिक यात्रा 3000 किलोमीटर तक किया जायेगा।

6. Dedicated Vehicle में औषधियो एवं लैब कन्जयुमेबल्स सामग्रियो को इस तरह से लोड किया जाना है कि उन्हें क्रमबद्ध स्थानों पर आसानी से उतारा जा सके। जैसे पहले स्थान पर पहले और फिर दूसरे एवं तीसरे आदि स्थानों पर।
7. Dedicated Vehicle के लिए दूरी की गणना राज्य औषधि भंडार से औषधियो एवं लैब कन्जयुमेबल्स सामग्रियो को प्राप्त कर क्रमशः समस्त गंतब्यो तक क्रमवार पहुचाते हुये वापस राज्य औषधि भंडार तक आने की दूरी के आधार पर किया जायेगा।
8. Dedicated Vehicle राज्य औषधि भंडार, मे सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय समय की शुरुआत में उपलब्ध होना चाहिए।
9. Dedicated Vehicle के माध्यम से जनपद औषधि भंडारो में औषधि एवं लैब कन्जयुमेबल्स सामग्रियों के वितरण का Route Plan राज्य औषधि भंडारों के Pharmacist एवं RTPMU के द्वारा तैयार किया जाना है।

Full Truck Load:-

1. अधिक मात्रा में औषधि एवं लैब कन्जयुमेबल्स सामग्रियों के परिवहन की स्थिति मे आवश्यकतानुसार Full Truck Load- 1एमटी, 2.5 एमटी, 3.5 एमटी, 4.5 एमटी (अधिकतम 9 एमटी) तक वाहन तैनात किया जा सकता हैं।
2. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा Full Truck Load वाहन केवल आवश्यकता के आधार पर ही उपलब्ध किया जाना है। इस हेतु मितव्ययता का ध्यान रखा जाना है।
3. औषधियो एवं लैब कन्जयुमेबल्स सामग्रियो के Loading & Unloading की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता एजेन्सी की होगी।
4. Intrastate Full Truck Load के लिए दूरी की गणना राज्य औषधि भंडार से औषधियों एवं लैब कन्जयुमेबल्स सामग्रियो को प्राप्त कर क्रमशः समस्त गंतब्यो तक क्रमवार पहुचाते हुये वापस राज्य औषधि भंडार तक आने की दूरी के आधार पर किया जायेगा।
5. Interstate Full Truck Load के लिए दूरी की गणना राज्य औषधि भंडार से औषधियो एवं लैब कन्जयुमेबल्स सामग्रियो को प्राप्त कर अन्तिम गंतब्य तक पहुचाने में तय की गयी कुल दूरी के आधार पर किया जायेगा।

Courier

1. कोरियर सेवा के माध्यम से औषधियों के छोटे पैकेजों का स्थानांतरण किया जाना है।
2. कोरियर के माध्यम से परिवहन की जाने वाली औषधियों एवं लैब कन्जयुमेबल्स सामग्रियों को राज्य औषधि भंडार से प्राप्त कर प्राप्तकर्ता को प्राप्त कराने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता एजेन्सी की होगी।
3. इस व्यवस्था के अर्न्तगत राज्य के अंदर के लिए अधिकतम 50 किलोग्राम तक और Inter-state के लिए अधिकतम 300 किलो ग्राम तक के छोटे पैकेज कोरियर सेवाओं के माध्यम से भेजे जाएंगे।

राज्य औषधि भंडार पर भुगतान प्रकिया

1. जिला स्वास्थ्य समिति जनपद लखनऊ, बरेली, वाराणसी, आगरा के द्वारा राज्य औषधि भंडार हेतु Hired Dedicated Vehicle के भुगतान करने के लिए अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मंडल, बरेली मंडल, आगरा मंडल एवं वाराणसी मंडल को धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।
2. अनुबन्धित सेवा प्रदाता एजेंसी, अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मंडल, बरेली मंडल, आगरा मंडल एवं वाराणसी मंडल को राज्य औषधि भंडार के लिए अगले महीने के 07 कार्य दिवसों में सहायक दस्तावेज के साथ Invioce प्रस्तुत करेगा।
3. अनुबन्धित सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रेषित दस्तावेज़ों पर राज्य औषधि भंडार के प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाएगा। सहायक दस्तावेजों में Nikshay generated Issue voucher, receiving copy, Delivery Challan & Trip Record आदि अवश्य सम्मलित किया जायेगा।
4. सम्बन्धित राज्य औषधि भण्डार के प्रभारी सत्यापित दस्तावेज एवं बिल मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को अग्रेतर कार्यवाही के लिए प्रेषित करेंगे।
5. सम्बन्धित राज्य औषधि भण्डार के Invioce को भुगतान हेतु मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के मद संख्या 73.DSTB DRUGS Drug Transportation charges 73.11 से ससमय नियमानुसार करना/कराना सुनिश्चित करेंगे एवं एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर अद्यतन किया जायेगा।

6. मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। यात्रा के मासिक विवरण, ट्रिपरिकॉड्र्स, डिलीवरी चालान, इश्यू वाउचर की प्रतियों के साथ प्रभारी राज्य औषधि भंडार द्वारा सत्यापित प्रतियां प्राप्त करने के साथ जीएसटी Invoice की प्रस्तुति पर ही भुगतान किया जाएगा।

7. सेवा प्रदाता एजेंसी का भुगतान सभी उपयुक्त दस्तावेजों के साथ Invoice प्राप्त होने के उपरान्त यथा सम्भव 10 कार्यदिवसों में वित्तीय नियमानुसार किया जायेगा।

जिला औषधि भंडार (डीडीएस) स्तर की गतिविधियाँ

1. प्रत्येक जिला औषधि भंडार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मानदंडों के अनुसार निविदा प्रक्रिया के माध्यम से अथवा वर्णित शर्तों के अनुसार पूर्व से अनुबन्धित सेवा प्रदाता ऐजेन्सी के माध्यम से टी0बी0 औषधि और लैब कन्जयुमेबल्स सामग्रियों के परिवहन हेतु एजेंसी का चयन किया जाना है।
2. जिला औषधि भंडार से Nodal DRTB Centre/District DRTB Centre और Linked TU और Urban TU और उनके Linked PHI तक औषधि और लैब कन्जयुमेबल्स सामग्रियों का परिवहन किया जाएगा। PHI जिनके पास सक्रिय निक्षय औषधि आईडी उपलब्ध है, उन पर ही औषधि और लैब कन्जयुमेबल्स सामग्रियों का परिवहन किया जाएगा।
3. प्रत्येक जिला औषधि भंडार एक Dedicated Vehicle किराए पर लेगा, जिसकी वाहन क्षमता बन्द बॉडी के साथ 700 किलोग्राम से 1.2 मीट्रिक टन हो सकती है। वाहन 4 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस सहित उपलब्ध होना चाहिए।
4. Dedicated Vehicle जनपद औषधि भंडार, मे सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय समय की शुरुआत में सुबह 8 बजे उपलब्ध होना चाहिए।
5. औषधियो एवं लैब कन्जयुमेबल्स सामग्रियो के Loading & Unloading की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता एजेन्सी की होगी।
6. Dedicated Vehicle एक निश्चित मासिक किराये के आधार पर उपलब्ध होगा।
7. Dedicated Vehicle में औषधियो एवं लैब कन्जयुमेबल्स सामग्रियो को इस तरह से लोड किया जाना है कि उन्हें कमबद्ध स्थानों पर आसानी से उतारा जा सके यानी पहले स्थान पर पहले और फिर दूसरे एवं तीसरे आदि स्थानों पर।
8. Dedicated Vehicle के लिए दूरी की गणना जनपद औषधि भंडार से औषधियो एवं लैब कन्जयुमेबल्स सामग्रियो को प्राप्त कर क्रमशः समस्त गंतब्यो तक क्रमवार पहुचाते हुये वापस जनपद औषधि भंडार तक आने की दूरी के आधार पर किया जायेगा।
9. जनपदों को उनके क्षेत्रफल और आन्तरिक दूरी एवं टी0यू0 की संख्या के आधार पर तीन Category में विभक्त किया गया है। जो निम्नवत है–

S.N	Dedicated Vehicle (DV)		Estimated Distance in KM
1	Category A	Fixed KM	1500
		Additional KM	500
2	Category B	Fixed KM	1500
		Additional KM	300
3	Category C	Fixed KM	1200
		Additional KM	300

Estimated Project Cost for Transportation of Drugs and Consumables (Inclusive of GST) (DDS-TU/PHI)									
S.No.	Dedicated Vehicle (DV)		Estimated Distance in KM	Estimated rate per Km	Total Monthly Cost	Yearly Cost	Total Amount for 01 District	No of District	Total Budget Allocated for District
			A	B	C=A*B	D=C*12	G	H	I=G*H
1	Category A	Fixed KM	1500	27	40500	486000	576000	12	6912000
		Additional KM	500	15	7500	90000			
2	Category B	Fixed KM	1500	27	40500	486000	540000	44	23760000
		Additional KM	300	15	4500	54000			
3	Category C	Fixed KM	1200	27	32400	388800	442800	19	8413200
		Additional KM	300	15	4500	54000			
Total			**5300**	**126**	**129900**	**1558800**	**1558800**	**75**	**39085200**

S.N	District	Category	Total No. of TU in the District as per Nikshay	Area Sq. KM	No. of Route	Total Run in KMs in one rount trip (Including TU-PHI)	Budget Allocated inclusive of GST
1	Agra	A	26	4041	4	801	576000
2	Aligarh	B	22	3788	5	606	540000
3	Ambedkar Nagar	B	12	2350	5	448	540000
4	Amethi	B	11	2329	4	405	540000
5	Auraiya	C	8	2016	1	244	442800
6	Ayodhya	B	15	2522	5	476	540000
7	Azamgarh	A	26	4054	6	855	576000
8	Baghpat	C	8	1321	1	221	442800
9	Bahraich	A	15	2981	4	703	576000
10	Ballia	B	19	3349	4	539	540000
11	Balrampur	B	12	4408	3	406	540000
12	Banda	B	11	4402	4	532	540000
13	Barabanki	B	18	4120	3	574	540000
14	Bareilly	B	27	2688	5	581	540000
15	Basti	B	14	4561	4	445	540000
16	Bijnor	B	22	4262	5	587	540000
17	Budaun	B	16	4234	4	598	540000
18	Bulandshahar	A	21	4441	5	728	576000
19	Chandauli	B	11	2541	3	420	540000
20	Chitrakoot	C	6	3216	1	245	442800
21	Deoria	B	18	2540	5	479	540000
22	Etah	C	11	2431	3	311	442800
23	Etawah	C	11	2311	3	364	442800
24	Farrukhabad	B	11	2181	4	440	540000
25	Fatehpur	B	17	4152	3	594	540000
26	Firozabad	B	15	2407	5	458	540000
27	Gautam Budh Nagar	C	11	720	2	280	442800
28	Ghaziabad	B	19	1179	5	403	540000
29	Ghazipur	B	19	3377	3	564	540000
30	Gonda	B	19	4003	5	603	540000
31	Gorakhpur	B	24	3321	6	675	540000
32	Hamirpur-UP	B	8	4021	4	560	540000
33	Hapur	C	8	649	2	203	442800
34	Hardoi	A	23	5986	6	753	576000
35	Hathras	C	9	1840	2	287	442800
36	Jalaun	B	10	4565	3	532	540000
37	Jaunpur	A	26	4038	5	855	576000
38	Jhansi	B	12	5024	4	462	540000
39	Jyotiba Phule Nagar	C	12	2249	2	301	442800
40	Kannauj	C	10	2093	2	336	442800
41	Kanpur Dehat	B	11	3021	3	434	540000
42	Kanpur Nagar	B	26	3155	5	630	540000
43	Kanshiram Nagar	C	8	1955	3	312	442800
44	Kaushambi	C	9	1779	2	253	442800
45	Kheri	A	23	7680	5	778	576000
46	Kushinagar	B	19	2905	3	501	540000
47	Lalitpur	B	7	5039	2	420	540000
48	Lucknow	B	28	2528	5	602	540000
49	Maharajganj	B	13	2952	2	406	540000
50	Mahoba	C	6	3144	1	364	442800
51	Mainpuri	C	11	2760	3	370	442800
52	Mathura	B	13	3340	5	420	540000
53	Mau	C	13	1713	3	378	442800
54	Meerut	B	20	2559	4	504	540000
55	Mirzapur	A	14	4405	4	728	576000
56	Moradabad	B	18	2233	3	445	540000
57	Muzaffarnagar	B	17	2742	4	449	540000
58	Pilibhit	B	12	3686	3	574	540000
59	Pratapgarh	B	19	3717	4	654	540000
60	Prayagraj	A	35	5482	5	984	576000
61	Rae Bareli	B	19	3937	4	588	540000
62	Rampur	B	13	2367	3	427	540000
63	Saharanpur	B	20	3689	5	584	540000
64	Sambhal	B	12	1015	3	454	540000
65	Sant Kabir Nagar	C	10	2390	2	301	442800
66	Sant Ravidas Nagar	C	10	1646	2	249	442800
67	Shahjahanpur	A	18	4388	6	752	576000
68	Shamli	C	5	1266	3	210	442800
69	SHRAWASTI	C	6	1640	2	286	442800
70	Siddharthnagar	B	15	2895	6	629	540000

S.N	District	Category	Total No. of TU in the District as per Nikshay	Area Sq. KM	No. of Route	Total Run in KMs in one rount trip (Including TU-PHI)	Budget Allocated inclusive of GST
71	Sitapur	A	25	5743	5	868	576000
72	Sonbhadra	A	12	6905	6	773	576000
73	Sultanpur	B	14	2457	3	490	540000
74	Unnao	B	18	4558	3	587	540000
75	Varanasi	B	23	1535	5	403	540000
Total			**1155**				39085200

District Category Type					
S.N	**District**	**Type**	**S.No**	**District**	**Type**
1	Agra	A	**39**	Jyotiba Phule Nagar	C
2	Aligarh	B	**40**	Kannauj	C
3	Ambedkar Nagar	B	**41**	Kanpur Dehat	B
4	Amethi	B	**42**	Kanpur Nagar	B
5	Auraiya	C	**43**	Kanshiram Nagar	C
6	Ayodhya	B	**44**	Kaushambhi	C
7	Azamgarh	A	**45**	Kheri	A
8	Baghpat	C	**46**	Kushinagar	B
9	Bahraich	A	**47**	Lalitpur	B
10	Ballia	B	**48**	Lucknow	B
11	Balrampur	B	**49**	Maharajganj	B
12	Banda	B	**50**	Mahoba	C
13	Barabanki	B	**51**	Mainpuri	C
14	Bareilly	B	**52**	Mathura	B
15	Basti	B	**53**	Mau	C
16	Bijnor	B	**54**	Meerut	B
17	Budaun	B	**55**	Mirzapur	A
18	Bulandshahar	A	**56**	Moradabad	B
19	Chandauli	B	**57**	Muzaffarnagar	B
20	Chitrakoot	C	**58**	Pilibhit	B
21	Deoria	B	**59**	Pratapgarh	B
22	Etah	C	**60**	Prayagraj	A
23	Etawah	C	**61**	Rae Bareli	B
24	Farrukhabad	B	**62**	Rampur	B
25	Fatehpur	B	**63**	Saharanpur	B
26	Firozabad	B	**64**	Sambhal	B
27	Gautam Budh Nagar	C	**65**	Sant Kabir Nagar	C
28	Ghaziabad	B	**66**	Sant Ravidas Nagar	C
29	Ghazipur	B	**67**	Shahjahanpur	A
30	Gonda	B	**68**	Shamli	C
31	Gorakhpur	B	**69**	SHRAWASTI	C
32	Hamirpur-UP	B	**70**	Siddharthnagar	B
33	Hapur	C	**71**	Sitapur	A
34	Hardoi	A	**72**	Sonbhadra	A
35	Hathras	C	**73**	Sultanpur	B
36	Jalaun	B	**74**	Unnao	B
37	Jaunpur	A	**75**	Varanasi	B
38	Jhansi	B			

1. **Category A**–इस श्रेणी के जनपदों द्वारा Dedicated Vehicle को 1500 किलोमीटर प्रति माह के दर पर किराये पर लिया जाना है। 1500 किलोमीटर तक की सीमा को पूर्ण करने के उपरान्त आवश्यकता पडने पर उपरोक्त Dedicated Vehicle को 500 किमी की अतिरिक्त दूरी तय करने की अनुमति दी गयी है।
2. **Category B-**इस श्रेणी के जनपदों द्वारा Dedicated Vehicle को 1500 किलोमीटर प्रति माह के दर पर किराये पर लिया जाना है। 1500 किलोमीटर तक की सीमा को पूर्ण करने के उपरान्त आवश्यकता पडने पर उपरोक्त Dedicated Vehicle को 300 किमी की अतिरिक्त दूरी तय करने की अनुमति दी गयी है।
3. **Category C-** इस श्रेणी के जनपदों द्वारा Dedicated Vehicle को 1200 किलोमीटर प्रति माह के दर पर किराये पर लिया जाना है। 1200 किलोमीटर तक की सीमा को पूर्ण करने के उपरान्त आवश्यकता पडने पर उपरोक्त Dedicated Vehicle को 300 किमी की अतिरिक्त दूरी तय करने की अनुमति दी गयी है।
4. जनपदों को उनके Category के अनुसार बजट आवंटित किया गया है।
5. Dedicated Vehicle के माध्यम से जनपद औषधि भंडारो से औषधि एवं लैब कन्जयुमेबल्स सामग्रियों के वितरण का Route Plan जनपद औषधि भंडारो के Pharmacist या जो व्यक्ति

औषधियो एवं लैब कन्जयुमेबल्स सामग्रियो के कार्य को देख रहा है, के द्वारा तैयार किया जाना है।

जिला औषधि भंडार (डी0डी0एस0) के स्तर पर भुगतान प्रकिया

1. सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा अगले महीने के 07वें दिन तक जनपद के जिला क्षय रोग अधिकारी को सहायक दस्तावेज के साथ Invioce प्रस्तुत किया जायेगा।
2. भुगतान सम्बन्धित दस्तावेज़ों पर जिला टीबी कार्यालय में जिला औषधि भंडार के प्रभारी और टीबी यूनिट के प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाएगा। सहायक दस्तावेजों में Nikshay generated Issue voucher receiving copy, Delivery Challan & Trip Record आदि सम्मलित किया जायेगा।
3. जिला औषधि भंडार के प्रभारी और टीबी यूनिट के प्रभारी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों को जिला क्षय रोग अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित करने के उपरान्त सेवा प्रदाता एजेंसी को मद संख्या 73.DSTB DRUGS Drug Transportation charges 73.11 से नियमानुसार भुगतान किया जायेगा एवं एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर अद्यतन किया जायेगा।
4. सेवा प्रदाता एजेंसी का भुगतान सभी उपयुक्त दस्तावेजों के साथ Invoice GST सहित प्राप्त होने के उपरान्त यथा सम्भव 10 कार्य दिवसों में ससमय वित्तीय नियमानुसार किया जाना है।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- निर्देशित किया जाता है कि कार्यकम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन०एच०एम० के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हुए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद द्वारा यह सुनिशिचित किया जायेगा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार आवंटन की सीमा तक संगत मद में FAMS Portal पर व्यय विवरण अंकित किया जायेगा। किसी भी दशा में आवंटन की सीमा के ऊपर व्यय नहीं किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- राज्य स्तर/जनपद स्तर से आंवटित की जाने वाली समस्त लैब मैटिरियल/कन्जूमेबिलस का आंवटन निक्षय औषधि पर उपलब्धता के आधार पर ही किया जायेगा। अतः निक्षय औषधि पोर्टल के द्वारा ही औषधि/लैब मैटिरियल/कन्जूमेबिलस का वितरण किया जाना है। टी०यू०/टी०डी०सी० के स्तर पर उपलब्ध स्टाक को सत्यापित करने के उपरान्त ही जनपद औषधि भंडार से निक्षय औषधि लैब मैटिरियल/कन्जूमेबिलस प्रदान की जायेगी जिस हेतु एम0ओ0टी0सी0 चिकित्साधिकारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी। टी०यू०/टी०डी०सी० के द्वारा आवंटन के सापेक्ष उपयोगिता का विवरण ससमय अंकित कराना सुनिश्चित करें, जिससे उपरोक्त का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा सके।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024–25 में स्वीकृत नवीन गतिविधियां:–

एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या–02/एन0टी0ई0पी0/एन0पी0/2024–25/2447–2 दिनांक 29.07.2024 के माध्यम से राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुमोदित एफ0एम0आर0 संख्या **73 DSTB (73.17)** Initial Establishment / Refurbishment / Upgradation of STO office, STDC, SDS, DDS, DTC, TU, DMC, X- ray facility में धनराशि रू0 15800000/– तथा एफ0एम0आर0 संख्या **77 DRTB (77.7)** Initial Establishment / Refurbishment /Upgradation of Nodal DRTB centre, CBNAAT, TRUNAAT sites, IRL & CDST labs में धनराशि रू0 1500000/– इस प्रकार कुल धनराशि रू0 17300000/– का जनपदवार आवंटन एवं आवंटित धनराशि के उपयोग/व्यय किये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश संलग्नक सहित प्रेषित किये गये हैं, जिनका संज्ञान लेने का कष्ट करें। संक्षिप्त दिशा–निर्देश निम्नवत प्रेषित किये जा रहे हैं:–

Budget allocation for New Activity for FY 2024-25 under NTEP								
Head Name & Code		73 DSTB				77 DRTB		Total Budget allocation for District
		Infrastructure - Civil works (I&C)				Infrastructure - Civil works (I&C)		
		Initial Establishment / Refurbishment / Upgradation of STO office, STDC, SDS, DDS, DTC, TU, DMC, X- ray facility				Initial Establishment / Refurbishment /Upgradation of Nodal DRTB centre, CBNAAT, TRUNAAT sites, IRL & CDST labs		
		73.17				77.7		
S.No	District	Urban TB	Urban TB centre 17	No. of Urban	Urban TU 73	New Nodal DRTB	Amount for Upgradation of	

		Centre	district @ 5 Lakh	TB unit	@1Lakh	Centre	New Nodal DRTB Centre	
		A	B	C	D	E	F	G=B+D+F
1	Agra	1	500000	6	600000	0	0	1100000
2	Aligarh	1	500000	3	300000	0	0	800000
3	Bareilly	1	500000	7	700000	0	0	1200000
4	Ayodhya	1	500000	0	0	0	0	500000
5	Firozabad	1	500000	2	200000	0	0	700000
6	Gautambudhnagar	0	0	0	0	1	1500000	1500000
7	Ghaziabad	1	500000	7	700000	0	0	1200000
8	Gorakhpur	1	500000	3	300000	0	0	800000
9	Jhansi	1	500000	0	0	0	0	500000
10	Kanpur Nagar	1	500000	9	900000	0	0	1400000
11	Lucknow	1	500000	7	700000	0	0	1200000
12	Mathura	1	500000	3	300000	0	0	800000
13	Meerut	1	500000	7	700000	0	0	1200000
14	Moradabad	1	500000	4	400000	0	0	900000
15	Prayagraj	1	500000	5	500000	0	0	1000000
16	Saharanpur	1	500000	5	500000	0	0	1000000
17	Shahjahanpur	1	500000	4	400000	0	0	900000
18	Varanasi	1	500000	1	100000	0	0	600000
	Total	**17**	**8500000**	**73**	**7300000**	**1**	**1500000**	**17300000**

- मद संख्या **73 DSTB** Initial Establishment /Refurbishment / Upgradation of STO office, STDC, SDS, DDS, DTC, TU, DMC, X- ray facility **73.17** में आबंटित धनराशि से भारत सरकार द्वारा नगर निगम वाले 17 जनपदों के नगरीय क्षेत्र में टीबी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए प्रति जनपद 01 जिला नगरीय टीबी सेन्टर के अपग्रडेशन एवं क्रियाशील (चिन्हित स्थान में एल्यूमीनियम विभाजन, दीवारों और छत की मरम्म्त, फर्नीचर (टेबल और कुर्सियाँ), विद्युत सम्बन्धी कार्य, कमरे हेतु विद्युत उपकरण पंखा एंव ए0सी0 एवं पत्रावली हेतु अलमारी) गतिविधि हेतु रू0 05.00 लाख प्रति सेन्टर एंव 73 नवीन नगरीय टीबी यूनिट के अपग्रेडेशन एवं क्रियाशील हेतु चिन्हित स्थान में (Providing and fixing medium quality steel pipes for shelves, 30 cm diameter exhaust fan, safety window grills, Standard steel table with laminated work top, Standard steel chair with full arms, Whitewashing the walls and ceiling with two or more coats, Painting new/old wood work with two or more coats of white color synthetic enamel paint, electrical work) गतिविधि हेतु रू0 01.00 लाख प्रति टीबी यूनिट की दर से आंवटित धनराशि को नियमानुसार कय प्रकिया पूर्ण करते हुए पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुरूप व्यय किया जायेगा।
- मद संख्या **77 DRTB** Initial Establishment / Refurbishment /Upgradation of Nodal DRTB centre, CBNAAT, TRUNAAT sites, IRL & CDST labs **77.7** में आबंटित धनराशि से GIMS मेडिकल कालेज, जनपद जी0बी0 नगर में 01 नवीन नोडल DRTB केंद्र के अपग्रेडेशन हेतु रू0 15.00 लाख की धनराशि आंवटित की गयी है, जिसका व्यय भारत सरकार की PMDT की मार्च 2021 की गाइडलाइन के अनुसार एवं नियामानुसार कय प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए वित्तीय गाइडलाइन के अनुसार नियमानुसार धनराशि व्यय किया जाना है।

19.2 राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एन0वी0एच0सी0पी0)

राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 वर्ष 2023–24 में स्वीकृत गतिविधि के संचालन हेतु पत्र सं0–56/डैप/एन0पी0/2023–24/1394–2 दिनांक 19.05.2023, 56/डैप/एन0पी0/2023–24/5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 41/NVHCP/एन0पी0/ 2023–24/7827 दिनांक 08.01.2024 द्वारा जनपदवार गतिविधिवार FAMS पर आवंटित धनराशि के अनुसार उपयोग/व्यय किये जाने हेतु दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये थे।

आर0ओ0पी0 वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष FAMS पर जनपदवार गतिविधिवार 12 माह हेतु आंवटित धनराशि के अनुसार उपयोग/व्यय किये जाने के लिये एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या–17/NVHCP/एन0पी0/2024–25/2037–2 दिनांक 10.07.2024 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश संलग्नक सहित प्रेषित किये गये हैं, जिनका संज्ञान लेने का कष्ट करें। संक्षिप्त दिशा–निर्देश निम्नवत प्रेषित किये जा रहे हैं:–

	मद	विवरण
1	**81.1** **स्टेट रिफ्रेन्स लैब : मीटिंग कॉस्ट एवं ऑफिस व्यय/कन्टीजेन्सी**	**(मेडिकल कॉलेज हेतु)–** इस मद हेतु पूर्व में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र सं0–56/डैप/एन0पी0/2023–24/5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1394–2 दिनांक 19.05.2023के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जायें। इस मद में वित्तीय वर्ष 2024–25 में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को भी अतिरिक्त बजट का आवंटन किया गया है। शेष दिशा–निर्देश यथावत् रहेगें। सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त जनपद के नोडल अधिकारी द्वारा डी0एच0एस0 बैठक की कार्यवृत्त जारी होने के सात कार्यदिवसो में सम्बन्धित मेडिकल कालेजों को धनराशि हस्तान्तरित किये जाने एवं दिशा–निर्देश उपलब्ध कराये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाई की होगी।
2	**81.2** **मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर के लिये–मीटिंग कॉस्ट/कार्यालय व्यय/कन्टिन्जेन्सी (फोटोकॉपी, इन्टरनेट, कम्यूनिकेशन)/रेसिस्टेंस टेस्टिंग इन सेलेक्टेड केसेस/प्रिन्टिंग एम0 एण्ड ई0 टूल्स)**	**(मेडिकल कॉलेज हेतु)–** इस मद हेतु पूर्व में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र सं0–56/डैप/एन0पी0/2023–24/5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56/डैप/एन0पी0/ 2023–24/1394–2 दिनांक 19.05.2023के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जायें। दिशा–निर्देश यथावत् रहेगें। प्रति एम0टी0सी0 हेतु रू0 3.00 लाख का आवंटन किया गया है। जिसमें 04 बैठक हेतु रू0 40 हज़ार (रू0 10.00 हज़ार प्रति बैठक) एवं अधिकतम रू0 25.00 हज़ार प्रति टैबलेट के क्रय हेतु तथा शेष धनराशि पूर्व प्रेषित दिशा–निर्देशों में अन्य समस्त व्यय के लिये आवंटित की गई है। जेम पोर्टल से क्रय में प्राथमिकता सुनिश्चित की जायेगी। सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त जनपद के नोडल अधिकारी द्वारा डी0एच0एस0 बैठक की कार्यवृत्त जारी होने के सात कार्यदिवसो में सम्बन्धित मेडिकल कालेजों को धनराशि हस्तान्तरित किये जाने एवं दिशा–निर्देश उपलब्ध कराये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाई की होगी।
3	**83.1** **हिपेटाइटिस 'ए' एण्ड 'ई' का प्रबन्धन–**	**(जिला चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज हेतु)–** इस मद हेतु पूर्व में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र संख्या–56/डैप/एन0पी0/2023–24/5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1394–2 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जायें। दिशा–निर्देश यथावत् रहेगें। साथ ही मेडिकल कॉलेज से सन्दर्भित जनपदों की सूची निम्न तालिकानुसार निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार मेडिकल कॉलेजो में क्रियाशील ट्रीटमेन्ट सेन्टर/लैब को निकटवर्ती जनपद के सन्दर्भित हेपेटाइटिस ए0 एवं ई0 मरीजों के उपचार हेतु धनराशि आवंटित की गई है। सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त जनपद के नोडल अधिकारी द्वारा डी0एच0एस0 बैठक की कार्यवृत्त जारी होने के सात कार्यदिवसो में सम्बन्धित मेडिकल कालेजों को धनराशि हस्तान्तरित किये जाने एवं दिशा–निर्देश उपलब्ध कराये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाई की होगी।

मेडिकल कालेज	संदर्भित जनपद
SNMC Agra	Agra,Firozabad, Mainpuri, Mathrura
AMU Aligarh	Aligarh, Etah, Kasganj, Hathras
ASMC Ayodhya	Ambedkar nagar, Amethi, Barananki, Faizabad, Sultanpur
Azamgarh MC	Azamgarh, Ballia, Mau
GMC Bahraich	Bahraich, Balrampur, Gonda, Shravasti
GMC Banda	Banda, Chitrakoot, Hamirpur, Mahoba
Basti MC	Basti, St.kabirnagar, Siddharthnagar
UPUMS Etawah	Etawah, Kannauj, Auraiya
Ghazipur MC	Ghazipur, chandauli
BRD Gorakhpur	Deoria, Gorakhpur
AIIMS MC Gorakhpur	Kushinagar, Maharajganj
MLB Jhansi	Jalaun, Jhansi, Lalitpur
GSVM MC Kanpur nagar	kanpur Dehat , Kanpur nagar, Farrukhabad

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>KGMU Lucknow</td><td>Lucknow, Unnao, Bareilly, Shahj, Pilibhit, Badaun</td></tr>
<tr><td>SGPGI Lucknow</td><td>Sitapur, Hardoi, Kheri</td></tr>
<tr><td>LLRM Meerut</td><td>Meerut, JP Nagar, Bijnor, Moradabad, Rampur, Sambhal, Gb nagar, Ghaziabad, Hapur,Baghpat, Bulanshahar</td></tr>
<tr><td>Mirzapur MC</td><td>Bhadohi, Mirzapur, sonbhadra</td></tr>
<tr><td>MLNMC Prayagraj</td><td>Pryagraj, Fatehpur, Kaushambi</td></tr>
<tr><td>AIIMS MC Raebareli</td><td>Raebareli, Pratapgarh</td></tr>
<tr><td>SSMH Saharanpur</td><td>Muzaffarnagar, Saharanpur, Shamli</td></tr>
<tr><td>IMS BHU Varanasi</td><td>Varanasi, Jaunpur</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td><u>83.2</u>
<u>ट्रीटमेन्ट सेन्टरः मीटिंग कॉस्ट/कार्यालय व्यय/कन्टिजेन्सी–</u></td><td><u>(जिला चिकित्सालय /मेडिकल कॉलेज हेतु)</u>–
उपरोक्त मद में संलग्नक 04 के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि को मण्डलीय जनपद/जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/ब्लाक में स्थित ट्रीटमेन्ट सेन्टर के नोडल अधिकारी के निवर्तन पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र संख्या– 56/डैप/एन0पी0/2023–24/5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1394–2 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही रू0 30,000.00 अन्य समस्त व्यय हेतु तथा 04 बैठक हेतु रू0 20,000.00 प्रति सेन्टर आवंटित की जा रही है। जिसके अनुसार ही गतिविधि सम्पादित कराई जायें।</td></tr>
<tr><td></td><td><u>81.3</u>
<u>आउटरीच फॉर डिमान्ड जेनरेशन, मोबाइल मेडिकल यूनिट /एन0जी0ओ0/सी0बी0ओ0 आदि द्वारा वायरल हेपेटाइटिस का परीक्षण एवं उपचार–</u></td><td>(मुख्य चिकित्साधिकारी अधिष्ठान हेतु)–
इस मद में संलग्नक 05 के अनुसार पूर्व में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र सं0–56/डैप/एन0पी0/2023–24/5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1394–2 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जायें।
1. जिनमें से <u>दो कैम्प जनपदीय कारागारों में माह जुलाई एवं जनवरी के प्रथम शुक्रवार को तथा चार कैम्प जनपद के उच्च जोखिम समूह वाले क्षेत्रों में माह जून, अगस्त, दिसम्बर एवं फरवरी के प्रथम शुक्रवार को अनिवार्य रूप से मुख्य चिकित्साधिकारी अधिष्ठान द्वारा आयोजित करवाये जायेगें।कैम्प से प्राप्त स्कीनिंग की लाइन लिस्ट यू0डी0एस0पी0 पोर्टल पर अपलोड की जायेगी तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत पीयर एजूकेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर इस लाइन लिस्ट को nvhcp.gov.in एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड करेंगें।</u>
2. कैम्प हेतु वायरल हिपेटाइटिस स्कीनिंग किट्स एन0वी0एच0सी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत यू0पी0एम0एस0सी0एल0 के जनपदीय भण्डार से तथा सामान्य औषधियाँ मुख्य चिकित्साधिकरी अधिष्ठान/मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर अथवा ट्रीटमेन्ट सेन्टर से उपलब्ध करायी जायेंगी।
3. प्रपत्र ग की लाइनलिस्ट की सूचना केवल यू0डी0एस0पी0 पोर्टल पर अंकित सूचना के अनुसार ही मान्य होगी।
4. प्रपत्र क एवं ख का विवरण पूर्व प्रेषित दिशा निर्देश के अनुरूप यथावत रहेगें।
5. शेष दिशा–निर्देश उपरोक्त पत्रों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुरूप यथावत रहेगें।</td></tr>
<tr><td></td><td><u>80.1</u>
<u>प्रीवेंशन (आउटरीच फॉर डिमान्ड जेनरेशन, मोबाइल मेडिकल यूनिट/एन0जी0ओ0/सी0बी0ओ0 आदि द्वारा वायरल हिपेटाइटिस का परीक्षण एवं उपचार)</u></td><td><u>(मेडिकल कॉलेज हेतु)</u>–
उक्त मद में पूर्व में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र सं0–56/डैप/एन0पी0/2023–24/5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1394–2 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा मेडिकल कॉलेजों में क्रियाशील मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर/ट्रीटमेन्ट सेन्टर/स्टेट रेफरेन्स लैब/वायरल लोड टेस्टिंग लैबोरेट्री को प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जायें।
प्रत्येक मेडिकल कालेज के विभिन्न विभागों (ओ0पी0डी0/प्रसूति विभाग/हेपेटोलॉजी विभाग/गैस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी विभाग/मेडिसिन विभाग/बाल चिकित्सा विभाग इत्यादि) मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर/ट्रीटमेन्ट सेन्टर अथवा स्टेट रेफरेन्स लैब/वायरल लोड टेस्टिंग लैबोरेट्री तथा जनपद के हाई रिस्क पॉपुलेशन वाले क्षेत्रों में न्यूनतम 10 कैम्प हेतु आवंटित की गयी है। सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज के सोशल एवं प्रिवेन्टिव मेडिसिन विभाग के सहयोग से कैम्प का स्थान मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर/ट्रीटमेन्ट सेन्टर अथवा स्टेट रेफरेन्स लैब/वायरल लोड टेस्टिंग लैबोरेट्री के नोडल आफिसर</td></tr>
</table>

		द्वारा चिन्हित किया जायेगा। प्रत्येक आउटरीच कैम्प के आयोजन हेतु निम्न तालिकानुसार रू0 5,000.00 की धनराशि प्रयोग की जा सकती है–

क्रमांक	गतिविधि	धनराशि प्रति कैम्प
1	परिवहन व्यवस्था	1,000.00
2	प्रचार–प्रसार (लाउड–स्पीकर, बैनर इत्यादि) एवं	2,000.00
3	रिफ्रेशमेन्ट	1,000.00
4	अन्य संचालन व्यय (स्टेशनरी, ट्रीटमेन्ट कार्ड इत्यादि)	1,000.00
	कुल धनराशि	**5,000.00**

	83.3 **इन्सेन्टिव फॉर पीयर एजूकेटर अंडर एन0वी0एच0सी0पी0**	**(जिला चिकित्सालय / मेडिकल कॉलेज हेतु)–** उक्त मद में पूर्व में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र सं0–41 / एन0वी0एच0सी0पी0 / एन0पी0 / 2023–24 / 7827 दिनांक 08.01.2024 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जायें।
	83.5 **HBIg**	**(मुख्य चिकित्साधिकारीगण / मेडिकल कॉलेज हेतु)–** जनपद में एच0बी0आई0जी0 को नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करते हुए क्रय सुनिश्चित किया जायेगा एवं जनपद के एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0, जिला चिकित्सालय जहॉ सस्थागत प्रसव की सुविधाए उपलब्ध है तथा महिला चिकित्सालयों पर शीघ्र–अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा। मेडिकल कालेज को आवंटित धनराशि को जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरांत जनपद के नोडल अधिकारी द्वारा डी0एच0एस0 बैठक की कार्यवृत्त जारी होने के सात कार्यदिवसो में सम्बन्धित मेडिकल कालेजों को हस्तान्तरित की जायेगी।
	81.4 **किट्स**	**(मेडिकल कॉलेज / जिला चिकित्सालयों पर स्थित बी0एस0एल0 लैब)–**इस मद में स्टेट रेफरेन्स लैब (मैडिकल कॉलेज) एवं वायरल लोड टेस्टिंग लेबोरेटरीज वाले जनपदों को आवंटन किया गया है। उपलब्ध करायी गयी धनराशि से मेडिकल कालेज हेपेटाईटिस रोगियों के स्क्रीनिंग हेतु RDT/ELISAकिट्स एवं वायरल लोड टेस्टिंग हेतु आर0टी0पी0सी0आर0 अथवा ट्रू–नॉटकिट्स का क्रय अपने स्तर से नियमानुसार कर सकते हैं। इस मद से जिला चिकित्सालयों पर स्क्रीनिंग के लिए आर0डी0टी0 किट्स यू0पी0एम0एस0सी0एल0 जनपदीय वेयर हाउस के स्तर से प्राप्त की जा सकती है। वायरल हिपेटाइटिस रोग के अधिक प्रसार वाले जनपदों में जनपद आवश्यकतानुसार हिपेटाईटिस रोगियों के स्क्रीनिंग हेतु ELISA किट्स का क्रय अपने स्तर से नियमानुसार कर सकते हैं साथ ही आर0टी0पी0सी0आर0 युक्त जनपदीय बी0एस0एल0–2 प्रयोगशाला / ब्लॉक स्तरीय पब्लिक हेल्थ यूनिट पर उपलब्ध करायी जा रही ट्रू–नॉट मशीन के माध्यम से वायरल लोड टेस्टिंग हेतु भी बजट अवमुक्त किया जा रहा है जिसका प्रयोग यह जनपद पूर्ववत नियमानुसार कर सकते हैं। किट्स के अतिरिक्त अन्य आवश्यक कन्ज्यूमेबल्स हेतु धनराशि एफ0एम0आर0 मद संख्या–**81.5 कन्ज्यू**मेबल फॉर लैबोरेटरी अन्डर एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गयी है। एन0वी0एच0सी0पी0, एन0सी0डी0सी0, भारत सरकार, नई दिल्ली के ई–मेल दिनांक 06.09.2021 के माध्यम से ट्रु–नाट विधि द्वारा हेपेटाईटिस बी एवं सी0 की वायरल लोड जॉच हेतु रू0 640.00+ GST प्रति जॉच की दर निर्धारित की गयी है जिसके अनुसार नियमानुसार क्रय करते हुए वायरल लोड की जॉच सुनिश्चित करायें।
	81.5 **कन्ज्यूमेबल फॉर लैबोरेटरी अन्डर एन0वी0एच0सी0पी0**	**(मेडिकल कॉलेज / जिला चिकित्सालयों पर स्थित बी0एस0एल0 लैब हेतु)**– पूर्व में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र सं0–56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 5187 दिनांक 22. 09.2023 एवं 56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 1394–2 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जायें।
	81.6 **कन्ज्यूमेबलस फॉर ट्रीटमेन्ट साईट्स**	**(जिला चिकित्सालय हेतु)**– पूर्व में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र सं0–56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 1394–2 दिनांक 19.05. 2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जायें।
	186.7 **इन्सेन्टिव अंडर एन0वी0एच0सी0पी0 फॉर एम0ओ0, फार्मासिस्ट एण्ड एल0टी0**	**(मेडिकल कॉलेज / जिला चिकित्सालय हेतु)**– पूर्व में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र सं0–41 / एन0वी0एच0सी0पी0 / एन0पी0 / 2023–24 / 7827 दिनांक 08.01.2024 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जायें।
	185.C.S0775	मेडिकल कॉलेजों में क्रियाशील मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर एवं स्टेट रेफरेन्स लैब

<table>
<tr><td></td><td><u>185.C.S0776,
185.C.S0777,
185.C.S0779,</u>
<u>मानव संसाधन मानदेय</u></td><td>(मेडिकल कॉलेज) में जनपद स्तर पर कार्यरत् संविदा कर्मियों के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि FAMSपर आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से कार्यरत् मानव संसाधन जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस/Experienceबोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित (यदि लागू हो तो) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।
वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा रिक्त पदों हेतु रू0 1.00 लाख प्रति Medical Officer प्रति माह स्वीकृत है। कार्यरत् Medical Officer को वित्तीय वर्ष 2023–24 में देय मानदेय के अनुसार ही मानदेय नियमानसुार देय होगा।</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td><u>83.6</u>
<u>03 डे ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल ऑफिसर</u></td><td><u>ट्रेनिंग</u>– मेडिकल कॉलेज में कियाशील मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर एवं ए0आई0आई0एम0एस0 गोरखपुर में कियाशील ट्रीटमेन्ट सेन्टर को एन0वी0एच0सी0पी0 के अंतर्गत मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर, ट्रीटमेन्ट सेन्टर, एवं जनपदीय/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत् मेडिकल ऑफिसर की ट्रेनिंग आयोजित करने के लिये प्रति सेन्टर दो बैच हेतु कुल धनराशि रू0 500,000/– की धनराशि (प्रति बैच रू0–250,000/–की दर से) आवंटित की गई है।
जनपद/मेडिकल कालेज में दिये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु टी0ए0/डी0ए0, ऑनरेरियम, रिफ्रेशमेंट, प्रशिक्षण सामाग्री इत्यादि का भुगतान नियमानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अर्न्तगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 प0 सं0 D.O. No. A–11033/101/07–Trg दिनांक 28.01.2019 एवं दिशा निर्देशानुसार के अनुरूप जिला स्वास्थ समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाये।
इस प्रशिक्षण हेतु जनपदों तथा प्रतिभागियों की सूची महानिदेशालय स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 के स्तर से पृथक से प्रेषित की जायेगी।</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td><u>81.8(Screening and Testing through facilities (Capacity Building including training))</u>

<u>05 डे ट्रेनिंग ऑफ लैब टेक्नीशियन</u></td><td><u>ट्रेनिंग</u>–मेडिकल कॉलेज के माईक्रोबॉयोलॉजी में कियाशील स्टेट रिफ्रेन्स लैब एवं ए0आई0आई0एम0एस0 गोरखपुर में कियाशील वायरल लोड टेंस्टिग लैब को एन0वी0एच0सी0पी0 के अंतर्गत स्टेट रिफ्रेन्स लैब, वायरल लोड टेंस्टिग लैबोरेट्री, जनपदीय लैब एवं जनपदीय/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत् लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग आयोजित करने हेतु प्रति सेन्टर दो बैच हेतु रू0 500,000/– की धनराशि (प्रति बैच रू0–250,000/–) आवंटित की गई है।
जनपद/मेडिकल कालेज में दिये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु टी0ए0/डी0ए0, ऑनरेरियम, रिफ्रेशमेंट, प्रशिक्षण सामाग्री इत्यादि का भुगतान नियमानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अर्न्तगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 प0 सं0 D.O. No. A–11033/101/07–Trg दिनांक 28.01.2019 एवं दिशा निर्देशानुसार के अनुरूप जिला स्वास्थ समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाये।
इस प्रशिक्षण हेतु जनपदों तथा प्रतिभागियों की सूची महानिदेशालय स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 के स्तर से पृथक से प्रेषित की जायेगी।</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td><u>83.7</u>
<u>01 डे ट्रेनिंग ऑफ पीयर एजूकेटर</u></td><td>इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग निम्नवत आयोजित किये जाने वाले पीयर सपोर्ट के प्रशिक्षण हेतु जिलों से प्रतिभाग कर रहे पीयर सपोर्ट के टी0ए0/डी0ए0/भोजन/लॉजिस्टिक्स इत्यादि के लिये किया जा सकता है।इस हेतु विभिन्न प्रशिक्षण केन्दों में प्रतिभाग हेतु जनपदों की सूची निम्नवत है–
<table>
<tr><th>Name of Centre</th><th>Participating Districts</th></tr>
<tr><td>SNMC Agra</td><td>Agra,Firozabad, Mainpuri, Mathrura, Aligarh, Etah, Kasganj, Hathras, Etawah, Kannauj, Farrukhabad</td></tr>
<tr><td>AIIMS MC Gorakhpur</td><td>Deoria, Gorakhpur, Kushinagar, Maharajganj, Azamgarh, Ballia, Mau, Basti, St.kabirnagar, Siddharthnagar, Ambedkar nagar, Faizabad, Sultanpur</td></tr>
<tr><td>MLB Jhansi</td><td>Jalaun, Jhansi, Lalitpur, Banda, Chitrakoot, Hamirpur, Mahoba, kanpur Dehat , Kanpur nagar, Auraiya</td></tr>
<tr><td>KGMU Lucknow</td><td>Lucknow, Unnao, Hardoi, Bareilly, Shahj, Pilibhit, Badaun, Amethi, Barananki, Raebareli</td></tr>
<tr><td>LLRM Meerut</td><td>Meerut, JP Nagar, Bijnor, Moradabad, Rampur, Sambhal , Meerut, JP Nagar, Bijnor, Moradabad, Rampur, Sambhal</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>IMS BHU Varanasi</td><td>Bhadohi, Mirzapur, sonbhadra, Ghazipur, chandauli, Varanasi, Jaunpur</td></tr>
<tr><td>GMC Bahraich</td><td>Bahraich, Balrampur, Gonda, Shravasti, Sitapur, Kheri</td></tr>
<tr><td>SSMH Saharanpur</td><td>Muzaffarnagar, Saharanpur, Shamli</td></tr>
<tr><td>CMO Pryagraj</td><td>Pryagraj, Fatehpur, Kaushambi, Pratapgarh</td></tr>
</table>
जनपद/मेडिकल कालेज में दिये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु टी0ए0/डी0ए0, ऑनरेरियम, रिफ्रेशमेंट, प्रशिक्षण सामाग्री इत्यादि का भुगतान नियमानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अर्न्तगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 प0 सं0 D.O. No. A–11033/101/07–Trg दिनांक 28.01.2019 एवं दिशा निर्देशानुसार के अनुरूप जिला स्वास्थ समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाये।
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><u>83.8</u>
<u>01 डे ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट</u></td>
<td>उपरोक्त मद में मेडिकल कॉलेज आगरा, झाँसी, लखनऊ, मेरठ वाराणसी में कियाशील मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर एवं मुख्य चिकित्साधिकारीगोरखपुर को प्रति बैच प्रति सेन्टर धनराशि रू0–50,000/– की दर से एन0वी0एच0सी0पी0 के अंतर्गत मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर, ट्रीटमेन्ट सेन्टर, जनपदीय/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत् फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग आयोजित करने हेतु आवंटन किया गया है।
जनपद/मेडिकल कालेज में दिये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु टी0ए0/डी0ए0, ऑनरेरियम, रिफ्रेशमेंट, प्रशिक्षण सामाग्री इत्यादि का भुगतान नियमानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अर्न्तगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 प0 सं0 D.O. No. A–11033/101/07–Trg दिनांक 28.01.2019 एवं दिशा निर्देशानुसार के अनुरूप जिला स्वास्थ समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाये।
इस प्रशिक्षण हेतु जनपदों तथा प्रतिभागियों की सूची महानिदेशालय स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 के स्तर से पृथक से प्रेषित की जायेगी।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><u>80.2</u>
<u>एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत आई0ई0सी0/बी0सी0सी</u></td>
<td>(मुख्य चिकित्साधिकारी/मेडिकल कॉलेज हेतु)–इस मद में संलग्नक 22 के अनुसार पूर्व में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र सं0–56/डैप/एन0पी0/2023–24/5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1394–2 दिनांक 19.05. 2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जायें। उपरोक्त धनराशि का व्यय एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत निम्न गतिविधियों में किया जाएगा–
1–फ्लैक्स बैनर, 6x3फीट, मल्टी कलर, अनुमानित दर रू0 200 प्रति बैनर ।
2– पोस्टर (4 कलर) 30 x 20 इंच, अनुमानित दर रू0 15.00 प्रति पोस्टर।
3– होर्डिग 20 x 10फीट, अनुमानित दर रू0 5,200.00 प्रति होर्डिग।
वायरल हिपेटाइटिस की प्रचार–प्रसार सामग्री को ब्लड बैंक, आई0सी0टी0सी0 तथा ए0आर0टी0 पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।
इसके अतिरिक्त उपरोक्त धनराशि का प्रयोग प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को आयोजित किये जाने वाले वर्ल्ड हिपेटाइटिस डे के आयोजन हेतु भी किया जायेगा।
<u>नोटः मुख्य चिकित्साधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में अवमुक्त धनराशि में से उल्लिखित प्रचार–प्रसार सामग्री को अपने स्तर से कय कर जनपद के एफ0आर0यू0, सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालयों एवं सार्वजनिक स्थानों में जनता को जागरूक करने हेतु लगवायें तथा मेडिकल कालेजेज को आई0ई0सी0 हेतु आवंटित धनराशि सम्बन्धित संस्थान को हस्तांतरित करें।</u></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><u>83.9 (Treatment (IEC and Printing Printing of Formats/registers under NVHCP)</u>
<u>फार्मेट/रजिस्टर की प्रिन्टिंग</u></td>
<td>(मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मेडिकल कॉलेज हेतु)– पूर्व में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र सं0–56/डैप/एन0पी0/2023–24/5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1394–2 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जायें।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><u>81.7</u>
<u>एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत सैम्पल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट</u></td>
<td>(जिलाचिकित्सालय/मुख्य चिकित्साधिकारी अधिष्ठान /मेडिकल कॉलेज हेतु)– पूर्व में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र सं0– 56/डैप/एन0पी0/2023–24/5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1394–2 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जायें। उक्त के अतिरिक्त दिशा–निर्देश निम्नवत् है–
1 प्रत्येक जनपद को आवंटित धनराशि का 75 प्रतिशत ट्रीटमेन्ट सेन्टर एवं 25</td>
</tr>
</table>

		प्रतिशत धनराशि मुख्य चिकित्साधिकारी अधिष्ठान पर उपलब्ध करायी जायेगी। 2 नोडल अधिकारी सैम्पल एवं औषधियों के ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम (विशेष वाहक/कूरियर/नामित व्यक्ति) अपने स्तर पर निर्धारित करेंगे। जिला चिकित्सालयों द्वारा औषधियों एवं सैम्पल के ट्रांसपोर्टेशन का व्यय जिला स्वास्थ्य समिति के ट्रांसपोर्टेशन नियमों/दरों के अनुसार किया जायेगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन०एच०एम० के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हुए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- FAMS Portal पर आंवटित धनराशि की सीमा के सापेक्ष ही व्यय की सूचना की अंकित करें, आंवटित धनराशि से अधिक व्यय की सूचना अंकित करना नियम विरूद्ध है।
- जनपद स्तर से आशा एवं आशा संगिनियों का ससमय भुगतान के सम्बन्ध में कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग द्वारा समय–समय पर प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद द्वारा यह सुनिशिचित किया जायेगा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार आवंटन की सीमा तक संगत मद में FAMS Portal पर व्यय विवरण अंकित किया जायेगा। किसी भी दशा में आवंटन की सीमा के ऊपर व्यय नहीं किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ०ई०एम० जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।
- राज्य स्तर/जनपद स्तर से आंवटित की जाने वाली समस्त लैब मैटिरियल/कन्जूमेबिलस का आंवटन निक्षय औषधि पर उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। अतः निक्षय औषधि पर समस्त टी०यू०/डी०एम०सी० के द्वारा आवंटन के सापेक्ष उपयोगित का विवरण ससमय अंकित कराना सुनिश्चित करें, जिससे उपरोक्त का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा सकें।
- मानव संसाधन मद में बजट आवंटन मात्र है। आवंटित बजट के सापेक्ष बजट का जनपद स्तर पर कार्यरत् मानव संसाधन/पदों को ही वास्तविकता के आधार नियमानुसार ससमय मानदेय देय होगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- मानदेय की धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
- आउटसोर्स पद का वेतन निर्धारण Current Applicable Minimum Wages Act,1948 के अर्न्तगत समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- आउटसोर्स पदों पर कार्यरत् मानव संसाधन के EPF, ESI का ससमय भगतान सुनिश्चित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

19.3 जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम

आर0ओ0पी0 वर्ष 2024–25 में जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष FAMS पर जनपदवार गतिविधिवार 12 माह हेतु आवंटित धनराशि के अनुसार उपयोग/व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश प्रेषित किया जा रहा है। पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र सं0–56/डैप/एन0पी0/2023–24/3876–2 दिनांक 09.08.2023 तथा पत्र सं0–56/डैप/एन0पी0/ 2023–24/1418–2 दिनांक 24.05.2023 में यदि किसी गतिविधियों/मद में भिन्नता है वह ही इंगित किया जा रहा है, जो गतिविधि भिन्न नहीं है, उसे वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार ही उपयोग/व्यय किया जायेगा। विवरण निम्नवत् है–

मद	विवरण
Training of PRI- FMR Code-NCD.7.114.CB.1 /114.1	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 86.50 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है– प्रति जनपद मुख्यालय पर रू0 6000/– एवं प्रति ब्लॉक रू0 10000/– की दर से धनराशि आवंटित है। इस धनराशि का उपयोग पंचायती राज विभाग के कर्मियों (ग्राम्य स्तर तक) का प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित गतिविधियों जैसे–लू, शीतलहर, एवं वायु प्रदूषण से जनमानस के स्वास्थ्य पर होने वाली बीमारियों से बचाव एवं उपचार तथा कार्यक्रम से सम्बन्धित महत्वपूर्ण दिवस में होने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में जागरूक किये जाने हेतु किया जायेगा। प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों हेतु सूक्ष्म जलपान एवं लॉजिस्टिक की व्यवस्था में किया जायेगा। उक्त प्रस्तावित प्रशिक्षण में जनपद स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण में निम्न प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगाः– **जिला स्तर पर प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागीः–** सी0डी0ओ0, डी0पी0आर0ओ0, सी0डी0ओ0ए वं डी0पी0आर0ओ0 कार्यालय से नामित कर्मचारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला सूचना अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी। **ब्लॉक स्तर पर प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागीः–** बी0डी0ओ0, समस्त ए0डी0ओ0, बी0पी0आर0ओ0, ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी।
Training of MO's, Health Workers and programme officer's- FMR Code-NCD.7.114.CB.2/114.2	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 58.995 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है– इस मद में आंवटित धनराशि का उपयोग चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु दो चरणों में किया जायेगा। प्रति चरण में प्रति ब्लॉक से 01 चिकित्साधिकारी एवं 01 फार्मासिस्ट के द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। • प्रथम चरण में लू एवं वेक्टर बोर्न, जोनोटिक व वाटर बार्न एवं फूड रिलेटेड डिजीज से सम्बन्धित प्रशिक्षण माह मई के प्रथम सोमवार को जिला स्तर पर आयोजित किया जायेगा। • द्वितीय चरण में शीत लहर एवं वायु प्रदूषण से जनमानस के स्वास्थ्य पर होने वाली बीमारियों से बचाव एवं उपचार सम्बन्धित प्रशिक्षण माह नवम्बर के प्रथम सोमवार को जिला स्तर पर आयोजित किया जायेगा। • उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु प्रति चरण में होने वाले प्रति बैच का व्यय–भार अनुमोदित **RCH Norms** के अनुसार पूर्व में प्रेषित **Annexure-01** में दिये गये विवरण के अनुसार ही किया जायेगा।
IEC on climate Sensitive diseases at block, District, Air pollution, heat and other relevant climate sensitive dates FMR Code-	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 292.05 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा। इस मद में अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है–

<table>
<tr><th>मद</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>NCD.7.114.IEC/114.4</td><td>पूर्व में प्रेषित Annexure-02 में विवरण के अनुसार अधिकतम रू0 5200/– प्रति होर्डिंग की दर से होर्डिंग लगवाने हेतु बजट का प्रावधान किया गया।
कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण दिवसों पर जनमानस में जलवायु परिवर्तन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभावों एवं उनसे बचाव के उपायों की चर्चा किया जाने हेतु संगोष्ठी, प्राथमिक/माध्यमिक/स्नातक महाविद्यालयों में वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। पूर्व में प्रेषित Annexure-03 में महत्वपूर्ण दिवसों पर गतिविधियां किये जाने हेतु विवरण दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>Task force meeting to draft health sector plan for heat and Air Pollution
FMR CODE-NCD.7.114.PME.1/ 114.5</td><td>इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 18.00 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

इस मद में प्रति जनपद धनराशि रू0 24000/– (चौबीस हजार मात्र) का आवंटन त्रैमासिक बैठकों हेतु किया गया है, जिसका उपयोग डिस्ट्रिक टास्क फोर्स की बैठक के आहूत करने में सूक्ष्म जलपान एवं लॉजिस्टिक की व्यवस्था हेतु किया जायेगा। District Task Force Meeting में हीट वेव, शीत लहर, वायु प्रदूषण के प्रबन्धन हेतु की जनपदों में होने वाली अन्तर्विभागीय गतिविधियों की प्लानिंग करने के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण दिवसों में की जाने वाली गतिविधियों को डिस्ट्रिक टास्क फोर्स मीटिंग सदस्यों के साथ चर्चा करते हुए रणनीति बनाकर उसको इम्प्लीमेंट भी किया जायेगा तथा एक्शन प्लान राज्य स्तर को भी प्रेषित किया जायेगा। डिस्ट्रिक टास्क फोर्स मीटिंग के सदस्य निम्नवत हैः–

<u>Constitution of District level Multi-Sectoral Taskforce</u>
District Magistrate (DM)- Chairman
CMO- Co-Chairman
District Nodal Officer- NPCCHH -Member Secretary-
Members -
ACMO (VBD)
District Surveillance Officer
District Malaria Officer/Vector-borne Diseases
District Epidemiologist
District Public Health Expert.
District Programme Officer, NHM
District Disaster Management Authority
Department of Agriculture
Department of Water and Sanitation
Department of Animal Husbandry
Public Work Department
Department of power
District education department
Department of medical education
HoD, Preventive and Social Medicine of District level medical college's
✓ Inclusion of those experts who can give technical guidance for the development in the chapters of the developing DAPCCHH guideline
✓ Inclusion of Members (preferably) of the committee that drafted District Action Plan on Climate Change (DAPCC) under Department of Environment, Forest and Climate Change</td></tr>
<tr><td>Sensitization workshop/ meeting/Logistics and Mobility
FMR CODE-NCD.7.114.PME.2/114.6</td><td>इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 37.50 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।</td></tr>
</table>

जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु FAMS पोर्टल पर अंकित डैप के सापेक्ष जनपदों द्वारा नियमानुसार किये गये व्यय की सूचना FAMS पोर्टल पर

अंकित करना/कराना सुनिश्चित करें। राज्य स्तर से की जाने वाली समीक्षा वित्तीय वर्ष 2024–25 के डैप के सापेक्ष की जायेगी।

<u>महत्वपूर्ण बिन्दु–</u>

- **निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हुए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।**
- **FAMS Portal पर आंवटित धनराशि की सीमा के सापेक्ष ही संगत मद में व्यय की सूचना अंकित करें, आंवटित धनराशि से अधिक व्यय की सूचना अंकित करना नियम विरूद्ध है।**
- **जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।**

19.4 आई0डी0एस0पी0

आर0ओ0पी0 वर्ष 2024–25 में आई0डी0एस0पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष FAMS पर जनपदवार गतिविधिवार 12 माह हेतु रू0 2008.29 लाख की आवंटित धनराशि के अनुसार उपयोग/व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैं। पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र सं0–36/IDSP/एन0पी0/2023–24/5038 दिनांक 15.09.2023 के सापेक्ष यदि किसी गतिविधियों/मद में भिन्नता है वह ही इंगित किया जा रहा है, जो गतिविधि भिन्न नहीं है, उसे वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार ही उपयोग/व्यय किया जायेगा। विवरण निम्नवत् है–

मद	विवरण
Contractual Human Resource under IDSP (HSS.9.1.84.C.P290/ 185.C.P290, HSS.9.1.84.C.SO550/ 185.C.S0550, HSS.9.1.84.C.P299/ 185.C.P299, HSS.9.1.84.C.P358/ 185.C.P358)	इस मद में जनपद स्तर पर संचालित जिला सर्विलांस इकाई में कार्यरत् संविदा कर्मियों क्रमशः एपिडिमियोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलाजिस्ट, डाटा मैनेजर एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 12 माह के मानदेय हेतु क्रमशः धनराशि रू0 592.975 लाख, रू0 10.536 लाख, रू0 261.82 लाख एवं रू0 807.812 लाख FAMS पर आंवटित की गयी है, जिसमें मानदेय, वार्षिक मानदेय वृद्धि, लायल्टी बोनस/Experience बोनस, (केवल संविदा कर्मियों के लिए), ई0पी0एफ0 (मूल मानदेय 15000 तक वाले कर्मियों) एवं आउटसोर्स हेतु ई0एस0आई0 (रू0 21000 तक के मानदेय हेतु) जी0एस0टी0 एवं सर्विस चार्ज अधिकतम 10 प्रतिशत तक सम्मिलित है। आवंटित धनराशि में से कार्यरत् मानव संसाधन जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस/Experience बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित (यदि लागू हो तो) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।
Training/Capacity Building of Medical officers- (FMR Code- NDCP.1.63.CB.1/63.1)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 17.146 लाख, के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा। इस मद में अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है– प्रशिक्षण में जिला चिकित्सालय से दो चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी प्रतिभाग किया जाएगा।
Meeting-FMR Code- NDCP.1.63.PME.1 /63.5)	इस मद में कुल आंवटित धनराशि रू0 3.00 लाख का उपयोग/व्यय, जनपद स्तर पर आई0डी0एस0पी0 की वित्तीय तथा भौतिक समीक्षा हेतु बैठक आहूत करने के लिये प्रति जनपद धनराशि रू0 4000/– आंवटित की जा रही है। जनपद ईकाई की बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला सर्विलांस अधिकारी– आई0डी0एस0पी, जिला इपिडेमियोलॉजिस्ट– आई0डी0एस0पी0, जिला डाटा मैनेजर–आई0डी0एस0पी एवं जिला डाटा इन्ट्री आपॅरेटर– आई0डी0एस0पी0, ब्लाक स्तरीय अधिकारियों/कर्मियों तथा आवश्यकतानुसार अन्य व्यक्ति प्रतिभाग करेंगे तथा बैठक की हस्ताक्षरित कार्यवृत्त राज्य मुख्यालय को समयबद्ध रुप से उपलब्ध करायेंगे।

<table>
<tr><th>मद</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td></td><td>नोट–मण्डलीय स्तरीय सर्विलांस यूनिट हेतु कोई धनराशि अनुमन्य नहीं है।</td></tr>
<tr><td>Mobility for District @33000/- pm for vehicle hiring at District for 09 month & TA/DA @25000 per annum (FMR Code NDCP.1.63.PME.3/63.7)</td><td>इस मद में कुल आंवटित धनराशि रू0 241.50 लाख, का उपयोग/व्यय, जनपद स्तर पर डिजीज सर्विलांस गतिविधियों के भ्रमण के लिये, सर्विलांस एवं रिपोर्टिंग को सुदृढ़ीकृत किये जाने हेतु आवश्यक भ्रमण, मोबिलिटी, ट्रैवेल कॉस्ट आदि के लिये धनराशि का आंवटन 9 माह हेतु किया गया है। उपलब्ध बजट के सापेक्ष 9 माह के लिए उपलब्ध बजट के सापेक्ष अधिकतम रू0 33,000 प्रतिमाह की दर से डी0पी0एम0यू0 यूनिट की भांति/जनपद स्तर पर टेण्डर की प्रक्रिया द्वारा चयनित एजेंसी से नियमानुसार टैक्सी परमिट वाहन हायर कर सकते है अथवा उपलब्ध शासकीय वाहनों हेतु पी0ओ0एल0 के लिए किया जा सकता है।
<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>जनपद का नाम</th><th>वाहन का प्रकार</th><th>रजिस्ट्रेशन नं0/मालिक का नाम एवं मो0नं0</th><th>वाहन प्रयोग करने की माह व तिथि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table>
जनपद स्तरीय कर्मचारी व अधिकारियों के टी0ए0 एवं डी0ए0 हेतु अधिकतम धनराशि रू0 25,000.00 वार्षिक आंवटित की जा रही है। प्रयोग किये जा रहे वाहन का विवरण तत्काल निम्न प्रारुपानुसार राज्य मुख्यालय को अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।
नोट–मण्डलीय स्तरीय सर्विलांस यूनिट हेतु कोई धनराशि अनुमन्य नहीं है।</td></tr>
<tr><td>Opertaional Expenses to DHS @5000/- Per Month FMR Code-(NDCP.1.63.PME.4/63.8)-</td><td>इस मद में कुल आंवटित धनराशि रू0 45.00 लाख का उपयोग/व्यय, जिला आई0डी0एस0पी0 सेल के लिये समाचार पत्र, टेलीफोन/इण्टरनेट/डोंगल, साप्ताहिक (वीकली) एलर्ट एवं वार्षिक (एनुवल) डिजीज सर्विलेंस रिपोर्ट हेतु कार्यालय व्यय/ऑफिस स्टेशनरी हेतु धनराशि रू0 5000/– प्रति जनपद का आंवटन किया गया है। जो आई0डी0एस0पी0 यूनिट हेतु नामित अधिकारी के कार्यालय में ऑफिस स्टेशनरी/रिपोर्टिंग हेतु उपलब्ध होगी।
नोट–मण्डलीय स्तरीय सर्विलांस यूनिट हेतु कोई धनराशि अनुमन्य नहीं है।</td></tr>
<tr><td>Yearly AMC -(Expenses on - Minor repair, AMC of IT equipments expanses):- (FMR CODE NDCP.1.63.PME.5/63.9)</td><td>इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 7.50 लाख, के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।</td></tr>
<tr><td>Diagnostics-(Reimbursement based payment for laboratory tests)
FMR Code NDCP.1.63.DI.1/63.3)</td><td>इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 7.00 लाख, के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा। इस मद में प्रति रेफरल मेडिकल कॉलेज धनराशि रू0 1.00 लाख आवंटित है।</td></tr>
<tr><td>Expenses on account of consumable, operating expenses, office expenses, miscellaenous etc. (FMR Code New-NDCP.1.63.DI.2/63.4)</td><td>इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 14.00 लाख, के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।</td></tr>
</table>

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हुए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

- FAMS Portal पर आंवटित धनराशि की सीमा के सापेक्ष ही व्यय की सूचना की अंकित करें, आंवटित धनराशि से अधिक व्यय की सूचना अंकित करना नियम विरूद्ध है।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम 03 ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।
- उपरोक्त मानदेय की धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
- आवंटित बजट के सापेक्ष बजट का जनपद स्तर पर कार्यरत् मानव संसाधन/पदों को ही वास्तविकता के आधार नियमानुसार ससमय मानदेय देय होगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- आउटसोर्स पदों पर कार्यरत् मानव संसाधन के EPF, ESI का ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
- उपरोक्त आउटसोर्स पद का वेतन निर्धारण Current Applicable Minimum Wages Act, 1948 के अर्न्तगत समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

19.5 राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम

आर0ओ0पी0 वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम एवं लैप्टोस्पाइरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष FAMS पर जनपदवार गतिविधिवार 12 माह हेतु आवंटित धनराशि के अनुसार उपयोग/व्यय किये जाने के लिये एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या–53/रेबीज/एन0पी0/2024–25/2300–2 दिनांक 24.07.2024 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश संलग्नक सहित प्रेषित किये गये हैं, जिनका संज्ञान लेने का कष्ट करें। संक्षिप्त दिशा–निर्देश निम्नवत हैं:–

मद	विवरण
मोबिलिटी (FMR Code – 84.4)	इस मद में कुल रू0 3750000/– प्रति जनपद रू0–50,000/– (रू0 पचास हजार मात्र) की दर FAMS पोर्टल पर आंवटित की जा रही है। आवंटित धनराशि का उपयोग कार्यक्रम की सर्विलान्स से सम्बन्धित गतिविधियों के सम्पादन, टी0ए0/डी0ए0 तथा रैबीज संदिग्धों में नमूनों के ट्रान्सपोट्रेशन इत्यादि हेतु किया जायेगा। उक्त धनराशि का उपयोग जिला सर्विलांस इकाई द्वारा किया जायेगा।
समीक्षा बैठक (FMR Code – 84.5)	इस मद में FAMS पोर्टल पर कुल रू0 750000/– की आवंटित धनराशि, प्रति जनपद रू0 10000/– मात्र, का उपयोग जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वर्ष में 02 बार, छः माह के अन्तराल पर होने वाली समीक्षा बैठक के आयोजन हेतु किया जाना है। इस बैठक में जनपद स्तर पर गठित जूनोटिक समिति के सदस्यों विशेषकर नगरीय निकाय/स्थानीय निकाय, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के साथ कार्यक्रम के प्रति क्रियाशील समस्त जिला/ब्लॉक/नगरीय/ग्रामीण/चिकित्सा इकाइयों/चिकित्सा शिक्षा संस्थानों (राजकीय एवं निजी) के प्रमुख/मुख्य अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व चिकित्सकों मण्डलीय/जनपद पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों व निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों (आई0एम0ए0, नार्सिग होम एसोसिऐशन आदि) के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में आहूत की जाने वाली मासिक समीक्षा बैठक में रेबीज़ कार्यक्रम के प्रति क्रियाशील इकाइयों के प्रभारियों, चिकित्सक, फार्मासिस्ट व कार्यक्रम में कार्य कर रही स्टॉफ नर्स द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। इस बैठक में जनपद स्तरीय प्रशिक्षक को भी अवश्य आमंत्रित किया जाए। इस बैठक को उपस्थित प्रतिभागियों के कार्यक्रम के प्रति क्षमता वृद्धिकरण तथा शंका निवारण किये जाने हेतु भी उपयोगित किया जा सकेगा। उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त, बैठक समाप्त होने के उपरान्त आगामी 03 कार्य दिवसों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर ई–मेल rabiesup@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

आपरेशनल व्यय (FMR Code – 84.6)	इस मद में FAMS पोर्टल पर कुल धनराशि रू0 27,00,000/– प्रति जनपद रू0 36,000/– मात्र, आंवटित की जा रही है। कार्यक्रम के सुचारू सफल संचालन हेतु कार्यालय प्रयोग में होने वाले छोटे व्यय यथाः इंटरनेट रिचार्ज/एन्टी वायरस/स्टेशनरी/डॉगल व अन्य अनुसांगिक व्यय हेतु किया गया है। उपरोक्त का उपयोग आई0डी0एस0पी0 से इकाई द्वारा रेबीज कार्यक्रम के अर्न्तगत ऑफिस एवं प्रशासनिक व्यय हेतु किया जा सकेगा।
प्रोत्साहन राशिः– (FMR Code – 84.8)	इस मद में FAMS पोर्टल पर कुल धनराशि रू0 4500000/– प्रति जनपद रू0 60,000/– मात्र, आंवटित की जा रही है। पूर्व वर्ष 2023–24 में उक्त मद हेतु आई0डी0एस0पी0 के अन्तर्गत मद संख्या NDCP.1.63.OOC.1 में धनराशि आंवटित की गयी थी। वर्तमान में जनपद स्तर पर आई0डी0एस0पी0 के अन्तर्गत तैनात मानव संसाधन जो कि कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्ष हो तथा जिसको जनपद स्तर पर नियंत्रक अधिकारी द्वारा रेबीज़ कार्यक्रम की रिपोर्टिंग व अन्य गतिविधियों के सम्पादन के लिए चयनित किया गया को प्रतिमाह रू0 5000/– की दर से प्रोत्साहन राशि (पी0बी0आई0) दी जायेगी। राष्ट्रीय रेबीज़ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की संकलित मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 05 तारीख तक भारत सरकार को उपलब्ध करायी जाती है। जनपदों में रेबीज कार्यक्रम के प्रति क्रियाशील चिकित्सा इकाईयों (निजी क्षेत्र की चिकित्सा इकाईयों, राजकीय एवं निजी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को सम्मिलित करते हुये) की संकलित रिपोर्ट प्रत्येक माह की 03 तारीख तक राज्य को उपलब्ध करायी जानी है। जनपदों की संकलित रिपोर्ट राज्य को प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (वेक्टर बोर्न)/जिला सर्विलान्स अधिकारी व जिला इपिडेमियोलॉजिस्ट को उत्तरादायित्व निर्धारित किये जाने विषयक निर्देश पत्र संख्या–21फ/सं0रो0/2020/417 दिनांक 27.01.2020 द्वारा निर्गत किये गये। अधिकांशत जनपदों से एन0आर0सी0पी0 की मासिक प्रगति का प्रेषण ससमय न होकर विलम्बित होता है। उक्त के दृष्टिगत जनपद स्तर पर आई0डी0एस0पी0 इकाई में कार्यरत् व स्थानीय स्तर पर चिन्हित स्टॉफ को रेबीज़ कार्यक्रम के प्रति क्रियाशील समस्त इकाईयों की मासिक रिपोर्ट को संग्रहीत कर संकलित करने एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य का उत्तरादायित्व निम्नवत निर्धारण किया जाता है– • आई0डी0एस0पी0 इकाई के स्टॉफ द्वारा प्रत्येक माह की 01 तारीख तक जनपद में रेबीज कार्यक्रम हेतु क्रियाशील समस्त चिकित्सा इकाईयों से मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप (हेल्थ फैसिलिटी मासिक सारांश फार्मेट) पर संग्रहीत की जायेगी। • आई0डी0एस0पी0 इकाई के स्टॉफ द्वारा उपरोक्त इकाईयों की संग्रहीत रिपोर्ट को निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर संकलित रिपोर्ट को इपिडेमियोलॉजिस्ट/ जिला सर्विलॉन्स ऑफिसर/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी /मुख्य चिकित्साधिकारी से अवलोकित करायी जायेगी। • आई0डी0एस0पी0 इकाई के स्टॉफ द्वारा उपरोक्तनुसार अवलोकित संकलित रिपोर्ट की हस्ताक्षरित हार्ड कापी व साफ्ट कॉपी (EXCEL) में प्रत्येक दशा में 03 तारीख तक राज्य को उपलब्ध करायी जायेगी। • उक्त कर्मी द्वारा रेबीज कार्यक्रम के साथ One Health Approach के अन्तर्गत लेप्टोस्पाइरोसिस, स्नेक बाइट, ग्लैन्डर, ए0एम0आर0 आदि संबधित कार्यक्रम की अन्य समस्त गतिविधियों/रिपोर्टिंग का भी कार्य किया जायेगा। • नोडल अधिकारी द्वारा दिये गये कार्य को सम्पादित करना। आई0डी0एस0पी0 इकाई के स्टॉफ द्वारा उपरोक्त वर्णित दायित्वों के निर्वहन किए जाने के बाद जिला सर्विलांस अधिकारी द्वारा उक्त कार्य को सत्यापित किए जाने के उपरांत ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रति माह सम्बन्धित को किया जायेगा।
प्रशिक्षण (FMR Code – 84.3)	इस मद में FAMS पोर्टल पर कुल धनराशि रू0 2960100/– आंवटित की जा रही है। आवंटित धनराशि का उपयोग जनपद में रेबीज़ रोग के प्रति क्रियाशील व उपचार और टीकाकरण प्रदान कर रही इकाइयों (मेडिकल कालेज व नगरीय

स्वास्थ्य इकाईयों को सम्मिलित करते हुए) के चिकित्साधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लेडी हेल्थ विजिटर व बी0सी0पी0एम0 की क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने में किया जायेगा। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को NRCP कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्गत किये गये गाइडलाइन्स के अनुसार उपचार व टीकाकरण प्रदान करने पर विशेष रूप से ध्यानाकर्षण किया जायेगा व तद्नुरूप ही प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु प्रति बैच लगभग 30 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा व राज्य स्तर से पूर्व में प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षकों में से 4 प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु अप्रशिक्षित प्रतिभागियों को वरियता प्रदान की जायेगी। इस हेतु प्रति बैच धनराशि रू0 20700/— की धनराशि आवंटित की जा रही है जिसका विवरण निम्नांकित तालिका में है:—

Training at District

Sl No	Particulars	Rate	No of Participants	Days	Total Amount
1	Food for Participants	200	30	1	6000
2	Food for Trainers	150	4	1	600
3	Honorarium to Trainers	600	4	1	2400
4	Contingency (Printing, etc)	300	30	1	9000
	Total				**18000**
	Institutional Overheads	15%			2700
	Grand Total				**20700**

चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल कर्मियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अपनी इकाई के अन्य चिकित्सकीय, पैराचिकित्सक कर्मियों व क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की क्षमता संवृद्वीकरण किया जायेगा। मण्डलीय/जनपदीय पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जनपदों द्वारा अपने प्रशिक्षण कार्ययोजना से राज्य मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा ताकि राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया जा सके।

प्रचार—प्रसार की गतिविधियॉ (IEC-FMR Code –84.1)

इस मद में FAMS पोर्टल पर कुल धनराशि रू0 20709144/— आंवटित की जा रही है। आवंटित धनराशि का उपयोग, जन समुदाय को रेबीज़ रोग के प्रति जागरूक किये जाने संबंधित प्रचार—प्रसार हेतु किया जायेगा। इस हेतु प्रचार—प्रसार के विभिन्न साधनों को उपयोगित किया जाये, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नतालिका में दिया गया है। तालिका में कॉलम संख्या 01 में वर्णित साधन को सम्मुख अंकित संख्या में जनपद मुख्यालय, जिला चिकित्सालय, ब्लॉक इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र तक उपलब्ध कराया जाना है।

साधन का नाम	सइज	दर	स्थलवार साधनों की संख्या					
			जनपद मुख्यालय	जिला चिकित्साल	ब्लॉक इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप स्वास्थ्य केन्द्र	नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
बैनर	6’x3’	200/-	30	5	15	-	-	**2**
पोस्टर	30”x20”	15/-	500	50	50	10	8	10
होर्डिंग	“20x10”	5200/-	5	-	1	-	-	-
फ्लायर	A4/2	1/-	प्रति आशा 2 फ्लायर					
विश्व रेबीज दिवस (28.09.2024) के आयोजन हेतु								5000/-

जिला मुख्यालय को आबंटित 5 होर्डिगं निम्न स्थानों पर अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चयनित स्थानों पर लगवाई जा सकती है।

1. रेलवे स्टेशन
2. बस स्टैन्ड
3. जिला कलेक्ट्रैट कार्यालय
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय
5. जिला चिकित्सालय

इस हेतु अधिकतम रु0 5200/— प्रति होर्डिग की दर से वर्ष में दो बार होर्डिंग लगवाने हेतु बजट का प्रावधान किया गया, जिसे जनपद पर जनसूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से अथवा निर्धारित की गई मानक दरों अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित की गई मानक दरो, में जो न्यूनतम हो, के अनुसार

	होर्डिंग लगवाने पर व्यय किया जायेगा। विश्व रेबीज़ दिवस के आयोजन हेतु आवंटित की गई धनराशि रू0 5000/— को जन सामान्य को रोग के प्रति संवेदीकृत किये जाने हेतु गोष्ठी, वाद विवाद प्रतियोगिता जागरूकता रैली इत्यादि के आयोजन में नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
मुद्रण (Printing-FMR Code – 84.2)	इस मद में FAMS पोर्टल पर कुल धनराशि रू0 1507584/— आंवटित की जा रही है। आवंटित धनराशि का प्रयोग रेबीज कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिलेखन हेतु उपयोगित की जाने वाली सामग्री के मुद्रण हेतु किया जायेगा। रेबीज रोग के प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जनपद स्तरीय चिकित्सालय तक की क्रियाशील इकाईयों पर जानवरों/कुत्तों द्वारा काटे गये ग्रसितों के सम्बन्ध में जानकारी व उपचार विवरण के अभिलेखन हेतु, कार्ययोजना के साथ उपलब्ध कराये गए प्रारूपानुसार लेखन सामग्री मुद्रित करायी जायेगी। मुदित करायी जाने वाली सामग्री यथा— ऐनिमल/डाग बाइट एक्सपोजर रजिस्टर (**साइज**—200 पृष्ठ) हेतु धनराशि रू 200 प्रति रजिस्टर के प्रिन्टिग के उपरान्त एफ0एम0आर0 में अवशेष धनराशि से आवश्यकतानुसार पोस्ट ट्रीटमेण्ट कार्ड (**साइज**–A4 Size) हेतु धनराशि रू0 2.00 प्रति कार्ड के अनुसार मुद्रण कराया जायेगा। **कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रचार–प्रसार व मुद्रित की जाने वाली सामग्री का प्रोटोटाइप पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।** आई0एच0आई0पी0 पोर्टल के अवलोकन से संज्ञानित हुआ कि कतिपय जनपदों की चिकित्सा इकाईयों द्वारा Dog bite के केसों को Rabies case के रूप में रिपोर्ट कर दिये जाने से अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है। नोडल अधिकारी व टीम का यह दायित्व होगा कि वो अपने स्तर से आई0एच0आई0पी0 पोर्टल पर की जा रही रिपोर्टिंग का नियमित व प्रभावी अनुश्रवण किया जाना सुनिश्चित करें।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- निर्देशित किया जाता है कि कार्यकम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन०एच०एम० के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हुए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- FAMS Portal पर आंवटित धनराशि की सीमा के सापेक्ष ही व्यय की सूचना की अंकित करें, आंवटित धनराशि से अधिक व्यय की सूचना अंकित करना नियम विरूद्ध है।
- जनपद स्तर से आशा एवं आशा संगिनियों का ससमय भुगतान के सम्बन्ध में कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग द्वारा समय–समय पर प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद द्वारा यह सुनिशिचित किया जायेगा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार आवंटन की सीमा तक संगत मद में FAMS Portal पर व्यय विवरण अंकित किया जायेगा। किसी भी दशा में आवंटन की सीमा के ऊपर व्यय नहीं किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ०ई०एम० जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।
- राज्य स्तर/जनपद स्तर से आंवटित की जाने वाली समस्त लैब मैटिरियल/कन्जूमेबिलस का आंवटन निक्षय औषधि पर उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। अतः निक्षय औषधि पर समस्त टी०यू०/डी०एम०सी० के द्वारा आवंटन के सापेक्ष उपयोगित का विवरण ससमय अंकित कराना सुनिश्चित करें, जिससे उपरोक्त का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा सकें।
- संविदा पर मानव संसाधन मद में आवंटित बजट के सापेक्ष जनपद स्तर पर कार्यरत/वास्तविक मानव संसाधन/पदों को ही नियमानुसार ससमय मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

19.6 लैप्टोस्पाइरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम

प्रदेश में लैप्टोस्पाइरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम को सुचारू रूप से क्रियान्वित किये जाने हेतु सम्बन्धित गतिविधियों के सम्पादन का समस्त उत्तरदायित्व आई0डी0एस0पी0 इकाई, इपिडैमियोलोजिस्ट

व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वैक्टर बॉर्न) का है। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वैक्टर बॉर्न) है, जिन्हें जिला सर्विलॉन्स अधिकारी व ऐपिडेमियोलोजिस्ट द्वारा सहयोग किया जायेगा। समस्त जनपदों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोग की जांच के लिए स्थानीय स्तर पर जांच किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। जनपद में चिन्हित हुए रोगियों की लाइन लिस्ट राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने के साथ सर्विलांस गतिविधियों को सुदृढ़ किया जायेगा। रिपोर्टिंग हेतु कार्यशील पोर्टल पर सूचनायें अंकित किये जाने से पूर्व अपने स्तर पर परीक्षण/सत्यापित कर लिया जाय।

आर0ओ0पी0 वर्ष 2024–25 में लैप्टोस्पाइरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष FAMS पर जनपदवार गतिविधिवार 12 माह हेतु आवंटित धनराशि के अनुसार उपयोग/व्यय किये जाने के लिये एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या–53/रेबीज/एन0पी0/2024–25/2300–2 दिनांक 24.07.2024 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश संलग्नक सहित प्रेषित किये गये हैं, जिनका संज्ञान लेने का कष्ट करें। संक्षिप्त दिशा–निर्देश निम्नवत हैं:–

<table>
<tr><th>मद</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>समीक्षा बैठक (रिव्यू बैठक एवं ट्रेबल) (FMR Code-85.4)</td><td>इस मद में FAMS पोर्टल पर कुल धनराशि रू0 186000/– आंवटित की जा रही है। मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में आहूत की जाने वाली मासिक समीक्षा बैठक में चिकित्सा इकाइयों के प्रभारियों, चिकित्सक व फार्मासिस्ट द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। इस हेतु वार्षिक धनराशि रू0 6000/– आवंटित की गयी है, जिसका प्रयोग बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों के सूक्ष्म जलपान व अन्य व्यवस्थाओं में किया जा सकेगा। इस बैठक को उपस्थित प्रतिभागियों के कार्यक्रम के प्रति क्षमता वृद्धिकरण व शंका निवारण किये जाने हेतु भी उपयोगित किया जा सकेगा। उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त अधोहस्ताक्षरी के ई–मेल rabiesup@gmail.com पर बैठक समाप्त होने के उपरान्त आगामी 03 कार्य दिवसों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>मोबिलिटी सपोर्ट (FMR Code-85.5)</td><td>इस मद में FAMS पोर्टल पर कुल धनराशि रू0 310000/– आंवटित की जा रही है। जनपद में लैप्टोस्पाइरोसिस सम्बन्धित गतिविधियों को सुदृढ़ करने हेतु प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण अथवा जनपद में लैप्टोस्पाइरोसिस के पुष्ट रोगी की सूचना प्राप्त होने पर केस इन्वेस्टीगेशन व अन्य सर्विलांस गतिविधियों के पर्यवेक्षण हेतु, जनपद की इम्पैन्लड एजेन्सी से दैनिक दर पर गाड़ी को किराये पर लेने हेतु उपयोगित किया जा सकेगा। इस धनराशि का उपयोग जिला सर्विलास इकाई द्वारा किया जायेगा। इस हेतु सकल धनराशि रू0 10000/– प्रति जनपद का आवंटन किया गया है।</td></tr>
<tr><td>प्रचार–प्रसार की गतिविधियॉ (IEC- FMR Code –85.3)</td><td>इस मद में FAMS पोर्टल पर कुल धनराशि रू0 5925073/– आंवटित की जा रही है। आवंटित धनराशि का उपयोग, जन समुदाय को लैप्टोस्पाइरोसिस के प्रति जागरूक किये जाने संबंधित प्रचार–प्रसार हेतु किया जायेगा। इस हेतु प्रचार–प्रसार के विभिन्न साधनों को उपयोगित किया जाये, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नतालिका में दिया गया है। तालिका में कॉलम संख्या 01 में वर्णित साधन को उनके सम्मुख अंकित संख्या में जनपद मुख्यालय, जिला चिकित्सालय, ब्लॉक इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा नगरीय स्वास्थ्य केन्द तक उपलब्ध कराया जाना है।
<table>
<tr><th rowspan="2">साधन का नाम</th><th rowspan="2">सइज</th><th rowspan="2">दर</th><th colspan="6">स्थलवार साधनों की संख्या</th></tr>
<tr><th>जनपद मुख्यालय</th><th>जिला चिकित्सालय</th><th>ब्लॉक इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र</th><th>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र</th><th>उप स्वास्थ्य केन्द्र</th><th>नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td>बैनर</td><td>6’x3’</td><td>200/-</td><td>100</td><td>15</td><td>20</td><td>-</td><td>-</td><td>5</td></tr>
<tr><td>होर्डिंग</td><td>20”x10”</td><td>5200/-</td><td>6</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>फ्लायर</td><td>A4/2</td><td>1/-</td><td colspan="6">प्रति आशा 2 फ्लायर</td></tr>
<tr><td>पोस्ट</td><td>30”x20</td><td>15.25</td><td>150</td><td>50</td><td>30</td><td>-</td><td>-</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

र	”	/-						

जिला मुख्यालय को आवंटित होर्डिंग निम्न स्थानों पर अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चयनित स्थानों पर लगवाई जा सकती है।

1- रेलवे स्टेशन
2- बस स्टैन्ड
3- जिला कलेक्ट्रैट कार्यालय
4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय
5- जिला चिकित्सालय
6- जनपद द्वारा प्रचार प्रसार के दृष्टिगत चिन्हित अन्य कोई भीड़ भाड़ वाला स्थान।

होर्डिंग हेतु अधिकतम रु0 5200/— प्रति होर्डिंग की दर से एक होर्डिंग हेतु बजट का प्राविधान किया गया है, जिसे जनपद पर जनसूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से अथवा निर्धारित की गई मानक दरों अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित की गई मानक दरो, में जो न्यूनतम हो, के अनुसार होर्डिंग लगवाने पर व्यय किया जायेगा।

चिकित्साधिकारियों को प्रशिक्षण
(FMR Code-85.1)

इस मद में FAMS पोर्टल पर कुल धनराशि रू0 1966500/— आंवटित की जा रही है। इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग जनपद की इकाइयों के चिकित्साधिकारी, बी0सी0पी0एम0, एवं लेडी हेल्थ विजिटर की क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने में किया जायेगा। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को Leptospirosis कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्गत किये गये गाइडलाइन्स के अनुसार लक्षण, उपचार व रोकथाम के उपायों को प्रदान करने पर विशेष रूप से ध्यानाकर्षण किया जायेगा व तदनुरूप ही प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु प्रति बैच 30 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा व राज्य स्तर से पूर्व में प्रशिक्षित किये गये 4 प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण के लिए प्रति बैच रू0 20,700/— की धनराशि आंवटित की जा रही है, जिसका विवरण निम्नांकित तालिका में हैः—

Training at District

Sl No	Particulars	Rate	No of Participants	Days	Total Amount
1	Food for Participants	200	30	1	6000
2	Food for Trainers	150	4	1	600
3	Honorarium to Trainers	600	4	1	2400
4	Contingency (Printing, etc)	300	30	1	9000
5	**Total** Contingency (Printing, etc)				**18000**
	Institutional Overheads	15%			2700
	Grand Total				**20700**

चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल कर्मियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अपनी इकाई के अन्य चिकित्सकीय/पैराचिकित्सा कर्मियों का क्षमता संवृद्धीकरण किया जायेगा। जनपदों द्वारा अपनी प्रशिक्षण कार्ययोजना से राज्य मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा, ताकि राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया जा सके।

किट का क्रय
(FMR Code-85.2)

इस मद में FAMS पोर्टल पर कुल धनराशि रू0 1290000/— आंवटित की जा रही है। राज्य के समस्त मण्डलीय जनपदों तथा वो जनपद जिसमें विगत वर्ष में केस सूचित हुए हैं, को रु0 20000/— प्रति जनपद की दर से एवं शेष अन्य जनपद को रु0 15,000/— प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। आवंटित धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर लैप्टोस्पाइरोसिस रोग की जांच/परीक्षण हेतु एलाइजा किट का क्रय प्रचलित समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं क्रय नीतियों का पालन करते हुए किया जायेगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन०एच०एम० के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हुए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- FAMS Portal पर आंवटित धनराशि की सीमा के सापेक्ष ही व्यय की सूचना अंकित करें, आंवटित धनराशि से अधिक व्यय की सूचना अंकित करना नियम विरूद्ध है।
- जनपद स्तर से आशा एवं आशा संगिनियों का ससमय भुगतान के सम्बन्ध में कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग द्वारा समय–समय पर प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद द्वारा यह सुनिशिचित किया जायेगा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार आवंटन की सीमा तक संगत मद में FAMS Portal पर व्यय विवरण अंकित किया जायेगा। किसी भी दशा में आवंटन की सीमा के ऊपर व्यय नहीं किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेसिफिकेशन बनाये जायें, जिसके कम से कम दो ओ०ई०एम० जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।
- राज्य स्तर/जनपद स्तर से आंवटित की जाने वाली समस्त लैब मैटिरियल/कन्जूमेबिलस का आंवटन निक्षय औषधि पर उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। अतः निक्षय औषधि पर समस्त टी०यू०/डी०एम०सी० के द्वारा आवंटन के सापेक्ष उपयोगिता का विवरण ससमय अंकित कराना सुनिश्चित करें, जिससे उपरोक्त का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा सकें।
- संविदा पर मानव संसाधन मद में आवंटित बजट के सापेक्ष जनपद स्तर पर कार्यरत/वास्तविक मानव संसाधन/पदों को ही नियमानुसार ससमय मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

19.7 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 वर्ष 2024–25 में स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष जनपद स्तरीय गतिविधियों के सफल संचालन हेतु धनराशि रु0 980889628/- (Rupees Ninety Eight crores, Eight lakhs, Eighty Nine thousand, Six hunred Twenty Eight only) का उपयोग/व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश प्रेषित किया जा रहा है। पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र सं0–25/एन0एल0ई0पी0/एन0पी0/2023–24/5005 दिनांक 15.09.2023 में यदि किसी गतिविधियों में भिन्नता है वह ही इंगित किया जा रहा है, जो गतिविधि भिन्न नहीं है, उसे वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार ही उपयोग/व्यय किया जायेगा। विवरण निम्नवत् है–

मद	विवरण
	1. **कुष्ठ रोगी खोजी अभियान (LCDC)**
1.1 FMR Code-69.1 - Case Detection and Management- Capacity Building for LCDC Activity (NDCP.3.69.CB)	इस मद में LCDC की guidelines के अनुसार जनपदवार रू0 196.89 लाख की धनराशि के आंवटन किया जा रहा है। पूर्व में प्रेषित संलग्नक 01 में दिये गये विवरण के अनुसार ही उपयोग/व्यय किया जाना है। दिशा–निर्देश निम्नवत् हैं– 1. **राज्य स्तरीय प्रशिक्षण**: स्टेट लेवल ट्रेनर द्वारा जिला कुष्ठ अधिकारी एवं उप जिला कुष्ठ अधिकारी/जिला कुष्ठ सलाहकार की दो दिवसीय कार्यशाला में अभियान के संचालन एवं सूक्ष्म कार्य योजना बनाये जाने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। जनपद लखनऊ मे होने वाली प्रशिक्षण/कार्यशाला में 47 जनपद–आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, बुलन्दशहर, देवरिया, एटा, इटावा, अयोध्या, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, गाजीपुर, हापुड़, हाथरस, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, ललितपुर, लखनऊ, महराजगंज, मैनपुरी, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, सन्त रविदास नगर, सुल्तानपुर, कासगंज, अमेठी, गोंडा, चित्रकूट, मथुरा, संभल एवं वाराणसी के जिला कुष्ठ अधिकारी एवं उप जिला कुष्ठ अधिकारी/जिला कुष्ठ सलाहकार प्रतिभाग करेंगे। इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को टी0ए0/डी0ए0 हेतु

मद	विवरण
	रू0 2000/– प्रति प्रतिभागी (जनपद के 02 प्रतिभागी) प्रतिदिन की दर से कुल धनराशि रू0 4000/– (दो दिन हेतु) प्राविधानित है। प्रतिभागियों को भुगतान वित्तीय नियमावली के अनुसार किया जायेगा। 2. **जनपद स्तरीय प्रशिक्षण** : राज्य स्तर से प्रशिक्षण प्राप्त जिला कुष्ठ अधिकारी, जिला कुष्ठ सलाहकार/उप जिला कुष्ठ अधिकारी द्वारा सम्बंधित ब्लाक/विकास खण्डों के अधीक्षक/चिकित्साधिकारी की दो दिवसीय प्रशिक्षण में अभियान के संचालन की कार्य योजना एवं सूक्ष्म कार्य योजना बनाये जाने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु कुल धनराशि रू0 4000/– (दो दिन हेतु) प्रति प्रतिभागी, जिसमें टी0ए0 (वास्तविकता के आधार पर) के लिये रू0 2000/– की दर से प्राविधानित है एवं रू0 2000/– प्रतिभागियों को लंच, अल्पाहार, चाय, पानी की व्यवस्था हेतु प्राविधानित है। जिसका वित्तीय नियमानुसार व्यय किया जायेगा। 3. **ब्लाक/वार्ड स्तरीय संवेदनीकरण एक दिवसीय प्रशिक्षण** : इस प्रशिक्षण में रू0 50/– प्रति व्यक्ति (आशा, पुरूष कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर–रू0 50 X 3 व्यक्ति) की दर से धनराशि प्राविधानित है। सभी तथ्यों की जानकारी इस प्रशिक्षण में दी जानी है। जिला स्तरीय प्रशिक्षण ग्रहण करने वाले जिला कुष्ठ अधिकारी, जिला कुष्ठ सलाहकार चिकित्सा अधिकारी द्वारा ब्लाक स्तर पर कार्यरत सर्च टीम में शामिल आशाओं, फील्ड लेविल वर्कर्स/क्षेत्रीय स्वयं सेवक तथा नगरीय ब्लाक/वार्ड स्तर पर आंगनवाडी वर्कर (एक) अथवा महिला स्वयं सेवक (एक) और पुरूष स्वयं सेवक (एक) और क्षेत्रीय पर्यवेक्षक को अभियान के समय उनके कार्य एवं दायित्व के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जायेगा।
1.2 FMR Code-69.2 Case Detection and Management- Capacity Building–ASHA Incentive for LCDC Activity (NDCP.3.69.ASHA.4)	इस मद में LCDC की guidelines के अनुसार 02 अभियान हेतु जनपदवार रू0 6534.15 लाख की धनराशि के आंवटन का विवरण संलग्न किया जा रहा है। पूर्व में प्रेषित संलग्नक 01 एवं 02 में दिये गये विवरण के अनुसार ही धनराशि का उपयोग/व्यय किया जाना है। आशाओं, फील्ड लेविल वर्कर्स/क्षेत्रीय स्वयं सेवक तथा नगरीय ब्लाक/वार्ड स्तर पर आंगनवाडी वर्कर (एक) अथवा महिला स्वयं सेवक (एक) और पुरूष स्वयं सेवक (एक) को 14 दिवसीय एक्टीविटीज पूरी करने पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रू0 **75+75** इस प्रकार कुल रू0 1050+1050 (Rs 2100/-) प्रति टीम प्रोत्साहन राशि देय होगी। सर्च टीम द्वारा अभियान के अन्तर्गत तिथि वार एवं क्षेत्रवार घर घर सर्वेक्षण किया जायेगा जिससे एक भी घर न छूटे। इसमें स्वयं सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा सकता है।
1.3 FMR Code- 69.3 Case Detection and Management-IEC & PRINTING FOR LCDC ACTIVITY (NDCP.3.69.IEC.2)	इस मद में LCDC की guidelines के अनुसार 02 अभियान हेतु जनपदवार रू0 164.84 लाख की धनराशि के आंवटन का विवरण संलग्न किया जा रहा है। संलग्नक 01 एवं 02 में दिये गये विवरण के अनुसार ही धनराशि का उपयोग/व्यय किया जाना है। • प्रचार प्रसार कार्य हेतु प्रति ब्लॉक रू0 4000/– पॉच दिन के लिए प्राविधानित है। ✓ अभियान के अन्तर्गत 5 दिवसीय प्रचार प्रसार किया जाय और हाई रिस्क एरिया (मलिन बस्ती, हार्ड टू रीच एरिया, बंजारा क्षेत्र, ईट–भट्ठे वाले क्षेत्र, निर्माणाधीन क्षेत्र अथवा ऐसा क्षेत्र जहां विकलांगता का केस या चाइल्ड केस या समूह में केस निकला हो) में विशेष ध्यान दिया जाना है। ✓ अभियान के प्रारम्भ के दो दिन पूर्व और अभियान अवधि में तीन दिन प्रचार प्रसार किया जाय। ✓ जन जागरण हेतु लीफलेट/पाम्फलेट आदि को वितरित किया जाय अथवा दिखाया जाय। ✓ आई0ई0सी0 एक्टीविटी की सूचना एनेक्जर–**XIX** के अनुरूप प्रचार प्रसार किया जाय। • प्रिटिंग मद में रू0 30/– प्रति टीम की दर से धनराशि प्राविधानित है। इसके अन्तर्गत फार्मेट इत्यादि की प्रिंटिंग की जायेगी। • Procurement of logistic मद में रू0 10/– प्रति टीम की धनराशि निर्धारित है। जिसके अन्तर्गत अभियान के दौरान प्रयोग में आने वाले चॉक, गेरू, कलम इत्यादि का क्रय किया जायेगा।
1.4 FMR Code- 69.4 Case Detection and Management- SUPERVISION & MONITORING FOR LCDC ACTIVITY	इस मद में LCDC की guidelines के अनुसार 02 अभियान हेतु जनपदवार रू0 912.53 लाख की धनराशि के आंवटन का विवरण संलग्न किया जा रहा है। पूर्व में प्रेषित संलग्नक 01 एवं 02 में दिये गये विवरण के अनुसार ही धनराशि का उपयोग/व्यय किया जाना है। • पसुपरविजन एवं मॉनिटरिंग हेतु ब्लॉक स्तर पर रू0 3000/– प्रति ब्लॉक तथा जनपद स्तर हेतु उनके विकास खण्डों की संख्या के आधार पर प्रति विकास खण्ड (धनराशि रू0 763/–) की दर से प्राविधानित है। • सुपरविजन एवं मॉनिटरिंग के लिये सुपरवाइजर (05 टीमों पर एक सुपरवाइजर) को

मद	विवरण
	POL/Transport हेतु धनराशि रू0 100/- प्रति दिन (14 दिनों हेतु) देय है।
2. Incentive to ASHA-Case detection and Management- ASHA Incentive FMR Code-NDCP.3.69.ASHA.1/69.5	इस मद में आंवटित धनराशि रू0 14.51 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2023-24 में दिये गये दिशा-निर्देशों के भांति यथावत किया जाना है। **(अधिकतम 5804 रोगियों हेतु-** पूर्व में प्रेषित संलग्नक**-3)** उक्त के अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है- **आशाओं की सहभागिता** :- आशा कुष्ठ रोगियों के निकट सम्पर्क में रहने वाले व्यक्तियों को कुष्ठ के प्रारम्भिक लक्षण की जानकारी देंगी एवं दिये गये निर्देशों के अनुरूप दवा का सेवन करवाना भी सुनिश्चित करेंगी।
3. PB (Treatment Completion)- Case detection and Management- ASHA Incentive FMR Code-NDCP.3.69.ASHA.2/69.6	इस मद में **FAMS** पर आंवटित धनराशि रू0 10.94 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2023-24 में दिये गये दिशा-निर्देशों के भांति यथावत किया जाना है। **(अधिकतम 2736 रोगियों हेतु-** पूर्व में प्रेषित **संलग्नक-3)**
4. MB (Treatment Completion)- Case detection and Management- ASHA Incentive FMR Code-NDCP.3.69.ASHA.3/69.7	इस मद में **FAMS** पर आंवटित धनराशि रू0 18.41 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2023-24 में दिये गये दिशा-निर्देशों के भांति यथावत किया जाना है। **(अधिकतम 3068 रोगियों हेतु-** पूर्व में प्रेषित **संलग्नक-3)**
5. Supportive Drugs lab Reagent Case detection and Management-Diagnostics FMR Code-NDCP.3.69.DI/69.9	इस मद में प्रति जनपद रू0 48000/-, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 36.00 लाख का आवंटन जनपदों को किया गया है। कुष्ठ रोगियों में होने वाली विभिन्न प्रकार की जटिलताओं के रोकथाम एवं उपचार के लिए निम्न औषधियों/सामग्रीयों का आवश्यकतानुसार क्रय किया जाना है- Rifampicin, Prednisolone, Clofazimine, Asprine, Framycetin Cream/Ointment, Acriflavin Powder, Cotton, Roller bandage, Scissors, Adhesive plaster, Zinc Tapes, Vaseline, Antibiotic ointment, Atropine eye ointment, Chloramphenicol eye applicaps, Antibiotic Eye drops, Prednisolone eye drops, pumice stone etc. **For Skin Smear Examination-** Gloves, Blade, Slide, Reagent, Tincture (benzoin) for sealing, Cotton etc. जनपदों में उक्त औषधियों/सामग्रियों का क्रय, नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।
6. Equipments - Case detection and Management- Equipment FMR Code-NDCP.3.69.EQ/69.8	इस मद में **FAMS** पर आंवटित धनराशि रू0 7.50 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2023-24 में दिये गये दिशा-निर्देशों के भांति यथावत किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त **Glucometer** का क्रय **Strip** के साथ नियमानुसार किया जायेगा।
7. MCR Protective Footwear DPMR Services: Reconstructive surgeries-Equipment FMR Code-NDCP.3.70.EQ.1/70.3	इस मद में **FAMS** पर आंवटित धनराशि रू0 43.35 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2023-24 में दिये गये दिशा-निर्देशों के भांति यथावत किया जाना है। (पूर्व में प्रेषित **संलग्नक-4)**
8. Aids Appliances, Self Care Kit Items, Patient Welfare Items Etc. DPMR Services: Reconstructive surgeries-Equipment FMR Code-NDCP.3.70.EQ.2/70.4	इस मद में **FAMS** पर आंवटित धनराशि रू0 20.56 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2023-24 में दिये गये दिशा-निर्देशों के भांति यथावत किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त निम्नवत् निर्दश है- • Grade-1 & Grade-2 disability के कुष्ठ रोगियों की आवश्यकतानुसार विभिन्न Aids, appliances, Self Care Kit items, patient welfare items, Splints, Loops, Orthosis, Gripper, Clutches इत्यादि वस्तुओं का क्रय किया जाना है। • Aids appliances आदि The Leprosy Mission, Ayodhya द्वारा भी बनाये जाते हैं।
9. Support to institute for RCS- DPMR Services: Reconstructive surgeries-Other Operating Cost FMR Code-NDCP.3.70.OOC/70.1	इस मद में **FAMS** पर आंवटित धनराशि रू0 0.75 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2023-24 में दिये गये दिशा-निर्देशों के भांति यथावत किया जाना है। **(कुल 15 रोगी हेतु)**
10. Welfare allowance for RCS patients- DPMR Services: Reconstructive surgeries-	इस मद में **FAMS** पर आंवटित धनराशि रू0 39.00 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2023-24 में दिये गये दिशा-निर्देशों के भांति यथावत किया जाना है। (पूर्व में प्रेषित **संलग्नक-5)**

<table>
<tr><th>मद</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>DBT - @ Rs. 12000 per patient
FMR Code-
NDCP.3.70.DBT/70.2</td><td></td></tr>
<tr><td>11. Any other ASHA incetives (ASHA Sensitization)–
Other NLEP Components-ASHA Incentive FMR Code-NDCP.3.72.ASHA/72.1</td><td>इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 25.14 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2023–24 में दिये गये दिशा–निर्देशों के भांति यथावत किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त निम्नवत् निर्दश है–

इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रति प्रतिभागी रू0 70/– का व्यय अनुमन्य है जिसके अन्तर्गत आशाओं को कार्यक्रम स्थल तक आने–जाने हेतु रू0 50/– प्रति आशा एवं शेष रू0 20/– प्रति आशा, अल्पाहार हेतु व्यय किया जाना है। (पूर्व में प्रेषित संलग्नक–6)</td></tr>
<tr><td>12. IEC-
Other NLEP Components - IEC & Printing
FMR Code-
NDCP.3.72.IEC.1/72.3</td><td>इस मद में प्रति जनपद रू0 1,20,000/–, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 90. 00 लाख का आवंटन जनपदों को किया गया है। जन समुदाय को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक किये जाने संबंधित प्रचार–प्रसार हेतु किया जायेगा। इस हेतु प्रचार–प्रसार के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाये, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नतालिका में दिया गया है। तालिका में कॉलम संख्या 01 में वर्णित साधन के सम्मुख अंकित संख्या में जनपद मुख्यालय, जिला चिकित्सालय, ब्लॉक इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र तक आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाना है–
<table>
<tr><th rowspan="2">साधन का नाम</th><th rowspan="2">साइज</th><th rowspan="2">दर</th><th colspan="3">स्थलवार साधनों की संख्या</th><th rowspan="2">आई0ई0सी0 सामग्रियों की कुल संख्या (प्रति जनपद)</th></tr>
<tr><th>जनपद मुख्यालय</th><th>जिला चिकित्सालय</th><th>अन्य स्थल (ब्लॉक इकाई–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>Col. 4 + 5 + 6</td></tr>
<tr><td>बैनर</td><td>6’x3’</td><td>200</td><td>30</td><td>20</td><td>150</td><td>200</td></tr>
<tr><td>पोस्टर</td><td>30”x20”</td><td>15</td><td>300</td><td>200</td><td>1500</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>पम्फलेट्स</td><td>A4/2</td><td>0.50</td><td>3000</td><td>2000</td><td>14600</td><td>19600</td></tr>
<tr><td>होर्डिंग</td><td>20’’x10’’</td><td>5200</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>5200</td></tr>
</table>
जिला मुख्यालय को आवंटित 01 होर्डिंग मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला कुष्ठ अधिकारी द्वारा चयनित स्थानों पर लगवाई जा सकती है जो कि प्रचार प्रसार के दृष्टिगत चिन्हित कोई भीड़ वाला स्थान हो। इस हेतु अधिकतम रु0 5200/– प्रति होर्डिंग की दर से एक बार होर्डिंग लगवाने हेतु बजट का प्रावधान किया गया, जिसे जनपद पर जनसूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से अथवा निर्धारित की गई मानक दरों अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन द्वारा निर्धारित की गई मानक दरो, में जो न्यूनतम हो, के अनुसार होर्डिंग लगवाने पर व्यय किया जायेगा।

बैनर, पोस्टर, पम्फ्लेट्स का उपयोग उक्त तालिकानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला कुष्ठ अधिकारी द्वारा जनपद मुख्यालय, जिला चिकित्सालयों, ब्लाक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, एवं नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य चयनित स्थानों पर आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक जन–जागरूकता हेतु किया जा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मास मीडिया, आउटडोर मीडिया, रूरल मीडिया, एवं एडवोकेसी बैठकों हेतु धनराशि का आवंटन किया गया हैः–

• मास मीडिया (TV, Radio, Press, Education Material) के विभिन्न माध्यमों से कुष्ठ के प्रति जागरूकता लाने हेतु जन सामान्य एवं स्वास्थ्य कर्मियों के लिये प्रचार प्रसार तथा चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पठन पाठ्न सामग्री आदि में व्यय किया जाना है। टेलिविजन के माध्यम से लोकल चैनल अथवा अन्य चैनलों पर कुष्ठ से सम्बन्धित संदेश प्रसारित किये जायेंगें।
✓ आउट डोर मीडिया–रैली, माइकिंग, इत्यादि माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार किया जायेगा।
✓ रूरल मीडिया–ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न माध्यम द्वारा प्रचार–प्रसार उदाहरण फाल्क शो, ग्रुप मीटिंग, स्वास्थ्य मेला, प्रदर्शनी, स्कूल क्विज आदि।</td></tr>
</table>

मद	विवरण
	• **एडवोकेसी मीटिंग**–जन प्रतिनिधियों एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का कुष्ठ जागरूकता में सहयोग सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर बैठकों के आयोजन के लिये धनराशि रू0 15000/– आवंटित की गयी है। • ऐसी गतिविधियाँ की जायें जिनमें कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्तियों की सहभागिता हो।
13. Printing Works- Other NLEP Components - IEC & Printing FMR Code- NDCP.3.72.IEC.2/ 72.4	इस मद में **FAMS** पर आंवटित धनराशि रू0 15.00 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2023–24 में दिये गये दिशा–निर्देशों के भांति यथावत किया जाना है।
14. Travel expenses - Contractual Staff at District level- Other NLEP Components -Planning & M&E FMR Code- NDCP.3.72.PME.4/72.8	इस मद में **FAMS** पर आंवटित धनराशि रू0 18.75 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय, जनपदों में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को यात्रा भत्ता मद में उनके द्वारा की गयी वास्तविक यात्राओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित दरों पर, नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
15. Mobility Support: District Cell- Other NLEP Components -Planning & M&E FMR Code- NDCP.3.72.PME.5/ 72.9	इस मद में **FAMS** पर आंवटित धनराशि रू0 90.00 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2023–24 में दिये गये दिशा–निर्देशों के भांति यथावत किया जाना है।
16. Office operation & Maintenance - District Cell Other NLEP Components -Planning & M&E FMR Code- NDCP.3.72.PME.9/ 72.12	इस मद में **FAMS** पर आंवटित धनराशि रू0 26.25 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2023–24 में दिये गये दिशा–निर्देशों के भांति यथावत किया जाना है।
17. District Cell- Consumables - Other NLEP Components - Planning & M&E FMR Code- NDCP.3.72.PME.10/72.13	इस मद में **FAMS** पर आंवटित धनराशि रू0 22.50 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय पूर्व वर्ष 2023–24 में दिये गये दिशा–निर्देशों के भांति यथावत किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त निम्नवत् निर्दश है– कुष्ठ की थीम **"कुष्ठ का शीघ्र उपचार, विकलांगता से बचाव"** अंकित होगा।
18. District Leprosy Consultant- FMR Code- HSS.9.184.C.P291/ 185.C.P291	इस मद में कार्यरत् **District Leprosy Consultant** के 12 माह के मानदेय हेतु FAMS पर धनराशि रू0 233.19 लाख आंवटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से कार्यरत् **District Leprosy Consultant**, जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस/ Experience बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित (यदि लागू हो तो) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।
19. Physiotherapist- FMR Code- HSS.9.184.C.S0086/ 185.C.S0086	इस मद में कार्यरत् **Physiotherapist** के 12 माह के मानदेय हेतु FAMS पर धनराशि रू0 234.28 लाख आंवटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से कार्यरत् **Physiotherapist**, जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस/Experience बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित (यदि लागू हो तो) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।
20. Others (Para Medical Workers)- FMR Code- HSS.9.184.C.S0099/ 185.C.S0099	इस मद में कार्यरत् **Para Medical Workers** के 12 माह के मानदेय हेतु FAMS पर धनराशि रू0 1180.36 लाख आंवटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से कार्यरत् **Para Medical Workers**, जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस/Experience बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित (यदि लागू हो तो) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।

कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु FAMS पोर्टल पर अंकित डैप के सापेक्ष जनपदों द्वारा नियमानुसार किये गये व्यय की सूचना FAMS पोर्टल पर अंकित करना/कराना सुनिश्चित करें। राज्य स्तर से की जाने वाली समीक्षा वित्तीय वर्ष 2024–25 के डैप के सापेक्ष की जायेगी।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हुए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- FAMS Portal पर आंवटित धनराशि की सीमा के सापेक्ष ही व्यय की सूचना की अंकित करें, आंवटित धनराशि से अधिक व्यय की सूचना अंकित करना नियम विरूद्ध है।
- जनपद स्तर से आशा एवं आशा संगिनियों का ससमय भुगतान के सम्बन्ध में सी0पी0 अनुभाग द्वारा समय–समय पर प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम 03 ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।
- उपरोक्त मानदेय की धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
- आवंटित बजट के सापेक्ष बजट का जनपद स्तर पर कार्यरत् मानव संसाधन/पदों को ही वास्तविकता के आधार नियमानुसार ससमय मानदेय देय होगा।

19.8 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

आर0ओ0पी0 वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (मलेरिया, डेंगू/चिकुनगुनिया, ए0ई0एस0–जे0ई0, फाइलेरिया एवं काला–जार कार्यक्रम) के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष **FAMS पर** जनपदवार गतिविधिवार 12 माह हेतु आवंटित धनराशि के अनुसार उपयोग/व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश प्रेषित किया जा रहा है। पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र सं0– 30/NVBDCP/एन0पी0/2023–24/5006 दिनांक 15.09.2023 में यदि किसी गतिविधियों में भिन्नता है वह ही इंगित किया जा रहा है, जो गतिविधि भिन्न नहीं है, उसे वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार ही उपयोग/व्यय किया जायेगा। विवरण निम्नवत् है–

मद	विवरण
मलेरिया कार्यक्रम	
Districts VBD Consultant (HSS.9.184.C.P294/ 185.C.P294)	इस मद में कार्यरत् Districts VBD Consultant के 12 माह के मानदेय हेतु FAMS पर रू0 68.46 लाख आंवटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से कार्यरत् Districts VBD Consultant, जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस/Experience बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित (यदि लागू हो तो) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।
ASHA Incentive/ Honorarium for Malaria (NDCP.2.64.ASHA/64.1)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 838.48360 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा। इस मद में अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है– **LLIN** आच्छादित जनपदों में आशा द्वारा **LLIN** का वितरण करने पर रू0 10 प्रति **LLIN** का मानदेय दिया जाना निर्धारित है।
A. Monitoring, Evaluation and Supervision and epidemic preparedness (only mobility expences) (NDCP.2.64.PME.1/ 64.2)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 297.00 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।
B. Monitoring, Evaluation and Supervision and epidemic preparedness (only mobility expences) for Zonal Entomological units under MVCR (NDCP.2.64.PME.2/ 64.3)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 35.64 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा। सन्दर्भ हेतु **Annexure** 01 पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।

मद	विवरण
Printing of recording and reporting forms/registers for Malaria (NDCP.2.64.IEC.1/64.4)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 37.50 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।
A. Training/Capacity Building (NDCP.2.64.CB.1/64.5)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 191.25 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा। इस मद में अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है– प्रत्येक बैच में कुल लगभग 25 प्रतिभागी (22 से 23 आशा एवं 02 से 03 ए0एन0एम0) प्रतिभाग करेंगें, जिनमें आशा/क्षेत्रीय आशा संगिनी/क्षेत्रीय ए0एन0एम0/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर दक्ष किया जायेगा। प्रत्येक बैच के लिए रू0 4250.00 की धनराशि आंवटित की गयी है।
B. Training/Capacity Building for Zonal Entomological units under MVCR (NDCP.2.64.CB.2/64.6)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 9.00 लाख का उपयोग/व्यय, पूर्व में प्रेषित संलग्नक **Annexure 01** के अनुसार किया जायेगा। सम्बन्धित मण्डलीय जनपद–आगरा, प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ झांसी, मेरठ, एवं वाराणसी में लगभग 100 प्रतिभागियों यथा एल0टी0, एस0एल0टी0, एस0एम0आई0, एम0आई0, एफ0आई0, एच0आई0 इत्यादि की 01 दिवसीय एण्टोमोलॉजिकल ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण आर0सीएच0 गाईडलाइन के अनुसार कराया जाना है।
IEC/BCC for malaria (NDCP.2.64.IEC.2/64.7)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 34.50 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।
Zonal Entomological units (NDCP.2.64.OOC.1/64.8)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 6.30 लाख का उपयोग/व्यय पूर्व में प्रेषित संलग्नक **Annexure 01** के अनुसार किया जायेगा।
Chloroquine phosphate tablets (NDCP.2.64.DS.01/64.9)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 16.15 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।
Primaquine tablets 2.5 mg (NDCP.2.64.DS.02/64.10)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 8.075 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।
Primaquine tablets 7.5 mg (NDCP.2.64.DS.03/ 6.11)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 16.15 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।
Operational cost for spray wages (NDCP.2.64.OOC.2/6.13)	इस मद में आई0आर0एस0 हेतु चयनित 11 जनपदों यथा बरेली, बदायूँ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, शाहजहॉपुर, पीलीभीत, सीतापुर, सम्भल, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद एवं सोनभद्र के लिये FAMS पर आवंटित धनराशि रू0 267.17265 लाख का उपयोग/व्यय, श्रम विभाग–उ0प्र0 द्वारा निर्गत शासनादेश में उल्लिखित दरों पर सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

19.9 ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम

ASHA Incentive for referral of AES/JE cases (NDCP.2.66.ASHA/66.1)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 3.426 लाख एवं पूर्व में प्रेषित Annexure 03 के अनुसार उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।
ICU Establishment in Endemic Districts-Other Operating Cost (NDCP.2.66.OOC/66.2)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 158.70 लाख एवं पूर्व में प्रेषित Annexure 05 के अनुसार उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा। उक्त मद में गत वर्ष के सापेक्ष पी0आई0सी0यू0, मिनी पी0आई0सी0यू0 एवं ई0टी0सी0 हेतु आवंटित धनराशि की दर में अन्तर होने

	के साथ ही व्यय हेतु अतिरिक्त दिशा–निर्देश निम्नवत् है– 15 जनपदों में स्थापित समस्त 16 पी0आई0सी0यू0 हेतु रू0 50,000 प्रतिमाह प्रति पी0आई0सी0यू0 की दर से एवं समस्त 15 मिनी पी0आई0सी0यू0 हेतु रू0 25,000 प्रतिमाह प्रति मिनी पी0आई0सी0यू0 की दर से 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गई है, जिसका उपयोग प्रशासनिक व ऑपरेशनल व्यय यथा टेलीफोन बिल, इण्टरनेट / डोंगल, वीकली एलर्ट / एनुवल डिजीज सर्विलेंस रिपोर्ट हेतु रिव्यू मीटिंग, कार्यालय व्यय, आफिस स्टेशनरी, कम्प्यूटर कन्ज्यूमेबल्स, जॉच किट, रोगी के उपचार हेतु आवश्यक कन्ज्यूमेबल एवं अन्य आवश्यक सामगी के क्रय, सैम्पल पैकेजिंग एवं ट्रान्सपोर्टेशन, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि के लिए नियमानुसार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ई0टी0सी0 को सैम्पल की पैकिंग एवं सैम्पल को ई0टी0सी0 से जिला चिकित्सालय भेजने हेतु रू0 10,000 वार्षिक की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पी0आई0सी0यू0 हेतु आवंटित धनराशि सम्बन्धित प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला / जिला संयुक्त चिकित्सालय के निवर्तन पर एवं मिनी पी0आई0सी0यू0 तथा ई0टी0सी0 हेतु आवंटित धनराशि सम्बन्धित इकाई के अधीक्षक / प्रभारी चिकित्साधिकारी के निवर्तन पर यथाशीघ्र हस्तांतरित कर दी जाए।
Capacity Building **(NDCP.2.66.CB.1/ 66.3)**	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 50.86680 लाख एवं पूर्व में प्रेषित Annexure 06 के अनुसार उपयोग / व्यय, अति संवेदनशील 20 जनपदो में, जहॉ ए0ई0एस0 / जे0ई0 कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सा इकाई यथा–पी0आई0सी0यू0, मिनी पी0आई0सी0यू0 एवं / अथवा ई0टी0सी0 स्थापित है, में कार्यरत चिकित्साधिकारियों एवं पी0आई0सी0यू0, मिनी पी0आई0सी0यू0 एवं ई0टी0सी0 पर कार्यरत स्टाफ नर्सो का ए0ई0एस0 / जे0ई0 केस मैनेजमेन्ट एवं उपचार हेतु जनपद एवं ब्लाक स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाए। उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रति बैच प्रशिक्षण व्यय की गणना RCH Training Financial Norms के अनुसार की गयी है। उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु आवंटित धनराशि को व्यय किये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत है– i. ***प्रशिक्षण अवधि–*** एक दिवसीय (गैर–आवासीय) ii. ***प्रशिक्षार्थी–***ए0ई0एस0 / जे0ई0 रोग से अति प्रभावित 20 जनपदों में कार्यरत चिकित्साधिकारी तथा पी0आई0सी0यू0, मिनी पी0आई0सी0यू0 एवं ई0टी0सी0 पर कार्यरत स्टाफ नर्स। iii. ***बैच साइज एवं बैचवार प्रतिभागियों की संख्या–*** प्रत्येक बैच में अधिकतम 30 से 35 प्रतिभागी होगें। बैच की संख्या उपरोक्त 'तालिका–क' के कॉलम 6 मे उल्लिखित संख्या से अधिक न हो। *iv.* ***प्रशिक्षक–*** उपरोक्त प्रशिक्षण राज्य द्वारा प्रशिक्षित किए गए मास्टर प्रशिक्षुओं द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक बैच को अधिकतम 3 प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षित किया जाए। *v.* ***प्रशिक्षण मानदेय–*** प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को रू0 400 / – की दर से प्रशिक्षण हेतु मानदेय। *vi.* ***लंच–*** प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षार्थियों को लन्च हेतु रू0 250 / – प्रति व्यक्ति की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। *vii.* ***प्रशिक्षण सामग्री–*** इस मद में रू0 300 / – प्रति प्रशिक्षार्थी धनराशि आवंटित की गयी है जिसका प्रयोग प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण सामग्री, फोटो कॉपी, फिलप चार्ट इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु किया जाएगा। *viii.* ***प्रशिक्षक–मानदेय–*** प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रशिक्षक को प्रति बैच रू0 600 / – प्रतिदिन की दर से मानदेय आवंटित किया गया है। प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक संचालन हेतु जनपद स्तर पर सहभागी

	संस्था के जनपदीय प्रतिनिधि का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। ix. ***प्रशिक्षण स्थल एवं तिथि–*** बजट में रू0 1000/– प्रतिदिन प्रति बैच की दर से प्रशिक्षण स्थल हेतु धनराशि आवंटित की गयी है जिसका उपयोग जनपद अथवा ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण स्थल उपलब्ध न होने की स्थिति में ही किया जा सकता है। मुख्य चिकित्साधिकारी प्रशिक्षण के लिए स्थल का चुनाव एवं प्रशिक्षण की तिथि ए0सी0एम0ओ0, वी0बी0डी0 के साथ परामर्श करके निर्धारित करेंगे। प्रशिक्षण कक्ष में कोविड मानकानुसार न्यूनतम 35 प्रशिक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था हो। x. ***संस्थागत उपरिव्यय–*** संस्थागत उपरिव्यय (Institutional Overheads) हेतु कुल प्रशिक्षण धनराशि का 15 प्रतिशत धनराशि आवंटित की गयी है जिसका उपयोग प्रशिक्षण हेतु व्हाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर एवं अन्य कन्टिन्जेंसी तथा प्रशिक्षण स्थल की साफ–सफाई, जेनरेटर हेतु डीजल इत्यादि के लिये किया जा सकता है। xi. ***कोविड प्रोटोकाल–*** प्रशिक्षण के दौरान समस्त कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। xii. ***प्रशिक्षण आख्या–*** प्रशिक्षण के पश्चात प्रत्येक बैच की प्रशिक्षण आख्या प्रशिक्षाथियों की उपस्थिति सहित राज्य मुख्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
Monitoring and Supervision (NDCP.2.66.PME/66.8)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि एवं पूर्व में प्रेषित Annexure 07 के अनुसार उपयोग/व्यय किया जाना है। उक्त मद में गत वर्ष के सापेक्ष दिशा–निर्देश में कुछ संशोधन किये गये हैं, जो कि निम्नवत् है– **Operational Expenses-** इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 23.04 लाख से ऑपरेशनल व्यय हेतु रू0 8000/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिए धनराशि आवंटित की गयी है, जिसका उपयोग मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम के उपयोगार्थ स्टेशनरी एवं कम्प्यूटर कन्ज्यूमेबल्स के क्रय, प्रिन्टिंग, टेलीफोन, इन्टरनेट बिलों के भुगतान, इत्यादि हेतु नियमानुसार किया जाये। **Mobiltiy-** इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 89.10 लाख से ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम के अनुश्रवण, मूल्यांकन, रिपोर्टिंग एवं आउटब्रेक की स्थिति में भ्रमण हेतु जनपद/ब्लॉक स्तर पर मोबिलिटी, ट्रैवलकॉस्ट आदि के लिए जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित मासिक दर (अधिकतम रू0 33000/– प्रति माह) की दर से जनपद अयोध्या, बलिया एवं मऊ के लिये 6 माह हेतु एवं 19 जनपदों के लिये 12 माह हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है। गोरखपुर एवं देवीपाटन मण्डल में ए0ई0एस0/जे0ई0 केसेज की अधिकता के दृष्टिगत मण्डलीय जनपद गोरखपुर एवं गोण्डा हेतु 2 वाहनों के लिये धनराशि आवंटित की गयी है जिसमें से 1 वाहन मण्डलीय अपर निदेशक के निवर्तन पर उपलब्ध रहेगा जिसका प्रयोग कार्ययोजना के अनुसार कार्य सम्पादन, आउटब्रेक की स्थिति में क्षेत्र भ्रमण, रिपोर्टिंग के सुदृढ़ीकरण इत्यादि हेतु किया जाये। दूसरे वाहन का उपयोग जनपद/ब्लॉक स्तर पर तैनात ए0ई0एस0/जे0ई0 कन्सलटेन्ट अथवा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, वी0बी0डी0 के द्वारा ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम से सम्बंधित कार्यों के निर्वहन हेतु किया जायेगा। आवंटित धनराशि का उपयोग डी0पी0एम0यू0 यूनिट की भॉति/जनपद स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा टेण्डर की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित एजेन्सी से नियमानुसार टैक्सी परमिट वाहन को मासिक आधार पर अनुबन्धित कर किया जाना है। शासकीय वाहन उपलब्ध होने की स्थिति में उक्त मद से वाहन हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था की जायेगी।

	मण्डलीय जनपद के वाहन हेतु आवंटित धनराशि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा मण्डलीय अपर निदेशक के निवर्तन पर यथाशीघ्र हस्तांतरित कर दी जाए।
District AES/JE Consultant (HSS.9.184.C.P293/ 185.C.P293)	इस मद में कार्यरत् District AES/JE Consultant के 12 माह के मानदेय हेतु FAMS पर धनराशि रू0 48.435 लाख आंवटित की गयी है। विवरण ।ददमगनतम 08 पर है। आवंटित धनराशि में से कार्यरत् District AES/JE Consultant, जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस / Experience बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित (यदि लागू हो तो) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।
Technical Assistant (HSS.9.184.C.P295/ 185.C.P295)	इस मद में कार्यरत् Technical Assistant के 12 माह के मानदेय हेतु FAMS पर धनराशि रू0 50.44812 लाख आंवटित की गयी है। विवरण पूर्व में प्रेषित Annexure 09 पर है। आवंटित धनराशि में से कार्यरत् Technical Assistant, जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस / Experience बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित (यदि लागू हो तो) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।
Data Entry Operator (HSS.9.184.C.P365/ 185.C.P365)	इस मद में कार्यरत् Data Entry Operator के 12 माह के मानदेय हेतु FAMS पर धनराशि रू0 27.24792 लाख आंवटित की गयी है। विवरण पूर्व में प्रेषित Annexure 10 पर है। जिसमें मानदेय, वार्षिक मानदेय वृद्धि, ई0पी0एफ0 (मूल मानदेय 15000 तक वाले कर्मियों,) एवं आउटसोर्स हेतु ई0एस0आई0 (रू0 21000 तक के मानदेय हेतु,) जी0एस0टी0 एवं सर्विस चार्ज अधिकतम 10 प्रतिशत तक सम्मिलित है। आवंटित धनराशि में से कार्यरत् Data Entry Operator, जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय, वार्षिक वृद्धि सहित (यदि लागू हो तो) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है। उपरोक्त आउटसोर्स पद का वेतन निर्धारण Current apptlicable Minimum Wages Act, 1948 के अर्न्तगत समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
Microbiologist (HSS.9.184.C.S0548/ 185.C.S0548)	इस मद में कार्यरत् Microbiologist के 12 माह के मानदेय हेतु FAMS पर धनराशि रू0 30.44520 लाख आंवटित की गयी है। विवरण पूर्व में प्रेषित Annexure 11 पर है। आवंटित धनराशि में से कार्यरत् Microbiologist, जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस / Experience बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित (यदि लागू हो तो) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।
Paediatricians- (HSS.9.184.C.S0126/ 185.C.S0126)	इस मद में कार्यरत् Paediatricians के 12 माह के मानदेय हेतु FAMS पर धनराशि रू0 368.16 लाख आंवटित की गयी है। विवरण पूर्व में प्रेषित Annexure 12 पर है।
Medical Officer (HSS.9.184.C.S0280/ 185.C.S0280)	इस मद में कार्यरत् Medical Officer के 12 माह के मानदेय हेतु FAMS पर धनराशि रू0 162.45852 लाख आंवटित की गयी है। विवरण पूर्व में प्रेषित Annexure 13 पर है। आवंटित धनराशि में से कार्यरत् Medical Officer, जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस / Experience बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित (यदि लागू हो तो) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा रिक्त पदों हेतु रू0 1.00 लाख प्रति Medical Officer प्रति माह स्वीकृत है। कार्यरत् Medical Officer को वित्तीय वर्ष 2023–24 में देय मानदेय के अनुसार ही मानदेय नियमानसुार देय होगा।
Staff Nurse (HSS.9.184.C.S0013 /185.C.S0013)	इस मद में कार्यरत् Staff Nurse के 12 माह के मानदेय हेतु FAMS पर धनराशि रू0 2098.62672 लाख आंवटित की गयी है। विवरण पूर्व में प्रेषित Annexure 14 पर है। आवंटित धनराशि में से कार्यरत् Staff Nurse, जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस /

	Experience बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित (यदि लागू हो तो) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।
Ancillary Staff (HSS.9.184.C.S0460/ 185.C.S0460)	इस मद में कार्यरत् Ancillary Staff के 12 माह के मानदेय हेतु FAMS पर धनराशि रू0 77.34312 लाख आंवटित की गयी है। विवरण पूर्व में प्रेषित Annexure 15 पर है। जिसमें मानदेय, वार्षिक मानदेय वृद्धि, ई0पी0एफ0 (मूल मानदेय 15000 तक वाले कर्मियों,) एवं आउटसोर्स हेतु ई0एस0आई0 (रू0 21000 तक के मानदेय हेतु,) जी0एस0टी0 एवं सर्विस चार्ज अधिकतम 10 प्रतिशत तक सम्मिलित है। आवंटित धनराशि में से कार्यरत् Ancillary Staff, जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय, वार्षिक वृद्धि सहित (यदि लागू हो तो) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है। उपरोक्त आउटसोर्स पद का वेतन निर्धारण Current apptlicable Minimum Wages Act, 1948 के अर्न्तगत समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

19.10 कालाजार कार्यक्रम

IEC/BCC/ Advocacy for Kala-azar (NDCP.2.65.IEC/65.1)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 17.05 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है– 1. **Banners-** इस मद में प्रति बैनर अधिकतम रू 200.00 की दर से प्रत्येक sub center हेतु 5 बैनर का प्राविधान है, जिसकी न्यूनतम माप 6X3 फिट के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर में कराया जाना अनिवार्य है। 2. **Posters-** इस मद में प्रति पोस्टर अधिकतम रू 5.50 की दर से प्रत्येक प्रभावित गांव में प्रति आशा हेतु 10 पोस्टर चिपकाया जायगा, जिसकी न्यूनतम माप 30X20 इंच के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर में कराया जाना अनिवार्य है। उक्त धनराशि में पोस्टर को चिपकायें जाने की दर भी सम्मिलित है। 3. **Brochures -** इस मद में प्रति ब्रोशर अधिकतम रू0 2.50 की दर से प्रत्येक कालाजार प्रभावित ब्लाक में प्रति आशा हेतु 50 ब्रोशर उपलब्ध कराया जाना है। 4. **Leaflets -** इस मद में प्रति लीफलेट अधिकतम रू0 2.00 की दर से प्रत्येक कालाजार प्रभावित ब्लाक में प्रति आषा हेतु 50 लीफलेट उपलब्ध कराया जाना है। 5. **Wall Writing-** वॉल राइटिंग अधिकतम रू0 1500 की दर से प्रत्येक प्रभावित गांव में 3, जिसकी न्यूनतम माप 4X3 फिट, होनी चाहिये। 6. **Hording -** होर्डिगं जिलर के साथ अधिकतम रू0 15000 की दर से प्रत्येक हाई एंडमिक ब्लाक में, जिसकी न्यूनतम माप 8X10 होनी चाहिये।
Case search/ Camp Approach (NDCP.2.65.OOC.1/65.2)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 13.08 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा। इस मद में अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है– प्रत्येक कालाजार धनात्मक रोगी के 15 दिन, 01 माह, 03 माह, 06 माह एवं 12 माह पर फ्लोअप एवं 01 साल के उपरान्त प्रत्येक 06 माह पर 03 साल तक का दायित्व चिकित्सा अधिकारी का होगा।
Spray Pumps and accessories (NDCP.2.65.EQ/65.5)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 4.75 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।
Operational cost for spray including spray wages (NDCP.2.65.OOC.2/65.6)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 50.75 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा। इस मद में

	अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है– इस मद में आवटित धनराशि का उपयोग, छिडकाव कराने वाले मजदूरों को कीटनाशी के छिड़काव की मजदूरी के (रू0 427/– प्रतिदिन की दर से) भुगतान हेतु है।
Mobility/POL/ Supervision (NDCP.2.65.OOC.3/65.3)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 48.00 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय, ए0सी0एम0ओ0, वीबीडी0/जिला मलेरिया अधिकारी/सहायक मलेरिया अधिकारी /मलेरिया निरीक्षक/फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी/जीव विज्ञानी/फाइलेरिया निरीक्षक वी0बी0डी0 कन्सल्टेण्ट गतिविधियों के दौरान माह में कम से कम 15 दिन भ्रमण करेंगे एवं अपनी भ्रमण आख्या संबंधित प्रपत्रों के साथ राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। एन0एच0एम0 की दरों के अनुरूप चार पहिया किराए पर लिया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम मासिक दर धनराशि रू0 30000/– होगी एंव दैनिक दर अधिकतम धनराशि रू0 2300/– होगी।
Monitoring and Evaluation (NDCP.2.65.PME.1/65.4)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 11.20 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा। इस मद में अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है– ए0सी0एम0ओ0, वी0बी0डी0/जिला मलेरिया अधिकारी/सहायक मलेरिया अधिकारी/मलेरिया निरीक्षक/फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी/जीव विज्ञानी/ फाइलेरिया निरीक्षक/वी0बी0डी0 कन्सल्टेण्ट गतिविधियों के दौरान भ्रमण करेंगे एवं अपनी भ्रमण आख्या संबंधित प्रपत्रों के साथ राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। ए0सी0डी0 एवं आई0आर0एस0 के दौरान एन0एच0एम0 की दरों के अनुरूप चार पहिया किराए पर लिया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम मासिक दर धनराशि रू0 30000/– होगी एवं अधिकतम दैनिक दर रू0 2300/– होगी।।
Training for spraying (NDCP.2.65. OOC.4/65.7)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 1.36 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।
Kala-azar loss of wages (NDCP.2.65.DBT/65.8)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 1.39 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।

19.11 फाइलेरिया कार्यक्रम

State Task Force, State Technical Advisory Committee meeting, district coordination meeting – (NDCP.2.68.PME.3/ 68.11)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 15.30 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा। इस मद में अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है– मैपिंग करने वाले non-endemic जनपदों के लिये गतिविधि पूर्ण हो जाने के कारण धनराशि आंवटित नहीं की जा रही है।
Printing of forms/registers for Lymphatic Filariasis (NDCP.2.68.IEC.1/68.9)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 135.75610 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा। इस मद में अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है– **Flex Measuring Tape-** (आई0डी0ए0 जनपदों हेतु) फ्लैक्स मेजरिंग टेप 12 सेमी0 चौड़ा एवं 180 सेमी0 लम्बा (रंगीन प्रिंट 04 कलर) में होगा, जिसका अधिकतम मूल्य रूपया 30/– (रूपया तीस मात्र) होगा। **परिवार पंजिका मुद्रण संबंधी आवश्यक निर्देश–** माइक्रोप्लान कम्प्यूटराइज कराने एवं उसकी 05 प्रति फोटोकापी कराने हेतु प्रत्येक ब्लॉक/आर0आई0यूनिट हेतु धनराशि रू0 2000/– निर्धारित किया गया है। जिसमें माइक्रोप्लान बनाना तथा उसकी छायाप्रति (कुल 05 प्रति) कराया जाना सम्मिलित है।
Monitoring & Evaluation (Post MDA assessment by medical colleges (Govt. & private) /ICMR institutions) (@Rs.35000	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 17.50 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।

<table>
<tr><td>each MDA district)-
(NDCP.2.68. SRRE.4/68.5)</td><td></td></tr>
<tr><td>Morbidity Management
(NDCP.2.68. IEC.2/68.1)</td><td>इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 577.12 लाख के अनुसार उपयोग / व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।</td></tr>
<tr><td>Mobility support for Rapid Response Team
(NDCP.2.68.PME.1/ 68.13)</td><td>इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 224.595 लाख के अनुसार उपयोग / व्यय, जनपद में एम0डी0ए0 /NBS/Pre TAS/TAS अभियान के दौरान जनपद के रैपिड रिस्पॉस टीम के वाहन व्यवस्था / पी0ओ0एल0 पर व्यय किया जाना है। प्रति ब्लाक 01 चार पहिया वाहन 15 दिनों के लिये एवं शहरी क्षेत्र 04 चार पहिया वाहन का प्राविधान है। चार पहिया वाहन की अधिकतम मासिक दर पर रू0 30000 / – एवं दैनिक दर अधिकतम रू0 2300 / – होगी।</td></tr>
<tr><td>Monitoring & supervision-Lymphatic Filariasis
(NDCP.2.68.PME.2/ 68.12)</td><td>इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 30.60 लाख के अनुसार उपयोग / व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा। इस मद में अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है–
एन0एच0एम0 की दरों के अनुरूप चार पहिया किराए पर लिया जा सकता है, जिसकी अधिकतम मासिक दर पर रू0 30000 / – एवं दैनिक दर अधिकतम रू0 2300 / – होगी। एम0डी0ए0 अभियान के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से प्राप्त आदेशों के कम में भ्रमण हेतु टी0ए0 / डी0ए0 का भुगतान इस मद में जिला स्वास्थ्य सोसायटी के अनुमोदित दरों के अनुसार किया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>Micro filaria Survey (@Rs. 7500 each Block /Urban RI Planning Unit)

(NDCP.2.68. SRRE.3/ 68.4)-</td><td>इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 52.005 लाख के अनुसार उपयोग / व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा। इस मद में अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है–
एम0डी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत फाइलेरिया प्रभावित प्रत्येक जनपद को माइको फाइलेरिया सर्वे हेतु धनराशि रू0 7500.00 आवंटित की गई है। माइको फाइलेरिया सर्वे / नाइट ब्लड सर्वे हेतु प्रत्येक ब्लाक एवं आर0आई0 प्लानिंग यूनिट में 01 सेण्टीनल एवं 01 रैण्डम स्थलों का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक स्थल 04 व्यक्तियों (पैरामेडिकल, टेक्नीशियन एवं सहायक) के लिए प्रति स्थल 03 दिन के लिए रू0 100.00 प्रतिदिन के आधार पर मानदेय एवं प्रति व्यक्ति प्रति स्थल रू0 100.00 यात्रा भत्ता तथा प्रति स्थल रू0 300.00 स्लाइड जांच (रू 1.00 प्रति स्लाइड की दर से) हेतु निर्धारित है।
Microfilaria survey budget details-
<table>
<tr><th>S.no</th><th>NBS Budget Details (Bold)</th><th>NBS at 2 sites with 600 slides
(300 at each site)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>TA Rs.100 x 4 Persons x 2 Sites.</td><td>800</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Honorarium Rs.100 x4 Persons x 3 Days x 2 Sites.</td><td>2400</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Honorarium for examination of Slides to Technician.</td><td>600</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Replenishment of slides, stain, cotton swab, lancet, pencil marker etc. (Contingency)</td><td>3600</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>7500</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Additional MF Survey
(NDCP.2.68 .SRRE.2 /68.6)</td><td>इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि के अनुसार उपयोग / व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा। इस मद में अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है–
एडिशनल माइको फाइलेरिया सर्वे हेतु प्रत्येक स्थल 04 व्यक्तियों (पैरामेडिकल, टेक्नीशियन एवं सहायक) के लिए प्रति स्थल स्थल 06 दिन के लिए रू0 100.00 प्रतिदिन के आधार पर मानदेय एवं प्रति व्यक्ति प्रति स्थल रू0 100.00 यात्रा भत्ता एवं रू0 7800.00 प्रत्येक ब्लॉक एवं अर्बन आर0आई0 प्लानिंग यूनिट पर कन्टीजेन्सी भुगतान हेतु निर्धारित है।
Block wise implementation of Pre TAS activity budget table:
<table>
<tr><th>S.no</th><th>Pre TAS Budget Details</th><th>Pre TAS at 3 sites with</th></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>900 valid samples
(300 at each site)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>TA Rs.100 x 4 Persons x 3 Sites.</td><td>1200</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Honorarium Rs.100 x4 Persons x 3 Days x 3 Sites.</td><td>3600</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Contingency: Replenishment of marker pen, cotton swab, lancet, pencil, gloves etc. Honorarium for examination of Slides to Technician.</td><td>7800</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>12600</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ICT Survey/ TAS Activity: (NDCP.2.68 .SRRE.1/ 68.7)</td>
<td>इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 28.875 लाख एवं पूर्व में प्रेषित Annexure-16 के अनुसार उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>Post-MDA surveillance (NDCP.2.68. SRRE.5/ 68.8)</td>
<td>इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 29.40 लाख से, जो जनपद TAS गतिविधि पूर्ण कर चुके हो उनके यहां EU वार नाइट ब्लड सर्वे, एम0टी0पी0 गतिविधि, एण्टोमोलॉजिकल सर्विलांस एवं माइग्रेटरी साइट नाइट ब्लड सर्वे की गतिविधि जारी रहेगी। इस गतिविधि को सुचारु रुप से चलाने हेतु धनराशि रुपया 70000.00 प्रति EU अनुमन्य है। जिस गांव एवं शहरी क्षेत्र में एम0एफ0 पॉजिटिव केस आय तो उस साइट पर पूरे क्षेत्र में एम0डी0ए0/आई0डी0ए0 की दवा खिलाना सुनिश्चित करें। Drug Administrator एवं पर्यवेक्षक का मानदेय एम0डी0ए0 की गतिविधि करवाने के अनुसार ही होगा।
<table>
<tr><td>SN</td><td>NBS Budget Details (Bold)</td><td>NBS at 8 sites with 400 slides (50 at each site)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>TA Rs.100 x 4 Persons x 8 Sites.</td><td>1024</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Honorarium Rs.100 x4 Persons x 8 Days x 1 Site</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Honorarium for examination of Slides to Technician.</td><td>400</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Replenishment of slides, stain, cotton swab, lancet, pencil marker etc. (Contingency)</td><td>14400</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>19024</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Training/ Sensitization of district level officers on ELF & Drug administrator including Peripheral health workers- (NDCP.2.68.CB/68.3)</td>
<td>इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 528.30138 लाख के अनुसार निम्नवत् उपयोग/व्यय किया जायेगा–

जनपदों को आवंटित धनराशि से जनपद स्तरीय अधिकारीगण/ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण/ पैरामेडिकल कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों/ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के एक दिवसीय प्रशिक्षण में होने वाले व्यय का वहन किया जायेगा।
जनपद स्तरीय प्रशिक्षण में प्रत्येक ब्लॉक से 02–03 सदस्य, जो प्रशिक्षण देने में कुशल हो, प्रतिभाग करेंगे एवं ब्लॉक स्तर पर ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे (अप्रशिक्षित प्रशिक्षक द्वारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर को प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा)। जनपद स्तरीय प्रशिक्षक (02), जो राज्य स्तर पर आहूत टी0ओ0टी0 में प्रशिक्षित किए गए है, को प्रशिक्षण हेतु धनराशि रू0 500/– देय होगा एवं प्रशिक्षण में प्रति प्रतिभागी के भोजन एवं जलपान हेतु धनराशि रू0 400/– अनुमन्य होगा।
प्रत्येक ब्लॉक एवं अर्बन क्षेत्र में स्थापित प्रत्येक आर0आई0 यूनिट हेतु माइक्रोप्लान विकसित कराने हेतु मीटिंग कराने तथा रिपोर्ट तैयार कराये जाने के लिए प्रति ब्लॉक/आर0आई यूनिट (अर्बन क्षेत्र) धनराशि रू0 2000/– अनुमन्य है। यह धनराशि बी0सी0पी0एम0/अर्बन कोर्डिनेटर को देय होगी। यह धनराशि बी0सी0पी0एम0/अर्बन कोर्डिनेटर/HS/BHW को देय होगी। जिला स्तर पर नामित व्यक्ति

</td>
</tr>
</table>

	को रू0 2000/- रिपार्टिगं हेतु अनुमन्य है। • दवा सेवन हेतु बनायी गई 02 सदस्यीय टीम को प्रशिक्षित किया जाएगा एवं प्रत्येक टीम को प्रशिक्षित होने पर धनराशि रू0 100/- देय होगा एवं प्रशिक्षक (टी0ओ0टी0 द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षक) को प्रति बैच (40 ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर का बैच) धनराशि रू0 500/- देय होगा। • लाभार्थियों को दवा सेवन हेतु प्रेरित किए जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को फाइलेरिया रोग संबंधी विवरण पुस्तिका (Brochure) उपलब्ध करवायी जाए। टीमों के दोनो सदस्यों का प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। आशा और ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर साथ ही साथ सुपरवाइजर की अलग से प्रशिक्षण करवाते हुये प्रशिक्षण पूर्ण किया जाये। सुपरवाइजर को प्रशिक्षत होते पर धनराशि रू0 100/- देय होगा। • जनपद स्तरीय प्रशिक्षण, MDA से अतिरिक्त NBS/Pre TAS/TAS/MMDP से पूर्व गतिविधियों को सुचारू रूप के संचालित करने के लिए ब्लॉक स्तरीय प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित की जानी है। इस प्रशिक्षण के लिए संबंधित लैब टेक्नीशियन, ब्लॉक सहायक स्टॉफ एवं समस्त वी0बी0डी स्टॉफ का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण में प्रति प्रतिभागी के भोजन, जलपान, लॉजिस्टिक एवं बैठक में आने वाले अन्य व्ययों का वहन हेतु धनराशि रू0 300/- अनुमन्य है। • MMDP गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है प्रशिक्षण को सुचारू रूप से कराने के लिए सभी endemic जिलों के ब्लॉक एवं सब सेंटर पर MMDP ट्रेनिंग आशा और हर रोगी को करवाने हेतु प्रति प्रतिभागी के भोजन, जलपान, लॉजिस्टिक एवं बैठक में आने वाले अन्य व्ययों का वहन हेतु धनराशि रू0 100/- अनुमन्य है। • इस मद में उपलब्ध शेष धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर मीडिया संवेदीकरण (प्रिंट मीडिया, आकाशवाणी, अन्य स्थानीय रेडियों एवं टी0वी0 चैनल) हेतु आयोजित कार्यशाला में किया जाए तथा यह कार्यशाला कार्यक्रम के 02-04 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से करा ली जाए।
Honorarium for Drug Administrator including ASHA & Supervisors involved in MDA (NDCP.2.68. ASHA/68.2)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 3925.09828 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय हेतु दिशा-निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।
Specific IEC/BCC for Lymphatic Filariasis at State, District, PHC, Sub-centre and village level including VHSC /Gks for community mobilization efforts to realize the desired durg compliance of 85% during MDA- (NDCP.2.68. IEC.3/68.10)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 168.30 लाख के अनुसार उपयोग/व्यय हेतु दिशा-निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।
Contingency support **(NDCP.2.68 .PME.4/ 68.14)**	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 354.04 लाख के अनुसार MDA/NBS/Pre TAS/TAS/MMDP के लिए स्टेशनरी क्रय (चॉक, मार्कर पेन, रस्सी, गोद, पेन इत्यादि) तथा अतिरिक्त प्रिंटिंग एवं औषधियों/Diagnostic kits को राज्य मलेरिया मुख्यालय से लाने एवं जनपदीय मुख्यालय से ब्लॉक स्तर तक आपूर्ति हेतु परिवहन संबंधी व्यय का भुगतान किया जा सकता है।

19.12 डेंगू एवं चिकनगुनियां कार्यक्रम

Dengue and Chikungunya case management (NDCP.2.67.OOC.1/ 67.1)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 10.00 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।
ASHA Incentive (NDCP.2.67.ASHA/67.2)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 1795.48 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।
Dengue NS1 antigen kit (NDCP.2.67.DS.1/67.4)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 197.00 लाख का उपयोग/व्यय, प्रदेश में स्थापित/क्रियाशील एस0एस0एच0 लैब हेतु 1 से 5 दिन तक डेंगू के सम्भावित बुखार के मरीजों की जांच एलाइजा विधि द्वारा कराये जाने के लिये आवश्यक एनएस 1 एलाइसा किट्स (96 well/Kits) के क्रय हेतु नियमानुसार किया जाना है।
Apex Referral Labs recurrent (NDCP.2.67.SRRE .1/ 67.6)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 6.00 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।
Sentinel surveillance Hospital recurrent (NDCP.2.67.SRRE.2/ 67.7)	इस मद के अंतर्गत प्रदेश में डेंगू एवं चिकनगुनिया की जांच हेतु स्थापित 86 सेन्टीनल सर्विलेन्स हॉस्पिटल लैब पूर्व में प्रेषित **(Annexure-02)** हेतु रू0 1.00 लाख प्रति सेन्टीनल सर्विलेन्स हॉस्पिटल की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 86.00 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।
IEC/BCC for Social mobilization (NDCP.2.67.IEC/67.8)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 22.00 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।
Inter-sectoral convergence (NDCP.2.67.OOC.2/ 67.9)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 4.75 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।
Monitoring/supervision and Rapid response (NDCP.2.67.PME.1/ 67.10)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 93.50 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा। उक्त के अतिरिक्त निर्देश निम्नवत् है– इसी मद में उपलब्ध धनराशि से **एन्टोमोलॉजिकल सर्विलांस हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्रों की प्रिंटिंग भी की जानी है।**
Epidemic preparedness (NDCP.2.67.PME.2/ 67.11)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 25.00 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।
Dengue & Chikungunya: Vector Control, environmental management (NDCP.2.67.OOC.3/ 67.13)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 834.765 लाख के उपयोग/व्यय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेगा। पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत **FMR code- NDCP.2.67.OOC.3 (Support for implementation of NVBDCP/ Dengue & Chikungunya)** में सम्पादित की जाने वाली गतिविधियॉ अब नवीन **FMR- Vector Control, environmental management (NDCP.2.67 .OOC.3/67.13)** के अन्तर्गत पूर्व की भांति यथावत सम्पादित की जायेंगी।
Cyphenothrin 5% EC NDCP.2.67. DS.3/67.15)	इस मद में FAMS पर आंवटित धनराशि रू0 75.00 लाख के उपयोग/व्यय, **Cyphenothrin 5% EC** कीटनाशक के क्रय हेतु किया जाना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत, **Cyphenothrin 5% EC** के निर्धारित तकनीकी मानक तथा भारत सरकार/राज्य सरकार के क्रय नियमों के अनुसार क्रय कर वेक्टर जनित रोगों के रोकथाम व नियंत्रण हेतु उपयोग किया जायेगा।

ए0ई0एस0–जे0ई0 रोग की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार हेतु बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के JE /AES Ward 12 and Ward 100 में कार्यरत् संविदा मानव संसाधन के लिये आवंटित धनराशि (New FMR code-HSS.9.184.C.S0760/185.C.S0760)

(New FMR code-HSS.9.184.C.S0760/ 185.C.S0760)	इस मद में मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट भार के अनुसार, ए0ई0एस0–जे0ई0 रोग की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार हेतु बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के JE /AES Ward 12 and Ward 100 में कार्यरत् संविदा कर्मियों के 12 माह के मानदेय हेतु FAMS पर रू0 460.31 लाख आवंटित है। आवंटित धनराशि से कार्यरत् संविदा कर्मियों को दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस/ Experience बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित (यदि लागू हो तो) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु FAMS पोर्टल पर अंकित डैप के सापेक्ष जनपदों द्वारा नियमानुसार किये गये व्यय की सूचना FAMS पोर्टल पर अंकित करना/कराना सुनिश्चित करें। राज्य स्तर से की जाने वाली समीक्षा वित्तीय वर्ष 2024–25 के डैप के सापेक्ष की जायेगी।

<u>महत्वपूर्ण बिन्दु–</u>

- **निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हुए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।**
- **FAMS Portal पर आंवटित धनराशि की सीमा के सापेक्ष ही व्यय की सूचना की अंकित करें, आंवटित धनराशि से अधिक व्यय की सूचना अंकित करना नियम विरूद्ध है।**
- **जनपद स्तर से आशा एवं आशा संगिनियों का ससमय भुगतान के सम्बन्ध में सी0पी0 अनुभाग द्वारा समय–समय पर प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।**
- **जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रकिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम 03 ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।**
- **उपरोक्त मानदेय की धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।**
- **आवंटित बजट के सापेक्ष बजट का जनपद स्तर पर कार्यरत् मानव संसाधन/पदों को ही वास्तविकता के आधार नियमानुसार ससमय मानदेय देय होगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।**
- **आउटसोर्स पदों पर कार्यरत् मानव संसाधन के EPF, ESI का ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।**
- **उपरोक्त आउटसोर्स पद का वेतन निर्धारण Current Applicable Minimum Wages Act, 1948 के अर्न्तगत समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।**

13. सर्पदंश नियंत्रण कार्यक्रमः–

आर0ओ0पी0 वर्ष 2024–25 में सर्पदंश नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष FAMS पर जनपदवार गतिविधिवार 12 माह हेतु आवंटित धनराशि के अनुसार उपयोग/व्यय किये जाने के लिये एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या–55/Snake bite./एन0पी0/2024–25/2299–2 दिनांक 24.07. 2024 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश संलग्नक सहित प्रेषित किये गये हैं, जिनका संज्ञान लेने का कष्ट करें। संक्षिप्त दिशा–निर्देश निम्नवत हैंः–

<table>
<tr><th>मद</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td colspan="2">प्रदेश में सर्पदंश नियंत्रण कार्यक्रम को सुचारू रूप से क्रियान्वित किये जाने हेतु सम्बन्धित गतिविधियों के सम्पादन का समस्त उत्तरदायित्व आई0डी0एस0पी0 इकाई, इपिडैमियोलोजिस्ट व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वैक्टर बॉर्न) का है। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वैक्टर बॉर्न) है जिन्हें जिला सर्विलॉन्स अधिकारी व ऐपिडेमियोलोजिस्ट द्वारा सहयोग किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>प्रशिक्षण–एफ0एम0आर0 कोड–FMR Code – 200.1</td><td>जनपद स्तर–इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग जनपद में सर्पदंश कार्यक्रम के प्रति क्रियाशील व उपचार प्रदान कर रही इकाइयों के चिकित्साधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, व बी0सी0पी0एम0 की क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने में किया जायेगा। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को Snake bite कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्गत किये गये गाइडलाइन्स के अनुसार उपचार प्रदान करने पर विशेष रूप से ध्यानाकर्षण किया जायेगा व तदनुरूप ही प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु प्रति बैच 30 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। इस हेतु प्रति बैच धनराशि रू–18975 की धनराशि आवटित की जा रही है जिसका विवरण निम्नांकित तालिका में है:–
<table>
<tr><th colspan="6">Training Cost at District</th></tr>
<tr><th>Sl No</th><th>Particulars</th><th>Rate</th><th>No of Participants</th><th>Days</th><th>Total Amount</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Food for Participants</td><td>250</td><td>30</td><td>1</td><td>7500</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Food for Trainers</td><td>150</td><td>4</td><td>1</td><td>600</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Honorarium to Trainers</td><td>600</td><td>4</td><td>1</td><td>2400</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Contingency (Printing, etc)</td><td>200</td><td>30</td><td>1</td><td>6000</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sub Total</td><td></td><td></td><td></td><td>16500</td></tr>
<tr><td></td><td>Institutional Overheads</td><td>15%</td><td></td><td></td><td>2475</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td></td><td></td><td></td><td>18975</td></tr>
</table>
चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल कर्मियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अपनी इकाई के अन्य चिकित्सकीय, पैराचिकित्सा कर्मियों व क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की क्षमता संवृद्धीकरण किया जायेगा। मण्डलीय/जनपदीय पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जनपदों द्वारा अपने प्रशिक्षण कार्ययोजना से राज्य मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा ताकि राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया जा सके।</td></tr>
<tr><td>मोबिलिटी .
FMR Code – 200.2</td><td>जनपद स्तर–उक्त मद में रू0–50000/– वार्षिक की धनराशि आवंटित की गई है। उक्त धनराशि का उपयोग कार्यक्रम की सर्विलॉन्स से सम्बन्धित गतिविधियों के सम्पादन, टी0ए0/डी0ए0 के भुगतान में किया जायेगा। जिसका उपयोग जिला सर्विलास इकाई द्वारा केस इन्वेस्टीगेशन व अन्य सर्विलॉन्स गतिविधियों के पर्यवेक्षण हेतु, जनपद की इम्पैन्लड एजेन्सी से दैनिक दर पर गाड़ी को किराये पर लेने हेतु उपयोगित किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>प्लॉनिंग मॉनिटरिंग एण्ड इवेल्यूवेशन PME</td><td>वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु भारत सरकार के स्तर से सर्पदंश कार्यक्रम के सुचारू सफल संचालन हेतु मद में स्वीकृत रू0 20.60 लाख की धनराशि का उपयोग निम्न गतिविधियों के सम्पादन में राज्य एवं जनपद स्तर पर किया जाना है</td></tr>
<tr><td>समीक्षा बैठक
PME 1
FMR Code– 200.3</td><td>इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग कार्यक्रम की प्रगति हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में छमाही समीक्षा बैठक हेतु किया जायेगा।
मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में आहूत की जाने वाली छमाही समीक्षा बैठक में सर्पदंश कार्यक्रम के प्रति क्रियाशील इकाइयों के प्रभारियों, चिकित्सक, फार्मसिस्ट व कार्यक्रम में कार्य कर रही स्टॉफ नर्स द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। इस</td></tr>
</table>

	बैठक में जनपद स्तरीय प्रशिक्षक को भी अवश्य आमंत्रित किया जाए। इस हेतु सकल धनराशि रू0–2000/– ऑवटित की गयी है, जिसका प्रयोग बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों के सूक्ष्म जलपान हेतु किया जायेगा। इस बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों के कार्यक्रम के प्रति क्षमता वृद्धिकरण तथा शंका निवारण किये जाने हेतु भी उपयोगित किया जा सकेगा। उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त ई0मेल rabiesup@gmail.com पर बैठक समाप्त होने के उपरान्त आगामी 03 कार्य दिवसों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
आपरेशनल व्यय FMR PME 2 Code – 200.4	जनपद स्तर– सर्पदंश कार्यक्रम के अर्न्तगत उक्त मद में कार्यक्रम के सुचारू सफल संचालन हेतु कार्यालय प्रयोग में होने वाले छोटे व्यय यथाः इंटरनेट रिचार्ज/एन्टी वायरस/स्टेशनरी/डॉगल व अन्य अनुसांगिक व्यय हेतु 12 माह हेतु प्रति जनपद रू0–24000/–(रू0 चौबीस हजार मात्र) का बजट अवमुक्त किया गया है। उपरोक्त धनराशि का उपयोग आई0डी0एस0पी0 से इकाई द्वारा सर्पदंश कार्यक्रम के अर्न्तगत ऑफिस एवं प्रसाशनिक व्यय हेतु किया जा सकेगा।

<u>महत्वपूर्ण बिन्दु–</u>

- निर्देशित किया जाता है कि कार्यकम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन०एच०एम० के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हुए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- FAMS Portal पर आंवटित धनराशि की सीमा के सापेक्ष ही व्यय की सूचना की अंकित करें, आंवटित धनराशि से अधिक व्यय की सूचना अंकित करना नियम विरूद्ध है।
- जनपद स्तर से आशा एवं आशा संगिनियों का ससमय भुगतान के सम्बन्ध में कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग द्वारा समय–समय पर प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद द्वारा यह सुनिशिचित किया जायेगा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार आवंटन की सीमा तक संगत मद में FAMS Portal पर व्यय विवरण अंकित किया जायेगा। किसी भी दशा में आवंटन की सीमा के ऊपर व्यय नहीं किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ०ई०एम० जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।
- राज्य स्तर/जनपद स्तर से आंवटित की जाने वाली समस्त लैब मैटिरियल/कन्जूमेबिलस का आंवटन निक्षय औषधि पर उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। अतः निक्षय औषधि पर समस्त टी०यू०/डी०एम०सी० के द्वारा आवंटन के सापेक्ष उपयोगित का विवरण ससमय अंकित कराना सुनिश्चित करें, जिससे उपरोक्त का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा सकें।
- संविदा पर मानव संसाधन मद में आवंटित बजट के सापेक्ष जनपद स्तर पर कार्यरत/वास्तविक मानव संसाधन/पदों को ही नियमानुसार ससमय मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

20. गैर संचारी रोग कार्यक्रम

20.1 नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डर्ली

नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एल्डर्ली के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में होने वाली निम्न गतिविधियों में होने वाले व्यय की दरों को निम्नानुसार अनुमोदित किया है जिनके अनुसार ही कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में नवीन एफ0एम0आर0 में आवंटित धनराशि निम्नवत् हैं:–

जिला अस्पताल हेतुः–

- प्रदेश के समस्त जनपदों हेतु **Old FMR NCD.3.99.EQ and New FMR Code-99.1** Machinery & Equipments For DH मद पर रू0 1.50 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।
- प्रदेश के समस्त जनपदों हेतु **Old FMR NCD.3.102.IEC.1 and New FMR -102.1 Public Awareness & IEC for NPHCE** पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष जनपद को रू0 2.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आंवटित की गई है, जिससे कार्यक्रम के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु बैनर, पोस्टर, पैम्फेल्ट, साइनेज इत्यादि का मुद्रण जनपदों द्वारा नियमानुसार किया जायेगा। साथ ही पूर्व वर्षों की भांति दिनांक **01 अक्टूबर, 2024** को International Days of Older Person के रूप में मनाया जाता है, जिसमें International Days of Older Person के उपलक्ष में जनपद की प्रत्येक स्वास्थ्य इकाईयों में पूर्ण तैयारियों के साथ कार्यक्रम के प्रति जनमानस में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा साथ ही रैली/पोस्टर प्रतियोगिता/निबंध प्रतियोगिता/ हस्ताक्षर अभियान/गोष्ठी/मानव श्रंखला आदि गतिविधियों के आयोजन के साथ–साथ एन0सी0डी0 स्क्रीनिंग, नेत्र, मानसिक स्वास्थ्य, न्यूरो, आर्थोपेडिक, दंत, नाक, कान एवं गले के परीक्षण हेतु कैम्प का आयोजन भी किया जायेगा। उपरोक्त गतिविधि का संचालन/क्रियान्वयन की पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जनपदीय नोडल अधिकारी एन0पी0एच0सी0ई0 की होगी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतुः–

- **Old FMR NCD.3.100.EQ and New FMR- 100.1 Machinery & Equipment For CHC** मद पर भारत सरकार द्वारा रू0 0.50 लाख प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की धनराशि आवंटित की गयी है, जिसका विवरण आंवटन शीट पर उपलब्ध है।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस तथ्य का विशेष ध्यान देना है कि मदवार आवंटित धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायें।
- National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में जिला–स्वास्थ्य–समिति को जारी की गयी धनराशि का उपभोग कार्यक्रम के हित में 31 मार्च, 2025 के पूर्व कर लिया जाये।
- National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार के स्तर से निर्गत Operational Guidelines of NPHCE के अनुसार ही किया जायेगा।
- जनपदों में कार्यक्रम का संचालन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थापित जिला एन0सी0डी0सेल के द्वारा की जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने अधीन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 नामित करेगें। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उक्त कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन जनपद में सुनिश्चित करें।
- जिला स्तरीय 10 बेडेड जीरियाटिक यूनिट एवं ओ0पी0डी0 क्लीनिक में प्रशासनिक/वित्तीय नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से एवं क्लीनिकल कार्यो पर नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी Operational Guidelines of NPHCE में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगें।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला–स्वास्थ्य–समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग Operational Guidelines of NPHCE में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेगें तथा क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय–प्रक्रिया के अनुसार जिला–स्वास्थ्य–समिति के माध्यम से नियमानुसार करेगें।

- National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में जिला–स्वास्थ्य–समिति को जारी की गयी धनराशि का मदवार विवरण संलग्न है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

अन्य निर्देश–

- जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत इपिडिमियोलॉजिस्ट द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेषित की जाने वाली मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट का इपिडिमियोलॉजिकल स्टडी करते हुए उक्त रिपोर्ट को राज्य स्तर पर प्रेषित करेंगें।
- जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा इपिडिमियोलॉजिस्ट/जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार को सहयोग प्रदान करने के साथ–साथ जनपद में कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनपद स्तरीय भ्रमण एवं समस्त रिर्पोटिंग इत्यादि का कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
- जिला एन0सी0डी0सेल में कार्यरत जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार द्वारा एन0पी0एच0सी0ई0 कार्यक्रम का समस्त वित्तीय कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- जिला एन0सी0डी0 सेल/क्लीनिक में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा जिला एन0सी0डी0 सेल से सम्बन्धित समस्त रिपोर्ट (मासिक/त्रैमासिक) समसय राज्य एन0सी0डी0 सेल को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।

वित्तीय प्रबन्धन

- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासना देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 में DHAP के सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डर्ली कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुये PFMS Portal के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सकें।

प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, नोडल अधिकार, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डर्ली कार्यक्म एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय/भुगतान किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डर्ली कार्यक्म के अंतर्गत मानव संसाधनः–

1. **Rehabilitation Worker मद सं0 185.C.S0560** पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत Rehabilitation Worker हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 18,000.00 की दर से स्वीकृत है तथा पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय हेतु एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय Experience Bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

कार्यदायित्व

1) फिजियोथेरेपी सेवाओं की आवश्यकता वाले रोगियों का प्रबंधन और देखभाल करना।
2) शैय्याग्रस्त रोगियों को फिजियोथेरेपी सेवाएं प्रदान करने के लिए गृहस्वास्थ्य निरीक्षण करना।
3) एन0सी0डी रोगों के जोखिम कारकों के बारे में रोगी और उनके परिवार को परामर्श देना।
4) संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया कोई अन्य कार्य।

2. Consultant Medicine मद सं0 185.C.S0194 पर वित्तीय वर्ष 2024–25 भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 में प्राप्त नवीन पदों के मानदेय हेतु प्रविधानित रू0 3,00,000.00 पर अनुमोदन प्राप्त हुआ है तथा पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मूल मानदेय रु0 1,50,000.00 की दर से स्वीकृत है।

अवगत कराना है कि पूर्व से कार्यरत Consultant Medicine पद हेतु नियुक्ति मानदेय के अनुसार तथा एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप कार्यरत 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि एवं नियमतः देय Experience Bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023–24 में बिडिंग मॉडल के माध्यम से नियुक्त Consultant Medicine को नियुक्ति के आधार पर जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है तथा Consultant Medicine के रिक्त पदों की भर्ती बिडिंग मॉडल के माध्यम राज्य से की जायेगी।

कार्यदायित्व

1) वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की जांच और प्रबंधन करना।
2) जीरियाट्रिक वार्ड में भर्ती वृद्ध रोगियों को देखभाल प्रदान करना।
3) वृद्ध रोगियों का समय–समय पर फॉलोअप करना।
4) समय–समय पर पीएचसी/सीएचसी और अन्य स्वास्थ्य इकाइओं पर वृद्धावस्था शिविरों की योजना बनाना और उनका प्रबंधन करना।
5) जटिल मामलों को तृतीयक स्तर के चिकित्सालय/क्षेत्रीय जीरियाट्रिक केंद्रों में संदर्भित करना।
6) राष्ट्रीय एन0सी0डी0 सेल द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
7) जिला स्तर पर कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों का मूल्याकंन एवं अनुश्रवण करना।

3. Staff Nurse मद सं0 185.C.S0019 पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत Staff Nurse हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 20,000.00 की दर से स्वीकृत है तथा पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय हेतु एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय Experience Bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

कार्यदायित्व

1) ओपीडी में आने वाले और वृद्धावस्था वार्ड में भर्ती वृद्ध रोगियों के प्रबंधन और अनुवर्ती कार्रवाई (फालोअप) में चिकित्सा अधिकारियों/परामर्शदाताओं की सहायता करना।
2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य स्वास्थ्य इकाइओं पर वृद्धावस्था शिविरों की योजना और प्रबंधन में सहायता करना।
3) एन0सी0डी0 रोगों के जोखिम कारकों के बारे में रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों को परामर्श देना।

4. Physiotherapist मद सं0 185.C.S0085 पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत Physiotherapist हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 20,000.00 की दर से स्वीकृत है तथा पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय हेतु एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय Experience Bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

कार्यदायित्व

1) फिजियोथेरेपी सेवाओं की आवश्यकता वाले रोगियों का प्रबंधन और देखभाल करना।
2) शैययाग्रस्त रोगियों को फिजियोथेरेपी सेवाएं प्रदान करने के लिए गृहस्वास्थ्य निरीक्षण करना।
3) एन0सी0डी के जोखिम कारकों के बारे में रोगी और उनके परिवार को परामर्श देना।
4) संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया कोई अन्य कार्य।

5. **Hospital Attendant मद सं0 185.C.S0805** पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत Hospital Attendant हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 10089.00 की दर से स्वीकृत है।

अवगत कराना है कि पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय हेतु एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप नियमतः देय GST, ESI,Service Charge & EPF जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है। तथा **जनपद स्तर पर (जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से)** Hospital Attendant के रिक्त पदों **की नियुक्ति नियमानुसार एजेन्सी (Out Source) के माध्यम से की जानी है** एवं जनपद द्वारा नवीन नियुक्त कर्मी के मानदेय (GST, ESI,Service Charge & EPF) की गणना कर राज्य स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी तद्उपरान्त राज्य स्तर द्वारा जनपद से प्राप्त मांग पत्र के अनुसार मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

- **Hospital Attendant योग्यता Matriculation (दसवीं) होगी तथा 2 Year experience of working in a Hospital होना अनिवार्य है।**

6. **Sanitary Attendant मद सं0 185.C.S0810** पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत Sanitary Attendant हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 10089.00 की दर से स्वीकृत है

अवगत कराना है कि पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय हेतु एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय GST, ESI,Service Charge & EPF जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है। तथा **जनपद स्तर पर (जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से) Sanitary Attendant** के रिक्त पदों **की नियुक्ति नियमानुसार एजेन्सी (Out Source) के माध्यम से की जानी है** एवं जनपद द्वारा नवीन नियुक्त कर्मी के मानदेय (GST, ESI,Service Charge & EPF) की गणना कर राज्य स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी तद्उपरान्त राज्य स्तर द्वारा जनपद से प्राप्त मांग पत्र के अनुसार मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

- Sanitary Attendant **योग्यता Matriculation (दसवीं) होगी तथा 2 Year experience of working in a Hospital होना अनिवार्य है।**

कार्यदायित्व

1) ओ0पी0डी और जीरियाट्रिक वार्ड में स्वच्छता बनाए रखना।
2) रोगियों को पर्याप्त स्वच्छता देखभाल प्रदान करना।
3) संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया कोई अन्य कार्य।

वित्तीय प्रबन्धन

- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेश एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।

- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 में DHAP के सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डर्ली कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुये PFMS Portal के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सकें।
- नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डर्ली कार्यक्रम के अन्तर्गत SHS द्वारा DHS को आवंटित धनराशि कार्यरत संविदा एवं एजेन्सी कर्मियों के मानदेय मद में मात्र Budgetry अनुमोदन प्रदान करता है सम्बन्धित DHS द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एन0एच0एम0 के मानकानुसार प्रचलित नियमों के अनुरूप कार्यरत संविदाकर्मी एवं एजेंसी कर्मियों को नियमतः वर्तमान में मानदेय आहरण के लिये Minimum Wages act u.p का अनुपालन शत–प्रतिशत सुनिश्चित करते हुये मानदेय आरहण किया जायेगा।
- एजेन्सी कर्मियों के ई0पी0एफ0, जी0एस0टी0, ई0एस0आई0 एवं सर्विस चार्ज का नियमतः भुगतान की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित DHS की होगी अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक जबाबदेही/विविध कार्यवाही की जिम्मेदरी भी सम्बन्धित DHS की होगी।

प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, नोडल अधिकारी, एन0पीएच0सी0ई0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत मानदेय आहरण किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये मानदेय आरहण किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

21.2 नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिऐटिव केयर कार्यक्रम

नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिऐटिव केयर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में होने वाली निम्न गतिविधियों में होने वाले व्यय की दरों को निम्नानुसार अनुमोदित किया है जिनके अनुसार ही कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में नवीन एफ0एम0आर0 में आवंटित धनराशि निम्नवत् हैं :–

Old FMR NCD.9.119.IEC.1–New FMR- 119.2 IEC for District:-

उक्त मद में प्रचार–प्रसार हेतु रू0 1.00 लाख की धनराशि प्रति जनपद की दर से कार्यक्रम से आच्छादित समस्त 45 जनपदों हेतु आंवटित की गयी है, अवमुक्त धनराशि का उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में गाइडलाइन के अनुसार ही प्रचार–प्रसार सामग्री के मुद्रण हेतु किया जायेगा।

Old FMR NCD.9.119.PME–New FMR 119.4 Misc. Travel / POL/ Stationery / Communication etc:-

उक्त मद में Misc. Travel/POL/Stationery/Communication हेतु रू0 1.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आंवटित की गयी है, अवमुक्त धनराशि का उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में गाइडलाइन के अनुसार ही किया जायेगा।

Old FMR NCD.9.119.DS–New FMR -119.1 Drugs for NPPC:-

उक्त मद में औषधियों हेतु रू0 1.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आंवटित की गयी है, जिसके क्रम में पैलिऐटिव केयर के मरीजों को उपचार हेतु मॉरफीन औषधि अत्यंत आवश्यक है, जिसकी उपलब्धता प्रत्येक दशा में किया जाना अनिवार्य है, अतः कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा समस्त क्रय एवं अन्य लागू नियमों एवं उपनियमों का पालन करते हुये औषधियों का क्रय किया जायेगा तथा उक्त औषधि के भण्डार, वितरण इत्यादि एवं गलत इस्तेमाल को रोकन हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा 01 चिकित्साधिकारी को नामित किया जायेगा।

1. जनपदों में कार्यक्रम का संचालन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थापित जिला एन0सी0डी0 सेल के द्वारा की जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने अधीन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 नामित करेगें। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उक्त कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन जनपद में करायें।
2. जनपद में उक्त कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रशासनिक / वित्तीय नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से एवं क्लीनिकल कार्यो पर नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी Operational Guidelines of NPPC में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगें।

3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला–स्वास्थ्य–समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग Operational Guidelines of NPPC में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेगें तथा क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय–प्रक्रिया के अनुसार जिला–स्वास्थ्य–समिति के माध्यम से नियमानुसार करेगें।

अन्य निर्देशः–

1. भारत सरकार स्तर से प्रदत्त ऑपरेशनल गाइडलाइन में दिये गये त्रैमासिक प्रारूप पर ससमय राज्य पैलिएटिव केयर सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 की ई–मेल– state.nodal.nppc@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।
2. जिला नोडल अधिकारी कार्यक्रम के अर्न्तगत मदवार एवं गतिविधिवार आवंटित धनराशि का नियमानुसार प्रत्येक दशा में मार्च, 2025 तक शत–प्रतिशत व्यय कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत इपिडिमियोलॉजिस्ट द्वारा एन0पी0पी0सी0 की प्रेषित की जाने वाली मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट का इपिडिमियोलॉजिकल स्टडी करते हुए उसकी मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करेंगें।
4. जिला एन0सी0डी0सेल में कार्यरत जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार द्वारा एन0पी0पी0सी0 कार्यक्रम का वित्तीय कार्य सम्पादित किया जायेगा।
5- (प्रत्येक जनपद में नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर (एन0पी0पी0सी0) हेतु एक ई मेल बनाने का कष्ट करें यथा–nppc (Name of District)@gmail) उदाहरण के लिए–nppcayodhya@gmail.com
6. जिला एन0सी0डी0 सेल द्वारा प्रत्येक तिमाही प्रेषित की जाने वाली त्रैमासिक रिपोर्ट अगले माह की 05 तारीख को ई–मेल–state.nodal.nppc@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।

वित्तीय प्रबन्धन

- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासना देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 में DHAP के सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिऐटिव केयर कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुये PFMS Portal के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सकें।

प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, नोडल अधिकार, नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिऐटिव केयर कार्यक्रम एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय/भुगतान किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिऐटिव केयर कार्यक्रम के अंतर्गत मानव संसाधनः–

1- **Physician मद सं0 185.C.S0193** पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत Physician के पद हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 1,00,000.00 की दर से स्वीकृत है।

अवगत कराना है कि **जनपद स्तर से फिजीशियन की नियुक्ति District Walk-in के माध्यम से नियमानुसार की जानी है।** तथा नवीन नियुक्त कर्मी के मानदेय की गणना करते हुए सूचना राज्य स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी तदोपरान्त राज्य स्तर द्वारा जनपद से प्राप्त मांग पत्र के अनुसार मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

- फिजीशियन की योग्यता MBBS एवं Equivalent Degree from Institution recognized by Medical Council of India तथा 01 year working Experience in a hospital.

कार्यदायित्व

क) ओपीडी/आईपीडी में उपशामक देखभाल (पैलिऐटिव केयर) की आवश्यकता वाले रोगियों की जांच और प्रबंधन करना।

ख) गंभीर रोगियों को उच्च देखभाल सुविधा हेतु संदर्भित करना।

ग) रोगियों को अनुवर्ती (फालोअप) उपशामक देखभाल (पैलिऐटिव केयर) प्रदान करना।

घ) यदि आवश्यक हो तो घर–आधारित उपशामक देखभाल (पैलिऐटिव केयर) प्रदान करना।

ड़) सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और जिला अस्पताल/सीएचसी/पीएचसी के अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को बुनियादी उपशामक देखभाल (पैलिऐटिव केयर) कौशल प्रदान करना।

च) संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया कोई अन्य कार्य।

2. **Staff Nurse मद सं0 185.C.S0017** पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में कार्यरत Staff Nurse हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 20,000.00 के साथ ही पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय में एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय Experience Bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

कार्यदायित्व

क) उपशामक देखभाल (पैलिऐटिव केयर) क्लिनिक/ओपीडी में आने वाले मरीजों और वार्ड में भर्ती मरीजों के प्रबंधन और अनुवर्ती (फालोअप) में चिकित्सक की सहायता करना।

ख) यदि आवश्यक हो तो, घर–आधारित उपशामक देखभाल (पैलिऐटिव केयर) प्रदान करना।

ग) सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और जिला अस्पताल/सीएचसी/पीएचसी के अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को बुनियादी उपशामक देखभाल (पैलिऐटिव केयर) नर्सिंग कौशल प्रदान करना।

घ) संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया कोई अन्य कार्य।

1- **Multi-task Worker मद सं0 185.C.S0800** भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत Multi-task Worker हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 12432.00 की दर से स्वीकृत है तथा **जनपद स्तर (जिला स्वास्थ्य समिति) से Multi-task Worker की नियुक्ति नियमानुसार एजेन्सी (Out Source) के माध्यम से की जानी है** एवं जनपदों द्वारा नवीन नियुक्त कर्मी के मानदेय (GST, ESI,Service Charge & EPF) की गणना कर राज्य स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी तद्उपरान्त राज्य स्तर द्वारा जनपद से प्राप्त मांग पत्र के अनुसार मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

- **Multi-task Worker योग्यता Higher Secondary from a recognized education Board or Equivalent (बारहवीं) होगी तथा 01 Year experience of working in a Hospital होना अनिवार्य है।**

अवगत कराना है कि **जनपद स्तर (जिला स्वास्थ्य समिति) से Multi-task Worker की नियुक्ति नियमानुसार एजेन्सी के माध्यम से की जानी है** तथा नवीन नियुक्त कर्मी के मानदेय (GST, ESI,Service Charge & EPF) की गणना कर राज्य स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी तद्उपरान्त राज्य स्तर द्वारा जनपद से प्राप्त मांग पत्र के अनुसार मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

कार्यदायित्व

क) उपशामक देखभाल (पैलिऐटिव केयर) क्लीनिक/ओपीडी में आने वाले मरीजों और वार्ड में भर्ती मरीजों के प्रबंधन और अनुवर्ती (फालोअप) में चिकित्सक की सहायता करना।

ख) यदि आवश्यक हो तो घर–आधारित उपशामक देखभाल (पैलिऐटिव केयर) प्रदान करने में चिकित्सकों और नर्सों की सहायता करना।

ग) संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया कोई अन्य कार्य।

वित्तीय प्रबन्धन

- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेश एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 में DHAP के सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिऐटिव केयर कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- **जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुये PFMS Portal के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सकें।**
- नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिऐटिव केयर कार्यक्रम के अन्तर्गत SHS द्वारा DHS को आवंटित धनराशि कार्यरत संविदा एवं एजेन्सी कर्मियों के मानदेय मद में मात्र Budgetry अनुमोदन प्रदान करता है सम्बन्धित DHS द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एन0एच0एम0 के मानकानुसार प्रचलित नियमों के अनुरूप कार्यरत संविदाकर्मी एवं एजेंसी कर्मियों को नियमतः वर्तमान में मानदेय आहरण के लिये Minimum Wages act U.P का अनुपालन शत–प्रतिशत सुनिश्चित करते हुये मानदेय आरहण किया जायेगा।
- एजेन्सी कर्मियों के ई0पी0एफ0, जी0एस0टी0, ई0एस0आई0 एवं सर्विस चार्ज का नियमतः भुगतान की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित DHS की होगी अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक जबाबदेही/विविध कार्यवाही की जिम्मेदरी भी सम्बन्धित DHS की होगी।

प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, नोडल अधिकारी, एन0पी0पी0सी0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत मानदेय आहरण किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये मानदेय आरहण किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

20.3 राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम

राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में होने वाली निम्न गतिविधियों में होने वाले व्यय की दरों को निम्नानुसार अनुमोदित किया है जिनके अनुसार ही कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में नवीन एफ0एम0आर0 में आवंटित धनराशि निम्नवत् हैं :–

1. **Screening of Deafness(Capacity building incl. training), New FMR- 121.1 अथवा Old FMR-NCD.11.121.CB-** इस मद के बजट फॉट से जनपदों में भारत सरकार की आपरेशनल गाइडलाईन के अनुसार जनपद के बाल रोग एवं महिला रोग विशेषज्ञ का एक दिवसीय, स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारी का दो दिवसीय, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं सुपरवाइजरों का एक दिवसीय, ग्रास रूट लेवल स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, आंगनवाणी कार्यकर्ता, ट्रेन्ड बर्थ अटेन्डेन्ट इत्यादि का एक दिवसीय और प्राइमरी स्कूल टीचर तथा बधिरता से ग्रसित बच्चों के अभिभावकों का एक दिवसीय सेन्सीटाइजेशन ट्रेनिंग अनुमोदित है।

- बजट फॉट में 19 जनपदों को ट्रेनिंग हेतु 02 लाख रूपये दिये गये हैं उनके द्वारा आपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार अभी तक छूटे हुए प्रशिक्षण को पूर्ण कर लिया जाये।
- बजट फॉट में 56 जनपदों को ट्रेनिंग हेतु 03 लाख रूपये दिये गये हैं उनके द्वारा आपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार 01 दिवसीय बाल रोग एवं महिला रोग विशेषज्ञ एवं 02 दिवसीय स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण जनपद के ई0एन0टी0 सर्जन द्वारा जिला स्तर पर एवं ब्लाक स्तर पर कार्यरत स्टाफ नर्स/सी0एच0ओ0, ए0एन0एम0, ऑगनवाणी सुपरवाइजर तथा सी0डी0पी0ओ0 का 01 दिवसीय सेन्सीटाइजेशन प्रशिक्षण (Refresher Training) स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी द्वारा ब्लाक स्तर पर किया जायेगा।

2- **Management of Deafness (IEC & Printing), New FMR- 122.1 अथवा Old NCD.11.122.IEC**-

सम्बन्धित 75 जनपदों के लिए प्रति जनपद रू0 2.00 लाख की धनराशि अनुमोदित है, जो जनपद स्तर पर आई0ई0सी0/बी0सी0सी0 गतिविधि में भारत सरकार की आपरेशनल गाइड लाईन के अनुसार व्यय की जायेगी।

कार्यक्रम की आपरेशनल गाइडलाईन, संविदा कर्मी भर्ती हेतु टी0ओ0आर0, ट्रेनिंग माड्यूल, साउण्ड प्रूफ रूम एवं उपकरणो के मानक इत्यादि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के वेवसाइट www.mohfw.nic.in ij Major Programme > Non-Communicable diseases, Injury and Trauma > Non Communicable diseases- 1 > NPPCD > Operational Guideline for 12th Plan के लिंक पर भी उपलब्ध है।

वित्तीय प्रबन्धन

- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासना देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 में DHAP के सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुये PFMS Portal के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सकें।

प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, नोडल अधिकार, राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय/भुगतान किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन

1. ई0एन0टी0 सर्जन मद सं0 185.C.S0214 पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत ई0एन0टी0 सर्जन हेतु मानदेय रू0 3,00,000.00 की दर से स्वीकृत है, तथा जनपद रामपुर में पूर्व से कार्यरत ई0एन0टी0 सर्जन को मूल मानदेय रु0 80,000.00 की दर से स्वीकृत है साथ ही एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि एवं नियमतः देय Experience Bonus सहित धनराशि आवंटित की गयी है। उपरोक्त रिक्त पदों की भर्ती बिडिंग के माध्यम से की जानी है तथा जनपद स्तर से ई0एन0टी0 सर्जन की नियुक्ति के उपरान्त नियुक्ति तिथि से मानदेय की गणना करते हुए सूचना राज्य स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी तद्पोरान्त राज्य स्तर द्वारा जनपद से प्राप्त मांग पत्र के अनुसार मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

कार्य दायित्वः–

- जिला स्तर पर कान की देखभाल के लिए उपलब्ध संसाधनों तथा बधिर/श्रवण बाधित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर माइक्रोप्लान तैयार करना।
- सरकारी सुविधाओं के उपयोग, गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कार्यक्रम का समग्र कार्यान्वयन।
- कार्यक्रम गतिविधियों की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण के साथ–साथ एन0पी0पी0सी0डी0 कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्य को मासिक एवं त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करना तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का मासिक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना।
- वित्तीय एवं कार्यक्रम के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबन्धन करना।
- समाजिक लामबंदी और जन–जागरूकता।
- स्वास्थ्य और अन्य संबंधित क्षेत्रों के विभिन्न पदाधिकारियों का उन्मुखीकरण।
- उपकरणों और अन्य सामग्रियों की खरीद में सहयोग प्रदान करना।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से स्क्रीनिंग शिविरों की व्यवस्था।
- जिला अस्पताल में ईएनटी क्लीनिकल/सर्जिकल सेवाएं प्रदान करना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- आईईसी गतिविधियों का पर्यवेक्षण।
- जनपद में कार्यक्रम के हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करना।

2. ऑडियोलॉजिस्ट (ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट) मद सं0 185.C.S0555 पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑडियोलॉजिस्ट पद हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 30,000.00 की दर से स्वीकृत है तथा पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय हेतु एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय Experience Bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

कार्य दायित्वः–

- ई0एन0टी0 सर्जन के सहयोग से आडियोलॉजिकल सेवायें, वाणी–भाषा का मूल्यांकन और पुनर्वास एवं श्रवण सहायक उपकरण निर्धारित करना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमो मे सहायता प्रदान करना।
- कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन।

- डेटाबेस का रख–रखाव।
- मासिक एवं त्रिमासिक रिपोर्ट राज्य को प्रेषित करने में जिला नोडल अधिकारी की सहायता करना।
- जिला नोडल अधिकारी/ई0एन0टी0 सर्जन के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मासिक सहयोगात्क पर्यवेक्षण करना।
- जिला नोडल अधिकारी/ई0एन0टी0 सर्जन के सहयोग से आईईसी गतिविधियो/शिविरों का पर्यवेक्षण करना।

3. **ऑडियोमेट्रिक असिस्टेन्ट मद सं0 185.C.S0620** पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑडियोमेट्रिक असिस्टेन्ट हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 15,000.00 की दर से स्वीकृत है तथा पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय हेतु एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय Experience Bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

कार्य दायित्वः–

- ऑडियोलॉजिस्ट की देखरेख में ऑडियोलॉजिकल, स्पीच, भाषा की सेवाएं प्रदान करने में सहायता करना।
- श्रवण बाधित व्यक्तियों की स्क्रीनिंग के लिए निर्धारित तिथि पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सहयोग प्रदान करना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमो में सहायता करना।
- कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन में आडियोलॉजिस्ट को सहयोग प्रदान करना।
- ऑडियोलॉजिकल डेटाबेस का रख रखाव करना।

4. **इन्स्ट्रक्टर फार द यंग हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन मद सं0 185.C.S0625** पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑडियोमेट्रिक असिस्टेन्ट हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 15,000.00 की दर से स्वीकृत है तथा पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय हेतु एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय Experience Bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

कार्य दायित्वः–

- श्रवण बाधित बच्चों के लिए प्रशिक्षण, चिकित्सा और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
- डेटाबेस का रख रखाव करना।

<u>वित्तीय प्रबन्धन</u>

- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेश एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 में DHAP के सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- **जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुये PFMS Portal के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सकें।**
- राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम के अन्तर्गत SHS द्वारा DHS को आवंटित धनराशि कार्यरत संविदा एवं एजेन्सी कर्मियों के मानदेय मद में मात्र Budgetry अनुमोदन प्रदान करता है सम्बन्धित DHS द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एन0एच0एम0 के मानकानुसार प्रचलित नियमों के अनुरूप कार्यरत संविदाकर्मी एवं एजेंसी कर्मियों को नियमतः वर्तमान में

मानदेय आहरण के लिये Minimum Wages act u.p का अनुपालन शत–प्रतिशत सुनिश्चित करते हुये मानदेय आरहण किया जायेगा।

- एजेन्सी कर्मियों के ई0पी0एफ0, जी0एस0टी0, ई0एस0आई0 एवं सर्विस चार्ज का नियमतः भुगतान की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित DHS की होगी अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक जबाबदेही/विविध कार्यवाही की जिम्मेदारी भी सम्बन्धित DHS की होगी।

प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, नोडल अधिकारी, एन0पी0पी0सी0डी0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत मानदेय आहरण किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये मानदेय आरहण किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

20.4 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में होने वाली निम्न गतिविधियों में होने वाले व्यय की दरों को निम्नानुसार अनुमोदित किया है जिनके अनुसार ही कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में नवीन एफ0एम0आर0 में आवंटित धनराशि निम्नवत् हैं :–

- **New FMR- 97.1 old FMR code- NCD.2.97.CB** -Training of PHC Medical Officers, Nurses, Paramedical Workers & Other Health Staff working under NMHP**-** मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा–29 एवं धारा–31 के अनुपालन में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु इस मद में जनपद आगरा को रू0–60,000,00.00/(रूपये साठ लाख मात्र), जनपद वाराणसी को रू0–30,000,00.00/(तीस लाख़ मात्र) तथा जनपद बरेली को रू0–60,000,00.00/(रूपये साठ लाख मात्र) की धनराशि आवंटित की जा रही है।

- **New FMR Code FMR- 97.2 –Old FMR Code - NCD.2.97.OOC** Targeted interventions at community level Activities & interventions targeted at schools, colleges, workplaces, out of school adolescents, urban slums and suicide prevention**.** पर रूपये 8.00 लाख (रूपये आठ लाख मात्र) प्रति जनपद की धनराशि आवंटित की जा रही है जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्रम सं0	गतिविधि का नाम	प्रति गतिविधि दर (रूपया में)	कुल धनराशि (रूपया में)	कुल धनराशि (रूपया में)
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर वार्षिक वृहद शिविर	50,000.00	50,000.00X 8=400000.00	400000.00
2	मानसिक स्वास्थ्य दिवस	1,00,000.00	1,00,000.00 X 1 = 100000.00	100000.00
3	विद्यालय कार्यक्रम	10,000.00	10000X24=240000.00	240000.00
4	अरबन स्लम शिविर	5,000.00	60000.00	60000.00
5	दुआ से दवा तक	5,000.00		
6	स्ट्रेस मैनेजमेंट एट वर्क प्लेसेस	5,000.00		
7	उच्चाधिकारियों हेतु जन स्वास्थ्य एवं जनहित में आयोजित किये जाने वाले अन्य मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	5,000.00		
	कुल धनराशि		8,00,000.00	8,00,000.00

- **New FMR- 97.3 – Old FMR NCD.2.97.PME.3** Operational expenses of the district centre : rent, telephone expenses, website etc. इस मद पर वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रू0–10,000.00/जनपद की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

- **New FMR- 97.4 –Old FMR NCD.2.97.PME.4 Miscellaneous/Travel/Contingency**: इस मद पर वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु रू0 05.00 लाख प्रति जनपद का प्राविधान किया गया है।

- **New FMR- 97.5- Old FMR NCD.2.97.IEC.1 and FMR-New NCD 97.6 – Old NCD.2.97.IEC.2** Translation of IEC material and distribution रू0 2.00 लाख प्रति जनपद एवं Awareness generation activities in the community, school, workplaces with community involvement: रू0 2.00 लाख, प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य से जारी निर्देश पत्रांक– एन0सी0डी0/एन0एम0एच0पी0–Main file/ई0सी0/05–D/2022–23/1712 दिनांक 26/05/2023 में अनुमन्य भौतिक एवं वित्तीय दिशा–निर्देश के अनुरूप गतिविधियों को वित्तीय वर्ष 2024–25 में जनपदवार, मदवार आवंटित धनराशि का व्यय नियमतः सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर FAMS पर जनपदवार, मदवार धनराशि सम्बन्धित जनपदों को नियमतः व्यय हेतु आवंटित की जा रही है–

वित्तीय प्रबन्धन

- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासना देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 में DHAP के सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुये PFMS Portal के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सकें।

प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, नोडल अधिकार, एन0एम0एच0पी0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय/भुगतान किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्व नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधनः–

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन हेतु वित्तीय स्वीकृतियां कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक– 09/05/2024 को प्राप्त की जा चुकी है।

1. मद सं0 185.C.S0201 पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में कार्यरत मनोचिकित्सक हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 1,75,000.00 एवं रु0 1,50,000.00 की दर से साथ ही पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय में एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय Experience Bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

संपादित किये जाने वाले कार्य :–

- जिला चिकित्सालय में **सप्ताह में 03 दिवसों पर** ओ0पी0डी0 का कार्य संपादित किया जायेगा तथा **02 दिवसों पर** मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चयनित सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर ओ0पी0डी0 के कार्यो तथा **01 दिन** विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों/''दुआ से दवा तक'' आदि कार्यक्रमों का नैदानिक मनोवैज्ञानिक एंव साईकिएट्रिक सोशल वर्कर के सहयोग से संपादन किया जायेगा।

- 20 (10 महिला एवं 10 पुरूष) चिन्हित शैय्याओं पर भर्ती रोगियों के उपचार में सहयोग करना।
- जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0ई0सी0 कार्यक्रम का सफल संचालन करवाना।
- जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मनोरोगों से संबंधित समुचित औषधियों की व्यवस्था करवाना एवं अपनी देख रेख में औषधियों के समुचित रख–रखाव हेतु व्यवस्था करवाना।
- सप्ताह में होने वाले विकलांग बोर्ड/ऑटिज्म प्रमाणन बोर्ड में सहयोग करना एवं मानसिक विकलांगता/मंदबुद्धि का प्रमाण पत्र निर्गत करवाने में सहयोग प्रदान करना।
- जुवेनाइल जस्टिस कामेंटी (उच्च न्यायालय) के निर्देशों का अनुपालन में साप्ताहिक राज्य किशोर/किशोरी/बाल/बालिका एवं शिशु गृहों(बाल एवं महिला कल्याण विभाग के) का भ्रमण एवं उनका मानसिक उपचार किया जाना।
- जिला चिकित्सालय में स्थापित मन–कक्ष के सफल संचालन हेतु काउसंलर एवं साईकोलॉजिस्टों की क्षमतावर्द्धन करना।

2. मद सं0 185.C.S0535 पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में कार्यरत **नैदानिक मनोवैज्ञानिक** हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 60,000.00 एवं रिक्त पदों हेतु रू0 प्रतिमाह मूल मानदेय रू0 60,000.00 के साथ ही पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय में एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय Experience Bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

संपादित किया जाने वाला कार्य :–

- जिला चिकित्सालय में **सप्ताह में 03 दिवसों पर** ओ0पी0डी0 में मनोचिकित्सक के निर्देशों का अनुपालन करतें हुए मरीजों की मानसिक जांच एवं मनोवैज्ञानिक उपचार/काउंसलिंग सेवाएं प्रदान करना। सप्ताह में **02 दिवसों** को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चयनित सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर ओ0पी0डी0 में मनोचिकित्सक को मेंटेंल असिसमेंट इत्यादित में सहयोग तथा सप्ताह में 01 दिन स्कूल/विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों/दुआ से दवा आदि कार्यक्रमों में सेवाएं प्रदान करना।
- चयनित शैय्याओं/चिन्हित मानसिक रोगियों की आवश्यकतानुसार काउन्सलिंग एंव अन्य मनोवैज्ञानिक उपचार (मनोचिकित्सक के मार्गदर्शन में) प्रदान करना।
- जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0ई0सी0 कार्यक्रम का सफल संचालन करवाना।
- सप्ताह में होने वाले विकलांग बोर्ड/आजिटज़्म प्रमाणन बोर्ड में भागीदारी सुनिश्चित करतें हुयें मानसिक विकलांगता/मंदबुद्धि का प्रमाण पत्र निर्गत करवाने में सहयोग प्रदान करना।
- जुवेनाइल जस्टिस कामेंटी(उच्च न्यायालय) के निर्देशों का अनुपालन में साप्ताहिक राज्य किशोर/किशोरी/बाल/बालिका एवं शिशु गृहों (बाल एवं महिला कल्याण विभाग के) का भ्रमण एवं उनका मानसिक उपचार/काउंसलिंग सेवाएं प्रदान करना।
- जनपद में समय–समय पर जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रमों मे साईक्रेटिक सोशल वर्कर के साथ आवश्यकतानुसार कार्यक्रम को सफल बनाना जैसें कि विभागीय/ अर्न्तविभागीय/स्कूल/विद्यालय/ महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/शहरी क्षेत्रों/ग्रामीण क्षेत्रों/मलिन बस्तियों भ्रमण करते हुए जागरूकता एवं उपचार प्रदान करना।
- चयनित विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना।
- मन–कक्ष में निर्धारित दिवसों पर अपनी सेवाएं प्रदान करना एवं विभिन्न कार्यक्रमों में कार्यरत् काउंसलरों एवं साइकोलॉजिस्टों की क्षमतावर्द्धन किये जाने में सहयोग करना।
- यहॉ उल्लेखनीय है कि जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्यूनिटी लेविल साईकोलॉजिस्ट की नियुक्ति होगी उन स्वास्थ्य केन्द्रों पर भ्रमण के

दौरान क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट उन केन्द्रों पर नही जायेगी एवं पूर्व निर्धारित अन्य कार्यो का सम्पादन करेंगी।

- कार्यक्रम के अन्तर्गत मनोविज्ञान विभाग वाले चयनित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय में विद्यार्थियों को चरणबद्ध रूप में प्रशिक्षण प्रदान करना।
- जनपद मानसिक स्वास्थ्य के हित में उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदत्त अन्य कार्य।

3. मद सं0 185.C.S0571 पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में कार्यरत **साईकियाट्रिक सोशल वर्कर** हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 50,000.00 एवं रिक्त पदों हेतु रू0 प्रतिमाह मूल मानदेय रू0 50,000.00 के साथ ही पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय में एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय Experience Bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

<u>संपादित किया जाने वाला कार्यः–</u>

- समाज में मानसिक रोगों से संबंधित भ्रान्तियों को दूर करने हेतु आई0ई0सी0 के माध्यम से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित स्थलो पर शिविर लगवाना। जैसें कि विभागीय/अर्न्तविभागीय/स्कूल/विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/शहरी क्षेत्रों/ग्रामीण क्षेत्रों/मलिन बस्तियों में जागरूकता शिविरों का आयोजन करवाना।
- जनपद स्तरीय/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से आई0ई0सी0 गतिविधियों का संचालन करना।
- सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 भ्रमण के दिवसों पर संबधित क्षेत्र के आशा, ए.एन.एम., ग्राम प्रधान इत्यादि से संपर्क कर क्षेत्र के मनोरोगियों की सूचनाओं का संकलन एवं उनके परिवारजन के संवेदीकरण करना।
- जनपद में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों का चिन्हिकरण करते हुऐ उनका मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में सहयोग लेना।
- स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से मानसिक रोगियों के कल्याण एवं सहायता हेतु समय–समय पर कार्यक्रमों का आयोजन करवाना।
- जो मनोरोगी स्वस्थ होनें के उपरान्त बेघर एवं बेरोजगार रहते है उनके जीवन उपार्जन हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करनें का प्रयत्न करना। इस हेतु जनपद में कार्यरत स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग लेने का प्रयत्न करना।
- विद्यालय/विश्वविद्यालयों इत्यादि के प्रधानाचार्यों से संपर्क स्थापित करनें के उपरान्त वहां पर जागरूकता शिविर का आयोजन करना।
- साइक्याट्रिक सोशल वर्कर द्वारा योजनाबद्ध रूप में साईक्याट्रिक नर्स के सहयोग से वर्क–प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट, अर्बन स्लम शिविरों, सुसाइड प्रिवेंशन शिविर आदि का आयोजन किया जायेगा।
- जनपद के समस्त ऐसे स्थानों का चिन्ह्किरण करना जहॉ झॉड़–फूंक के माध्यम से मानसिक रोगों का उपचार किया जाता है। तद्ोपरान्त वहॉ के प्रभारी का संवेदीकरण करते हुये वहॉ दुआ से दवा तक शिविरों का आयोजन करवाना।
- अर्बन स्लम स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों से संपर्क करने के उपरान्त शिविरों का आयोजन करना।
- अन्य समस्त बिन्दु, जो कि मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट के क्रम सं0 जे–2.3.2.3 (टारगेटेड इण्टरवेंशन प्रोग्राम) से संबंधित है, का सफल संचालन करना/करवाना।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदत्त अन्य कार्य।

4. मद सं0 185.C.S0032 पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में कार्यरत **साईकियाट्रिक नर्स** हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 40,000.00 एवं रिक्त पदों हेतु रू0 प्रतिमाह मूल मानदेय रू0 40,000.00 के साथ ही पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय में एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय Experience Bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

<u>संपादित किये जाने वाले कार्यः–</u>

- ओ0पी0डी0के समय कम्युनिटी नर्स के साथ मिलकर मरीज की हिस्ट्री लेना एंव केस सीट तैयार करना।
- ओ0पी0डी0 में कम्युनिटी नर्स के साथ मरीजों दवा देना तथा दवाई खाने का तरीका एवं परहेज के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- ओ0पी0डी0 में एंव सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में देखें गयें मरीजों का रिकार्ड व्यवस्थित करते हुऐ रोगों का वर्गीकरण करनें के उपरान्त मरीजों की गणना करना, ताकि भविष्य में शोध हेतु एवं अवश्यकतानुसार सुविधाओं को प्रदान किया जा सके।
- चिन्हित शैय्याओं पर भर्ती मानसिक रोगियों का वार्ड में जाकर समुचित आवश्यकतानुसार उपचार प्रदान किये जाने में सहयोग प्रदान करना।
- समाज में मानसिक रोगों से संबंधित भ्रान्तियों को दूर करने हेतु आई0ई0सी0 के माध्यम से समाज के हर स्तर पर शिविर लगाये जाने में सहयोग करना।
- मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करवाये जाने में सहयोग प्रदान करना।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदत्त अन्य कार्य।

5. मद सं0 185.C.S0034 पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में कार्यरत **कम्युनिटी नर्स** हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 25,000.00 एवं रिक्त पदों हेतु रू0 प्रतिमाह मूल मानदेय रू0 25,000.00 के साथ ही पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय में एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय Experience Bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

<u>संपादित किया जाने वाला कार्यः–</u>

- ओ0पी0डी0/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 भ्रमण में आवश्यकतानुसार योगदान देना।
- ओ0पी0डी0 में मरीजों को दवा वितरण करना।
- ओ0पी0डी0 एंव सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में देखें गयें मरीजों का रिकार्ड व्यवस्थित करते हुऐ रोगों का वर्गीकरण करनें में सहयोग देना।
- सोशल वर्कर के सहयोग से समाज में मानसिक रोगों से संबंधित भ्रान्तियों को दूर करने हेतु आई0ई0सी0 के माध्यम से चिन्हित स्थनों पर शिविर लगाना जैसें कि कि विभागीय/अर्न्तविभागीय/स्कूल/विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/शहरीक्षेत्रों/ग्रामीण क्षेत्रों/मलिन बस्तियों में शिविर आयोजित करते हुए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करवाना।
- सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 भ्रमण के दौरान आशा, ए.एन.एम. आदि के सहयोंग से गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों के परिजनों का संवेदीकरण करनां एवं उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानें के उपरान्त उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न करना। इस कार्य में साईक्रेट्रिक सोशल वर्कर उनके साथ रहेंगें एंव मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगें।
- साईकियाट्रिक सोशल वर्कर के साथ जाकर मानसिक मंदित बच्चों की शिक्षा, एवं सरकार द्वारा मानसिक मंदित व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही अन्य योजनओं की जागरूकता शिविरों में सहयोग करना।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदत्त अन्य कार्य।

6. मद सं0 185.C.S0740 पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में कार्यरत **केस रजिस्ट्री असिस्टेन्ट** हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 15,000.00 एवं रिक्त पदों हेतु रू0 प्रतिमाह मूल मानदेय रू0 15,000.00 के साथ ही पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय में एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय Experience Bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

<u>संपादित किया जाने वाला कार्य</u> :–

- सी0आर0ए0 का कार्य एम0एण्ड0ई0 ऑफिसर के सहायक के रूप में कार्य निष्पादित करना है।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं का लाभ लें रहें मरीजों एवं मन–कक्ष में सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का विवरण रजिस्टर से नोट कर रिपोर्ट तैयार करने में एम0एण्ड0ई0ऑफिसर का सहयोग करना।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजन में साईकिएट्रिक सोशल वर्कर एवं क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट को सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यो का सम्पादन करना।

7. मद सं0 185.C.S0828 पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में कार्यरत **वार्ड असिस्टेन्ट/आर्डली** हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 15,000.00 एवं रिक्त पदों हेतु रू0 प्रतिमाह मूल मानदेय रू0 15,000.00 के साथ ही पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय में एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा GST,ESI,Service Charge & EPF सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

<u>संपादित किया जाने वाला कार्य</u> :–

- ओ0पी0डी0/सी0एच0सी/पी0एच0सी0 भ्रमण वाले दिन मनोचिकित्सक साथ रहना और मरीजों को क्रमवार देखने मे सहायता करना।
- समस्त आउटरीच कार्यक्रमों में क्लीनिकल साईकोलाजिस्ट एवं साईकिएट्रीक सोशल वर्कर को सहयोग प्रदान करना।
- मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के हितार्थ उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदत्त अन्य समस्त कार्यों का सम्पादन करना।

8. मद सं0 185.C.P320 पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में कार्यरत **मानिटरिंग एंव ईवैलुएशन आफिसर** हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 35,000.00 एवं रिक्त पदों हेतु रू0 प्रतिमाह मूल मानदेय रू0 35,000.00 के साथ ही पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय में एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय Experience Bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

<u>संपादित किया जाने वाला कार्य</u> :–

- एम0एण्ड0ई0 ऑफिसर का कार्य जनपद में सी0एम0ओ0/जिला नोडल ऑफिसर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/मानसिक रोग विशेषज्ञ इत्यादि के मध्य समाजस्य(कोआर्डिनेशन) स्थापित करना एंव राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देश, पत्र, अन्य आदेशों एवं मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम समस्त सूचनाए एवं गाइडलाइन्स उच्चाधिकारियों एवं डी.पी.एम.यू. को उपलब्ध कराना।
- जनपद मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित डाटा एवं प्रोग्राम रिपोर्ट इत्यादि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ को ससमय प्रेषित करना।
- कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण एवं मुल्यांकन करते हुए उच्चाधिकारियों को सतत अवगत कराते रहना।
- जिला लेखा प्रबंधक ईकाई के समन्वय से कार्यक्रम की भौतिक प्रगति की अद्यतन सूचनाओं से उच्चाधिकारियों को अवगत कराना तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति बढ़ाने हेतु कार्यक्रम में कार्यरत् अन्य सदस्यों के समन्वय से योजना बनाकर नोडल अधिकारी को अवगत कराना।
- समस्त डी.एम.एच.पी. टीम के सामन्जस्य से डी.एम.एच.पी. के अन्तर्गत सम्पादित होने वाले विभिन्न गतिविधियों की कार्ययोजना बनाकर उच्चाधिकारियों को अवगत कराना एवं कार्ययोजनानुसार कार्यवाहियॉ सम्पादित करवाना।

- कम्युनिटी लेवल साईकोलॉजिस्ट द्वारा एकत्रित डाटा को संकलित कर जनपद के मानसिक रोगियों के डाटा की रिपोर्ट बनाना।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का समयान्तर्गत उपभोग किये जाने हेतु अन्य डी.एम.एच.पी. टीम के सहयोग से कार्ययोजना बनाना।

9. मद सं0 185.C.S0530 पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में कार्यरत **कम्युनिटी लेवल साईकोलॉजिस्ट** हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 35,000.00 एवं रिक्त पदों हेतु रू0 प्रतिमाह मूल मानदेय रू0 35,000.00 के साथ ही पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय में एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय Experience Bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

<u>संपादित किया जाने वाला कार्य</u> :–

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द पर मानसिक रोग की समस्या लेकर आने वाले व्यक्तियों की काउंसलिंग एवं आवश्यकतानुसार जनपद चिकित्सालय रेफर करना।
- मरीजों का आवश्यकतानुसार मेंटल असिसमेंट करना एवं वर्गीकरण करना।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य शिविर के दिवसों पर चिकित्सक का सहयोग करना एवं शिविर के आयोजन के पूर्व शिविर के आयोजन हेतु प्रचार–प्रसार करना।
- क्षेत्र की आशा, ए.एन.एम., आंगनवाड़ी एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों कों का संवेदीकरण करना एवं उनके सहयोग से मानसिक रोगियों का पता लगाना एवं उनका डाटा एकत्रित करना।
- मनोरोग विधा की औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु उच्चाधिकारियों को औषधी की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहना।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम से समन्वय स्थापित कर उनके सहयोग से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की स्क्रिनिंग करना एवं आवश्यकतानुसार रेफर करना।
- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की टीम से समन्वय स्थापित कर संबंधित सामुदायिक केन्द्र के अन्तर्गत आयोजित होने वाली एफ0जी0डी0 (फोकस ग्रुप डिश्कशन) कार्यक्रम में सहयोग करना एवं एन.टी.सी.पी. टीम द्वारा आयोजित शिविरों में आवश्यकतानुसार काउसंलिग सेवाएं प्रदान करना।
- असंचारी रोग (एन0सी0डी0) नियंत्रण हेतु एन.पी.सी.डी.सी.एस. कार्यक्रम की टीम के साथ समन्वय स्थापित कर काउंसलिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्त है, उसके अन्तर्गत आने वाले समस्त हैल्थ एवं वेलनेस सेन्टर पर विजिट करते हुये मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं हेतु आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना।

10. मद सं0 185.C.P402 पर प्रदेश के तीन जनपद क्रमशः– आगरा, बरेली एवं वाराणसी में आउटसोर्स एजेंसी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को अनुरूप मानदेय में जी0एस0टी0, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई, एवं अन्य कर देय होगा यदि किसी जनपद में एजेन्सी डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पद रिक्त हो, तो जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से आउटसोर्स एजेंसी से नियमतः डेटा आपरेटर की सेवा प्राप्त की जायेगी। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार डाटा एन्ट्री ऑपरेटर हेतु प्रति माह Basic Salary रू0 12432.00 के साथ एन0एच0एम0 में अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय GST, ESI,Service Charge & EPF जनपदवा मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

11. <u>राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में जनपद बरेली, वाराणसी, एवं आगरा में पृथक से **"संचालित मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों"** क्रियाशील मानसिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों (facilitation Center) हेतु प्रावधानित अनुमोदित मानव संसाधन के मानदेय को सम्मिलित करते हुये सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवंटित की गयी है।</u> (Clinical Psychologist, Psychiatric Social Worker & Data Entry Operator)

➢ **<u>राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीन भार्तियां जो कि संविदा पर हुई है, उनके नवीनकरण किए जाने से पूर्व अनिवार्य शैक्षित योगयता का सत्यापन कर लिया जाए। तद्उपरान्त DHS के माध्यम से नवीनकरण किए जाने की कार्यवाही की जाए।</u>**

<u>वित्तीय प्रबन्धन</u>

- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासना देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 में DHAP के सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुये PFMS Portal के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सकें।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत SHS द्वारा DHS को आवंटित धनराशि कार्यरत संविदा एवं एजेन्सी कर्मियों के मानदेय मद में मात्र बजटरिय अनुमोदन प्रदान करता है सम्बन्धित DHS द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एन0एच0एम0 के मानकानुसार प्रचलित नियमों के अनुरूप कार्यरत संविदाकर्मी एवं एजेंसी कर्मियों को नियमतः वर्तमान में मानदेय आहरण के लिये Minimum Wages act up का अनुपालन शत–प्रतिशत सुनिश्चित करते हुये मानदेय आरहण किया जायेगा।
- एजेन्सी कर्मियों के ई0पी0एफ0, जी0एस0टी0, ई0एस0आई0 एवं सर्विस चार्ज का नियमतः भुगतान की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित DHS की होगी अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक जबाबदेही/विविध कार्यवाही की जिम्मेदरी भी सम्बन्धित DHS की हेगी।

प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, नोडल अधिकारी, एन0एम0एच0पी0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत मानदेय आहरण किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये मानदेय आरहण किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

<u>20.5 राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम</u>

सामान्य जनता को तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007–2008 (11वीं पंचवर्षीय योजना) में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम 21 राज्यो के 42 जनपदों में प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में चलाया जा रहा है।

तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंर्तगत मुख्यतः निम्न पांच गतिविधियों पर अधिक बल दिया गया है–

- तम्बाकू नियंत्रण कानून का अनुश्रवण, प्रवर्तन एवं रिपोर्टिग की गतिविधियॉ।
- सूचना, शिक्षा एवं संचार की गतिविधियां।
- विद्यालय गतिविधियां।
- प्रशिक्षण/जागरूकता की गतिविधियां।
- तम्बाकू नशा उन्मूलन की गतिविधियां।

कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 द्वारा जारी वित्तीय एवं भौतिक दिशा–निर्देशों तथां भारत सरकार द्वारा एन0टी0सी0पी0 की ऑपरेशनल गाइलाईन में जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति की होगी,

तद्क्रम में जिला लेखा प्रबन्धक डी0पी0एम0यू0, एफ0एल0सी0, डी0पी0एम0 डी0पी0एम0यू0, एन0टी0सी0पी0 यूनिट, नोडल एन0टी0सी0पी0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां
जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ

एफ0एम0आर मद सं0– (104.1 + 104.2 + 104.3 + 104.4 + 105.5) Training/Sensitization Programme–(कुल रू0 5.00 लाख प्रति जनपद)

1. जनपद स्तरीय स्टेक होल्डर विभागों के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं तम्बाकू नियंत्रण हेतु उनकी क्षमता का विकास करना कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।
2. तम्बाकू नियंत्रण हेतु संबंधित जनपद के समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण का आयोजन (यथा–जनपद प्रशासन, चिकित्सक, नर्स, आशा, पुलिस, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, विद्यालय के शिक्षक, स्वयं सेवी संगठनों, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, नगर महापालिका आदि) करना।
3. जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में तम्बाकू प्रयोग से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, तम्बाकू के प्रकारों, तम्बाकू प्रयोग से आर्थिक–सामाजिक हानियां, तम्बाकू छोड़ने के लाभ आदि को रखना चाहिए।

प्रशिक्षण हेतु प्रति जनपद धनराशि निम्नवत् गतिविधियों के लिये पृथक्–पृथक् रूप से मदवार आंवटित की गई है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

- सी0ओ0टी0पी0ए0 अधिनियम, 2003 को भली–भॉति लागू करने हेतु सम्बंधित विभागों यथा–रेल विभाग, खेल, नगर–निगम/परिषद, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के विभिन्न कार्मिकों का Orientation of Stakeholder Organizations के अन्तर्गत न्यूनतम 02 उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाना है। जिस हेतु एफ0एम0आर0 मद संख्या–104.1 पर रू0 40,000.00 (रूपये चालीस हजार) की धनराशि आंवटित की गई है।
- तम्बाकू नियंत्रण एवं सी0ओ0टी0पी0ए0 अधिनियम, 2003 के सम्बन्ध में चिकित्सकों, पैरामेडिकलस्टाफ, ए0एन0एम0 आदि का Training of Health Professionals के अन्तर्गत न्यूनतम 02 उन्मुखीकरण कार्यशाला/बैठक का आयोजन किया जाना है, जिस हेतु एफ0एम0आर0 मद संख्या–104.2 पर प्रति जनपद रू0 40,000.00 (रूपये चालीस हजार) की धनराशि आंवटित की गई है।
- जनपद प्रशासन के अधिकारियों यथा–पुलिस विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नगर पालिका/निगम, कर विभाग, शिक्षा विभाग आदि का Orientation of Law Enforcers के अन्तर्गत न्यूनतम 02 प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाना है, जिस हेतु एफ0एम0आर0 मद संख्या–104.3 पर प्रति जनपद रू0 60,000.00 (साठ हजार) की धनराशि आंवटित की गई है।
- कार्यक्रम के अर्न्तगत विभिन्न विभागों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों यथा जनपद प्रशासन, एन0एस0एस0, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0ओ0, आई0एम0ए0, आई0डी0ए0, शिक्षक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, ग्राम पंचायत, पंचायती राज, लोकपरिवहन, पुलिस विभाग आदि को प्रशिक्षित किया जाना है, जिस हेतु एफ0एम0आर मद सं0–104.4 Training of PRI's representatives/Police Personnel/ Transport Personnel/Teacher/ NGO personnel/other stakeholders_पर रू0 30000.00 (रूपये तीस हजार) प्रति जनपद की दर से धनराशि का आंवटन किया गया है।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिभागियों के रूप में विभिन्न विभागों/राजकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों यथा जनपद प्रशासन, एन0एस0एस0, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0ओ0, आई0एम0ए0, आई0डी0ए0, शिक्षक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, ग्राम पंचायत, पंचायती राज, शिक्षा विभाग, लोकपरिवहन, पुलिस विभाग आदि में आयोजित कार्यशाला में तम्बाकू नियंत्रण हेतु प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाना है, जिस हेतु एफ0एम0आर मद सं0–104.5 Other Trainings/Orientations - sessions incorporated in other's training पर रू0 330000.00 (रूपये तीन लाख तीस हजार) प्रति जनपद की दर से धनराशि का आंवटन किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि जनपद द्वारा मानकानुसार प्रशिक्षण का आयोजन वित्तीय नियमों के दृष्टिगत जनपद द्वारा सम्पादित किया जायेगा एवं प्रशिक्षण में समस्त प्रतिभागियों की प्रतिभागी

सूची, फोटोग्राफ आदि को जनपद द्वारा ऑडिट आदि के संदर्भ में समस्त अपेक्षित अभिलेखों को जनपद में रक्षित रखा जायेगा अन्यत्र की स्थिति में समस्त वित्तीय एवं भौतिक अनियमियता की जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति तथा एन0टी0सी0पी0 यूनिट की होगी।

उपरोक्त निर्धारित प्रशिक्षण कराने के उपरान्त यदि धनराशि शेष रह जाती है तो आप द्वारा कार्यक्रम हित एवं जनहित में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे–आर0बी0एस0के0 टीम का संवेदीकरण आदि का आयोजन किया जा सकता है।

एफ0एम0आर0 मद सं0–104.12 (SBCC/IEC for NTCP)– (कुल रू0 7.00 लाख प्रति जनपद)

- जन सम्पर्क एवं जन जागृति हेतु जनपदवार एवं मदवार रू0–7,00,000.00 (रूपये सात लाख) प्रति जनपद की दर से धनराशि आंवटित की गई है। आवंटित धनराशि का उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में वित्तीय नियमों के अनुसार ही प्रचार–प्रसार के मुद्रण हेतु किया जायेगा।
- जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को सामान्य जनता की जागरूकता हेतु जन जागरूकता के मिश्रित माध्यमों का उपयोग करना चाहियें। तम्बाकू सेवन से होनें वालें दुष्प्रभावों पर सन्देश हेतु स्वास्थ्य मेला, होर्डिंग, हाथ विल, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, पारम्परिक/लोक मीडिया, रेडियों आदि का प्रयोग करना चाहियें।
- जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ राष्ट्रीय स्तर की मीडिया के साथ समन्वय स्थापित कर सकतें है।
- जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ पोस्टर एवं स्टैण्डी का प्रयोग करके मोबाइल प्रदर्शनी किट विकसित कर सकती है। जिसमें कुछ ऑडियों विजुअल माध्यमों का प्रयोग करके इसे और आकर्षक बनाया जा सकता है।
- साईनेज पर चित्रों के माध्यम से सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के विभिन्न प्राविधानों को दर्शाया जा सकता है।
- स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से किसी प्रकार की गतिविधि संचालित नहीं की जायेगी, आशा, स्वंय सहायता समूहों आदि को तम्बाकू नियंत्रण हेतु आयोजित की जानें वाली गतिविधियों में प्रतिभाग करनें के लियें प्रेरित किया जाना चाहियें जिससें तम्बाकू नियंत्रण की जागरूकता अधिक से अधिक लोगों मे हो।
- तम्बाकू सेवन से होने वाली हानियों के विषय में जागरूकता हेतु जिला सलाहकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता को हर सप्ताह कम से कम दो बार क्षेत्रीय भ्रमण करना अनिवार्य होगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मानकों एवं दिशा–निर्देश के अनुरूप तम्बाकू निषेध दिवस–31 मई, तम्बाकू मुक्त उत्तर प्रदेश एवं माह–मार्च के द्वितीय बुधवार को पारम्परिक रूप से मनाये जाने वाले ''नो स्मोकिंग डे'' के आयोजन आदि में उक्त मद का उपयोग किया जा सकता है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या कोड संख्या– 104.11 Printing of Challan Books (रू0 21000 प्रति जनपद)

एन0एच0एम0 में प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुरूप एफ0एम0आर0 मद संख्या–104.11 चालान बुक का मुद्रण (Printing of Challan Books) मद के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम, 2003 के प्रवर्तन हेतु 350 प्रतियाँ प्रति जनपद जुर्माने की रसीद एवं चालान बुक की छपाई हेतु अधिकतम प्रति चालान एवं जुर्माना बुक 60.00 रू0 का बजट उपलब्ध है। वर्णित रसीद बुक एवं चालान बुक विभिन्न विभागों को उपलब्ध कराते हुयें अधिनियम का क्रियान्वयन एवं उसकी ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण रिपोर्टिंग सुनिश्चित किया जाना आपेक्षित है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या– (106.3 + 106.4 + 106.5 + 106.6 + 106.7) School Programme (कुल रू0 7.00 लाख प्रति जनपद)

विद्यालय कार्यक्रम हेतु प्रति जनपद रू0 7.00 लाख की धनराशि आंवटित की गई है। इस धनराशि से एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमानुसार किशोरों एवं युवाओं में तम्बाकू उपभोग से होने वाली हानियों/दुष्परिणामों से संवेदीकृत कराने एवं तम्बाकू उत्पादों का उपभोग न करने हेतु जनपद में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के साथ जागरूकता कार्यक्रम

कराया जाना है। इस कार्यक्रम में पूर्व से अनाच्छादित विद्यालयों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

विद्यालय कार्यक्रम के अन्तर्गत तम्बाकू निषेध से सम्बन्धित निबन्ध प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाना चाहियें। वृत्त चित्र/फिल्मों, कठपुतली के खेल, लोक नृत्य आदि रोचक विधाओं से विद्यार्थियों को तम्बाकू उपभोग से होने वाली हानियों/दुष्परिणामों से जागरूक किया जा सकता है।

विद्यालय कार्यक्रम हेतु निम्नानुसार धनराशि का आंवटन किया गया है–

कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रक कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 हेतु विद्यालय कार्यक्रम को मानकानुसार आच्छादित किये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशों के आलोक में कार्यहित की गुणवत्ता को प्राथमिकता प्रदान करते हुये दिनांक–09/05/2024 को अध्यक्ष कार्यकारी समिति की बैठक में जारी कार्यवृत्त में प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0/अध्यक्ष कार्यकारी समिति द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में विद्यालय कार्यक्रम एवं Tobacco Free Educational Institution (TOFEI) को स्वयं सेवी संस्था, समूह आदि से किसी भी प्रकार की विद्यालय गतिविधि संचालित नहीं की जायेगी इसका अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्यक्रम हित में गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुये प्राथमिक के आधार पर कार्यक्रम में विद्यालय कार्यक्रम गतिविधियों को जनपद द्वारा रोस्टर तैयार कर आर0बी0एस0के0, आर0के0एस0के0, बी0पी0एम0यू0 एवं जिला तम्बाकू नियंत्रण इकाई के माध्यम से जनपदों द्वारा गतिविधि संचालित किया जायेगा तद्सम्बन्ध में गतिविधि को जनपद एवं ब्लाक रोस्टर तैयार किये जाने के लिये जनपदीय नोडल, एन0टी0सी0पी0 एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0 द्वारा पत्र प्राप्त के 10 कार्यदिवसों के भीतर रोस्टर तैयार कर जनपद में प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जायेगा।

कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के अनुरूप सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मुख्य अनिवार्यताओं को यथावत् पूर्ण करते हुये एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के दृष्टिगत सम्पादित किया जायेगा अन्यत्र की स्थिति में वित्तीय एवं भौतिक अनियमियता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित DHS एवं जिला तम्बाकू नियंत्रण इकाई की होगी तद्सम्बन्ध में मानक निम्नवत् हैः–

1. कार्यक्रम में मानकानुसार जनपद द्वारा आच्छादित प्रत्येक विद्यालय में भारत सरकार के अनुसार 60 cm X 45 cm के राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण से सम्बन्धित 02 बोर्ड विद्यालय के अन्दर लगाया जायेगा।
2. कार्यक्रम में मानकानुसार जनपद द्वारा आच्छादित प्रत्येक विद्यालय में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दिशा–निर्देश के अनुसार 60 cm X 45 cm के राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण से सम्बन्धित 02 बोर्ड विद्यालय के अन्दर लगाया जायेगा।
3. कार्यक्रम में मानकानुसार जनपद द्वारा आच्छादित प्रत्येक विद्यालय में भारत सरकार द्वारा दिशा–निर्देश के अनुरूप 60 cm X 45 cm के राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण से सम्बन्धित न्यूनतम 15 थीम पोस्टर विद्यालय के अन्दर एवं 60 cm X 45 cm के राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण से सम्बन्धित न्यूनतम 15 थीम पोस्टर विद्यालय के बाहर लगाया जायेगा।
4. कार्यक्रम में मानकानुसार जनपद द्वारा आच्छादित प्रत्येक विद्यालय में भारत सरकार द्वारा दिशा–निर्देश के अनुरूप वर्ष में 02 बार विद्यार्थियों को जागरूक करते हुये शपथ दिलायी जाये।
5. कार्यक्रम में मानकानुसार जनपद द्वारा आच्छादित प्रत्येक विद्यालय में भारत सरकार द्वारा दिशा–निर्देश के अनुरूप 100 यार्ड के अन्दर धूम्रपान निषेध क्षेत्र निर्धारित करते हुये यलो लाईन पक्के पेन्ट की रोड राईटिग करायी जायेगी।
6. कार्यक्रम में मानकानुसार जनपद द्वारा आच्छादित प्रत्येक विद्यालय में भारत सरकार द्वारा दिशा–निर्देश के अनुरूप तम्बाकू उपयोग को निषेध पदार्थ के रूप में उपयोग न करने एवं समाज में उपयोग करने वाले व्यक्तियों को तम्बाकू उपयोग के स्वास्थ्य हानि के प्रति मोटिवेट करने के लिये आच्छादित प्रत्येक विद्यालय में वर्ष में न्यूनतम 01 बार बच्चों हेतु प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को मुमेन्टों के साथ सार्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा एवं प्रत्येक माह महानिदेशालय को प्रेषित मासिक रिपोर्ट में विजयी बच्चों के नाम, विद्यालय एवं कक्षा की प्रगति सूचना प्रेषित की जाये।
7. कार्यक्रम में मानकानुसार जनपद द्वारा आच्छादित प्रत्येक विद्यालय में सम्पादित गतिविधियों के उपरान्त प्रधानाचार्य से सम्पादित समस्त गतिविधियों, पोस्टर, बैनर एवं बच्चों की प्रतियोगिता के प्रतिभागी बच्चों की सूची के साथ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरूस्कृत बच्चों के नाम, पता एवं

दूरभाष नं0 की सूची सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रगति सूचना प्रमाणित कराकर ब्लाक इकाई द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को सम्पूर्ण सूचना प्रेषित किया जायेगा।

8. नोडल एन0सी0डी0 द्वारा एक सप्ताह में जनपद में आच्छादित होने वाले विद्यालयों की सूची तैयार कर ब्लाकवार रोस्टर गठित करते हुये मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित किया जायेगा, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सम्बन्धित ब्लाक रोस्टर सम्बन्धित ब्लाक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 अधीक्षक को प्रेषित किया जायेगा जिससे नियत दिवस पर ब्लाक इकाई द्वारा आर0बी0एस0के0 दल/एच0ई0ओ0/बी0पी0एम0/बी0सी0पी0एम0 अथवा ब्लाक द्वारा अन्य अधिकारी/कर्मी द्वारा गतिविधि में प्रतिभाग किया जायें, इसी प्रकार जनपद के शहरी मुख्यालय के क्षेत्रों के विद्यालय गतिविधि एवं TOFEI के लिये राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण इकाई, डी0आई0सी0 आर0बी0एस0के0, डी0सी0पी0एम0 अथवा डी0एच0आई0ओ0 द्वारा आच्छादित किया जायेगा।
9. जनपदीय एवं ब्लाक के सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मियों द्वारा वर्ष में आच्छादित विद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यालय कर्मियों को भी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जायेगा।
10. जनपदीय एवं ब्लाक के सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मियों द्वारा वर्ष में आच्छादित विद्यालयों में Tobacco control monitor बनाया जायेगा जिसमें विद्यालय के शिक्षक/कर्मी/विद्यार्थी को Tobacco control monitor बनाया जायेगा, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम को विद्यालय परिसर में प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा।
11. प्रति जनपद FMR Code- 106.3 (Old FMR Code-NCD.4.106 .OCC.1) में रू0 01.00 लाख की धनराशि से 20 राजकीय/पब्लिक विद्यालयों में भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
12. प्रति जनपद FMR Code- 106.4 (Old FMR Code-NCD.4.106 .OCC.2) में रू0 02.00 लाख की धनराशि से 40 प्राईवेट विद्यालयों में भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
13. प्रति जनपद FMR Code- 106.5 (Old FMR Code-NCD.4.106 .OCC.3) में रू0 01.00 लाख की धनराशि से 20 राजकीय/पब्लिक विद्यालयों के अन्य विद्यालयों (राजकीय पोषित) में भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
14. प्रति जनपद FMR Code- 106.6 (Old FMR Code-NCD.4.106 .OCC.4) में रू0 01.00 लाख की धनराशि से 20 प्राईवेट विद्यालयों के अन्य विद्यालयों (गैर–राजकीय पोषित) में भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
15. प्रति जनपद FMR Code- 106.7 (Old FMR Code-NCD.4.106 .OCC.5) में रू0 02.00 लाख धनराशि से 40 इण्टर कॉलेज में भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
16. उपरोक्त मदों में मदवार आवंटित धनराशि के सापेक्ष निर्धारित विद्यालयों में जनपद द्वारा नियमानुसार एवं मानकानुसार गतिविधि संचालित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार शिक्षण संस्थानों में विद्यालय कार्यक्रम–2024–25 हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत प्रचलित नियमों का अनुपालन करते हुए भारत सरकार की ऑपरेशनल गाइडलाइन–2015 का आलोक लिया जायेगा।

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान/तम्बाकू मुक्त युवा अभियान (TOFEI) FMR- 105.1 (रू0 3.00 लाख प्रति जनपद)

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एफ0एम0आर0 संख्या–105.1 पर रू0 3.00 लाख की धनराशि प्रति जनपद अनुमोदित की गयी है, तद्सम्बन्ध में **तम्बाकू मुक्त युवा अभियान** का सफल क्रियान्वयन किया जाना है। इस कार्यक्रम में पूर्व से अनाच्छादित विद्यालयों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा तद्सम्बन्ध में गतिविधि को जनपद एवं ब्लाक रोस्टर तैयार किये जाने के लिये जनपदीय नोडल, एन0टी0सी0पी0 एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0 द्वारा पत्र प्राप्त के 10 कार्यदिवसों के भीतर रोस्टर तैयार कर प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जायेगाः–

1. प्रति जनपद मद सं0– FMR Code- 105.1 (Old FMR Code-NCD.4.105.OCC.1) में रू0 03.00 लाख धनराशि से 60 विद्यालय कार्यक्रम के अन्तर्गत Tobacco Free Educational Institution (TOFEI) के अन्तर्गत विद्यालयों प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
2. जनपदीय एवं ब्लाक के सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मियों द्वारा सम्पादित गतिविधि एक फोटोग्राफ

मासिक रिपोर्ट के साथ सम्मिलित करते हुये मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

3. जनपद एवं ब्लाक पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिये उपलब्ध चार पहिया वाहन के सहयोग से विद्यालय कार्यक्रम एवं Tobacco Free Educational Institution (TOFEI) हेतु विद्यालयों को आच्छादित किये जाने के लिये उपयोग में लिया जायेगा एवं आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित दल द्वारा क्षेत्र में अपने रोस्टर के अनुसार पड़ने वाले क्षेत्रिय विद्यालयों को आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम के चार पहिया वाहन से आच्छादित किया जायेगा साथ ही साथ प्रत्येक सप्ताह के शनिवार के दिन आर0बी0एस0के0 दल की टीम द्वारा आवश्यकतानुसार रोस्टर तैयार कर अपने ब्लाक के चयनित विद्यालयों में भी विद्यालय कार्यक्रम एवं Tobacco Free Educational Institution (TOFEI) हेतु गतिविधि को मानकानुसार संचालित किया जायेगा।
4. उपरोक्त मदों में मदवार आवंटित धनराशि के सापेक्ष निर्धारित विद्यालयों में जनपद द्वारा एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के मानकानुसार गतिविधि संचालित की जायेगी।

भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (Tobacco Free Educational Institution (ToFEI) की गाइडलाईन का आलोक लिया जायेगा इस मद (FMR- 105.1 रू0 3.00 लाख प्रति जनपद) द्वारा जनपद में **मॉडल तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान** विकसित करने का उद्देश्य है। यहां यह स्पष्ट करना है कि जिन विद्यालयों/शिक्षण संस्थानों का इस मद के अर्न्तगत आच्छादन नहीं हो रहा है, उनमें भी वर्तमान उपलब्ध संसाधनों के समुचित प्रयोग से ToFEI गाइलाइन का अनुपालन किया जाना है।

प्रत्येक जनपद के जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम इस गतिविधि को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने एवं ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण रिपोर्टिंग हेतु उत्तरदायी होंगे तद्सम्बन्ध में जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0 द्वारा अपेक्षित सहयोग एवं समन्वय प्रदान किया जायेगा।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या– 106.9 District level Coordination Committee meeting– (रू0 4000 प्रति जनपद)

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–106.9 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष जनपद स्तरीय समन्वय समिति की न्यूनतम 2 बैठक कराया जाना अनिवार्य है, जिस हेतु रू0 2,000 (दो हजार मात्र) प्रति बैठक के अनुसार प्रति जनपद रू0 4,000 धनराशि का आवंटन किया गया है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या– 106.10 (NCD.4.106.PME.2) Monitoring Committee meeting on Section 5 – (रू0 6000 प्रति जनपद)

एफ0एम0आर0 कोड संख्या– 106.10 के अन्तर्गत सी0ओ0टी0पी0ए0 अधिनियम, 2003 की धारा–5 हेतु गठित अनुश्रवण समिति की 04 बैठक (प्रत्येक त्रैमास में एक बैठक) कराया जाना अनिवार्य है, जिस हेतु रू0 15,00.00 (एक हजार पांच सौ रूपये) की धनराशि प्रति बैठक के अनुसार रू0–6,000 (रू0 छः हजार) धनराशि का आवंटन किया गया है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या– 106.11 (NCD.4.106.PME.3) Enforcement Squad Meeting– (रू0 20000 प्रति जनपद)

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.PME.3 के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत प्रवर्तन हेतु गठित इन्फोर्समेन्ट स्क्वायड (सचल/प्रवर्तन दल) की 1 बैठक प्रति तिमाही (वर्ष में चार बैठक) कराया जाना है, जिस हेतु प्रति बैठक रू0 5000 (पांच हजार) के अनुसार कुल रू0 20,000.00 (बीस हजार) प्रति जनपद की दर से धनराशि उपलब्ध है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–106.12 Misc./Office Expences for District Tobacco Cell– (रू0 5.00 लाख प्रति जनपद)

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–106.12 Misc./Office Expences के अर्न्तगत रू0 5.00 लाख (पांच लाख) प्रति जनपद की धनराशि आंवटित की गई है, जिसका उपभोग कार्यालयोपयोगी सामग्री, स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री का क्रय आदि हेतु किया जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रयोगशाला में तम्बाकू उत्पाद के सैम्पल आदि प्रेषित किये हेतु आने वाला व्यय भी Misc./Office Expences for District Tobacco Cell मद से किया जा सकता है। एफ0एम0आर0 कोड संख्या– 106.12 Misc./Office Expences for District Tobacco Cell में वित्तीय गतिविधियों का संचालित किये जाने हेतु एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के आधार पर व्यय सम्पादित किया जायेगा अन्यत्र की स्थिति में वित्तीय अनियमियता पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी जनपदीय नोडल, एन0टी0सी0पी0 की होगी।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या– 106.13 Mobility Support For DTCC– (रू0 4.20 लाख प्रति जनपद)

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–106.13 (NCD.4.106.PME.5) Mobility Support For DTCC मद के अन्तर्गत मोबिलिटी सर्पोट हेतु कुल 4.20 लाख प्रति जनपद की धनराशि आवंटित की गई है, जिसका उपभोग राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के टी0ए0/डी0ए0, मूल्याकंन एव अनुश्रवण, हेतु वाहन किराये पर लेने के लिए किया जा सकता है। वाहन का प्रयोग प्रवर्तन, छापेमारी एंव कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य गतिविधियों में भी किया जा सकता है तद्सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या– 106.14 Monthly meeting with the hospital staff –(रू0 48000.00 प्रति जनपद)

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–106.14 Monthly meeting with the hospital staff मद के अन्तर्गत प्रत्येक माह चिकित्सक, नर्स एवं चिकित्सालयों के कर्मचारियों के साथ तम्बाकू नियंत्रण हेतु बैठक किया जाना है, जिस हेतु कुल रू0 48000.00 की धनराशि आवंटित की गई है तद्सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या– 106.1 Weekly FGD with the tobacco users–(रू0 52000.00 प्रति जनपद)

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–106.1 Weekly FGD with the tobacco users मद के अन्तर्गत तम्बाकू का प्रयोग करनें वालों के साथ साप्ताहिक फोकस ग्रुप डिस्कशन हेतु बैठक किया जाना है, जिसमें सूक्ष्म जलपान, बैठक की व्यवस्था आदि हेतु रू0 1000.00 प्रति सप्ताह की दर से 12 माह हेतु कुल रू0 52000.00 (बावन हजार) की धनराशि आंवटित की गई है।

जिन जनपदो में कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपद स्तर पर काउंसलर कार्यरत नहीं है वहां पर अन्य कार्यक्रमों यथा–एन0पी0–एन0सी0डी0, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अथवा अन्य कार्यक्रमों मे कार्यरत काउंसलर द्वारा एफ0जी0डी0 करायी जाये, जिस हेतु सम्बन्धित काउन्सलर को प्रति एफ0जी0डी0 हेतु रू0 500 (पांच सौ) नियमानुसार मद संख्या–Mobility support 106.15 से प्रदान किया जायेगा। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिमाह सम्पादित की गयी एफ0जी0डी0 की सूचना प्रत्येक माह जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के माध्यम से महानिदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।

अन्य व्यय (Contingency/Miscellaneous)–

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–106.15 Mobility Support for TCC के अन्तर्गत तम्बाकू उन्मूलन की गतिविधियां यथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार हेतु भ्रमण, एफ0जी0डी0 के आयोजन हेतु भम्रण तथा उन्मूलन सम्बन्धी अन्य गतिविधियों में आवागमन हेतु रू0 5000.00 (पांच हजार) प्रति माह की दर से 12 माह हेतु रू0 60000.00 (साठ हजार) की धनराशि प्रति जनपद आवंटित की गई है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या– 106.16 Office Expenses for TCC के अन्तर्गत कार्यालय व्यय हेतु रू0 1.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आंवटित की गई है। तम्बाकू नियंत्रण हेतु उक्त मद द्वारा विविध व्यय जैसे– संचार, कार्यालयोपयोगी सामग्री, ¼Office Consumables½ आदि तथा ऐसे व्यय जो एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम के सफल संचालन में आवश्यक हो के लिये जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त कर एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के आधीन व्यय किया जायेगा, वित्तीय अनियमियता की स्थिति में जिला नोडल, एन0टी0सी0पी0 की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

अन्य निर्देशः–

1. जनपद सलाहकार अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी/कर्मी द्वारा जनपद के सभी विभागों के समन्वय स्थापित करते हुये कार्ययोजना बनाकर नोडल अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम/विद्यालय कार्यक्रम में स्वंयसेवी संस्था के सहयोग एवं अन्य गतिविधियों को सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगें।
2. जनपद सलाहकार अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी/कर्मी द्वारा समस्त विभागों में सी0ओ0पी0टी0ए0–2003, The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019 (PECA-2019) के समस्त प्राविधानों/धाराओं एवं जे0जे0सी0 एक्ट–2015 की धारा–77 का जनपद में अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगें, साथ ही सप्ताह में एक दिन होने वाली एफ0जी0डी0 कार्यक्रम मे प्रतिभाग करेगें।
3. जनपद सलाहकार एवं सोशल वर्कर अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी/कर्मी द्वारा शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त

''तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान'' ऑपरेशनल गाइडलाइन का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा, जिसकी प्रगति रिपोर्ट मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट के साथ प्रेषित की जायेगी।

4. सोशल वर्कर जनपद सलाहकार अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी/कर्मी के सहयोग से दिशा–निर्देशानुसार विद्यालय कार्यक्रम का क्रियान्वयन/अनुश्रवण करना/करवाना सुनिश्चित करेंगें।
5. प्रत्येक वर्ष आयोजित किये जाने वाले विशेष दिवस यथा– 31 मई को **''विश्व तम्बाकू निषेध दिवस''** एवं माह–मार्च के द्वितीय बुधवार को **''नो स्मोकिंग डे''** के अवसर पर जनपदों द्वारा निम्न गतिविधियां संचालित की जाय–
    - जनपद स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय समिति तथा ब्लॉक स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन कर 01 माह का कैम्पेन के माध्यम से तम्बाकू नियंत्रण हेतु अभियान की कार्ययोजना तैयार करना।
    - प्रति सप्ताह स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग व अन्य के द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी एवं चालान गतिविधि सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 एवं इलेक्ट्रानिक सिगरेट के प्रतिबन्ध एवं हानियों के प्रति प्रचार–प्रसार एवं इन्फोर्समेंट किया जाना।
    - प्रदेश के समस्त जनपदों में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर दिनांक 31 मई, 2024 को ''तम्बाकू मुक्त उत्तर प्रदेश'' हेतु शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाय।
    - एन0टी0सी0पी0, एन0पी0सी0डी0सी0एस0 एवं एन0एम0एच0पी0 कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यरत काउन्सलर/ साइकोलॉजिस्ट द्वारा ब्लॉक स्तर पर शिविरों के माध्यम से तम्बाकू का सेवन कर रहे व्यक्तियों की काउन्सलिंग।
    - ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में तम्बाकू उपभोग से होने वाली हानियों के सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार के माध्यम से जानकारी दी जाय।
    - जनप्रतिनिधियों के सहयोग से व्यापक प्रचार–प्रसाार।
    - प्रिंट/इलेक्ट्रानिक/सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियों विजुअल व अन्य व्यापक प्रचार–प्रसार।
    - शिक्षा विभाग के सहयोग से समस्त शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त घोषित करवाना एवं उनकी मॉनीटरिंग करना।
    - आकाशवाणी एवं अन्य स्थानीय एफ0एम0 रेडियो चैनल के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार।
    - नगर/ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कूड़ा वाहनों में ऑडियो क्लिप के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार।
    - जिला/उप जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलेक्ट्रानिक स्क्राल के माध्यम से तम्बाकू निषेध सम्बन्धित सूचना प्रसारण।
    - जनपद/ब्लॉक स्तर पर रैली/गोष्ठी/कार्यशाला/नुक्कड़ नाटक/पोस्टर/निबंध प्रतियोगिता आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार।
    - आशा–आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ग्राम स्तर पर प्रचार–प्रसार।
    - ग्राम पंचायत स्तर पर गठित VHSNC के माध्यम से ग्राम स्तर तक जागरूकता अभियान आयोजित करना।
    - VHND/AHD/JAS आदि के माध्यम से गर्भवती महिलाओं व किशोर–किशोरियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से तम्बाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना।
    - एन0टी0सी0पी0/आर0बी0एस0के0/आर0के0एस0के0 टीम के द्वारा स्कूल कार्यक्रम आयोजित कर छात्र/छात्राओं को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना।
    - जनपद में एन0एच0एम0 के अन्य कार्यक्रमों के Stakeholder मानव संसाधन जैसे–मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, एन0यू0एच0एम0, कम्युनिटी प्रोसेस, क्वालिटी आदि के मानव संसाधन का अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुये जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, एन0टी0सी0पी0 यूनिट के सहयोग से जनपदी नोडल एन0टी0सी0पी0 द्वारा कार्यक्रम हित में गुणवत्तापूर्ण योजना तैयार की जाये एवं कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु डी0एच0एम0 से अनुमोदन प्राप्त कर जनपद में प्रभावी रूप IEC एवं BCC गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है।

6. सोशल वर्कर द्वारा साइकोलॉजिस्ट की सहायता से अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी/कर्मी के सहयोग से ग्रामीण स्तर पर सप्ताह में एक दिन होने वाले एफ0जी0डी0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन जनपद सलाहकार के सहयोग से किया जायेगा।

7. जिला नोडल अधिकारी/जिला सलाहकार, एन0टी0सी0पी0 द्वारा अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी/कर्मी के सहयोग से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक मासिक रिपोर्ट राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 की ई–मेल–nodal.ntcp.up@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. जिला नोडल अधिकारी एन0टी0सी0पी0 द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत मदवार एवं गतिविधिवार आवंटित धनराशि का व्यय ससमय एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के आधीन जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन उपरान्त नियमानुसार शत–प्रतिशत व्यय कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार/जिला लेखा प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, द्वारा कार्यक्रम का वित्तीय कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके क्रम में जिला नोडल अधिकारी एन0टी0सी0पी0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के दिशा–निर्देश में जिला सलाहकार एन0टी0सी0पी0 अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी/कर्मी द्वारा कार्यक्रम की कार्ययोजना बनाकर वित्तीय एवं भौतिक नियमों के अनुरूप जनपद में गतिविधि को संचालित किया जायेगा।

10. जनपद सलाहकार एन0टी0सी0पी0 अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी/कर्मी द्वारा आपरेशनल गाइडलाइन्स एवं समय–समय पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 प्रेषित दिशा–निर्देशों पर आवश्यक कार्यवाही एवं जिन जनपदों में वर्तमान समय तक DLCC/इन्फोर्समेन्ट स्कवायड, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर समन्वय समिति का गठन नहीं किया गया है, का गठन करवाना सुनिश्चित करेंगें।

11. जनपद सलाहकार अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी/कर्मी द्वारा यलो लाइन कैम्पेन के माध्यम से जनपद के समस्त सरकारी कार्यालय एवं शैक्षणिक संस्थानों में ''यलो लाइन'' सम्पादन करवाना सुनिश्चित करेगें।

12. जनपद सलाहकार अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी/कर्मी द्वारा जनपद में DLCC/इन्फोर्समेन्ट स्कवायड का गठन, प्रशिक्षण इत्यादि गतिविधियां सम्पादित की जायेगी तथा ससमय मासिक एवं त्रैमासिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। यहां यह उल्लेखनीय है कि जनपद सलाहकार अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी/कर्मी द्वारा अपने आंवटित कार्यो में भ्रमण तथा कार्य सत्यापन उपरान्त जिला सलाहकार, एन0टी0सी0पी0/एफ0एल0सी0/जिला लेखा प्रबन्धक/नोडल एन0टी0सी0पी0 को भ्रमण आदि के लिये भत्ता भुगतान नियमानुसार निर्धारित उपयुक्त मद से किया जायेगा।

कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त वित्तीय एवं भौतिक नियमों का अनुपालन एन0एच0एम0 में प्रचलित वित्तीय एवं भौतिक नियमों के आधीन किया जायेगा अन्यत्र की स्थिति में प्रकरण को वित्तीय अनियमियता की श्रेणी में मानते हुये सम्बन्धित की विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

वित्तीय प्रबन्धन

- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासना देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 में DHAP के सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुये PFMS Portal के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सकें।

- उक्त समस्त गतिविधियों को एन0एच0एम0 के प्रचलित भौतिक एवं वित्तीय नियमों के दृष्टिगत सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त कर व्यय सम्पादित कराया जायेगा साथ ही साथ जनपद में आयोजित होने वाली प्रत्येक जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को प्रदर्शित कर कार्यक्रम हित में अनुपालन कार्यवृत्त में प्रगति जिला नोडल, एन0टी0सी0पी0 द्वारा अंकित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा अन्यत्र की स्थिति में सम्बन्धित गतिविधि एवं व्यय को वित्तीय अनियमियता की श्रेणी मानी जायेगी।
- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष कार्यकारी समिति एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 द्वारा निरन्तर कार्यक्रम को प्रभावी रूप से संचालित किये जाने के लिये राज्य स्तर पर अनेकों समीक्षा बैठके आयोजित की जाती है, तद्सम्बन्ध में आप निर्देशित है कि जनपद द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण मासिक रिपोर्ट को कार्यालय महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण इकाई को ससमय प्रेषित किया जाये, जिससे सक्षम स्तर के अधिकारीगणों को कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवगत कराते हुये मार्ग दर्शन प्राप्त कर कार्यक्रम का प्रभावी संचालन तथा अनुश्रवण प्राप्त किया जा सकें।
- यहां यह भी अवगत कराना है कि देखा गया है कि प्रदेश के कतिपय जनपदों द्वारा गुणवत्तापूर्ण ससमय रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है अतः आप से अपेक्षित है कि कार्यक्रम में ससमय मासिक रिपोर्ट प्रेषित करें, अन्यत्र की स्थिति में कार्यक्रम में रूचि न लेने की दशा में सम्बन्धित जनपद के प्रकरण की शिकायत प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष कार्यकारी समिति को प्रेषित की जायेगी।
- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष कार्यकारी समिति द्वारा दिनांक–09/05/2024 एवं 31/05/2024 को जारी कार्यवृत्त में जनपदों के लिये सुस्पष्ट निर्देश दिये गये है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिये प्रत्येक जनपद में विद्यालय कार्यक्रम एवं TOFEI गतिविधि हेतु विद्यालयों में सम्पादित होने वाली समस्त गतिविधियों को जनपद एवं राज्य स्तरीय किसी भी प्रकार की एन0जी0ओ0 (स्वयं सेवी संस्थाओं) द्वारा सम्पादित नहीं किया जायेगा। साथ ही जनपद में आर0बी0एस0के0, आर0के0एस0के0, एन0टी0सी0पी0 यूनिट एवं जिला/ब्लाक प्रबन्धन इकाईयों के सहयोग से मानकानुसार गतिविधि संचालित करने के लिये पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों के भीतर जनपद एवं ब्लाक में विद्यालय कार्यक्रम एवं TOFEI गतिविधि हेतु नोडल, एन0टी0सी0पी0, डी0पी0एम0, डी0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 एवं एन0टी0सी0पी0 यूनिट के सहयोग से मासिक कार्ययोजना रोस्टर बनाकर जनपद में क्रियान्वित किया जायेगा एवं उपरोक्त सम्बन्धित मदों में अनुमन्य धनराशि तथा गतिविधियों को एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के तहत व्यय किया जायेगा।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 द्वारा आई0ई0सी0 अनुभाग के सहयोग से प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित मानकानुसार आई0ई0सी0 एवं भारत सरकार द्वारा ऑपरेशनल गाइडलाईन में जारी मानकानुसार आई0ई0सी0 का मुद्रण जनपदों द्वारा सम्पादित किया जायेगा, अन्यत्र आई0ई0सी0 मुद्रण की स्थिति में सम्बन्धित जनपद के वित्तीय अनियमियता मानी जायेगी। कतिपय जनपदों में पाया गया है कि जनपद स्तर पर कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रकाशित आई0ई0सी0 में अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) के Logo को प्रकाशित किया जाता है जोकि राजकीय/एन0एच0एम0 मुद्रण बजट का पूर्णतः उल्लघन है। जनपदों द्वारा तद्सम्बन्ध में आई0ई0सी0 मुद्रण के समय विभाग, एन0एच0एम0, एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम तथा एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा अनुमन्य Logo का उपयोग किया जायेगा।

प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी/कर्मी/लेखा प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0/एफ0एल0सी0, नोडल, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधि को किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधनः–

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन हेतु वित्तीय स्वीकृतियां कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक– 09/05/2024 को प्राप्त की जा चुकी है।

- **FMR Code- 185.C.P324** (Old FMR- HSS.9.184.C.P324) में जनपदों में जिला सलाहकार हेतु कार्यरत पदों पर देय मानदेय एवं देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा देय Experience bonus सहित धनराशि आवंटित की गयी है एवं रिक्त पदों का मानदेय आवंटित नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला सलाहकार हेतु प्रति माह Basic Salary रू0 40000.00 की धनराशि एवं कार्यरत मानव संसाधन को मानदेय के साथ एन0एच0एम0 में अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि के साथ नियमतः देय Experience bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।
- **FMR Code- 185.C.S0570** (Old FMR- HSS.9.184.C.S0570) जनपदों में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता हेतु कार्यरत पदों पर देय मानदेय एवं देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा देय Experience bonus सहित धनराशि आवंटित की गयी है एवं रिक्त पदों का मानदेय आवंटित नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता हेतु प्रति माह Basic Salary रू0 25000.00 की धनराशि एवं कार्यरत मानव संसाधन को मानदेय के साथ एन0एच0एम0 में अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि के साथ नियमतः देय Experience bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।
- **FMR Code-185.C.S0529** (Old FMR- HSS.9.184.C.S0529) में जनपदों में कार्यरत साइकोलाजिस्ट/काउन्सलर हेतु कार्यरत पदों पर देय मानदेय एवं देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा देय Experience bonus सहित धनराशि आवंटित की गयी है एवं रिक्त पदों का मानदेय आवंटित नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत साइकोलाजिस्ट/काउन्सलर हेतु प्रति माह Basic Salary रू0 25000.00 की धनराशि एवं कार्यरत मानव संसाधन को मानदेय के साथ एन0एच0एम0 में अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि के साथ नियमतः देय Experience bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।
- **FMR Code - 185.C.P356** (Old FMR- HSS.9.184.C.P356) जनपदों में पूर्व से कार्यरत संविदा डाटा इंट्री आपरेटर हेतु कार्यरत पदों पर देय मानदेय एवं देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा देय Experience bonus सहित धनराशि आवंटित की गयी है। प्रदेश में जनपदों के आउटसोर्स एजेंसी डाटा इंट्री आपरेटर को अनुमन्य मानदेय में जी0एस0टी0, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं अन्य कर देय होगा यदि किसी जनपद में संविदा/एजेंसी डेटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा पद रिक्त हुआ है तो जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से आउटसोर्स एजेंसी से नियमतः डेटा ऑपरेटर की सेवा प्राप्त की जायेगी एवं यदि किसी जनपद में संविदा/एजेंसी डेटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा पद रिक्त हुआ है तो जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से आउटसोर्स एजेंसी से नियमतः डेटा ऑपरेटर की सेवा प्राप्त की जायेगी एवं रिक्त पदों का मानदेय आवंटित नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत डाटा इंट्री आपरेटर हेतु प्रति माह Basic Salary रू0 12432.00 की धनराशि एवं कार्यरत मानव संसाधन को मानदेय के साथ एन0एच0एम0 में अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि के साथ नियमतः देय Experience bonus GST, ESI, Service charge & EPF सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

जिला सलाहकार (District Consultant)–

- कार्यक्रम के अर्न्तगत जारी एन0एच0एम0 के वित्तीय–भौतिक नियमों के अनुसार नियमतः मदवार कार्यो को जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुये गतिविधियों को संचालित किया जायेगा।
- जनपदीय नोडल, एन0टी0सी0पी0 को कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में शत–प्रतिशत सहयोग प्रदान किया जायेगा।

- जनपद को राज्य से प्रेषित दिशा–निर्देशों एवं अन्य प्रेषित पत्रों आदि की सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी एवं नोडल एन0टी0सी0पी0 को प्रदान करते हुये कार्यक्रम हित में अग्रेतर कृत कार्यवाही की जायेगी।
- जनपद में सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्ययोजना बनाकर नोडल अधिकारी के माध्यम से डी0एच0एस0 का अनुमोदन प्राप्त कर कार्यक्रम के अन्तर्गत बैठक, प्रशिक्षण, कार्यशाला, विद्यालय कार्यक्रम एवं अन्य IEC/BCC गतिविधियों को सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगें।
- समस्त विभागों में सी0ओ0पी0टी0ए0–2003 के समस्त प्राविधानों/धाराओं एवं जे0जे0सी0 एक्ट–2015 की धारा–77 का जनपद में अनुपालन हेतु गतिविधियों को संचालित करायेगे।
- समस्त विभागों में सी0ओ0पी0टी0ए0–2003 के समस्त प्राविधानों/धाराओं एवं जे0जे0सी0 एक्ट–2015 की धारा–77 के अन्तर्गत सप्ताह में न्यूनतम प्राथमिकता के आधार पर एक दिन होने वाली एफ0जी0डी0 कार्यक्रम मे प्रतिभाग करेगें।
- जनपद सलाहकार के द्वारा शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ''तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान'' ऑपरेशनल गाइडलाइन का अनुपालन किया जायेगा, जिसकी प्रगति रिपोर्ट राज्य मुख्यालय त्रैमासिक रिपोर्ट के साथ पृथक से प्रेषित की जायेगी।

<u>सामाजिक कार्यकर्ता (Social Worker)–</u>

- सप्ताह में एक दिन होने वाले एफ0जी0डी0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन तथा साइकोलॉजिस्ट को सहायता प्रदान करेंगें।
- जनपदीय नोडल अधिकारी एन0टी0सी0पी0 से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम संचालन एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों में सहयोग करेंगें।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित विद्यालय कार्यक्रम को कार्ययोजना तैयार कर गाइडलाइन में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्पन्न करेंगें तथा ससमय रिपोर्ट प्रेषित करेंगें।
- भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ''तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान'' ऑपरेशनल गाइडलाइन का अनुपालन किया जायेगा, जिसकी प्रगति रिपोर्ट राज्य मुख्यालय त्रैमासिक रिपोर्ट के साथ पृथक से प्रेषित की जायेगी।

<u>साइकोलाजिस्ट/काउन्सलर–</u>

- जनपद में कार्यरत साइकोलॉजिस्ट/काउन्सलर द्वारा Tobacco Cessation Centre एवं टी0बी0–टोबैको गाइडलाइन का प्रभावी संचालन कराया जायेगा तथा उक्त से सम्बन्धित भौतिक प्रगति रिपोर्ट ससमय प्रेषित की जायेगी।
- जिला अस्पताल में तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र में कार्य करना एवं तम्बाकू का उपयोग कर रहे व्यक्ति को तम्बाकू छोड़ने हेतु प्रेरित करना साथ ही तम्बाकू छोड़ने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार के टोल फ्री नं0–1800112356 पर पंजीकरण कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जायेगा।
- सप्ताह में एक दिन जिला सलाहकार एवं सोशल वर्कर की सहायता से ग्राम स्तर पर एफ0जी0डी0 किया जाना, जिसकी प्रगति रिपोर्ट सोशल वर्कर के द्वारा तैयार कर निर्धारित प्रारूप ससमय प्रेषित की जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद सलाहकार, साइकोलॉजिस्ट/काउन्सलर एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता द्वारा जनपदीय नोडल अधिकारी, एन0टी0सी0पी0 के दिशा–निर्देशों में मानकानुसार कार्य निष्पादन करेंगे एवं उपरोक्त पदवार कार्य दायित्वों के निष्पादन एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय से प्राप्त दिशा–निर्देशों के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जनपदीय नोडल अधिकारी, एन0टी0सी0पी0 द्वारा कार्य मूल्याकन के आधार पर वार्षिक सेवा का विस्तारीकरण किया जायेगा।

<u>डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (Data Entry Operator) –</u>

- कार्यक्रम के अन्तर्गत मासिक सूचना तैयार करना।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त टाईपिग एवं पी0पी0टी0 आदि कार्यो को निष्पादित करना।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त फाइलों का रखरखाव करना।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य अपेक्षित सूचनाओं को तैयार करना।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य व जनपद की समीक्षा बैठकों में ससमय सूचना आदि को तैयार करना।

अन्य कार्यक्रम में गतिविधिवार कार्य निष्पादन निर्देश :–

1. जनपद सलाहकार अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी/कर्मी द्वारा जनपद के सभी विभागों के समन्वय स्थापित करते हुये कार्ययोजना बनाकर नोडल अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम/विद्यालय कार्यक्रम में स्वयसेवी संस्था के सहयोग एवं अन्य गतिविधियों को सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगें।
2. जनपद सलाहकार अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी/कर्मी द्वारा समस्त विभागों में सी0ओ0पी0टी0ए0–2003, The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019 (PECA-2019) के समस्त प्राविधानों/धाराओं एवं जे0जे0सी0 एक्ट–2015 की धारा–77 का जनपद में अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगें, साथ ही सप्ताह में एक दिन होने वाली एफ0जी0डी0 कार्यक्रम मे प्रतिभाग करेगें।
3. जनपद सलाहकार एवं सोशल वर्कर अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी/कर्मी द्वारा शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ''तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान'' ऑपरेशनल गाइडलाइन का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा, जिसकी प्रगति रिपोर्ट मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट के साथ प्रेषित की जायेगी।
4. सोशल वर्कर जनपद सलाहकार अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी/कर्मी के सहयोग से दिशा–निर्देशानुसार विद्यालय कार्यक्रम का क्रियान्वयन/अनुश्रवण करना/करवाना सुनिश्चित करेंगें।
5. प्रत्येक वर्ष आयोजित किये जाने वाले विशेष दिवस यथा– 31 मई को **''विश्व तम्बाकू निषेध दिवस''** एवं माह–मार्च के द्वितीय बुधवार को **''नो स्मोकिंग डे''** के अवसर पर जनपदों द्वारा निम्न गतिविधियां संचालित की जाये–
    - जनपद स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय समिति तथा ब्लॉक स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन कर 01 माह का कैम्पेन के माध्यम से तम्बाकू नियंत्रण हेतु अभियान की कार्ययोजना तैयार करना।
    - प्रति सप्ताह स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग व अन्य के द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी एवं चालान गतिविधि सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 एवं इलेक्ट्रानिक सिगरेट के प्रतिबन्ध एवं हानियों के प्रति प्रचार–प्रसार एवं इन्फोर्समेंट किया जाना।
    - प्रदेश के समस्त जनपदों में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर दिनांक 31 मई, 2024 को ''तम्बाकू मुक्त उत्तर प्रदेश'' हेतु शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाय।
    - एन0टी0सी0पी0, एन0पी0सी0डी0सी0एस0 एवं एन0एम0एच0पी0 कार्यक्रमों के अर्न्तगत कार्यरत काउन्सलर/ साइकोलॉजिस्ट द्वारा ब्लॉक स्तर पर शिविरों के माध्यम से तम्बाकू का सेवन कर रहे व्यक्तियों की काउन्सलिंग।
    - ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में तम्बाकू उपभोग से होने वाली हानियों के सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार के माध्यम से जानकारी दी जाय।
    - जनप्रतिनिधियों के सहयोग से व्यापक प्रचार–प्रसाार।
    - प्रिंट/इलेक्ट्रानिक/सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियों विजुअल व अन्य व्यापक प्रचार–प्रसार।
    - शिक्षा विभाग के सहयोग से समस्त शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त घोषित करवाना एवं उनकी मॉनीटरिंग करना।
    - आकाशवाणी एवं अन्य स्थानीय एफ0एम0 रेडियो चैनल के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार।
    - नगर/ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कूड़ा वाहनों में ऑडियो क्लिप के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार।
    - जिला/उप जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलेक्ट्रानिक स्क्राल के माध्यम से तम्बाकू निषेध सम्बन्धित सूचना प्रसारण।
    - जनपद/ब्लॉक स्तर पर रैली/गोष्ठी/कार्यशाला/नुक्कड़ नाटक/पोस्टर/निबंध प्रतियोगिता आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार।
    - आशा–आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ग्राम स्तर पर प्रचार–प्रसार।
    - ग्राम पंचायत स्तर पर गठित VHSNC के माध्यम से ग्राम स्तर तक जागरूकता अभियान आयोजित करना।
    - VHND/AHD/JAS आदि के माध्यम से गर्भवती महिलाओं व किशोर–किशोरियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से तम्बाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना।

- एन0टी0सी0पी0 / आर0बी0एस0के0 / आर0के0एस0के0 टीम के द्वारा स्कूल कार्यक्रम आयोजित कर छात्र / छात्राओं को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना।
- जनपद में एन0एच0एम0 के अन्य कार्यक्रमों के Stakeholder मानव संसाधन जैसे–मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, एन0यू0एच0एम0, कम्युनिटी प्रोसेस, क्वालिटी आदि के मानव संसाधन का अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुये जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, एन0टी0सी0पी0 यूनिट के सहयोग से जनपदी नोडल एन0टी0सी0पी0 द्वारा कार्यक्रम हित में गुणवत्तापूर्ण योजना तैयार की जाये एवं कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु डी0एच0एम0 से अनुमोदन प्राप्त कर जनपद में प्रभावी रूप IEC एवं BCC गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है।

6. सोशल वर्कर द्वारा साइकोलॉजिस्ट की सहायता से अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी / कर्मी के सहयोग से ग्रामीण स्तर पर सप्ताह में एक दिन होने वाले एफ0जी0डी0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन जनपद सलाहकार के सहयोग से किया जायेगा।

7. जिला नोडल अधिकारी / जिला सलाहकार, एन0टी0सी0पी0 द्वारा अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी / कर्मी के सहयोग से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक मासिक रिपोर्ट राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 की ई–मेल–nodal.ntcp.up@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. जिला नोडल अधिकारी एन0टी0सी0पी0 द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत मदवार एवं गतिविधिवार आवंटित धनराशि का व्यय ससमय एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के आधीन जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन उपरान्त नियमानुसार शत–प्रतिशत व्यय कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार / जिला लेखा प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, द्वारा कार्यक्रम का वित्तीय कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके क्रम में जिला नोडल अधिकारी एन0टी0सी0पी0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के दिशा–निर्देश में जिला सलाहकार एन0टी0सी0पी0 अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी / कर्मी द्वारा कार्यक्रम की कार्ययोजना बनाकर वित्तीय एवं भौतिक नियमों के अनुरूप जनपद में गतिविधि को संचालित किया जायेगा।

10. जनपद सलाहकार एन0टी0सी0पी0 अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी / कर्मी द्वारा आपरेशनल गाइडलाइन्स एवं समय–समय पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 प्रेषित दिशा–निर्देशों पर आवश्यक कार्यवाही एवं जिन जनपदों में वर्तमान समय तक DLCC / इन्फोर्समेन्ट स्कवायड, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर समन्वय समिति का गठन नहीं किया गया है, का गठन करवाना सुनिश्चित करेंगें।

11. जनपद सलाहकार अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी / कर्मी द्वारा यलो लाइन कैम्पेन के माध्यम से जनपद के समस्त सरकारी कार्यालय एवं शैक्षणिक संस्थानों में ''यलो लाइन'' सम्पादन करवाना सुनिश्चित करेगें।

12. जनपद सलाहकार अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी / कर्मी द्वारा जनपद में DLCC / इन्फोर्समेन्ट स्कवायड का गठन, प्रशिक्षण इत्यादि गतिविधियां सम्पादित की जायेगी तथा ससमय मासिक एवं त्रैमासिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। यहां यह उल्लेखनीय है कि जनपद सलाहकार अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी / कर्मी द्वारा अपने आंवटित कार्यो में भ्रमण तथा कार्य सत्यापन उपरान्त जिला सलाहकार, एन0टी0सी0पी0 / एफ0एल0सी0 / जिला लेखा प्रबन्धक / नोडल एन0टी0सी0पी0 को भ्रमण आदि के लिये भत्ता भुगतान नियमानुसार निर्धारित उपयुक्त मद से किया जायेगा।

<u>वित्तीय प्रबन्धन</u>

- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासना देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम

प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।

- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 में DHAP के सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य द्वारा जनपदों को आवंटित धनराशि मानदेय मद में मात्र बजटरिय अनुमोदन प्रदान करता है सम्बन्धित जनपद एवं इकाई द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मानकानुसार इकाईयों पर कार्यरत संविदाकर्मी एवं एजेंसी कर्मियों को एन0एच0एम0 में वर्तमान मे प्रावधानित नियमों के अनुसार मानदेय आहरण के लिये Minimum Wages act up का अनुपालन शत–प्रतिशत् सुनिश्चित किया जायेगा।
- जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुये PFMS Portal के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सकें।

प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक/एफ0एल0सी0, नोडल, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत मानदेय आहरण किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

20.6 राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP)

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) प्रदेश के चिन्हित **24 एंडमिक जनपदों** (**आगरा, अलीगढ, आजमगढ, बुलन्दशहर, बहराइच, बरेली, बस्ती, बिजनौर, देवरिया, अयोध्या, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, जौनपुर, लखीमपुर–खीरी, मथुरा, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सुल्तानपुर, वाराणसी, शाहजहॉपुर, रामपुर, सहारनपुर एवं पीलीभीत**) में संचालित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) उत्तर प्रदेश में संचालित है, जिसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं अन्य व्यक्तियों को आयोडीनयुक्त नमक का उपयोग, उसकी कमी से होने वाले दुष्परिणाम एवं आयोडीन की कमी दूर करने के उपाय के बारे में जागरूक करना है। इसी संदर्भ में प्रदेश के 24 एंडमिक जनपदों में आशाओं द्वारा नमक के नमूनों में आयोडीन की जाँच करना निर्धारित किया गया है।

आयोडीन एक आवश्यक पोषक तत्व है, जो हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। आयोडीन की कमी से घेंघा ही नही वरन बहरापन, गूँगापन, मानसिक विकृतियाँ तथा अपंगता जैसी व्याधियाँ भी होती है, जिनका निदान सम्भव नही है। उपरोक्त विकृतियों के बचाव हेतु नमक का सार्वभौमिक आयोडीनीकरण (**USI-Universal Salt Iodisation**) सर्वाधिक व्यवहारिक, प्रभावी एवं सस्ता उपाय है। सार्वभौमिक आयोडीनीकरण (**USI**) 1986 से कुछ क्षेत्रों में शुरू किया गया। भारत सरकार द्वारा 15 मई, 2006 से आयोडीनरहित नमक की बिक्री एवं भण्डारण पर रोक लगा दी गयी है।

उपभोक्ता स्तर पर प्रयोग किये जाने वाले नमक में आयोडीन की मात्रा कम से कम 15 पी0पी0एम0 होना आवश्यक है, अतः प्रयोग किये जाने वाले नमक में आयोडीन की मात्रा की जॉच किया जाना अनिवार्य है।

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष जनपदवार मदवार एवं गतिविधिवार **रू0 203.44** लाख निम्नवत है–

1– आशा को अपने कार्य क्षेत्र में नमक की जॉच हेतु दिशा निर्देश :–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुॅचाने एवं उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने में आशा की अहम भूमिका है।

- प्रत्येक आशा को प्रतिमाह एक साल्ट टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके द्वारा **50 घरों के नमक के नमूनों की जॉच की जायेगी,** जिससे आयोडीनयुक्त नमक के उपयोग हेतु जागरूकता एवं आयोडीनयुक्त नमक की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा सके। उक्त जाँचे सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर, आँगनबाडी केन्द्र, स्कूल तथा घरों में उपयोग किये जाने वाले नमक में की जायेगी।
- प्रत्येक आशा को माह में कम से कम **50 नमक के नमूनों में आयोडीन की जाँच** करना अनिवार्य है तथा उसके उपरान्त ही **रू. 25/= प्रतिमाह की दर** से भुगतान किया जायेगा।
- उपकेन्द्रो/प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो की सम्बन्धित आशा संगिनी/ए0एन0एम0 के द्वारा प्रतिमाह आशा द्वारा किये गये नमक की जाँच के नमूनों का सत्यापन करने के पश्चात ही आशाओं को भुगतान किया जायेगा।
- आशाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नमक के नमूनों की जॉच की मासिक रिपोर्ट उपकेन्द्र की आशा संगिनी/ए0एन0एम0 के माध्यम से प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिले के नोडल अधिकारी (आई0डी0डी0) को प्रेषित की जायेगी, जो संकलित रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करेगें।
- जनपद के नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) द्वारा मासिक रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम अधिकारी (अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0, अलीगंज, लखनऊ) को ई–मेल adshi1972@gmail.com, Lkoadshi2024@gmail.com पर प्राप्त कराते हुए हार्ड कॉपी **प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगें**।

2. आशाओं द्वारा नमक में आयोडीन की मात्रा की जाँच की विधि हेतु दिशा निर्देश :–

नमक में आयोडीन की मात्रा की जाँच **''साल्ट टेस्टिंग किट''** से होती है। इस किट का उपयोग बहुत आसानी से किया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् है :–

- सर्वप्रथम एक से दो चम्मच नमक लेना है, जिसमें बडी सफेद रंग की शीशी से 1–2 बूँद टेस्ट घोल को मिलाना है।
- इसके उपरान्त नमक में उपलब्ध आयोडीन की मात्रा के अनुसार, नमक का रंग हल्का नीला से गहरा स्याही में परिवर्तित हो जायेगा।
- किट बाक्स पर उपलब्ध चार्ट के अनुसार नमक के रंग की तुलना करते हुए उसमें उपलब्ध आयोडीन की मात्रा राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ द्वारा प्राप्त कराये गये रिपोर्टिंग प्रारूप पर लिखें।
- न्यूनतम् स्वीकार योग्य आयोडीन की मात्रा उत्पादक स्तर पर 30 पी0पी0एम0 एवं उपभोक्ता स्तर पर 15 पी0पी0एम0 होनी चाहिए।
- नमक अगर क्षारीय है या उसमें कोई क्षारीय केमिकल का मिश्रण है तो नमक में टेस्ट घोल को मिलाने के उपरान्त भी नमक के रंग में कोई भी परिवर्तन नही होगा, जबकि उस नमक में आयोडीन मिला हो सकता है। इस स्थिति में निम्न प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :–
- 1–2 चम्मच नमक लें, उसमें 1 बूँद अम्लीय द्रव (पुनःजाँच) घोल छोटी शीशी से मिलायें।
- 1–2 बूँद टेस्ट घोल (सफेद बडी शीशी) मिलायें।
- किट बाक्स पर उपलब्ध चार्ट से नमक के रंग में आये बदलाव की तुलना करें।

3–किट की आपूर्ति :– FMR Code 62.1 (Old FMR Code RCH.8.62.DS)

आशाओं को प्रतिमाह जनपदीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) के अर्न्तगत नियुक्त नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नमक के नमूँनों में आयोडीन की मात्रा की जाँच हेतु एक साल्ट टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक साल्ट टेस्टिंग किट से लगभग 100 नमक के नमूनों की जाँच हो सकती हैं। अतः प्रत्येक **आशा को प्रतिमाह एक साल्ट टेस्टिंग किट दी जायेगी** जिससे कि कार्य बाधित न हो और ससमय नमक के नमूनों की जाँच करने के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित की जा सके।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में जनपदों को साल्ट टेस्टिंग किट उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

4– आशा प्रतिपूर्ति धनराशि / ASHA incentives:– FMR Code 62.3 (Old FMR Code RCH.8.62.ASHA)

आशा द्वारा किये जा रहे कार्यो के आधार पर उक्त अनुमोदित गतिविधि में प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा। प्रतिपूर्ति राशियों कें ससमय भुगतान किये जाने से आशाओं के उत्साह, मनोबल एवं कार्य क्षमता में बढोत्तरी होगी, जिससे वह अपने कार्यो को और सक्रिय रूप से कर पाने में सक्षम हो पायेगी तथा राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) को गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान करेंगी।

आशाओं को उनके द्वारा किये जाने वाले नियमित गतिविधि (नमक नमूनों का परीक्षण) के लिए प्रतिपूर्ति राशि के रूप में **रू. 25=00 प्रतिमाह (50 नमक के नमूनों में आयोडीन की जाँच)** दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

(आशा प्रतिपूर्ति धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए **FMR Code 62.3** में निर्गत की गयी धनराशि से किया जायेगा)

आशा द्वारा विगत माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक की गयी गतिविधि (नमक के नमूनों में आयोडीन की जाँच) का विवरण आशा पेमेण्ट वाउचर में अंकित (अन्य कालम)/अथवा इस हेतु चिन्हित कालम में किया जायेगा।

5–प्रचार–प्रसार मद / IEC & Printing:– FMR Code 62.4 (Old FMR Code RCH.8.62.IEC)

वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) के अन्तर्गत **FMR Code 62.4** में प्रचार–प्रसार मद में अनुमोदित धनराशि 24 जनपदो को **रू0 25,000=00** की दर से धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि का उपयोग **ग्लोबल आई0डी0डी0 दिवस (21st October, 2024)** पर अधिक से अधिक विभागों के अधिकारियों एव मीडिया प्रभारियों, एन0जी0ओ0 इत्यादि की भागीदारी सुनिश्चित करते हुये प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन करेगें जिससे जनपद के मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से जन जागरूकता बढाई जा सके। इसके अतिरिक्त अन्य प्रचार–प्रसार सम्बन्धी कार्य भी इसी धनराशि से कराया जा सकते हैं।

6–अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :–

- क्लस्टर बैठक में आशाओं को साल्ट टेस्टिंग किट से नमक के नमूनों की जाँच हेतु समस्त जानकारी दी जायेगी एवं जिन आशाओं द्वारा अच्छा कार्य किया जायेगा उनको प्रोत्साहित किया जायेगा।
- भ्रमण के दौरान ब्लाक, जनपद एवं राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा ए0एन0एम0 से आशाओं की नमक के नमूने की रिपोर्ट प्राप्त करके उनके द्वारा किये गये कार्य का समय–समय पर सत्यापन किया जायेगा।

7–प्रति माह जॉच हेतु नमक के नमूने एकत्र कर कार्यालय अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0 को भेजने हेतु दिशा–निर्देश

- सीलबन्द प्लास्टिक के लिफाफे में **नमक (पाउडर/बडगरा) के नमूनों को ग्रामीण एवं शहरी** घरों एवं फुटकर विक्रेताओं से प्रतिमाह **50 नमूनों एकत्रित कर** संस्थान में जॉच हेतु प्रेषित किये जायेगें तथा यह भी सुनिश्चित कर ले कि जनपद के अधिकांश भागो से नमॅूने सम्मिलित कर लिये जाये।
- प्रत्येक नमक नमूनों की मात्रा 100 ग्राम होनी चाहिए।
- एकत्र किये गये नमूनों में से 25 ग्रामीण क्षेत्र से,15 शहरी क्षेत्र के घरों से, 07 ग्रामीण फुटकर विक्रेता से एवं 03 शहरी फुटकर विक्रेता से होने चाहिए।
- नमक नमूनों के लिफाफे को सीलन एवं धूप से दूर रखना आवश्यक है अन्यथा नमक में आयोडीन की मात्रा कम हो जायेगी।
- विवरण प्रपत्र से मिलान करते हुए ही नमक के नमूनों के लिफाफे पर नमक का ब्रान्ड एवं क्रम संख्या डालें।

- एकत्र किये गये नमक के नमूनों का विवरण,दिये गये प्रपत्र पर बिन्दुवार विस्तृत रूप से अंकित किया जाये।

जनपद का नाम .... **माह ....**

क्रम संख्या	नमूना एकत्र करने वाले कर्मचारी का नाम व पदनाम	नमूना एकत्र करने का दिनॉक	नमक के ब्रान्ड का नाम	ग्रामीण / शहरी		राशन वितरण केन्द्र का नाम व पता	नमक का प्रकार (पाउडर अथवा बडगरा)
				परिवार के मुखिया का नाम (यदि नमूना घर से लिया गया हो)	फुटकर विक्रेता का नाम व पता		
01							

8–Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport) FMR Code 62.4 (Old FMR Code RCH.8.62.DI)– नमक का नमूना एकत्र करने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पत्र वाहक अथवा कोरियर से संस्थान में प्राप्त कराना सुनिश्चित करे। जनपदो को नमक के नमूने कोरियर द्वारा भेजने हेतु **रु0 500/प्रतिमाह/प्रति जनपद की दर से (6000/वर्ष)** Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport) **FMR Code 62.4** मे निर्गत की गई है।

- **संस्थान का पता–अपर निदेशक,राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ0प्र0,सेक्टर–सी,अलीगंज,लखनऊ–226024**
- कार्यक्रम के क्रियान्यवयन में किसी प्रकार की कठिनाई/समस्या होने पर दूरभाष सं–9648418514 पर सम्पर्क कर सकते है।
- ई–मेल पता- **adshi1972@gmail.com, gmncdnhm@gmail.com & upncd2019@gmail.com**

9– वित्तीय व्यवस्था

- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासना देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुये PFMS Portal के माध्यम से किया जायेगा, जिससे की उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सके।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

20.7 राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम (NPPCF)

फ्लोरोसिस जन सामान्य से जुड़ी एक समस्या है जो फ्लोराइड तत्व की सामान्य (1पी0पी0एम0) से अधिक मात्रा में शरीर में लगातार प्रवेश करने से होती है। फ्लोराइड तत्व पीने के पानी, खाद्य पदार्थों कारखानों से निकले दूषित पदार्थों इत्यादि के लम्बे समय तक सेवन के कारण शरीर में प्रवेश कर दाँतो, हड्डियों एवं अन्य अंगो को प्रभावित कर विकृति उत्पन्न करता है जो आगे चल कर अपरिवर्तनीय स्थाई अपंगता के रूप में विकसित होता है।

फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वर्ष 2016–17 में सम्मिलित किया गया है। वर्तमान मे कार्यक्रम जनपद आगरा, सोनभद्र, झाँसी, वाराणसी, गाजीपुर, मथुरा, उन्नाव, प्रतापगढ, रायबरेली, फिरोजाबाद में संचालित है। इस कार्यक्रम के वर्ष 2024–25 में संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैं।

1—जनपद में फ्लोरोसिस उपचार केन्द्र की स्थापना

i. मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद स्तर पर पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा नोडल अधिकारी के साथ बैठक कर चिकित्सालय में फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम हेतु एक कक्ष चिन्हित करेंगे। जिसके बाहर **फ्लोरोसिस उपचार केन्द्र** नाम का एक बोर्ड लगाया जायेगा तथा फ्लोरोसिस से सम्बन्धित समस्त जानकारियों को पोस्टर एवं बैनर के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा। चिकित्सालय में तैनात एक फिजीशियन/ बालरोग चिकित्सक को राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम चिकित्सा प्रभारी नामित किया जायेगा।

ii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर के अधिकारी को जनपदीय नोडल अधिकारी नामित करेगे।

iii. जनपदों में प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चिकित्सालय में स्थान चिन्हित कर लें एवं प्रयोगशाला स्थापित कर कार्य करना सुनिश्चित करें।

iv. प्रभारी चिकित्सक इस कार्यक्रम का अलग से एक ओ0पी0डी0 रजिस्टर रखेंगे तथा सभी सम्भावित फ्लोरोसिस प्रभावितों को पुष्टि हेतु मूत्र जाँच के लिए लैब में भेजेंगे।

v. प्रयोगशाला में संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन द्वारा फ्लोरोसिस प्रभावितों के मूत्र नमूनों तथा क्षेत्र से प्राप्त जल नमूनों की जाँच आयनमीटर से की जायेगी।

vi. रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात प्रभावितों को आवश्यक उपचार तथा स्वास्थ्य शिक्षा दी जायेगी।

vii. सभी प्रभावितों की मासिक रिपोर्ट "फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम" के परामर्शदाता तथा लैब टेक्नीशियन के सहयोग से चिकित्सालय से प्राप्त कर नामित चिकित्सा अधिकारी अथवा जनपदीय नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रतिमाह राज्य स्तर पर अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करेंगे।

2—प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की स्क्रीनिंग

i. मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी के माध्यम से समस्त अधीक्षक/एम0ओ0आई0सी0 के साथ एक बैठक आहूत कर उन्हें अपने क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों की सूची (ए0एन0एम0 के क्षेत्रवार)बैठक में लाने के निर्देश देगें तथा इस कार्यक्रम के सभी बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगें।

ii. प्रत्येक ब्लाक पर कार्यरत स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/एच0वी0 को कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूली बच्चों की स्क्रीनिंग व आई0ई0सी0 का प्रभारी बनाया जायेगा। यह जिला परामर्शदाता के साथ मिलकर अपने ब्लाक के 10 प्राथमिक पाठशाला प्रतिमाह के दर से रोस्टर बनायेंगें। प्रत्येक तीन माह के इस रोस्टर को सभी ब्लाकों से प्राप्त कर जिला नोडल अधिकारी को प्राप्त कराना जिला परामर्शदाता का उत्तरदायित्व होगा।

iii. तीन माह का यह रोस्टर सम्बन्धित ए0एन0एम0 तथा एच0वी0 को भी उपलब्ध कराया जायेगा जिससे वह आशा आदि को पूर्व से सूचित कर स्कूल में पर्याप्त व्यवस्था करवा सके। एक माह में यथा सम्भव 10 अलग—अलग ए0एन0एम0 के क्षेत्रों के स्कूल आच्छादित किये जायें।

iv. प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 100 बच्चों की फ्लोरोसिस के लक्षणों हेतु जाँच की जायेगी जिसके रिकार्ड के लिये रजिस्टर बनाया जायेगा। ए0एन0एम0 द्वारा व्यवस्थित किये जाने वाले स्क्रीनिंग रजिस्टर मे प्रभावित बच्चों को जिला पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय पर उपचार हेतु संदर्भित किया जायेगा।

v. जिस स्कूल में टीम स्क्रीनिंग करेगी उसी क्षेत्र के न्यूनतम 4 हैण्डपम्प से पानी के नमूने भी एकत्र कर जनपद पर स्थापित लैब में भिजवाये जायेगें।

vi. ब्लाक के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ए0एन0एम0 तथा एच0वी0 से प्रारूप—1घ पर रिपोर्ट प्राप्त कर माह की 25 तारीख तक परामर्शदाता को प्राप्त करायेगें जिससे परामर्शदाता सभी ब्लाकों से

प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर माह की 30 तारीख तक नोडल अधिकारी के माध्यम से राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ0प्र0 लखनऊ को **ई–मेल (adshi1972@gmail.com)** पर प्रेषित करेगें। इसी प्रकार NPPCF उपचार केन्द्र की उपलब्धि की रिपोर्ट भी परामर्शदाता भरवाकर प्रतिमाह संकलित करेगे।

3–जल निगम से समन्वय

जिला नोडल अधिकारी तथा जिला परामर्शदाता जलनिगम के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर ब्लाकवार/ग्राम सभावार क्षेत्र के सभी हैण्ड पम्पों के विषय में सूचना एकत्र करेगें एवं फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल व्यवस्था हेतु की जाने वाली कार्यवाही की अद्यतन जानकारी लेगें तथा प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह राज्य स्वास्थ्य संस्थान को प्रेषित करेगें।

4– वित्तीय स्वीकृतियाँ

i. **Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport) New FMR 120.1** (Old FMR code NCD.10.120.DI) – प्रति जनपद रू0 0.50 लाख (रू0 पचास हजार) की दर से **रू0 5.00 लाख** की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

ii. **Drug (Recurring Grant–in-Aid Medical Management including treatment surgery & rehabilitation) New FMR 120.2** (Old FMR code NCD.10.120.DS) – प्रति जनपद रू0 1.20 लाख (रू0 एक लाख बीस हजार मात्र) की दर से **रू0 12.00 लाख** की धनराशि एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है, जिससे दंत चिकित्सा, विकृत हड्डियों के सुधारात्मक उपचार, पुनर्वास इत्यादि पर व्यय किया जा सकेगा।

iii. **Planning & M&E (NPPCF Quaterly coordination meeting) New FMR 120.4** (Old FMR code NCD.10.120.PME) - के अन्तर्गत प्रति जनपद रू0 40,000 हजार की दर से **रू0 4.00 लाख** की धनराशि एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।

iv. **IEC & Printing New FMR 120.3** (Old FMR code NCD.10.120.IEC)

भारत सरकार द्वारा **FMR code NCD.10.120.IEC** के अन्तर्गत समस्त 10 जनपदों हेतु प्रति जनपद रू0 2.30 लाख (रू0 दो लाख तीस हजार मात्र) की दर से **रू0 23.00 लाख** की धनराशि एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त की गयी है।

5– वित्तीय व्यवस्था

i. आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।

ii. प्राविधानित धनराशि का व्यय आबंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।

iii. धनराशि का आंवटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।

iv. जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुये PFMS Portal के माध्यम से किया जायेगा, जिससे की उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सके।

v. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियत्रंण कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन

जिला सलाहकार

1. **मद सं0 185.C.P323** पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला सलाहकार हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 40,000.00 की दर से स्वीकृत है तथा पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय हेतु एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय Experience Bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

कार्यदायित्वः–

- जिले में फ्लोरोसिस की भयावहता के आकलन के लिए सर्वेक्षण करना।
- पी0एच0ई0डी0 विभाग से पानी में फ्लोराइड के स्तर की जानकारी एकत्र करना और जिलों के स्थानिक गांवों का मानचित्रण करना। पानी, यूरिन और सीरम के फ्लोराइड आकलन के लिए प्रयोगशाला स्थापित करना।
- विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहायता करना।
- डेटा बेस की निगरानी और रखरखाव।
- स्थानिक जिलों में फ्लोरोसिस के बारे में जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन (बी0सी0सी0) पैदा करने के लिए आईईसी और बीसीसी गतिविधियों का समन्वय करना।
- राज्य नोडल अधिकारियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (पी0एच0ई0डी0) और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय।
- रिपोर्ट तैयार करना और डेटा की नियमित रिपोर्टिंग करना।
- फ्लोराइड प्रभावित गांवों की लाइन–लिस्टिंग करना।
- जिले में संचालित प्रयोगशाला में फ्लोराइड परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- मेडिकल ऑफिसर के परामर्श से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों हेतु सुधारात्मक सर्जरी के लिए उच्च स्तरीय चिकित्सालयों में संदर्भित करना।

लैब टेक्नीशियन

2. **मद सं0 185.C.S0047** पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत लैब टेक्नीशियन हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 11,000.00 की दर से स्वीकृत है तथा पूर्व में कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय हेतु एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय Experience Bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

कार्यदायित्वः–

- फ्लोराइड स्तर के विश्लेषण के लिए स्कूलों और गांवों से पानी और यूरिन के नमूने एकत्र करना।
- फ्लोराइड के नमूनों का विश्लेषण करना।
- प्रयोगशाला रिपोर्ट को नियमित रूप से जिला सलाहकार/जिला नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करना।
- मासिक रिपोर्ट तैयार करने में सहायता प्रदान करना।
- प्रशिक्षण और आईईसी गतिविधियों में सहायता प्रदान करना।

वित्तीय प्रबन्धन

- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेश एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 में DHAP के सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियत्रंण कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- **जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुये PFMS Portal के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सकें।**
- राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियत्रंण कार्यक्रम के अन्तर्गत SHS द्वारा DHS को आवंटित धनराशि कार्यरत संविदा एवं एजेन्सी कर्मियों के मानदेय मद में मात्र Budgetry अनुमोदन प्रदान

करता है सम्बन्धित DHS द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एन0एच0एम0 के मानकानुसार प्रचलित नियमों के अनुरूप कार्यरत संविदाकर्मी एवं एजेंसी कर्मियों को नियमतः वर्तमान में मानदेय आहरण के लिये Minimum Wages act u.p का अनुपालन शत–प्रतिशत सुनिश्चित करते हुये मानदेय आरहण किया जायेगा।

- एजेन्सी कर्मियों के ई0पी0एफ0, जी0एस0टी0, ई0एस0आई0 एवं सर्विस चार्ज का नियमतः भुगतान की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित DHS की होगी अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक जबाबदेही/विविध कार्यवाही की जिम्मेदारी भी सम्बन्धित DHS की होगी।

प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, नोडल अधिकारी, एन0पी0पी0सी0एफ0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत मानदेय आहरण किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये मानदेय आरहण किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

20.8 राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम

राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में होने वाली निम्न गतिविधियों में होने वाले व्यय की दरों को निम्नानुसार अनुमोदित किया है जिनके अनुसार ही कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में नवीन एफ0एम0आर0 में आवंटित धनराशि हेतु संक्षिप्त दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

1. कार्यक्रम का संचालन/क्रियान्वयन भारत सरकार स्तर से निर्गत Operational Guidelines of NOHP के अनुसार ही किया जायेगा, जोकि आपको पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।
2. National Oral Health Programme (NOHP) के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश राज्य स्तर से जारी किये जायेंगे उक्त प्रशिक्षण में जनपद के Dental surgeon एवं Dental Hygienist द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।
3. कार्यक्रम के अन्तर्गत मद सं0 **Procurement of Consumables and Diagnostics- FMR 115.1 (Old FMR Code NCD.8.115.DI)** पर रू0 5.00 लाख की धनराशि प्रति जनपद की दर से अनुमोदित की गयी है, जिसके अन्तर्गत जनपद में जिला चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्थापित Dental Clinic में उपयोग किये जा रहे उपकरणों का क्रय एवं उसकी क्रियाशीलता बनाये रखने हेतु Cosumables आदि का क्रय (निम्न तालिका अनुसार) एवं उसकी उपलब्धता हेतु उक्त मद में उपलब्ध धनराशि का उपयोग नियमानुसार किया जाना है। जिससे कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन हो सके। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जनपदीय नोडल अधिकारी की होगी कि प्रत्येक Dental Clinic में आवश्यक उपकरण क्रियाशील एवं Cosumables आदि की उपलब्धता भी पूर्ण रहें। जिससे जनमानस को समुचित स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके।

अवगत कराना है कि जिला चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थापित डेन्टल क्लीनिक में उपकरण/Cosumables आदि का क्रय डेन्टल क्लीनिक में कार्यरत डेन्टल सर्जन द्वारा उपलब्ध कराये गये इन्डेट का जनपद स्तर पर कार्यरत सीनियर डेन्टल सर्जन के सहयोग से जिला नोडल अधिकारी, एन0ओ0एच0पी0 द्वारा परीक्षण किया जायेगा तदोपरान्त ही आवश्यक/जरूरी उपकरण/Cosumables आदि का क्रय किया जायेगा तथा समय–समय पर जिला नोडल अधिकारी, एन0ओ0एच0पी0 द्वारा उक्त का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

Comprehensive List of Consumables and Examination Instruments Required in Dentistry for Government Healthcare Facilities	
❖ **Consumables:**	❖ **Examination and Exploration Instruments:**
• **Dental Anesthetics:** Lidocaine Articaine Mepivacaine	• Diagnostic Instruments: Dental mirrors Explorers (sickle, shepherd's hook) Periodontal probes Dental tweezers
• **Dental Needles and Syringes:** Disposable needles	• **Radiographic Instruments:** X-ray machine (intraoral and panoramic) X-ray film holders (e.g., bite-wing holders)

Local anesthesia syringes	X-ray film or digital sensors Lead aprons and thyroid collars
• **Restorative Materials:** Composite resin Glass ionomer cement Resin-modified glass ionomer cement Zinc oxide and eugenol Calcium hydroxide Polycarboxylate cement	• **Restorative Instruments:** Dental handpieces (high-speed and low-speed) preferably fiberoptic Burs and diamond points Composite placement instruments Matrix bands and retainers
• **Impression Materials:** Alginate Zinc oxide eugenol impression paste	• **Endodontic Instruments:** Root canal files (hand and rotary) Gates-Glidden drills Spreaders and pluggers Lentulo spirals Apex locator
• **Disposables:** Face masks Gloves (latex or nitrile) Disposable gowns Saliva ejectors Cotton rolls Dental bibs	• **Prosthodontic Instruments / materials** Impression trays (metal and plastic) Denture base materials Denture teeth Articulators Wax rims Articulators Cold cure material (pink and clear) POP Dental stone / Die stone Wax / Lacron knife Bowl and spatula
• **Infection Control:** Disinfectants (e.g., glutaraldehyde, sodium hypochlorite) Sterilization pouches and rolls Autoclave tape Hand sanitizers	• **Orthodontic Instruments:** Band pushers and seaters Ligature and wire cutters Arch contouring pliers Bracket removing pliers
• **Endodontic Materials:** Gutta-percha points Root canal sealers Paper points Rubber dams File holders Endodontic files and reamers	• **Periodontal Instruments:** Periodontal probes Scaling and root planning instruments (e.g., scalers, curettes) Periodontal knives Gingival retraction instruments ZOE dressing paste
• **Prophylactic and Preventive Materials:** Fluoride varnish Dental sealants Prophylaxis pastes Fluoride gels	• **Surgical Instruments:** Dental elevators Forceps (extraction forceps, hemostatic forceps) Surgical curettes Bone files and chisels Sutures (3-0 silk, catgut) BP Blade (11,12,15) with handle Retractors (cheek/lip) Bite block Bone rounzer Mallet Tissue holding forcep Artery forceps Needle holding forceps Scissors (curved/straight) Arc bars and ligature wires
• **Orthodontic Materials:** Orthodontic brackets Archwires (stainless steel, nickel-titanium)	• **OTHERS-** Formocresol Sodium hypochlorite 5.2 %

Ligature ties Elastics	Pulp devitalizer Metapex
• **Periodontal Materials:** Periodontal dressing Periodontal scalers Periodontal curettes	
Conclusion: This comprehensive list covers the essential consumables and examination instruments required for providing comprehensive dental care in government healthcare facilities. Regular inventory management, maintenance, and training on the proper use of these materials and instruments are essential to ensure quality dental care delivery to patients. Additionally, adherence to infection control protocols and safety guidelines is crucial to maintain a safe and hygienic working environment for dental professionals and patients alike.	
Note: 1- All the Dental Surgeons are required to place an indent to their respective CMOs and CMSs as per their requirement and the foot fall of the Dental Department. The demand should be in accordance with the cases handled by the Dental Surgeon of the respective DH or CHC. Excessive materials should not be made as the consumption of the consumables shall be continuously monitored. 2. All the CMO's and CMSs are requested to procure the consumables and instruments only as per the indent given by the Dental Surgeons. 3. The requirement /indent shall be continuously monitored by the District Nodal officer in coordination and consultation with the senior most Dental Surgeon of the District.	

उक्त मद से क्रय सम्बन्धी कार्य जिला–स्वास्थ्य–समिति के अनुमोदनोंपरान्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्रचलित वित्तीय नियमो/उपनियमों के अनुसार ही किया जायेगा।

4. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 18 मण्डलीय चिकित्सालयों हेतु एफ0एम0आर0 मद संख्या– **Diagnostics for 18 Divisional Dental Lab- FMR 118.1 (NCD.8.118.DI.1)** पर रू0 5.00 लाख धनराशि प्रति मण्डल की दर से मण्डलीय जनपदों को आवंटित की गयी है, उक्त धनराशि का उपयोग डेन्टल लैब की स्थापना नियमुनसार किया जायेगा।

   यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश के मण्डलीय चिकित्सालयों के सम्बन्धित निदेशक/एस0आई0सी0/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने चिकित्सालय में 400 स्क्वायर फीट का स्थान चिन्हित करते हुए डेन्टल लैब की स्थापना करेंगे।

5. वर्ष 2024–25 में प्रदेश के समस्त जनपदो हेतु एफ0एम0आर0 कोड– **IEC & Printing under NOHP**-FMR 115.5 **(NCD.8.115.IEC.1)** पर रु0 5.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि अनुमोदित की गयी है। जिसका उपयोग National Oral Health Programme के अर्न्तगत प्रचार–प्रसार सामग्री (जैसे पोस्टर, बैनर, पैम्पलेटस, फ्लैक्स आदि के मुद्रण) के लिए अनुमोदित की गई है। National Oral Health Programme (NOHP) के अर्न्तगत होने वाली IEC/BCC activity निम्नवत है–

a) जनपदों हेतु प्रचार–प्रसार सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर, पैम्पलेटस, फ्लैक्स आदि के मुद्रण का कराया जाना है, जिसका प्रोटोटाइप एवं स्पेशीफिकेशन राज्य स्तर से पृथक से प्रेषित किया जायेगा, जिससे कि प्रचार–प्रसार सामग्री में एकरूपता बनी रहें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार की सामग्री की उपलब्धता जनपद के प्रत्येक स्वास्थ्य इकाईयों पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।

b) विश्व ओरल स्वास्थ्य दिवस का आयोजन प्रदेश के समस्त जनपदो द्वारा प्रत्येक वर्ष दिनांक 24 मार्च को किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए कार्यक्रम के अर्न्तगत आई0ई0सी0 मद में आवंटित धनराशि से अधिकतम रू 50 हजार तक का व्यय किया जा सकता है। विश्व ओरल स्वास्थ्य दिवस का आयोजन की रिपोर्ट जिला ओरल हेल्थ सेल के माध्यम से वीडियो क्लिप/फोटोग्राफ statenohpup@gmail.com & upbmwnodal@gmail.com, gmncdnhm@gmail.com पर उपलब्ध कराया जायेगा।

c) कार्यक्रम की आवश्यकतानुसार लोकल चैनल, रेडियो, एफ0एम0, ई–रिक्शा के माध्यम से डिजिटल प्रचार–प्रसार वित्तीय नियमों के दृष्टिगत नियमानुसार किया जा सकता है।

   उपरोक्त IEC/BCC activity को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय नियमो के अर्न्तगत जिला–स्वास्थ्य–समिति के अनुमोदन के उपरान्त व्यय किया जाएेगा अन्यथा की स्थिति में वित्तीय अनियमितता की जिम्मेदरी सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला नोडल अधिकारी, एन0ओ0एच0पी0 की होगी।

6. National Oral Health Programme के अन्तर्गत Dental surgeon द्वारा निम्न सेवाएं प्रदान की जानी है जोकि निम्नवत है–

S.no	Services
1	OPD service to patients
2	Extractions
3	Minor Surgeries
4	Root Canal Treatment
5	Oral Prophylaxis
6	Dentures Provided (RPD,CD)
7	Restorations (only permanent)
8	Pit&FissureSealant
9	Fracture reduced
10	Precancerous patients treated
11	Cases referred to Higher Centers

साथ ही Dental surgeon एवं Dental Hygenist द्वारा ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग कर मरीजों की सूचनाएं ई–कवच पोंटल पर अपलोड कराना एवं ओरल हेल्थ कार्यक्रम के रिर्पोटिंग प्रपत्र पर सूचना प्रति माह ससमय राज्य स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

7. जनपदों में कार्यक्रम का संचालन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थापित जिला ओरल हेल्थ सेल/जिला एन0सी0डी0 सेल के द्वारा की जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 द्वारा उक्त कार्यक्रम को जनपद में संचालित किये जाने का पूर्ण दायित्व होगा।

8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला–स्वास्थ्य–समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग Operational Guidelines of NOHP में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेगें तथा क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन प्रचलित क्रय–प्रक्रिया एवं वित्तीय नियमो के अर्न्तगत जिला–स्वास्थ्य–समिति के माध्यम से नियमानुसार करेगें।

9. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा इस तथ्य का विशेष ध्यान दिया जाये कि मदवार आवंटित धनराशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

10. National Oral Health Programme (NOHP) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में जिला स्वास्थ्य समिति को जारी की गयी धनराशि का उपभोग कार्यक्रम के हित में 31 मार्च, 2025 के पूर्व कर लिया जाये साथ ही व्यय की गयी धनराशि का लेखांकन समयान्तर्गत एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर करायेगें।

11. जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार द्वारा National Oral Health Programme (NOHP) का समस्त वित्तीय कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. जनपदों द्वारा कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रति माह मिशन निदेशक, रा0स्वा0मिशन, उ0प्र0 एवं महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 उपलब्ध कराया जायेगा।

13. National Oral Health Programme (NOHP) के प्रभावी संचालन हेतु भविष्य में किसी भी प्रकार के परिर्वतन एवं परिर्वधन मिशन/महानिदेशालय स्तर से पृथक से जारी किये जाऐंगे।

14. **उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत नवीन गतिविधि से सम्बन्धित दिशा निर्देश पृथक् से प्रेषित किये जायेगें।**

राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन

मद सं0 185.C.S0254 पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में कार्यरत **बी0डी0एस0 (डेन्टल सर्जन)** हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 50,000.00 के साथ कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय में एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत

मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय Experience Bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

कार्यदायित्वः–

- जनपद में लाभार्थियों को ओ0पी0डी0 सुविधायें प्रदान करना।
- जनपद में समय–समय पर ओरल हेल्थ कैम्प की योजना बनाना एवं कैम्प का आयोजन करना।
- मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी जटिल मामलों को Tertiary Care Facility में संदर्भित करना एवं उनका Follow-up करना।
- राष्ट्रीय ओरल हेल्थ्य कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार करना एवं आई0ई0सी0/बी0सी0सी0 विकास में सहयोग प्रदान करना।
- जनपद में कार्यरत अन्य पैरा–मेडिकल स्टाफ को ओरल हेल्थ्य से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान करना।
- राष्ट्रीय ओरल हेल्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कर ओरल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना।
- मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जनपदीय नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय ओरल हेल्थ्य कार्यक्रम द्वारा आवंटित किये गये कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
- मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जनपदीय नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय ओरल हेल्थ्य कार्यक्रम से समन्वय स्थापित कर कन्ज्यूमेबल एवं उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है।
- राष्ट्रीय ओरल हेल्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक रिर्पोट फॉर्मेट को भरकर राज्य स्तर को उपलब्ध कराना।

1. **मद सं0 185.C.S0265** पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में कार्यरत **डेन्टल हाइजेनिस्ट** हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 20,000.00 के साथ कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय में एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय Experience Bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

कार्यदायित्वः–

- रोगियों के मुख स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग करना।
- रोगियों के मुख का रेडियोग्राफ/एक्स–रे लेना।
- रोगियों को प्रोफिलेक्सिस, फैब्रिकेशन एवं डेंचर से सम्बन्धित सेवा प्रदान करना।
- रोगियों को ओरल हेल्थ से सम्बन्धित स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना।
- बी0डी0एस0 (डेन्टल सर्जन) को राष्ट्रीय ओरल हेल्थ्य कार्यक्रम से सम्बन्धित गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।
- मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जनपदीय नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय ओरल हेल्थ्य कार्यक्रम द्वारा आवंटित किये गये कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
- जनपद में आयोजित ओरल हेल्थ कैम्प में लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना।
- राष्ट्रीय ओरल हेल्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक रिर्पोट फॉर्मेट हेतु डाटा डेन्टल सर्जन को ससमय उपलब्ध कराना, जिससे मासिक रिर्पोट राज्य को ससमय उपलब्ध करायी जा सकें।

2. **मद सं0 185.C.S0265** पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में कार्यरत **डेन्टल अस्टिेंट** हेतु प्रति माह मूल मानदेय रू0 12432.00 के साथ कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय में एन0एच0एम0 के अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा नियमतः देय GST, ESI,Service Charge & EPF जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

कार्यदायित्वः–

- डेन्टल क्लीनिक के वातावरण को रोगाणु रहित एवं साफ–सुथरा बनाये रखें जिससे रोगियों में संक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो।

- कन्ज्यूमेबल एवं उपकरणों के आपूर्ति सूची (Stock) को समय–समय पर अपडेट करना एवं वर्तमान स्थिति से डेन्टल सर्जन/डेन्टल हाइजेनिस्ट को अवगत कराना।
- रोगियों के आपॉइनमेन्ट का निर्धारण करना एवं रिकार्ड किपिंग करना।
- जनपद में आयोजित ओरल हेल्थ कैम्प में सेवा प्राप्त लाभार्थियों की सूची एवं प्रदान की गयी स्वास्थ्य सेवाओं के अभिलेखों का संकलन करना।

<u>वित्तीय प्रबन्धन</u>

- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेश एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 में DHAP के सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से नेशनल ओरल हेल्थ कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- **जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुये PFMS Portal के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सकें।**
- नेशनल ओरल हेल्थ कार्यक्रम के अन्तर्गत SHS द्वारा DHS को आवंटित धनराशि कार्यरत संविदा एवं एजेन्सी कर्मियों के मानदेय मद में मात्र Budgetry अनुमोदन प्रदान करता है सम्बन्धित DHS द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एन0एच0एम0 के मानकानुसार प्रचलित नियमों के अनुरूप कार्यरत संविदाकर्मी एवं एजेंसी कर्मियों को नियमतः वर्तमान में मानदेय आहरण के लिये Minimum Wages act u.p का अनुपालन शत–प्रतिशत सुनिश्चित करते हुये मानदेय आरहण किया जायेगा।
- एजेन्सी कर्मियों के ई0पी0एफ0, जी0एस0टी0, ई0एस0आई0 एवं सर्विस चार्ज का नियमतः भुगतान की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित DHS की होगी अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक जबाबदेही/विविध कार्यवाही की जिम्मेदारी भी सम्बन्धित DHS की होगी।

प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, नोडल अधिकारी, एन0ओ0एच0पी0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत मानदेय आहरण किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये मानदेय आरहण किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

20.9 राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम

<u>राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में होने वाली निम्न गतिविधियों में होने वाले व्यय की दरों को निम्नानुसार अनुमोदित किया है जिनके अनुसार ही कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में नवीन एफ0एम0आर0 में आवंटित धनराशि निम्नवत् हैं</u> :–

- उपरोक्तानुसार राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृतियां कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक– 09/05/2024 को प्राप्त की जा चुकी है।
- FMR Code No–**88.1** (Old FMR- **NCD.1.88.OOC.1**) में एन0जी0ओ0/प्राईवेट क्षेत्र के चिकित्सालयों द्वारा मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु रू0 2000/ऑपरेशन की दर से धनराशि का भुगतान किया जाना है।

- FMR Code- **87.1** (Old FMR- **NCD.1.87.DI.1**) में राजकीय क्षेत्र के चिकित्सालयों द्वारा मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु रू0 1000/ऑपरेशन की अधिकतम दर से ऑपरेशनों में प्रयोग होने वाली सामग्री का क्रय किया जाना है।
- FMR Code- **89.1** (Old FMR- **NCD.1.89.OOC.1**) में Diabitic Retinopathy वाले नेत्र रोगो के ऑपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा हेतु चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों को रू0 2000.00 प्रति केस की दर से भुगतान किया जाना है।
- FMR Code- **89.2** (Old FMR- **NCD.1.89.OOC.2**) में Childhood Blindness होने वाले नेत्र रोगो के ऑपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों को रू0 2000.00 प्रति केस की दर से भुगतान किया जानाहै।
- FMR Code- **89.3** (Old FMR- **NCD.1.89.OOC.3**) में Glaucoma के ऑपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओ0/प्राईवेट चिकित्सालयों को रू0 2000.00 प्रति केस की दर से भुगतान किया जाना है।
- FMR Code- **89.4** (Old FMR- **NCD.1.89.OOC.4**) में Keratoplasty के ऑपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालय कों रू0 7500.00 प्रति केस की दर से भुगतान किया जाना है।
- FMR Code- **89.5** (Old FMR- **NCD.1.89.OOC.5**) में Vitreoretinal Surgery के ऑपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों रू0 10,000.00 प्रतिकेस की दर से भुगतान किया जाना है।
- FMR Code- **93.1** (Old FMR- **NCD.1.93.EQ.1**) में स्कूलों मे छात्रों के नेत्र परीक्षण व निःशुल्क चश्मों का वितरण रू0 350.00 प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है जिसके अन्तर्गत एन0पी0सी0बी0एण्डवी0आई0 एवं आर0बी0एस0के0 के समस्त आयुवर्ग के बच्चों को चश्मा वितरित करने हेतु धनराशि उपलब्ध है।
- FMR Code- **94.1** (Old FMR- **NCD.1.94.EQ.1**) में राजकीय चिकित्सालयों में बुजुर्ग (रिफ्रैक्टिव एरर के कारण दृष्टिबाधित) लोगों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त निःशुल्क चश्मा वितरण रू0 350/चश्में प्रति लाभार्थी की दर से अवमुक्त की जा रही हैं।
- FMR Code- **92.1** (Old FMR- **NCD.1.92.OOC**) में नेत्र बैंको द्वारा कॉर्नियां दान में प्राप्त कर प्रत्यारोपण रू0 2000.00 प्रति जोड़ी की दर से किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य से जारी निर्देश पत्रांक– SPMU/NCD/NPCB&VI/Prog. PIP Prop. 2022-24/2021-22/01I/1103-75 दिनांक–10/05/2023 में अनुमन्य भौतिक एवं वित्तीय दिशा–निर्देश के अनुरूप गतिविधियों को वित्तीय वर्ष 2024–25 में जनपदवार, मदवार आवंटित धनराशि का व्यय नियमतः सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

<u>वित्तीय प्रबन्धन</u>

- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासना देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 में DHAP के सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुये PFMS Portal के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सकें।

प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, अंधता एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय/भुगतान किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से

अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा

राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन

राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन हेतु वित्तीय स्वीकृतियां कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक– 09/05/2024 को प्राप्त की जा चुकी है।

- **FMR Code- 185.C.S02** (Old FMR- HSS.9.184.C.S02) में जनपदों में नेत्र शल्यकों हेतु कार्यरत पदों पर देय मानदेय एवं देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा देय Experience bonus सहित धनराशि आवंटित की गयी है एवं रिक्त पदों का मानदेय आवंटित नहीं किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित 28 जनपदों में प्रति जनपद 01 नेत्र शल्यकों हेतु संविदा पद का अनुमोदन सृजित है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व से कार्यरत नेत्र शल्यकों हेतु प्रति माह Basic Salary रू0 66000.00 की धनराशि एवं कार्यरत मानव संसाधन को मानदेय के साथ एन0एच0एम0 में अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि के साथ नियमतः देय Experience bonus सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

- **FMR Code- 185.C.S0610** (Old FMR- HSS.9.184.C.S0610) जनपदों में कार्यरत Ophthalmic Assistant हेतु कार्यरत पदों पर देय मानदेय एवं देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा देय Experience bonus सहित धनराशि आवंटित की गयी है एवं रिक्त पदों का मानदेय आवंटित नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत Ophthalmic Assistant हेतु प्रति माह Basic Salary रू0 12432.00 की धनराशि एवं कार्यरत मानव संसाधन को मानदेय के साथ एन0एच0एम0 में अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि के साथ नियमतः देय Experience bonus & EPF सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।
- **FMR Code-185.C.S0520** (Old FMR- HSS.9.184.C.S0520) में जनपदों में कार्यरत ग्रीफ काउंसलर हेतु कार्यरत पदों पर देय मानदेय एवं देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा देय Experience bonus सहित धनराशि आवंटित की गयी है एवं रिक्त पदों का मानदेय आवंटित नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीफ काउंसलर हेतु प्रति माह Basic Salary रू0 15000.00 की धनराशि एवं कार्यरत मानव संसाधन को मानदेय के साथ एन0एच0एम0 में अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि के साथ नियमतः देय Experience bonus & EPF सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

- **FMR Code - 185.C.P360** (Old FMR- HSS.9.184.C.P360) जनपदों में पूर्व से कार्यरत संविदा डाटा इंट्री आपरेटर हेतु कार्यरत पदों पर देय मानदेय एवं देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि तथा देय Experience bonus सहित धनराशि आवंटित की गयी है। प्रदेश में जनपदों के आउटसोर्स एजेंसी डाटा इंट्री आपरेटर को अनुमन्य मानदेय में जी0एस0टी0, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं अन्य कर देय होगा यदि किसी जनपद में संविदा/एजेंसी डेटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा पद रिक्त हुआ है तो जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से आउटसोर्स एजेंसी से नियमतः डेटा ऑपरेटर की सेवा प्राप्त की जायेगी एवं यदि किसी जनपद में संविदा/एजेंसी डेटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा पद रिक्त हुआ है तो जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से आउटसोर्स एजेंसी से नियमतः डेटा ऑपरेटर की सेवा प्राप्त की जायेगी। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत डाटा इंट्री आपरेटर हेतु प्रति माह Basic Salary रू0 12432.00 की धनराशि एवं कार्यरत मानव संसाधन को मानदेय के साथ एन0एच0एम0 में अनुमोदित नियमों के अनुरूप 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि के साथ नियमतः देय Experience bonus GST, ESI, Service charge & EPF सहित जनपदवार मदवार धनराशि आवंटित की गयी है।

मानव संसाधन के मुख्य कार्य दायित्व–

नेत्र शल्यक

- सभी प्रकार की नेत्र सम्बन्धित सर्जरी करना।
- नेत्र से सम्बन्धित सभी चिकित्सकीय मामलों में नेत्र चिकित्सा, सुविधा प्रदान करना।
- सभी प्रकार की नेत्र चिकित्सा सेवा ओ0पी0डी0 के माध्यम से प्रदान करना।
- कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष विशेष दिवस पर आयोजित होने वाली गतिविधियों की चिकित्सकीय सेवाओं आदि को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाई में प्रदान करना।
- नेत्र सर्जरी एवं अन्य नेत्र चिकित्सा सेवाओं की प्रत्येक माह मासिक रिपोर्ट सम्बन्धित को ससमय उपलब्ध कराना।
- नेत्रदान एवं नेत्र चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा, सामाजिक कल्याण, विकासात्मक/एन0जी0ओ0 क्षेत्र सहित विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय और सम्पर्क बनाये रखना।
- राज्य एवं उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम हित में कार्यो को कुशलतापूर्वक निष्पादित करना।

ग्रीफ काउंसलर

- नेत्र दान से सम्बन्धित लाभार्थियों को ओ0पी0डी0 के माध्यम से पंजीकरण के लिये अभिप्रेरित करना।
- स्वास्थ्य संस्थान के वार्ड/मुर्दाधर/हताहत/आई0सी0यू0 में मृत्यु के बाद नेत्रदान के लिये मृतक के परिवार/परिचारकों को प्रेरित और परामर्श देना।
- नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा/अन्य सूचना, शिक्षा और संचार (आई0ई0सी0) गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना है।
- मासिक भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना एवं अपने सम्बन्धित अधिकारी को नियमित रिपोर्ट भेजना।
- नेत्रदान/नेत्र देखभाल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा, सामाजिक कल्याण, विकासात्मक/एन0जी0ओ0 क्षेत्र सहित विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय और संपर्क बनाये रखना।
- नेत्रदान सम्बन्धित आई0ई0सी0 को चिकित्सालयों की ओ0पी0डी0 एवं आई0पी0डी0 में प्रदर्शित करवाना।
- कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष विशेष दिवस पर आयोजित होने वाली गतिविधियों की चिकित्सकीय सेवाओं आदि को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाई में प्रदान करना।

डाटा इन्ट्री ऑपरेटर

- कार्यक्रम के अन्तर्गत मासिक सूचना तैयार करना।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त टाईपिग एवं पी0पी0टी0 आदि कार्यो को निष्पादित करना।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त फाइलों का रखरखाव करना।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य अपेक्षित सूचनाओं को तैयार करना।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य व जनपद की समीक्षा बैठकों में ससमय सूचना आदि को तैयार करना।
- राजकीय एवं प्राईवेट चिकित्सालयों के माध्यम से सम्पादित नेत्र सर्जरी की प्रगति रिपोर्ट को पोर्टल में अंकित करवाना।
- मोतियाबिन्द ऑपरेशन के लिये एन0जी0ओ0 क्षेत्र में पंजीकृत इकाईयों के अनुबन्ध समाप्ति के 03 माह पूर्व नवीन अनुबन्ध को 02 वर्ष के लिये सम्पादित किये जाने पत्राचार तैयार कर पत्रावली सक्षम स्तर के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना।

- राजकीय क्षेत्र एवं एन0जी0ओ0 क्षेत्र में सम्पादित मोतियाबिन्द ऑपरेशन के भुगतान के लिये मानकानुसार ससमय पत्रावली तैयार कर सक्षम स्तर के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना।
- कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष विशेष दिवस पर आयोजित होने वाली गतिविधियों की चिकित्सकीय सेवाओं आदि को सम्बन्धित प्रगति रिपोर्ट को तैयार करना।

नेत्र परीक्षण अधिकारी–

- नेत्रों की जांच करना एवं निःशुल्क चश्मा प्रदान करना।
- मोतियाबिन्द सर्जरी और अन्य सर्जरी के रोगियों को चिन्हित करते हुये पंजीकरण करना एवं उन्हें नेत्र शल्य चिकित्सा इकाईयों में संदर्भित कर नेत्र सर्जरी चिकित्सकीय सेवा प्रदान करना।
- वृद्धों एवं बच्चों के चश्मों को चिकित्सा इकाई के क्षेत्र में जाकर चश्में उपलब्ध कराना।
- ब्लाईड रजिस्टर को प्रतिदिन अद्यतन करते हुये मानकानुसार सूचना अंकित करना।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट को प्रत्येक माह ससमय जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, अंधता को प्रेषित करना।
- नेत्रदान सम्बन्धित आई0ई0सी0 को चिकित्सालयों की ओ0पी0डी0 एवं आई0पी0डी0 में प्रदर्शित करवाना।
- कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष विशेष दिवस पर आयोजित होने वाली गतिविधियों की चिकित्सकीय सेवाओं आदि को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाई में प्रदान करना।

वित्तीय प्रबन्धन

- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासना देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 में DHAP के सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य द्वारा जनपदों को आवंटित धनराशि मानदेय मद में मात्र बजटरिय अनुमोदन प्रदान करता है सम्बन्धित जनपद एवं इकाई द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मानकानुसार इकाईयों पर कार्यरत संविदाकर्मी एवं एजेंसी कर्मियों को एन0एच0एम0 में वर्तमान मे प्रावधानित नियमों के अनुसार मानदेय आहरण के लिये Minimum Wages act up का अनुपालन शत–प्रतिशत् सुनिश्चित किया जायेगा।
- जनपद द्वारा समस्त भुगतान FAMS Software का प्रयोग करते हुये PFMS Portal के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि उपलब्ध बजट का अनुश्रवण किया जा सकें।

प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, अंधता एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत मानदेय आहरण किया जायेगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएग

20.10 NP-NCD (NPCDCS) गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में NP-NCD कार्यक्रम को चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूर्व की भांति संचालित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1. कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु सामान्य दिशा निर्देश–

1.1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने अधीन 01 अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 नामित करेगें जो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऐंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्यूनिकेबल डिजीजेज (NP-NCD) कार्यक्रम के वित्तीय एवं भौतिक दिशा–निर्देशों के अनुसार जनपदों में सफलतापूर्वक क्रियान्वन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

1.2. एन0पी0–एन0सी0डी0 कार्यक्रम से संबंधित समस्त गतिविधियों हेतु जनपदीय चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। इस हेतु कार्य चिकित्सक को वरीयता दी जाए परन्तु कार्य चिकित्सक की अनुपलब्धता की स्थिति में किसी सक्रिय एवं सुभिज्ञ एम0बी0बी0एस0 चिकित्सा अधिकारी को भी नोडल नामित किया जा सकता है।

1.3. नामित नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह संबंधित चिकित्सालय के स्तर पर एन0पी0–एन0सी0डी0 कार्यक्रम से संबंधित समस्त गतिविधियों के संचालन हेतु संबंधित गतिविधियों का चिकित्सालय में सुचारू रूप से संचालन एवं रिपोर्टिंग सुनिश्चित कराएं। उपरोक्त कार्यक्रमों हेतु उपलब्ध समस्त गैर संचारी कार्यक्रमों के मानव संसाधनों को पूल करते हुए आवश्यकतानुसार उपरोक्त सभी गतिविधियों हेतु प्रयोग किया जा सकता है।

1.4. जनपद स्तर पर जिला एन0सी0डी0 सेल मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन क्रियाशील रहेगीं । जिला पुरूष चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर संचालित एन0सी0डी0 क्लीनिक के क्लीनिकल कार्यों पर नियंत्रण तथा इनका उत्तरदायित्व संबंधित चिकित्सा इकाई के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक अथवा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का होगा। जनपदीय चिकित्सालयों में एन0पी0–एन0सी0डी0 कार्यक्रम के अंतर्गत क्रय किए जाने वाले उपकरणों, सामग्री, औषधियों इत्यादि हेतु तथा जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में संचालित की जाने वाली गतिविधियों हेतु आवंटित बजट मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका को उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त के व्यय हेतु एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति की अनुमति उपरान्त नियमतः व्यय किया जाए।

1.5. संपूर्ण जनपद में कार्यक्रम की गतिविधियों की रिपोर्टिंग, विश्लेषण, मॉनिटरिंग तथा कार्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण इत्यादि का उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी अधिष्ठान के अंतर्गत नामित जनपदीय नोडल अधिकारी एवं एन0सी0डी0 सेल मे कार्यरत समस्त स्वास्थ्य कर्मियो का होगा।

1.6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपयोग DHAP में दिये गये निर्देशों के अनुसार करते हुए क्रय, मुद्रण, टेन्डर एवं जेम (GEM) पोर्टल से संबंधित समस्त कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों के अनुसार कार्यक्रम हित में अवमुक्त धनराशि की अधिकतम सीमा तक नियमानुसार करेगें। कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधि, मदवार धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के दृष्टिगत् व्यय किया जाए।

1.7. NP-NCD कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में जिला–स्वास्थ्य–समिति को जारी की गयी धनराशि का मदवार एवं जनपदवार विवरण तथा कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों हेतु दिशानिर्देश निम्नवत हैं –

1.8. **जिला एन0सी0डी0 सेलः–**

2.1.1. **एफ0एम0आर0 कोड– 110.18 Monitoring & Supervision, Mobility, TA, DA, POL, Contingency and Miscellaneous-** उक्त मद में प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अधिष्ठान के अधीन संचालित जिला एन0सी0डी0 सेल हेतु रू0 6.00 लाख प्रतिवर्ष की दर से धनराशि आंवटित की गई है जिसका उपयोग निम्न गितिविधियों हेतु किया जाए–

2.1.1.1 **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण–** सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु जेम पोर्टल/दैनिक वाहन प्रक्रिया/जनपद में पूर्व से अनुमन्य टेन्डर दर के आधार पर 01 चार पहिया कमर्शियल टैक्सी वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। यह वाहन NP-NCD कार्यक्रम के नामित जिला नोडल अधिकारी, एवं जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत इपिडिमियोलॉजिस्ट/जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार एवं अन्य कर्मचारी के भ्रमण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक माह की 01 से 05 तारीख तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमोदित भ्रमण प्लान को जनपद की समस्त सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, एन0सी0डी0 क्लीनिक, आयुष्मान अरोग्य मंदिर, मण्डल एवं राज्य स्तर पर साझा किया जायेगा । जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रमण में निम्न गतिविधियों का गहन अनुश्रवण किया जाए–

- आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एन0पी0–एन0सी0डी0 कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित गतिविधियों के विषय में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस, एएनएम तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारियों के ज्ञान का व्यवहारिक क्षमतावर्धन किया जाए।
- ई–कवच पर एन0सी0डी0 पोर्टल के संचालन का मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं क्षमतावर्धन।
- 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों का एन0सी0डी0 स्क्रीनिंग हेतु इनुमरेशन मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं क्षमतावर्धन।
- उक्त लाभार्थियों की वास्तविक एन0सी0डी0 स्क्रीनिंग का मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं क्षमतावर्धन।
- एन0सी0डी0 स्क्रीनिंग में लक्षण युक्त पाए गए व्यक्तियों के उपचार प्रारंभ किए जाने तथा उपचार की निरंतरता एवं फॉलो–अप की स्थिति।
- कार्यक्रम से सम्बधिंत समस्त औषधियो एवं लॉजिस्टिक की प्रत्येक सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाई पर ससमय उपलब्धता की स्थिति।
- उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रिया की पोर्टल पर रिपोर्टिंग का मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं क्षमतावर्धन।
- कार्यक्रम से सम्बंधित IEC सामग्री के प्रर्दशन का मूल्याकंन एवं वस्तु स्थल मार्गदर्शन प्रदान किया जाए।
- इसी के साथ उपरोक्त गतिविधियों के स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के विषय में तत्काल संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराते हुए उनकी हैंड होल्डिंग एवं स्थलीय क्षमतावर्धन भी किया जाएगा तथा औषधियो एवं लॉजिस्टिक की Gap Analysis करते हुए ससमय उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना।
- इस हेतु भ्रमण प्लान इस प्रकार बनाया जाए कि प्रत्येक क्वार्टर में जनपद के आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर जिला चिकित्सालय स्थित एन0सी0डी0 क्लिनिक स्तर तक की समस्त इकाइयों का एक बार अनिवार्य रूप से भ्रमण एन0सी0डी0 सेल के अधिकारियों के द्वारा कर लिया जाए।
- प्रत्येक भ्रमण के उपरान्त भ्रमण में संपादित की गई समस्त गतिविधियों, पाई गई कमियों तथा अपेक्षित सुधारों की आख्या संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं चिकित्सा इकाइयों को अनिवार्य रूप से भ्रमण के उपरांत तीन कार्य दिवसों के अंदर उपलब्ध करा दी जाए एवं अगले भ्रमण से पूर्व भ्रमण में पायी गयी कमियों की प्रगति सुनिश्चित की जायेगी।
- प्रत्येक माह की 05 से 10 तारिख के मध्य विगत सम्पूर्ण माह की संकलित भ्रमण आख्या मण्डल एवं राज्य स्तर पर प्रेषित की जाए जिसमें चिकित्सा इकाईवार अपेक्षित सुधारों एवं विगत भ्रमण के सापेक्ष अब तक हो चुके सुधारों की सूचना आवश्यक रूप से अंकित की गयी हो।

- प्रत्येक माह जिला नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 द्वारा न्यूनतम 05 भ्रमण एवं जिला एन0सी0डी0 सेल के कर्मचारियो द्वारा न्यूनतम 10 भ्रमण (कुल 15 भ्रमण) करना आवश्यक होगा ।
- चार पहिया कमर्शियल वाहन के भुगतान के साथ लॉग बुक पर भ्रमणकर्ता के हस्ताक्षर, भ्रमण का स्थान एवं भ्रमण का उद्देश्य आवश्यक रूप से अंकित किया गया हो एवं भ्रमण चेक लिस्ट व भ्रमण आख्या की प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रस्तुत की जाये।

2.1.1.2 **<u>टीए/डीए का भुगतान–</u>** इस मद में उपलब्ध धनराशि का प्रयोग जिला एन0सी0डी0 नोडल अधिकारी अथवा एन0सी0डी0 क्लीनिक में कार्यरत कर्मी/एन0सी0डी0 क्लिनिक के कार्यों हेतु नामित अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा बैठकों इत्यादि में प्रतिभाग करने की स्थिति में टीए/ डीए के भुगतान हेतु एन0एच0एम0 के नियमों के दृष्टिगत अनुमन्य सीमा तक वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाए।

2.1.1.3 **<u>लॉजिस्टिक्स तथा आवर्ती व्यय–</u>** जिला एन0सी0डी0 क्लीनिक पर आवश्यक लॉजिस्टिक्स यथा पेपर, प्रिंटर कार्ट्रिज, इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर कार्ट्रिज की रिफिलिंग, साफ–सफाई हेतु आवश्यक गतिविधियों, डिस्प्ले बोर्ड की उपलब्धता हेतु भी इस बजट का प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ एन0सी0डी0 कार्यक्रम से संबंधित समय–समय पर आवश्यकतानुसार जनपद स्तरीय मीटिंग/गतिविधियो के प्रबंधन हेतु भी उक्त बजट का प्रयोग किया जा सकता है तद्सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर पत्रावली प्रचलित कर एन0एच0एम0 वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय किया जाए।

2.1.2 **<u>एफ0एम0आर0 कोड– 110.13 District Level IEC</u>** इस मद में जनपद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/उपकेंद्रों/आयुष्मान आरोग्य मंदिरों आदि पर प्रचार प्रसार गतिविधियों हेतु समस्त प्रचार–प्रचार सामग्री का मुद्रण मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से कराकर सभी संबंधित स्थानों पर उपलब्ध कराकर प्रदर्शित कराई जाए। आवंटित धनराशि का प्रयोग एन0सी0डी0 रोगों के विषय में सामान्य प्रचार प्रसार हेतु तथा एन0सी0डी0 कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित पांच विशेष दिवसों (World Cancer Day, World Heart Day, World Hypertension Day, World Diabetes Day and World COPD Day) हेतु जनपद की स्वास्थ्य इकाईयो के साथ ही जनपद के विभिन्न स्थानो पर प्रदर्शन कर प्रचार प्रसार किया जाए।

- **<u>जिला मुख्यालय</u>** मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन इत्यादि पर आई0ई0सी0 प्रदर्शित की जायेगी।
- **<u>जनपदीय चिकित्सालय</u>** ओ0पी0डी0 ब्लॉक, इनडोर ब्लॉक तथा इमर्जेन्सी ब्लॉक इत्यादि प्रमुख स्थानों पर आई0ई0सी0 प्रदर्शित की जायेगी।
- **<u>सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र</u>** ओ0पी0डी0 तथा इनडोर ब्लॉक्स पर आई0ई0सी0 प्रदर्शित की जायेगी।
- **<u>जनपद के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र</u>** ओ0पी0डी0 कक्ष में आई0ई0सी0 प्रदर्शित की जायेगी।
- **<u>जनपद के प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर</u>** ओ0पी0डी0 कक्ष में आई0ई0सी0 प्रदर्शित की जायेगी।

जनपदो द्वारा एन0पी0–एन0सी0डी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0ई0सी0 की निम्नवत गतिविधियों द्वारा प्रचार–प्रसार एन0एच0एम0 के नियमानुसार अनुमन्य बजट से उपयोगिता के आधार पर सम्बन्धित जनपद में आई0ई0सी0 मानको के आधार पर निम्नवत् उपयोग किया जाए–

- फ्लैक्स बैनर– साइज 6X3 फिट, मल्टीकलर।
- फ्रेम्ड पोस्टर– साइज 30X20 इंच, मल्टीकलर, न्यूनतम 100 जी0एस0एम0 पेपर, वुडेन अथवा मेटल फ्रेमिंग, फ्रेम्ड पोस्टर (फ्रेमिंग सहित), एन0सी0डी0 रोगों के विषय में सामान्य प्रचार–प्रसार हेतु।
- अनफ्रेम्ड (सामान्य) पोस्टर– साइज 30X20 इंच, मल्टीकलर, न्यूनतम 100 जी0एस0एम0 सेल्फ एडहेसिव पेपर।

- होर्डिंग– साइज 30X20 फीट, मल्टीकलर, एन0सी0डी0 रोगों के विषय में सामान्य प्रचार–प्रसार हेतु।
- वॉल राइटिंग– साइज 8X6 फीट, प्लास्टिक पेंट के बेस पर प्लास्टिक पेंट से लिखाई हेतु।

उपरोक्त समस्त प्रचार प्रसार गतिविधियों हेतु प्रचार–प्रसार सामग्री सम्बंधी आवश्यकतानुसार दिशा–निर्देश समय–समय पर पृथक से जनपदों को उपलब्ध कराई जाएगी। उपरोक्त एफ0एम0आर0 कोड के सापेक्ष जनपदो को रू0 3.00 लाख प्रति जनपद आवंटित धनराशि के सापेक्ष जनपद स्तर पर एन0एच0एम0 नियामानुसार प्रचार–प्रसार पर व्यय किया जाए।

2.1.3. **एफ0एम0आर0 कोड– 110.09 Training at District Level-** जनपदों में एन0सी0डी0 कार्यक्रम के सफल संचालन एवं रिपोर्टिंग तथा क्षमतावर्धन हेतु गहन प्रशिक्षण की नितांत आवश्यकता है, जिसे हेतु राज्य मुख्यालय पर प्रशिक्षण प्राप्त जनपदीय मास्टर ट्रेनर्स तथा अन्य कर्मियो द्वारा चरणबद्ध रूप से एन0एचएम0 द्वारा जनपद व ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगें।

एन0पी0–एन0सी0डी0 कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न रोगों से संबंधित स्क्रीनिंग की प्रक्रिया, डिजिटल डाटा इंट्री तथा रिपोर्टिंग एवं कार्यक्रम के संचालन में विभिन्न कर्मियों संवर्गों की भूमिका के विषय में आर0सी0एच0 मानकों के अनुसार उपरोक्त एफ0एम0आर0 कोड के सापेक्ष जनपदो को 2.00 लाख प्रति जनपद आवंटित धनराशि के सापेक्ष जनपद स्तर पर एन0एच0एम0 नियामानुसार प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा।

2.2 जिला एन0सी0डी0 क्लीनिकः–

2.2.1 **एफ0एम0आर0 कोड–107.03 Drugs & Supplies for DH-** इस मद में समस्त जनपदों हेतु रू0 2. 40 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि अनुमोदित है। रोगी भार के अनुसार उक्त धनराशि का उपयोग NP-NCD कार्यक्रम से सम्बंधित रीजेन्टस, कैमिकल एवं आवश्यकतानुसार औषधियों के क्रय हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के द्वारा जारी वित्तीय नियमानुसार किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से यह राशि संबंधित चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को हस्तगत कर दी जाए। जनपदीय चिकित्सालय संबंधी व्यय जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए एन0एच0एम0 के नियमो के दृष्टिगत किया जाए।

2.2.2 **एफ0एम0आर0 कोड– 109.01 Drugs and Supplies for CCU/STEMI–** उक्त मद हेतु पृथक से दिशा–निर्देश जनपदों को प्रेषित किया जायेगा।

2.2.3 **एफ0एम0आर0 कोड– 107.04 Contingency for DH-** इस मद में समस्त जनपदों हेतु रू0 1.00 लाख प्रति जनपद, प्रतिवर्ष की दर से धनराशि आंवटित की गई है। इस धनराशि का उपयोग जिला चिकित्सालय स्थित एन0सी0डी0 क्लीनिक पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों हेतु किया जाएगा। इस धनराशि का प्रयोग जिला एन0सी0डी0 क्लीनिक के संचालन हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक्स यथा पेपर, स्टेशनरी, प्रिंटर कार्टेज की रिफिलिंग, वायर्ड ब्रोड्बैंड कनेक्शन इत्यादि की व्यवस्था हेतु किया जा सकता है। साथ ही इस धनराशि का प्रयोग कर जनपदीय एन0सी0डी0 क्लीनिक पर क्वार्टरली बैठकों का आयोजन भी किया जा सकता है जिसमें जिला चिकित्सालय के समस्त चिकित्सकों का नॉन कम्युनिकेबल रोगों तथा एन0सी0डी0 क्लीनिक की गतिविधियों एवं उपलब्ध सुविधाओं के विषय में संवेदीकरण किया जा सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से यह राशि संबंधित चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को हस्तगत कर दी जाए। जनपदीय चिकित्सालय संबंधी व्यय जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए एन0एच0एम0 के नियमानुसार व्यय की जाए।

2.3. **एफ0एम0आर0 कोड– 110.05 Drugs and Supplies for Stroke**– उक्त मद हेतु पृथक से दिशा–निर्देश जनपदों को प्रेषित किया जायेगा।

2.4 **सी0एच0सी0 एन0सी0डी0 क्लीनिकः–**

2.4.1 **एफ0एम0 आर0 कोड– 108.05 Drugs & Consumables for CHC NCD Clinic-** इस मद में संलग्न तालिका के अनुसार विभिन्न जनपदों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु रू0 0.60 लाख प्रति इकाई, प्रतिवर्ष की दर से धनराशि आंवटित की गई है। यह धनराशि NP-NCD कार्यक्रम मे सी0एच0सी0 एन0सी0डी0 क्लीनिक के उपयोगार्थ है। रोगी भार के अनुसार उक्त धनराशि का उपयोग कर NP-NCD कार्यक्रम से

सम्बंधित रीजेन्टस, कैमिकल्स एवं आवश्यकतानुसार औषधियों का क्रय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के द्वारा जारी वित्तीय नियमानुसार किया जायेगा। जनपदीय चिकित्सालय संबंधी व्यय जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए एन0एच0एम0 के नियमानुसार व्यय की जाए।

2.4.2 **<u>एफ0एम0आर0कोड– 108.06 Miscellaneous cost communication, montoring, TA,DA,POL, Contingency etc.</u>** इस मद में संलग्न तालिका के अुनसार विभिन्न जनपदों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रू0 1.00 लाख प्रति सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतिवर्ष की दर से धनराशि आंवटित की गई है। इस धनराशि का प्रयोग ब्लॉक स्तरीय एन0सी0डी0 क्लीनिक में कार्यरत कर्मियों अथवा ब्लॉक स्तर पर एन0सी0डी0 गतिविधियों के संचालन में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के बैठक अथवा प्रशिक्षण में प्रतिभाग की स्थिति में एन0एच0एम0 मानकों के अनुसार TA/DA के भुगतानए पर्यवेक्षण भ्रमण हेतु परिवहन/POL की व्यवस्था, ब्लॉक एन0सी0डी0 क्लीनिक हेतु आवश्यक कंटिन्जेंसी यथा पेपर, स्टेशनरी, वायर्ड ब्रोड्बैंड कनेक्शन, प्रिंटर कार्टेज की रिफिलिंग तथा ब्लॉक स्तर पर विभिन्न कर्मियों की संवेदीकरण गतिविधियों हेतु किया जाएगा। इस धनराशि का उपयोग कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र में असेवित क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए तैयार माइक्रो प्लान के आधार पर ग्रामीण असेवित क्षेत्रों मे स्क्रीनिंग एवं उपचार सुविधाऐं भी जनमानस तक एन0एच0एम0 के नियमों के दृष्टिगत् उपलब्ध करायी जाए।

2.4.3 **<u>एफ0एम0आर0कोड– 110.15 Patient Referral card at PHC level-</u>** इस मद में संलग्न तालिका के अनुसार जनपद के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रू0 2500/– (दो हजार पॉच सौ) कुल 500 पेशेन्ट रेफरल कार्ड के मुद्रण हेतु प्रति इकाई, प्रतिवर्ष की दर से धनराशि आंवटित की गई है। रेफरल कार्ड का मुद्रण एवं आपूर्ति मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से एन0एच0एम0 के नियमानुसार कराया जाए।

2.4.4 **<u>एफ0एम0आर0 कोड– 110.16 Patient Referral card at SC level-</u>** इस मद में संलग्न तालिका के अनुसार रू0 2500/– (दो हजार पॉच सौ) की धनराशि कुल 500 पेशेन्ट रेफरल कार्ड, प्रति इकाई, प्रतिवर्ष की दर से धनराशि आंवटित की गई है। प्रति पेशेन्ट रेफरल कार्ड हेतु अधिकतम धनराशि रू0 05.00 की दर स्वीकृत है। रेफरल कार्ड का मुद्रण एवं आपूर्ति मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से एन0एच0एम0 के नियमानुसार कराया जाए।

Quantity for Printing all unit-District NCD Cell, District NCD Clinic, CHC, PHC & Sub Center as in attached list

S. No.	Printing Activty	Material Specification	Sixe (Approx)	Quantiy@ /-per Units as per Attach list	Print Protoype Source	per Unit Cost (Rs.)	Total cost (In Rs.)
1	Referral card	75gam size(Half of A4) color print (TwoA4 refrral slips will be printed side by side on A4 sgeet with perforation	(Half of A4)	500 For PHC & SC	Page no.52 Of GOI Guidelines	05.00	2500.00
2	All Reporting Performa	A4 size,80 gsm black and white internal page with carbon copy 15 Rows in page	A4	Distrct NCD Cell,Distrct NCD Clinic, CHC NCD Clinic & Sub center	Page no. 53,54,59,& 60 fo GoI Guidelines	01.00	As per use

<u>अनुमोदित नवीन गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश</u>

3. <u>जिला एन0सी0डी0 क्लीनिक (नवीन गतिविधियॉं)–</u> निम्न एफ0एम0आर0 कोड के सापेक्ष NP-NCD कार्यक्रम में गतिविधियॉं जिला एन0सी0डी0 क्लीनिक के स्तर पर सम्पादित की जाएँगी अतः धनराशि को जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के निवर्तन पर हस्तगत किया जाएगा। सम्बन्धित धनराशि का व्यय एन0एच0एम0 के नियमों के दृष्टिगत किया जाये–

3.1 **<u>एफ0एम0आर0 कोड–110.02 Establishment of cancer day care center-</u>** इस मद में रू0 2.75 लाख प्रति जनपदीय चिकित्सालय की दर से 20 जनपदों को धनराशि आवंटित की जा रही है जिसका

उपयोग कैंसर डे केयर सेंटर की स्थापना तथा इस केंद्र के क्रियान्वन हेतु आवश्यक उपकरणों एवं संसाधनों के क्रय हेतु किया जाएगा। धनराशि का प्रयोग कर कैंसर डे केयर के रूप में चिन्हित कक्ष को व्यवस्थित किया जायेगा। उक्त केन्द्र में ऐसे कैंसर रोगी, जिनका उपचार उच्चीकृत कैंसर केयर केन्द्र (टी0सी0सी0सी0) यथा– मेडिकल कालेज एवं तृतीयक देखभाल केन्द्रों में चल रहा है, का फालोअप कीमोथेरेपी एवं चिकित्सकीय प्रबन्धन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इन सेंटर्स के क्रियान्वन के हेतु अधोसंरचना की स्थापना के उपरांत सम्बंधित चिकित्सालय के कार्य चिकित्सक/चिकित्सा अधिकारी को प्रशिक्षण एन0एच0एम0 द्वारा दिया जायेगा साथ ही उक्त सेंटर्स की लिंकिंग टर्शियरी हेल्थ फैसिलिटी से भी की जाएगी। जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से यह धनराशि संबंधित चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को हस्तगत कर दी जाए।

3.2 **एफ0एम0आर0 कोड–107.02 Procurement of BP Apparatus-** इस मद में रू0 0.03 लाख प्रति जनपदीय चिकित्सालय की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है जिसका प्रयोग जिला एन0सी0डी0 क्लीनिक हेतु एक उच्च गुणवत्ता वाले चार्जर अथवा रिचार्जेबल सेल युक्त डिजिटल ब्लड प्रेशर उपकरण, चार्जर एवं अतिरिक्त बैटरी के क्रय हेतु किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से यह राशि जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए संबंधित चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को हस्तगत कर दी जाए।

3.3 **एफ0एम0आर0 कोड–110.06 Drugs for cancer–** इस मद में रू0 1.00 लाख प्रति जनपद की दर से 20 जनपदों को धनराशि आवंटित की जा रही है, जिसका उपयोग आवश्यकता के आधार पर कैंसर डे केयर सेंटर कैंसर में उपचाराधीन रोगियों हेतु औषधीयाँ खरीदने के लिए किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से यह राशि जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए संबंधित चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को हस्तगत कर दी जाए। उक्त गतिविधि की Reporting तथा सम्बंधित सूचना प्रति माह राज्य स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

3.4 **एफ0एम0आर0 कोड–111.02 Organisation of cancer screening camp-** इस मद में रू0 0.50 लाख प्रति जनपद की दर से संलग्न सूची के अनुसार 35 जनपदों को धनराशि आंवटित की गई है, जिसका उपयोग वर्ष मे दो बार (04 फरवरी विश्व कैंसर दिवस एवं ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह अक्टूबर में किसी भी 01 दिवस हेतु स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाना है।) उक्त कैंप हेतु आवश्यक उपकरण एवं कन्ज्यूमेबल (Examination Lamp, cusco's Vaginal speculum, gloves, Acetic Acid, Wooden Sticks, Cotton, Swab, Gauze, LED Torch इत्यादि) की उपलब्धता तथा वृहद IEC आदि हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से एन0एच0एम0 नियमों के दृष्टिगत् आयोजन किया जायेगा। कैंप के आयोजन में होने वाले आवर्ती व्यय यथा– टेण्ट, परिवहन, रिफ्रेशमेंट इत्यादि की व्यवस्था में भी इस धनराशि का प्रयोग किया जा सकता है। कैंप का आयोजन एन0सी0डी0 के अन्तर्गत NOHP, NTCP तथा NP-NCD कार्यक्रम के कर्मियो के सहयोग से किया जायेगा, ऐसे जनपद, जहाँ जनपदीय चिकित्सालय में डे कैंसर यूनिट क्रियाशील है, वहां पर कैम्प का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी अधिष्ठान के द्वारा डे कैंसर यूनिट के सहयोग से किया जाएगा तथा इन कैम्प में Breast and Cervical Cancer की स्क्रीनिंग हेतु राज्य स्तर पर प्रशिक्षित जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का सहयोग लिया जायेगा व Oral Cancer की स्क्रीनिंग हेतु Dental Surgeon एवं ENT Surgeon का सहयोग लिया जायेगा। इन कैम्प के आयोजन में जनपद में क्रियाशील टर्शियरी हेल्थ फैसिलिटी/मेडिकल कालेज का सहयोग भी लिया जा सकता है।

3.5 **एफ0एम0आर0 कोड–107.01 Procurement of Spirometer for DH-** इस मद में रु0 0.40 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गई है, जिसका प्रयोग जिला एन0सी0डी0 क्लीनिक हेतु एक उच्च गुणवत्ता वाले स्पाइरोमीटर के क्रय हेतु किया जायेगा (भारत सरकार से स्वीकृत स्पेसिफिकेशन)। मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से यह राशि जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए संबंधित चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को हस्तगत कर दी जाए।

4. **सी0एच0सी0 एन0सी0डी0 क्लीनिक (नवीन गतिविधियाँ)–**

4.1 **एफ0एम0आर0 कोड–108.01 Procurement of COPD Equipment Peak Flow Meter-** इस मद में रू0 0.005 लाख प्रति पीक फ्लो मीटर प्रति सा0स्वा0केन्द्र की दर से धनराशि आंवटित की गई है,

जिससे प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 10 पीक फ्लो मीटर का क्रय किया जाना है। पीक फ्लो मीटर का उपयोग सी0ओ0पी0डी0 एवं अस्थमा की स्क्रीनिंग में किया जायेगा, इसमें प्रयोग होने वाले डिस्पोजबल माउथ पीस का क्रय एफ0एम0आर0 मद0 सं0 108.05 मद पर आंवटित धनराशि से नियमानुसार किया जा सकता है। उपकरणों की गुणवत्ता एवं एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु उचित होगा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अधिष्ठान के स्तर से उक्त उपरकरण का क्रय जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के दृष्टिगत् समस्त सा0स्वा0केन्द्रों को उपलब्ध करा दिया जाए।

4.2 **<u>एफ0एम0आर0 कोड–108.02 Procurement of BP Apparatus-</u>** इस मद में रू0 0.03 लाख प्रति बी0पी0 उपकरण प्रति सा0स्वा0केन्द्र की दर से धनराशि आंवटित की गई है, जिसका प्रयोग सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर एन0सी0डी0 क्लीनिक हेतु एक उच्च गुणवत्ता वाले चार्जर अथवा रिचार्जेबल सेल युक्त डिजिटल ब्लड प्रेशर उपकरण, चार्जर एवं अतिरिक्त बैटरी के क्रय हेतु किया जाएगा। उपकरणों की गुणवत्ता एवं एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु उचित होगा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से उक्त उपरकरण का क्रय कर समस्त सा0स्वा0केन्द्रों को जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए एन0एच0एम0 के नियमों के दृष्टिगत उपलब्ध करा दिया जाए।

4.3 **<u>एफ0एम0आर0 कोड–108.03 Establishment cost for CHC-</u>** इस मद में रू0 08.00 लाख प्रति सा0स्वा0केन्द्र की दर से दिशा–निर्देश के साथ संलग्न तालिकानुसार 137 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एन0सी0डी0 क्लीनिक की स्थापना हेतु धनराशि आंवटित की गई है जिसका प्रयोग चिन्हित कक्ष की रिपेयर, सज्जा, फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर, वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन, स्पाईरोमीटर तथा सम्बन्धित उपकरणों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए एन0एच0एम0 के नियमों के दृष्टिगत क्रय किया जाए।

4.4 **<u>एफ0एम0आर0 कोड–108.04 Procurement of ECG machines for CHC-</u>** इस मद में रू0 0.60 लाख प्रति ई0सी0जी0 उपकरण/सा0स्वा0केन्द्र की दर से धनराशि आंवटित की गई है, जिसका प्रयोग सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर एन0सी0डी0 क्लीनिक हेतु एक उच्च गुणवत्ता वाले ई0सी0जी0 उपकरण हेतु किया जायेगा। उपकरणों की गुणवत्ता एवं एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु उचित होगा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अधिष्ठान के स्तर से उक्त उपरकरण को समस्त सा0स्वा0केन्द्रों को जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए एन0एच0एम0 के नियमों के दृष्टिगत सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाई को उपकरण ससमय उपलब्ध कराये जाए।

<u>NP-NCD कार्यक्रम के अन्तर्गत पापुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग वित्तीय–वर्ष 2024–25 के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश</u>

वित्तीय वर्ष 2024–25 में NP-NCD कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रदेश के समस्त जनपदों में **<u>पापुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग</u>** के संचालन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1– पापुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग का क्रियान्वयन भारत सरकार के स्तर से निर्गत Operational Guidelines के अनुसार ही किया जायेगा। जोकि ई–मेल के माध्यम से आपको भेजी जा चुकी है, यथावत् आपको ई–मेल के माध्यम से भेजा जा रहा है।

2– जनपदों में कार्यक्रम का संचालन हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में पूर्व से ही संचालित जिला एन0सी0डी0 सेल के द्वारा उक्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जायेगा। जिला नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 उक्त कार्यक्रम के नोडल होगें। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उक्त कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन जनपद में करवाना सुनिश्चित करें।

3– भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अन्तर्गत जनपद की कुल जनसंख्या, जिनकी आयु 30 वर्ष तथा 30 वर्ष से अधिक आयुवर्ग की स्क्रीनिंग की जायेगी।

4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला–स्वास्थ्य–समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग Operational Guidelines में दिये गये निर्देशों के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए एन0एच0एम0 के नियमों के दृष्टिगत क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय–प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार करेगें।

5– कार्यक्रम से आच्छादित जनपदों में उपकेन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्धारित किये गये है जिसका विवरण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा चुका है।

6. NP-NCD कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों हेतु पापुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग को चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में जिला–स्वास्थ्य–समिति को जारी की गयी मदवार एवं जनपदवार धनराशि के सापेक्ष संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

7– **<u>FMR Code 110.03- Drugs & supplies for Universal Screening of NCDs</u>**- उक्त मद पर रू0 14,000.00 प्रति उपकेन्द्र की दर से NCD Screening(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer etc) हेतु आवश्यक Consumable इत्यादि का क्रय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के वित्तीय नियमानुसार किया जायेगा।

8– **FMR Code 110.01-** Procurement for Universal Screening of NCDs मद पर रू0 30,000.00 प्रति उपकेन्द्र की दर से उपरोक्त तालिका (Health Facilities Covered under PBS) के अनुसार 7717 उपकेन्द्रों के लिये धनराशि आंवटित की गई है, जिससे निम्न तालिकानुसार उपकरणों का क्रय (अतिरिक्त बैटरी अथवा चार्जेबल बैटरी सहित) भारत सरकार स्तर से निर्गत आपरेशनल गाइडलाइन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के वित्तीय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये–

Sl. No.	Particular	Quantity
1	Equipment for HT (Sphygmomanometer)	1
2	Equipment for VIA (examination Lamp)	1
3	Equipment for VIA (cusco’s Vaginal speculum)	1
4	Equipment for VIA (Autoclave)	1
5	Equipment for VIA (Torch)	1
6	Equipment for OVE (LED Torch)	1
7	Equipment for OVE (Mouth Mirror)	1

9– **FMR Code 110.14-** IEC/BCC for Universal NCD Screening (CBAC and Family Folder Printing) मद पर रू0 5000.00 प्रति उपकेन्द्र की दर से समस्त जनपदों हेतु धनराशि आंवटित की गई है, अवमुक्त धनराशि का उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित प्राविधानों के अनुसार फैमिली फोल्डर एवं सी0बैक प्रपत्र के मुद्रण हेतु किया जायेगा तथा गतिविधियों हेतु प्रारूप के मुद्रण के लिये मानक एवं आवश्यक विवरण निम्नवत् है–

<u>पपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग गतिविधियों (PBS Activity) हेतु धनराशि का फॉट एवं मुद्रण विवरण निम्नवत है।</u>

Sl. No.	Items	Specification	Material	Color	Estimated Unit Cost Amt. In Rs.)
1	फैमिली फोल्डर	Four color offset printing dye cut folder (300 gsm FRC), Size-484mmX450mm including pocket.	300 Gsm FRC	Multi color offset	कुल–500 परिवारों हेतु रू 2500/– **प्रति फैमिली फोल्डर हेतु रू 05/–प्रति नग**
2	**समुदाय आधारित मूल्यांकन प्रपत्र**, सहमति पत्र, व्यक्तिगत् स्वास्थ्य कार्ड	Four color offset printing single side, (170 Gsm lucky print) size 220 mm X 317 mm.	170 Gsm lucky print	Four color offset	30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कुल–500 लाभार्थियों हेतु रू 2500/– **समुदाय आधारित मूल्यांकन प्रपत्र हेतु रू 05/–प्रति नग**
Total					**Rs. 5,000.00 @ Per Sub center**

जनपदों द्वारा उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्णित उपकेन्द्रों पर, शत प्रतिशत परिवारों के पंजीकरण एवं 30 वर्ष एवं 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त व्यक्तियों की स्क्रीनिंग गतिविधि आयोजन कराये जाने हेतु, फैमिली फोल्डर एवं सी0बैक प्रपत्र का मुद्रण नियमता एन0एच0एम0 के वित्तिय नियमो के दृष्टिगत कराये जाने हेतु उपयोग की जाये।

10– मुख्य चिकित्साधिकारी को इस तथ्य का विशेष ध्यान देना है कि मदवार आवंटित धनराशि से अधिक का व्यय नही किया जाये।

11– नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कन्ट्रोल ऑफ नॉन कम्यूनिकेबल डिजीज (एन0पी0–एन0सी0डी0) के अन्तर्गत पापुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में जिला–स्वास्थ्य–समिति को जारी की गयी धनराशि का उपभोग जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए एन0एच0एम0 के नियमों के दृष्टिगत कार्यक्रम के हित में 31 मार्च, 2025 के पूर्व कर लिया जाये।

5. **<u>अन्य निर्देशः–</u>**

5.1 जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत इपिडिमियोलॉजिस्ट NP-NCD गतिविधियों की मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट का इपिडिमियोलॉजिकल विश्लेषण करते हुये उक्त रिपोर्ट को विश्लेषित निष्कर्षों के साथ राज्य स्तर पर प्रेषित करेगें तथा साथ ही साथ NP-NCD कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये गये स्क्रीनिंग लक्ष्य को प्राप्त करते हुये भौतिक प्रगति सुनिश्चित करेगें।

5.2 जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत इपिडिमियोलॉजिस्ट, जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार एवं अन्य कर्मचारी अपने समस्त कार्यो के साथ–साथ जनपद में कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनपद स्तरीय भ्रमण एवं समस्त रिपोर्टिंग इत्यादि का कार्य करना सुनिश्चत करेगें।

5.3 जिला एन0सी0डी0 सेल/क्लीनिक मे कार्यरत डाटा इन्ट्री आपेरटर द्वारा जिला एन0सी0डी0 सेल से सम्बन्धित समस्त रिर्पोर्ट समसय राज्य एन0सी0डी0 सेल को राज्य कार्यक्रम अधिकारी, NP-NCD के ई मेल–npcdcsup@gmail-com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें एवं राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन0पी0–एन0सी0डी0 द्वारा जनपदों द्वारा प्रेषित मासिक रिपोर्ट को संकलित करते हुये प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष कार्यकारी समिति तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को संकलित सूचना प्रेषित की जायेगी।

5.4 गतिविधियों के आयोजन एवं सूचनाओं के सम्प्रेषण में किसी प्रकार की शिथिलता की स्थिति में जनपदीय नोडल अधिकारी (एन0सी0डी0) के साथ–साथ जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तरदायी माना जायेगा।

5.5 जिन जनपदों में NP-NCD के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम समन्वक/इपिडिमियोलॉजिस्ट/जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार कार्यरत नहीं है, उन जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से अन्य एन0सी0डी0 कार्यक्रमों (तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, पेलिएटिव केयर कार्यक्रम, कैन्सर डे केयर सेंटर, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली कार्यक्रमों) में तैनात कार्यक्रम सम्वयकों/कर्मचारी को नामित करते हुए गतिविधियों का ससमय सम्पादन एवं सूचना सम्प्रेषण का कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.6 इपिडिमियोलॉजिस्ट/जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा समस्त भौतिक एवं जनपदीय फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार द्वारा समस्त वित्तीय कार्यो का निर्वाहन किया जाए।

5.7 जनपदों मे रिक्त पद के सापेक्ष एन0सी0डी0 कार्यक्रमों के समस्त कार्यक्रमों (एन0सी0डी0 के अन्य कार्यक्रम/एन0एच0एम0 के अन्य कार्यक्रमों के संविदाकर्मियों द्वारा) मे से जनपद में तैनात जिला समन्वयक को नामित करते हुए प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कार्यों का निर्वाहन किया जाए।

5.8 उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त NP-NCD कार्यक्रम में विगत में प्रचलित ऑपरेशनल गाइड लाईन 2013–17 कें क्रम में भारत सरकार द्वारा एन0पी0–एन0सी0डी0 कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2024–25 मे मानकानुसार गतिविधि संचालित की जायेगी यहां यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा नवीन ऑपरेशनल गाइडलाइन 2023–30 तैयार की गयी है एवं राज्यों को औपचारिक रूप से भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 द्वारा जनपदों को नवीन दिशा–निर्देश प्रभावी किये जाने के निर्देश जारी किये जायेगे तद्उपरान्त ही नवीन दिशा–निर्देश प्रभावी होगे।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दिशा–निर्देश इस आशय के साथ प्रेषित हैं कि कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिशा–निर्देशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चत किया जा सके। किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही की अवस्था/स्थिति में सम्बन्धित अधिकरी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण अध्यक्ष कार्यकारी समिति/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, शासन पर सन्दर्भित कर दिया जायेगा।

21. पी.एम.–अभीम योजना/ 15वें वित्त आयोग

पी.एम.–अभीम योजना

- पी0एम0–अभीम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 91 बी0पी0एच0यू0 हेतु कुल 182 लैब टेक्निशियन एवं 23 आई0पी0एच0एल0 के लिए 92 लैब टेक्निशियन के दो माह (01 फरवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक) के मानदेय हेतु मद संख्या ABHIM.3.2 No. of BPH Units supported for recurring expenditure के अन्तर्गत धनराशि रू0 87.36 लाख (Eighty Seven Lakh and Thirty Six Thousand only) एवं मद संख्या ABHIM.4.2 No. of Integrated District Public Health Laboratories: recurring expenditure मे रू0 44.16 लाख (Fourty Four Lakh and Sixteen Thousand only) की कुल धनराशि रू0 13152000.00 (Rs. One Crore Thirty one Lakh Fifty Two Thousand Only) पत्रांक SPMU/PM-ABHIM/15thFC/DHAP-2023-24/08/2096-2 दिनांक 12.07. 2024 के माध्यम से सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को यूनिटवार, जनपदवार एवं मदवार आवंटित की गयी है।

- पी0एम0–अभीम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 91 बी0पी0एच0यू0 हेतु कुल 182 लैब टेक्निशियन एवं 23 आई0पी0एच0एल0 के लिए 92 लैब टेक्निशियन के बारह माह (01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक) के मानदेय हेतु मद संख्या ABHIM.3.2 No. of BPH Units supported for recurring expenditure के अन्तर्गत धनराशि रू0 524.16 लाख (Five Crore Twenty Four Lakh and Sixteen Thousand only) एवं मद संख्या ABHIM.4.2 No. of Integrated District Public Health Laboratories: recurring expenditure मे रू0 264.96 लाख (Two Crore Sixty Four Lakh and Ninety Six Thousand only) की कुल धनराशि रू0 78912000.00 (Rs. Seven Crore Eighty Nine Lakh Twelve Thousand Only) पत्रांक SPMU/PM-ABHIM/DHAP-2024-25/39/1626-2 दिनांक 21.06.2024 के माध्यम से सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को यूनिटवार, जनपदवार एवं मदवार आवंटित की गयी है।

15वें वित्त आयोग

- 15वाँ वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट (बी0पी0एच0यू0) में 620 एवं District Level Quality Lab के 150 लैब टेक्नीशियनों के 11 माह (01 अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक) के मानदेय हेतु मद संख्या 185.C.S1171 मे रू0 1636.8 लाख (Sixteen Crore Thirty Six Lakh and Eighty Thousand only) एवं मद संख्या 185.C.S1166 के अन्तर्गत धनराशि रू0 396 लाख (Three Crore Ninty Six Lakh only) की कुल धनराशि रू0 **203280000** (Rs. Twenty Crore Thirty Two Lakh Eighty Thousand Only) पत्रांक SPMU/NHM/15th FC/2024-25/40/2467-2 दिनांक 30.07.2024 के माध्यम से सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को यूनिटवार, जनपदवार एवं मदवार आवंटित की गयी है।

22. वित्तीय

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु जनपदो को वित्तीय लेखा पुस्तकों का रख–रखाव, आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुशासन स्थापित करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देशः–

ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट

भारत सरकार द्वारा जारी ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट को राज्य स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय द्वारा अंगीकृत किया जा चुका है। ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के प्रावधान उसी प्रकार से लागू है, जैसा कि उसमें वर्णित है, जब तक किसी प्रावधान के लिए अन्यत्र दिशा–निर्देश जारी न किये जाये।

मैनुअल / कम्प्यूटराईज लेखा पुस्तकों का रख–रखाव

ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट में निर्धारित वित्तीय लेखा–अभिलेखों का रख– रखाव जिला स्वास्थ्य समिति, सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0, सब सेन्टर, वी0एच0एस0एन0सी0 एवं अन्य चिकित्सा इकाई स्तर पर किया जाये।

जिला स्वास्थ्य समितियों, सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0, जिला अस्पताल एवं अन्य चिकित्सा इकाईयों में हस्तलिखित कैश / बैंक बुक एवं PFMS Log /Cheque Issue Register तैयार किया जाना अनिवार्य है। साथ ही अन्य मूल वित्तीय प्रपत्र एवं रजिस्टर जैसे– बैठको की कार्यवाही के कार्यवृत्त की पत्रावली / रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, बिल / बाउचर, टेण्डर / कोटेशन पत्रावली, स्थायी सम्पत्ति / डेड स्टॉक रजिस्टर इत्यादि का समुचित रूप से रख–रखाव किया जाना अपेक्षित है तथा निम्नानुसार निर्धारित समयान्तराल पर वित्तीय अभिलेख तैयार कर सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षर करवाते हुए अभिरक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

क्रम सं0	विवरण	समयान्तराल	प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी व्यक्ति
1.	चेक निर्गत रजिस्टर / पी0एफ0एम0एस0 लॉग रजिस्टर	प्रतिदिन	पी0एफ0एम0एस0 मेकर / चेकर आई0डी0 यूजर
2.	मैनुअल रोकड बही एवं बैंक बही (जिला स्वास्थ्य समिति के समस्त कार्यक्रम)	प्रतिदिन	लेखा लिपिक
3.	मैनुअल रोकड बही एवं बैंक बही सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 / जिला अस्पताल)	प्रतिदिन	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक / जिला अस्पताल का लेखाकार
4.	मैनुअल रोकड बही एवं बैंक बही (डी0पी0एम0यू0)	प्रतिदिन	जिला डाटा कम लेखा सहायक
5.	बैंक समाधान विवरण (एफ0एम0ए0एस0)	मासिक	जिला डाटा कम लेखा सहायक / ब्लॉक लेखा प्रबन्धक / जिला अस्पताल का लेखाकार
6.	पत्रावली / सर्पोटिंग बिल वाउचर्स् के साथ एफ0एम0ए0एस0 से तैयार पेमेंट वाउचर एवं पेमेंट प्रपोजल अन्य सम्बन्धित प्रपत्र का तैयार करना (जिला स्वास्थ्य समिति)	प्रतिदिन	लेखा लिपिक
7.	पत्रावली / सर्पोटिंग बिल वाउचर्स के साथ एफ0एम0ए0एस0 से तैयार पेमेंट वाउचर एवं पेमेंट प्रपोजल अन्य सम्बन्धित प्रपत्र का	प्रतिदिन	जिला डाटा कम लेखा सहायक

	तैयार करना (डी0पी0एम0यू0)		
8.	पत्रावली/सर्पोटिंग बिल वाउचर्स् के साथ एफ0एम0ए0एस0 से तैयार पेमेंट वाउचर एवं पेमेंट प्रपोजल अन्य सम्बन्धित प्रपत्र का तैयार करना (सी0एच0सी0/पी0एच0सी0)	प्रतिदिन	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक
9.	पत्रावली/सर्पोटिंग बिल वाउचर्स् के साथ एफ0एम0ए0एस0 से तैयार पेमेंट वाउचर एवं पेमेंट प्रपोजल अन्य सम्बन्धित प्रपत्र का तैयार करना (जिला अस्पताल)	प्रतिदिन	जिला अस्पताल का लेखाकार

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के वित्त एवं लेखांकन सम्बन्धी समस्त कार्य जिला लेखा प्रबन्धक के निर्देशन में डाटा कम लेखा सहायक (DCAA, NUHM) द्वारा निष्पादित किया जायेगा। जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के वित्त एवं लेखांकन सम्बन्धी समस्त कार्य जिला लेखा प्रबन्धक के निर्देशन में जिला डाटा कम लेखा सहायक/DDAA द्वारा निष्पादित किया जायेगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अन्तर्गत आच्छादित कार्यक्रमों के वित्त एवं लेखांकन सम्बन्धी समस्त कार्य जिला लेखा प्रबन्धक के निर्देशन में फाईनेन्स कम लाजिस्टिक कन्सलटेन्ट द्वारा निष्पादित किया जायेगा। कम्युनिकेबल डिजीज के आच्छादित कार्यक्रमों का वित्त एवं लेखांकन सम्बन्धी समस्त कार्य जिला लेखा प्रबन्धक के निर्देशन में लेखाकार (एन0टी0ई0पी0) द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/लेखा/2014–15/210/7108–2 दिनांक 05.10. 2015 एवं 174–75 दिनांक 12.04.2017 के माध्यम से जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों में वित्तीय एवं लेखांकन कार्य हेतु संविदा पर कार्यरत लेखाधिकारी/लेखाकार द्वारा जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा आवंटित वित्तीय/लेखांकन कार्य निष्पादित किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2020–21 तक जिला स्वास्थ्य समितियो, जिला अस्पताल एवं सी0एच0सी0 /पी0एच0सी0 द्वारा Tally ERP-09 का डेटा बैकअप स्वयं सम्बन्धित इकाई के द्वारा तथा जनपद की समस्त इकाईयो का टैली डाटा डी0पी0एम0यू0 द्वारा अभिरक्षित किया जायेगा। राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति के टैली डाटा का बैकअप अभिरक्षित किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो का भी अनुपालन किया जाये।

लेखाकार (जनपदीय चिकित्सालय)

जिला अस्पताल में वित्तीय अभिलेखों के रख–रखाव के लिए जिला अस्पताल में लेखाकारो की तैनाती की गयी है। जनपदो के जिला अस्पताल में तैनात लेखाकारो का मानदेय, एफ0एम0आर0 कोड 185.CP 275 में डी0एच0ए0पी0 के माध्यम से आवंटित धनराशि से आहरित की जायेगी। वार्षिक वृद्धि एवं लॉयल्टी का भुगतान राज्य स्तर से निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार किया जायेगा। नियुक्ति की तिथि /कार्यावधि/मूल्यांकन के आधार पर वास्तविक मानदेय का निर्धारण करते हुए मानदेय का भुगतान किया जायेगा। डी0एच0ए0पी0 में आवंटित मानदेय बजट मात्र है। बजट का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता अपितु वित्तीय नियमों , शासनादेशो एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

पत्रांक संख्या –एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/लेखा/बैम/2014–15/213/3923–75 दिनांक 17.07.2013 के अन्तर्गत जिला अस्पताल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिये नियुक्त लेखाकार के कार्य एवं दायित्व को निर्धारित किया गया है।

लेखाकार (जनपदीय चिकित्सालय) के कार्य एवं दायित्वः–

1. जिला चिकित्सालय से संबंधित समस्त लेखांकन मैनुअल एवं कम्प्युटराइज्ड कार्य।
2. पी0एफ0एम0एस0 में मेकर आई0डी0 का प्रयोग करके समस्त भुगतान तैयार करना।
3. पी0एफ0एम0एस0 लॉग/चेक ईशु रजिस्टर तैयार करना।
4. मैनुअल कैशबुक तैयार करना।

5. मासिक बैंक समाधान विवरण तैयार करना।
6. एफ0एम0आर0, कमिटेड रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अन्य वित्तीय रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराना।
7. एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर पर कार्य किया जायेगा।

फाईनेन्शियल एण्ड एकाउन्टिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (एफ0ए0एम0एस0)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन एवं लेखा पुस्तकों के रख–रखाव हेतु Finance and Accounting Management System (FAMS) सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से Accounting, Auditing, ROP/DHAP/BHAP, Expenditure & Release इत्यादि व्यवहरित किया जाता है तथा पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक स्तर पर ऑन लाईन समस्त रिपोर्ट उपलब्ध रहती है। राज्य स्तर से सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा ऑन लाईन डी0एच0ए0पी0 (डैप) तैयार किया जाता है, जिसके उपरान्त जनपद स्तर पर बी0एच0ए0पी0 (बैप) तैयार किया जाता है। वित्तीय लेन–देन की एकाउन्टिग इन्ट्री सॉफ्टवेयर पर की जाती है तथा एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार एक्सल शीट को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड करके भुगतान किया जाता है। पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से तैयार प्रिन्ट पेमेन्ट एडवाइज की संख्या एवं दिनांक एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर अंकित किया जायेगा। टी0डी0एस0/जी0एस0टी0/ई0पी0एफ0 इत्यादि जिनका भुगतान चेक/नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है। भुगतान पश्चात् , भुगतान विवरण एवं दिनांक एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर अंकित की जाती है। बैंक समाधान विवरण एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार किया जाता है।

एफ0ए0एम0एस0 में निम्नलिखित Modules को सम्मिलित किया गया हैः–

1- Budget Module
2- Account Module
3- Audit Module
4- MIS Module
5- User Management Module (Utility Module)
6- Beneficiary Employee/Vendors Management Module
7- Master Module
8- Help desk Module
9- Integration Module

समस्त स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक इकाईयो द्वारा सर्वप्रथम एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर से तैयार एक्सेल फाइल के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल द्वारा भुगतान किये जाने का निर्देश पत्र संख्याः 145–5 दिनांक 08.04.2021 के द्वारा दिया जा चुका है। राज्य स्तर पर एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से तैयार एफ0एम0आर0, एस0एफ0पी0 एवं अन्य वित्तीय रिर्पोट्स के आधार पर समीक्षा की जाती है।

FAMS पोर्टल से सम्बंधित दिशा–निर्देशः–

1. जिला डाटा कम लेखा सहायक द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के समस्त खातो की कैश बुक FAMS पोर्टल से निकाल कर सक्षम प्राधिकारी से हस्ताक्षर कराया जायेगा।
2. जिला अस्पताल के लेखाकार द्वारा जिला अस्पताल के समस्त बैंक खाते की कैश बुक FAMS पोर्टल से निकाल कर सक्षम प्राधिकारी से हस्ताक्षर कराया जायेगा।
3. ब्लॉक लेखा प्रबन्धक द्वारा ब्लॉक के समस्त CHC/PHC खातो की कैश बुक FAMS पोर्टल से निकाल कर सक्षम प्राधिकारी से हस्ताक्षर कराया जायेगा।

केन्द्रीयकृत वेतन/मानदेय तथा ई0पी0एफ0

पत्र संख्या एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/लेखा/बुककीपिंग/2022–23/484/8805 दिनांक 20.02.2023, एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/लेखा/इटंरनेट बैकिंग/2023–24/279 /7123 दिनांक 12.12.2023 एवं 575/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0 एच0आर0 /2023–24/9268 दिनांक 22.02.2024 के माध्यम से केन्द्रीयकृत वेतन/मानदेय तथा ई0पी0एफ0 के भुगतान की व्यवस्था की गयी है।

- प्रत्येक माह का देय मानदेय/वेतन का भुगतान अगामी माह की 03 तारीख तथा ई0पी0एफ0 का भुगतान 15 तारीख तक किया जाना होता है इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के मार्च माह का देय वेतन/मानदेय एवं ई0पी0एफ0 का भुगतान 31 मार्च तक कर दिया जायेगा।
- कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति NHM के ZBSA खातों से जिला स्वास्थ्य समिति के Holding Bank A/c में हस्तान्तरित किया जायेगा, तत्पश्चात् ई0पी0एफ0ओ0 को कॉरपोरेट इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से इस बैंक खाता के संयुक्त हस्ताक्षरी द्वारा अपना–अपना आई0डी0 एवं पासवर्ड का प्रयोग करके भुगतान किया जायेगा।
- जनपद के अन्तर्गत मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन आने वाली स्वास्थ्य इकाइयों (सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/उपकेन्द्र इत्यादि) पर कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी के मानदेय/वेतन का भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति से किया जायेगा।
- मेडिकल कॉलेज जो कि मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन नहीं आते है, उन इकाइयों में कार्यरत्त एन0एच0एम0 संविदा कर्मियो के मानदेय का भुगतान कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी से किया जायेगा।
- जनपद के अन्दर कार्यरत कर्मियों जिनके मानदेय/वेतन का नियमानुसार भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति स्तर से किया जाएगा, का वेतन रजिस्टर जिला स्वास्थ्य समिति स्तर पर तैयार किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (Public Financial Management System)

वित्तीय व्यवहार, लेनदेन एवं भुगतान में पारदर्शिता लाने ऑनलाइन ससमय वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी0एफ0एम0एस0) वेब पोर्टल के माध्यम से राज्य, जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय इकाईयो (उपकेन्द्र एवं वी0एच0एन0सी0 को छोड़कर) द्वारा समस्त धनराशियों का भुगतान/अवमुक्त/स्थानान्तरण (राज्य एवं केन्द्र सरकार के ट्रेजरी को भुगतान किये जाने वाली धनराशि जैसे–आयकर, व्यापार कर, अन्य कटौतिया/वैधानिक देयताओ को छोड़कर) पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/5067 दिनांक 04.02.2015 एवं 08.04.2015 के अनुरूप किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा इस पोर्टल को लागू करने का उद्देश्य मध्यस्थ को भुगतान न करके सीधे सम्बन्धित लाभार्थी, अधिकारी/कर्मचारी एवं आपूर्तिकर्ता एवं सेवा प्रदाता के खाते में भुगतान पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल के माध्यम से ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के द्वारा किया जाना है। इस सम्बन्ध में पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/ लेखा/ पी0एफ0एम0एस0/187/1380–ए दिनांक 11.06.2015 एवं पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/ एन0आर0एच0एम0/ लेखा/ पी0एफ0एम0एस0 /187/2017–18/1787–6 दिनांक 28.05.2018 के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं पी0एम0–अभीम के अन्तर्गत SNA तथा नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अन्तर्गत CNA व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत Implementing Agency के लिए ZBSA एवं Holding Bank A/c खोला गया है। PFMS पोर्टल में दी गयी व्यवस्था के

अनुसार जी0एस0टी0 / टी0डी0एस0 / ई0पी0एफ0 / ई0एस0आई0 एवं अन्य वैधानिक ऑडिट कटौती आदि का भुगतान Holding Bank A/c से किया जायेगा।

- जन आरोग्य मन्दिर (उपक्रेन्द स्तरीय), उपकेन्द्र, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति एवं महिला आरोग्य समिति का पंजीकरण पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल पर किया जाना अनिवार्य है। जब तक उपकेन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति एवं महिला आरोग्य समिति का पंजीकरण पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल पर नहीं किया जाता है, तब तक इनको धनराशि का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा। उपकेन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति एवं महिला आरोग्य समिति द्वारा अपने व्यय का भुगतान चेक या नियमानुसार अन्य माध्यम से किया जा सकता है।
- पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / लेखा / पी0एफ0एम0एस0 / 1782–6 दिनांक 28.05.2018 के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 संचालन में चेकर / मेकर एवं उनके कार्य व दायित्वों का निर्धारण किया गया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था (इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम)

आन्तरिक नियंत्रण हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत मण्डलीय / जनपद स्तर पर वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है, जिनके कार्य एवं दायित्व निम्न हैः–

एन0एच0एम0 के अन्तर्गत वित्तीय लेन देनों में आन्तरिक नियंत्रण एवं पारदर्शिता लाने के लिये शासनादेश संख्या–637 / सेक –5–पांच– 2016–320 / 2011 टी0सी0 दिनांक 17.05.2016 के अन्तर्गत जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालयो में तैनात वित्त एवं लेखा अधिकारियों के माध्यम से निम्नवत् कार्य दायित्व निर्धारित किया गया हैः–

(क) मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में समस्त वित्त एवं लेखा अधिकारियों से एन0एच0एम0 / राज्य बजट से सम्बन्धित समस्त लेखा सम्बन्धी कार्य लिये जाये, क्योकि वित्त लेखा अधिकारियो को उक्त कार्यों की विशिष्टता प्राप्त है और वे विभाग में वित्तीय अनुशासन को सुदृढ करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते है। समस्त जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यो में सहायता करने, लेखा–अभिलेखों को पूर्ण कराने, प्रत्येक माह एफ0एम0आर0 भेजने, वित्तीय मामलों में परामर्श देने के लिये जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में जिला लेखा प्रबन्धक की नियुक्ति की गयी है। जिला लेखा प्रबन्धक जनपदों में एन0एच0एम0 से सम्बन्धित धनराशि के व्यय एवं उनका लेखा–जोखा रखने के लिए उत्तरदायी होगें। वर्तमान में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में वित्तीय परामर्श से सम्बन्धित पत्रावलियां जिला लेखा प्रबन्धक के पास नहीं आती है, जिसके कारण वित्तीय नियंत्रण शिथिल रहता है।

(ख) एन0एच0एम0 से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियां सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारियों के लिपिकों द्वारा तैयार कराकर सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी व जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त एवं लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करें, जो मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे। यह प्रकिया प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु की जाये।

(ग) पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / लेखा / 2017–18 / 9461–75 दिनांक 08.12.2017 के माध्यम से भुगतान / धनराशि अवमुक्त किये जाने की प्रकिया निर्धारित की गयी थी। तदानुसार ब्लॉक एवं इकाइयों को फण्ड ट्रान्सफर तथा सेवायें / कार्य के भुगतान की पत्रावली को वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / वित्त एवं लेखाधिकारी के माध्यम से अग्रसारित किया जाना सुनिश्चित करें।

(घ) राज्य बजट की समस्त पत्रावलियां जिसमें वित्तीय उपाशय निहित हो, सम्बन्धित अधिकारी द्वारा वित्त एवं लेखा अधिकारियों के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारियो को प्रस्तुत की जाए, जिससे वित्तीय उपाशयों में वित्त एवं लेखा अधिकारियों का मंतव्य अवश्य लिया जाए तथा क्रय एवं टेण्डर सम्बन्धित समस्त कार्य वित्त एवं लेखा अधिकारियो की सहभागिता से कराये जाये। यह प्रकिया प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु की जाये।

(च) वित्त एवं लेखा अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालय के लेखों के रख–रखाव, आगामी वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी, व्यय विवरण तैयार करना एवं समय से महानिदेशालय

को भेजना, बचत–व्ययाधिक्य का विवरण तैयार करना इत्यादि समस्त कार्य के लिए उत्तरदायी होगें।

(छ) उपरोक्त समस्त उत्तरदायित्व वित्तीय हस्तपुस्तिका–5, अध्याय–18 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित वित्त एवं लेखा अधिकारियो के उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारियो के कार्यालय में वही होंगे, जो विभागाध्यक्ष स्तर पर वित्त नियंत्रक के होते है।

बैकिंग व्यवस्था एवं बैक खातों का संचालन

राज्य स्तर से द्वारा निर्देशित नवीन बैंकिंग व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या–1252/पाँच–9–2014–9(32)/07 दिनांक 09.10.2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बैक खातों का संचालन किया जाये। इस सम्बन्ध में जारी पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0 /लेखा/2014–15/3867–75 दिनांक 02.12.2014, पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0 /लेखा/2019–20/85/2077–4 दिनांक 24.07.2021 एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/लेखा /2019–20/85/3026 दिनांक 27.08.2021, पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/लेखा /2019–20/85/3075–3 दिनांक 31.08.2021 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर नवीन बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत धनराशि स्थानान्तरित/अवमुक्त की जाये।

रोगी कल्याण समिति का वैधानिक अंकेक्षण

प्रदेश की समस्त रोगी कल्याण समिति का पंजीकरण समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है। चूंकि रोगी कल्याण समिति अलग से पंजीकृत संस्था है, अतः अलग से वैधानिक आडिट कराया जाना आवश्यक है। राज्य ऑडिट कमेटी द्वारा आर0के0एस0 ऑडिट हेतु देय अधिकतम ऑडिट फीस का निर्धारण किया गया है, जो कि निम्नवत् हैः–

वित्तीय वर्ष (जिसका ऑडिट किया जाना है)	राज्य ऑडिट कमेटी की बैठक की तिथि	रोगी कल्याण समिति का स्तर	फीस (प्रतिवर्ष/प्रति आर0के0एस0)
31.03.2016 तक	28.05.2015	ब्लॉक स्तरीय	रु0 500.00
		जनपद स्तरीय	रु0 1500.00
2016–17	14.01.2016	ब्लॉक स्तरीय	रु0 1000.00
		जनपद स्तरीय	रु0 2000.00
2017–18 2018–19 2019–20	25.01.2017	ब्लॉक स्तरीय	रु0 2000.00
		जनपद स्तरीय	रु0 3000.00
2020–21 2021–22 2022–23 2023–24	25.01.2017	ब्लॉक स्तरीय	रु0 2000.00
		जनपद स्तरीय	रु0 3000.00

राज्य ऑडिट कमेटी की बैठक में जनपद/ब्लाक रोगी कल्याण समिति का वैधानिक अंकेक्षण वार्षिक अधिकतम सीमा तक निर्धारित की गई है।

कान्करेन्ट ऑडिट

भारत सरकार द्वारा जारी ''ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेंट'' में कान्करेन्ट आडिट सिस्टम की व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति के खातो का मासिक आडिट जिला स्वास्थ्य समिति से नियुक्त कान्करेन्ट आडिटर द्वारा की जाती है तथा कान्करेन्ट आडिट की रिपोर्ट मासिक रुप से जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायी जाती है, जिसकी एक प्रति जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायी जाती है।

जिला ऑडिट कमेटी के सदस्यो का विवरणः–

Person	Designation in Committee
District Magistrate	Chairman
Chief Medical Officer	Member-Secretary

Senior Finance & Account Officer / Finance & Account Officer	Member
District Accounts Manager	Member
Representative from NDCP (at least one)	Member

जिला ऑडिट कमेटी के प्रमुख कार्यः–

- Selection and appointment of District concurrent auditors (in concurrence with the State Audit Committee).
- Monitoring timely audits at the district level and timely submission of audit reports.
- Discussing the key audit findings with district concurrent auditor and District Accounts Manager and suggest appropriate actions.
- Monitoring whether adequate follow up action is being taken by the District Accounts Manager on the audit observations.
- Monitor whether ATR has been prepared by the DAM/ CMO and given to the auditor and whether the same has been vetted and sent by the auditor within the requisite time limit.
- Carrying out an assessment of the audits in case the auditors are being considered to be reappointed with intimation to State Audit Committee (SAC).
- Renewal of the auditors' contracts with intimation to SAC.

कान्करेन्ट ऑडिट रिपोर्ट

कान्करेन्ट ऑडीटर से टी0ओ0आर0 में दर्शाये गये समस्त कार्य कराए जाये। कान्करेन्ट ऑडिटर द्वारा अगले माह की 10 तारीख तक रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। जनपद द्वारा अगले माह की 15 तारीख तक मासिक कान्करेन्ट आडिट रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध करायी जाये।

जिला ऑडिट कमेटी की बैठकः–

जिला ऑडिट कमेटी की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 6 बैठके आयोजित किया जाना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी ऑपरेशल गाइडलाइन फॉर फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट को वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रदेश में लागू किया गया है, जिसके अनुपालन में राज्य स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय द्वारा अपनी बैठक दिनांक 06.06.2012 में अनुमोदनानुसार पत्रांक– एन0आर0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/कॉन0ऑडिट/2012.13/174/583–11 दिनांक 25.06.2012 के द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला ऑडिट कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी सहित वित्त एवं लेखाधिकारी तथा जिला लेखा प्रबन्धक सम्मिलित है। जिला ऑडिट कमेटी की बैठक कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 06 बार की जानी है, जिसमें कान्करेन्ट आडिट में की गयी संस्तुतियो और खामियों पर त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

जिला ऑडिट कमेटी की बैठक के मुख्य एजेण्डा बिन्दु

जिला ऑडिट कमेटी का सदस्य सचिव होने के नाते मुख्य चिकित्साधिकारी का यह दायित्व है कि नियमित अन्तराल पर जिला ऑडिट कमेटी की बैठक आहूत कराये। जिला ऑडिट कमेटी की बैठक में एजेन्डा में निम्न बिन्दुओं को आवश्यक रूप से शामिल किया जाए–

1. जिला कान्करेन्ट ऑडिटर के चयन एवं परफॉरमेन्स ऑडिट कार्य की समीक्षा।
2. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को ऑडिट रिपोर्ट को प्रेषित किये जाने की समीक्षा।
3. जनपद की समस्त इकाईयों के लेखा पुस्तकों के रख–रखाव की समीक्षा।
4. ऑडिट आपत्तियों पर कृत कार्यवाही की समीक्षा।
5. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को ए0टी0आर0 प्रेषित किये जाने की समीक्षा।
6. बड़े कार्य/सेवाएं के टेन्डर की समीक्षा भी की जाए।
7. दस लाख से अधिक के टेण्डरों की प्रक्रिया एवं वैधता का कान्करेन्ट ऑडिटर से परीक्षण कराकर ही क्रय आदेश जारी करने की समीक्षा की जाए और अनियमित प्रक्रिया होने पर क्रय आदेश निर्गत न किये जाए। अविलम्ब प्रशासनिक कार्यवाही करें।

8. ''कान्करेन्ट ऑडिट में यह अवश्य देख लिया जाए कि जी0एफ0आर0 प्रक्रिया/सी0वी0सी0 गाईडलाईन/वित्त पथ/क्रय मैनुअल का पालन हो रहा है या नहीं, Fair Competetion Allow किया गया है, इस प्रक्रिया से जिलाधिकारी/मिशन निदेशक–एन0एच0एम0/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को सूचित किया जाए, जिससे अग्रिम प्रभावी कार्यवाही हो सके।''
9. अन्य बिन्दु आवश्यकतानुसार।

ऑडिट फीस का भुगतान

जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा कान्करेन्ट ऑडिटर की ऑडिट फीस हेतु एफ0एम0आर0 कोड संख्या 194.54 पर प्रावधानित धनराशि का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त "Operational Guideline of Financial Management" में दिये गये प्राविधानों एवं टी0ओ0आर0 के अनुरूप ऑडिट निष्पादन के उपरान्त किया जाना है। कॉन्करेन्ट ऑडिटर को फीस का भुगतान त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त किया जाये। इसके साथ ही यदि किसी कारणवश जनपदीय स्वास्थ्य समिति/राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा जनपदीय कान्करेन्ट ऑडिटर के कार्य को अस्वीकार कर दिया जाता है तो इस स्थिति में जनपद के कान्करेन्ट ऑडिटर की फीस का भुगतान देय नहीं होगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा विभाग की अन्य योजनाओं में वित्तीय अनुशासन लागू किया जानाः–

आम जनता को लाभ पहँचाने के उद्देश्य से योजनाओं के संचालन में शासन/एन0एच0एम0 का बहुत बड़ा बजट जनपद को निर्गत किया जाता है, जिसका उपयोग मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति की देख रेख में किया जाता है। योजना के क्रियान्वयन तथा बजट के व्यय में वित्तीय अनुशासन बना रहे तथा किसी तरह का भ्रष्टाचार/गबन इत्यादि न हो इसके लिये प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/ कॉ0ऑडिट/ 2019–20/412/6111–2 दिनांक 16 अक्टूबर 2019 के माध्यम से योजना क्रियान्वयन/क्रय प्रक्रिया के सम्बन्ध दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है ।

एन0एच0एम0 के अन्तर्गत कार्यक्रमों की वैधानिक सम्प्रेक्षा

एन0एच0एम0 के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति तथा जिला स्वास्थ्य समिति के वैधानिक आडिट के उपरान्त भारत सरकार को आडिट रिपोर्ट, ऑडिटेड बैलेन्स शीट एवं आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाय। वैधानिक अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित कार्यवाहियॉ अपेक्षित हैः–

1. ऑडिट टीम के पहुॅचने के पूर्व ही जनपद/ब्लाक एवं अन्य कार्यालयों में रखे अभिलेखों को अद्यतन करा लें तथा आडिट टीम के पहुॅचने पर टीम के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करायें।
2. जनपद के लेखों के रख–रखाव हेतु जनपद के जिला लेखा प्रबन्धक (DAM) को पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाते हुये समस्त अभिलेख प्राप्त करवा दें।
3. ऑडिट टीम के 'रफनोट' (मेमो) में अंकित आपत्तियों को स्थल पर ही दूर करायें उन्हें कदापि अनुत्तरित न छोड़ें।
4. FAMS पोर्टल पर समस्त वित्तीय प्रविष्टि एवं BHAP की कार्यवाही पूर्ण कर लें।

लेखा पुस्तकों के अन्तिमीकरण के दिशा–निर्देश

1. कैश एवं बैंक बुक को ससमय पूर्ण किया जाना।
2. सभी कार्यक्रमों के खाता बही ससमय तैयार किया जाना।
3. सभी कार्यक्रमों के जर्नल, खाता बही बनाया जाना चाहिए एवं सभी प्रारंभिक अवशेष के साथ ही साथ समायोजन प्रविष्टियों और अग्रिम प्रविष्टियों का लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार समायोजन कर पूर्ण किया जाना।
4. वाउचर क्रमानुसार संख्या में होना चाहिए।
5. बैंक समाधान विवरण ससमय तैयार करें।
6. त्रैमासिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण एवं मासिक ट्रायल बैलेंस Concurrent ऑडिटर के द्वारा प्रमाणित कराना।
7. वैधानिक ऑडिट के प्रारंभ से पहले प्रत्येक स्तर पर प्राप्ति, भुगतान एवं आय और व्यय खाते बैलेंस शीट में अंगीकृत कर लें।

8. फंड प्राप्त एवं अन्तरण का विवरण ससमय तैयार कर मिलान कर लें।
9. वैधानिक अंकेक्षण के प्रारंभ से पूर्व राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई से प्रेषित अनुदेश के अनुसार कृत कार्यवाही तैयार कर वैधानिक (स्टेच्यूटरी) अंकेक्षण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. एन0एच0एम0 के अन्तर्गत सभी कार्यक्रमों के सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
11. अग्रिम धनराशि का विश्लेषण कर उसका समाधान ससमय कराना सुनिश्चित करें।
12. एन0एच0एम0, पी0एम0 अभीम, ई0सी0आर0पी0–I, ई0सी0आर0पी0–II, 15th FC एवं राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा Funded अन्य समितियो के अन्तर्गत सभी कार्यक्रमों की पी0एफ0एम0एस0 लॉग रजिस्टर/चेक बुक रजिस्टर बैंक खाता के हस्ताक्षरी से सत्यापित कराना।
13. एन0एच0एम0 के अन्तर्गत अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन करना।
14. महत्वपूर्ण अनुबंध/सहमति, ज्ञापन रजिस्टर में पंजीकृत कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना ।
15. स्टॉक रजिस्टर वैधानिक (स्टेच्यूटरी) आडिटर के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
16. टी०डी०एस० की कटौती की धनराशि एवं रिर्टन को ससमय जमा किया जाना चाहिए।
17. एफ.एम.आर./स्टेटमेंट ऑफ़ फंड पोजीशन का मिलान कर कांकरेंट ऑडिटर से प्रमाणित कर लें।
18. जनपद की समस्त इकाइयों के खाता बहियों का रख–रखाव फैम्स पर कराना सुनिश्चित करें।
19. वी0एच0एस0एन0सी0 एवं उपकेन्द्रों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ ब्लॉक स्तरीय सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर अभिरक्षित रखें।
20. रोगी कल्याण समिति से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र को जिला स्वास्थ्य समिति एवं ब्लॉक स्तरीय सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर अभिरक्षित रखें।
21. रोगी कल्याण समिति की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति जिला स्वास्थ्य समिति पर अभिरक्षित रखें।
22. कांकरेंट ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति जिला स्वास्थ्य समिति पर अभिरक्षित रखें।

अन्य वित्तीय दिशा–निर्देश

- धनराशि व्यय/अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 एन0आर0एच0एम0/2013–14/3367–75 दिनांक 3.11.2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाये। जिस कार्यकम/मद में जितनी धनराशि आवंटित की गयी है, उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अनुमति के बिना स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) कदापि न किया जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न हो।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये, जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
- समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के सापेक्ष व्यय की गई धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ.एम.आर. में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार के आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरो पर किया जाना सुनिश्चित करें।

कमिटेड बजट धनराशि को फैम्स पोर्टल के माध्यम से व्यय हेतु दिशा–निर्देशः–

1. वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु फैम्स पोर्टल पर कमिटेड के रूप में रक्षित कराये जाने के पश्चात् भुगतान करना सुनिश्चित किया जाये।
2. भारत सरकार के ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट के अध्याय–2 प्रस्तर 2. 4.4 एवं कमिटेड धनराशि के प्राविधानों के अनुरूप कमिटेड धनराशि का निर्धारण किया गया हो तथा जनपद में उपलब्ध बजट के सापेक्ष फैम्स पोर्टल से कमिटेड बजट के रूप में रक्षित कराया गया हो।
3. गतिविधियों हेतु धनराशि को कमिटेड कर लिया जाना मात्र ही भुगतान हेतु स्वीकृति नहीं है, मात्र उन्हीं दायित्वों का भुगतान किया जाए जिनके व्यय के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए सक्षम स्तर से व्यय हेतु स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गयी हो। जनपदो द्वारा उपलब्ध धनराशि से कमिटेड धनराशि का व्यय किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय के सापेक्ष भुगतान कदापि मान्य नहीं होगा तथा भुगतान हेतु स्थापित नियमों तथा समय–समय पर प्रेषित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. मानव संसाधन में स्वीकृत पद के सापेक्ष नियुक्त एवं कार्यरत संविदा कर्मी जिनका भुगतान संगत वर्ष में नहीं किया जा सका है, का भुगतान प्राप्त बजट से वर्ष 2023–24 में किये गये भुगतान को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि की सीमा तक ही किया जाये।
5. वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु जारी डैप/कमिटेड/आर0ओ0पी0/एस0आर0ओ0पी0 एवं जारी स्वीकृति आदेश के अतिरिक्त किसी अन्य मद में कमिटेड धनराशि का भुगतान मान्य नहीं है तथा किसी भी मद में अवशेष बजट से अधिक कमिटेड धनराशि अनुमन्य नहीं है। अतः फैम्स सॉफ्टवेयर में उपलब्ध बजट की सीमा तक धनराशि कमिटेड हेतु रक्षित है।
6. कमिटेड धनराशि का व्यय फैम्स पोर्टल के माध्यम से उन्हीं गतिविधियों (एफ0एम0आर0 कोड) में किया जाए, जिस गतिविधि (एफ0एम0आर0 कोड) में धनराशि कमिटेड हेतु रक्षित करायी गयी है एवं व्यय गत वर्ष के क्रय संपन्न गतिविधि के सापेक्ष किया जाये।
7. **जनपदो द्वारा किसी ऐसी गतिविधि का कमिटेड धनराशि के रूप में रक्षित कराया गया हो जिसका वाद मा0 न्यायालय के अधीन प्रकरण लम्बित है। उक्त धनराशि का व्यय मा0 न्यायालय के निर्णयानुसार धनराशि का समायोजन/भुगतान किया जायेगा। मात्र कमिटेड के रूप में रक्षित कराया जाना उक्त गतिविधि हेतु स्वीकृत नहीं मानी जायेगी और न ही मात्र कमिटेड कराया जाना देयता का आधार होगा।**
8. कमिटेड के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि बिन्दु–1 से 7 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप न होने की स्थिति में उक्त व्यय वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी में आयेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का होगा।

9. कमिटेड के रूप में रक्षित करायी गयी धनराशि का मदवार व्यय भुगतान वास्तविक देयता के आधार पर ही होगा। भुगतान फैम्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जायेगा तथा बिल बाउचर भविष्य के लिये सुरक्षित रखा जायेगा, जिसे वैधानिक/कान्करेन्ट/सी0ए0जी0/ए0जी0 ऑडिट के समक्ष सम्प्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

आपसे अनुरोध है कि कृपया दिये गये दिशा–निर्देशों की प्रति समस्त जनपदीय ए0सी0एम0ओ0/कार्यक्रम अधिकारियां, जिला स्तरीय चिकित्सालय, जो कि मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित हो चुके हैं अथवा परिवर्तित किये जा रहें हैं, जनपदीय चिकित्सालयों के एस0आई0सी0/सी0एम0एस0 व सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध करा दें तथा दिये गये निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे एवं योजनाओं को ससमय निर्धारित मानकानुसार प्रत्येक स्तर पर संचालित किया जा सके। आवंटित धनराशि का व्यय एन0एच0एम0 की ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेंट के अनुसार किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि योजनाओं/गतिविधियों हेतु जनपदवार, मदवार स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय हो। किसी भी दशा में उपलब्ध कराई गयी धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में न किया जाये। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो आप व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीया,

Pinky 07/10/24

(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या – एस0पी0एम0यू0/नियं.जन/17/2024–25/ **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (एन0एच0एम0), भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. अधिशासी निदेशक, सिफ्सा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. अधिशासी निदेशक, यू0पी0–टी0एस0यू0, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक–यू0पी0एम0एस0सी0एल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इंदिरा नगर, लखनऊ।
11. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/प्रभारी मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
14. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश।

(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

9. कमिटेड के रूप में रक्षित करायी गयी धनराशि का मदवार व्यय भुगतान वास्तविक देयता के आधार पर ही होगा। भुगतान फैम्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जायेगा तथा बिल बाउचर भविष्य के लिये सुरक्षित रखा जायेगा, जिसे वैधानिक / कान्करेन्ट / सी0ए0जी0 / ए0जी0 ऑडिट के समक्ष सम्प्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

आपसे अनुरोध है कि कृपया दिये गये दिशा–निर्देशों की प्रति समस्त जनपदीय ए0सी0एम0ओ0 / कार्यक्रम अधिकारियों, जिला स्तरीय चिकित्सालय, जो कि मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित हो चुके हैं अथवा परिवर्तित किये जा रहें हैं, जनपदीय चिकित्सालयों के एस0आई0सी0 / सी0एम0एस0 व सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध करा दें तथा दिये गये निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे एवं योजनाओं को ससमय निर्धारित मानकानुसार प्रत्येक स्तर पर संचालित किया जा सके। आवंटित धनराशि का व्यय एन0एच0एम0 की ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेंट के अनुसार किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि योजनाओं / गतिविधियों हेतु जनपदवार, मदवार स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय हो। किसी भी दशा में उपलब्ध कराई गयी धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में न किया जाये। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो आप व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीया

(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या – एस0पी0एम0यू0 / नियोजन / 17 / 2024–25 / 4386-2(15) **तद्दिनांक**
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (एन0एच0एम0), भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. अधिशासी निदेशक, सिफ्सा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. अधिशासी निदेशक, यू0पी0–टी0एस0यू0, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक–यू0पी0एम0एस0सी0एल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इंदिरा नगर, लखनऊ।
11. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक / प्रभारी मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
14. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त मण्डलीय / जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश।

07/10/24
(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक